षोडश माला, खंड 3, अंक 12

मंगलवार, 22 जुलाई, 2014
31 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Parliament Library
Room No.
Block
Acc. No. 91
Dated 13 May, 2020

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अतुल कौशिक
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

सुमन रतन
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

अन्जु मीना
सहायक सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)]

अंक 12, मंगलवार, 22 जुलाई, 2014/31 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 205	2-50
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 220	51-150
अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 से 1882	150-908
सभा पटल पर रखे गए पत्र	908-913
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री किरेन रिजीजू	913-914
(दो) डॉक्टर – रोगविज्ञान प्रयोगशाला/नैदानिक केन्द्रों की सांठ-गांठ से रोगी/उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, जिसका 21 जुलाई, 2014 को न्यूज नेशन टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित "ऑपरेशन जोन्क" नामक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा हुआ था	
डॉ. हर्ष वर्धन	1056-1058
(तीन) 21 जुलाई, 2014 को दिल्ली में मणिपुर निवासी, श्री अखा सलौनी की मृत्यु की घटना	
श्री किरेन रिजीजू	1058-1060
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	914-917
(दो) नारियल विकास बोर्ड	917-918
(तीन) भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद्	918
कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	919
सदस्य द्वारा निवेदन	
मद्रास उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति को स्थायी किए जाने में बरती गई कथित अनियमितता के बारे में	919-928

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रविन्दर कुशवाहा	930-931
(दो) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004 के पश्चात् अफीम की खेती के लिए रद्द किए गए पट्टों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	931
(तीन) कृषि बीमा योजना में आवश्यक बदलाव किए जाने और सभी राज्यों में इसका समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अर्जुन राम मेघवाल	931-932
(चार) बांदा और चित्रकूट क्षेत्र में अवैध खनन और जबरन धन वसूली रोके जाने की आवश्यकता	
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	932
(पांच) दामोदर नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में दामोदर घाटी निगम और विभिन्न कोयला कंपनियों की भागीदारी की आवश्यकता	
श्री सुनील कुमार सिंह	932-933
(छह) महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के निवारण हेतु उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	933-934
(सात) राजस्थान में ईंट भट्टा उद्योग के लिए पर्यावरण संस्वीकृत संबंधी मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री ओम बिरला	934
(आठ) दानापुर उप-मंडल के अंतर्गत तौफिर-मंगरपाल-हथियाकांध सराय सड़क से सेना का नियंत्रण हटाने और इसे आम जनता के लिए खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	934-935
(नौ) तेलंगाना में एम्स जैसे संस्थान खोले जाने की आवश्यकता	
श्री बंडारू दत्तात्रेय	935
(दस) उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कंवर सिंह तंवर	935-936

विषय	कॉलम
(ग्यारह) सर्वशिक्षा अभियान के तहत भिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थियों के लिए फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. वेणुगोपाल	936
(बारह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पल्लाडाम होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के साथ-साथ इरुगुर पिरिरु से पोंगालुर तक लीक होने वाले ए.सी. पाइप को नए हाई डाइमेंशन वाले एम.एस. पाइप से बदलने हेतु एनएचएआई द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. नागराजन	936-937
(तेरह) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का हिस्सा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. अशोक कुमार	937-938
(चौदह) ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावति रेल वैगन फैक्टरी की चालू वित्तीय वर्ष में स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अर्का केशरी देव	938
(पंद्रह) केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वलाथुकारा नहर को चालू करने और राज्य में मूलाथारा-वलाथुकारा नहर को कोर्यार से वेलांथवलम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.के. बिजू	939
(सोलह) बिजली गिरने की घटना और तटीय मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	939-940
(सत्रह) केरल में विशेषकर कोल्लम में पासपोर्ट कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं सहित पासपोर्ट बुको को पर्याप्त संख्या में उपलबध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	940
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	941
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15	
पर्यावरण और वन मंत्रालय	942-946
श्री एंटो एन्टोनी	941-946
कटौती प्रस्तावों के पाठ	947
डॉ. संजय जायसवाल	947-951

विषय	कॉलम

श्री पी.आर सेनथिलनाथन	951–953
प्रो. सौगत राय	953–957
श्री पिनाकी मिश्रा	957–961
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	961–964
श्री राहुल शेवाले	964–967
एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	967–969
श्री थांगसो बाइटे	969–970
श्री वी. एलुमलाई	970–974
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	974
श्री गौरव गोगोई	974–977
श्री राजीव सातव	977–986
श्री आर. पार्थिपन	986–988
श्री शरद त्रिपाठी	988–991
श्री शिवकुमार उदासि	991–993
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	993–995
श्री एम. मुरली मोहन	995–997
श्रीमती अंजू बाला	998
श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी	998–1001
श्री थोटा नरसिम्हम	1001–1012
श्री आलोक संजर	1012
एडवोकेट जोएस जॉर्ज	1013–1015
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1015–1019
श्री के. अशोक कुमार	1019–1022
श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	1022–1023
श्रीमती सुप्रिया सुले	1023–1027
श्री पी.पी. चौधरी	1027–1028
श्री जोस के. मणि	1028–1029
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	1029–1032

विषय	कॉलम
श्री बृजभूषण शरण सिंह	1032-1036
श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1036-1041
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1041-1042
डॉ. सत्यपाल सिंह	1042-1044
डॉ. रत्ना डे (नाग)	1044-1046
श्री जुगल किशोर	1046
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1046-1051
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1051-1053
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1053
श्रीमती ज्योति धुर्वे	1053-1055
श्री धर्मेन्द्र यादव	1060-1063
श्री सुनील कुमार सिंह	1063-1064
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1064-1065
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	1065-1067
श्री रवीन्द्र कुमार जेना	1067-1068
श्री धर्म वीर गांधी	1068-1069
श्री दुष्यंत चौटाला	1069-1071
श्री सुमेधानन्द सरस्वती	1071-1074
श्री कृपाल बालाजी तुमाने	1074-1076
श्री अरविन्द सावंत	1076-1077
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	1077-1079
श्री राहुल कस्वां	1079-1080
श्री भर्तुहरि महताब	1080-1083
श्रीमती आर. वनरोजा	1083-1085
डा. एम. तंबिदुरै	1086
श्री ए. अरुणमणिदेवन	1086-1087
श्री अजय मिश्रा टेनी	1087-1088
श्री अश्विनी कुमार चौबे	1088-1091
श्री कौशलेन्द्र कुमार	1091-1092

विषय	कॉलम
श्री एच.डी. देवगौड़ा	1092-1094
श्री जितेन्द्र चौधरी	1094-1095
श्री दद्दन मिश्रा	1095-1096
श्री विजय कुमार हासंदाक	1096-1097
श्री अर्जुन राम मेघवाल	1097-1098
डॉ. किरीट पी. सोलंकी	1098-1099
श्री प्रेम दास राई	1099-1101
श्री नारणभाई काछड़िया	1101-1102
साध्वी निरंजन ज्योति	1103
श्री सी.एन. जयदेवन	1103-1104
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	1104-1106
श्री रमेश बिधूड़ी	1106-1107
डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	1107-1110
श्री कमल भान सिंह मराबी	1110
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	1111
श्रीमती संतोष अहलावत	1111-1112
श्री ए.टी. नाना पाटील	1112-1113
श्री ओम बिरला	1113-1116
श्री गजानन कीर्तिकर	1117-1118
श्री अशोक महादेवराव नेते	1118-1120
श्री प्रकाश जावड़ेकर	1120-1128
कटौती प्रस्ताव — अस्वीकृत	1137
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1163
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1164-1170
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1171-1172
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1171-1174

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. एम. तंबिदुरै
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
प्रो. के.वी. थॉमस
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रहलाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

मंगलवार, 22 जुलाई, 2014/31 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं***]**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, कल आप नहीं थे, आपका अभिनन्दन करना रह गया।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में एक घटना घटी।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मणिपुरी लड़के की बात कर रहे हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जी, हां महोदया, मैं मणिपुरी लड़के की ही बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैं शून्य-काल में आपको इसकी अनुमति दूंगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दुर्भाग्य से यह घटना मेरे जन्मदिन पर घटी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब आप क्या करेंगे?

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तंबिदुरै (करुर) : महोदया, मैंने कार्यवाही स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : 12 बजे जीरो ऑवर के बाद आपको भी मैं अलाऊ करूंगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201, श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

[अनुवाद]

पारम्परिक संस्कृति

***201. श्रीमती अनुप्रिया पटेल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समावेशी विकास के महत्वपूर्ण स्तम्भ होने के नाते सांस्कृतिक विविधता और विरासत के परिप्रेक्ष्य में देश में पालन की जा रही सांस्कृतिक परम्पराओं, आध्यात्मिक आस्थाओं और प्रथाओं के दस्तावेजीकरण हेतु कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मिर्जापुर की परम्पराएं और संस्कृति सहित कुछ परम्पराएं और संस्कृति या तो लुप्त हो गई है अथवा लुप्त होने के कगार पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय संस्कृति सहित संस्कृति और पम्पराओं के संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनके पुनरुद्धार हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश की नष्ट हो रही समृद्ध परम्पराओं और संस्कृति के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

विवरण

(क) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों के देश में सांस्कृतिक परंपराओं के प्रलेखीकरण के लिए कदम उठाए हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत के विभिन्न मंच कला रूपों का प्रलेखीकरण करती है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) देश की कला और संस्कृति संबंधी सामग्रियों को एकत्रित और प्रलेखित करता है तथा श्रव्य-दृश्य किट तैयार करता है जिन्हें क्षेत्रीय संस्कृति अथवा किसी विशिष्ट कला रूप के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) में भी कला रूपों और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रलेखीकरण से संबंधित परियोजनाएं मौजूद हैं। ललित कला अकादमी नियमित रूप से दृश्य कला

परंपराओं का प्रलेखीकरण करती है और इसमें संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करती है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र "लुप्तप्राय कला रूपों का प्रलेखीकरण" नामक स्कीम के तहत श्रव्य/दृश्य तथा पाठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न कला रूपों का प्रलेखीकरण करते रहे हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भी देश में सांस्कृतिक परंपराओं के प्रलेखीकरण के लिए गहन प्रयास किया है।

(ख) वैश्वीकरण के इस दौर में बदलती जीवनशैली और आजीविका तथा मनोरंजन के लोकप्रिय साधनों के आए बदलाव के कारण पूर्वी-उत्तर प्रदेश के नटुआ और करमा जैसे कुछ मंच कला रूपों के चलन में इन क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। मिर्जापुर के धरकारी, मुसहरी और विजयमल्ल जैसे जनजातीय नृत्य और पूर्वी-उत्तर प्रदेश के धोबिया, गोडो जैसे पारंपरिक नृत्य तथा चौलर कला रूप दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि अब इन कला रूपों से ज्यादा आमदनी नहीं होती है और समय के साथ-साथ इनका प्रदर्शन करने वाले लोग धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं।

(ग) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय जनजातीय संस्कृति सहित संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए बहुत-सी स्कीमें चलाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है।

देश की लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन और प्रसार करने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन करते रहे हैं/इनमें भाग लेते रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी थिएटर के माध्यम से देशभर में पारंपरिक और जनजातीय कला रूपों समेत थिएटर कलाओं के विभिन्न रूपों के संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन, लोकप्रियकरण, पुनरुद्धार तथा प्रलेखीकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के लिए पृथक बजट आबंटन किया जाता है।

(घ) देश की नष्ट होती समृद्ध परंपराओं और संस्कृति के परिरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए बहुत-से उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, संगीत नाटक अकादमी ने भांड पाथेर, अंकिया नट, प्रह्लाद नाटक आदि जैसी मंच कलाओं के परिरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य किया है। इसने कुट्टियटम, भगवतमेला, रासलीला और नाच आदि के लिए सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद लुप्त होते जा रहे कला रूपों की समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनके पुनरुद्धार के लिए प्रयास कर रहा है। कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान भी कोडाली करूप्पुर साड़ी, रूक्मिणी देवी पद्धति वाली सिल्क साड़ी और कलमकारी कला जैसे भारत के लुप्त हो हस्तशिल्प और परंपराओं का पुनरुद्धार करने और इन्हें संजोकर रखने पर बल दे रहा है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र "लुप्त प्राय कला रूपों का प्रलेखीकरण" नामक स्कीम के अंतर्गत श्रव्य/दृश्य तथा पाठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न कला रूपों का प्रलेखीकरण करते रहे हैं।

अनुबंध

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2013-14 से कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रस्तावित स्कीमों की सूची

कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता

1. **कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता**
   - विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
   - राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता
   - जन-जातीय/लोक कला के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय सहायता (आस्थगित)
   - सांस्कृतिक कार्यकलापों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता (सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम)
   - हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता
   - एमआईएस संबंधित स्कीम और सहायता-अनुदान की स्वचालन स्कीमें
2. **स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान**
3. **टैगोर सांस्कृतिक परिसर (बच्चों सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना)**
4. **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्कीम**
   - सांस्कृतिक उद्योगों हेतु प्रायोगिक स्कीम (यह स्कीम 2013-14 के दौरान आस्थगित कर दी गई है)
   - अर्मूत विरासत और सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षा और अन्य संरक्षा उपाय संबंधी स्कीम (यूनेस्को करार के परिणामस्वरूप उत्पन्न)
   - भारत की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं को कायम रखने संबंधी स्कीम

5. मंच कला केन्द्र और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

- राष्ट्रीय मंच कला केन्द्र की स्थापना
- कोलकाता और चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

6. कलाकार पेंशन स्कीम

- राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का सृजन
- साहित्य, कला और जीवन के अन्य क्षेत्रों में दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

7. अध्येतावृत्ति स्कीम

- संस्कृति मंत्रालय की ज्ञान संस्थाओं में विद्वानों की नम्य नियुक्ति (टैगोर अध्येतावृत्ति स्कीम)
- मंच कला, साहित्यिक एवं दृश्य कला के क्षेत्र के कलाकारों को छात्रवृत्ति पुरस्कार

8. राज्य अकादमियों को सहायता स्कीम

9. कला एवं संस्कृति पर टी.वी. कार्यक्रम संबंधी स्कीम

10. उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम

11. भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम

12. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना

बौद्ध और तिब्बती अध्ययन क्षेत्र

13. बौद्ध/तिब्बती संस्थाओं के विकास हेतु सहायता

14. बौद्ध दर्शन उच्च अध्ययन विद्यालय, ताबो (हिमाचल प्रदेश)

संग्रहालय क्षेत्र

15. विज्ञान शहर

16. संग्रहालय स्कीम

- वृहत संग्रहालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक – निजी भागीदारी (पीपीपी) स्कीम।
- क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालय का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण।
- महानगरों में संग्रहालयों के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम।

17. संग्रहालय संग्रह का अंकीकरण और संग्रहालय संबंधित विषयों के लिए शैक्षिक सुविधाएं

- संग्रहालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक – निजी भागीदारी (पीपीपी) स्कीम।
- इंटरनेट पर उपलब्ध सूची-पत्रों/चित्रों को बनाने के लिए, संग्रहण करने के लिए संग्रहालय संग्रहों के अंकीकरण हेतु वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम।

18. संग्रहालय व्यावसायिकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण स्कीम

19. राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम

20. प्रस्तावित राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण हेतु वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम

21. केन्द्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम

सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र

22. प्रकाशन स्कीम

- पुराने और दुर्लभ दस्तावेज/पांडुलिपि, इतिहास अभिलेख का परिरक्षण एवं संरक्षण, संस्कृति पर पुस्तक का सह-प्रकाशन करने के लिए पुस्तकालय/सांस्कृतिक संस्थान को वित्तीय सहायता।
- अनुसंधान पत्रों, महत्वपूर्ण पांडुलिपि, इतिहास अभिलेख का प्रकाशन और संस्कृति संबंधी पुस्तकों के सह-प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।

स्मारक एवं शताब्दी क्षेत्र

23. गांधीवादी संस्थानों को वित्तीय सहायता।

24. शताब्दी एवं जयंती स्कीम

- खालसा विरासत परियोजना
- रवीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती
- स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती
- श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती

- भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस की 150वीं जयंती समारोह

अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध क्षेत्र

25. अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यकलाप एवं भारत-मैत्री सोसाइटी को अनुदान।

26. अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध स्कीम।

- सांस्कृतिक विषय पर संगोष्ठियों, उत्सवों एवं प्रदर्शनियों के लिए विदेश जा रहे कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों हेतु वित्तीय सहायता।
- किसी भी रूप में भारतीय संस्कृतिक कर अध्ययन करने और/अथवा सीखने हेतु इच्छुक विदेशी कलाकारों को वित्तीय सहायता।
- विदेश में भारतीय साहित्य (यह स्कीम साहित्य अकादमी की अंतरित कर दी गई है)।
- वैनिस द्विवार्षिक में भारत का स्थायी पवेलियन।
- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता।

निम्नलिखित योजना स्कीमों को वार्षिक योजना 2013-14 से कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक संगठनों के सुपुर्द कर दिया गया है:—

1. सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

- सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवक स्कीम।
- सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन केन्द्र (राष्ट्रीय संस्कृति एवं विरासत प्रबंधन संस्थान)।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

- श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार।

3. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

- अनुसंधान निष्कर्षों के प्रलेखन एवं प्रसार हेतु राज्य सरकार के संस्थानों और संगठनों को सहायता

संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से यूनेस्को प्रकोष्ठ द्वारा संचालित स्कीम

1. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण हेतु स्कीम।

जेडसीसी अनुभाग द्वारा संचालित स्कीम

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. गुरू-शिष्य परंपरा स्कीम
3. युवा प्रतिभावना कलाकार स्कीम
4. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन
5. रंगमंच नवीकरण स्कीम
6. शिल्पग्राम कार्यकलाप
7. लोकतरंग — राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा ऑक्टेव

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदया, मिर्जापुर का चुनार किला जिसे उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि, जिन्होंने जीवित ही समाधि ली थी, के ठहरने की याद में बनवाया था, उसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत स्मारकों की सुरक्षा के लिए कोई योजना लागू की गई है और सांस्कृतिक महत्व के इस किले की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, हमारे पास यह स्कीम है। इस पर हम नोटिफाइ कर सकते हैं, वहां करने का प्रपोज़ल उनकी ओर से आएगा तो हम एक्ज़ामिन करके करने की कोशिश करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : मैं भी मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी मन्दिर के प्रबंधन पर लगातार खींचतान जारी है। यदि ऐसा है, तो क्या इस प्रबंधकीय खींचतान को समाप्त करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ताकि सांस्कृतिक महत्व के इस मन्दिर को सुरक्षित रखा जा सके तथा इस विंध्वासिनी मन्दिर से निकले कजली शैली के लुप्तप्राय लोकगीत के प्रचार के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताएं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक कजली के बारे में उन्होंने कहा है जो वहां का एक अच्छा गीत है, लोकगीत है जिसे बारिश के दिनों में भी गाते हैं, शादी

के समय में भी गाते हैं। इसका प्रिज़र्वेशन करना, इसकी मदद करना तो सरकार का काम है ही, क्योंकि यह हमारी संस्कृति और पहचान है। देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है।

दूसरा प्रश्न मंदिर में मैनेजमैंट के बारे में था। मैं इसके बारे में इनक्वायरी करूंगा और एक्ज़ैक्टली जो कुछ करना है, वह हम करेंगे। मेरे ख्याल से माननीय सदस्या अपना प्रश्न यदि डीटेल में मेरे पास भेज देंगी तो मैं इनको ही बुलाऊंगा और हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर हम वह प्रश्न सुलझाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदया, इस मन्दिर से निकले कजली गीत के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार कौन-कौर से प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि आपको बुलाकर अधिकारियों के साथ बात करेंगे, कितना अच्छा जवाब दिया। आपको इतना महत्व दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : उन्होंने विंध्यवासिनी मन्दिर में चल रही प्रबंधन सम्बन्धी खींचतान का जवाब दिया है।

हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : दोनों का उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदया, श्री नारायण गुरु देश के महान समाज सुधारक हैं। इस वर्ष हम, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'देव दशकाम' मना रहे हैं जो कि भ्रातृत्व तथा मानवतावाद पर उनके दस नारे हैं। केरल सरकार तथा केरल के अन्य संगठनों और देश भर के संगठनों ने भी बड़ी संख्या में इसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के समक्ष रखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि इस वर्ष श्री नारायण गुरु का 'देव दशकाम' उचित रूप में मनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : श्री नारायण गुरु जी के मेले के बारे में प्रश्न आपने पूछा है। ऐसे मेले जब भी होते हैं तो हमारा मंत्रालय मदद करता है। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई प्रपोज़ल हो, आप भेज देना, हम उस के ऊपर कार्यवाही करेंगे।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, हर राज्य की अपनी एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति में कुछ नृत्य और गीत होते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारी यह संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। हमारे देश से बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में मजदूर के रूप में फीजी, मॉरीशस, गुआना, सूरीनाम। मैं पिछले दिनों ट्रेन से यात्रा कर रहा था और मॉरीशस के एक दम्पति उस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वह पहली बार हिन्दुस्तान आए थे। उनके बच्चे ट्रेन अटकन-चटकन खेल रहे थे, जैसा कि हमारे घर में बच्चे खेलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश से कई पीढ़ी पहले गए थे। हम अपनी संस्कृति को जानने के लिए और उसकी जड़ों से जुड़ने के लिए आए हैं। ऐसी संस्कृति को सहज कर रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें मैं बुंदेलखंड की बात करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में रायी, ढिमरयायी, फ़ाग, भोला के गीत और आला-उदल के गीतों को आज भी गया जाता है और आज भी इनका रिवाज़ है। इनको द्रव्य और श्रव्य के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करने और परीक्षण देने की क्या कोई योजना बनायी गयी है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, किसी भी देश के विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की जनता के समग्र विकास के लिए लगभग सभी आर्थिक, सामाजिक और अन्य कार्यकलापों में संस्कृति और सृजनता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विविधता वाला देश है और अपनी संस्कृति की अनेकता में एकता का प्रतीक है। सरकार देश की सांस्कृतिक परम्परा को इसकी सभी विविधता और समग्रता के साथ विकसित और संरक्षित करने की इच्छुक है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी स्कीम हैं, जिनमें गुरु-शिष्य परम्परा के लिए स्कीम है। हमारे यहां कला और संस्कृति के लिए सात जोनल कल्चरल सेन्टर्स हैं, जो कि देश के सभी भागों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि इस सब के बारे में जो भी स्कीम वह चाहते हैं या वह जो इसके लिए चाहते हैं, वह हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रामचन्द्र हाँसदा : महोदया मेरे राज्य ओडिशा में, लोक संगीत, गीत तथा नृत्य जैसी परम्परागत संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण, प्रोत्साहन, प्रचार और पुनरुद्धार के लिए, हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक नीति बनाई है जिसमें सभी जिलों में जिला कला संस्कृति संघ (जेडकेएसएस) तथा सभी ब्लॉकों में ब्लॉक कला संस्कृति संघ (बीकेएसएस) बनाए गए हैं। 7.78 करोड़ रुपए से एक परिक्रामी कोष बनाया गया है। जिसमें प्रत्येक जिला कला संस्कृतिक संघ के लिए 5 लाख

रुपए और ब्लॉक कला संस्कृति संघ के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिकत, 10 करोड़ रुपए से सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए भी एक कोष बनाया गया है जिसका लक्ष्य विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरुकता पैदा करना है। अत: इस तरह से ओडिशा के 421 कला शैली तथा 71 हजार से अधिक परम्परागत सांस्कृतिक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा भी यही प्रारुप अपनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, इसके बारे में मेरे पास अभी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका डिटेल मैं उन्हें भेज दूंगा।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरुर : महोदया, माननीय सदस्य के प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं परन्तु उन्होंने भाषाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। यह तथ्य है कि हमारे देश में भाषा संस्कृति की वाहक है और यह वास्तव में चिन्ता की बात है कि बड़ी संख्या में परम्परागत भारतीय भाषाएं लुप्त को रही हैं। यदि कमजोर आदिवासी समूहों की विकास सम्बन्धी चुनौतियों पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की वर्ष 2013 की रिपोर्ट पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि बड़ी संख्या में जनजातीय भाषाएं लुप्तप्राय हो रही हैं। मेरे अपने राज्य केरल में, चोलन्नाईकन जनजाति पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है क्योंकि इनकी संख्या पिछले वर्ष 3000 से घटकर 190 रह गई। अत: क्या संस्कृति मंत्रालय इस स्थिति में है कि सबसे पहले तो कमजोर आदिवासी समूहों का संरक्षण कर सके और फिर भारत की परम्परागत भाषाओं को रिकॉर्ड करके, दृश्य-श्रव्य माध्यम से रिकॉर्ड करके उनका संरक्षण करे ताकि हम अपनी संस्कृति और परम्पराओं के इन मूल्यावन वाहकों को बचाए रख सकें?

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका मूल प्रश्न तो अलग है। संस्कृति मंत्रालय ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कार्य करता है। हमारे पास जो भी स्कीम्स हैं, उनमें कभी मेला लगाना, उन्हें एकत्रित करना, और जैसा मैंने अभी कहा था कि जो गुरु-शिष्य परंपरा है, उसमें इन लोगों को स्कॉलरशिप देना, ग्रांट देना शामिल है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृति मंत्रालय के निर्देश द्वारा संगीत नाटक अकादमी में एक विशेष लोक कला और जनजातीय विभाग कार्य कर रहा है ताकि इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कला रूपों को परीक्षित किया जा सके। इसके प्रारंभ में अकादमी अनेक महत्वपूर्ण माध्यमों से लोक और जनजातीय कलाकारों को सहायता पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हमारे अनेक ऐसे जो संगठन हैं, ये संगठन ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए हर तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत सारे सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि संस्कृति के यत्न से कहीं-न-कहीं संस्कार भी प्रभावशाली हो जाते हैं। सभी सदस्य इसमें इतने उत्सुक हैं तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि आप हर प्रदेश के सांसदों को बुलाकर, चर्चा कर, जो आपकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को फिर से एक बार सोच कर प्रभावशाली बनाएंगे तो मुझे लगता है यह ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

ओलंपिक खेल, 2016

***202. श्री तारिक अनवर : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के प्रमुख कारणों में से एक कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलकूद अवसंरचना की कमी है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे इंडोर खेलों को बढ़ावा देने का है जिनमें लंदन में आयोजित ओलंपिक, 2012 में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2016 में होने वाले आगामी ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की तैयारी की खेल विधा-वार स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी ओलंपिक खेलों में जीते जा सकने वाले ओलंपिक पदकों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो खेल विधा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवसंरचना उपलब्ध है और इसमें सतत् रूप से वृद्धि/स्तरोन्नयन किया जाता है। उच्च कार्यनिष्पादन केंद्रों, आधुनिक उपकरणों, खेल विज्ञान और खेल औषधि की सुविधाओं आदि की अपर्याप्तता को दूर करने के लिए भी नियमित आधार कार्रवाई की जाती है। 'खेल' राज्य सूची का विषय है और राज्यों में पर्याप्त खेल अवसंरचनाओं के सृजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) उन खेल विधाओं जिनमें भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है यथा बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन खेल विधाओं को अन्यों के साथ 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा गया है और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता संबंधी मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण, विदेशों में अनुभव, पोषक आहार, खाद्य संपूरकों आदि सहित सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी से पहले खिलाड़ियों और टीमों के प्रशिक्षण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत विदेशों में कस्टमाइज प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में पुरस्कार राशि टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए एनएसडीएफ में सहायता प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, अन्यों के साथ इन खेल विधाओं को जमीनी स्तर पर और इंटरमीडियम स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती स्कीम पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर 21 फरवरी, 2014 को राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की। आरजीकेए के अंतर्गत देश की प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक पंचायत में एकीकृत खेल परिसर बनाए जाएंगे। प्रत्येक खेल परिसर की लागत 1.75 करोड़ रुपए होगी तथा 16 खेल विधाओं में से 3 स्थानीय खेल विधा चुनने के विकल्प के साथ 11 आउटडोर और 5 इंडोर खेल विधाएं होंगी। आउटडोर खेल विधाएं हैं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबाल, फुटबाल, हैंडबाल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, टेनिस और वालीबाल। इंडोर खेल विधाएं हैं — मुक्केबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और एक मल्टीजिम की व्यवस्था।

(ग) रियो ओलंपिक्स, 2016 सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं के लिए खिलाड़ियों की तैयारी एक सतत् प्रक्रिया है। यह मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के साथ दीर्घावधि विकास योजना (एलटीडीपी) और वार्षिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कैलेंडर (एसीटीसी) पर विचार-विमर्श करते हैं और विदेशी कोचों आदि सहित खिलाड़ियों और टीमों की कोचिंग तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अंतिम रूप देते हैं।

इसके अतिरिक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता की ओलंपिक खेल, 2020 तक होने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं से संबंधित कार्य की मॉनीटरी और समन्वय करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि तथा संबंधित खेल विधा के मुख्य कोच शामिल हैं। संचालन समिति के कार्यों में मुख्य संभावितों की पहचान करना और यह तय करने के लिए किसे बनाए रखने/हटाने/शामिल करने की आवश्यकता है, नियमित रूप से मुख्य संभावितों के प्रदर्शन की समीक्षा करना शामिल है।

सरकार ने ओलंपिक्स, 2016 और ओलंपिक्स, 2020 के लिए शीर्ष पदक संभावितों की पहचान करने का निर्णय लिया है। सुविख्यात विशेषज्ञों की एक समिति खिलाड़ियों की पहचान करेगी तथा एक अन्य समिति उनके कार्यक्रमों की संवीक्षा करेगी और उन्हें अंतिम रूप देगी तथा उनके प्रदर्शन की निगरानी करेगी। चुने गए खिलाड़ियों को ओलंपिक्स, 2016 और ओलंपिक्स, 2020 की गहन तैयारी के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर सतत् सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रयास रियो ओलंपिक्स, 2016 सहित मेगा खेल स्पर्धाओं में देश के पदक संभावित विजेताओं की संख्या में अधिकतम वृद्धि करना है। मंत्रालय और भाखेप्रा की स्कीमों और योजनाओं को मेगा खेल स्पर्धाओं में पदक तालिका में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे भारत खेल राष्ट्रों की जमात में एक अग्रणी देश बनकर उभरे।

(ङ) देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2014-15 के बजट में मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू करने, जम्मू और कश्मीर में इंडोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप स्तरोन्नत करने की घोषणा की। सरकार ने अधिमान्यत: पीपीपी के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में मेन स्ट्रीम खेलों के अनुरूप प्रमुख खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। सिद्धहस्त खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तथा देश में जूनियर और सब-जूनियर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के पोषण के लिए निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाज़ी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा विभिन्न ट्रैक और फील्ड

स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं में युक्त अकादमियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, हमारा देश सवा सौ करोड़ की आबादी का देश है। इतनी बड़ी आबादी के देश में स्पोर्ट्स में हमारा कोई स्थान नहीं बन सका है। क्रिकेट जैसे एकाध खेल को छोड़ कर किसी दूसरे खेल में अपना कोई स्थान हम लोग बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं।

खेलों के महाकुंभ ओलंपिक पर नज़र डालें तो 114 सालों का इतिहास हमें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं देता है। ओलंपिक में अब तक बंटे चौदह हजार से अधिक पदकों में से हमारी झोली में सिर्फ़ 26 पदक आए हैं। सोने के 4,800 पदकों में से हमारा देश अब तक नौ पदक ही जीत पाया है। उसमें भी आठ पदक हॉकी के नाम हैं। इटली, हंगरी और स्वीडन जैसे छोटे-छोटे देश खेलों में 450 से अधिक पदक हासिल कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया, खेलों के नाम पर करोड़ों-अरबों के बजट हर साल बनते जरूर हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, सुनिए। माननीय सदस्य ने अच्छी जानकारी एकत्रित की है।

श्री तारिक अनवर : लेकिन बजट का अधिकांश भाग खेल संगठनों के पदाधिकारियों की विदेश यात्रा और पांच सितारा होटलों में होने वाली बैठकों पर ही सर्फ़ हो जाता है। खिलाड़ी हमेशा खुराक और अच्छे कोच के लिए तरसते हुए अपने खेल जीवन समाप्त कर बैठते हैं, उनका सपना अधूरा रह जाता है। मेरा मंत्री महोदय से यह सवाल है, हालांकि उन्होंने अपना जवाब बहुत विस्तार से दिया है। अगर उनका जवाब पढ़ा जाए तो उससे लगता है कि सपोर्ट्स जगत में सब कुछ ठीक चल रहा है। हम लोग बहुत जल्दी ओलंपिक में अपना स्थान हासिल करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है– *[अनुवाद]* "'खेल' राज्य सूची का विषय है तथा यह राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह राज्य में पर्याप्त खेल सुविधाओं की व्यवस्था करे।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच खेल के क्षेत्र में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या उपाय किए गए हैं? राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी गई राशि का विवरण ईयर वाइस और किन राज्यों में कितने दिए गए हैं, उसका विवरण अगर मंत्री जी पटल पर रखें या हम लोगों को बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी आपको दूसरा प्रश्न भी पूछना है।

श्री तारिक अनवर : मैडम, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या राज्य सरकारों के खेल मंत्रियों की कोई बैठक निकट भविष्य में बुलाएंगे ताकि राज्य सरकारों के साथ प्रोपर कोऑर्डिनेशन हो सके?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : क्या अरप सैकिंड सप्लीमेंट्री नहीं चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय दो योजनाओं – पहली राजीव गांधी खेल अभियान और दूसरी – शहरी खेल संसाधन योजना के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है। इन योजनाओं के माध्यम से, हम राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हैं। दिल्ली में वर्ष में एक बार खेल मंत्रियों का सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में, सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हम भी, अपने मंत्रालय की ओर से खेल मंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव आमंत्रित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि – *[अनुवाद]* राजीव गांधी खेल अभियान के तहत, देश की प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक पंचायत में एक एकीकृत खेल परिसर बनाया जाएगा। प्रत्येक खेल परिसर 1.75 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसमें 11 आउटडोर खेल तथा 5 इनडोर खेल होंगे तथा इसमें तीन स्थानीय खेल भी शामिल किए जा सकेंगे। *[हिन्दी]* यह जो इन्होंने अपने जवाब में कहा है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है और यह जो हर ब्लॉक में सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की सरकार की योजना है, वह कब तक पूरी हो जाएगी? उसका कोई लक्ष्य, समय निर्धारित है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : आदरणीय महोदया, हमारे देश में 6000 से अधिक ब्लॉक और 623 जिले हैं। हम अगले पांच वर्षों में सभी अवसंरचना निर्माण को पूर्ण करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। खिलाड़ी लक्ष्य प्राप्त

करने के लिए अपना कोई गोल निर्धारित करते हैं, उसी तरह क्या सपोर्ट्स मिनिस्ट्री 2020 या 2024 ओलंपिक्स के लिए इतनी इच्छाशक्ति जूट सकती है कि कोई लक्ष्य निर्धारित करे और उसके बाद एक्सपर्ट्स को शामिल करके वहां तक लक्ष्य तक पहुंचे?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य और इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है जो देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करेगी और हमारे खिलाड़ियों के प्रतिदिन के प्रदर्शन की निगरानी रखने के लिए एक अन्य समिति गठित की जाएगी। हमारा लक्ष्य वर्ष 2016 और 2020 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में अधिकाधिक पदक प्राप्त करने का है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : संसाधनों तथा कोच की कमी खेलों के विकास में मुद्दे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी पहले ही घोषणा कर दी थी कि मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय देश के प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण पर विचार कर रही है अथवा क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक स्टेडियम स्थापित किया जाए।

दूसरे, स्कूलों में खेल अवसंरचना भी कम हैं। 'कैच दैम यंग' खेलों का नारा है। हमें स्कूलों के खेल सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्कूल स्तर पर खेलों के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएगी?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश में खेलों की दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि पहले केन्द्रीय बजट में, इसके लिए विशेष बजट आबंटन किया गया है। यह इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि हमारी सरकार देश के खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण हे कि हम भी देश के सभी राज्यों में बेहतर खेल अवसंरचना सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा कि पहले माननीय सांसद ने कहा कि हॉकी में हमने आठ बार ओलम्पिक में मैडल जीता है, लेकिन आजकल हॉकी की हालत बहुत तरसयोग्य हो गई है। हॉकी की दो एसोसिएशंस हैं, एक तो हॉकी इंडिया है और एक इंडियन हॉकी फैडरेशन है, जो अपने आपको कहती है कि मान्यता रखते हैं तो क्या हॉकी को 2016 ओलम्पिक में ले जाने के बारे में कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : हमारे मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि पुरस्कार राशि आयोजन की शुरुआत की है। बहुत थोड़े समय में, हम पूरे देश में खेलों का आयोजन करेंगे; यह मुख्य रूप से हमारे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु है। यह एक प्रकार की तैयारी है। हॉकी के मामले में भी ऐसा ही है। इस मामले पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरणसिंह : खिलाड़ियों को तो समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खिलाड़ियों को ही समय दे रही हूं।

श्री बृजभूषण शरणसिंह : मैडम, हमको भी समय दीजिएगा। ये क्रिकेट वाले हैं, हम कुश्ती वाले हैं तो इसलिए हमसे भेदभाव मत करिएगा। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नहीं करेंगे।

श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, भगवन्त मान जी को मैं बता दूं कि इंडियन हॉकी फैडरेशन और हॉकी इंडिया की आपस में लड़ाई चल रही है, जिससे हॉकी की यह दुर्दशा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप खाली अपना सवाल पूछिये।

श्री कीर्ति आज़ाद : यह जो प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, मैं 13वीं लोक सभा से यहां पर हूं, उसमें कुछ शब्दों को छोड़ करके कुछ अंतर नहीं है। सबसे पहले तो अगर ये खेल को, उसकी पम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम्स दिल्ली में और दूसरी जगहों पर बने हुए हैं, उसमें राजनैतिक, सोशियल या कल्चरल कार्यक्रमों के लिए जो बुकिंग की जाती है, उसको बन्द कर दें तो कम-से-कम खिलाड़ियों को वहां खेलने का मौका मिल सके और वहां पर जाकर वे अपना खेल खेल सकें।

माननीय अध्यक्ष : आज एक क्रिकेट का मैच जीते हैं न, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा बोलने दिया।

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं स्टेडियम्स की बात कर रहा हूं। मैं क्रिकेट के बारे में क्या कहूंगा, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैंने आज आपको बोलने के लिए मौका दे दिया।

श्री कीर्ति आज़ाद : आप एक चीज़ देखेंगे, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि हमारे बहुत सारे पुराने खिलाड़ी जब भी कभी कोई मैडल जीतते हैं या कभी कोई टूर्नामेंट जीत करके कोई टीम आती है तो वे बार-बार सरकार को और अपनी खेल की उन संस्थाओं को दोष देते हैं कि उनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। पिछले दिनों अभिनव बिंद्रा ही खेलने गये थे, जो पिछला स्वर्ण पदक लेकर आये थे, उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला था। इससे पहले धनराज पिल्लै माडर्न जमाने में समझिये कि हॉकी के सबसे बढ़िया खिलाड़ी रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे को कभी हॉकी नहीं खिलाऊंगा। असलम शेर खान ने एक किताब लिखी थी, उसमें कहा था कि "टू हेल विद हॉकी" जिन्होंने 1975 में शॉर्ट कोर्नर से भारत को विजय दिलाई थी और हम मलेशिया में पहली बार विश्व कप जीते थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी सब कुछ योजनाएं जो आप बता रहे हैं, मैं 13वीं लोक सभा से ही यह सुनता रहा हूं, उसमें बदलाव क्या हुआ है? ये अपनी तरफ से ऐसा क्या करने वाले हैं कि कम-से-कम खिलाड़ी जो असंतुष्ट रहते हैं, वे न रहें।

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय सदस्य देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और हम सब उनका आदर करते हैं। उनकी जानकारी के लिए, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि स्टेडियम में किसी भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं है।

श्री कीर्ति आज़ाद : हम जानते हैं कि बुकिंग होती हैं, तालकटोरा स्टेडियम में होती हैं, दूसरी जगह भी होती हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : परन्तु ये राजनीतिक अथवा धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं होती। इसके इतर आयोजनों की ही अनुमति है।

हमारा मंत्रालय परिसंघ की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए हमेशा तैयार है तथा यही कारण है कि कुछ अनुशासन रखा जाना आवश्यक है। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति ने शिकायत की और कहा कि खेल विवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर होना चाहिए। 'खेल विकास विधेयक' हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हमारा मंत्रालय इस सभा में इस विधेयक को लाने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श कर रहा है। मैं विशेष रूप से इस पहलू पर आपका सहयोग और समर्थन चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री बृजभूषण शरण सिंह, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यहां पॉलिटिकल कुश्ती नहीं खेलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तारिक अनवर साहब ने अपने मूल प्रश्न के माध्यम से खेल की दुदर्शा की चिन्ता की है। मेरा माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न है, उसका उत्तर मेरे प्रश्न में ही छिपा हुआ है और उसका पूरा उत्तर माननीय तारिक अनवर साहब को मिल जायेगा, जिस सरकार में उन्होंने पांच साल काम किया, उस सरकार ने खेल को कहां पहुंचाया?

माननीय अध्यक्ष : आप सुधारिये।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : प्रश्न पूछने के पहले थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* बताना पड़ेगा कि क्या है...*(व्यवधान)* खेल के बारे में कुछ सीखिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : बृजभूषण जी, मैंने पहले ही कहा था कि पॉलीटिकल कुश्ती नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह : महोदया, नो पॉलिटिकल।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : यहां पर कई माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो खेल से जुड़े हुए हैं। कोई भी जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है तो उसके आयोजन का जो खर्च है, कम-से-कम 50 लाख और उससे बढ़कर के एक करोड़ रुपए की लागत में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जैसे तीरंदाजी है, रेसलिंग है, मुक्केबाजी है, बैडमिंटन आदि हैं। पूर्व में कैडेट स्तर की जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती थी, 16 साल की आयु के नीचे के बच्चों की जब प्रतियोगिता होती थी तो सरकार के द्वारा सहयोग के रूप में 6 लाख रुपए दिए जाते थे। जूनियर लेवल पर, जब 19 साल तक की आयु के बच्चों की कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता

होती थी, तब सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए का सहयोग उसमें दिया जाता था। जब सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिये जाते थे। जबकि एक प्रतियोगिता, आप लोग इससे सहमत होंगे, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि 50 लाख से कम में कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं होती है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जाते-जाते पूर्व की सरकार ने कैडेट को जो 6 लाख रुपए मिलते थे, जूनियर को 4 लाख रुपए मिलते थे, उसे भी कम करके केवल 2 लाख कर दिया है, क्या इसे बढ़ाने की कृपा करेंगे?...*(व्यवधान)* मैंने आपसे आग्रह किया है कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन में कम से कम 50 लाख रुपए खर्च होते हैं तो क्या आप राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रतियोगिता को सहयोग देने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले की जांच करूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : दोनों प्रश्न बहुत अच्छे थे। हमने इनका उत्तर ढूंढ कर अच्छा किया है। मुझे लगता है कि तीसरे प्रश्न में अच्छी कमियां नजर आएंगी।

प्रश्न 203, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान जी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अपने उत्तर टेबल पर रख दिया। कृपया, आप सप्लिमेंट्री क्वेश्चन पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, ग्रामीण खेलों का सवाल है।...*(व्यवधान)* मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, कृपया, ऐसा नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम अगले प्रश्न पर जा चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 203, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान जी।

[अनुवाद]

यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को मुआवजा

\+

***203. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :**
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों और बड़े शहारों में महिलाओं को सुरक्षा हेतु कोई नई योजना बनाई गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के हमलों के मामलों में पीड़ितों को वित्तीय रूप से और अन्यथा मुआवजा दिया गया है/राहत दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीड़ितों को मुआवजा पुलिस और विधिक प्राधिकरण की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुलिस द्वारा अब तक कितने मामलों की सिफारिश की गई और इनमें से कितने मामले लंबित हैं जिनके परिणामस्वरूप पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गृह मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित कॉल सुनने (टेकिंग) और ग्लोबल पोजिशिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित पुलिस वाहन रवानगी संबंधी कार्रवाई में सहायता हेतु एक एकीकृत कम्प्यूटर आधारित प्रेषण (सीएडी) प्लेटफार्म की स्थापना की परिकल्पना की है जिससे संकट में फंसी महिलाओं की कॉलों पर कार्रवाई करने की दक्षता में सुधार तथा त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। यह परियोजना 114 नगरों में कार्यान्वित की जानी है जिसमें एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 54 नगर, जिनमें वे शहर/नगर शामिल हैं जो राजधानियां हैं तथा 41 अत्यधिक अपराध प्रवण जिलों के मुख्यालय हैं, शामिल हैं। इस परियोजना में 321.69 करोड़ रुपए कर कुल

व्यय शामिल है जिसमें 204.25 करोड़ रुपए की कार्यान्वयन लागत (एकबारगी), 102.12 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय (पांच वर्षों की प्रचालनात्मक लागत) और लगभग 5.52 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन परियोजना प्रबंधन इकाई संबंधी व्यय शामिल हैं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 5.2.2014 को इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और निर्भया कोष से कुल 320.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क में यह निर्धारित है कि प्रत्येक राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के परामर्श से, यौन हमले और अन्य हमले के विनिर्दिष्ट पीड़ितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधियां उपलब्ध कराने हेतु एक योजना तैयार करेगी। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पीड़ित मुआवजा योजना संबंधी अधिसूचना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी-अपनी योजनाएं अधिसूचित कर दी हैं। पात्रता, मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया, भुगतान का माध्यम आदि का उल्लेख करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिसूचनाओं की प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट *http://mha1nic.in/par2013/AnnexLSQNo203For220714.PDF* पर उपलब्ध हैं।

(ग) पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क-ग में दिए गए निर्देशों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें यह उल्लेखित है कि:—

(i) न्यायालय द्वारा जब कभी मुआवजे की सिफारिश की जाती है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की सीमा पर निर्णय लेता है।

(ii) विचारण की समाप्ति के पश्चात् यदि विचारण न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि धारा 357 के अंतर्गत प्रदत्त मुआवजा इस प्रकार के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा जहां मामला दोषमुक्ति या रिहाई पर समाप्त हो जाता है और पीड़ित को पुनर्वासित किया जाना होता है तो वह मुआवजे की सिफारिश करता है।

(iii) जहां अपराधी का पता नहीं चल पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता, तब पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजा प्रदान करने के संबंध में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(iv) इस प्रकार की सिफारिश या उप-धारा (4) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिवत् जांच के पश्चात् दो माह के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का आदेश देंगे।

(v) पीड़ित की व्यथा को दूर करने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाने के प्रभारी के रैंक से कम नहीं होंगे या संबंधित क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क प्राथमिक सहायता या चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने या समुचित प्राधिकरण द्वारा सही समझे गए कोई अन्य अंतरिम राहत का आदेश जारी करेंगे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख में यह उल्लेखित है कि धारा 357 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 736घ के अंतर्गत पीड़ित को प्रदत्त जुर्माने की राशि के अतिरिक्त होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में यह उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे सभी अस्पताल, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो, धारा 326क, 376क-घ और धारा 376ङ के दायरे में आने वाले किसी भी अपराध के पीड़ितों को तत्काल निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सहायता का चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराएंगे और इस घटना की सूचना पुलिस को तत्काल देंगे।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़ा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। पीड़ित मुआवजा योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदमों की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि यह मामला अनन्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान : अध्यक्ष जी, हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ जितने क्राइम्स हो रहे हैं, उनके बारे में लोक सभा में चर्चा भी हुई है और यह होनी भी चाहिए। जिस महिला के साथ ऐसी घटना घटती है, उस के लिए थोड़ी कंपैनसैशन की भी व्यवस्था है। लेकिन, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि उनके पास कोई डाटा नहीं है कि कितने लोगों को यह कंपैनसैशन दिया गया है। यह क्यों नहीं है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। इतना तो होना चाहिए, यह बहुत गंभीर बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा डाटा क्यों नहीं मेन्टेन किया जाता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कितने केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन केसेज में कन्विक्शन हुआ है और कितने केसेज में एक्विटल हुआ है, इस संबंध में जो कुछ भी होता है, वह राज्य के स्तर पर ही होता है। जहां तक कंपैन्सैशन देने का सवाल है, कंपैनसैशन राज्य सरकारें ही दिया करती हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि हर राज्य में कितने केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने कंविक्शन हुए हैं, इस संबंध में, हमारे पास कुछ डाटज हैं। कितने लोगों को कंपैनसैशन प्राप्त हुआ है, इसकी भी जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान : महोदया, जहां तक कि हम जानते हैं, सरकार ने निर्भया कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं परन्तु अभी तक किसी भी निधि का उपयोग नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो इसे उपयोग में क्यों नहीं लाया गया है, इसके कारण बताएं? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पहले भी ऐसे कई कानून बने हैं, लेकिन विशेष रूप से दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद, कई ऐसे आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं, जिनमें संशोधन किया गया है और कुछ प्रभावी फैसले किए गए हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनाई गई थी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी अपनी रेकमैंडेशंस दी है, उनमें से बहुत सारी रेकमैंडेशंस को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, ताकि विमेन्स की सेफ्टी और सिक्युरिटी को प्रॉपरली इन्श्योर किया जा सके। कुछ रेकमैंडेशंस को ले कर विवाद थे, उन रेकमैंडेशंस को हमने स्वीकार नहीं किया है। जहां तक कंपैनसैशन का प्रश्न है। उनको कंपैनसैशन भी मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ, जिस महिला के साथ रेप होता है अथवा किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेशमेंट होता है, स्वभाविक रूप से उसे किस दौर से गुजरना पड़ता है, जिस प्रकार का ह्यूमिलिएशन उसे झेलनी पड़ती है, इन सब सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं, राज्य सरकारों के द्वारा भी और साथ ही साथ केन्द्र सरकार के द्वारा भी इसको रोकने के लिए, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी भी जारी की गई है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : अध्यक्ष महोदया, यौन शोषण के इस गंभीर मुद्दे, जो कि देश को सुबह से शाम तक भयभीत किए हुए है, का जवाब देने के लिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अपने उत्तर में, उन्होंने बताया है कि गृह मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली के सामंजस्य से एक इंटिग्रेटिड कम्प्यूटर एडिड डिस्पैच प्लेटफॉर्म की स्थापना की परिकल्पना की है जो कि मुसीबत के समय महिलाओं की सहायता में काम आएगा और उन्हें त्वरित सहायता भी उपलब्ध कराएगा। मेरा मानना है कि ये जो उपाय किए जा रहे हैं, इनसे अपराध की घटनाओं पर वास्तव में शुरुआत में ही रोक लगेगी। परन्तु अभी वास्तविक मुद्दा यह है कि लोगों में इस मामले पर समझ और ज्ञान अथवा इसके मनोविज्ञान की समझ की कमी है।

अत: मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाने तथा इसे संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहा है। हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं स्कूलों में भी घटित हुई है। इस मामले को सुलझाने, लोगों तथा बच्चें को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि अपराध को घटनास्थल पर रोकने के स्थान पर आरम्भ में ही रोका जा सके?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, जब जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी तो उसने अपनी रिकमैंडेशन में यह भी कहा कि मूल्यों के प्रति छात्रों की प्रतिबद्धता को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी चिन्ता भी की जानी चाहिए। उनका सुझाव था कि टैक्स्ट बुक्स के अंतर्गत कुछ ऐसे पाठ्यक्रम तय किए जाने चाहिए ताकि उनके द्वारा छात्रों की मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमैंट टू वैल्यूज को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त भी लोगों में इसके प्रति अवेयरनैस लाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जैसे पुलिस के ऊपर भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह जैंडर सैन्सटाइजेशन का काम भी प्रारंभ करे और दिल्ली सहित कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां जैंडर सैन्सटाइजेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि महिलाओं की सेफ्टी और सिक्युरिटी इंश्योर होनी चाहिए। इस कारण हमने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं उसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री पी.पी. चौधरी : अध्यक्ष महोदया, पहले सवाल में ही निर्भया फंड के एप्रूवल के बारे में बात कही गई है। मैं सप्लीमैंट्र प्रश्न के रूप में जानना चाहता हूं। *[अनुवाद]* गृह मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित कॉल लेने और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली आधारित पुलिस व्हीकल डिस्पेच कार्य की सहायता के लिए एक समेकित कम्प्यूटर सहायक डिस्पेच प्लेटफार्म की स्थापना की कल्याण की है जिससे मुसीबत में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने और त्वरित सहायता देने की क्षमता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। ये प्रोजैक्ट्स 114 आइडैंटीफाइड सिटिज़ में इम्प्लीमैंट हो रहे हैं जिनमें 54 ऐसे शहर शामिल हैं जिनकी जनसंख्या

एक मिलियन से अधिक है और इसमें 41 उच्च अपराध संवेदनशील जिले भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत महिलाएं रूरल एरियाज में हैं। कई मामलों में बहुत हीनियस क्राइम होते हैं। उनकी किसी रूप में रिपोर्टिंग नहीं होती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 70 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, क्या उन्हें कवर करने के लिए इसी तरह की फैसीलिटीज प्रोवाइड करने का कोई कार्यक्रम है या नहीं?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमने जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सहयोग से कम्प्यूटर एडेड डिसपैच सिस्टम प्रारंभ किया है। माननीय सदस्य ने कहा कि उसे देश के 114 शहरों में लागू किया गया है। मैं सदन को तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूं कि यह अभी तक 114 शहरों में नही हो पाया है। कुछ शहर जैसे जयपुर, लखनऊ, कानपुर में इसे पॉयलट प्रोजैक्ट के रूप में दिया गया है। मैं स्वीकाचर करता हूं कि अब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितनी तेजी से और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए, उसे और अधिक प्रभावी तरीके से करने की आवश्यकता है।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2012 में जो जुविनाइल सर्वे था कि जुविनाइल द्वारा जो रेप हुए हैं, वे 1316 थे जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 2074 हो गए यानी 60 प्रतिशत जुविनाइल रेप केस में इन्वॉल्व हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का कोई विचार है कि इसकी उम्र घटाई जाए क्योंकि इंटरनैट के माध्यम से आज 14-15 साल के बच्चे ही बहुत अवेयर हो चुके हैं? दूसरा, रूरल एरिया की महिलाओं को इस उत्पीड़न में मुआवजा तो छोड़िए चिकित्सा भी सही ढंग से नहीं मिलती। आपने उत्तर के आखिर में लिखा है कि अभी ऐसा कोई प्रावधान, स्टेट और सैंट्रल गवर्नमैंट का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। क्या आगे स्टेट और सैंटर का सुधारात्मक कदमों के लिए कोई कोआर्डिनेशन बनना है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, वैसे प्रश्न कम्पेनसैशन के लिए है, लेकिन आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जुवेनाइल क्राइम के बारे में कहा है कि अब रजिस्टर्ड केसेज की संख्या पहले से बढ़ गयी है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि निर्भया कांड के बाद केन्द्र सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और इन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाये हैं। जब से सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में परिवर्तन किया गया है तब से पुलिस थानों में रजिस्टर होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ गयी हैं पहले बहुत उसारे अपराध ऐसे होते थे, जिनकी एफआईआर की पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हो पाती थी। लेकिन अब तेजी के साथ हो रही है, क्योंकि आईपीसी में परिवर्तन करके यह अमेंडमैंट कर दिया गया है कि जो पुलिस अधिकारी ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, उसे दंडित किया जायेगा। ऐसा प्रोविजन करने के बाद पुलिस स्टेशन में ऐसी एफआईआर की संख्याएं बढ़ती जा रही है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत ही सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। परन्तु, मैं केवल इस उत्तर से चकित थी और इस उत्तर में यह बताया गया कि कोई विशिष्ट डाटा नहीं रखा जाता है जिसके आधार पर उन्होंने उत्तर दिया है और इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्क कदम नहीं उठाए गए हैं क्योंकि यह विशेष रूप से राज्यों से सम्बन्धित विषय है।

मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि कोई भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि आपके नेतृत्व में आज कोई भी सुधारवादी कदम उठाए जाते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे क्योंकि यौन शोषण राष्ट्रीय शर्म का विषय है। चाहे जो भी सरकार सत्ता में आए, मेरा विचार है कि महिला सुरक्षा सबकी सर्वप्रथम वरीयता होगी। मेरे विचार में राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप का बुरा नहीं मानेंगी खासकर तब, जब कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सुरक्षा का प्रश्न हो। यदि कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हों अथवा महाराष्ट्र जैसी अच्छी सफलता की कहानियां हों, तो इससे महिलाओं को सहायता मिलेगी। शायद, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां पर हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की है। मुम्बई के बलात्कार पीड़ित मामले में, हमने अपराधी को मृत्युदंड दिलाने की व्यवस्था की। यदि ऐसे ही और हस्तक्षेप हों, तो हम साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे क्योंकि यह वास्तव में राष्ट्रीय शर्म का मामला है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार द्वारा कई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं। ऐसे केसेज जिनमें चार्जशीट फाइल हो जाती है और फाइल होने के बाद, ऐसा एक्ट में प्रोविजन किया गया है। कि दो महीने के अंदर ही जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होता है, यह ट्रायल का काम पूरा कर देना चाहिए। यदि दोषी है तो उसका कन्विक्शन होना चाहिए और यदि वह दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसका एक्विटन्स होना चाहिए। यह भी व्यवस्था कर दी गयी है।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव : महोदया, यौन शोषण, यौन हमले अथवा बलात्कार की शिकार को अपमान और पीड़ा को भी झेलना पड़ता

है, जब वे सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने तथा न्याय मांगने जाती हैं। जबकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं तथा कानूनी सुविधाओं के लिए फंड भी दिया जाता है, तथापि उनके लिए इन सुविधाओं को पाना भी एक चुनौती है। केवल फंड देने अथवा मुफ्त सुविधा देने से उन पीड़िताओं को ये सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रत्येक जिले में अथवा ऐसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां पर पीड़िताओं को मुफ्त तथा आसान कानूनी, चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है, मैं एक संकट निवारण केन्द्र की स्थापना पर विचार करेंगे ताकि पीड़ित शीघ्रता से इस पीड़ा से उबर सकें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस प्रताड़ना से बचने के लिए व्यवस्था की गयी है। बहुत सारे से पुलिस स्टेशन्स हैं, जिनमें महिलाएं पुलिस कांस्टेबिल, पुलिस, सब इंसपेक्टर, इंसपेक्टर के रूप में काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे थानों पर महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में परेशानी होती है। वे शर्म की अनुभूति करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है कि यदि उस पुलिस स्टेशन पर महिला अधिकारी या कोई भी महिला कांस्टेबिल एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है, तो किसी न किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को बुलाकर उसके माध्यम से यह काम किया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गयी है।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव : महोदया, मेरा प्रश्न एफआईआर पर नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक ही केन्द्र पर चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक तथा विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न की भी जानकारी देना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या कोई एक ऐसा डेवलप किया गया है, जिससे एक ही स्टॉप पर उनको सारी सुविधाएं मिल सकें? मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के माध्यम से इस वर्ष के अंतर्गत सैक्सुअल हैरेसमेंट की जा विक्टिम महिलाएं हैं, उनको क ही स्थान पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं तथा पुलिस और लीगल, जिस प्रकार के भी एसिसटेंस हैं, सारे एसिसटेंस उनको प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर भी प्रारंभ किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय अध्यक्ष, आपका धन्यवाद। ऐसी दो परिस्थितियां हैं जिनसे आज हम लड़ रहे हैं। पहली यह है कि इंटरनेट, समाचारपत्र तथा मीडिया के खुलेपन के कारण, यौन परिपक्वता की आयु सीमा घट रही है जिसके कारण कम उम्र के अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि इस परिपक्वता के कारण, सहमति से सेक्स के मामले भी सामने आ रहे हैं।

क्या हम किशोर नाथ अधिनियम से सम्बन्धित विधान में यह संशोधन करने की योजना बना रहे हैं कि जो किशोर ऐसे अपराधों में संलिप्त हों, उनकी आयु की गणना करते समय किशोरों की आयु सीमा घटा दी जाए? मेरा सुझाव है कि आईपीसी और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करते हुए ऐसे कृत्यों की कम उम्र के किशोरों के अपराधों की सूची से हटाया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, जहां तक जुवेनाइल के एज़ से रिलेटेड प्रश्न है, जो माननीय सदस्या ने जानना चाहा है, वे स्वयं एक सीनियर एडवोकेट हैं, उसकी जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, लेकिन माननीय सदस्या ने इस संबंध में जो भी सुझाव दिया है, हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और संबंधित मिनिस्ट्री को भी कहेंगे कि इस संबंध में विचार करे।

शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों का परिरक्षण

***204. श्री भरत सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों की हानि और उनके परिरक्षण के लिए आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों ने अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में गहरी रुचि दर्शाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों की क्षति, को कम करने के लिए क्या कदम उटाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्तावहै और इसके क्या परिणाम रहे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

[अनुवाद]

(क) यादृच्छिक रूप से चुने गए 106 जिलों में 46 कृषि उत्पादों के लिए फसल एवं फसलोत्तर हानियों के मात्रात्मक आंकलन के लिए आईसीएआर के एक संस्थान, केन्द्रीय फसलोत्तर इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), लुधियाना द्वारा एक राष्ट्र-व्यापी अध्ययन किया गया था। वर्ष 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, फसल एवं फसलोत्तर हानियों की सीमा फलों में 5.8% से 18% तथा सब्जियों के मामले में 6.88% से 12.98% के बीच है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) मेगा खाद्य पार्क तथा शीत शृंखल, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना के घटकों सहित अवसंरचना विकास स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण जैसी अपनी स्कीमों के माध्यम से आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां अपनाने को बढ़ावा देता है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में फ्रांस के साथ एक समझौता किया है।

(ग) मंत्रालय ने 12वीं योजना में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू की है। मिशन में (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण (ii) प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों की स्थापना (iii) रीफर वाहनों समेत विभिन्न स्कीमें हैं। मिशन की इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है और उन्हें आवेदन प्राप्त करने, स्वीकृत करने एवं पात्र आवेदकों को निधियां जारी करने का पूरा अधिकार है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएस) के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण हेतु मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना में 3438 यूनिटों तथा 12वीं योजना में 2509 यूनिटों को अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदया, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट में पांच हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे भंडारण की क्षमता में लगभग दस लाख टन का इज़ाफा होगा। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार के प्रति धन्यवाद के साथ आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदया, से मेरा प्रथम अनुकूल सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के अभाव में फलों वं सब्जियों की अत्यधिक क्षति को देखते हुए, क्या केन्द्र सरकार खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला तथा बलिया संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की सोच रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, मंत्रालय की तरफ से दो प्रकार की स्कीमें हैं। एक जो सेन्टर करता है और दूसरी नेशनल मिशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग है, जिसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एक सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। खासतौर पर स्टेट्स को यह सारी जिम्मेदारी दी गयी है कि वे अपने आप फैसला करें कि वे कैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग तथा कोल्ड चेन की सुविधाएं लगाना चाहते हैं। जैसे वे एपलिकेशंस देते हैं, उन एपलिकेशंस के लिए स्टेट्स को ग्रांट दिया जाता है और वे खुद लगाते हैं। तो एक स्कीम यह है जो सेन्टर स्पॉन्सर्ड होती है और दूसरी स्कीम है जो सेन्टर के द्वारा प्राइवेट एन्टरप्रेनर्स लगवा सकते हैं और मिनिस्ट्री को देकर सब्सिडी ले सकते हैं, तो दोनों तरह की स्कीम्स अवेलेबल हैं, मंत्रालय अपनी तरफ से कुछ लगाने का काम नहीं करता है। हम सिर्फ सब्सिडी देते हैं। हमारा काम है एक कैटेलिस्ट की तरह काम करना, ताकि जो वेस्टेज़ हो रहा है, उसे घटाने के लिए और वेस्टेज़ को रोकने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमारा एक कैटेलिस्ट का काम है।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी इस प्रदेश में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करणों की संख्या दो हजार एक सौ सोलह के मुकाबले देश के अन्य प्रदेशों जैसे कि पंजाब में दो हजार सात सौ चौरासी यूनिट तथा तमिलनाडु में पांच हजार एक सौ छियासी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की अपेक्षा अत्यधिक कम हे।

अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सबसे अधिक सब्जी पूर्वांचल में पैदा होती है।...*(व्यवधान)* यहां कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल के गरीब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या योजना बना रही हैं?

माननीय अध्यक्ष : बता दिया है उन्होंने।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुकी हूं, लेकिन मैंने माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जो मेगा फूड पार्क्स हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश को वर्ष 2010 और 2011 में दो मेगा फूड पार्क्स एलॉट किए गए हैं, लेकिन इनका कामकाज बहुत धीरे

चल रहा है। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उनको हम लगातार कह रहे हैं कि समय के साथ जल्दी करें। जैसे ही ये इस्टैबलिश हो जाएंगे, उधर के किसानों को फायदा होगा। इनमें से एक मेगा फूड पार्क जगदीशपुर में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में लग रहा है। दो लोगों ने मांगे थे, जिनहोंने मांगा था, उनको दे दिया है, यह डिपेंड करता है कि कौन इसके लिए एप्लाई करता है, जैसे एप्लाई करेंगे, हम देंगे।

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, सवाल के जवाब में कहीं भी मंत्रालय ने क्वांटम नहीं बताया है कि वेस्टेज कितनी है। पुरानी सरकार और नई सरकार ने मुख्तलिफ मौके पर मेगा फूड पार्क के लिए 50-50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन देश में आज कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन विदेशी एप्पल मार्केट में पाया जा रहा है। विदेश फलों ने हमारी मार्केट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे देश का जो उत्पादन है, वह वेस्ट हो रहा है। क्या सरकार को मालूम है कि इस वेस्टेज की क्वांटिटी कितनी है और दूसरे मुल्कों से फल का आयात कितना हो रहा है? हम अपने फल को सड़ा रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है, हम प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। मेगा फूड पार्क्स के बारे में अभी मंत्री जी ने कहा है, उसकी क्या पोजीशन है? लोग सब्सिडी लेकर भाग जाते हैं और प्रोसेसिंग जोन नहीं चल रहा है? क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है कि उस प्रोसेसिंग जोन का क्या हुआ, जो नेशनल फूड पार्क्स नेशनल और स्टेट लेवल पर चल रहे हैं?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, माननीय सदस्य ने दो-तीन प्रश्न पूछे हैं। एक, उन्होंने स्टडी के बारे में कहा है, मैं बताना चाहूंगी सेंट्री इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो लुधियाना में है, आईसीआर के अंडर उनको वर्ष 2005 में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिस के बारे में स्टडी करने के लिए दी गयी थी। सिफेट ने यह स्टडी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 6.6 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक...*(व्यवधान)*

श्री सुल्तान अहमद : वर्ष 2005 से अभी 2014 चल रहा है।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से बीच में नहीं टोकते हैं। सुन लीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, सिफेट ने यह स्टडी करने में दो साल लगाए और वर्ष 2010 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 6.8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक इसकी वेस्टेज होती है। यह स्थिति वर्ष 2010 में थी। सिफेट को एक बार फिर स्टडी करने के लिए दिया गया है कि वर्ष 2010 से आगे तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके बाद अब लॉसेस कितनी हो रही हैं। इसके लिए एक बार फिर उनको कांट्रैक्ट दे दिया गया है, वे स्टडी कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट जनवरी तक आने की अपेक्षा है।

माननीय सदस्य ने एप्पल के बारे में कहा है, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश में जितना एप्पल प्रोड्यूस होता है, उसका तकरीबन 22 प्रतिशत एप्पल हिमाचल प्रदेश में होता है। एप्पल की वेस्टेज घटाने की कोई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे रेफ्रीवैन्स होती है, कोल्ड स्टोरेज होती हैं। कई स्टेट्स में, जिन्होंने इन स्कीम्स का फायदा उठाया है, वहां वेस्टेज कम हुई है। माननीय सदस्य के स्टेट में भी वेस्टेज घटी है जितनी स्टेट इन स्कीम्स का फायदा उठाएंगी, उतना और फायदा होगा।

माननीय सदस्य ने मेगा फूड पार्क के बारे में पूछा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से यह स्कीम लागू हुई, यह हालांकि इसके साथ रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूं। जो 40 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए थे, उनमें से दो तैयार हैं, 22 इन प्रोसेस हैं और 14 कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। इसको देखते हुए अब इस मेगा फूड पार्क स्कीम को बदलने का काम किया गया है, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए छोटे-छोटे क्लस्टर्स की योजना बनाई जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एग्रो प्रोसेसिंग को और बढ़ावा दिया जा, जो फूड वेस्ट हो रहा है, वह अगर प्रोसेस हो जाएगा तो फूड वेस्ट होने से बच जाएगा। मैडम, बड़ी बात यह हुई है हमारे देश में कि शायद पहली बार इतिहास में सीरियल्स ऑफ पल्सेज़ से ज्यादा हमारे फूड्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन हुई है। इसमें यह भी सच्चाई है कि अलग-अलग कारणों की तरह इन्हीं पेरेसेबल्स की वेस्टेज भी सबसे ज्यादा होती है। वेस्टेज को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए इस मंत्रालय का काम होता है और हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

पर्यटन को बढ़ावा देना

***205. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राजस्थान सहित देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वार्षिक रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने पर्यटक आए और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) देश में विशेष रूप से राजस्थान में पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों पर क्या सुख-साधन/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नई पहलें की गई हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

[हिन्दी]

(क) प्रमुख स्कीमों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं। राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृति राशि संबंधी ब्यौरा संलगन अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) की संख्या संलग्न अनुबंध-III में दी गई है। पर्यटन मंत्रालय केवल राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) पर आंकड़े एकत्रित करता है। वर्ष 2011, 2012 और 2013 हेतु एफईई निम्नलिखित है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2011	77,591
2012	94,487
2013	1,07,671

(ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेवारी है। पर्यटन मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श से प्राथमिकता के अनुसार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम अर्थात् गंतव्य और परिपथों हेतु परियोजना अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना के दिशा-निर्देशों, परस्पर प्राथमिकता के अनुसार और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

विभिन्न परियोजना स्थलों पर सुविधाएं प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुसार प्रदान की जाती है जो स्थानीय आवश्यकता, निधि की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है और परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होती है। तथापि, इस स्कीम के तहत स्वीकार्य सुविधाओं/घटकों के ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

(घ) पर्यटन का संवर्धन क अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके ब्यौरे अनुबंध-V में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों का विवरण

1. **गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास :** इस स्कीम का उद्देश्य देश में पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों की पहचान करना और उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास करना है। इन परिपथों और गंतव्यों में पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इस स्कीम में रखे गए प्रावधानों में ग्रामीण पर्यटन हेतु प्रावधान भी शामिल हैं। इस स्कीम के तहत जनजातीय उप-योजना हेतु वार्षिक योजना 2014-15 के 2.5% का आवंटन किया गया।

2. **वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता:** इस स्कीम का उद्देश्य पब्लिक सेक्टर द्वारा उदार नीतियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण और अनुकूल परिवेश प्रदान करके और निजी सेक्टर की प्रौद्योगिकीय प्रबंधकीय दक्षताओं और संस्थाओं को आकर्षित करके देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर साझेदारी सुनिश्चित करना है।

3. **आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार:** इस स्कीम के अंतर्गत घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरुकता संदेशों के प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों का संवर्धन करने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान शुरू किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर को पर्यटक गंतव्यों के रूप में संवर्धित करने के लिए भी अभियान शुरू किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पर्यटन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

4. **मार्केट विकास सहातया (एमडीए) सहित विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार :** इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने हेतु अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन एवं आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने और देश में पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य के साथ विदेश स्थिति भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेश स्थित महत्वपूर्ण एवं संभावित पर्यटक सृजक बाजारों में कई संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत विदेशों में पर्यटन के संवर्धन हेतु स्टेक होल्डरों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

5. **आईचएम/एफसीआई आदि को सहायता :** पर्यटन मंत्रालय विद्यमान आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी का विस्तार एवं

उनका उन्नयन करने हेतु और साथ ही नए संस्थानों जैसे होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) और भोजन कला संस्थान (एफसीआई) को स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताएं पूरी की जा सके।

6. **सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण:** इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सेक्टर की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है और साथ ही समाज के गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहता है ताकि उन्हें रोजगार योग्य कौशल प्रदान किया जा सके। पर्यटन मंत्रालय ने "हुनर से रोजगार" नामक एक प्रमुख कार्यक्रम को लांच किया है ताकि न्यूनतम 8वीं पास और 18 से 28 के आयु समूह के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

7. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:** बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय एक लाइन मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

8. **20 वर्ष की संदर्शी योजना सहित मार्केट अनुसंधान:** पर्यटन मंत्रालय समुचित निर्णय लेने तथा आयोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए पर्यटन से संबंधित विभिन्न अध्ययन एवं सर्वेक्षण कराता है। विभिन्न क्षेत्रों/गंतव्यों के लिए संदर्शी योजनाएं तथा मास्टर प्लान तथा गंतव्यों/परिपथों के लिए डीपीआर तैयार किए जाते हैं।

9. **कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी :** इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को उनकी पर्यटन संबंधी कम्प्यूटर सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. **पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता:** स्कीम का उद्देश्य मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना तथा सफल परियोजना कार्यान्वयन, स्मारकों का उचित रखरखाव, प्रदीप्तिकरण/परिरक्षण करना, क्रूज टर्मिनल आदि का विकास संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पत्तन न्यास, आईटीडीसी, रेल मंत्रालय आदि जो सम्पत्ति के मालिक हैं द्वारा सुनिश्चित करना है।

अनुबंध-II

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.08	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	1	24.37	2	57.69

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गोवा	1	4.98	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.75	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.80	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	5	29.80	1	33.71
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	27	112.86	45	85.47
16.	झारखंड	6	48.15	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.76	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	21.95	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	6	79.64	6	67.95
21.	मणिपुर	5	30.73	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.50	2	0.68	1	0.47
23.	मिजोरम	7	13.91	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.45	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	11.95	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.39	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.50	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.15	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.75	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.44	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.66	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	2	46.94	0	0.00
	कुल जोड़	223	927.66	136	929.84	261	1801.54

*गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और मेले और उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुबंध-III

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	202221	15814	238699	17538	243703	14742
2.	आंध्र प्रदेश	153119816	264563	207217952	292822	152102150	223518
3.	अरुणाचल प्रदेश	233227	4753	132243	5135	125461	10846
4.	असम	4339485	16400	4511407	17543	4684527	17638
5.	बिहार	18397490	972487	21447099	1096933	21588306	765835
6.	चंडीगढ़	909904	37181	924589	34130	936922	40124
7.	छत्तीसगढ़	14320503	3973	15036530	4172	22801031	3886
8.	दादरा और नगर हवेली	422265	1412	469213	1234	481618	1582
9.	दमन और दीव	832906	4484	803963	4607	819947	4814
10.	दिल्ली	15428865	2159925	18495139	2345980	20215187	2301395
11.	गोवा	2225002	445935	2337499	450530	2629151	492322
12.	गुजरात	21017478	166042	24379023	174150	27412517	198773
13.	हरियाणा	5988062	130435	6799242	233002	7128027	228200
14.	हिमाचल प्रदेश	14604888	484518	15646048	500284	14715586	414249
15.	जम्मू और कश्मीर	13071531	71593	12427122	78802	13642402	60845
16.	झारखंड	10796286	72467	20421016	31909	20511160	45995
17.	कर्नाटक	84107390	574005	94052729	595359	98010140	636378
18.	केरल	9381455	732985	10076854	793696	10857811	858143
19.	लक्षद्वीप	9424	567	4417	580	4784	371
20.	मध्य प्रदेश	44119820	269559	53197209	275930	63110709	280333

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	महाराष्ट्र	55333467	4815421	74816051	2651889	82700556	4156343
22.	मणिपुर	134505	578	134541	749	140673	1908
23.	मेघालय	667504	4803	680254	5313	691269	6773
24.	मिजोरम	62174	658	64249	744	63377	800
25.	नागालैंड	25391	2080	35915	2489	35638	3304
26.	ओडिशा	8271257	60722	9052871	64719	9800135	66675
27.	पुदुचेरी	897896	52298	981714	52931	1000277	42624
28.	पंजाब	16416638	150958	19056143	143805	21340888	204074
29.	राजस्थान	27137323	1351974	28611831	1451370	30298150	1437162
30.	सिक्किम	552453	23602	558538	26489	576749	31698
31.	तमिलनाडु	137512991	3373870	184136840	3561740	244232487	3990490
32.	त्रिपुरा	359515	6046	361786	7840	359586	11853
33.	उत्तर प्रदेश	155430364	1887095	168381276	1994495	226531091	2054420
34.	उत्तराखंड	25946254	124653	26827329	124555	19941128	97683
35.	पश्चिम बंगाल	22256968	1213270	22730205	1219610	25547300	1245230
	कुल	864532718	19497126	1045047536	18263074	1145280443	19951026

अनुबंध-IV

गंतव्यों एवं परिपथों हेतु परियोजना अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) योजना के अंतर्गत प्रमुख स्वीकार्य सुविधाओं/घटकों का विवरण

(i) गंतव्य के आस-पास का सुधार। इसमें भू-दृश्यांकन, पार्कों का विकास, बाड़ लगाना, कम्पाउंड वॉल आदि जैसे कार्य शामिल होंगे।

(ii) पर्यटक गंतव्य और आस-पास के क्षेत्र का प्रदीप्तिकरण और साउंड एंड लाइट शो (एसईएल) आदि।

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीवरेज प्रबंधन, जन सुविधाओं आदि में सुधार करना।

(iv) विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग और प्रवेश के अन्य प्वाइंटों से पर्यटक स्थलों तक जाने के लिए सड़क सम्पर्कता का सुधार।

(v) मार्गस्थ जन सुविधाओं का निर्माण।

(vi) एयर-कंडीशनिंग एवं फर्निशिंग के लिए एक बारगी सहायता सहित बजट आवास, रेस्तरां एवं मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण। इस घटक को केवल जम्मू और कश्मीर और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनिंदा स्थलों एवं इको-पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी जहां निजी सेक्टर का निवेश नहीं हो रहा है या संभव नहीं है।

(vii) पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उपकरणों की खरीद जैसे वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्यटन जोन में ही घूमने के लिए परिवहन

के इको-फ्रेंडली साधन तथा पर्यटक गंतव्यों की सफाई के उपकरण 25% अनुदान के पात्र होंगे।

(viii) सार्वजनिक भवनों का निर्माण जिनको मास्टर प्लॉन के कार्यान्वयन हेतु गिराया जाना अपेक्षित है।

(ix) स्मारकों का जीर्णोद्धार।

(x) संकेतक और पर्यटक क्षेत्र मानचित्रों को प्रदर्शित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड और स्थानों पर रुचि वाले स्थलों पर प्रलेखन।

(xi) पर्यटक आगमन केन्द्र, स्वागत केन्द्र, व्याख्या केन्द्र।

(xii) पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित म्यूनिसिपल सेवाओं का सुधार।

(xiii) पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य कार्य/गतिविधियां।

अनुबंध-V

देश में पर्यटन का संवर्धन करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम/पहलें

1. **वीज़ा:**

(क) सरकार ने वर्ष 2010 में आगमन-पर-पर्यटक वीज़ा की घोषणा की। वर्तमान में वह 12 देशों अर्थात् फिनलैंड, जापान, लग्ज़मबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपिन्स, लाओस एवं म्यांमार और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रिकों हेतु आगमन पर पर्यटक वीजा सुविधा (टीवीओए) प्रदान करती है। इसी सूची में दिनांक 15.04.2014 को दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया।

(ख) आगमन पर पर्यटक वीज़ा की सुविधा शुरुआत में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उपलब्ध थी। तथापि, 15 अगस्त, 2013 से इस सुविधा का विस्तार हैदराबाद, बेंगलूरु, कोचिच एवं तिरुवनंपुरम में किया गया है।

(ग) पर्यटक वीज़ा और आगमन पर पर्यटक वीज़ा पर भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के पुन: प्रवेश पर दो-माह के अंतराल का प्रतिबंध हटा दिया गया है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने कोच्चि, चेन्नई, गोवा, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आगमन पर पर्यटक वीज़ा के कार्य को संभालने वाले आप्रवासन ब्यूरो के 450 अधिकारियों को शामिल करते हुए दो दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(ङ) आगमन पर पर्यटक वीज़ा की फीस का भुगतान अब क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। पहले इसका भुगतान केवल रुपए में किया जाता था।

2. **कम लागत की एयरलाइनें:**

पर्यटन मंत्रालय एयरपोर्टों के उन्नयन एवं विकास और पर्यटक गंतव्यों तक हवाई संपर्कता से संबंधित मामले पर नागर विमानन मंत्रालय के साथ नियमित रूप से चर्चा करता है। सरकार ने थ्रस्ट क्षेत्रों में से एक के रूप में टियर-II और टियर-III शहरों में कम लागत की एयरपोर्ट के विकास की पहचान की है।

3. **महिला पर्यटकों हेतु सुरक्षा:**

महिला यात्रियों सहित घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय हैं:—

(क) पर्यटक सुविधा और सुरक्षा संगठन (टीएफएसओ) की प्रायोगिक आधार पर स्थापना के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ख) सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता को अपनाया जाना जो पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने, प्रतिष्ठा और सुरक्षा जैसे मूल अधिकारों के लिए सम्मान के संबंध में किए जाने वाले पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट है।

(ग) सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासकों को सभी पर्यटकों के साथ अनुकूल और मित्रवत वातावरण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने, वर्तमान/भावी यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का प्रचार करने और नकारात्मक प्रचार का विरोध करने के अनुरोध के साथ पत्र लिखे गए हैं।

(घ) विदेशी पर्यटकों के साथ हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट *www.incredibleindia.org* पर एडवाइजरी पोस्ट कर दी है।

(ङ) 18 जुलाई, 2013 को आयोजित राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा हुई।

4. **स्वच्छता एवं साफ-सफाई:**

पर्यटक गंतव्यों पर स्वच्छता एवं साफ-सफाई की समस्या से निपटने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक गंतव्यों पर स्वच्छता एवं साफ-सफाई के तरीकों के स्वीकार्यता स्तर को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ भारत अभियान को लांच करने की पहल की है। इस अभियान को निजी एवं सार्वजनिक सेक्टर के स्टेकहोल्डरों द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) के भाग के रूप में भागीदारी एवं अपनाए जाने के माध्यम से जारी रखा जाएगा।

5. **पर्यटक स्थलों के मार्ग में राजमार्ग सुविधाएं:**

मार्गस्थ सुविधाओं सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकता की शर्त पर प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मार्गस्थ सुविधाओं को स्वीकृत करने में शीर्ष वरीयता प्रदान करता है।

6. **प्रशिक्षित भाषायी गाईड:**

भाषाविद गाइडों सहित क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडो का चयन एवं प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और मंत्रालय संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट देश में विदेशी पर्यटक आगमन और गाइडों की मांग के आधार पर भारत पर्यटन पर यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से आवधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

7. **करों को तर्क संगत बनाना:**

(क) पर्यटन मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ समन्वय से एक व्यवस्था की है जिससे दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और आगरा के प्रतयेक शुरुआती चार नोड्स पर इस प्रकार केन्द्रीय रूप में कर इकट्ठा किया जाएगा कि इस तरह इकट्ठा किए गए कर विभाजित हो और पर्यटक कोच/कार को स्वर्णिम त्रिभुज में निर्बाध आवाजाही की अनुमति हो।

(ख) पर्यटक बसों एवं माल वाहनों (7.5 टन से नीचे) हेतु 'राष्ट्रीय परमिट सिस्टम जारी करना' पर अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

(ग) सभी यूनेस्को घोषित विश्व विरासत स्थलों (मुम्बई एवं दिल्ली को छोड़कर) में अवस्थित 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी के दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2013 तक प्रचालन करने वाले होटलें हेतु पांच वर्ष का कर अवकाश।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) – होटल एवं पर्यटन संबंधी उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग और दिल्ली में लुटियंस जोन को छोड़कर होटलों हेतु 150 से 225 तक एफएआर की ऑटोमेटिक रूट एनहैंसमेंट के तहत 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की घोषणा की गई।

(ङ) पूरे भारत में 2 सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी के नए होटलों की स्थापना हेतु केन्द्रीय बजट 2010-11 में आयकर अधिनियम की धारा 35एडी के तहत निवेश से जुड़ी कटौती की भी घोषणा की गई। इस प्रकार वर्ष के दौरान (भूमि, गुडविल और वित्तीय साधन को छोड़कर) पूंजी संबंधी पूरा या किसी प्रकार के व्यय के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती की अनुमति दी गई।

(च) दिनांक 7 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग के लाभ हेतु ऐसे होटलों और समागम केन्द्रों को शामिल करने के लिए अपनी 'अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्य मास्टर सूची' का विस्तार किया। भारत में किसी भी स्थान पर और किसी भी सितारा श्रेणी के 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के होटल और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना लागत के समागम केन्द्रों को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्य मास्टर सूची में शामिल किया गया है। यह आतिथ्य उद्योग को अवसंरचना दर्जा दिए जाने के समान है।

8. **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग:**

(क) पर्यटन मंत्रालय ने मैसर्स जैनेसिज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एजेंसी ने वाकिंग टूर उत्पाद का निर्माण और विकास किया है जो एक ऑनलाइन, इंटरएक्टिव वेब उत्पाद है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत के सभी प्रमुख शहरों में वाकिंग टूर की योजना बनाने और करने में सहायता प्रदान करता है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने मैसर्स ऑडियो कम्पास (इंडिया) प्रा.लि. के साथ भी एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एजेंसी ने

एक डेडिकेटिड एपीआई लिंक अथवा एक पृथक वेबसाइट और/अथवा मोबाइल अप्लिकेशन के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर गाइडेड, मल्टीमीडिया और इंटरएक्टिव वाकिंग टूर प्रदान किया है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय की संवर्धनात्क वेबसाइट *www.incredibleindia.org* समग्र रूप से रिवेम्प और अद्यतन की गई है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने मैसर्स वर्थ योर होलिडेज इंडिया प्रा.लि. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एजेंसी ने एक ओटोमेटेड और एंड-टू-एंड पर्सनालाइज्ड होलिडे प्लानिंग इंजन का विकास किया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारतीय गंतव्यों के लिए अपनी होलिडे यात्रा की योजना बनाने में सहायता देता है।

9. **प्रस्तावित पहलें**

(क) विशिष्ट थीमों संबंध में 5 पर्यटक परिपथों का विकास। इस उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के लिए 500.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों में सुविधाओं और अवसंरचना का सौन्दर्यीकरण और सुधार करने के लिए एक वर्ष के बजट में एक राष्ट्रीय तीर्थ पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएएसएडी) पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है और 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय मंत्री जी की ओर से विस्तृत उत्तर मिला है। उन्होंने बताया है कि कितनी योजनाएं चल रही हैं तथा मंत्रालय किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दे रहा है। परन्तु जहां तक निधियों के आबंटन का सम्बन्ध है ये सूचनाएं इससे मेल नहीं खाती। मैं मंत्री जी का ध्यान घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की यात्राओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका विवरण अनुलंग्नक-तीन में में दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के पश्चात् राजस्थान सबसे अधिक घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरे नंबर पर है। यदि आप भारत सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए आबंटनों का अवलोकन करें, तो पाएंगे कि राजस्थान का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम देख सकते हैं कि राजस्थान में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें और उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर जैसे पर्यटन स्थल हैं। जैसलमेर ऐसा स्थान है जहां पर बहुत से पार्क हैं। जब भी परियोजनाओं हेतु राज्यों के लिए निधियों के आबंटन का समय आएगा, क्या माननीय मंत्री राजस्थान को वरीयता देंगे?

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो मदद केन्द्र से मिलती है, उस बारे में सवाल पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2013-14 में 51 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड राजस्थान को दिया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रपोजल्स राज्य से हमारे पास आते हैं। जितने ज्यादा प्रपोजल्स भेजेंगे, उतना ज्यादा फंड हम रिलीज करेंगे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप प्रपोजल्स भेजें, हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या भारत सरकार पर्यटन के क्षेत्र में संसाधनों के विकास के लिए निवेश के लिए निजी पार्टियों को आकर्षित करने तथा उन्हें इसकी अनुमति देने पर विचार कर रही है? भारत सरकार की अधिकांश सम्पत्तियां तथा आस्तियां पर्यटन मंत्रालय के पास ही हैं। सरकार द्वारा इन परिसम्पत्तियों के देखरेख तथा सुरक्षा में बड़ी कठिनाई है। क्या भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से सम्बन्धित इन सरकारी सम्पत्तियों की देखरेख तथा सुरक्षा के लिए निजी कम्पनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है अथवा इसकी योजना बना रही है?

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : जो ट्यूरिज्म की प्रापर्टी है, यह राज्य सरकार भी हो सकती है, केन्द्र सरकार भी हो सकती है। माननीय सदस्य अगर स्पेसिफिकली बताएं कि कौन सी प्रापर्टी है, तो उस पर हम डिटेल रिपोर्ट दे सकेंगे। जो फंडिंग हम देते हैं।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : मैं निजी कंपनियों का उल्लेख कर रहा था क्योंकि भारत सरकार के पास निधि की कमी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : हम इसके लिए अला ऊ करेंगे और पीपीआई के साथ हम प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

***206. श्री शरद त्रिपाठी :**

श्री एम.के. राघवन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भाग भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और चक्रवाती तूफान सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति मारे गए और पशुधन की कितनी हानि हुई तथा फसलों, सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति/अवसंरचना की कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को दौरा करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन दलों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राहत कार्यों और प्रभावित लोगों को मुआवजा आदि देने हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई/कितनी धनराशि जारी की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एसडीआरएफ) के राहत अभियान चलाती है। जब एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त हो जाते हैं, तब निर्धारित प्रक्रिया जिसमें अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय दल के दौरे पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल है का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता मुहैया करवाई जाती है। वित्तीय सहायता आपदा के दौरान हुई क्षति के मुआवजे के लिए नहीं अपितु राहत के लिए प्रदान की जाती है।

विगत 3 वर्षों के दौरान मांगी गई सहायता, गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय दलों के दौरों के तारीख, दलों की स्थिति, रिपोर्टें एवं अनुमोदित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ से किये गए आबंटन एवं निर्मुक्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान चक्रवाती तूफानों/भारी बारिश/भूस्खलन/भूकम्प इत्यादि के कारण हुई राज्य-वार क्षति

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2011-12				2012-13			
		जनहानि (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	जनहानि (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	61	1858	30973	8.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	929	2443	—	70	891	1819	0.1254
3.	असम	13	—	277	4.17	168	9921	531186	3.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	37	—	1603	—	8	—	1713	0.08
5.	छत्तीसगढ़						65	—	—
6.	गुजरात	53	175	4734	नगण्य	26	67	2676	—
7.	गोवा	1		134	(नगण्य)	1	2	34	—
8.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	51	2374	10838	1.56	29	127	2449	1.57
10.	जम्मू और कश्मीर	19	—				—		—
11.	झारखंड	—	—				—		—
12.	कर्नाटक	84	51	419	—	—	—	—	—
13.	केरल	152	531	14222	1.18	47	619	2455	0.172
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	106	—	—	—	—	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	36	2560	5253	0.97
20.	ओडिशा	87	1493	290780	4.19	4	—	522	0.02
21.	पंजाब	14	4	26	—	8	3034	149	0.0271
22.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	77	1333	23903	0.14	47	105	2780	0.10
24.	तमिलनाडु	57	669	99904	2.12	15	90	4831	0.173
25.	त्रिपुरा	—	—	—			—	—	
26.	उत्तर प्रदेश	692	268	22858	5.25	17	—	1344	0.04326
27.	उत्तराखंड	19	10	107	—	201	772	5569	0.3854
28.	पश्चिम बंगाल	79	33	317481	0.09	241	4234	77981	0.02148
29.	पुदुचेरी	12	1256	86439	0.17	—	15	27	
	कुल	1600	9126	876168	18.87	984	24360	671761	15.337

जारी

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान चक्रवती तूफानों/भारी बारिश/भूस्खलन/भूकम्प इत्यादि के कारण हुई राज्य-वार क्षति

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2013-14 (31.03.14 की स्थिति के अनुसार)				2014-15 (17.07.14 की स्थिति के अनुसार)			
		जनहानि (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	जनहानि (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)	फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	60	2517	59639	13.12	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	401	2316	2.20	—	—	10	—
3.	असम	—	—	—	0.013	2	—	23	0.053
4.	बिहार	231	6458	156986	4.00	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	186	274	407	—	—	—	—	—
7.	गोवा	—	—	139	0.04	—	—	29	—
8.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	52	23648	5633	0.53	—	—	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	30	74	72574	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	86	286	11061	2.27	—	—	—	—
13.	केरल	182	1366	10672	0.11	24	527	5947	0.20
14.	मध्य प्रदेश	390	1166	22816	9.25	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	365	2164	147369	7.49	—	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	2680	982	0.08	—	2580	847	0.004
20.	ओडिशा	59	5688	474250	11.00	—	—	—	—
21.	पंजाब	41	954	9774	4.00	—	—	—	—

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	21	—	1139	0.015
26.	उत्तर प्रदेश	380	519	54994	7.97	—	—	—	—
27.	उत्तराखंड	3547	9470	10625	0.36	7	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	183	45285	169296	1.31	—	—	—	—
29.	पुदुचेरी	01	48	694	0.003	—	—	—	—
	कुल	5845	102998	1210227	63.74	54	3107	7995	0.272

विवरण-II

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (आपदा का विवरण)	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपए में)	केन्द्रीय दलों का दौरा	दल द्वारा मूल्यांकित राशि (करोड़ रुपए में)	उच्चस्तरीय समिति (एचसीएल) द्वारा एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
I.	**वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त ज्ञापन**				
1.	सिक्किम (भूकंप सितम्बर, 2011)	2842.62	27-30 सितम्बर, 2011 एवं 7-10 अक्तूबर, 2011	291.36+ 41.64 एन आरडीडब्ल्यूपी	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 227.51 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 41.64 करोड़ रुपए की निधियां क्षतिग्रस्त पेय जलापूर्ति कार्यों की मरम्मत के लिए है। • आवश्यक वस्तुओं को हवाई जहाज से गिराने के लिए वास्तविकों के आधार पर एयर बिलों का भुगतान1 दिनांक 15.12.11 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।

1	2	3	4	5	6
2.	पश्चिम बंगाल (भूकंप सितम्बर, 2011)	525.05	11 अक्तूबर, 2011	103.17	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 93.17 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 10.00 करोड़ रुपए। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
3.	ओडिशा (बाढ़, 2011)	3265.37	26-30 सितम्बर, 2011	1006.75	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 908.30 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 10.00 करोड़ रुपए। • आवश्यक वस्तुओं को हवाई जहाज से गिराने के लिए वास्तविकों के आधार पर एयर बिलों का भुगतान। दिनांक 15.12.2011 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
4.	केरल (बाढ़/भूस्खलन, 2011)	1427.24	20-22 अक्तूबर, 2011	225.56	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 225.56 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश (बाढ़, 2011)	1458.37	10-12 नवम्बर, 2011	120.09	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 467.74 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश (बाढ़/भूस्खलन/ बादल फटना, 2011)	886.90	24-27 नवम्बर, 2011	120.09	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 119.75 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 24.62 करोड़ रुपए। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
7.	तमिलनाडु (चक्रवाती तूफान 'थाने', 2011)	5237.01	7-11 जनवरी, 2012	680.80	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 638.137 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 12.24 करोड़ रुपए। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
8.	पुदुचेरी (चक्रवाती तूफान 'थाने', 2011)	2435.66	8 जनवरी, 2012	88.67	• यूटी बजट, गृह मंत्रालय से 69.68 करोड़ रुपए। दिनांक 21.03.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
9.	अरुणाचल प्रदेश (बाढ़/भूस्खलन)	722.04	19-21 अप्रैल, 2012	171.01	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 114.55 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 12.64 करोड़ रुपए। दिनांक 21.09.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
II.	वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त ज्ञापन				
1.	असम (बाढ़/भूस्खलन, 2012)	3846.31	10-12 जुलाई, 2012	552.41	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 536.57 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है।

1	2	3	4	5	6
					दिनांक 12.09.2012 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
2.	उत्तराखंड (बादल फटना/तेज बाढ़/भूस्खलन, 2011)	346.85	21-23 नवम्बर, 2012	185.40	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 72.76 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
3.	सिक्किम (भूस्खलन/तेज बाढ़/बादल फटना)	484.23	6-9 नवम्बर, 2012	144.48	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 93.76 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। • वास्तविक आधार पर एयर बिलों का भुगतान। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
4.	केरल (बाढ़/भूस्खलन, 2012)	143.54	1-3 नवम्बर, 2012	58.62	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 54.49 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
5.	हिमाचल प्रदेश (तेज बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना, 2012)	963.53	10-13 दिसम्बर, 2012	115.32	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 115.32 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
6.	आंध्र प्रदेश (चक्रवात 'नीलम'/बाढ़, 2012)	3559.74	19-21 दिसम्बर, 2012	418.94	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 417.12 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।

1	2	3	4	5	6
6.	आंध्र प्रदेश (चक्रवात 'नीलम'/ बाढ़, 2012)	3559.74	19–21 दिसम्बर, 2012	418.94	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 417.12 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए है। दिनांक 13.03.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
7.	अरुणाचल प्रदेश (बाढ़/भूस्खलन, 2013)	2286.07	12–16 जनवरी, 2013 एवं 1–3 मार्च, 2013	319.350	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 147.43 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 17.00 करोड़ रुपए। दिनांक 08.05.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
8.	नागालैंड (बाढ़/भूस्खलन, 2012)	167.57	1–6 अप्रैल, 2013	44.14+ एनआरडी डब्ल्यूपी (4.65)	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 44.14 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 4.65 करोड़ रुपए। दिनांक 08.05.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
III.	**वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त ज्ञापन**				
1.	जम्मू और कश्मीर (भूकम्प 1 मई, 2013)	609.33	26–28 मई, 2013	86.02	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 42.74 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 2.40 करोड़ रुपए की निधियां। दिनांक 04.07.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तराखंड (बादल फटना/ तेज बाढ़/भूस्खलन, 2013)	1533.48	18-21 जुलाई, 2013	369.24+ 20.00	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 1187.87 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 20.00 करोड़ रुपए की निधियां। दिनांक 21.08.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
3.	केरल (बाढ़/भूस्खलन, 2013)	504.14	20-22 जुलाई, 2013	101.28	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 94.47 करोड़ रुपए (दिनांक 24.10.2013 को 90.76 करोड़ रुपए + दिनांक 16.01.2014 को 3.71 करोड़ रुपए) की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 4.00 करोड़ रुपए की निधियां। एचसीएल ने दिनांक 24.10.2013 को सड़क एवं पुलों के संबंध में अपनी सिफारिश को आस्थगित कर दिया। एचसीएल ने दिनांक 16.01.2014 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया तथा इस संबंध में निर्णय लिया।
4.	हिमाचल प्रदेश (हिम-स्खलन, तेज बाढ़/भूस्खलन/ बादल फटना, 2013)	2101.06	23-26 जुलाई, 2013	267.55	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 240.20 करोड़ रुपए (दिनांक 24.10.2013 को 95.68 करोड़ रुपए + दिनांक 16.01.2014 को 144.52 करोड़ रुपए) की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 12.00 करोड़ रुपए की निधियां। • रक्षा मंत्रालय से प्राप्त बिलों के आधार पर वास्तविक के अनुसार एयर बिल। एचसीएल ने दिनांक 24.10.2013 को सड़क एवं पुलों के संबंध में अपनी सिफारिश को आस्थगित

1	2	3	4	5	6
					कर दिया। एचसीएल ने दिनांक 16.01.2014 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया तथा इस संबंध में निर्णय लिया।
5.	महाराष्ट्र (बाढ़, 2013)	2841.78	11-12 सितम्बर, 2013	1443.32	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 921.98 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। दिनांक 24.10.2013 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
6.	कर्नाटक (बाढ़, 2013)	610.85	23-26 सितम्बर, 2013	182.64	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 154.25 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 4.898 करोड़ रुपए। दिनांक 16.01.2014 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
7.	ओडिशा (चक्रवात 'फैलिन'/ बाढ़, 2013)	5832.50	28-31 अक्तूबर, 2013	1068.33	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 934.61 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 18.51 करोड़ रुपए। दिनांक 16.01.2014 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
8.	मध्य प्रदेश (बाढ़, 2013)	575.19	2-7 दिसम्बर, 2013	451.99	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 388.75 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं।

• रक्षा मंत्रालय से प्राप्त बिलों के आधार पर वास्तविक के अनुसार एयर बिल।

1	2	3	4	5	6
					दिनांक 16.01.2014 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
9.	उत्तर प्रदेश (बाढ़, 2013)	3210.19	25-27 नवम्बर, 2013	412.86	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 230.06 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। दिनांक 19.03.2014 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
10.	अरुणाचल प्रदेश (बाढ़/भूस्खलन, 2013)	1368.54	19-21 फरवरी, 2014	53.62	• एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 56.17 करोड़ रुपए की निधियां तात्कालिक आपदा के लिए हैं। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 5.00 करोड़ रुपए। दिनांक 19.03.2014 को एचसीएल की बैठक का आयोजन किया गया।
11.	आंध्र प्रदेश (चक्रवात 'फैलिन'/ बाढ़, 2013)	9370.49	17-21 नवम्बर, 2013	1744.14	आईएमसीटी से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच किये जाने वाले आबंटन संबंधी कार्य को किया जा रहा है जिसके पश्चात् एचसीएल का आयोजन किया जाएगा।
12.	आंध्र प्रदेश (चक्रवात 'हैलन' एवं लहर, 2013)	383.74	18-22 मार्च, 2014	263.15	आईएमसीटी से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच किये जाने वाले आबंटन संबंधी कार्य को किया जा रहा है जिसके पश्चात् एचसीएल का आयोजन किया जाएगा।
IV.	**वर्ष 2014-15 (आज तक) के दौरान प्राप्त ज्ञापन**				
1.	केरल (बाढ़/भूस्खलन, 2014)	141.65	12-15 जून, 2014	49.46	आईएमसीटी से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

पाद टिप्पणी : एनआरडीडब्ल्यूपी का अर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

विवरण-III

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से राज्य-वार आबंटित एवं जारी राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	एनडीआरएफ के अंतर्गत आवटन				एसडीआरएफ की जारी राशि में केन्द्र का हिस्सा				एनडीआरएफ से जारी राशि			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (आज तक)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (आज तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	534.28	560.99	589.04	367.26 @	300.71	420.74	520.89	—	257.61	0.00	763.53	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.58	40.51	42.54	44.67	34.72	36.46	38.29	20.10	0.00	100.44	140.46	10.74
3.	असम	276.96	290.81	305.35	320.62	124.63	454.995 #	68.77	137.41 #	0.00	45.00	0.00	0.00
4.	बिहार	351.21	368.77	387.21	406.57	131.705	276.58	290.41	—	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	158.89	166.83	175.17	183.93	116.33	122.145 #*	128.25 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	3.11	3.27	3.43	3.60	2.275 #	1.165 #*	3.735 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	527.23	553.59	581.27	610.33	395.42 #	415.19	435.95	228.875	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	202.55	212.68	223.31	234.48	0.00 *	75.95 #*	235.46 #	83.740 #	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	137.30	144.17	151.38	158.95	123.57	129.75	136.24	71.53	0.00	0.00	95.84	1.419
10.	जम्मू और कश्मीर	181.08	190.13	199.64	209.62	0.00 *	77.605 #*	423.93 #	89.84 #	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	272.42	286.04	300.34	315.36	204.32	214.53	225.26	—	0.00	0.00	0.00	82.77
12.	कर्नाटक	169.01	177.46	186.33	195.65	126.76	133.10	139.75	73.37	0.00	679.54	245.68	0.00
13.	केरल	137.63	144.51	151.74	159.33	103.22	54.19 *	121.51	59.75	0.00	0.00	61.74	0.00
14.	मध्य प्रदेश	412.39	433.01	454.66	477.39	231.965	324.76	341.00	—	0.00	0.00	502.59	83.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	464.82	488.06	512.46	538.08	140.32	357.33 #*	567.375 #	—	0.00	1022.67	1269.11	0.00
16.	मणिपुर	7.58	7.96	8.36	8.78	6.66 #	10.57 #	7.52	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	15.38	16.15	16.96	17.81	13.52 #	6.92 #*	22.53 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिज़ोरम	8.98	9.43	9.90	10.40	7.89 #	8.30 #*	13.145 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	5.22	5.48	5.75	6.04	0.00 *	11.87 #*	5.18	2.72	0.00	0.00	36.60	0.00
20.	ओडिशा	411.16	431.72	453.31	475.98	308.37	323.79	419.99	—	678.65	0.00	750.00	0.00
21.	पंजाब	234.07	245.77	258.06	270.96	171.30 #	272.105 #	193.55	—	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	630.69	662.22	695.33	730.10	698.27 #	496.67	521.50	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	23.89	25.08	26.33	27.65	31.74	22.57	23.70	12.445	200.38	0.8668	1.018	0.00
24.	तमिलनाडु	308.20	323.61	339.79	356.78	231.15	121.355 *	376.19 #	—	500.00	0.00	453.87	0.00
25.	तेलंगाना	—	—	—	251.23 @	—	—	—	—	—	—	—	0.00
26.	त्रिपुरा	20.28	21.29	22.35	23.47	26.94 #	9.58 *	29.70 #	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	404.66	424.89	446.13	468.44	303.50	318.67	334.60	175.665	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तराखंड	123.54	129.72	136.22	143.02	0.00 *	205.595 #*	145.00 #	—	0.00	0.00	329.50	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	320.07	336.07	352.87	370.51	240.05	252.05	264.65		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6381.18	6700.22	7035.23	7387.01	4075.40	5154.53	6034.08	1243.745	1636.64	1848.52	4649.94	178.06

*इसमें जारी निधियों के खाते में जमा करने, उपयोग प्रमाण-पत्र एवं वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा के कारण एसडीआरएफ में केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया गया।

#एसडीआरएफ के पूर्व वर्ष के एरियर सहित।

@आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच वर्ष 2014-15 के लिए एसडीआरएफ के आवंटन को 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया।

दुधारू पशुओं का वध

***207. श्री अजय मिश्रा टेनी :**
श्री नित्यानन्द राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाय सहित अनेक दुधारू पशुओं का तथाकथित अवैध रूप से वध किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों ने गाय सहित दुधारू पशुओं के वध और अपने राज्यों में गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) से (ग) इस विभाग के पास गायों सहित दुधारू पशुओं के अवैध वध से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, पशुओं का संरक्षण और सुरक्षा एक ऐसा मामला है जिस पर कानून बनाने की अनन्य शक्तियां राज्य विधान मंडलों के पास हैं। वर्तमान में 24 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में गाय जैसे दुधारू पशुओं सहित पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध/निषेध/रोक लगाने संबंधी कानून उपलब्ध हैं (ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है) तथा कुछ राज्य विधान मंडलों ने राज्य में गोमांस की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत सरकार ने गोमांस के आयात और निर्यात दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।

विवरण-I

राज्यों/संघीय क्षेत्रों जिनके पास गाय जैसी दुधारू पशुओं सहित पशुओं के वध पर प्रतिबंध/निषेध/रोक लगाने का अधिकार है

राज्यों के नाम:	संघ राज्य क्षेत्र के नाम:
1. आंध्र प्रदेश	1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. असम	2. चंडीगढ़
3. बिहार	3. दादरा और नगर हवेली
4. गोवा	4. दमन और दीव
5. गुजरात	5. पुदुचेरी
6. हरियाणा	
7. हिमाचल प्रदेश	
8. जम्मू और कश्मीर	
9. कर्नाटक	
10. मध्य प्रदेश	
11. महाराष्ट्र	
12. ओडिशा	
13. पंजाब	
14. राजस्थान	
15. सिक्किम	
16. तमिलनाडु	
17. त्रिपुरा	
18. उत्तर प्रदेश	
19. पश्चिम बंगाल	
20. मणिपुर	
21. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
22. उत्तराखंड	
23. झारखंड	
24. छत्तीसगढ़	

विवरण-II

राज्यों/संघीय क्षेत्रों जिनके पास गाय जैसी दुधारू पशुओं सहित पशुओं के वध पर प्रतिबंध/निषेध/रोक लगाने का अधिकार नहीं है

राज्यों के नाम:	संघ के नाम:
1. अरुणाचल प्रदेश	लक्षद्वीप
2. केरल	
3. मेघालय	
4. मिजोरम	
5. नागालैंड	

[अनुवाद]

मूल्य नियंत्रण हेतु एकीकृत योजना

***208. श्री बी. श्रीरामुलु :**
श्री एन. क्रिष्टप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाखोरों/कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इनके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए 'बाजार हस्तक्षेप निधि'/'मूल्य स्थिरीकरण निधि' की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उक्त निधियों को प्रशासित करने के लिए किस एजेंसी को नामित किए जाने का प्रस्ताव है और इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति/उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्यों के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और सट्टेबाजी पर रोक लगाने सहित इसके लिए बनाई गए एकीकृत कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने और मूल्य को नियंत्रित करने के लिए हाल में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

- आलू के लिए 26.06.2014 से न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और प्याज के लिए 02.07.2014 से न्यूनतम निर्यात मूल्य 500 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया गया।
- राज्यों को फलों और सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम की सूची से हटाकर उनके मुक्त संचलन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।
- सरकार ने उन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल जारी करने का अनुमोदन कर दिया है जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हुआ है।
- राज्य सरकारों को जमाखोरी और चोर-बाजारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को कारगर तरीके से लागू करने की सलाह दी गई है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज और आलू पर 03.07.2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमाओं का अधिरोपण किया गया है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 04.07.2014 को हुए विचार-विमर्श के आधार पर जमाखोरी और चोर-बाजारी को एक गैर-जमानती अपराध बनाने तथा नजरबंदी की अवधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त कदमों के बाद बहुत से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के औसत खुदरा मूल्य स्थिर रहे/उनमें गिरावट या मामूली वृद्धि हुई जैसा कि संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) केंद्रीय बजट 2014-15 में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से किसानों के बचाव के उद्देश्य के साथ एक मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कोष के प्रचालन की क्रिया-विधि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के 04 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में खाद्य महंगाई के मामले के समाधान के लिए छह महीने की एक संयुक्त कार्य योजना में सहमति हुई जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य

(रुपए प्रति कि.ग्रा.)

वस्तु का नाम	(17.7.2014) को मूल्य	1 सप्ताह पूर्व (10.7.2014)	2 सप्ताह पूर्व (3.7.2014)
1	2	3	4
चावल	28	28	28

1	2	3	4
गेहूं	21	21	21
चना दाल	46	47	47
तूर/अरहर दाल	70	71	70
उड़द दाल	73	72	72
मूंग दाल	86	86	86
मसूर दाल	66	66	66
चीनी	36	37	37
दूध (प्रति लीटर)	37	37	37
मूंगफली का तेल (पैकबंद)	123	122	122
सरसों का तेल (पैकबंद)	97	98	98
वनस्पति (पैकबंद)	78	78	77
सोया तेल (पैकबंद)	84	85	85
सूरजमुखी का तेल (पैकबंद)	95	97	97
पॉम ऑयल (पैकबंद)	70	71	71
आलू	24	24	24
प्याज	29	28	26
टमाटर	37	28	22

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

विवरण-II

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के 4 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सहमत संयुक्त कार्य योजना की मुख्य बातें

1. मूल्य पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के लिए विशेष रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, प्याज, टमाटर, आलू, मूंग दाल, तूर दाल तथा खाद्य तेल, दूध और अंडा जैसी आवश्यक वस्तुओं को कार्य योजना में रखा जाएगा।

2. राज्य, विशेष मॉनीटरिंग के लिए आपूर्ति की कमी की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि "स्टॉक-आउट" की परिस्थिति पैदा न हो विशेषत: आम उपभोग की इन वस्तुओं के लिए।

3. जिन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा तथा मकई जैसा मोटा अनाज मुख्य खुराक है, वहां इन वस्तुओं की उपलब्धता की गहन मॉनीटरिंग की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारण के स्तर पर इन उत्पादों की गुणवत्ता नष्ट न हो।

4. राज्य, इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के विभिन्न शहरों/ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त विकेन्द्रित स्टॉक रखे जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी/निजी/सहकारी भंडारण अवसंरचना का प्रयोग करके विद्यमान भंडारण क्षमता को गतिशील बनाएगा।

5. भावी छह महीनों के दौरान राज्य, एक मूल्य निगरानी सैल गठित करेगा जो मंडियों में थोक मूल्य के आधार के साथ-साथ राज्य के विभिन्न भागों में खुदरा मूल्य प्राप्त करके इन विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य की निगरानी करेगा। यह, राज्यों को वास्तविक समय आधार पर बाजार हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम बनाएगा।

6. राज्यों को बड़ी मात्रा में उत्पादन खरीदने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना तथा उनके भंडारण को विनियमित करने के साथ-साथ त्यौहारों के मौसम में बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उचित मूल्य पर वितरित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा बीपीएल कार्ड धारकों के लाभ के लिए लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

7. राज्य का खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम को महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को पीडीएस दुकानों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (राशन कार्ड तथा ग्रीन कार्ड धारक) को उचित मूल्य पर बेचने के लिए सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ भागीदारी करनी चाहिए।

8. जिले में जिला आयुक्त/समाहर्ता तथा शहरों/कस्बों में म्यूनीसिपल कमिशन जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्य स्तरों की मॉनीटरिंग के लिए फोकल प्वाईंट के रूप में पदनामित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गन्ने की बकाया राशि

***209. श्री हुकुम सिंह :**

श्री हरीशचंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीनी मिलों को अनेक प्रोत्साहन/पैकेज प्रदान किए जाने के बावजूद किसानों के गन्ने की काफी धनराशि अभी भी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गन्ने की कितनी धनराशि बकाया है और चूककर्त्ता मिलों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बकाया राशि चीनी मिलों को दिए गए पैकेज से सीधे किसानों के खाते में अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रंगराजन समिति ने मिलों की लाभप्रदता, बकाया राशि के भुगतान और मिलों द्वारा अर्जित किए गए लाभ में किसानों के हिस्से के संबंध में अनेक टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को बकाया राशि के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) 15.07.2014 के अनुसार चीनी मिलों पर देश के गन्ना किसानों की बकाया राशि 10,541 करोड़ रुपए है जो चालू चीनी मौसम 2013-14 के दौरान देय कुल राशि का लगभग 18.50 प्रतिशत है। पिछले तीन प्रत्येक चीनी मौसमों और चालू चीनी मौसम के दौरान 15 जुलाई, 2014 के अनुसार चीनी मिलों के प्रति गन्ना देयों की लंबित राज्य-वार बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गन्ना मूल्य देय मुख्य रूप से चालू मौसम में गन्ने की आपूर्ति से संबंधित हैं। ऋणदाता बैंकों इत्यादि द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत मिलों का अधिग्रहण कर लिए जाने पर पिछले मौसमों के देय सामान्यतया विचाराधीन हैं। चालू मौसम में देय मुख्य रूप से चीनी की बिक्री से कम प्राप्ति के कारण हुए हैं।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत गन्ने के मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर करना होता है। 14 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर लंबित अवधि के लिए 15 प्रतिशत पर वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होता है। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के पास निहित हैं और प्रदत्त की गई हैं जिनके पास आवश्यक क्षेत्र संघटन हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श देती है कि किसानों के गन्ना देयों के भुगतान को समय पर सुनिश्चित करें और दोषी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने कानून के अनुसार दोषी चीनी मिलों के प्रति कार्रवाई कर ली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) डॉ. सी. रंगराजन समिति की चीनी क्षेत्र के विनियमन संबंधी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि उचित एवं साम्यिक रीति से किसानों और मिल मालिकों के बीच गन्ना मूल्य शृंखला में सृजित मूल्य/राजस्वों की भागीदारी होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है और गन्ना मूल्य फार्मूले को अंगीकार करने से संबंधित समिति की सिफारिश को राज्य सरकारों को अंगीकार करने और कार्यान्वयन करने के लिए, जैसा भी उनके द्वारा उचित समझा जाए, भेज दिया गया है।

(ङ) पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान को सुकर बनाने के लिए और गन्ना किसानों को चालू चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का समय पर व्यवस्थापन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 03.01.2014 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) को अधिसूचित किया है जिसमें चीनी मिलों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपए की राशि के ब्याजमुक्त ऋणों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 28.02.2014 को निर्यात बाजार के लिए लक्षित कच्ची चीनी के उत्पादन हेतु विपणन और संवर्द्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहनों की अनुमति देते हुए एक अन्य योजना को अधिसूचित किया है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन का चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विवरण

चीनी मौसम 2013-14 के लिए देय गन्ना मूल्य, गन्ना मूल्य भुगतान और गन्ना मूल्य बकाया तथा 2012-13 तथा उससे पूर्व के चीनी मौसमों का गन्ना मूल्य बकाया (15.07.2014 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2013-14 में देय गन्ना मूल्य	2013-14 में भुगतान किया गया गन्ना	2013-14 में गन्ना मूल्य बकाया	%	2012-13 में गन्ना मूल्य बकाया	2011-12 और उससे पूर्व के गन्ना मूल्य बकाया	कुल गन्ना मूल्य बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पंजाब	1422.89	1407.28	15.61	1.10	0.00	0.00	15.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	हरियाणा	1689.29	1680.60	8.69	0.51	0.00	0.00	8.69
3.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65
4.	उत्तर प्रदेश	19387.88	12650.87	6737.01	34.75	31.24	107.26	6875.51
5.	उत्तराखंड	909.51	630.28	279.23	30.70	0.00	24.92	304.15
6.	मध्य प्रदेश	779.23	749.07	30.16	3.87	0.00	13.39	43.55
7.	गुजरात	2357.79	2090.93	266.86	11.32	0.00	13.41	280.27
8.	महाराष्ट्र	13396.37	13312.67	83.70	0.62	0.00	49.47	133.17
9.	बिहार	1632.79	1207.17	425.62	26.07	8.79	33.00	467.41
10.	आंध्र प्रदेश	1597.62	1487.32	110.30	6.90	24.97	0.00	135.27
11.	तेलंगाना	820.26	768.59	51.67	6.30	0.00	0.00	51.67
12.	कर्नाटक	9349.76	7513.17	1836.59	19.64	0.15	29.84	1866.58
13.	तमिलनाडु	3341.90	2703.57	638.33	19.10	39.24	2.15	679.72
11.	ओडिशा	136.02	112.84	23.18	17.04	0.04	0.00	23.22
15.	पश्चिम बंगाल	15.06	10.14	4.92	32.67	0.00	0.00	4.92
16.	पुदुचेरी	110.59	80.59	30.00	27.13	0.00	0.07	30.07
17.	गोवा	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	56968.38	46426.51	10541.87	18.50	110.08	273.51	10925.46

[अनुवाद]

उर्वरकों का वितरण

***210. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का तथाकथित रूप से विपथन किया जा रहा है तथा इनका गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उर्वरकों का विपथन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किसानों को उर्वरकों का वितरण करने के कार्य में निजी और सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी एजेंसियों/कंपनियां संलग्न हैं और इस प्रयोजार्थ विपणन रणनीति और वितरण नेटवर्क क्या है; और

(ग) क्या उर्वरकों को लाने-ले जाने तथा किसानों को उपयुक्त कीमत पर उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में इनके वितरण की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : (क) विगत में

राजसहायता प्राप्त रासायनिक उर्वरकों के गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कथित विपथन के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। तथापि, इस वर्ष अब तक किसी राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या विवरण-I के अनुसार क्रमश: 7, 3 और 2 हैं।

इस संदर्भ में, यह बताया जाता है कि राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर रोकथाम/दंडात्मक कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का विपथन करना एफसीओ का उल्लंघन है। राज्य सरकारें अपराधियों पर मुकदमा चलाने सहित दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है। अपराधी, जिसका दोष सिद्ध हो जाता है, का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत उसे सात वर्ष के कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

उर्वरक विभाग ने विभिन्न पत्राचारों के जरिए राज्य सरकारों को सलाह दी है/संवेदनशील बनाया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों को सजग करें और दोषियों, यदि कोई हों, के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस करके राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं और संवेदनशील बना रहे हैं कि वे राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन पर कड़ी निगरानी रखें। खरीफ और रबी 2013-14 मौसमों के लिए कृषि आदानों पर आंचलिक सम्मेलनों के दौरान, जिनमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, अन्य मामलों के साथ-साथ इस मामले पर भी बल दिया गया।

उपर्युक्त के अलावा, उर्वरक विभाग औद्योगिक प्रयोग/कृषि उद्देश्य से इतर प्रयोग के लिए सभी औद्योगिक प्रयोगकर्त्ताओं/व्यापारियों को उचित एवं पारदर्शी पद्धति से यूरिया का आयात करने की अनुमति दे रहा है।

(ख) उर्वरक कंपनियां (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र) विशेष अंचलों/क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए अपने वाणिज्यिक विवेचन के आधार पर अपनी विवपणन रणनीति विकसित कर रही हैं। पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं की कंपनी-वार संख्या विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) किसानों को पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्य/एमआरपी पर उर्वरकों के संचलन और वितरण की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(i) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले माह-वार मांग का आकलन और प्रक्षेपण लगाता है।

(ii) कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये माह-वार और राज्य-वार प्रक्षेपण के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है तथा निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है: —

(क) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली *(www.urvarak.co.in)* द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्त्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(ग) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(घ) उर्वरक की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए कृषि उपयोग के अलावा उर्वरकों के विपथन के मामले

राज्य	वर्ष	कृषि उपयोग के अलावा विपथन/अनधिकृत बिक्री के ध्यान में लाए गए मामालों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	2013-14	शून्य	—
	2012-13	शून्य	—
	2011-12	शून्य	—
गुजरात	2013-14	2	2 प्राथमिकियां पुलिस के पास दर्ज की गई हैं
	2012-13	2	उर्वरकों के विपथन के लिए 2 प्राथमिकियां पुलिस के पास दर्ज की गई हैं
	2011-12	7	उर्वरकों के विपथन के लिए 7 प्राथमिकियां पुलिस के पास दर्ज की गई हैं
कर्नाटक	2013-14	—	—
	2012-13	1	प्राथमिकी पुलिस के पास दर्ज की गई हैं
	2011-12	—	—
ओडिशा	2013-14	शून्य	—
	2012-13	शून्य	—
	2011-12	शून्य	—
राजस्थान	2013-14	शून्य	—
	2012-13	शून्य	—
	2011-12	शून्य	—
जम्मू और कश्मीर	2013-14	शून्य	—
	2012-13	शून्य	—
	2011-12	शून्य	—

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	2013-14	शून्य	–
	2012-13	शून्य	–
	2011-12	शून्य	–
योग	2013-14	2	–
	2012-13	3	–
	2011-12	7	–

विवरण-II

उर्वरकों की बिक्री करने वाले खुदरा व्यापारियों की कंपनी-वार संख्या

क्र. सं.	कंपनी का नाम	खुदरा व्यापारियों की संख्या
1	2	3
1.	एनएफएल	39885
2.	फैक्ट	9918
3.	आरसीएफ	38322
4.	एमएफएल	7180
5.	बीवीएफसीएल	4931
6.	इफ्को	53090
7.	कृभको	34762
8.	जीएसएफसी	16463
9.	सीआईएल	27221
10.	एसएफसी	8186
11.	जुआरी	10968
12.	स्पिक	6159
13.	एमसीएफएल	4953
14.	जीएनएफसी	11755
15.	टीसीएल	25714
16.	डीएफपीसीएल	4574
17.	हिंडाल्को	5388
18.	एनएफसीएल	40006
19.	सीएफसीएल	25584
20.	पीपीएल	25421
21.	इण्डो गल्फ	19900
22.	केएफसीएल	19770
23.	आईपीएल	56316
24.	जीएफएल	6512
25.	केपीआर फर्ट	1744
26.	मोज़ाइक	5720

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों का पलायन

***211. श्री जगदम्बिका पाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि कार्यों के दौरान कृषि मजदूरों की कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के पलायन का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पलायन करने वाले कृषि मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा इसके क्या प्रमुख कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों की बेहतर आजीविका को सुनिश्चित करने तथा साथ ही ऐसे मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) मजदूरी दर, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण शहरी पलायन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 2009 में किए गए एक कृषि आर्थिक अनुसंधान अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह दर्शाया गया कि इस योजना ने बुआई एवं फसल कटाई जैसे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता को प्रभावित किया है।

(ख) जी, नहीं, महोदया।

(ग) कृषि मजदूरों का शहरी क्षेत्रों की ओर वार्षिक पलायन संबंधी सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार, देश में कुल रोजगार में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 1999-2000 में 59.9 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 58.5 प्रतिशत तथा 2011-12 में और घटकर 48.9 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट, सेकेन्डरी एवं टेरश्यरी क्षेत्र में वृद्धि के कारण है तथा इसे विकासात्मक प्रक्रिया के एक सामान्य हिस्से के रूप में माना गया है। पलायन के मुख्य कारणों में शामिल है – गरीबी, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्वास्थ्य की देखरेख एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, नौकरी की बेहतर सुविधाएं, अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी आदि।

(घ) सरकार ने पूंजीनिवेश में वृद्धि करके, फार्म पद्धतियों में सुधार लाकर, ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का सृजन करके, ऋण, प्रौद्योगिकी तथा अन्य आदानों का वितरण करके तथा उचित पश्च एवं अग्र संपर्कों को तैयार करके सतत् आधार पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि के लिए अनेक उपाय किये हैं। कृषि क्षेत्र के विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य उत्पादन, उत्पादकता एवं फार्म आय में वृद्धि लाना है। मनरेगा जैसे विभिन्न रोजगार एवं जीविका बढ़ाने वाले कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से "भूमिहीन किसान" के पांच लाख संयुक्त खेती करने वाले समूहों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के माध्यम से मजबूरी वश पलायन का समाधान किया जा रहा है।

कृषि बाजार

***212. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 में संशोधन सहित कृषि बाजारों में सुधार हेतु विशेष रूप से कृषि उपज के अलाभकारी मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसानों को उनकी उपज के उचित और उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषक बाजारों की स्थापना सहित कृषि बाजारों में ढांचागत परिवर्तनों हेतु कोई रूपरेखा बनाई गई है अथवा बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु भांडागारण अवसंरचना और उत्पादक संगठनों का संवर्धन और विकास करने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंडी सुधार के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए कृषि विपणन के राज्य सरकारों के मंत्रियों की एक समिति 2010 में गठित की गई थी। समिति को राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों, विपणन विशेषज्ञों, किसानों आदि सहित विभिन्न माध्यमों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। समिति की मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि मंडियों में सुधारों, मंडी अवसंरचना विकास में निवेश को बढ़ावा देने, मंडी शुल्क/कमीशन अधिभारों के योक्तिकीकरण, ठेका, कृषि, बाधा मुक्त मंडियों, मंडी आसूचना प्रणाली, ग्रेडिंग और मानकीकरण आदि से संबंधित हैं। समिति की रिपोर्ट को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया था जिनसे इसी लाइन पर अपने कृषि मंडी विनियमनों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) मॉडल कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम (एपीएमसी), 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ कृषक मंडियों की स्थापना किये जाने की अनुमति दिये जाने के लिए राज्यों को उनके संबंधित कृषि मंडी विनियमनों को संशोधित करने के एक ब्लू प्रिंट का प्रावधान है। कृषि विपणन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों को उचित तथा उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित किये जाने के लिए किसानों के उत्पाद की बिक्री का ये वैकल्पिक अवसर महत्वपूर्ण हैं। कृषक मंडी किसानों को बिचौलियों को शामिल किए बिना उनके उत्पाद की सीधे

उपभोक्ताओं को बिक्री करने और ऐसा करके उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये मूल्य से अधिक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम बनायेगी।

13 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) ने अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को संशोधित कर लिया है ताकि कृषक मंडियों की स्थापना का प्रावधान किया जा सके।

(ङ) सरकार ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) जिसे 1.4.2014 से समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के साथ मिला दिया गया है, के माध्यम से वेयरहाउसिंग अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देती है। मंडी अवसंरचना के विकास के लिए उपयोग किये जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) निधियां भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) भी अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने में सहकारी समितियों की सहायता करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भी अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना स्कीम के तहत तथा निजी उद्यम गारंटी (पीईजी) स्कीम जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गारंटीशुदा हायरिंग के लिए पीपीपी मोड में सिलोस सहित वेयरहाउस के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, के माध्यम से वेयरहाउसेस के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अपनी स्वयं की निधियों के माध्यम से और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) एवं वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) की अपनी विंडों के माध्यम से वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देता है।

लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) इस विभाग की साम्य अनुदान तथा ऋण गारंटी निधि स्कीम की सहायता के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) तैयार करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। अब तक पूरे देश में 300 से अधिक एफपीओ को बढ़ावा दिया गया है।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों हेतु विनियामक ढांचा

***213. डॉ. किरीट सोमैया :**
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सहकारी समितियों/बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और देश में इन समितियों के कार्यकरण की निगरानी हेतु क्या विनियामक ढांचा है;

(ख) क्या सहकारी समितियों/बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा अनेक चिट फंड और पोन्जी कंपनियों के माध्यम से धनराशि के अनियमित अंतरण और विपथन की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन समितियों के कार्यकरण की समीक्षा करने/इनमें सुधार करने और लोगों की जमाराशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सहकारी समितियों के कार्यकरण में अनियमितताओं को रोकने और इनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है/स्थापित किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) दिनांक 15.7.2014 तक देश में 1234 बहु-राज्य सहकारी समितियां हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार नहीं रखती है।

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (एमएससीएस अधिनियम, 2002) में बहु-राज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण की मॉनिटरिंग हेतु विनियामक फ्रेमवर्क का प्रावधान है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक लेखा परीक्षकों (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 70 एवं 72) द्वारा समितियों के लेखों एवं खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा; केन्द्र सरकार/सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार की विशेष लेखा परीक्षा/जांच/निरीक्षण करने का निदेश देने की शक्ति (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 77, 78, 79, 80); मध्यस्थ (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 84) को विवाद रेफर करना; केन्द्रीय रजिस्ट्रार अथवा इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा और समिति के सदस्यों (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 108) द्वारा प्राधिकृत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा समितियों के बही-खाता आदि की जांच; सहकारी समितियों द्वारा सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार को (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 120) वार्षिक रिटर्न फाइल करना; अपराध एवं शास्ति का प्रावधान (एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 104) आदि शामिल है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के कार्यकरण को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा मॉनिटर एवं विनियमित किया जाता है।

(ख) और (ग) अर्थ तत्व बहु-राज्य सहकारी समिति लि., आदर्श ऋण सहकारी समिति लि., भाईचंद हीराचंद राइसोनी बहु-राज्य सहकारी ऋण समिति लि., भविष्य ऋण सहकारी समिति लि., समृद्ध जीवन बहु-राज्य सरकारी समिति लि., और सहारा ऋण सहकारी समिति लि., जैसी कुछ बहु-राज्य ऋण सहकारी समितियों द्वारा भुगतान में अनियमितता सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई है। एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 108 के प्रावधानों के तहत सरकार ने सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इन सहकारी समितियों के खाता-बही और अन्य कार्यकलापों की जांच करने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिनांक 29.5.2013 के परिपत्र के अनुसार एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 108 के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बहु-राज्य सहकारी समितियों के लेखा-बही एवं अन्य कार्यकलापों की जांच करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की है ताकि उनके अनियमितताओं को रोका जा सके एवं कार्यकरण में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट से संबंधित कार्य करने वाली बहु-राज्य सहकारी समिति के पंजीकरण एवं कार्यकरण को विनियमित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की समितियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के पश्चात् ही और मुख्य संर्वधक/संर्वधकों की पृष्ठभूमि एवं अन्य विश्वसनीयता को सत्यापित करने वाले प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पंजीकृत किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की राय के आधार पर कि बहु-राज्य ऋण समितियों द्वारा नाममात्र के सदस्यों से जमा को स्वीकार करने को बैंकिंग कार्यकलाप माना जायेगा, इन समितियों को नाममात्र के सदस्यों से जमा स्वीकार न करने के अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना

***214. डॉ. अरूण कुमार :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु अपनाए गए मानदंडों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस समय कितने कृषि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में और कृषि विश्वविद्यालय/अनुसंधान केन्द्र खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन केन्द्रों/विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के पूसा में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। किसी भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम से की जाती है जिन्हें कृषि और कृषि संबंधी विषयों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का अधिदेश प्राप्त होता है। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाते हैं। जहां तक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न है, इसे संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है।

(ख) वर्तमान में, देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भाकृअप) के अंतर्गत 99 कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के अंतर्गत 2 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा 68 राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भाकृअप मानद विश्वविद्यालय/कृषि संकाय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

(ग) जी, हां। दिनांक 10.7.2014 को लोक सभा में बजट (2014-15) प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों तथा तेलंगाना और हरियाणा राज्यों में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा, असम और झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर 2 कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

(घ) जी, हां। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर), बिहार को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से योजना आयोग की सहमति मिल चुकी है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) ने बिहार सरकार को दिनांक 29.11.2013 को उसकी सहमति और हस्ताक्षर करने के लिए एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) भेज दिया है।

[अनुवाद]

वीजा प्रणाली का उदारीकरण

***215. श्री प्रेम दास राई :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उन्हें आगमन पर वीजा प्रदान करने, उसकी अवधि बढ़ाने तथा इलैक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण की सुविधा शुरू करने सहित वीजा नियमों में छूट देकर वीजा प्रणाली के उदारीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा कितने देशों को प्रदान की जाएगी तथा उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें 'पूर्व संदर्भ' देना अपेक्षित होगा;

(ग) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है, जहां उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा ये सुविधाएं किन-किन विमानपत्तनों पर प्रदान की जाएंगी; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ग) नौ हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूरु, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और गोवा विमानपत्तनों में इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिप्रमाणन (ईटीए) युक्त आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) सुविधा चरणबद्ध रूप से शुरू की जाएगी। भारत सरकार ने 12 देशों अर्थात् जापान, फिलनैंड, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलिपीन्स, म्यांमार, इंडोनिशिया और कोरिया गणराज्य के नागरिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा की सुविधा की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी थी। अन्य देशों जिन्हें आगमन पर पर्यटक वीजा की सुविधा प्रदान की जाएगी, की पहचान चरणबद्ध रूप से की जाएगी।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इस प्रकार पर्यटकों के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है। तथापि, पर्यटकों की संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस की तैनाती करने की सलाह दी है। कुछ एक राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती भी कर दी है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुनर्स्थापन महानिदेशालय के परामर्श से तैयार की गई भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करके पर्यटक सुरक्षा संगठनों का गठन करने संबंधी दिशा-निर्देश, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर "सुरक्षित एवं सम्मानीय पर्यटन" संबंधी आचार संहिता को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया है जो पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों के मान-सम्मान, उनकी सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे बुनियादी अधिकारों को आरंभ करने के लिए पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित दिशा-निर्देशों का एक सैट है। इसके साथ ही साथ, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट *www.incredibleindia.org.* पर एक परामर्शी-पत्र भी पोस्ट किया।

[हिन्दी]

जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई

***216. डॉ. रामशंकर कठेरिया :**
श्री सुल्तान अहमद :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाखोरों और कालाबाजारी को नियंत्रित करने हेतु इस समय उपलब्ध विधायी ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु अधिनियमों के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के मुकदमों के त्वरित निपटान हेतु राज्यों को विशेष न्यायालय स्थापित करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु विशेष सहायता मांगी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर समेकित कार्यक्रम शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जमाखोरी और चोर-बाजारी को

नियंत्रित करने के लिए विधिक ढांचा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में दिया गया है।

(ख) जी, हां। दोनों अधिनियमों को और अधिक कठोर और इनके प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हैं:—

I. आवश्यक वस्तु अधिनियम

(i) अपराधों को गैर-जमानती बनाना

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना

(iii) 'खाद्य-पदार्थों' की परिभाषा

II. चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम

(i) हिरासत की अवधि की सीमा को बढ़ाना

(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन और केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने की समय-सीमा को बढ़ाना।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, प्रस्तावित संशोधनों में, जमाखोरों और चोर-बाजारियों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों के लिए समर्थकारी प्रावधान करना निहित है।

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955" और "चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980" को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम

***217. डॉ. थोकचोम मेन्या :**
श्री सी.एन. जयदेवन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों द्वारा उक्त अधिनियम के निरसन की मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की समीक्षा करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के संबंध में व्यक्त की गई चिन्ताओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, उक्त अधिनियम के अंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कतिपय विशेष शक्तियां सौंपे जाने का अधिकार देता है।

(ख) और (ग) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, को हटाने के संबंध में मणिपुर के अलग-अलग संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से भी इसे चरणबद्ध रूप से हटाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसा किया जाता है। इसकी आवधिक जांच/मूल्यांकन किया जाता है।

(ङ) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, के अंतर्गत शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, विद्रोह-रोधी अभियानों में तैनात सशस्त्र बलों के लिए "क्या करें" और "क्या न करें" संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर उन्हें सेना अधिनियम और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संबंधित अधिनियमों के अधीन अभियोजित किया जाता है। थल सेना अध्यक्ष द्वारा विद्रोही-रोधी अभियानों में तैनात सैन्य दलों को अभियान प्रचालनों के दौरान उनके मार्गदर्शन हेतु "10 कमान-आदेश (कमांडमेंट्स)" जारी किए गए हैं। सेना और केन्द्रीस सशस्त्र पुलिस बलों के विभिन्न स्तरों पर स्थापित मानवाधिकार प्रकोष्ठ (सेल), सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं। सैन्य दलों को मानवाधिकारों के संरक्षण के महत्व के बारे में नियमित अंतरालों पर सुग्राही बनाया जाता है। इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

गन्ने पर अनुसंधान

***218. श्री राजू शेट्टी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्ने के उत्पादन और इसकी उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किन-किन अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान किया जा रहा है और उनके अनुसंधान के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या देश में ऐथनॉल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गन्ने की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों का विकास करने के लिए गन्ने के संबंध में कोई सघन अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो विकसित की गई गन्ने की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) किसानों के बीच ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाने और उनका प्रसार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) देश में गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर और गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा शोध कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान के परिणाम के रूप में प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। उच्च सुक्रोज मात्रा के साथ अधिक उपज देने वाली गन्ने की किस्मों के विकास के लिए गहन अनुसंधान प्रयास किये गये हैं। ऐसी किस्में जिनमें किण्वनीय शक्कर और रस की अधिक मात्रा हो, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं। गन्ने की इस तरह की नयी किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्में विभिन्न आऊटरीच कार्यक्रमों जैसे – फ्रंटलाइन प्रदर्शन (एफएलडी), गन्ना विकास कार्मिकों और किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, फील्ड डे और किसान मेले का आयोजन, जन संचार माध्यमों, और किसानों को उन्नत किस्मों के अच्छे बीज का वितरण, के माध्यम से किसानों के बीच लोकप्रिय की गयी हैं। भाकृअप के कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) भी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में उन्नत किस्मों के बीज वितरित करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। सर्वोत्कृष्ट गन्ना किस्मों के गुणवत्ता बीज उत्पादन का कार्यक्रम आईसीएआर संस्थानों द्वारा कई राज्य सरकारों और शुगर मिलों के सहयोग से आरंभ किया गया है, ताकि सर्वोत्कृष्ट उच्च उपज देने वाली गन्ना किस्मों का प्रचार-प्रसार किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन से उगाये गये बीजकों का उत्पादन और गन्ना आधारित सदस्य प्रणालियों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ताकि गन्ने की उच्च उपज देने वाली किस्में लोकप्रिय हो सकें।

विवरण-I

गन्ना अनुसंधान की प्रमुख उपलब्धियां

फसल में सुधार

- उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद्, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश सरकार) और वसंत दादा चीनी संस्थान, पुणे में स्वैच्छिक केन्द्र सहित एसबीआई कोयम्बतूर, आईआईएसआर, लखनऊ, देश के विभिन्न भागों में चीनी से संबंधित एआईसीआरपी के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रमुख केन्द्रों के सहयोगी अनुसंधान और विकास प्रयासों से उन्नत फसलों की किस्में, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

- प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में उन्नत गन्ना किस्में सीओ 06027, सीओ 0403, सीओ 0218, सीओ 2001-13 और सीओ 2001-15 खेती के लिए जारी किए गए थे।

- उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखंड शामिल हैं, में खेती के लिए सीओ 05009, सीओ 05011, सीओ 0237, सीओ 0238, सीओ 0239 और सीओ 0124 जारी किए।

- देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों के लिए सीओ 0232 और सीओ 0233 जारी किए गए।

- देश के पूर्वी तट क्षेत्र के लिए सीओ 06030 को विशेष रूप से जारी किया गया था।

- गुड़ उत्पादन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम किस्म सीओ 92005 जिससे प्रीमियम मूल्य मिलता है, महाराष्ट्र में खेती के लिए जारी की गयी थी।

- वर्ष 2000 में जारी की गयी गन्ने की सीओ 86032 किस्म इस समय देश में सबसे लोकप्रिय किस्म है जो एक मिलियन हैक्टेयर से अधिक भाग में उगायी जाती है, कुल उत्पादित गन्ने का 30 प्रतिशत उत्पादन योगदान देती है।

- ऊतक संवर्धन के माध्यम से विकसित सीओ 94012 जिसमें उच्चतम चीनी की प्राप्ति होती है, को महाराष्ट्र और कर्नाटक में खेती के लिए जारी किया गया था।

- उत्तर-मध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वाणिज्यीय खेती के लिए आईआईएसआर, लखनऊ द्वारा तीन जल्दी तैयार होने वाली और उच्च चीनी किस्म सीओएलके 94184, सीओएलके 9709 और सीओएलके 07201 जारी की गई।

- सबसे पहले एसबीआई ने देश में ऊर्जा युक्त गन्ने का पता लगाया। एसबीआई में 279 टन/हैक्टेयर कुल बायोमास और 247.53 टप/हैक्टेयर के उत्पादन वाले एसबीआईईसी 11001 और एसबीआईईसी 11002 की पहचान की गई और ये जैव ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करेंगे।

- जेनेटिक विविधता पैदा करने और सीडलिंग से प्रभावकारी क्लोनल चयन के लिए पिछले पांच वर्षों में विभिन्न एआईसीआरपी केन्द्रों को कुल 167.37 कि.ग्रा. फल (फ्लफ) की आपूर्ति की गयी।

जैव प्रौद्योगिकिय हस्तक्षेप

- उत्पादकता में 15 प्रतिशत और इससे अधिक सुधार के अलावा किस्मीय शुद्धता और बीमारी रहित सीडलिंग के लिए कम जगह और कम समय में गन्ने के सीडलिंग की तेजी से वृद्धि के लिए एक आसान और लागत-प्रभावकारी प्रत्यक्ष पुनरुज्जवीन प्रोटॉकल विकसित किया गया है।

- सीएएमवी 35 एस और मकई यूबीआई 1 प्रवर्तकों की अपेक्षा मॉनोकॉट्स और डायोकॉट्स दोनों में उच्च अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाला एक नया प्रवर्तक पोर्ट यूबीआई 2.3 *पोर्टीरीसियाकोर्कटाटा* से निकाला गया।

- एसबीआई द्वारा एक नॉवेल स्काराबिड-विशिष्ट सीआरवाई 8 जीन क्लोन किया गया है और इसका लक्षणवर्णन किया गया है। यह देश से सीआरवाई 8 जीन की पहली रिपोर्ट है।

- उच्च सूक्रोज क्लोन विशिष्ट एसटीएमएस मार्कर एनकेएस 45180 की पहचान की गई है। *इरियांथस, सेक्कारम* और स्लेरोस्टायिया विशिष्ट मार्कर की पहचान की गई है और अंतर-जनेरिक संकर की सही संकरता को सुनिश्चित करने के प्रयोग किए जाते हैं।

- गन्ने में जीनोटाइपिंग के लिए एक प्रभावकारी और नया क्रियात्मक मार्कर 'संरक्षित इनट्रान स्कैनिंग प्राइमर' और 250 ईएसटी-एसएसआर मार्कर विकसित किए गए हैं।

फसल उत्पादन प्रबंधन

- फरो सिंचित इरिगेटेड रेज्ड-बेड पद्धति के अंतर्गत गेहूं + गन्ना अंतर फसल के लिए प्रबंधन कार्य सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

- रेटून उत्पाद्कता को 10वें रेटून तक स्थिर करने की संभाव्यता के साथ जैव-अभिकारकों से संशोधित फार्मयार्ड के माध्यम से राइजोस्फेरिक पर्यावरण और गन्ना रेटून उपज में सुधार।

- मौजूदा विधियों की अपेक्षा उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए (25-30 प्रतिशत) गन्ने के पौधरोपण की ट्रेंच विधि का विकास किया गया है।

- आठ आजारों का डिजाइन और विकास किया गया है (रेज्ड बेड सीडर-कम-सुगरकेन प्लांटर, पेयर्ड रो प्लांटर, मॉडीफाइड थ्री-रो सुगरकेन प्लांटर, ट्रेंच प्लांटर, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, रेटून प्रोमोटर, कल्टी-हैरो और सुगरकेन-कम-पोटेटो प्लांटर)।

- ड्रिप फर्टीगेशन प्रौद्योगिकी गन्ने के लिए अनुकूलित की गई जो 40 प्रतिशत सिंचाई और 25 प्रतिशत N और K उर्वरकों का बचाव करती है।

- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से कच्चे गन्ने के जूस से सीधा गन्ने के जूस पाउडर (एसजेपी) का निर्माण करने के लिए एक उत्तम विधि विकसित की गयी है और इसे वाणिज्यीकृत किया गया है।

- गन्ने में सिंचाई निर्धारण के लिए एक सरत, सस्ता और किसान अनुकूल मृदा नमी सूचक विकसित किया गया।

- फसलोत्तर सूक्रोज हानियों में कमी के लिए ZnSO4 के फसलपूर्व फोलियर अनुप्रयोग और बेंजालकोनियम क्लोराइड + सोडियम मेटासिलिकेट के साथ फसलोत्तर केन उपचार विकसित किया गया।

- गन्ना और चीनी के उच्च उत्पादन हेतु एक एकीकृत पौष्टिक और खरपत-वार प्रबंधन विकल्प विकसित किए गए हैं।

फसल स्वास्थ्य प्रबंधन

- गन्ने के बेधकों के जैव नियंत्रण के लिए *ट्राइकोग्रामा चिलोनिस* और *टी. जापोनिकम* के उच्च तापमान (38°से) सहिष्णु स्ट्रेन का विकास किया गया।

- शुगरकेन बायोमास का *एसपरजिलस टेरियस, ए आवामोरी, सेल्युलोमोनास उडा* के साथ पूर्व उपचार करके सेल्यूलोज पाचकता और चीनी की मात्रा में कमी में सुधार आया और इससे अच्छा सैकेराइफिकेशन हुआ।

- केन डीईएस: गन्ने में खराबी के निदान के लिए एक वेब आधारित विशेष पद्धति का विकास किया गया है। आईआरएसपी 6 के डिजिटल सैटलाइटर इमेजरी के माध्यम से पीली पत्ती की बीमारी से प्रभावित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से पता लगाया गया।
- गन्ने के तीन प्रमुख आरएनए वायरस अर्थात् एससीवाईएलवी, एससीएमवी और एससीएसएमवी का पता लगाने के लिए नैदानिकी किट विकसित किए गए और एसबीआई कोयंबतूर में गन्ने के वायरस का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।
- पहली बार भारत में शुगरकेन स्ट्रीक मोजाइक वायरस (एससीएसएमवी इंड: जेएन941985) के आइसोलेट के पूर्ण जिनोम अनुक्रमण पूरे किए गए हैं। देश में पहली बार शुगरकेन यलो लीफ वायरस (एससीवाईएलवी) के छह आइसोलेट्स के पूर्ण जिनोम अनुक्रमण किए गए थे और एक नये जिनोटाइप वायरस एससीवाईएलवी-आई एंड डी का निर्धारण किया गया था।
- गन्ना के वूली एफिड के प्रभावकारी प्रबंधन के लिए *डिफा एफिडिवोरा, माइक्रोमस इगोरोटस* और *क्राइसोपेरला कारनिया* जैसे संभाव्य अभिकारकों को गन्ने के खेतों में जहां जैव-अभिकारकों की संख्या कम या ज्यादा है, में पुनः वितरण किया जा सकता है।
- गन्ना उत्पादन प्रौद्योगिकी से संबंधित फर्स्ट यूजर-सेंटर्ड वेबसाइट केनइन्फो का विकास किया गया है जिसके 700 से अधिक पंजीकृत प्रयोक्ता हैं। इस अग्रणी वेबसाइट को ई-वर्ड फोरम द्वारा 'बेस्ट टेलीसेंटर इनिसिएटिव ऑफ द एयर 2011' घोषित किया गया।

विवरण-II

वर्ष 2000-2012 के दौरान जारी की गई गन्ने की किस्में और इनके मुख्य लक्षण वर्णन

किस्म का नाम	जारी करने का वर्ष	मुख्य लक्षण वर्णन (जैसे अवधि, पैदावार स्तर, गुणवत्ता लक्षण वर्णन आदि)			
		परिपक्वता	गन्ना पैदावार (टन/हैक्टेयर)	सूक्रोस (%)	मुख्य लक्षण
1	2	3	4	5	6
तटवर्ती तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा					
सीओ 86249	2000	मध्यम पछेती	104.2	18.7	लाल सड़न तथा स्मट की मध्यम प्रतिरोधिता, जलमग्नता के प्रति वहनीयता, बेहतर रैटूनर
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड					
सीओएलके 94184	2008	अगेती	76.0	18.0	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा और जलमग्नता के प्रति वहनीयता
सीओएलई 96234	2004	अगेती	64.1	17.9	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़					
सीओ 86032	2000	मध्यम पछेती	102.0	20.1	स्मट की प्रतिरोधी, लाल सड़न के प्रति फील्ड वहनीय, सूखा वहनीय
सीओ 85004	2000	मध्यम पछेती	90.5	19.5	स्मट की मध्यम प्रतिरोधी, बेहतर रैटूनर
सीओ 91010	2000	मध्यम पछेती	116.0	19.1	स्मट की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा वहनीय
सीओ 8371	2000	मध्यम पछेती	117.7	18.6	स्मट प्रतिरोधी, सूखा और जलमग्न वहनीय

1	2	3	4	5	6
सीओ 88121	2000	मध्यम पछेती	88.7	18.6	स्मट प्रतिरोधी, सूखा वहनीय, उत्कृष्ट गुड़ गुणवत्ता
सीओ 87025	2000	मध्यम पछेती	98.2	18.3	स्मट प्रतिरोधी, लाल सड़न के प्रति फील्ड वहनीयता तथा सूखा और जलमग्नता वहनीय
सीओ 87044	2000	मध्यम पछेती	101.0	18.3	स्मट की मध्यम प्रतिरोधी
सीओ 94008	2004	अगेती	119.8	18.3	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, स्मट प्रतिरोधी, सूखा और लवण वहनीय, बेहतर गुड़ गुणवत्ता
सीओ 99004	2007	मध्यम पछेती	116.7	18.8	लाल सड़न और मुरझान की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा और लवण वहनीय, इंटरनोड बेधक वहनीय, बेहतर गुड़ एवं गुणवत्ता
सीओ 2001-15	2009	मध्यम पछेती	113.0	19.37	लाल सड़न और स्मट की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा तथा लवणता वहनीय, बेहतर रैटूनर, बेहतर गुड़ गुणवत्ता
सीओ 2001-13	2009	मध्यम पछेती	108.6	19.03	लाल सड़न और स्मट की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा तथा लवणता वहनीय, बेहतर रैटूनर, बेहतर गुड़ गुणवत्ता
सीओ 0218	2010	मध्यम पछेती	103.77	20.79	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, स्मट प्रतिरोधी, सूखा वहनीयता, बेहतर रैटूनर, बेहतर गुड़ गुणवत्ता
सीओ 0403	2012	अगेती	101.6	18.16	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधिता, स्मट प्रतिरोधी, सूखा वहनीयता, बेहतर रैटूनर, बेहतर गुड़ गुणवत्ता
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड					
सीओएस 91230	2000	मध्यम पछेती	68.2	18.8	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, शीर्ष, प्ररोह तथा वृं त्त बेधक वहनीय
सीओ पंत 90223	2001	मध्यम पछेती	73.3	18.5	लाल सड़न मध्यम प्रतिरोधी, स्मट प्रतिरोधी, सूखा वहनीय, शीत और जल मग्न, उत्कृष्ट रैटूनर
सीओएच 92201	2001	अगेती	70.0	18.2	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी
सीओ पंत 97222	2007	मध्यम पछेती	88.2	18.2	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, सूखा, जल मग्न तथा लवणता वहनीयता
सीओ 0118	2009	अगेती	78.2	18.45	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, जल दबाव एवं जलमग्न वहनीयता
सीओ 0239	2010	अगेती	79.23	18.58	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, जल दबाव एवं जलमग्न वहनीयता

1	2	3	4	5	6
सीओ 0124	2010	मध्यम पछेती	75.71	18.22	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, जल दबाव एवं जलमग्न वहनीयता
सीओ 0237	2012	अगेती	71.33	18.78	लाल सड़न की मध्यम प्रतिरोधी, जलमग्न वहनीयता, बेहतर रैटूनर
सीओ 05011	2012	मध्यम पछेती	81.87	18.00	लाल सड़न तथा मुरझान की मध्यम प्रतिरोधी, सर्दी में कटाई के लिए उपयुक्त

अगेती किस्म अवधि: 10 माह; मध्यम अवधि की किस्म: 12-14 माह; एमआर: मध्यम प्रतिरोधी; आर: प्रतिरोधी

[अनुवाद]

पर्यटक सर्किटों का सृजन

***219. श्री के.एन. रामचंदन :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न एशियाई देशों की तुलना में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत और अन्य एशियाई देशों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश में पर्यटक सर्किट बनाने और विभिन्न तीर्थस्थलों पर अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन से स्थानों/तीर्थस्थलों की पहचान की गई है; और

(ङ) इस संबंध में तमिलनाडु सहित राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है और सरकार द्वारा इस पर नया अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। यूएनडब्ल्यूटीओ के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार 2013 के दौरान, एशियाई देशों में विदेशी पर्यटक आगमनों (एफटीए) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों (आईटीए) की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है जिसमें भारत का स्थान 14 है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्राथमिकता प्रदत्त तीर्थ केन्द्रों सहित गंतव्यों/पर्यटन परिपथों के विकास हेतु निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 हेतु तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परिपथों/गंतव्यों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

सभी धर्मों के तीर्थ केन्द्रों पर सुविधाओं एवं अवसंरचना के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से वर्तमान बजट सत्र में तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएएसएडी) पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है। इसके अलावा विशिष्ट थीमों के संबंध में 5 पर्यटक परिपथों के निर्माण की भी घोषणा की गई है।

(ङ) वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

पर्यटन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। परियोजनाओं की निगरानी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी) का गठन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भी पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के फील्ड निरीक्षण, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलनों के माध्यम से करता है।

विवरण-I

एशियाई देशों में अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी पर्यटक आगमन-2013 (अनंतिम)

क्र. सं.	देश	आगमन (मिलियन में)
1	2	3
1.	चीन	55.686
2.	तुर्की	37.800
3.	थाईलैंड	26.547
4.	मलेशिया	25.715
5.	चीन, हांगकांग	25.661
6.	चीन, मकाओ	14.268
7.	सउदी अरब	13.213
8.	कोरिया गणराज्य	12.176
9.	जापान	10.400
10.	यूनाईटेड अरब अमीरात	9.990
11.	इंडोनेशिया	8.802
12.	ताईवान (चीन का प्रांत)	8.016
13.	वियतनाम	7.752
14.	भारत	6.968
15.	इजरायल	5.700
16.	कजाकिस्तान	4.900
17.	फिलिपींस	4.681
18.	कम्बोडिया	4.210
19.	जार्डन	3.945
20.	श्रीलंका	1.275
21.	लेबनान	1.274
22.	मालदीव	1.125
23.	म्यांमार	0.900
24.	नेपाल	0.798
25.	स्टेट ऑफ फिलीस्तीन	0.545
26.	मंगोलिया	0.418
27.	ब्रुनेई दारूसलम	0.225
28.	तिमोर लेस्टे	0.078
29.	अफगानिस्तान	उ.न.
30.	अरमेनिया	उ.न.
31.	अजरबेजान	उ.न.
32.	बहरीन	उ.न.
33.	बांग्लादेश	उ.न.
34.	भूटान	उ.न.
35.	साइप्रस	उ.न.
36.	डीपीआर ऑफ कोरिया	उ.न.
37.	जार्जिया	उ.न.
38.	ईरान (इस्लामिक गणराज्य)	उ.न.
39.	इराक	उ.न.
40.	कुवैत	उ.न.
41.	किर्गिस्तान	उ.न.
42.	लाओ पीडीआर	उ.न.
43.	ओमान	उ.न.
44.	पाकिस्तान	उ.न.
45.	कतर	उ.न.
46.	सिंगापुर	उ.न.

1	2	3
47.	सीरियन अरब गणराज्य	उ.न.
48.	तजकिस्तान	उ.न.
49.	तुर्कमिनेस्तान	उ.न.
50.	उजबेकिस्तान	उ.न.
51.	यमन	उ.न.

उ.न.: उपलबध नहीं।

स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ विश्व पर्यटन बैरोमीटर, वाल्यूम-12 अप्रैल, 2014.

विवरण-II

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर जिनके लिए कार्यवृत्त जारी किया जा रहा है वर्ष 2014-15 हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परिपथों/ गंतव्यों की सूची

1. आंध्र प्रदेश

मेगा परिपथ

(क) कोंडापल्ली – इब्राहिम पट्टनम और आसपास के क्षेत्र में मेगा परिपथ

परिपथ

(क) कुट्टीकोंडा बिलम गुफाएं – पिडूगुराली – कोंडावीडु किला – कोटप्पा कोंडा मंदिर परिपथ, गुंटूर जिला

(ख) बौद्ध परिपथ श्रीकाकुलम

गंतव्य

(क) नागार्जुनसागर का विकास

(ख) साउंड एवं लाइट शो और श्रीकलाहस्ती का विकास

(ग) पश्चिम गोदावरी में पेरूपालेम बीच का विकास

2. दमन और दीव

गंतव्य

(क) नगाव बीच में फिक्सड जेटियों का विकास

(ख) दमन में इको-पर्यटन परियोजना

(ग) दगाची, दीव में इको-पर्यटन परियोजना

मानव संसाधन विकास

(क) दीव में भोजन कला संस्थान

3. दादरा और नगर हवेली

(क) सिलवासा हाट और दमन गंगानदी फ्रंट का विकास

(ख) डुडनी नदी फ्रंट का विकास

(ग) दादरा और नगर हवेली के तीन स्थानों में मार्गस्थ सुविधाएं

4. गोवा

एलआरजी परियोजना

(क) गोल्फ कोर्स का निर्माण

मेगा परिपथ

(क) कंडोलिम और कलांगूट परिपथ का विकास

गंतव्य विकास

(क) वास्को में पर्यटन विकास

(ख) 30 लाख रुपए तक के सीएफए के साथ तीन महत्वपूर्ण बीचों पर तीन रिवर्स ओसमोसिस संयंत्र प्रदान करना

परिपथ विकास

(क) कोलवाले पर्यटन परिपथ का विकास

(ख) मीरामार पर्यटन परिपथ का विकास

(ग) हेलीकोप्टर संपर्कता द्वारा हेरिटेज और तटीय क्षेत्रों का पर्यटन परिपथ विकास

5. गुजरात

मेगा परिपथ

(क) द्वारका-बेट द्वारका-गोपीतालव-नागेश्वर-चरण-II

परिपथ

(ख) चांनोद-करनाली परिपथ

(ग) सपुतारा, जिला डांग

(घ) नागोरा परिपथ

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) वडोदरा में समागम केन्द्र

ग्रामीण पर्यटन स्कीम

ग्रामीण पर्यटन सीएफए स्कीम के तहत दो ग्रामों को सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार इन ग्रामों के ब्यौरे मंत्रालय को भेजेंगी।

6. **कर्नाटक**

मेगा परिपथ

(क) मेगा कावेरी पर्यटन परिपथ का विकास

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) कुक्के सुब्रहमणया वाया सकलेशपुरा तक पर्यटक ट्रेन शुरू करना

परिपथ

(क) जंगल लॉज एवं रिजार्ट लि. द्वारा दि ग्रेट कनारा ट्रेल्स

(ख) जोग पर्यटन परिपथ के किनारे पर्यटन अवसंरचना का विकास

गंतव्य विकास

(क) सीरा, तुमकुर जिले में पर्यटन अवसंरचना का विकास

(ख) किट्टूर, बेलगम जिले में पर्यटन अवसंरचना का विकास

(ग) दंडेल, उत्तर कन्नाडा जिले में इको पर्यटन पार्क एवं क्रोकोडाइल पार्क का विकास

मार्गस्थ सुविधाएं (अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए प्रत्येक)

(क) सदाशिवगडा और कुमटा, उत्तर कन्नाडा जिले के मध्य मार्गस्थ सुविधाओं का विकास

(ख) गुलबर्गा जिले में मलखेड के पास सड़क के किनारे पर सुविधाओं का विकास

(ग) बीदर जिले में बसावाकल्याण के पास सड़क के किनारे पर सुविधाओं का विकास

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं

(क) मोलाकलमुरू हस्तशिल्प ग्राम का विकास

(ख) बीजापुर विरासत शहर में ग्रामीण विकास स्कीम का विकास

राज्य सरकार को सूचित किया गया कि चूंकि प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन कलस्टर स्कीम वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम हेतु 70.00 लाख रुपए (हार्डवेयर हेतु 50.00 लाख रुपए और सॉफ्टवेयर घटक हेतु 20.00 लाख रुपए) की अधिकतम सीमा के साथ पूर्व की ग्रामीण पर्यटन स्कीम के तहत दो ग्राम ले सकता है। तदनुसार राज्य सरकार ने उपरोक्त दो ग्रामों के प्राथमिकीकरण का अनुरोध किया।

7. **केरल**

मेगा परिपथ

(क) वागामोन – थेक्काडी मेगा परिपथ योजना

परिपथ

(क) पाथनमथिपट्टा में इको पर्यटन परिपथ

गंतव्य विकास

(क) गंतव्य वानियमपारा

(ख) थेनमाला इको-गंतव्य

(ग) कुमाराकोम-कोट्टयम जिले में लेक फ्रंट विकास

(घ) थेक्कडी में प्रस्तावित वाइल्ड केन्द्र

(ङ) मटनचेरी डच पैलेस प्रवेश

आईटी परियोजना

(क) आईटी आधारित विपणन टूल्स

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं

2 ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन का विकास (राज्य सरकार ग्रामों का नाम सूचित करेगी)

राज्य सरकार को सूचित किया गया कि चूंकि प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन कलस्टर स्कीम वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, अतः राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम हेतु 70.00 लाख रुपए (हार्डवेयर हेतु 50.00 लाख रुपए और सॉफ्टवेयर घटक हेतु 20.00 लाख रुपए) की अधिकतम सीमा के साथ पूर्व की ग्रामीण पर्यटन स्कीम के तहत दो ग्राम ले सकता है। तदनुसार राज्य सरकार ने उपरोक्त दो ग्रामों के प्राथमिकीकरण का अनुरोध किया।

8. लक्षद्वीप

(क) कलपेनी द्वीप में इको पर्यटन का विकास

(ख) अंड्रोथ द्वीप में इको पर्यटन का विकास

(ग) कदमत में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(घ) बंगारम में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(ङ) मीनीकोय में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(च) वाटर स्पोर्टस उपकरणों, नोकाओं, कंट्री क्राफ्टों आदि की खरीद

9. महाराष्ट्र

एलआरजी परियोजना

(क) सी वर्ल्ड, भारत-अवसंरचना एवं अन्य सुविधाएं

(ख) कोंकण में वॉलीवुड सिटी-अवसंरचना एवं अन्य सुविधाएं

मेगा परिपथ विकास

(क) नागपुर – चंद्रपुर – वर्धा का मेगा परिपथ विकास

मेगा गंतव्य विकास

(क) लोनर, जिला बुलधाना हेतु मेगा गंतव्य विकास

परिपथ विकास

(क) जलगांव जिले में मेहुन – हरताले – चांगदेव – इदलाबाद – सलबर्दी – उनापदेव परिपथ

(ख) अमरावती – चिखलदारा – रिधापुर – करनजा बहीराम परिपथ

गंतव्य विकास

(क) तीतवाला में गंतव्य विकास

(ख) महाबलेश्वर में जीरो गार्बेज

(ग) देवगढ़ किला, जिला सिंधुदुर्ग का गंतव्य विकास

(घ) दौलताबाद एवं एलोरा जिला, औरंगाबाद पर साउड एवं लाइट शो

(ङ) मुम्बई के मरीन पार्क का गंतव्य विकास

ग्रामीण पर्यटन

(क) अनवान, जिला चंद्रपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना

(ख) हेमलकासा, जिला चन्द्रपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना

(ग) आमखेड़ा, ताल मालेगांव, जिला वाशीम में ग्रामीण पर्यटन परियोजना

एचआरडी

(क) सतारा में होटल प्रबंधन संस्थान

10. पुदुचेरी

परिपथ

(क) नालनकुल्लम, थीरूनल्लर, कराईकल में वॉटर ट्रीटमेंट प्लान

(ख) थीरूनल्लर, कराईकल में पार्किंग और तीर्थ सुविधाएं

गंतव्य

(क) थीरूनल्लर, कराईकल में क्यू काम्प्लेक्स का विकास

(ख) थीरूनल्लर, कराईकल में चार कारों की गली का सुधार कार्य

(ग) सीगुल्स रेस्तरां, पुदुचेरी पर स्वास्थ्य रिजॉर्ट

(घ) पर्यटक स्थलों पर टायलट एवं मोबाइल टायलट सुविधाओं का निर्माण

(ङ) पुदुचेरी में विरासत क्षेत्र का विकास

(च) पुदुचेरी में भारती पार्क का विकास

(छ) पुदुचेरी में विरासत परिसर के स्ट्रीटस्केप्स का सुधार

(ज) पुदुचेरी में बीच विहार स्थल का सौन्दर्यीकरण (चरण-II)

(झ) विल्लनुर, पुदुचेरी में थीरूकामेश्वर मंदिर पर तीर्थ एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास

11. तमिलनाडु

मेगा परिपथ

(क) त्रिची-तंजावूर-कुंभकोनम, मईलाडुथूरई – वइथीश्वरनकोइल – सिरकाजी – चिदम्बरम – विरूद्धचलम – थोजहूथूर, मेगा परिपथ का विकास

परिपथ

(क) गंतव्य विकास स्कीम के तहत थोथुकूडी और तीरूनेलवेली जिले में नवा – तीरूपाथीगल अउैर नावल कईलायम का विकास

गंतव्य

(क) गंतव्य विकास स्कीम के तहत थोथुकूडी जिले में तीरूचेनदूर पर अवसंरचना विकास सुविधाएं

(ख) गंतव्य विकास स्कीम के तहत तीरूनेलवेली जिले में कोर्टल्लम पर पर्यटन अवसंरचना विकास

(ग) मामलापुरम, यूनेस्को द्वारा पहचाने गए विश्व विरासत स्मारक पर समागम केन्द्र का निर्माण

(घ) गंतव्य विकास स्कीम के तहत श्रीविलीपुथुर, विरुद्धनगर जिले का विकास

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) एलआरजी स्कीम के तहत मदुरै में स्वास्थ्य केन्द्र के साथ समागम केन्द्र का निर्माण

मार्गस्थ सुविधाएं

(क) विरुदनगर जिले में साथूर पर मार्गस्थ सुविधाएं

ग्रामीण पर्यटन स्कीम

ग्रामीण पर्यटन स्कीम के तहत राज्य सरकार के दो ग्रामों के कलस्टर को सीएफए प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार मंत्रालय को ग्रामों के नाम प्रदान करेगा।

12. **तेलंगाना**

मेगा परिपथ

(क) वारंगल-करीमनगर मेगा परिपथ

परिपथ

(क) राचकोंडा किला – अरूतला (मंदिर) – रंगापुर वेधशाला – गलीशहीर दर्गा – अलापुरम ग्राम (मंदिर) – नरायणपुर (मंदिर) – सीवान्ना गुडेम रॉक फार्मेशन्स – वैली ऑफ बनजारास परिपथ

गंतव्य

(क) दुर्गाम चेरूवू लेक हैदराबाद का विकास

(ख) हैदराबाद में विरासत थीम पार्क का विकास

(ग) खम्मम जिले के खम्मम किले एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का विकास

(घ) करीमनगर जिले में पर्यटक स्थलों का विकास

(ङ) पानागल, नालागोंडा में पानागल और उदयसमुद्रम में मंदिरों में पर्यटक सुविधाओं का विकास

13. **अरुणाचल प्रदेश**

मेगा परिपथ

(क) भालुकपोंग – बोमडीला एवं त्वांग परिपथ

परिपथ

(क) पासीघाट-जैंगिंग-यिंगाकियोंग-टूटिंग परिपथ में पर्यटक परिपथ का विकास

(ख) टूटिंग गोम्प, अपर सियांग में अवसंरचना विकास

(ग) सिल्लुक, पूर्वी सियांग में पर्यटक लॉज का निर्माण

(घ) सियांग नदी, यिंगाकियांग में एडवेंचर राफ्टिंग एक्सीस का निर्माण

(ङ) पर्यटक परिपथ-जीरो-कुरूंग कुमेय परिपथ का विकास

(च) लोअर सुबनसिरी में तालो गेगो में पर्यटक परिपथ का निर्माण

(छ) याप होगुइन कुरूंग कामेय में पर्यटक लॉज का निर्माण

(ज) इटानगर-जीरो-दापोरीजो-आलो-पासीघाट परिपथ में पर्यटक परिपथ का विकास

(झ) डेली-डी-रीजो, दुमपोरिजो में पर्यटक रीजो, दुमपोरिजो में पर्यटक रिजॉर्ट का विकास

(ञ) ताराजुली, पापुमपारे में एकीकृत पर्यटक सेंटर का विकास

(ट) दुमपेरिजो में रिवर राफ्टिंग

गंतव्य

(क) लोअर दिबांग वैली में समक कोरोंग के नदी किनारे इको पर्यटन रिजॉर्ट का निर्माण

(ख) हुरू पहार रोइंग पर इको-पर्यटन का निर्माण

(ग) पेमाजीलिंग मेचूका, पश्चिम सियांग जिले पर विरासत स्थल का विकास

ग्रामीण पर्यटन

(क) दोलुम ग्राम, अपर सुबनसिरी जिले में ग्रामीण पर्यटन का विकास

(ख) दोलुम ग्राम, लोअर सुवनसिरी जिले में ग्राम पर्यटन का विकास

आईटी परियोजना

(क) अरुणाचल प्रदेश के संवर्धन हेतु आईटी प्रस्ताव

प्रचार परियोजना

(क) पर्यटन से संबंधित विभिन्न विषयों पर ब्रोशर, लिफलेट, डाक्यूमेंट्री/फिल्म, सीडी, मैप आदि सहित प्रचार सामग्री तैयार करना एवं इसका उत्पादन

मेले एवं उत्सव

(क) मेनचूका उत्सव

(ख) बामेंग में नयोकुल येलो उत्सव

(ग) ड्री उत्सव

14. **असम**

मेगा परिपथ

(क) चिरांग-बारपेटा-नलबारी-गुवाहाटी-मोरीगांव, नगांव-सोनीतपुर-त्वांग मेगा एनई परिपथ का विकास

मेगा गंतव्य

(क) कालामाटी (भारत-भूटान सीमा) चिरांग में पर्यटक सुविधाओं का विकास

परिपथ

(क) गुवाहाटी में और उसके आस-पास तीर्थ परिपथ का विकास

(ख) असम के बराक वैली जिले में प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर अवसंरचना विकास

(ग) असम में वैशनाविते परिपथ का विकास (चरण-I)

(घ) असम में सुअलकुची-दारंग-सोनितपुर-समगुरी परिपथ का विकास

(ङ) सीवसागर में ऐतिहासिक व विरासत केन्द्रों पर पर्यटक अवसंरचना का विकास (चरण-I)

गंतव्य

(क) ब्रह्मपुत्र नदी के पास तेजपुर में इको-पर्यटन परियोजना

(ख) चम्पा नदी के पास इको-पर्यटन परियोजना

(ग) बोडोलैंड में शहीदों के कब्रिस्तान के पास पर्यटक स्पॉट का विकास

(घ) गोलाघाट में अवसंरचना एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास

(ङ) नोटिया खल, करीमगंज में पर्यटन सुविधाओं का विकास

ग्रामीण पर्यटन

(क) बहागारे देउरी ग्राम

(ख) नाहरकाटिया ग्राम

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र

आईटी परियोजना

(क) असम पर्यटन हेतु आईटी परियोजना

मेले और उत्सव

(क) पारम्परिक संगीत उत्सव, असम — 25.00 लाख रुपए

(ख) बोडो राष्ट्रीय उत्सव — 10.00 लाख रुपए

(ग) दीब्रूगढ़ उत्सव — 5.00 लाख रुपए

(घ) मजूली उत्सव — 5.00 लाख रुपए

(ङ) दौल उत्सव — 5.00 लाख रुपए

15. **मणिपुर**

मेगा परियोजना

(क) मणिपुर के इम्फाल शहर में एवं उसके आस-पास पर्यटन अवसंरचना प्रदान करना

परिपथ

(क) हियनथांग मंदिर, हेईनोकचिंग और समीपवर्ती क्षेत्रों के आस-पास पर्यटक परिपथ का विकास

(ख) इम्फाल में विश्व युद्ध-II संग्रहालय स्थापित करने सहित विश्व युद्ध-II पर्यटक परिपथ

गंतव्य

(क) साडू चीरू जलप्राप्त में पर्यटक गंतव्य

(ख) लोडकोपत, विष्णुपुर जिले में पर्यटक गंतव्य

(ग) मइबम लोकपाचिंग और आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटक गंतव्य

(घ) सिंगडा डैम और समीपवर्ती क्षेत्रों में पर्यटक गंतव्य

(ङ) इम्फाल में आइरांग वाटर बाडी एवं समीपवर्ती मानीचित्रपुखरी हिल्स पर पर्यटक गंतव्य

(च) आन्द्रो पर पर्यटक गंतव्य

ग्रामीण पर्यटन

(क) ग्राम रईया

(ख) ग्राम थवाई

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) इम्फाल पूवे के नोंगमाइचिंग में 18 होल गोल्फ कोर्स एवं पर्यटक रिजार्ट का विकास

मानव संसाधन विकास

(क) थाउबल जिले में भोजन कला संस्थान (एफसीआई) का विकास

सूचना प्रौद्योगिकी

(क) मणिपुर पर्यटन के संवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना

प्रचार एवं विपणन

(क) पर्यटन से संबंधित विभिन्न विषयों पर ब्रोशर, लिफलेट, डाक्यूमेंट्री/फिल्म, सीडी, मैप आदि सहित प्रचार सामग्री को तैयार करना एवं उनका उत्पादन

उत्सव

(क) मणिपुर संगाई उत्सव, 2014

(ख) युवा एडवेंचर एवं वाटर स्पोर्ट्स उत्सव

16. मेघालय

मेगा परियोजना

(क) उमियम, री भोई जिला (बारापानी) पर मेगा पर्यटन गंतव्य (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

गंतव्य

(क) महेन्द्रगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों में मार्गस्थ सुविधाएं (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ख) मनकाचर, पश्चिम गारो हिल्स में गंतव्य विकास (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ग) मउमुलह, पूर्व खास हिल्स में गंतव्य विरासत ग्राम (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(घ) लांगकावेट, पयनुरसला, पूर्व खासी हिल्स (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) शिलांग व्यू प्वाइंट से सेरीकलचर फार्म, मदन लबन पर केबल कार (रोपवे परियोजना) लगभग लम्बाई 1.2 कि. मी. (वर्ष 2013-14 में गंतव्य के तहत परियोजना को प्राथमिकता प्रदान की गई)

ग्रामीण पर्यटन

(क) सोहपेटबनेंग

(ख) उमडेल

मेले एवं उत्सव

(क) बेहदीएनखलम उत्सव

(ख) 100 ड्रम बांग्ला उत्सव

(ग) नोंगकरेम नृत्य

17. मिज़ोरम

मेगा परियोजना

(क) शान्ति मेमोरियल पार्क

परिपथ

(क) पर्यटक परिपथ रॉपुइच्चिप, नगहलचवम आदि

(ख) पर्यटक परिपथ राजीव नगर-मरपारा आदि का विकास (मामित जिला)

गंतव्य

(क) बकतवांग से गंतव्य विकास

(ख) संस्कृति/विरासत गंतव्य, आइजवाल का विकास

प्रचार एवं विपणन

(क) प्रचार एवं प्रकाशन-काफी टेबल बुक, फोल्डर, डाक्यूमेंट्री, ब्रोशर आदि

ग्रामीण पर्यटन

(क) फुलपुई

(ख) लुआंगपान

उत्सव

(क) एनथूरियम उत्सव

(ख) थालफावांग फुट

(ग) लयुवा खुटला

(घ) व्यंजन उत्सव/पैरागलाइडिंग इवेंट

18. नागालैंड

परिपथ

(क) लोंगसा-चारे-लोंगखुम-हैलीपोंग-तुवेंगसांग

(ख) नागिनीमोरा-वाजसीबुग-मोन-चेनमोहा

(ग) नया सचिवालय-सेनडेनयू-तेरोग्यूनयू-तेसोफेनयू-क स्टेशन-असूकीखा

(घ) नागा युनाइटेड विलेज-शोक्सुवी-जुटोवी-एक्सयेकी

(ङ) डीजू-यू-चखाबामा-केकरूमा-लांगमातरा-लिखिमरो

गंतव्य

(क) मकोकचुंग में लोंगसा पर एकीकृत पर्यटक गंतव्य

(ख) राज्हाफेमा बासा, दीमापुर में एकीकृत पर्यटक गंतव्य

(ग) जखामा, कोहिमा में एकीकृत पर्यटक गंतव्य

(घ) चुमुकेडिमा में एकीकृत पर्यटक गंतव्य

ग्रामीण पर्यटन

(क) मोन में सागनयू ग्राम

(ख) मकोकचुंग में चूचूयीमलांग ग्राम

(ग) दीमापुर में सेइथेकिमांओल्ड ग्राम

एचआरडी

(क) नीउलैंड में भोजन कला संस्थान

उत्सव

(क) आओलिआंग उत्सव, कोनयाक

(ख) मीउ उत्सव, खीआमुनिउनगान

(ग) तुलुनयी

कार्यक्रम

(क) हार्नबिल उत्सव

(ख) नागा नाइट

19. ओडिशा

मेगा परियोजना

(क) पुरी, श्री जगन्नाथ धाम (नवाकालेबर) 21015 हेतु — रामाचांदी — धौली में अवसंरचना विकास

परिपथ

(क) कोरापुट-देवमाली-सुनाबेड़ा-गुप्तेश्वर

(ख) पतारा-हरिशंकर-नीरूसिंगनाथ

गंतव्य

(क) महानदी के रिवर फ्रंट विकास सहित हीराकुड में थीम गार्डन (मनोरंजन पार्क)

(ख) तारातरीनी पिथा, गंजम का विकास

एचआरडी

(क) गंजम जिले में भोजन कला संस्थान

ग्रामीण पर्यटन

(क) दसीयाबाउरीपिथ, पुरी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना

(ख) सदाईबरिनी, धनकनल में ग्रामीण पर्यटन परियोजना

मेले और उत्सव

(क) कोणार्क उत्सव, 2014 (दिसम्बर 1-5)

(ख) मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव, 2015 (जनवरी 14-16)

(ग) राजारानी संगीत उत्सव, 2015 (जनवरी 18-20)

(घ) परब जनजातिय उत्सव, कोरापुट, 2014 (नवंबर 16-18)

(ङ) धानू यात्रा (सबसे बड़ा ओपन-एयर थियेटर), बारगढ़

20. सिक्किम

मेगा परियोजना

(क) रांगपो (प्रवेश) — रोराथांग-खेनॉक-रोनगली-फादमचेन-जुलूक-कुपूक-बाबा मंदिर-शेराथांग-गंगटोक-काबी-फोडोंग-लबरंग-मनगान-तुंग-चुंगथांग-लाचेन-लाचुंग-गंगटोक (निकास) को जोड़ने वाले मेगा पर्यटक परिपथ का विकास

परिपथ

(क) उत्तरी सिक्किम में पर्यटक परिपथ-चुंगथाग-लाचुंग-युमथांग का विकास (पुनः प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ख) दक्षिण सिक्किम में पर्यटक परिपथ-चियादारा-फालीदारा-फोंगला-मेललीदारा-यांगाम का विकास (पुनः प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ग) पूर्व सिक्किम में पेनलोंग-रैंकडोंग-टिनटेक-टूमिन-खामडोंग-सामडोंग-सांग-रानका-सीचे-रानीपूल-पाकयोंग-रोराथांग के किनारे पर्यटक परिपथ का विकास

(घ) दक्षिण सिक्किम में मागले-श्रीपटम-लिंगमू-लिनगी-माखा के किनारे पर्यटक परिपथ का विकास

गंतव्य

(क) दक्षिण सिक्किम में मजहीतार पर पर्यटक अवसंरचना का विकास

(ख) उत्तरी सिक्किम में लिंगडेम हॉट स्प्रिंग, सैवन सिस्टर फाल और रोकसोक में पर्यटक गंतव्य का विकास

(ग) मानगले, दक्षिण सिक्किम में पर्यटक गंतव्य का विकास

(घ) पश्चिम सिक्किम के पेलिंग में पर्यटक गंतव्य का विकास

वृहत राजस्व सृजक स्कीम

(क) दक्षिण सिक्किम के लिंगमू — लिंगी में अंतर्राष्ट्रीय थीम परियोजना/पार्क

सूचना तकनीक

(क) सिक्किम में पर्यटन सुविधाओं के संवर्धन हेतु आईटी प्रस्ताव

प्रचार एवं विपणन

(क) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया, टीवी चैनल, रोड शो और प्रकाशन (ब्रोशर, फ्लायर, पोस्टर, डायरेक्टरीज, सीडी) आदि के माध्यम से पर्यटकों के मध्य राज्य की पर्यटक संभावना को शोकेस करने हेतु व्यापक प्रचार

ग्रामीण पर्यटन

(क) पश्चिम सिक्किम में रीबडी बारंग

(ख) दक्षिण सिक्किम में कामरंग पोकलोक

मेले और उत्सव

(क) माघे मेला 13-14 जनवरी, 2015

(ख) पांग लहाबसोल 9 सितम्बर, 2014

(ग) एथनिक उत्सव (तिथि बाद में दी जाएगी)

(घ) विश्व पर्यटन दिवस 27 सितम्बर, 2014

21. त्रिपुरा

मेगा परिपथ

मेगा गंतव्य परियोजना नीर महल वाटर पैलेस का विकास

परिपथ

(क) बौद्ध परिपथ का विकास (मानूबैंकुल, पिलक-बोक्सानगर एवं विपासना माचमारा)

(ख) एनएच-44 के किनारे मार्गस्थ सुविधाओं का परिपथ विकास

गंतव्य

(क) आईटीडीसी के माध्यम से उज्जयन्ता पैलेस, अगरतला पर लाइट एवं साउंड शो का गंतव्य विकास

(ख) अखउरा अगरतला में बार्डर सेरेमनी के लिए अवसंरचना का गंतव्य विकास

(ग) गोलाघाटी का गंतव्य विकास

(घ) चाबीमूरा-बांधूअर पर गंतव्य विकास

22. पश्चिम बंगाल

मेगा परिपथ

(क) दीघा-उदयपुर-शंकरपुर-मंदरमई-ताजपुर-जूनपुट

परिपथ

(क) बांकुरा-झीलमिल-मुकुटमोनीपुर

(ख) सुन्दरबन का पश्चिमी भाग-फ्रेजरगंज बाखली-हेनरी द्वीप-गंगासागर

गंतव्य

(क) दाबू (सुंदरबन का पश्चिमी भाग), दक्षिण 24 – परगना

(ख) गोवर्धनपुर में इको-पर्यटन परियोजना (सुन्दरबन का पश्चिमी भाग)

ग्रामीण पर्यटन

(क) बरातोचारी ग्राम में ग्रामीण पर्यटन

(ख) पुरूलिया जिले के गृहपंचकोट में ग्रामीण पर्यटन

23. **बिहार**

मेगा परिपथ

(क) मेगा इको पर्यटन परिपथ के रूप में नालंदा-टेलाहारा-बराबर गुफाओं का विकास

परिपथ

(क) राम जानकी मार्ग (रामायण परिपथ) और सीतामढ़ी के आस-पास के क्षेत्रों का विकास (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ख) विरासत पर्यटन परिपथ-दरभंगा, राजनगर मधुबनी का विकास

(ग) सुफी परिपथ – परिपथ-दरभंगा, राजनगर, मधुबनी, बीबी कमाल का मकबरा, काको, जहानाबाद; हसनपुरा में मखदुम सेयद हुसैन, सिवान और साथी, बेतिया का विकास

(घ) देकुली धाम (शिवहर), सुकेश्वर स्थान (सीतामढ़ी) और हरिहर स्थान (सोनपुर) का विकास

गंतव्य

(क) दरभंगा (हरिहर, दीघी एवं गंगा सागर) में झीलों का विकास (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ख) बोधगया में बोधी मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों का उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण (अंडरग्राउंड केबलिंग सहित)

(ग) विष्णुपद मंदिर, गया में विकास और मूल सुविधाएं

(घ) सोनपुर में मेला काम्प्लेक्स का विकास

(ङ) वैशाली के कमलदह सरोवर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण

मेगा-क्राफ्ट मेला

(क) सुरजकुंड मेला की तर्ज पर सोनपुर में मेगा क्राफ्ट उत्सव का आयोजन करना – 30 लाख रुपए

मेले एवं उत्सव

(क) सोनपुर मेला – 15 लाख रुपए

(ख) राजगीर महोत्सव – 10 लाख रुपए

(ग) बौद्ध महोत्सव – 10 लाख रुपए

(घ) पटना साहिब महोत्सव – 10 लाख रुपए

(ङ) मनेर शरीफ महोत्सव

सूचना तकनीक

(क) पर्यटन विभाग, बिहार सरकार में आईटी अवसंरचना का विकास – 50 लाख रुपए

24. **चंडीगढ़**

मेगा परियोजनाएं

(क) मेगा गंतव्य के तहत चंडीगढ़ का विकास (25.00 करोड़ रुपए)

(ख) पर्यटक काम्प्लेक्स और मार्गस्थ सुविधाएं (25.00 करोड़ रुपए) राज्य स्तर के परामर्शदाता (एसएलसी) द्वारा एकीकृत गंतव्य/परिपथ विकास परियोजना तैयार की गई है।

गंतव्य/परिपथ

(क) सेक्टर 17 चंडीगढ़ के मुख्य शापिंग सेंटर में मल्टीलेवल पार्किंग (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ख) मुख्य शापिंग सेंटर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में अल्ट्रा फास्ट म्यूजिकल फाउंटेन के साथ वाटर स्क्रीन पर मल्टी मीडिया लेजर शो (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(ग) रॉक गार्डन का प्रदीप्तिकरण (पुन: प्राथमिकता प्रदान की गई)

(घ) कालाग्राम में अवसंरचना विकास (पुनः प्राथमिकता प्रदान की गई)

मेले/उत्सव

(क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के स्थान पर 30.00 लाख रुपए के कुल सीएफए हेतु अधिकतम छह मेले और उत्सवों को योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी।

25. छत्तीसगढ़

मेगा गंतव्य/परिपथ परियोजनाएं

(क) मेगा इको पर्यटक गंतव्य के रूप में गंगराल डैम का विकास

(ख) सीरपुर-कोडार-रायपुर-तानडूला मेगा इको पर्यटक परिपथ

गंतव्य/परिपथ परियोजनाएं

(क) रायपुर में समागम केन्द्र का निर्माण

(ख) मेनपट – में कैम्पिंग एवं कारवां और पार्कों का गंतव्य विकास

(ग) चित्रकूट – में कैम्पिंग एवं कारवां और पार्कों का गंतव्य विकास

(घ) गीराधपुरी का गंतव्य विकास

(ङ) बिलासपुर-रायपुर-जगदलपुर परिपथ के किनारे मार्गस्थ सुविधा का विकास

प्रचार एवं संवर्धन

(क) पर्यटन डाक्यूमेंटरी फिल्म एवं टीवी विज्ञापनों का निर्माण करना

साउंड एवं लाइट शो परियोजना

(क) सीरपुर (जिला महासमुंद)

(ख) भोरामदेव (जिला कावर्धा)

आईटी परियोजना

(क) पर्यटन संबंधी गतिविधियों हेतु विभिन्न अद्यतन साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरी करना

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं

(क) जिला जयपुर

(ख) जिला महासमुंद

(ग) जिला दुर्ग

(घ) मेले एवं उत्सव

(ङ) सीरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत उत्सव (जनवरी, 2015)

(च) बस्तर दशहरा-लोकोत्सव (अक्तूबर-नवम्बर, 2014)

(छ) बारसूर महोत्सव (फरवरी-मार्च, 2015)

26. दिल्ली

गंतव्य

(क) जनकपुरी फेज में दिल्ली हाट का विकास

(ख) पर्यटक स्वागत केन्द्र का विकास

(ग) नंदप्रयाग में पर्यटन गंतव्य का विकास

मेले एवं उत्सवः

(क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर 50.00 लाख रुपए के कुल सीएफए हेतु अधिकतम छह मेलों एवं उत्सवों को योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी।

आईटी अनुप्रयोगः

(क) निम्नलिखित हेतु एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)

(ख) पर्यटन गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण

(ग) पुराने हार्डवेयर को बदलना

27. हरियाणा

मेगा परिपथ

(क) नारनौल – महेन्द्रगढ़ – माधोगढ़

परिपथ

(क) करनाल में ऐतिहासिक महत्व के स्थान

(ख) मल्लाह – मोरनी हिल्स – टिक्करताल

मेले एवं उत्सवः

(क) सुरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला (1-15 फरवरी, 2014)

(ख) पिंजौर विरासत उत्सव (नवम्बर/दिसम्बर, 2014)

(ग) गीता जयन्ती उत्सव (नवम्बर/दिसम्बर, 2014)

(घ) मैंगो मेला (जून/जुलाई, 2014)

(ङ) वार्षिक कपाल मोचन मेला, 2014

28. हिमाचल प्रदेश

परिपथ

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रमुख कर्नाटक परिपथ शिमला-कांगड़ा-कुल्लू-ऊना में थीम पार्कों का एकीकृत विकास

(ख) हिमाचल प्रदेश के चैल मनाली, पालपुर, फागू एवं चिंदी में मैडिकेशन सेंटर का एकीकृत विकास

गंतव्य

(क) हिमाचल प्रदेश में पर्यटक गंतव्य के रूप में सीरमौर चूरधर चौपाल का एकीकृत विकास

(ख) हिमाचल प्रदेश में चम्बा खजीयार डलहौजी का एकीकृत विकास

(ग) वेबसाइट चरण-II का उन्नयन

29. झारखंड

(क) मालौती (दुमका) का गंतव्य विकास

(ख) इटखोरी (चतरा) का गंतव्य विकास

(ग) बरकागांव (हजारीबाग) का गंतव्य विकास

(घ) राजमहल (साहेबगंज) का गंतव्य विकास

(ङ) मार्गस्थ सुविधाएं (लोहरदगा के बाहरी इलाके)

(च) रामगढ़, हजारीबाग रोड पर मार्गस्थ सुविधाएं

(छ) हजारीबाग में मार्गस्थ सुविधाएं

(ज) धनबाद-जीटी रोड पर मार्गस्थ सुविधाएं

(झ) चक्राधारपुर (पश्चिम सिंगभूम) के साथ मार्गस्थ सुविधाएं

(ञ) विष्णुपुर (गुमला) में ग्रामीण पर्यटन

(ट) नेतरहाट (लातेहर) में ग्रामीण पर्यटन

(ठ) बेतला (लातेहर) में ग्रामीण पर्यटन

30. मध्य प्रदेश

पीआईडीडीसी परियोजना:

(क) मेगा परिपथ विकास परियोजना – रीवा

(ख) मेगा गंतव्य विकास परियोजना – ग्वालियर

(ग) परिपथ विकास दत्तिया

(घ) अक्षय ऊर्जा हेतु सुविधा का विकास

(ङ) परिपथ विकास शाहजापुर – आगर

(च) गंतव्य विकास – झाबूआ

(छ) गंतव्य विकास – अलीराजपुर

मेले एवं उत्सव:

(क) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर 50.00 लाख रुपए के कुल सीएफए हेतु अधिकतम छह मेले एवं उत्सवों को योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी।

31. पंजाब

(क) करतारपुर, डेरा बाबा नानक, तरन तारन सहित सिख परिपथ-II का विकास – 8.00

(ख) नाभा, संगरूर, पटियाला सहित दरबार परिपथ का विकास – 8.00 करोड़ रुपए

(ग) मालेर कोटला का गंतव्य विकास – 5.00 करोड़ रुपए

(घ) (1) अमृतसर जिला (2) एनए-1 (अटारी तक शम्भू बैरियर) (3) एनएच1ए (जलंधर से पठानकोट) तक मार्गस्थ सुविधाओं का विकास – 4.00 करोड़ रुपए

ग्रामीण पर्यटन

(क) बहादुर, जिला रोपड़

(ख) तिब्बा तपारियन, जिला रोपड़

मेले एवं उत्सव

(क) सूफी उत्सव, अमृतसर 20.00 लाख रुपए

(ख) किला रायपुर, स्पोर्ट्स मेला, लुधियाना – 10.00 लाख रुपए

(ग) सांस्कृतिक/शिल्प मेला, चाप्पर छिरी, मोहाली — 10.00 लाख रुपए

(घ) हरवल्लभ संगीत सम्मेलन — 10.00 लाख रुपए

32. राजस्थान

मेगा परियोजना

(क) मेगा मरूस्थल परिपथ — जैसलमेर — जोधपुर — बीकानेर — साम्भर वाली माउंट आबू 50.00 करोड़ रुपए। यह परियोजना एनएलसी रिपोर्ट में भी शामिल है इसके साथ ही वर्ष 2010-11 में प्राथमिकता प्राप्त मेगा मरूस्थल परिपथ में भी है।

परिपथ

(क) मेवाड़ काम्प्लेक्स परिसर — 8.00 करोड़ रुपए

(ख) झालावाड़ — बारन — बुनदीस हेतु हडोती परिपथ — 8.00 करोड़ रुपए

(ग) सवाई माधोपुर करौली का विकास — 8.00 करोड़ रुपए

(घ) भरतपुर — वैर — डीघ का विकास — 8.00 करोड़ रुपए

गंतव्य

(क) एक गंतव्य के रूप में धौलपुर का विकास — मचकुंड में लाइट एवं साउंड शो

(ख) सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर का विकास — 5 करोड़ रुपए

(ग) शेखावाटी का विकास — 5 करोड़ रुपए

मेले एवं उत्सव और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु स्कीम (डीपीपीएच)

(क) राजस्थान में मेले एवं उत्सव/कार्यक्रम का आयोजन करना 50 लाख रुपए

33. उत्तराखंड

गंतव्य

(क) चकराता, जिला देहरादून में इको-पर्यटन का विकास

(ख) झारीपानी और झारीपानी फाल्स, मसूरी, जिला देहरादून में लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाओं के साथ इको-पर्यटन का विकास

(ग) दुग्गलबीत्ता और चोपता, जिला रूद्रप्रयाग में इको पर्यटन गंतव्य का विकास

परिपथ

(क) टिहरी झील शोर शैलाकोट, संधाना, मदन नेगी, खांड और गनोली, जिला टिहरी में पर्यटक अवसंरचना सहित लैंडितंग सुविधा के साथ इको पर्यटन परिपथ का विकास

(ख) खानीज नगर, लाम्बीधार और हाथ पांव (जार्ज एवरेस्ट) परिपथ, मसूरी, जिला देहरादून में इको पर्यटन और फिल्म पर्यटन हेतु एकीकृत पर्यटन अवसंरचना

(ग) बेरीनाग (लामकेशवर) चोकोरी — गंगोलीहाट (पाताल भुवनेश्वरी) पर्यटन परिपथ, जिला पिथौरागढ़ का विकास

(घ) पांच बद्री विरासत परिपथ, जिला रूद्रप्रयाग और चमोली का एकीकृत पर्यटन अवसंरचना विकास

मेगा परिपथ

(क) उत्तराखंड (टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, उ त्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, अलमोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि) में राजमार्ग पर लिंग आधारित मार्गस्थ सुविधाएं और पार्किंग सहित एकीकृत क्षेत्रों का ले बाई एरियाज द्वारा विकास

एक जनजातीय पर्यटन परिपथ — 8 करोड़ रुपए

एसआईएचएम, रामनगर, कुमाऊं — पुनः प्राथमिकता प्रदान की गई

मेले एवं उत्सव, जिन पर डीपीपीएच स्कीम दिशा-निर्देशों के तहत विचार किया जाएगा:

स्की एवं आईस स्केटिंग कार्निवल

टिहरी वॉटर स्पोर्ट्स उत्सव

अंतर्राष्ट्रीय योगा सप्ताह

शरद उत्सव

एडवेंचर फेस्टिवल

विवरण-III

2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.8	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.7	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.1	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.3	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.4	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.7	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	5	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.8	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.8	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.5	5	29.80	1	33.71
15.	झारखंड	33	171.2	27	112.86	45	85.47
16.	जम्मू और कश्मीर	6	48.2	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.8	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	22	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.8	6	79.64	6	67.95

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मणिपुर	5	30.7	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.5	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.9	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.4	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.5	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	12	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.3	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.4	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.5	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.2	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.8	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.4	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.7	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.8	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.7	136	929.84	261	1801.54

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और मेले एवं उत्सव और ग्रामीण पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

जैव-उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाना

***220. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री सुवेन्दू अधिकारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में जैव-ऑर्गेनिक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ और इनकी मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी भूमि में जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में जैव-गांव सृजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) और (ख) सरकार, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों तथा आईसीएआर के अंतर्गत जैविक कृषि

नेटवर्क परियोजना के माध्यम से देश में जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों के उत्पाद को बढ़ावा दे रही है।

एनएमएसए के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) घटक के अंतर्गत, जैव/ऑर्गेनिक उर्वरकों सहित जैविक आदानों के संवर्धन हेतु प्रति हैक्टेयर 5,000/- रुपए की सीमा के अध्याधीन लागत के 50% तक, तथा प्रति लाभार्थी 10,000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, कृषि सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु अधिकतम 63.00 लाख रुपए के अध्यधीन वित्तीय परिव्यय के 33% तक और जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों हेतु 40.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वित्तीय परिव्यय की 25% वित्तीय सहायता, नाबार्ड के माध्यम से पाश्र्वांत राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 56 जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयों तथा 17 कृषि/सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। देश में जैव-उर्वरकों तथा ऑर्गेनिक उर्वरकों के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा II में दिए गए हैं।

(ग) देश में ऑर्गेनिक उर्वरकों के अंतर्गत लाई गई भूमि का कुल राज्य-वार क्षेत्र संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एनएमएसए के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के अंतर्गत, ऑर्गेनिक एवं अपनाने के लिए अधिकतम 10.0 लाख रुपए प्रतिगांव 10 गांव/वर्ष/राज्य की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-I

देश में जैव-उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न वर्षों के दौरान जैव-उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन मी. टन में			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	999.60	1126.35	1335.74	2137.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	59.00
3.	असम	130.00	68.33	89.00	149.00
4.	बिहार	136.26	75.00	52.40	52.40
5.	छत्तीसगढ़	0.00	276.34	501.63	664.79
6.	दिल्ली	1205.00	1617.00	0.00	396.00
7.	गुजरात	6318.00	2037.35	978.48	2173.71
8.	गोवा	443.40	0	370.00	66.26
9.	हरियाणा	6.53	914.41	5832.61	1029.79
10.	हिमाचल प्रदेश	9.00	1.29	0.00	6.44
11.	झारखंड	0ए00	8.38	35.30	14.20
12.	कर्नाटक	6930.00	5760.32	7683.72	9146.34
13.	केरल	3257.00	904.17	1045.64	1139.74
14.	मध्य प्रदेश	2455.57	2309.06	1408.08	3124.54

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	2924.00	8743.69	5897.91	5719.74
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	2.00	0.00	0.00	4.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	21.50	13.00	7.45	7.45
20.	ओडिशा	357.66	590.12	407.10	1083.12
21.	पंजाब	2.50	692.22	2311.33	1916.43
22.	पुदुचेरी	783.00	509.45	621.00	52.36
23.	राजस्थान	819.75	199.78	982.00	1315.00
24.	सिक्किम	0.00	0.00	9.50	10.10
25.	तमिलनाडु	8691.00	3373.81	11575.70	12964.78
26.	त्रिपुरा	850.00	1542.85	514.00	225.00
27.	उत्तर प्रदेश	1217.45	8695.08	1310.02	2578.94
28.	उत्तराखंड	45.00	263.01	2758.21	4195.71
29.	पश्चिम बंगाल	393.39	603.20	1110.00	1638.69
	कुल	37997.61	40324.21	46836.82	51870.67

स्रोत: एनसीओएफ (उत्पादन इकाइयों/राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े) द्वारा संकलित।

विवरण-II

देश में ऑर्गेनिक उर्वरकों के उत्पादन का राज्य-वार कुल उत्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	118.450	106.000	97.650
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1261	0.0123	0.430
3.	असम	5.8572	2.850	880.908
4.	बिहार	66.250	66.250	11.910
5.	छत्तीसगढ़	144.480	129.150	103.290

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	—	—	0.666
7.	गुजरात	40.000	363.500	366.70
8.	गोवा	3.9045	4.304	4.710
9.	हरियाणा	18.400	18.400	18.400
10.	हिमाचल प्रदेश	40.550	40.550	40.550
11.	जम्मू और कश्मीर	22.2071	22.207	22.2071
12.	झारखंड	23.000	234.450	23.000
13.	कर्नाटक	1442.090	1108.620	1560.640
14.	केरल	131.870	84.890	11.945
15.	मध्य प्रदेश	136.000	136.000	136.000
16.	महाराष्ट्र	95.470	0.820	95.470
17.	मणिपुर	0.500	0.500	0.500
18.	मिज़ोरम	0.2150	0.080	0.081
19.	मेघालय	0.950	10.574	14.900
20.	नागालैंड	0.1615	0.1615	0.729
21.	ओडिशा	131.826	11.491	19.857
22.	पंजाब	379.620	341.290	342.080
23.	पुदुचेरी	—	—	—
24.	राजस्थान	294.521	294.521	380.820
25.	सिक्किम	27.600	0.0058	0.150
26.	तमिलनाडु	56.390	8.370	56.390
27.	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000
28.	उत्तर प्रदेश	327.786	327.786	0.086
29.	उत्तराखंड	0.385	10.640	0.385
30.	पश्चिम बंगाल	162.840	162.840	162.840
	कुल	3671.449	3486.263	4353.294

स्रोत: एनसीओएफ (उत्पादन इकाइयों/राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े) द्वारा संकलित।
(ऑर्गेनिक उर्वरकों में ग्रामीण कम्पोस्ट, शहरी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, एफवाईएम, हरी खाद आदि शामिल है।)

विवरण-III

देश में ऑर्गेनिक उर्वरकों के प्रयोग के तहत कुल क्षेत्र का राज्य-वार विवरण

(लाख हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किया गया क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.820
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9256
3.	असम	1.079
4.	बिहार	7.100
5.	छत्तीसगढ़	21.562
6.	दिल्ली	—
7.	गुजरात	18.800
8.	गोवा	0.4018
9.	हरियाणा	2.895
10.	हिमाचल प्रदेश	5.1012
11.	जम्मू और कश्मीर	118.89124
12.	झारखंड	2.500
13.	कर्नाटक	84.418
14.	केरल	34.362
15.	मध्य प्रदेश	14.400
16.	महाराष्ट्र	10.270
17.	मणिपुर	0.050
18.	मिज़ोरम	0.05424
19.	मेघालय	0.084
20.	नागालैंड	0.0092
21.	ओडिशा	22.830
22.	पंजाब	36.009
23.	पुदुचेरी	—
24.	राजस्थान	33.446
25.	सिक्किम	0.515
26.	तमिलनाडु	11.803
27.	त्रिपुरा	—
28.	उत्तर प्रदेश	35.378
29.	उत्तराखंड	0.380
30.	पश्चिम बंगाल	70.450
	कुल	547.53428

स्रोतः एनसीओएफ द्वारा (उत्पादन इकाइयों/राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े) संकलित।

[हिन्दी]

मत्स्यन पत्तन

1653. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मत्स्यन पत्तनों, जिनमें अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का अभाव है, की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कतिपय समुद्रतटीय राज्यों में मत्स्यन पत्तनों के सर्वेक्षण हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नए मत्स्यन पत्तनों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय अपने एक अधीनस्थ कार्यालय, नामतः, मात्स्यिकी हेतु केंद्रीय तटवर्ती इंजिनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बेंगलूरु के माध्यम से देश की तटरेखा पर मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के रूप में विकसित करने

के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए निवेश-पूर्व अध्ययन आयोजित करने हेतु तटवर्ती राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विभाग इस संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के निर्माण के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग तथा आर्थिक जांच के लिए तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईआईआर) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2011-12 से 2013-14 तक) के दौरान तथा वर्तमान वर्ष (2014-15) में भी विभिन्न तटवर्ती राज्य सरकारों, नामत: गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सीआईसीईएफ, बंगलौर आवश्यक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रस्तावों को तैयार करने के लिए इन जरूरतमंद राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित मत्स्यन बंदगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों की जगह
1	2	3
1.	गुजरात	मंगरोल मत्स्यन बंदरगाह चरण-III का विकास
2.	महाराष्ट्र	वरसोवा मत्स्यन बंदरगाह
		रत्नागिरी मत्स्यन बंदरगाह चरण-II
3.	कर्नाटक	मजली मत्स्यन बंदरगाह
		केनी मत्स्यन बंदरगाह
		हेजामादी कोदी मत्स्यन बंदरगाह
		कुलाई मत्स्यन बंदरगाह
		बेलामबार मत्स्यन बंदरगाह
4.	तमिलनाडु	पूम्पुहार मत्स्यन बंदरगाह
5.	आंध्र प्रदेश	उपालंका मछली उतारने के केंद्र
		बियापुथिप्पा मछली उतारने के केंद्र
		जुवालादिन्ने मत्स्यन बंदरगाह
		वोदारेहु मत्स्यन बंदरगाह
		उप्पदा मत्स्यन बंदरगाह
		रालापेटा मछली उतारने के केंद्र
		मंछीनीलापेटा मछली उतारने के केन्द्र
6.	ओडिशा	चूड़ामणि मत्स्यन बंदरगाह
7.	केरल	पुथियप्पा मत्स्यन बंदरगाह चरण-II
8.	पुदुचेरी	पेरियाकालापेट मछली उतारने के केंद्र
		नालावादु मछली उतारने के केंद्र
		आराईकमेदु मछली उतारने के केंद्र

बायो-डीजल को बढ़ावा देना

1654. श्रीमती कमला पाटले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने रतनज्योत (जेट्रोफा) पौध की खेती में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'जेट्रोफा' की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय तिलहन और सब्जी तेल विकास (एनओवीओडी) बोर्ड के जरिए 2003-04 से 2009-10 तक जेट्रोफा का पौध रोपण शुरू किया। 22 राज्यों में लगभग 13,000 हैक्टेयर को जेट्रोफा रोपण के तहत लाया गया। वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान किया गया राज्य-वार जेट्रोफा रोपण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी) के लघु मिशन-III के तहत जेट्रोफा के लिए समेकित नर्सरी विकास और वर्तमान बंजरभूमि/अवक्रमित वन्य भूमि के साथ नई बंजर भूमि पर रोपण सहित टीबीओ के प्रोन्नयन, परिपक्वता अवधि तक टीबीओ रोपण का रखरखाव, अंतर फसलन, आरएंडडी, पार्श्वान्त राजसहायता के माध्यम से पूर्व प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निकालने के उपकरणों का वितरण, बीज

संग्रह (टीआरआईएफईडी के जरिए) को बढ़ावा, किसानों को प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान एनओवीओडी बोर्ड द्वारा शुरू किये गये जेट्रोफा का राज्य-वार रोपण

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	440
2.	अरुणाचल प्रदेश	185
3.	बिहार	10
4.	छत्तीसगढ़	804
5.	गुजरात	1822
6.	हरियाणा	579
7.	झारखंड	780
8.	कर्नाटक	414
9.	केरल	50
10.	मध्य प्रदेश	1150
11.	महाराष्ट्र	1994
12.	मणिपुर	450
13.	मेघालय	200
14.	मिज़ोरम	1400
15.	नागालैंड	640
16.	राजस्थान	177
17.	सिक्किम	150
18.	तमिलनाडु	557
19.	त्रिपुरा	150
20.	उत्तर प्रदेश	1037
21.	उत्तराखंड	718
22.	पश्चिम बंगाल	100
	कुल	13807

[अनुवाद]

रोगियों के लिए एसएमएस सुविधा

1655. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसी लघु संदेश सेवा (एसएमएस) सुविधा शुरू करने का विचार है जिसके माध्यम से रोगी चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाइयों के सुलभ विकल्प के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस सुविधा के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त सुविधा के अंतर्गत रोगी को वहनीय वैकल्पिक दवाई की खरीद करने से पहले चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) से (ङ) एनपीपीए ने एसएमएस आधारित हेल्पलाइन के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु दो विज्ञापन जारी किए हैं। पूरे देश में किसी भी ऐसी विश्वसनीय एजेंसी का पता नहीं लगाया जा सका जो दवाइयों के मूल्य के संबंध में पूरे, विश्वसनीय और सही आंकड़े रखती हो। इसके अतिरिक्त, कोई भी एजेंसी आंकड़ों की प्रामाणिकता की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए "एसएमएस आधारित हेल्पलाइन" स्कीम को इस अवस्था में कार्यान्वित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

मूल्य-नियंत्रण के अधीन औषधियां

1656. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोग-प्रतिरोधी दवाओं (एंटीबायोटिक्स) सहित कैंसर की औषधियां बहुत महंगी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वर्तमान में कितनी औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) क्या सरकार का मूल्य-नियंत्रण प्रणाली के दायरे का और अधिकार विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या औषधियों के मूल्य निर्धारण की विधि युक्तिसंगत नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का बाजार में उपलब्ध औषधियों के औसत मूल्य की बजाय उनकी विनिर्माण-लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011 (एनएलईएम-2011) में विनिर्दिष्ट सभी दवाओं को औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-1 में शामिल कर लिया गया है जिसमें 680 फार्मूलेशनों को कवर करते हुए 348 औषधियां शामिल हैं जिसमें कुछ कैंसर और मधुमेह-रोधी औषधियां भी शामिल हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 30 जून, 2014 तक 440 अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य अधिसूचित किए हैं। डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित दवाओं के मूल्यों में उससे पहले प्रचलित अधिकतम मूल्य की तुलना में महत्वपूर्ण कमी की गई है जो फार्मूलेशन दर फार्मूलेशन भिन्न-भिन्न है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जो इस विभाग के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, को डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत किसी भी औषधि का उच्चतम मूल्य अथवा खुदरा मूल्य निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। एनपीपीए ने दिनांक 10.7.2014 को 108 गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के संबंध में मधुमेह-रोधी और कार्डिओवास्कुलर दवाओं के मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

(ङ) और (च) एनपीपीए बाजार आधारित डाटा के आधार पर डीपीसीओ, 2013 में दिए गए प्रावधानों/विधि तंत्र के अनुसार अनुसूचित दवाओं के मूल्य भी निर्धारित करता है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों का विकास

1657. श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए दीपार बील, चांदुली बील और नीलांचल पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) तीर्थ पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस समय असम में दीपार बील, चांदूली बील और नीलांचन पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के समक्ष नहीं है।

[हिन्दी]

जनजातीय संस्कृति और संग्रहालयों का विकास

1658. श्री विद्युत वरण महतो : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड सहित राज्यों में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संग्रहालयों इत्यादि को प्रोत्साहन देने और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न संगठनों/संस्थानों को प्रदान की गई निधि/अनुदान का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को सहायता देने के लिए झारखंड सहित अन्य राज्यों से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) निधि/सहायता अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं; और

(ङ) सरकार के अधीन लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा लंबित प्रस्तावों को मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संग्रहालय के संवर्धन हेतु संस्कृति मंत्रालय में कोई पृथक स्कीम नहीं है। मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत, जनजातीय संस्कृति तथा जनजातीय संग्रहालय सहित संस्कृति और संग्रहालय के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जांच की जाती है।

(ङ) वित्तीय सहायता हेतु कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

विवरण

जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना/विकास हेतु संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	संगठन का नाम	कृत कार्रवाई
1.	ओडिशा	जनजातीय संग्रहालय, कोरापुट	नवम्बर, 2009 में प्राप्त प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई थी और इसे अपूर्ण पाया गया था। दिनांक 29.12.2009 को संगठन को कमी संबंधी ज्ञापन भेजा गया था ताकि अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सके। दिनांक 12.02.2014 को एक अनुस्मारक जारी किया गया था। चूंकि संगठन से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था अतः, प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए उत्तर के अभाव में इसे बंद कर दिया गया।
2.	नागालैंड	जनजातीय कला एवं वस्त्र संग्रहालय सोसाइटी, दीमापुर, नागालैंड	दिसम्बर, 2010 में मंत्रालय में प्राप्त प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति की दिनांक 04.05.2011 और 21.12.2012 को आयोजित इसकी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और फरवरी, 2013 में अनुदान की प्रथम किश्त जारी की गई।
3.	झारखंड	झारखंड जनजातीय संग्रहालय, अरोउस, मुमला	यह प्रस्ताव दिनांक 23.07.2010 को मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। संग्रहालय ने दिनांक 04.05.2011 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ समिति ने संग्रहालय को सलाह दी कि इस संबंध में व्यावसायिक सहायता प्राप्त करके एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। चूंकि संगठन से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था अतः, प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए उत्तर के अभाव में से इसे बंद कर दिया गया।
4.	मणिपुर	तांगखुल नागा जनजातीय कला एवं सांस्कृतिक संग्रहालय, उखरूल	फरवरी, 2009 में प्राप्त प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे दस्तावेजों के संबंध में अपूर्ण पाया गया था। दिनांक 09.04.2009 को संगठन को कमी संबंधी ज्ञापन भेजा गया था ताकि अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सके। दिनांक 12.02.2014 को एक अनुस्मारक जारी किया गया था। चूंकि संगठन से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था अतः, प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए उत्तर के अभाव में इसे बंद कर दिया गया।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा पर बसी आबादी

1659. श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन पर स्थित गांवों की अनुमानित संख्या और जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के कारण वहां से बड़े पैमाने पर पलायन होने, खाद्य का अभाव होने और आधारभूत सुविधाओं की कमी होने के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो देश में सभी सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) चीन के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत-चीन सीमा पर स्थित सीमावर्ती खंडों में गांवों की अनुमानित संख्या 1714 है और उन गांवों की जनसंख्या 376678 (2011 की जनगणना के अनुसार) है।

(ख) और (ग) भारत सरकार को इस मामले की जानकारी है और वह राज्य सरकारों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। यह कार्यक्रम सुदूर एवं दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा एवं समृद्धि की भावना को बढ़ावा देने तथा उनकी विकास संबंध विशेष जरूरतों को पूरा करने और अन्य केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय योजनाओं तथा सहभागी दृष्टिकोण के संयोजन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को भरपूर्व अनिवार्य अवसंरचना प्रदान करने के लिए सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।

यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अंतरों को पाटने के लिए संपूरक प्रकृति का है। इसका कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे 17 राज्यों में 103 सीमावर्ती जिलों के 275 सीमावर्ती खंडों (भारत-चीन सीमा के साथ लगे खंडों सहित) में किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासात्मक क्रियाकलापों का संबंध संपर्क मार्गों, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों आदि जैसे अवसंरचना के विकास से है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवास को रोकने के लिए वहां के युवकों के कौशल विकास तथा पर्यटन विकास आदि के माध्यम से विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गांवों के विकास का भी प्रावधान है। राज्य सरकारों से वर्ष 2012 के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य आबंटन के कम-से-कम 5 प्रतिशत हिस्से का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि मेले

1660. डॉ. बंशीलाल महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों और अन्य लाभार्थियों के लाभार्थ 'कृषि मेले' आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार आयोजित इन 'कृषि मेलों' का ब्यौरा क्या है और इनसे क्या सफलता मिली है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित/जारी की गई धनराशि राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है; और

(घ) देश के किसानों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों, मेलों तथा सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि जैसे संबंधित कार्य-कलापों घटनाओं में भाग लेता है तथा इनको समर्थन देता है।

कृषि मंत्रालय प्रत्येक वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कुछ तदर्थ प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थान/उद्योग एशोसिएशन के माध्यम से क्षेत्रीय कृषि मेलों (आरएएफ) का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है। एक वर्ष में कुल 3-5 दिन की अवधि के लगभग 10 ऐसी प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता दी जाती है। विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन स्कीम के तहत राज्य सरकार के लिए राज्य एवं जिला स्तर मेलों का आयोजन करने तथा समर्थन करने का प्रावधान है (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)।

इन मेलों के परिणामी में कृषि उत्पादकता एवं आय को बढ़ाने के लिए नई एवं उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के प्रसार के अलावा सरकार की वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सार्वजनिक एवं कृषि समुदाय को सूचना देने का प्रावधान शामिल है। देश की आर्थिक स्थिति में हमारे किसानों के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने के क्रम में, राष्ट्रीय मेला सह प्रदर्शनी, "कृषि बसंत" का आयोजन पूरे देश से किसानों तथा अन्य पणधारियों

के एक बड़े समूह के रूप में किया गया। लाखों किसानों ने प्रत्यक्ष तथा वेब-कास्ट के माध्यम से इसमें भाग लिया। प्रादेशिक भाषा में फसलों, पशुधन एवं प्रौद्योगिकियों तथा किसान वैज्ञानिक सहभागिता के सौ प्रदर्शन हुए थे।

किसान वाणी एवं कृषि दर्शन जैसे किसान जागरुकता कार्यक्रम आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से तथा सभी सार्वजनिक और प्रमुख निजी टीवी चैनल से "केन्द्रित प्रचार जागरुकता अभियान" के तहत भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा, इसी प्रयोजन से किसानों को जागरुक करने के लिए समय-समय पर विभिन्न मुद्रण विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) भी विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच लाभ की उपलब्धता के प्रति जागरुकता सृजन करने हेतु स्थानीय स्तर पर जागरुकता अभियान को कार्यान्वित करने के लिए तथा उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए भी प्रावधान करती है।

देश के किसानों को शिक्षित करने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने विभिन्न कृषि कार्यकलाप पर सूचना प्रसार हेतु किसानों के लिए एसएमएस पोर्टल का सृजन किया है तथा सामयिक एवं मौसमी परामर्श देते हुए किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में एसएमएस के माध्यम से सेवा मुहैया करायी जाती है। कई अन्य वेब पोर्टल-विशेषत: सिकान पोर्टल (बेटा-वर्सन) भी है। इसके अलावा, किसान टोल फ्री नं. 1800-180-1551 पर किसान कॉल सेंटर से फसल संबंधी परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान समुदाय को अद्यतन तकनीकी जानकारी देने के लिए आयोजित किये जाते हैं।

विवरण

राज्य और जिला स्तर प्रदर्शनियों/कृषि मेलों के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	व्यय 2013-14	
		राज्य स्तर	जिला स्तर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.77	36.09
2.	बिहार	5.00	100.04
3.	छत्तीसगढ़	0.00	38.81
4.	गुजरात	5.00	84.74
5.	हरियाणा	5.00	84.00
6.	हिमाचल प्रदेश	3.00	22.80
7.	जम्मू और कश्मीर	2.50	87.32
8.	झारखंड	0.19	90.24
9.	कर्नाटक	3.00	38.39
10.	केरल	0.58	30.70
11.	महाराष्ट्र	5.00	110.03
12.	मध्य प्रदेश	5.00	192.00
13.	ओडिशा	0.00	100.00
14.	पंजाब	0.00	77.00
15.	राजस्थान	4.27	101.91
16.	तमिलनाडु	5.00	96.00
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	273.73
18.	उत्तराखंड	0.00	14.43
19.	पश्चिम बंगाल	36.50	8.00
20.	असम	एनआर	एनआर
21.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	16.00
22.	मणिपुर	5.00	9.43
23.	मेघालय	0.00	4.00
24.	मिज़ोरम	5.00	16.50
25.	नागालैंड	5.00	24.00
26.	त्रिपुरा	एनआर	एनआर
27.	सिक्किम	2.00	3.70
28.	पुदुचेरी	एनआर	एनआर
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.90	3.46
	कुल	108.71	1663.32

एनआर = राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए पारिश्रमिक

1661. श्री शिवकुमार उदासि : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न खेलों, विशेषकर कबड्डी, खो-खो आदि में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं देने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खिलाड़ियों की स्थिति उन्नत करके तथा उन्हें प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न खेलों में उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) से (ग) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किसी भी खेल विधा के खिलाड़ियों को पारिश्रमिक नहीं देता है। मंत्रालय 'अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार स्कीम' तथा 'मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम' के अंतर्गत नकद पुरस्कार और पेंशन के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देता है। इन स्कीमों के लाभ इन स्कीमों में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार कबड्डी और खो-खो के खिलाड़ियों पर भी समान रूप से लागू हैं।

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा विभिन्न स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी, कोचिंग शिविरों के आयोजन, विदेशी कोचों की नियुक्ति और खेल उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, वृतिका, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर आदि उपलब्ध कराया जाता है:—

(i) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम

(ii) सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी) स्कीम

(iii) साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) स्कीम

(iv) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम

(v) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम

स्थानांतरण नीति

1662. श्री बिष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु-पालन विभाग आदि के सरकारी कर्मचारियों को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी समूह में स्थानांतरित करने के लिए कोई स्थानांतरण नीति है;

(ख) यदि हां तो क्या अंडमान और निकोबार के जनप्रतिनिधि ने अंडमान और निकोबार पुलिस विभाग और लिपिक वर्ग की तर्ज पर, द्वीपसमूह के दक्षिणी समूह में स्थानांतरण की नीति, अर्थात् वहां एक वर्ष के कार्यकाल को कार्यान्वित करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, हां। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन विभाग परिपत्र संख्या 55-3/2007-पी.डब्ल्यू, दिनांक 30 जुलाई, 2007 के तहत अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अधिसूचित स्थानांतरण नीति का पालन कर रहे हैं। तथापि, शिक्षा विभाग और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक पृथक स्थानांतरण नीति अपना रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि मुख्य सचिव द्वारा माननीय संसद सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने और कठिन/मुश्किल क्षेत्रों को विधिवत् श्रेणीबद्ध करने वाली और इसमें दूरस्थ द्वीपसमूहों में रहने की कम अवधि निर्धारित करने वाली व्यवहार्य स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए कहा गया था।

शिक्षा निदेशालय ने एक बैठक आयोजित की और मुख्य सचिव की अध्यक्षा में सभी स्टेक-होल्डरों के साथ स्थानांतरण नीति पर विचार-विमर्श किया। तद्नानुसार, संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 11 जुलाई, 2014 को अधिसूचित किए गए।

उपभोक्ता न्यायालयों की समीक्षा

1663. श्रीमती के. मरगथम :
श्रीमती सकुंतला लागुरी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में कार्य कर रहे उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन न्यायालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन न्यायालयों में दर्ज किए गए और लंबित पड़े मामलों की वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 राज्य आयोग और 620 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय है, इन मंचों के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों को निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) राज्य सरकारों से, अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए समय रहते कार्रवाई करने और भावी रिक्तियों को भरने तथा नियुक्तियों में विलम्ब से बचने के लिए सदस्यों का एक पैनल तैयार करने का अनुरोध समय-समय पर किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय आयोग की सर्किट पीठें समय-समय पर राज्यों का दौरा करती हैं।

(3) कुछ राज्य आयोगों द्वारा मुख्यत: पिछले बकाया लंबित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त पीठों का गठन किया गया है।

(4) मामलों के तुरन्त निपटान के लिए, राष्ट्रीय आयोग और कुछेक राज्य आयोगों के साथ-साथ जिला मंचों द्वारा लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(5) केन्द्र सरकार द्वारा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग सहित उपभोक्ता मंचों के आधार-ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

कार्य कर रहे (राज्य आयोग/जिला मंच) संबंधी जानकारी

(11.06.2014 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य	कार्य कर रहे राज्य आयोग	कार्य कर रहे जिला मंच
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	29
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	13
4.	असम	1	21
5.	बिहार	1	38
6.	चंडीगढ़	1	2
7.	छत्तीसगढ़	1	18
8.	दमन और दीव	1	2
9.	दादरा और नगर हवेली	1	1
10.	दिल्ली	1	10
11.	गोवा	1	2

1	2	3	4
12.	गुजरात	1	30
13.	हरियाणा	1	21
14.	हिमाचल प्रदेश	1	12
15.	जम्मू और कश्मीर	1	2
16.	झारखंड	1	20
17.	कर्नाटक	1	31
18.	केरल	1	14
19.	लक्षद्वीप	1	1
20.	मध्य प्रदेश	1	48
21.	महाराष्ट्र	1	40
22.	मणिपुर	1	9
23.	मेघालय	1	7
24.	मिजोरम	1	8
25.	नागालैंड	1	8
26.	ओडिशा	1	31
27.	पुदुचेरी	1	1
28.	पंजाब	1	20
29.	राजस्थान	1	37
30.	सिक्किम	1	4
31.	तमिलनाडु	1	29
32.	त्रिपुरा	1	4
33.	उत्तर प्रदेश	1	75
34.	उत्तराखंड	1	10
35.	पश्चिम बंगाल	1	21
	कुल . .	35	620

[हिन्दी]

अ.जा./अ.पि.व. पर बजट व्यय

1664. **श्रीमती रंजीत रंजन :**
श्री राजेश रंजन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि केन्द्रीय बजट की एक निश्चित प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों आदि पर व्यय हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्यदल की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने वर्ष 2006 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक और वित्तीय दोनों रूप में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना में परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों के लाभों को चैनेलाइज करने के मूल उद्देश्य के साथ अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, एससीएसपी का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विकास को बढ़ावा देकर इनके तथा अन्य के बीच अंतराल को पाटना है।

अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने एससीएसपी के क्रियान्वयन में आने वाली प्रचालनात्मक कठिनाईयों की समीक्षा करने के लिए जून, 2010 में कार्यबल की स्थापना की थी। कार्यबल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी के अंतर्गत निधियों के लिए भिन्न निर्धारण की सिफारिश की है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई एससीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन की कार्यनीति को प्रभावी बनाने के लिए, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2013 में एक अंतर-मंत्रालीय समिति का गठन किया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ एससीएसपी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कतिपय

संशोधनों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के आधार पर, योजना आयोग ने एससीएसपी के लिए परिव्यय निर्धारित करने के लिए अभिज्ञात सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ अंतरालों का अनुमान लगाने, एससी की विकासात्मक जरूरतों को वरीयता देने तथा अन्तरालों को पाटने के लिए योजना का उन्नयन करने के लिए पत्र जारी किए हैं। एससीएसपी के अंतर्गत तैयार की गई योजनाओं से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति के परिवारों तथा अनुसूचित जाति के निवासियों को सीधे तथा प्रमाणनीय लाभ मिलने चाहिए। इस प्रकार निर्धारित निधियां का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

1665. **श्री ओम बिरला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले विभिन्न कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए ऐसे विभिन्न कृषि उत्पादों के नामों, उनकी पृथक-पृथक मात्रा और क्रय-मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया का ब्यौरा और उन उत्पादों के नाम क्या है जिनके लिए उक्त दर में वृद्धि की गई है;

(घ) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वास्तविक उत्पादन की तुलना में उपज की खरीद के लक्ष्य को काफी नीचे निर्धारित किया गया है जिससे किसानों का उनके उत्पाद का समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत शामिल फसलें है – धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलके सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेन्टिल), रेपसीड/सरसों के बीज, कुसुम्भ, पटसन एवं खोपरा तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)। न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा तोरिया एवं छिलके रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमशः रेपसीड/सरसों के बीज तथा खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

(ख) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण करती है। तथापि, किसान खुले बाजार में उस समय बेचने के लिए स्वतंत्र है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य अधिक हो जाता है। खाद्यानों, कपास एवं पटसन के प्रापण को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में तथा दलहनों एवं तिलहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है। 2013-14 एवं 2014-15 मौसम की खरीफ फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुरूप है। नामित केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रापण न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत शामिल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत् शामिल फसलों के उत्पादकों के पास विकल्प है कि वे सरकारी एजेंसियों अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद है, को अपने उत्पादों को बेचें।

विवरण-I

चावल का प्रापण

('000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7548	6471	3630
तेलंगाना	—	—	4104
असम	23	20	-
बिहार	2534	1303	828

1	2	3	4
चंडीगढ़	13	12	11
छत्तीसगढ़	4115	4804	4288
हरियाणा	2007	2609	2406
झारखंड	275	215	—
कर्नाटक	356	59	—
केरल	376	240	359
मध्य प्रदेश	635	898	1045
महाराष्ट्र	190	192	161
ओडिशा	2866	3613	2819
पंजाब	7731	8558	8106
तमिलनाडु	1596	481	617
उत्तराखंड	378	497	454
उत्तर प्रदेश	3357	2286	1127
पश्चिम बंगाल	2041	1766	1071
अन्य	19	4	—
कुल	35060	34028	31026

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

*16.07.2014 के अनुसार अनंतिम।

गेहूं का प्रापण

('000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4
बिहार	772	—	—
चंडीगढ़	17	8	5
गुजरात	156	—	—
हरियाणा	8665	5873	6495
मध्य प्रदेश	8493	6355	7094
पंजाब	12834	10897	11641
राजस्थान	1964	1268	2159
उत्तर प्रदेश	5063	683	628
उत्तराखंड	139	5	1
अन्य	45	3	—
कुल	38148	25092	28023

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

*16.07.2014 के अनुसार अनंतिम।

मोटे अनाज का प्रापण

('000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011-12	2012-13	2013-14*
आंध्र प्रदेश	—	—	28
तेलंगाना	—	—	288
छत्तीसगढ़	1	—	3
हरियाणा	17	—	—
कर्नाटक	1	—	728
मध्य प्रदेश	17	8	87
महाराष्ट्र	Neg.	64	96
कुल	36	72.	1230

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

*16.07.2014 के अनुसार अनंतिम।

कपास का प्रापण

(प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की हजार गांठों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एजेंसी	(2011-12	2012-13	2013-14*
महाराष्ट्र	सीसीआई	0.00	41.55	0.00
	नैफेड	0.00	2.44	0.00
मध्य प्रदेश	सीसीआई	0.01	3.55	0.00
आंध्र प्रदेश	सीसीआई	7.57	2148.71	40.81
	नैफेड	0.00	294.53	0.00
कर्नाटक	सीसीआई	0.00	16.36	0.00
पश्चिम बंगाल	सीसीआई	0.12	0.00	0.00
ओडिशा	सीसीआई	0.00	49.17	0.00
कुल	सीसीआई	7.70	2259.35	40.81
	नैफेड	0.00	296.97	0.00
कुल योग		7.70	2556.32	40.81

स्रोत: भारतीय कपास निगम और नैफेड।

*28.05.2014 के अनुसार अनंतिम।

पटसन का प्रापण

(प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठों में)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14*
पश्चिम बंगाल	0.876	2.370	0.503
बिहार	0.207	0.328	0.197
असम	0.182	0.405	0.659
मेघालय	0.000	0.000	0.000
ओडिशा	0.012	0.030	0.011
आंध्र प्रदेश	0.000	0.059	0.011
त्रिपुरा	0.005	0.004	0.000
कुल	1.282	3.196	1.381

स्रोत: भारतीय पटसन निगम।

*अनंतिम।

विवरण-II

दलहन तथा तिलहन का प्रापण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एजेंसी	2011-12	2012-13	2013-14$
1	2	3	4	5
दलहन				
अरहर (तूर)	महाराष्ट्र		8991.996	23180.000
	आंध्र प्रदेश		6946.839	21679.750
	मध्य प्रदेश		66.000	
	कुल		16004.835	44859.750
चना	कर्नाटक			5953.000
	महाराष्ट्र			5617.000
	आंध्र प्रदेश			26696.000
	कुल			38266.000
उड़द	महाराष्ट्र		32490.122	2701.000
	आंध्र प्रदेश		8269.143	
	उत्तर प्रदेश		15001.075	1946.770
	मध्य प्रदेश		3252.891	
	राजस्थान	1.568	8408.506	
	कर्नाटक		9871.900	
	गुजरात		443.040	
	पश्चिम बंगाल		2016.147	
	झारखंड		103.583	
	कुल	1.568	79856.407	4647.770
तिलहन				
सुरजमुखी बीज	कर्नाटक		1499.100	3615.100
	ओडिशा			768.684
	कुल		1499.100	4383.684

1	2	3	4	5
मुगंफली	महाराष्ट्र			61.875
	गुजरात			107197.000
	राजस्थान			189767.000
	आंध्र प्रदेश			30190.000
	उत्तर प्रदेश			7347.000
	कर्नाटक			8819.000
	ओडिशा			830.000
	कुल			344211.875
मिलिंग खोपरा*				
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	336.704	9032.799	111.959
	तमिलनाडु		29999.631	435.450
	लक्षद्वीप		2843.446	79.365
	केरल		17949.969	498.700
	आंध्र प्रदेश		6677.750	1.450
	पश्चिम बंगाल			3201.787
	कुल	336.704	66503.595	4328.711
बॉल खोपरा*				
	केरल		1.800	
	कर्नाटक		9228.040	29535.280
	कुल		9229.840	29535.80

स्रोत: नैफेड।

$अनंतिम।

*2011, 2012 तथा 2013 के लिए आंकड़े।

विवरण-III

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	2011-12	2012-13	2013-14 के ऊपर वृद्धि
खरीफ फसलें				
धान	सामान्य	1310	1360	50
	ग्रेड ए	1345	1400	55
ज्वार	हाईब्रिड	1500	1530	30
	मलदांडी	1520	1550	30
बाजरा		1250	1250	-
मक्का		1310	1310	-
रागी		1500	1550	50
अरहर (तूर)		4300	4350	50
मूंग		4500	4600	100
उड़द		4300	4350	50
कपास	मध्यम स्टेपल	3700	3750	50
	लम्बा स्टेपल	4000	4050	50
मूंगफली छिलके रहित		4000	4000	-
सुरजमुखी के बीज		3700	3750	50
सोयाबीन	काला	2500	2500	-
	पीला	2560	2560	-
तिल		4500	4600	100
रामतिल		3500	3600	100

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1666. श्रीमती रमा देवी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार के शिवहर जिले में, सरकार द्वारा चलाई जा रही पर्यटन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी एनजीओ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त संगठनों द्वारा किए गए कार्य की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत और कुछ मामलों में केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को, जिसमें बिहार के शिवहर जिला के गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, सीधे कोई निधि प्रदान नहीं करता।

[अनुवाद]

भवनों का गिरना

1667. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और देश के अन्य भागों में भवनों के गिरने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसे घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन घटनाओं में मरे/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे की धनराशि कितनी है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में नागरिक सेवा एजेंसियों का कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) जी, हां। गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे गिरे हुए भवनों की राज्य-वार सूची नहीं रखी जाती है। दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 और 2014 (दिनांक 30.06.2014 तक) के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए ऐसे गिरे हुए भवनों की संख्या क्रमशः 12 और 10 है।

दिल्ली में ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
2013	05	25
2014 (दिनांक 30.06.2014 तक)	17	23

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित प्रकाशन के अनुसार, वर्ष 2013 के दौरान देश में घरों के गिरने के कारण 947 मौतें हुई और भवनों के गिरने के कारण 432 लोगों की जाने गईं। वर्ष 2012 के दौरान, ये आंकड़े क्रमशः 865 और 334 थे।

संबंधित राज्य सरकारों के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में आईपीसी के तहत मामला दर्ज करना, दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी आदि शामिल है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 2013 और 2014 (दिनांक 30.06.2014) में ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 14 और 10 है।

(घ) और (ङ) अनधिकृत निर्माण का पता चलते ही संबंधित सिविक एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।

[हिन्दी]

चित्रकूट का विकास

1668. श्री भैरों प्रसाद मिश्र : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का मुख्य पर्यटन और तीर्थयात्रा स्थल चित्रकूट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस स्थल के विकास हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) किसी कार्ययोजना के निर्माण सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व हैं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पहचानी गई पर्यटन परियोजनाओं, जो योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण हैं, के लिए निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में पर्यटक गंतव्य के रूप में चित्रकूट के विकास के लिए 444.49 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों और पर्यटक रुचि के स्थानों के संबंध में बुकलेट्स, लीफलेट्स, मानचित्र आदि सहित प्रचार सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित करता है ताकि भारत में पर्यटन को लोकप्रिय बनाया जा सके। पर्यटन के बारे में जागरुकता अंतर्राष्ट्रीय और

घरेलू बाजारों में 'मीडिया अभियान' के माध्यम से और मंत्रालय के घरेलू और विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से भी पैदा की जाती है।

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंड

1669. **श्री चांद नाथ : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मानदंडों के अंतर्गत उस मामले में कृषि आदान राज-सहायता देने का विचार है जहां ओलावृष्टि, पाले और शीतलहर के परिणामस्वरूप 20 से 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई हो;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राजस्थान राज्य से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि सहायता संबंधी मदों और मानदंडों की सूची के संशोधन की समीक्षा सामान्य तौर पर उत्तरवर्ती वित्त आयोगों के अवार्ड के पश्चात् की जाती है। मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न कारकों पर गौर करते हुए, भारत सरकार ने 16 जनवरी, 2012 को राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता की संशोधित मदों और मानदंडों के बारे में आदेश जारी किया जिसे 28 सितम्बर, 2012 को पुन: आशोधित किया गया। भारत सरकार ने 21.06.2013 को और तत्पश्चात् 28.11.2013 को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से पूर्णत: क्षतिग्रस्त पक्के मकानों, अनुग्रह राहत, कृषि इनपुट्स सब्सिडी तथा पशु शिविरों में चारे/खाद्य सामग्री में संबंधित कतिपय मदों के मानदंडों को आशोधित किया है। ये मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट *www.ndmindia.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

मौजूदा मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल अधिसूचित प्रकृति की आपदाओं (अर्थात् चक्रवात, बादल फटना, सूखा, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलां वृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, आग, कीट हमला, शीत लहर/पाला) के अंतर्गत सभी प्रकार की कृषि और बागवानी वाले क्षेत्रों में हुई क्षति के लिए कृषि इनपुट्स सब्सिडी (जहां 50% या उससे अधिक के फसल की हानि हुई हो) के रूप में किसानों को सहायता देने का प्रावधान शामिल है। इनमें वर्षा सिंचित फसलों के लिए 4500/- रुपए प्रति हैक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित फसलों के लिए 9000/- रुपए प्रति हैक्टेयर, 750/- रुपए की न्यूनतम अनधिक सहायता के अध्यधीन और बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित तथा सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर, 1500/- रुपए की न्यूनतम अनधिक सहायता के अध्यधीन एवं बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित, जहां 50% या उससे अधिक के फसल की हानि हुई हो, शामिल हैं। तथापि, नियमित योजनाओं के अतिरिक्त, किसान कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत मुआवजे के हकदार हैं।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

1670. **श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा असम से कुल कितना चावल खरीदा गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कुल कितना चावल आबंटित किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा असम से खरीदे गए चावल की कुल मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

खरीफ विपणन मौसम	खरीद (आंकड़े टन में)
2010-11	15042
2011-12	21581
2012-13	14775
2013-14*	30

*खरीफ विपणन मौसम, 2013-14 अभी चल रहा है। दर्शाये गये आंकड़े दिनांक 16.07.2014 की स्थिति के अनुसार हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्य कल्याणकारी स्कीम (ओडब्ल्यूएस) तथा खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस) (डी) के अंतर्गत असम को आबंटित चावल की कुल मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	टीपीडीएस, ओडब्ल्यूएस तथा ओएमएसएस(डी) के अंतर्गत चावल का आबंटन
2011-12	21.91
2012-13	19.07
2013-14	17.16
2014-15*	18.29

*वर्तमान आबंटन।

[हिन्दी]

बीजों का प्रमाणीकरण

1671. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीजों के प्रमाणीकरण के कोई प्रक्रिया बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बीजों के अंकुरित न होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण हैं;

(ङ) क्या बीजों के अंकुरित न होने की दशा में, सरकार की पीड़ित किसानों को मुआवजा देने संबंधी कोई नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) सरकार द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के तहत बीज प्रमाणन मानक तथा प्रक्रिया को तैयार किया गया है तथा सभी पणधारियों द्वारा अनुपालन करने के लिए "इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैन्डर्डस्" शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।

(ग) और (घ) कपास, सोयाबीन, संकर चावल, चना, मक्का आदि फसलों में बीजों के अंकुरित न होने के बारे में राज्य सरकारों से कुछ शिकायतें मिली हैं। यह सूचित खराबी कीट एवं रोग आक्रमण, कम-अनुवांशिक शुद्धता, कम अंकुरण होने, बीजों के गैर-निष्पादन के कारण थी।

(ङ) और (च) बीजों की खराबी के लिए क्षतिपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में बीजों की खराबी के मामलों में किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के लिए उनके अपने विशिष्ट प्रावधान हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में राजस्व अर्जन

1672. श्री पी.के. बिजू :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन के माध्यम से अर्जित किया गया राजस्व कितना है;

(ख) अर्जित किए गए उक्त राजस्व का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश में विरासत स्थलों से होने वाली राजस्व आय में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए सरकार से प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और स्वीकृत/वर्तमान में लंबित पड़ी ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) क्रमशः 77,591 करोड़ रुपए, 94,487 करोड़ रुपए तथा 1,07,671 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2014 के लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से विदेशी मुद्रा के राज्य-वार अनुमान संकलित नहीं करता।

(ख) भारत में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व में जमा की जाती है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के स्थल-वार आंकड़े संकलित नहीं करता।

(ङ) 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.8	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.7	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.1	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.3	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.4	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.7	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	5	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.8	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.8	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.5	5	29.80	1	33.71
15.	झारखंड	33	171.2	27	112.86	45	85.47
16.	जम्मू और कश्मीर	6	48.2	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.8	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	22	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.8	6	79.64	6	67.95

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मणिपुर	5	30.7	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.5	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.9	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.4	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.5	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	12	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.3	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.4	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.5	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.2	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.8	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.4	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.7	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.8	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.7	136	929.84	261	1801.54

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मेले और उत्सव तथा ग्रामीण पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

डेयरी विकास कार्यक्रम

1673. श्री पी.पी. चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 तक राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत और उपयोग में लाई गयी विधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान के लिए इस स्कीम के तहत 409.77 लाख रुपए की शेष राशि को जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां। सघन डेयरी विकास कार्यक्रम योजना (आईडीडीपी) 1993-94 से 2013-14 तक कार्यान्वित की गई थी।

(ख) दो अन्य डेयरी विकास योजनाओं सहित आईडीडीपी का फरवरी, 2014 से एक नई व्यापक योजना अर्थात् राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन

कार्यक्रम और डेयरी विकास (एनपीबीबीडीडी) में विलय कर दिया गया है। प्रारंभ से आईडीडीपी योजना के अंतर्गत 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 114 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है और इसमें 716.4 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आया है।

(ग) वर्ष 2011-12 और 2013-14 तक राजस्थान में आईडीडीपी के अंतर्गत मंजूर, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) विवरण में प्रत्येक मामले में दर्शाई गई मंजूर की गई राशि की तुलना में जारी की जाने वाली शेष राशि समेत राजस्थान में संबंधित दुग्ध यूनियों के पास पड़े खर्च न किए गए शेष का ब्यौरा भी उपलब्ध है। पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग परियोजना शुरू होने पर राजस्थान समेत देश में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियां जारी करता है और शेष राशि आवश्यक हो, दस्तावेजों अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित निधि उपयोग प्रमाण-पत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, व्यय का लेखापरीक्षित विवरण और इस विभाग द्वारा मांगी गई कोई अन्य संगत सूचना की प्राप्ति पर जारी करता है।

(ङ) राजस्थान में आईडीडीपी परियोजनाओं के लिए शेष निधि जारी करने के लिए वही मानदंड लागू हैं जो शेष देश के लिए हैं, अर्थात् उपर्युक्त भाग (घ) पर उल्लिखित संपूर्ण कागजातों की प्राप्ति पर। तथापि, चूंकि आईडीडीपी चालू वित्तीय वर्ष से अब परिचालन में नहीं है जैसाकि भाग (ख) में दर्शाया गया है अत: केवल अनवरत आईडीडीपी परियोजनाओं के शेष बची हुई गतिविधियां और वचनबद्ध देयताओं पर 31.03.2015 तक वित्त पोषण पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

राजस्थान में आईडीडीपी के अधीन वर्ष 2011-12 और 2013-14 के दौरान मंजूर, जारी और उपयोग की गई राशि

परियोजना	कवर किए गए जिले	अनुमादित परिव्यय	2011-12 तक कुल जारी की गई राशि	2011-12 तक उपयोग	2013-14 तक जारी की गई कुल राशि	30.06.2014 तक शेष राशि	जारी की जाने वाली राशि
I	चित्तौड़गढ़ और झालावाड़	590.50	590.50	580.17	590.50	10.33	00.00
II	बारां	290.00	112.02	112.02	00.00	00.00	177.98
III	श्रीगंगानगर, राजसमन्द और चुरू	864.10	794.41	779.94	794.41	14.47	69.69
IV	धौलपुर, सिरोही और टोंक	862.74	500.64	500.64	700.64	200.00	162.10
कुल		2607.34	1997.57	1972.77	2197.57	224.80	409.77

[अनुवाद]

खेल परिसंघों का कार्यकरण

1674. श्री बी.वी. नाईक : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विभिन्न खेल परिसंघ कार्यकरण की विस्तृत जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन खेल निकायों को व्यापक स्वायत्तता है वे अपने आशातीत मानकों के अनुसार कार्य करें;

(ग) क्या सरकार खेल संगठनों के कार्यकरण को उनकी स्वायत्तता में कटौती किए बिना व्यवस्थित करने के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय

खेल परिसंघों के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती जो अपने कार्यों में स्वायत्त हैं। तथापि, सरकार ने देश में खेलों के स्वस्थ विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसी) तैयार किया है जो 31.1.2011 से प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सरकार से विभिन्न रियायतें प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एनएसडीसी के इन प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है अर्थात्:-

(i) उचित, लोकतांत्रित और स्वस्थ प्रबंधन पद्धति का अनुपालन करना जिससे सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेहता और पारदर्शिता हो सके।

(ii) पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल सीमा का अनुपालन करना।

(iii) ओलंपिक और खेल आयोजन के 'सुशासन के बुनियादी वैश्विक सिद्धांत' का अनुपालन करना।

(iv) सभी स्तरों पर समुचित लेखा प्रक्रियाओं को अपनाना और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।

(v) निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाना।

(vi) खेलों में आयु धोखाधड़ी के विरुद्ध उपाय करना।

(vii) सूचना अधिकार अधिनियम के उपबंधों का पालन करना।

(viii) सरकार द्वारा जारी आदर्श चुनाव दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव करना।

सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा इन सिद्धांतों के अनुपालन पर लगातार निगरानी रखती है। घोर उल्लंघन के मामलों में निलंबन, मान्यता रद्द करने और मान्यता का नवीकरण न करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त 1.00 करोड़ रुपए या इससे अधिक अनुदान पाने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों की लेखा परीक्षा भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मछुआरों के लिए हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी

1675. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजना 'समुद्री मछुआरे, अवसंरचना और फसल कटाई पश्चात् कार्यों से जुड़ी योजना' के तहत मछुआरों को हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी देने के लिए महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट परिचालनों के अधीन पुशपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार को हाई स्पीड डीजल पर मछुआरों को छूट देते हुए 650.00 लाख रुपए जारी कर दिया है। वित्तीय वर्ष क्रमश: 2007-08 और 2008-09 में जारी की गई केन्द्रीय राशि 450 लाख रुपए और 200 लाख रुपए है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान 12वीं योजना में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

कृषि में वैज्ञानिक उपलब्धि

1676. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के बावजूद देश कृषि क्षेत्र में कई वैज्ञानिक उपलब्धियों के उपयोग में सक्षम नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रति हैक्टेयर खेत में उपज और आदर्श खेती प्रचलन के बीच खाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख)

जी, नहीं। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के इस्तेमाल से मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता तथा कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अग्रपंक्ति प्रदर्शन (एफएलडी) में किसानों की कृषि क्रियाओं तथा आदर्श कृषि क्रियाओं के बीच विविध फसलों में पैदावार अंतराल पाया गया। मुख्य फसलों के खेत में प्रति हैक्टेयर पैदावार तथा आदर्श कृषि क्रियाओं के बीच लगभग 25-30 प्रतिशत का अंतराल है।

(ङ) उन्नत फसल प्रौद्योगिकियों के नियमित विकास तथा प्रदर्शन में भा.कृ.अ.प. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित उच्च पैदावार वाली किस्में तथा संकर किस्में शामिल हैं इससे देश के विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में पैदावार अंतराल को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा, पैदावार अंतराल कम करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन और राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन।

मानसिक/शारीरिक विकलांगों को वित्तीय सहायता

1677. श्री प्रताप सिम्हा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि, सरकार एक योजना नामत: दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) कार्यान्वित कर रही हैं जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान कर रही हैं ताकि वे अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों पर पहुंच सकें और उन्हें बनाये रख सकें।

इसके अतिरिक्त, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास इन विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

अंतर-जातीय विवाह

1678. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जाति प्रणाली को समाप्त करने के लिए अंतर-जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अंतर-जातीय जोड़ों और उनके बच्चों को आरक्षण के लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर-जातीय विवाह वाले जोड़ों और उनके बच्चों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की इस मंत्रालय की केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अंतर-जातीय विवाहों, जहां दम्पति में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, के लिए प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) अंतर जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों और उनके बच्चों के लिए किसी विशेष आरक्षण का प्रावधान करने का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियाई खेल

1679. श्री जैदेव गल्ला : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने 2019 के एशियाई खेल की मेजबानी करने के लिए बोली लगायी है क्योंकि वियतनाम ने इसकी मेजबानी करने संबंधी अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 24.6.2014 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें 18वें एशियाई खेल, 2019 की मेजबानी की बोली के लिए सरकार का अनुमोदन मांगा गया था। आईओए ने यह सूचित किया कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 1 जुलाई, 2014 थी। आईओए के प्रस्ताव पर मंत्रालय में विचार किया गया। मंत्रालय ने आईओए से विस्तृत कार्य योजना, मौजूदा खेल अवसंरचना के नवीकरण तथा नई खेल अवसंरचना के सृजन की आवश्यकता तथा अनुमानित लागत, खेलों के आयोजन की अनुमानित लागत, निधियन के स्रोतों, आयोजन समिति के संस्थागत इंतजाम, खेल गांव की आवश्यकता/विनिर्देशन, सिटी अवसंरचना की आवश्यकता, दिल्ली को मेजबान शहर चुनने के औचित्य और अपेक्षित कर छूट तथा सीमा शुल्क छूट संबंधी विस्तृत विवरण मांगे। आईओए ने 29.6.2014 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया और इस पर मंत्रालय में विचार किया गया तथा इसके बाद 1.7.2014 को आईओए को एक अन्य पत्र भेजा गया जिसमें मंत्रालय द्वारा मांगी गई संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

चूंकि, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 1 जुलाई, 2014 थी और आईओए अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए एशियाई खेल, 2019 के लिए अपेक्षित सरकारी अनुमोदन नहीं दिया गया।

चावल की बिक्री

1680. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना के किसान राज्य में चावल मिलों की पर्याप्त संख्या होने की बावजूद अपने धान/चावल की बिक्री करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन किसानों की समस्या को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के दौरान तेलंगाना राज्य में किसानों द्वारा अपना धान/चावल बेचने की असमर्थता के बारे में उनसे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अथवा सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अंतर्गत राज्य सरकार और मिलरों द्वारा खरीदे गए धान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

खरीफ विपणन मौसम	धान की खरीद (टन में)		
	राज्य सरकार	मिलर	जोड़
2013-14 (दिनांक 17.07.2014 की स्थिति के अनुसार)	24,53,096	53,40,610	77,93,706

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

1681. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों और दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को लागू किया है;

(घ) क्या ऐसे उदाहरण हैं कि कागजाती आयु प्रमाण की कमी के कारण वृद्ध व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक ऐसी सुविधाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी वर्ष 2001 में 7.7 करोड़ (7.5%) थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10.38 करोड़ हो गई, जो कुल आबादी का 8.6% है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना, 2001 तथा जनगणना, 2011 के अनुसार निवास की दृष्टि से वृद्धजन की (60+) आबादी को दर्शाने संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को जम्मू और कश्मीर, जहां इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार यह अधिनियम लागू नहीं है तथा हिमाचल प्रदेश, जिसका अपना स्वयं का अधिनियम है, को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

जनगणना, 2001 तथा 2011 के अनुसार, निवास की दृष्टि से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धजनों की आबादी

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय 2013-14	
		2001 में	2011 में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	57.88	82.78
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.17	0.25
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.64
4.	असम	15.60	20.79
5.	बिहार	55.01	77.07
6.	चंडीगढ़	0.45	0.67
7.	छत्तीसगढ़	15.04	20.04
8.	दादरा और नगर हवेली	0.09	0.14
9.	दमन और दीव	0.08	0.11
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.20	11.47
11.	गोवा	1.12	1.63
12.	गुजरात	34.99	47.87
13.	हरियाणा	15.84	21.94
14.	हिमाचल प्रदेश	5.48	7.03
15.	जम्मू और कश्मीर	6.75	9.23
16.	झारखंड	15.79	23.57
17.	कर्नाटक	40.62	57.91
18.	केरल	33.36	41.93
19.	लक्षद्वीप	0.04	0.05
20.	मध्य प्रदेश	42.81	57.13
21.	महाराष्ट्र	84.55	111.07
22.	मणिपुर	1.45	1.88
23.	मेघालय	1.06	1.39
24.	मिजोरम	0.49	0.69
25.	नागालैंड	0.90	1.03
26.	ओडिशा	30.39	39.84
27.	पुदुचेरी	0.81	1.20
28.	पंजाब	21.92	28.66
29.	राजस्थान	38.10	51.12
30.	सिक्किम	0.29	0.41
31.	तमिलनाडु	55.07	75.10
32.	त्रिपुरा	2.33	2.90
33.	उत्तर प्रदेश	116.49	154.40
34.	उत्तराखंड	6.54	9.01
35.	पश्चिम बंगाल	57.00	77.42
	कुल	766.22	1038.37

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 और 2011.

विवरण-II

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 के कार्यान्वित की जा रही है और यह 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:— • वृद्धाश्रम; • दिवा देखभाल केन्द्र; • चल चिकित्सा एकक; • एल्जीमर्स रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केन्द्र; • विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम; • क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्यों द्वारा अंशदान संपूरित किया जाना अपेक्षित होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न हैं:— • समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; • जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप-केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए 10 बिस्तर वार्ड के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं; • नई दिल्ली (एम्स), चेन्नै, मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्ड सहित वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित तृतीयक स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करना; और • उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धों के लिए दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

नस्लीय अल्पसंख्यकों की जनसंख्या

1682. श्री जितेन्द्र चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिन्न संस्कृति, भाषा और अन्य प्रथाओं वाले नस्लीय अल्पसंख्यकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए नस्लीय और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उनकी राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में अब तक शामिल की गई इन भाषाओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त अनुसूची में कोकबोरोक भाषा को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरने रिजीजू) : (क) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के लिए भारत सरकार के नोडल मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार मंत्रालय में अल्पसंख्यक जाति समूहों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार संविधान में अथवा किसी संविधि द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक समूहों को परिभाषित नहीं किया गया है। वे सभी परिभाषित होते हैं जब उनकी मातृभाषा उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न होती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जनगणना आंकड़ों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रत्येक दशक में एक बार जनगणना की जाती है जिसमें भाषाओं/मातृभाषाओं सहित विभिन्न मानदंडों संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। मातृभाषाओं संबंधी आंकड़े अनुसूचित (भाग-ए) और अनुसूचित (भाग-बी) श्रेणियों के अंतर्गत भाषा सारणियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जनगणना 2001 में बताई गई भाषाओं/मातृभाषाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची 2007 के पेपर-1, भाषा खंड और शृंखला-1-भारत, भाषा सारणी सी-16 में प्रकाशित की गई है जोकि संसद पुस्तकालय, लोकसभा सचिवालय में उपलब्ध हैं, जहां इनका अवलोकन किया जा सकता है। जनगणना 2011 के मातृभाषा संबंधी आंकड़ों को सभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये इस प्रकार हैं (1) असमिया, (2) बंगला, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिन्दी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगू और (22) उर्दू।

[अनुवाद]

खेल के विकास की योजनाएं

1683. श्री नलीन कुमार कटील : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कर्नाटक में खेलों के विकास के लिए लागू की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्कीमों के लिए आवंटित राशि कितनी है और जिन मदों में इस राशि को खर्च किया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, यह प्रस्ताव है कि आउटडोर तथा इंडोर दोनों खेल विधाओं हेतु प्रत्येक ब्लॉक में खेल परिसर का निर्माण किया जाए। आरजीकेए स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय सरकार शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) भी कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत (क) राज्य सरकारों; (ख) स्थानीय नागरिक निकायों; (ग) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय; तथा (घ) खेल नियंत्रक बोर्डों को (i) सिंथेटिक खेल सप्ताह (हॉकी, फुटबाल तथा एथलेटिक्स) तथा (ii) बहुउदेशीय इंडोर हॉल के विकास हेतु निर्धारित सीमा के अध्यधीन शत प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यूएसआईएस के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कर्नाटक समेत पूरे देश में ये दोनों स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण भी विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। साई के के नेताजी सुभाष दक्षिण केंद्र, बंगलौर के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को कवर किया गया है और इसमें साई प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर, साई प्रशिक्षण केन्द्र, धारवाड़ तथा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर आते हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में आरजीकेए तथा यूएसआईएस स्कीम हेतु आबंटित राशि क्रमशः 200 करोड़ रुपए तथा 40 करोड़ रुपए है। आरजीकेए को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 से आरंभ किया गया तथा राज्यों/संघ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं। यूएसआईएस के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर उनकी स्वीकार्यता का पता लगाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आरजीकेए स्कीम

आरजीकेए स्कीम के अंतर्गत, यह प्रस्ताव है कि लगभग 6-7 एकड़ भूमि पर प्रत्येक ब्लॉक में आउटडोर और इंडोर दोनों खेलों के लिए 80 लाख रुपये प्रत्येक की लागत (कुल 1.60 करोड़ रुपए) से एक खेल परिसर का निर्माण किया जाए। यहां यह भी प्रावधान है कि खेल उपस्करों के लिए 15 लाख रुपए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए जाएं। यह प्रस्ताव है कि इंडोर और आउटडोर दोनों विधाओं हेतु खेल सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।

634 जिलों के सभी 6545 ब्लॉकों को चरणबद्ध पद्धति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के अंदर कवर किया जाएगा। ब्लॉक स्तर खेल परिसर के निर्माण हेतु आरजीकेए द्वारा क्रमशः ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय तथा योजना आयोग की विभिन्न स्कीमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (एमजीएनआरआईजीए), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), नान-लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सिस (एनएलसीपीआर-सेन्ट्रल, लेफ्ट विंग उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) से निधियों की समाभिरूपता की जाएगी।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर खेल परिसर में (कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से एक मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षक) तीन खेल प्रशिक्षक काम पर लगाये जाएंगे। उन्हें संबद्ध स्कूल/कॉलेज से प्राप्त सामान्य वेतन के अतिरिक्त उचित मानदेय भी दिया जाएगा।

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं अर्थात् ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, महिला खेल प्रतियोगिताएं, पूर्वोत्तर खेलों और विशेष क्षेत्र खेलों (एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए) राष्ट्रीय स्तर पर आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है।

पर्यटन स्थलों का विकास

1684. **श्री डी.के. सुरेश :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित मेकेदातु और संगमा लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नदी मुहाने पर बेहतर अवसंरचना और सुरक्षा उपाय कर उक्त पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित मेकादातु और संगमा के विकास के किसी प्रस्ताव को वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान सीएफए प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है।

पशु रोग

1685. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु रोग को नियंत्रित करने के एक भाग के रूप में सीमावर्ती जिलों में स्थायी जांच केन्द्र के निर्माण के लिए केरल से प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि पशु की विभिन्न महामारी पशु के अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से फैल रही है; और

(घ) यदि हां, तो पशु रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) पशु रोग को नियंत्रित करने के एक भाग के रूप में सीमावर्ती जिलों में स्थायी जांच केन्द्र के निर्माण के लिए विभाग को केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) गोपशु सहित संक्रमित पशुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से पशु रोग एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलता है। पशुपालन निदेशक, केरल से प्राप्त सूचनानुसार, करेल के पड़ोसी राज्यों में संक्रमित पशुओं के प्रवेश के कारण दिसम्बर, 2013 में केरल में मुंहपका और खुरपका (एफएमडी) रोग फैला था। रोग को नियंत्रित करने के लिए, गोपशु संचलन की सीमावर्ती जांच पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जांच केन्द्रों पर अधिक सतर्कता लायी गई ताकि किसी भी संक्रमित पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके। केवल मुंहपका और खुरपका रोग वाले पशु के लिए 21 दिन पहले टीकाकरण किया गया हो और पशुचिकित्सक द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित करने पर राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

भारत सरकार ने "पशुओं में संक्रामक और संसर्ग जन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009" नाम का अधिनियम अधिनियमित किया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार के रोगों के फैलने से रोकता है और पशुओं को प्रभावित वाले संक्रामक और संसर्ग जन्य रोगों के उन्मूलन, नियंत्रण और रोकथाम करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत, केरल राज्य ने पहले ही पशु रोगों को फैलने से रोकने के लिए पशुओं के अंतर्राज्यीय संचलन की जांच के लिए नियम बनाए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघीय क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, पशु रोगों के उन्मूलन नियंत्रण और रोकथाम के लिए, विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना पशुधन स्वास्थ्य और नियंत्रण (एलएच और डीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों को पशु रोग नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए सहायता से अंतर्गत, 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी)' के एक घटक के रूप में पशुधन के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के प्रतिरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि प्रदान की जाती है। मुंहपका और खुरपका रोग (एफएमडी) के कारण होने वाली आर्थिक क्षति को रोकने के लिए, गहन मुंहपका और खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र तमिलनाडु केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (16 जिलों), पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में फरवरी, 2014 में एफएमडी-सीपी को बाद में विस्तारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, पेस्टीडिसपेटीट्स रूमिनेन्टस और ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए भी टीकाकरण किया गया। नया घटक नामत: क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम फरवरी, 2014 से प्रारंभिक रूप से उत्तरी-पूर्वी राज्यों में सूअरों में क्लासिकल स्वाइन जांच के नियंत्रण पर ध्यान देने के लिए प्रारंभ किया गया है।

कुंभ मेले के लिए निधियां

1686. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2015 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन के लिए निधियों का आवंटन किया हैं/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक जारी राशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस निधि के कब तक निर्गमित किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) योजना आयोग ने सूचित किया है कि 'मेला' का आयोजन राज्य का विषय है।

(ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह अनुरोध करते समय राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए 2,379 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

(ग) योजना आयोग ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है और अतीत में ऐसी सहायता, स्रोतों की समग्र उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की गयी है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

युवा छात्रावास

1687. मोहम्मद फैज़ल :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे युवा छात्रावासों की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को देश में नए युवा छात्रावास के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य सहित देश में मौजूद युवा छात्रावासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से समय-समय पर युवा छात्रावास स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में नए युवा छात्रावास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। योजना आयोग के सुझाव पर एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि केवल निर्माणाधीन युवा छात्रावासों को पूरा किया जाए और नए छात्रावासों को निर्माण आरंभ न किया जाए।

विवरण

देश में युवा छात्रावास

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावासों का स्थान
1	2	3	4
1.	असम	2	गोलाघाट, नागांव
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
3.	आंध्र प्रदेश	6	सिकंदराबाद, विजयवाडा, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, कड़ापा
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलागुन
5.	बिहार	1	पटना
6.	गोवा	2	पणजी, पदम मपूसा
7.	गुजरात	1	गांधीनगर
8.	हरियाणा	7	पंचकूला, कुरूक्षेत्र, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, यमुना नगर, रिवाड़ी
9.	हिमाचल प्रदेश	2	डलहौजी, बिलासपुर
10.	जम्मू और कश्मीर	3	पतनीटोप, श्रीनगर, नगरोटा
11.	कर्नाटक	4	मैसूर, हासन, तीर्थरामेश्वर, सोगालू
12.	केरल	3	त्रिवेन्द्रम, एरणाकुलम (कोच्ची), कालीकट (कोझीकोड)
13.	मध्य प्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
14.	महाराष्ट्र	2	औरंगाबाद, बुल्डाणा

1	2	3	4
15.	ओडिशा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर ऑन-सी, कोरापुट
16.	पुदुचेरी	1	पुदुचेरी
17.	पंजाब	6	रोपड़, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, तरनतारन, जालंधर
18.	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर
19.	तमिलनाडु	5	चेन्नई, मदुरई, तंजावर, त्रिची, ऊटी
20.	तेलंगाना	2	नागार्जुनसागर, वारंगल
21.	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
22.	उत्तराखंड	4	मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बद्रीनाथ
23.	पश्चिम बंगाल	3	दार्जिलिंग, बर्दवान, चुरूलिया
24.	असम	2	गुवाहाटी, तेजपुर
25.	मणिपुर	3	इम्फाल, चूराचंदपुर, उखरूल
26.	मेघालय	2	शिलांग, तूरा
27.	मिज़ोरम	1	एजवाल
28.	नागालैंड	2	दीमापुर, मोकोकचुंग
29.	सिक्किम	2	गंगटोक, नामची
30.	त्रिपुरा	1	अगरतला
	कुल	82	

दो युवा छात्रावास अरुणाचल प्रदेश (रोइंग) और मणिपुर (थोबल) राज्य में प्रत्येक में एक निर्माणाधीन है।

[हिन्दी]

एनजीओ को वित्तीय सहायता

1688. श्री राम टहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और एनजीओ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि देश में एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का एनजीओ के कार्यकरण की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) सामान्यत: कृषि के क्षेत्र में गैर-कार्यरत सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भारत सरकार द्वारा सीधे सहायता प्रदान नहीं की जाती। कुछ स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं।

तथापि समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) को सहायता दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने झारखंड में 5 केवीके सहित देश में एनजीओ के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 99 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) को मंजूर किया है। केवीके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इन एनजीओ को निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर द्वारा अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा स्रोत, और सुरजमुखी, कुसुम, सोरघम, चारा फसल तथा गेहूं पर समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) और राष्ट्रीय जलवायु सह्य कृषि परियोजना (एनआईसीआरए) पहल के तहत भी एनजीओ को निधियां प्रदान की जाती है।

किसान उत्पादन संगठनों को बढ़ावा देने के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) द्वारा एनजीओ को निधियां प्रदान की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपर्युक्त संगठनों द्वारा एनजीओ को दी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इन एनजीओ द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इन एनजीओ द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा का विवरण निम्नलिखित है:—

(i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) स्कीम के तहत राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और किसान प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) के तहत निर्मुक्त निधियों की वर्तमान वित्तीय नियमावली के अनुसार वार्षिक ऑडिट किया जाता है। एनएचएम, राज्य बागवानी मिशन और अन्य प्राधिकरणों के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण दल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्य की स्थिति का सत्यापन करने के लिए आवधिक रूप से फील्ड दौरे करता है।

(ii) केवीके द्वारा किये गये कार्य की वैज्ञानिक सलाहकार समिति, समीक्षा कार्यशालाओं, फील्ड दौरे आदि आयोजित करके नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

(iii) अनुसंधान परियोजना के कार्यकलापों की पंचवर्षीय समीक्षा दलों (क्यूआरटी) द्वारा समीक्षा की जाती है और परियोजना केन्द्रों की समीक्षा कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अधीन वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नाम व एनजीओ का पता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अब तक)
1.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ)	976.45	777.00	807.86	344.31 (17.07.2014 स्थिति के अनुसार)

2. एनजीओ द्वारा चलाए गए केवीके के लिए प्रदान की वित्तीय सहायता का विवरण

(लापख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	एनजीओ के तहत केवीके के साथ जिला	होस्ट संगठन (एनजीओ का नाम)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 के जून तक, 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा (2)	अम्बाला	सोसाइटी फॉर करिएशन फॉर हेवन ऑन अर्थ	78.60	83.96	93.48	33.14

1	2	3	4	5	6	7	8
2.		रिवाड़ी	श्री भगवत भक्ति आश्रम	76.07	87.85	94.70	0.00
	कुल			154.67	171.81	188.18	33.14
3.	बिहार (5)	जमुई	शर्मा भारती, खादीग्राम बिहार	57.80	64.25	92.10	29.60
4.		कैमूर	वनवासी सेवा केन्द्र, भबुआ बिहार	77.10	79.00	86.55	33.90
5.		मधुबनी	एस.के. चौधुरी एजुकेशन ट्रस्ट, बिहार	59.10	61.00	73.75	11.35
6.		नवादा	ग्राम निर्माण मंडल, बिहार	78.97	80.40	85.96	33.25
7.		सीतामढ़ी	समता सेवा केन्द्र, बिहार	75.78	58.40	67.25	25.20
कुल				348.75	343.05	405.61	133.30
8.	झारखंड (5)	देवघर	संथाल पहाडिया, झारखंड	75.12	140.00	107.50	15.20
9.		गोड्डा	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, झारखंड	86.60	60.28	94.85	12.45
10.		गुमला	विकास भारती, झारखंड	75.09	60.43	92.25	40.35
11.		हजारीबाग	होली क्रॉस, झारखंड	87.05	65.42	103.00	37.50
12.		रांची	राम कृष्ण मिशन आश्रम, झारखंड	71.65	60.62	86.15	33.75
कुल				395.51	386.75	483.75	139.25
13.	पश्चिम बंगाल (3)	पुरुलिया	कल्याण पश्चिम बंगाल	76.05	64.17	97.00	37.95
14.		दक्षिण 24 पीजीएस	राम कृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल	84.75	68.48	115.05	42.05
15.		पश्चिमी मिदनापुर	सेवा भारती, पश्चिम बंगाल	61.55	52.41	73.40	34.45
कुल				222.35	185.06	285.45	114.45
16.	मणिपुर (2)	बिशनुपुर	अध्यक्ष, अटलोऊ, बिश्नुपुर, पीओ नम्बोआ, जिला बिश्नुपुर, मणिपुर-795134	117.10	71.50	116.00	34.57

1	2	3	4	5	6	7	8
17.		सेनापति	अध्यक्ष, फीड, हेंगबर्ग, पोआ कंगपोकपी, जिला-सेनापति, मणिपुर-795129	132.56	71.50	141.00	45.59
	कुल			249.66	143.00	257.00	80.16
18.	त्रिपुरा (1)	पश्चिम त्रिपुरा	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 81, बोंडल रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	85.10	71.50	124.00	36.51
	कुल			85.10	71.50	124.00	36.51
19.	उत्तर प्रदेश (10)	सुल्तानपुर	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर	122.05	84.00	92.50	36.00
20.		गोंडा	दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	80.00	73.70	84.80	31.65
21.		चित्रकूट	दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	74.60	77.40	86.80	32.65
22.		प्रतापगढ़	राजा अवधेश सिंह मेमोरियल सोसायटी, प्रतापगढ़	93.30	77.00	94.80	35.65
23.		उन्नाव	कुंवर राम बख्श सिंह एजुकेशन सोसायटी, प्रतापगढ़	96.42	75.00	77.90	29.00
24.		गाजीपुर	पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गाजीपुर	83.00	70.00	89.80	33.75
25.		सीतापुर-I	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ	78.00	66.00	76.80	28.65
26.		कौशाम्बीस्थिति	डॉ. भीम राव अंबेडकर वेलफेयर एंड शिक्षा सोसायटी, इलाहाबाद	86.00	75.50	85.80	31.65
27.		औरैया	सरपंच समाज, फिरोजपुर, पंजाब	86.25	71.00	71.31	27.00
28.		सीतापुर द्वितीय	रणवीर रानीजई डिग्री कॉलेज एसोसिएशन, सुल्तानपुर	68.00	107.70	72.30	27.00
	कुल			867.62	777.30	832.81	313.00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	आंध्र प्रदेश (8)	चित्तोर	राष्ट्रीय सेवा समिति	66.25	84.25	88.50	32.96
30.		गुंटूर	विनयाश्रम	67.09	0.00	0.00	0.00
31.		करीमनगर	ग्राम नावा निर्माण समिति	70.5	75.25	80.50	30.13
32.		कर्नूल	श्री हनुमंथराय एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी	91.00	88.75	96.20	33.58
33.		महबूबनगर	यूथ फॉर एक्शन	54.60	54.59	58.00	13.49
34.		मेडक	डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी	36.00	31.41	28.50	0.00
35.		नलगोंडा	श्री अरबिंदो इंस्टिट्यूट रुरल डवलपमेंट	116.00	127.75	127.00	47.83
36.		विशाखापट्टनम	भागातुला चैरिटेबल ट्रस्ट	79.45	91.37	96.00	36.90
	कुल			580.89	553.37	574.70	194.89
37.	महाराष्ट्र (26)	अहमदनगर	प्रवर इंस्टिट्यूट ऑफ रिर्सच एंड एजुकेशन इन नेचुरल एंड सोसल साइंस	102.50	103.50	119.75	45.13
38.		अमरावती (डी)	श्रम साधना अमरावती	128.00	104.75	118	44.25
39.		अमरावती (जी)	श्रम सफलया फाउंडेशन	94.00	99.25	114	45.25
40.		बीड	दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट	83.70	76.25	75.5	32.64
41.		बुलधाना	सतपुड़ा एजुकेशनल सोसायटी	78.50	85.25	95.5	32.23
42.		हिंगोली	संत नामदेव सेवाभावी संस्था	69.50	74.25	82.5	33.15
43.		जलगांव	सतपुड़ा विकास मंडल	87.00	79.75	77	33.94
44.		जालना	मराठवाड़ा सेटी सहाय मंडल	70.05	73.25	79	27.27
45.		कोल्हापुर	डी.वाई. पाटिल एजुकेशन सोसायटी	63.00	51.75	53	11.73
46.		लातूर	मांजरा चैरिटेबल ट्रस्ट	127.20	76.25	78.5	27.26
47.		नांदेड़	शिक्षा के जवाहर लाल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांइनटिफिक एंड टेकनीकल रिसर्च	47.00	46.25	70.5	22.26

1	2	3	4	5	6	7	8
48.		नंदुरबार	डॉ. हेडगेवार सेवा समिति	128.00	61.25	92	28.27
49.		परभनी	जीवन ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	57.50	61.25	63.5	22.57
50.		पुणे	एग्रीकल्चर डवलपमेंट ट्रस्ट	79.00	90.45	109.25	33.96
51.		सांग्लि	वसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान	68.00	59.75	76	0
52.		सतारा	कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट	68.00	49.75	48	0
53.		सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग जिला कृषि प्रतिष्ठान	79.15	88.75	86	0
54.		शोलापुर	सबरी कृषि प्रतिष्ठान	89.80	88.75	87	32.02
55.		ठाणे	गोखले एजुकेशन सोसायटी	78.50	76.25	82.5	30.71
56.		वाशिम	सुविधे फाउंडेशन	80.00	82.77	79.5	31.71
57.		पुणे (नरायणगांव)	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिजनस मैनेजमेंट	136.50	91.66	49.5	34.81
58.		अकोला (उडेगांव)	रुरल डवलपमेंट एंड रिर्सच इंस्टिट्यूट	120.00	94.25	121.75	33
59.		नासिक (मालेगांव)	रिच फील्ड एग्रो ई अनुसंधान एंड डवलपमेंट सेंटर	38.95	75.25	48.1	46.5
60.		नांदेड़ (सागरोली)	संस्कृति संवर्धन मंडल	32.65	58.75	117	46.11
61.		अहमदनगर (डी)	श्री मरुतारो घुले पाटिल शिक्षण संस्था	23.35	45.25	120.5	17.66
62.		औरंगाबाद (जी)	महात्मा गांधी मिशन	47.65	37.01	142.5	0
	कुल			2077.50	1931.64	2286.35	712.43
63.	राजस्थान (4)	बाड़मेर	सोसायटी ऑफ अपलिफ्ट रूरल एजुकेशन, बाडमेर	93.25	71.00	81.70	0
64.		उदयपुर	विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर	86.50	96.00	117.70	45.26
65.		जयपुर	प्रगति ट्रस्ट, जयपुर	105.00	96.00	107.50	41.6
66.		हनुमानगढ़	ग्रामोथान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़	101.00	96.50	101.75	40.56
	कुल			385.75	359.50	408.65	127.42

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	गुजरात (7)	पाटन	सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा	69.50	77.50	82.25	31.51
68.		कच्छ	रुरल एग्रीकल्चर रिसर्च डवलपमेंट एजेंसी, मुंद्रा, कच्छ	84.50	77.50	88.50	33.89
69.		वडोदरा	मंगल भारती, वडोदरा	62.75	50.75	77.00	31.21
70.		भरुच	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रियल फाउन्डेशन, वडोदरा	32.10	36.50	45.20	0
71.		मेहसाना	मेहसाणा डिस्ट्रिक एजुकेशन फाउन्डेशन, मेहसाना	70.50	74.50	82.60	33.6
72.		जूनागढ़	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडीनार, जूनागढ़	73.00	86.00	90.75	35.4
73.		भावनगर	लोकभारती ग्राम विद्यापीठ सनोसारा	141.20	60.00	72.75	35.52
	कुल			533.55	462.75	539.05	201.13
74.	मध्य प्रदेश (7)	रतलाम	कालुखेडा शिक्षा समिति, रतलाम	78.26	73.75	80.75	31.45
75.		विदिशा	मालवा महिला विकास समिति, 32, नियमतपुरा, शाहजहांबाद, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0
76.		सतना	दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	65.30	65.75	85.00	28.43
77.		सीहोर	सेंटर फॉर रूरल डवलपमेंट एंड एनवायरोमेंट, भोपाल	74.81	48.75	65.52	27.7
78.		रायसेन	दीन दयाल कृषि विकाशेवम अनुसन्धान समिति, सहारा होमस, शिवाजी नगर, भोपाल	68.56	52.00	60.40	21.66
79.		बुरहानपुर	लोकमाता देवी अहिल्या भाई होलकर सोशल नेशनल मिशन, मस्जिद काम्पलैक्स, शाहनवारा, बुरहानपुर-450331, मध्य प्रदेश	112.81	49.25	58.80	24.09

1	2	3	4	5	6	7	8
80.		इंदौर	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तुरबा ग्राम, इंदौर	74.68	79.00	84.50	26.44
	कुल			474.42	368.50	434.97	159.77
81.	कर्नाटक (5)	केवीके, बेलगाम	बेलगाम इंटीग्रेटिड रुरल डवलपमेंट सोसायटी (बर्डस), नागनर, बेलगाम	88.00	85.80	97.73	34.4
82.		केवीके, बेलगाम — एक	कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसायटी (केएलई सोसायटी), बेलगाम	60.35	42.53	124.95	32.5
83.		केवीके, देवनगिरि	तारालबलू रुरल डवलपमेंट फाउंडेशन (टीडीआरएफ), चित्रदुर्गा	85.00	82.00	98.00	37.97
84.		केवीके, गडग	एग्रीकल्चर साईंस फांउडेशन (एएसएफ), हलकोटी, गडग	101.30	117.90	126.60	47.85
85.		केवीके, मैसूर	जेएसएस महाविद्यालय (जेएसएस), रामनुजा रोड, मैसूर	82.25	97.00	105.39	40.5
	कुल			416.90	425.23	552.67	193.22
86.	तमिलनाडु (11)	अरियालुर	सेंटर फॉर रुरल एजुकेशन एंड इकोनामिक डवलपमेंट (सीआरईडी), पतचेएमालगम, चिदंबरम, कुड्डालोर	71.50	64.75	58.00	0
87.		इरोड	मैसूर रिसेटलमेंट एंड डवलपमेंट एजेंसी (एमवाईआरएडीए), बेंगलूरु	81.75	83.75	95.56	36.98
88.		करुर	फाउंडेशन फॉर रुरल डवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रोयलपेट्टम, चेन्नई	69.50	74.10	82.36	30.37

1	2	3	4	5	6	7	8
89.		कृष्णगिरि	तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रुरल डवलपमेंट (टीएनबीआरडी), क्रिसेंट पार्क स्ट्रीट, चेन्नई	185.75	85.35	95.11	35.53
90.		नीलगिरी	द यूनाइटिड प्लांटरस एशोसिएशन ऑफ साउथरन इंडिया (यूपीएएसआई), ग्लेन ब्यू, कुन्नूर, नीलगिरी	71.25	56.25	49.77	0
91.		पेराम्बलूर	सेंट ऑन्स संघम ट्रस्ट, इलमबालुर, पेराम्बलूर	77.85	78.00	86.70	33.03
92.		तंजावुर	भक्तवासलंय मेमोरियल ट्रस्ट (बीएमटी), टीएनएचबी कॉलोनी, चेन्नई	88.00	87.20	88.69	33.2
93.		थेनी	सेंटर फॉर डवलपमेंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट (सीईएनडीईसीटी), कामातिचुपुरम, थेनी	58.25	54.10	50.75	18.33
94.		तिरुनेलवेली	रथनवेल सुब्रमण्यम एजुकेशन ट्रस्ट (आरवीएस), डिंडीगुल	49.25	68.90	77.51	28.67
95.		तिरुवन्नमलाई	तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रुरल डवलपमेंट (टीएनबीआरडी), क्रिसेंट पार्क स्ट्रीट, चेन्नई	93.70	73.90	72.50	27.6
96.		टुटीकोरन	सोशल चेंज एंड डवलपमेंट (एससीएडी), वनरपेट्टई, तिरुनलवेली	88.82	75.25	87.10	32.5
	कुल			935.62	801.55	844.05	276.21
97.	केरल (3)	इडुक्की	बापूजी सेवक समाज, चेक्कूपल्लम, इडुक्की	77.25	82.45	87.13	0
98.		पथानामथीट्टा	क्रिसचियन एजेंसी फॉर रुरल डवलपमेंट (वीएआरडी), पथानामथिट्टा	101.34	100.80	108.51	40.17
99.		थिरुअनन्तपुरम	मित्रनिकेतन, वेलानंद, तिरुअनंतपुरम	82.92	84.75	89.03	33.61
	कुल			261.51	268.00	284.67	73.78
	सभी 99 कृषि विज्ञान केन्द्रों का सकल योग			7989.80	7249.01	8501.91	2788.66

3. अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा स्रोत समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत प्रदान की गई राज्य-वार और एनजीओ-वार निधियां।

क्र. सं.	राज्य	एनजीओ का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	गुजरात	श्री पराशक्ति कॉलेज ऑफ वोमेन (एसपीसीडब्ल्यू) कोर्टल्लम	36.65	28.69	25.79	5.60
2.	तमिलनाडु	सरदार पटेल रिन्युवेल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसपीआरईआरआई) वी.वी. नगर, गुजरात	53.32	87.12	81.20	10.20
	कुल		89.97	115.81	106.99	15.80

4. एनआईसीआरए परियोजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उपलब्ध कराई गई राज्य-वार तथा एनजीओ-वार निधियां।

क्र. सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठन	एनआईसीआरए परियोजना के अधीन पिछले तीन वर्ष के दौरान आईसीएआर द्वारा एनजीओ को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र प्राद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे, महाराष्ट्र	161.42	52.50	40.00	0.00
2.	तेलंगाना	एग्री बायोटेक प्रतिष्ठान (एबीएफ), हैदराबाद, तेलंगाना राज्य*	0.00	0.00	10.00	14.68
		निरुथी, क्लाइमेट और इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (एनसीईपीएल), हैदराबाद, तेलंगाना	10.00	14.08	15.60	0.00
3.	गुजरात	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सतत् विकास और सार्वजनिक नेतृत्व परिषद् (एनसीसीएसडी), अहमदाबाद, गुजरात*	0.00	0.00	12.00	16.90
4.	तमिलनाडु	एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन (एनईएफओआरडी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	40.03	0.00	59.27	0.71
5.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास के लिए नंद शैक्षिक प्रतिष्ठान (एनईएफओआरडी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	15.00	10.12	14.30	0.00
6.	कर्नाटक	ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), बेंगलूरु, कर्नाटक	16.70	0.00	11.51	0.00
7.	झारखंड	विकास भारती एनजीओ केवीके (गुमला), झारखंड	21.41	10.90	16.25	10.50
	कुल		264.56	87.60	178.93	42.79

5. अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत एनजीओ को मुहैया कराई गई राज्य-वार तथा एनजीओ-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य	एनजीओ का नाम	वित्तीय वर्ष			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	गुजरात	लोक भारती, सनोसरा, भावनगर, गुजरात	0.10	0.10	शून्य	शून्य
2.	महाराष्ट्र	नारी फलटन, पुणे	78.6	64.31	62.92	शून्य
3.	महाराष्ट्र	बैफ, ऊरुली कंचन, पुणे	29.73	43.11	44.60	शून्य
4.	पश्चिम बंगाल	आर.के. मिशन, नीमफीट	16.74	45.07	28.59	10.35
	कुल		125.23	152.29	136.11	10.35

विवरण-II

1. एनएचआरडीएफ, नासिक, महाराष्ट्र द्वारा किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं:—

- सब्जी बीज उत्पादन;
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना;
- विस्तार और प्रशिक्षण कार्यकलाप;
- संगोष्ठ और कार्यशालाओं का आयोजन;
- कटाई प्रयोग आदि द्वारा फसल उत्पादन का व्यापक सर्वेक्षण और वस्तु सूची।

2. पिछले वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यकलापों में शामिल हैं:—

- खेत परीक्षणों और फ्रंटलाईन पंक्ति प्रदर्शनों पर 33343;
- 3.95 लाख किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण;
- 14.08 लाख किसानों और अन्य पणधारियों के बीच जागरुकता सृजन;
- किसानों के लाभ के लिए 1611.80 टन बीज और 83.12 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन;
- मिट्टी और 169 लाख नमूनों की मृदा और जल परीक्षण।

3. अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर एआईसीआरपी के तहत कार्यकलापों में शामिल हैं:—

- खाद और बायोगैस प्रौद्योगिकी;
- सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली;
- ईंधन के रूप में चावल की भूसी के लिए बेड डाइजेस्टर;
- उच्च प्रदर्शन घरेलू कुक स्टोव;
- अपशिष्ट जल के उपचार;
- डेयरी कचरे के अनैइरोबिक को डाइजेशन;
- जैव हाइड्रोजन उत्पादन;
- बायोमास कम्बस्टर आधारित गर्म हवा जनरेटर;
- ड्राईविंग सिस्टम और सौर कंसेंट्रेटर आधारित प्रोसस हीट सिस्टम प्रणाली आदि।

4. एनआईसीआरए परियोजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की कार्यकलापों में शामिल हैं:—

- संस्थागत हस्तक्षेपों की शुरुआत करने के लिए सामुदायिक संघटीकरण निम्नलिखित से संबंधित है:—
  - ☐ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
  - ☐ फसल उत्पादन
  - ☐ पशुधन उत्पादन

5. एनजीओ संवर्धन की एनजीओ-वार प्रगति

क्र. सं.	राज्य	एनजीओ का नाम	किसानों की संख्या		किसान उत्पादन संगठनों की संख्या	
			मोबिलाइज्ड	मोबिलाइज्ड के तहत	पंजीकृत	पंजीकृत के तहत
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरुणाचल प्रदेश	इंडियन ग्रामीण सर्विस	1750		2	
2.	बिहार	इंडियन ग्रामीण सर्विस	3352	447	3	1
		कौशल्या फाउंडेशन	3241		4	
		एक्शन फॉर सोसल एडवांसमेंट	993	7		1
		ईडीए रुरल सिस्टम प्रा.लि.		5000		5
		इंडियन ग्रामीण सर्विस		5000		5
3.	छत्तीसगढ़	इंडियन ग्रामीण सर्विस	3010		2	1
		कोहेसन फाउंडेशन ट्रस्ट	3054	5000	3	5
		इवेन्जेलिकल सोशल एक्शन फोरम		5000		5
		बेसिक्स कृषि समृद्धि लि.	100	3900		4
		कम्यूनिटी एडवांसमेंट एंड रुरल डेवलपमेंट सोसायटी		4000		4
		एक्शन फॉर सोसल एडवांसमेंट		2000		2
4.	दिल्ली	इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	3535		4	
5.	गोवा	इंडियन ग्रामीण सर्विस	1810			2
6.	गुजरात	इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	1608			2
		डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर	2703		3	
		कोहेसन फाउंडेशन ट्रस्ट	4050		4	
		आगा खान रुरल सपोर्ट प्रोग्राम	1100	5000	1	5
		ग्रामीण विकास ट्रस्ट	1000	5000	1	5

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	2764		7	1
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	2634	900	5	1
		बेसिक्स कृषि समृद्धि लि.	2095		2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	2133	187		2
		इंटरनेशनल कम्पिटेन्स सेंटर फोर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर	-	1530		1
9.	जम्मू और कश्मीर	एक्टेक इन्फॉर्मेशन सिस्टम लि.	6180		2	2
10.	झारखंड	सीटीआरएएन कन्सल्टिंग प्रा.लि.	5000		3	
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	5009		5	
11.	कर्नाटक	एक्सेस लाइवलीहूड कन्सल्टिंग इंडिया	5500		3	
		व्रती लाइवलीहूड रिसोर्स सेंटर	5828	5000	6	5
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेसनल	5500	5000	5	5
12.	मध्य प्रदेश	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस	11735	3472	6	8
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	13711	3089	7	11
		एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट	9001	10066	5	15
		महिला चेतना मंच	7213	6197	5	8
		इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	5520		6	3
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	4406	4000	5	4
		आगा खान रुरल सपोर्ट प्रोग्राम	1250	1750		4
		सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट	1930	70		2
		ग्रामीण विकास ट्रस्ट	4434			4
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेसनल	2589	1411		4

1	2	3	4	5	6	7
		नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वुमन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट	2955	2045		5
		प्रोफेसनल एसिसटेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान)	1850	1150		3
		सेल्फ-रिलेंट एनिसिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन	36	1964		2
		व्रती लाइवलीहूड रिसोर्स सेंटर	7466			6
13.	महाराष्ट्र	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेसनल	5080	5000	6	5
		वेजिटेबल ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया	8769		4	4
		नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वुमन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट	9168		9	
		एक्शन फॉर एग्रीकल्चरलरेनवाल इन महाराष्ट्र	8606		7	3
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	4630		4	
		क्रुशी विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था	4518	5000	2	5
		विकास गंगा समाजसेवी संस्था	8601		4	3
		एक्सेस लाइवलीहूड कन्सल्टिंग इंडिया	4500		3	
14.	मणिपुर	इंडियन ग्रामीण सर्विस	2950		2	1
15.	मेघालय	इंडियन ग्रामीण सर्विस	3970		2	2
16.	मिज़ोरम	इंडियन ग्रामीण सर्विस	1000	1700		3
17.	नागालैंड	इंडियन ग्रामीण सर्विस	1750		1	1
18.	ओडिशा	सीटीआरएएन कन्सल्टिंग प्रा.लि.	9200	5000	3	12
		इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	9223		3	6
		एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस	2240	7260		9
19.	पंजाब	एक्टेक इन्फ्रोमेशन सिस्टम लि.	3283		2	
		इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	3005		5	
20.	राजस्थान	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेसनल	10745		10	
		एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस	11714	5000	4	7

1	2	3	4	5	6	7
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	5445		3	2
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	7386	5000	6	6
21.	सिक्किम	इंडियन ग्रामीण विकास	1876		2	
22.	तमिलनाडु	इशा आउटरिच	696	304	1	
		कलांजियम थोझिलागम लि.	730	4270		5
		इरोड प्रेसिजन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लि.	264	4736		5
23.	तेलंगाना	एक्सेस लाइवलीहूड कन्सल्टिंग इंडिया	4767		3	
		व्रती लाइवलीहूड रिसोर्स सेंटर	5059		2	
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेसनल	4666	5000	5	5
		प्रताप एजुकेशन सोसायटी		5000		5
24.	त्रिपुरा	इंडियन ग्रामीण सर्विस	1750	1000	3	1
25.	उत्तराखंड	सुमाती फाउंडेशन	3000		3	
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	3004		4	1
26.	उत्तर प्रदेश	इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	10197		10	
		इंटरनेशनल ट्रेसीबिलीटी सिस्टम लि.	9500		4	6
		इडीए रुरल सिस्टम प्रा. लि.	1456	544		2
		बेसिक्स कृषि समृद्धि लि.	2000			2
27.	पश्चिम बंगाल	इंडियन ग्रामीण सर्विस	12064	12008	4	20
		एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस	7477	6773	3	10
		बेसिक्स कृषि समृद्धि लि.	11047	13953		25
		इडीए रुरल सिस्टम प्रा.लि.	1089	1911		3
		इफ्को फाउंडेशन		2000		2
		सीटीआरएएन कन्सल्टिंग प्रा.लि.	6608	3392		10

6. छोटे किसान 'कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए एसएफएसी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भुगतान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15 (18.07.2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	6.14	3.23		
2.	अरुणाचल प्रदेश	द निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च	3.45	3.45		
		इंडियन ग्रामीण विकास	6.30	15.75	4.73	
3.	बिहार	ईडीए रुरल सिस्टम प्रा. लि.				16.53
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	10.80	27.00	12.94	10.25
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि.	3.45			
		एसअीच इनफॉरमेशन सिस्टम लि.	10.80			
		कौशल्या फाउन्डेशन		37.80	20.54	
4.	छत्तीसगढ़	भारतीय समृद्धि इन्वेस्टमेंट्स एंड कन्सल्टिंग				8.27
		एक्शन फॉर सोसल एडवांसमेंट				4.31
		कोहेसन फाउंडेशन ट्रस्ट	10.80	13.50	13.50	17.77
		ईडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	5.65	3.00		
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	10.80	27.00		
		एक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्रा.लि.		2.00		
5.	दिल्ली	इंटरनेशनल ट्रेसबिलिटी सिस्टम लि.	12.60	15.75		
		एसटीएच इंफॉरमेशन सिस्टम लि.		2.48		
6.	गोवा	इंडियन ग्रामीण सर्विस	6.30	15.75	4.73	
		वेजीटेबल ग्रोवर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया		5.82		

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	ग्रामीण विकास ट्रस्ट		8.10		10.25
		अगा खां रुरल सपोर्ट प्रोग्राम	3.60	4.50		10.25
		डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर	9.00	11.25	6.75	
		इंटरनेशनल ट्रसबिलिटी सिस्टम लि.	5.40	6.75	6.75	
		कोहेसन फाउन्डेशन ट्रस्ट	17.31	21.71		
8.	हरियाणा	इंटरनेशनल ट्रसबिलिटी सिस्टम लि.	9.00	11.25	11.25	
		द निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च		24.30	2.42	
		इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव लि.	9.00	11.25		
		एसटीच इनफॉरमेशन सिस्टम लि.	4.96			
9.	हिमाचल प्रदेश	इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपोरेटिव लि.			35.93	
10.	जम्मू और कश्मीर	एसटीच इनफॉरमेशन सिस्टम लि.	5.40	12.15	36.67	
		एसटीच इनफॉरमेशन सिस्टम लि.	3.22	3.22		
11.	झारखंड	सीटीआरएएन कंसल्टिंग प्रा.लि.	18.00	47.97	27.00	
		इंडियन ग्रामीण सर्विस	18.00	45.00	22.65	
12.	कर्नाटक	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज				7.16
		विरुटी लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर	19.80	50.82		
		एक्सेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्रा.लि.	19.80	49.50		
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	19.80	27.25		10.25
13.	केरल	द निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च	3.45	3.45		2.48
14.	मध्य प्रदेश	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज		51.30	46.28	
		एक्शन फॉर सोसल एडवांसमेंट		40.64	21.00	20.49
		आई विन एडवाइजरी सर्विसेज लि.	4.96		32.23	

1	2	3	4	5	6	7
		सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज			4.00	
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	61.56	82.63	43.00	2.32
		कृषि विकास व ग्रामीण विकास संस्था				10.25
		महिला चेतना मंच				10.25
		सेल्फ-रेलिएंट इनिटिएविटीज थ्रू ज्वाइंट एक्शन (एसआरआईजेएएन)			4.00	
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-आपरेटिव लि.	15.12	18.80	8.15	
		इंटरनेशनल ट्रेसबिलिटी सिस्टम लि.	19.80	34.87	2.98	
		विरूटी लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर			12.40	
		अगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम			8.20	
		नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वोमेन चाइल्ड एण्ड यूथ डेवलपमेंट			10.25	
		प्रोफेशनल एसिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन (पीआरएडीएएन)			6.15	
		ग्रामीण विकास ट्रस्ट			8.20	
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स			8.00	
		महिला चेतना मंच		28.56	6.15	
15.	महाराष्ट्र	एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल रिनिवल इन महाराष्ट्र			14.40	18.00
		इंडियन ग्रामीण विकास	16.20	44.30	12.15	
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	15.30	19.13	38.25	
		नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वोमेन चाइल्ड एण्ड यूथ डेवलपमेंट	16.20	21.25	14.40	29.24
		वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	18.31	37.00	38.25	39.83
		विकास गंगा समाज सेवी संस्था	16.20	167.11		10.04
		कृषि विकास वा ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान		47.88	10.13	

1	2	3	4	5	6	7
		एक्सेस लाईवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्रा.लि.	16.20	40.50		
	महाराष्ट्र	कृषि विकास वा ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान	16.20			
		एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल रिनिवल इन महाराष्ट्र	16.20	23.00		
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30	15.75	9.45	2.46
16.	मणिपुर	दि निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च	3.45			
17.	मेघालय	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30	15.12	12.60	
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	6.37			
18.	मिजोरम	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30			2.33
		दि निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च	3.45	3.45		
19.	नागालैंड	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30	7.88	8.66	
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	3.15			
20.	ओडिशा	एसेस डेवलपमेंट सर्विसस			9.00	10.25
		सीटीआरएएन कंसल्टिंग प्राइवेट लि.	10.80		25.20	32.75
		इंटरनेशनल ट्रेसबिल्टी सिस्टम लि.	10.80	13.50	13.50	
		दि निलसेन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोसल रिसर्च			12.88	
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज		38.76		
21.	पंजाब	एकटेक इंफोरमेशन सिस्टम लि.	13.56	12.15	32.09	
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज			16.38	
		इंटरनेशनल ट्रेसबिल्टी सिस्टम लि.	10.80	13.50	13.50	
22.	राजस्थान	एकटेक इंफोरमेशन सिस्टम लि.	2.62	2.62		
		एसेस डेवलपमेंट सर्विसस	54.45	104.43	27.11	10.25
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	20.25	59.50	15.19	10.25
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-ब्यूजनेस प्रोफेसनल्स	38.25	49.32	45.00	15.16

1	2	3	4	5	6	7
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपरेटिव लि.	20.25	25.31		
		दि नेल्सन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोशल रिचर्स		10.30		
23.	सिक्किम	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30	15.75	10.21	
		दि नेल्सन कम्पनी ओआरजी सेंटर फॉर सोशल रिचर्स		3.45		
24.	तमिलनाडु	इरोड प्रिसीयन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लि.				10.25
		वेजीटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया		15.30		
		कलनजीयम थोजाईगम लि.				10.25
		एसेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्रा.लि.		19.13		
25.	तेलंगाना	वरूत्ती लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर	19.71	44.67		22.32
		एसेस लाइवलीहुड कंसल्टिंग इंडिया प्रा.लि.	16.80	42.00		
		इंडियन सोसायटी ऑफ एग्री-बिजनस प्रोफेसनलस	16.80	22.00		
26.	त्रिपुरा	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	6.30	15.75	9.45	
		I-विन एडवाइजरी सर्विसस लि.	3.45			
27.	उत्तर प्रदेश	बासिक्स कृषि समृद्धि लि.				14.55
		सीटीआरएएन कंसल्टिंग प्रा.लि.			2.77	
		इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपेरिटिव लि.	36.00	43.70		
		इंटरनेशनल ट्रेसबिल्टी सिस्टम लि.	36.00	45.95		
		इडीए रुअल सिस्टम प्रा.लि.				4.31
28.	उत्तराखंड	इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉपेरिटिव लि.		24.30	20.25	
		सुमति फाउंडेशन	10.80	13.50		
		एकटेक इंफोरमेशन सिस्टम लि.	2.76			
29.	पश्चिम बंगाल	इंडियन ग्रामीण सर्विसेज	15.30	38.25	27.59	
		एसेस डेवलपमेंट सर्विसस	15.30	19.12	40.00	
		बासिक्स कृषि समृद्धि लि.			41.34	41.34
		सीटीआरएएन कंसल्टिंग प्रा.लि.			21.00	21.00

1	2	3	4	5	6	7
		इंडियन ग्रामीण सर्विसेज			40.00	40.00
		I-विन एडवाइजरी सर्विसस लि.	6.00			
		कुल जोड़	899.99	1,902.43	1,007.57	485.34
		अब तक कुल भुगतान:		4,295.33		

मेगा फूड पार्क

1689. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेगा फूड पार्कों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में उद्योग के समग्र भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां महोदया। सरकार ने 11वीं योजना के दौरान देश में 30 मेगा खाद्य पार्कों को शुरू करने का अनुमोदन दिया था। परियोजनाओं के चयन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्राप्त पत्र प्रस्तावों में से सभी 30 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। 11वीं योजना के 30 मेगा खाद्य पार्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्कीम के कार्यान्वयन के अनुभव से पता लगा कि कार्यान्वयन के दौरान मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं द्वारा निम्नलिखित मुख्य समस्याओं का सामना किया जा रहा है:—

(i) परियोजना के लिए सीएलयू सहित न्यूनतम 50 एकड़ भूमि का अर्जन तथा भूखंड को उप-पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना।

(ii) परियोजना के कार्यान्वयन के वित्त-पोषण के लिए बैंकों से सावधिऋण की मंजूरी प्राप्त करना।

(iii) राज्य सरकार से आवश्यक वैधानिक एवं अन्य अनुमति प्राप्त करने में देरी।

(iv) एसपीवी का स्वरूप निजी क्षेत्र का होने तथा कुल इक्विटी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) की भागीदारी की ऊपरी सीमा को 26% तक सीमित करने के कारण परियोजना के निष्पादन में एसपीवी के अंदर आने वाले पीएसयूज द्वारा अहम भूमिका निभाने में असमर्थन होना।

(v) न्यूनतम 26% इक्विटी सहित 10 करोड़ रुपए के निवल संपत्ति के साथ एसपीवी में खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं की भागीदारी में कठिनाई।

(vi) कुल परियोजनाओं में प्रमोटरों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण कानूनी विवादों और एसपीवी में इक्विटी के योगदान में देरी हुई है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना के दौरान असम, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में कुल तीन मेगा खाद्य परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में की गई हैं इस पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश में इनके प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2011-12 के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत एफपीआई क्षेत्र में फैक्टरियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष 2011-12 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत एफपीआई यूनिटों में फैक्टरियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	असम	1,212
2.	मणिपुर	18
3.	मेघालय	18
4.	नागालैंड	12
5.	सिक्किम	18
6.	त्रिपुरा	55
	कुल	1333

विवरण

11वीं योजना (17.07.2014 तक) के दौरान अनुमोदित 30 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	नाम	राज्य	परियोजना लागत	सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख	अंतिम अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित अनुदान की राशि	जारी किए गए अनुदान की राशि	31.05.2014 तक वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मैसर्स स्रीनी फूड पार्क प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	116.94	16.12.2008	27.03.2009	50.00	45.00	121.00
2.	मैसर्स गोदावरी मेगा इक्वा पार्क प्रा.लि., पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	122.60	21.09.2012	16.12.2013	50.00	0.00	0.00
3.	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि. भागलपुर, बिहार	बिहार	153.96	29.04.2011	30.11.2011	50.00	5.00	10.28
						आईएमएसी की बैठक में 30.06.2014 को रद्द किया गया।		
4.	मैसर्स प्रीस्टीन लोजिस्टिक्स एंड इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि., खगड़िया, बिहार	बिहार	142.98	21.09.2012	आईएमएसी की बैठक में 30.06.2014 को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है।			
5.	मैसर्स इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क प्रा.लि., रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	124.50	06.09.2012	04.06.2014	50.00	0.00	0.00
6.	मैसर्स रायपुर मेगा फूड पार्क लि., रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	126.12	21.09.2012	04.06.2014	50.00	0.00	0.00
7.	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., बड़ोदरा, गुजरात	गुजरात	141.70	29.04.2011	13.01.2012	50.00	5.00	
						परियोजना से एसपीवी के हटने के कारण रद्द किया गया।		
8.	गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क, सूरत, गुजरात	गुजरात	117.87	21.09.2012	22.05.2014	50.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	मैसर्स सोमा न्यू टाउन्स प्रा.लि., सिरसा, हरियाणा	हरियाणा	147.08	21.09.2012	चूंकि एसपीवी ने न तो डीपीआर प्रस्तुत किया है और न ही अंतिम अनुमोदन के विचारार्थ निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। इसलिए परियोजना को दिए गए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' को आईएमएसी की दिनांक 12.06.2013 की बैठक में मंसूख करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 25.06.2013 को सूचना जारी की गई है।			
10.	मैसर्स पोलियान मेगा फूड पार्क प्रा.लि., ऊना, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	97.63	21.09.2012	आईएमएसी की दिनांक 30.06.2014 की बैठक में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है।			
11.	मैसर्स आरएफके ग्रीन्स फूड पार्क इंडिया प्रा.लि., पुल्वामा, जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	81.02	21.09.2012	19.02.2014	50.00	0.00	1.33
12.	मैसर्स झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा.लि., झारखंड	झारखंड	113.95	16.12.2008	27.03.2009	50.00	30.00	44.17
13.	इंटेग्रेटिड फूड पार्क प्रा.लि., कर्नाटक	कर्नाटक	144.33	03.08.2010	27.03.2011	50.00	45.00	96.25
14.	मैसर्स इंडस मेगा फूड पार्क प्रा.लि. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	127.70	10.10.2011	27.08.2012	50.00	30.00	78.21
15.	मैसर्स पैथान मेगा फूड पार्क लि., औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	124.56	01.04.2011	08.03.2013	50.00	5.00	9.15
16.	मैसर्स सतारा मेगा फूड पार्क प्रा.लि., सतारा	महाराष्ट्र	132.26	21.09.2012	आईएमएसी की दिनांक 30.06.2014 की बैठक में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है।			
17.	मैसर्स हुमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., गंजम, ओडिशा	ओडिशा	117.05	21.09.2012	चूंकि एसपीवी ने अंतिम अनुमोदन के विचारार्थ निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है। इसलिए परियोजना को दिए गए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' को आईएमएसी की दिनांक 11.02.2014 की बैठक में मंसूख करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 19.02.2014 को सूचना जारी की गई है।			
18.	मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क प्रा.लि., रायगढ़, ओडिशा	ओडिशा	80.17	29.04.2011	16.04.2012	50.00	5.00	8.96

19.	मैसर्स चक्रनेमि मेगा फूड पार्क प्रा.लि., अभिषेकपक्कम, पुदुचेरी	पुदुचेरी	149.89	06.09.2012	29.05.2014 की सूचना के माध्यम से 'सैद्धांतिक अनुमोदन' को रद्द कर दिया गया है।			
20.	इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लि., पंजाब	पंजाब	130.38	03.08.2010	25.05.2011	50.00	45.00	101.27
21.	मैसर्स ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्रा.लि., अजमेर, राजस्थान	राजस्थान	113.11	21.09.2012	19.02.2014	50.00	0.00	3.49
22.	तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लि., तमिलनाडु	तमिलनाडु	133.45	16.12.2008	16.03.2010	50.00	5.00	
						22.10.2013 सूचना के माध्यम से परियोजना का अंतिम अनुमोदन रद्द कर दिया गया है।		
23.	मैसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्रा.लि., जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	168.65	24.09.2010	30.06.2014 की आईएमएसी की बैठक में परियोजना को दिया गया 'सैद्धांतिक अनुमोदन' रद्द कर दिया गया है।			
24.	मैसर्स हिमालयन फूड पार्क प्रा.लि., उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड	उत्तराखंड	124.52	21.09.2012	23.01.2014	50.00	0.00	17.89
25.	मैसर्स पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लि., उत्तराखंड	उत्तराखंड	95.08	16.12.2008	27.03.2008	50.00	45.00	85.37
26.	मैसर्स जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	132.7	16.12.2008	16.03.2010	50.00	45.00	104.11
27.	मैसर्स बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	113.9	21.09.2012	19.02.2014 की सूचना के माध्यम से परियोजना का 'सैद्धांतिक अनुमोदन' रद्द कर दिया गया है।			
				पूर्वोत्तर राज्यों में मेगा खाद्य पार्क				
28.	मैसर्स नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लि., असम	असम	75.98	16.12.2008	27.03.2009	50.00	30.00	38.97
29.	मैसर्स कंचनजंघा आर्गेनिक मेगा फूड पार्क लि., साउथ सिक्किम, सिक्किम	सिक्किम	80.37	21.09.2012	19.02.2014 की सूचना के माध्यम से 'सैद्धांतिक अनुमोदन' रद्द कर दिया गया है।			
30.	मैसर्स सिकारिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., अगरतला, त्रिपुरा	त्रिपुरा	87.45	29.04.2011	30.11.2011	50.00	20.79	28.71

[अनुवाद]

आत्मविमोह बच्चों का पुनर्वास

1690. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आत्मविमोह से प्रभावित बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आत्मविमोह से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास/कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा देश में ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत सर्वे नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा ऑटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई है।

(ग) ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास/कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास से माध्यम से लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कार्यान्वित की जा रही योजनाऐं

1. **निर्मया (स्वास्थ्य बीमा योजना)**

निर्मया एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को एक लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसकी विशेषताओं में आयु सीमा, पूर्व स्थित चिकित्सकीय स्थिति की शर्त नहीं होना, बीमा पूर्व चिकित्सा जांच का ना होना और प्रतिपूर्ति आधार पर इलाज शामिल है। यह योजना बीपीएल लाभार्थियों के लिए निःशुल्क है। तथापि, 15,000/- रुपए तक की पारिवारिक आय हेतु प्रतिवर्ष 250/- रुपए प्रीमियम और इससे अधिक की आय हेतु 500/- रुपए प्रतिवर्ष लिये जाते हैं। अब तक 1,25,247 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं और 20052 लाभार्थियों के 6.20 करोड़ रुपए की राशि का निपटान किया गया है।

2. **समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)**

यह योजना व्यस्कों एवं निसहाय बच्चों के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि दोनों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराती है। देश में 129 ऐसे केन्द्र हैं जिनकी क्षमता प्रत्येक की 30 लाभार्थी है। (24 अवासीय और 06 दिवसीय देखभाल) योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब तक 3362 लाभार्थी कवर किये गए हैं जिसमें से 1988 गंभीर रूप से विकलांग थे।

3. **एसपीरेशन — शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम (दिवसीय देखभाल केन्द्र)**

शीघ्र हस्तक्षेप द्वारा स्कूल जाने हेतु तैयार करने के लिए एसपीरेशन योजना विकासात्मक विकलांगता वाले 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शुरू की गई जिसका उद्देश्य व्यस्क बच्चों और उनके अभिभावकों को 20 के बीच में स्कूल जाने हेतु तैयार करना है। वर्तमान में देशभर में 79 केन्द्र हैं।

4. **अरूणिम (राष्ट्रीय न्यास विपणन पहल के अंतर्गत पुनर्वास के लिए एसोसिएशन)**

अरुणिम कौशल विकास, नवोनमेषी उत्पाद डिजाइन और विकास, ग्राह्यीकरण और तंत्र जहां उचित और व्यावहारिक हो द्वारा आश्रित/समर्पित कार्यवातावरण में रोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाये गये उत्पादों हेतु एक स्वतंत्र विपणन चैनल के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों को सहायता प्रदान करना है जो घरेलू तथा विदेशी बाजारों में स्वयं स्थायित्व और समानता सुनिश्चित करते हुए उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सके।

5. **सहयोगी-देख-रेख सेवा प्रदाता प्रशिक्षण एवं विकास योजना**

सहयोगी योजना के अंतर्गत देशभर में चुनिंदा स्वयं सेवी केन्द्र में प्रशिक्षित, पेशेवरों द्वारा देखरेख सेवा प्रदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए देख-रेख प्रदाता प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इन पेशेवरों का प्रशिक्षण दिल्ली में बैध-वार किया जा रहा है। देख-रेख सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और देख-रेख के जरूरत मंदों का नामांकन सीजीसी में किया जा रहा है। अब तक 40 सीजीसी की स्वीकृति दी गई है जिसमें में 38 सीजीसी देश में स्थापित किये गए हैं। अब तक 2024 देखभाल सेवा प्रदाता प्रशिक्षित किये गये हैं जिसमें 980 देख-रेख सेवा प्रदाता तैनात कर दिये गये हैं।

6. **ज्ञान प्रभा (छात्रवृत्ति योजना)**

ज्ञानप्रभा योजना में विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास तथा

रोजगार के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण/पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर वित्तीय सहातया प्रदान की जाती है। वर्ष 2010 में संशोधित योजना इस प्रकार है:—

(i) 15000/- रुपए की मासिक परिवार आय सीमा समाप्त कर दी गई है। छात्रवृत्ति के अगले वर्ष हेतु नवीकरण के लिए कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों की शर्त भी हटा दी गई है। छात्रवृत्ति नवीकरण अब क्लास रूम से उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा जो शैक्षिकण प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) छात्रवृत्ति की राशि 700/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

7. घरौंदा (समूह घर जीवन पर्यन्त पुनर्वास केन्द्र)

घरौंदा योजना में ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय तथा देख-रेख सुविधा पैनल में लिये गये सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में यह योजना निम्नलिखित 11 स्थानों के लिए स्वीकृत की गई है — स्वयंकुसी, हैदराबाद, के.पी.ए.एम.आर.सी.-बैंगलौर, ओपन लर्निंग सिस्टम-भुवनेश्वर, प्रयास और पार्टनर हुगली-पश्चिम बंगाल, सांवली-पुणे, छत्तीसगढ़ सरकार-रायपुर और उत्तराखण्ड सरकार (हरिद्वार), त्रिपुरा सरकार (अगरतला), हरियाणा सरकार (चण्डीगढ़) और मुस्कान, दिल्ली।

8. उद्यम प्रभा (प्रोत्साहन) योजना

उद्यम प्रभा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत कवर किये गये विकलांग व्यक्तियों को आय अर्जन करने वाले उद्यम चलाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर बीपीएल के मामले में 5 प्रतिशत और अन्य मामले में 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऋण, व्यक्ति विशेष द्वारा अथवा किसी भी आकार के समूह द्वारा लिया जा सकता है परन्तु प्रोत्साहन, ऋण पर 5 वर्षों के लिए तथा एक लाख रुपए प्रति व्यक्ति सीमित है।

[हिन्दी]

मछली पकड़ने के हार्बर की स्थापना

1691. श्री सदाशिव लोखंडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछली पकड़ने के नए हार्बर बनाने और सासून डॉक, मुम्बई के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय ने चार नये बंदरगाहों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव को अनुमोदित करने की सहमति दे दी है।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	मत्स्यन बंदरगाहों के नाम	जिला	अनुमति की तिथि	कुल परियोजना लागत
1.	देओगड़ (आनंदवादी)	सिंधुदुर्ग	19.02.2008	3589.00
2.	करंजा	रायगढ़	24.03.2011	6802.00
3.	अरनाला	थाने	25.03.2011	6156.00
4.	मिरकारवादा (रत्नागिरी)	रत्नागिरी	18.09.2013	7180.00

सासुन डॉक, मुम्बई मत्स्यन बंदरगाह कृषि मंत्रालय से सौ प्रतिशत निधियन से विकसित किया गया है। कृषि मंत्रालय ने अबतक मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट को 1301.51 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करायी है। इस बंदरगाह का प्रबंधन, अनुरक्षण और परिचालन पोर्ट ट्रस्ट को सौंपा गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ) बेंगलूरु के माध्यम से सासुन डॉक में मत्स्यन बंदरगाह के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए एक रिपोर्ट तैयारी करायी है ताकि स्वास्थ्य और

साफ-सफाई स्थितियों में सुधार हो सके। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट को यह सलाह दी गई है कि वह (i) परियोजना लागत को तैयार करे और (ii) संस्थागत प्रणाली स्थापित करे ताकि मत्स्यन बंदरगाह का प्रबंधन, व्यवसायिक ढंग में किया जा सके जिससे प्रयोक्ताओं को गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित की जा सके। इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने सासुन डॉक मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए प्रस्ताव किया है, जो केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीसीआईईएफ) बेंगलूरु की सिफारिश के अनुकूल नहीं है।

चूंकि पोर्ट ट्रस्ट को अभी (i) परियोजना लागत तैयार करनी है। (ii) विभाग द्वारा परामर्श दिये गये अनुसार व्यवसायिक ढंग में मत्स्यन बंदरगाह का प्रबंधन करने के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करनी है अत: वह समय-सीमा जब प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना है, इस समय बतायी नहीं जा सकती है।

[अनुवाद]

महान विभूतियों का योगदान

1692. श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुराने समय से हमारे समाज निर्माण में कई महान आत्माओं/सुधारकों/विभूतियों द्वारा दिए गए योगदान से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश की इन महान विभूतियों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कर्नाटक के श्री बसवेश्वर सहित देश के सभी सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के प्रलेख तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार, प्राचीन समय से हमारे समाज को निर्मित/सुगठित करने में बहुत सी महान आत्माओं/सुधारकों/विभूतियों के योगदान से अवगत है। मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही शताब्दी और जयंती स्कीम के अंतर्गत, महत्वपूर्ण विभूतियों के जीवन और काल तथा भारतीय इतिहास की घटनाओं से संबंधित मुख्य पहलुओं पर बल दिया जाता है, ताकि इन महान नेताओं और अन्य विभूतियों के जज़्बे को जनता में, विशेषकर युवाओं में पैदा किया जाए। मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण समारोहों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने वर्ष 1991-92 के दौरान बाबा बी.आर. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी का स्मरणोत्सव मनाया तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती मनाई।

सरकार ने निम्नलिखित स्मरणोत्सव बनाने का भी निर्णय लिया है:—

(i) कोमागाटा मारू की शताब्दी (29 सितंबर, 2014 से 29 सितंबर, 2015 तक)

(ii) बेगम अख़्तर की शताब्दी (7 अक्तूबर, 2014 से 7 अक्तूबर, 2015 तक)

(iii) श्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती (14 नवंबर, 2014 से 14 नवंबर, 2015 तक)

अब तक, इस मंत्रालय द्वारा भारत की ऐसी महान विभूतियों की संपूर्ण या विशिष्ट तौर पर पहचान नहीं की गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। फिलहाल, देश के सभी सामाजिक व धार्मिक सुधारकों के प्रलेखन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रवीन्द्रनाथ, टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय और स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ नेताओं/सुधारकों के जीवन और कार्यों का प्रलेखन किया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण स्मरणोत्सव

क्र.सं.	समारोह का नाम	वर्ष
1	2	3
1.	महात्मा गांधी की 125वीं जयंती	1994-95
2.	भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं जयंती	1997-98
3.	खालसा जयंती की त्रि-शताब्दी	1999-00
4.	भारतीय गणराज्य की 50वीं जयंती	2000-01
5.	तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याणक का 2600 वां वर्ष उत्सव मनाना।	2001-02

1	2	3
6.	जय प्रकाश नारायण की जयंती	2002-03
7.	श्री चौधरी चरण सिंह का जन्म शताब्दी समारोह	2002-03
8.	श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म शताब्दी समारोह	2004-05
9.	मुंशी प्रेम चन्द की 125वीं जयंती	2005-06
10.	भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2550वीं जयंती	2006-07
11.	प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का 125वीं जयंती समारोह	2007-09
12.	गुरू-ता-गद्दी का त्रि-शताब्दी स्मरणोत्सव	2008-09
13.	रवीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती	2011-12
14.	महामना सदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती	2011-12
15.	मोती लाल नेहरू की 150वीं जयंती	2011-12
16.	गदर पार्टी की शताब्दी	2013-14
17.	स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती	2013-14

आईआईएसी की स्थापना

1693. श्रीमती पूनम महाजन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की तर्ज पर भारतीय कला और संस्कृति संस्थानों (आईआईएसी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों को कब तक स्थापित और चालू किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन अथवा मंत्रालय के सहयोग में पहले से ही कई विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान और अकादमियां हैं जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर कार्य कर रहे हैं। अतः, फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नम भूमि कृषि

1694. श्री पी. कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नम भूमियों हेतु समेकित कृषि मॉडल को प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में कृषि विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) समेकित खेती प्रणाली को राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के वर्षासिंचित क्षेत्र विकास घटक के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन के तहत नम भूमि सहित विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल फसल, रोपण, चारागाह, पशुधन, मात्स्यिकी आदि सहित खेती प्रणाली को सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुमरकम और फसलन प्रणाली अनुसंधान केन्द्र, करमना में समेकित खेती प्रणाली पर अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ अनुसंधान निष्कर्षों का परिणाम निम्नलिखित है:—

1. किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए नारियल उगाये जाने वाले मेढ़ों के चारों ओर के क्षेत्रों में झींगा पालन से 0.80 टन साफ चीनी झींगा प्रति हैक्टेयर का उत्पादन होता है।
2. कुट्टनाड प्रदेश के लिए चावल-मत्स्य खेती प्रणाली एक व्यवहार्य प्रौद्योगिकी है। चावल के साथ-साथ मत्स्य की प्रति हैक्टेयर 0.60 टन उपज प्राप्त की जा सकती है।
3. मछलियों के लिए चारे पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 400 बतखों/हैक्टेयर की दर पर, मछलियों की 5.4 टन प्रति हैक्टेयर पैदावार की दर पर मछली तालाब के ऊपर निर्मित पिंजड़े बतख पालन।

4. चावल के साथ मछली, बतख और भैंस के सुव्यवस्थित समेकन द्वारा आर्थिक स्तर में नम भूमि की उत्पादकता को 1.26 लाख/हैक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्यकरण

1695. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) देश में कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की संख्या 638 है, जिसमें महाराष्ट्र के 44 केवीके शामिल हैं। केवीके की राज्य-वार संख्या और केवीके वाले जिलों के नामों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रमुख गतिविधियों पर इन केन्द्रों द्वारा विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष, प्रत्येक के दौरान किये गये कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पंजाब सहित राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार कृषि विज्ञान केन्द्र वाले जिले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केवीके की संख्या	केवीके वाले जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, उत्तरी और मध्य अंडमान (मायाबंदर)
2.	आंध्र प्रदेश	21	अन्नतपुर, पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कडप्पा, कृष्णा, नेल्लोर, प्रकाशम, पूर्वी गोदावरी, चित्तूर, कुरनूल, विशाखापत्तनम, गुंटूर, अन्नतपुर (2), कुरनूल (2), पूर्वी गोदावरी (2), पश्चिम गोदावरी (2), गुंटूर, प्रकाशम, चित्तूर, कृष्णा
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	पश्चिम सियांग, पश्चिम कामेंग, तिरप, लोअर दिबांग घाटी, लोअर सुबनसिरी, पपूमपाड़ा, ऊपरी सियांग, पूर्वी कामेंग, तवांग, लोहित, ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी सियांग, चांगलांग, अंजाव
4.	असम	23	सोनितपुर, कछार, गोलाघाट, कोकराझार, शिवसागर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगईगांव, कार्बी आंगलोंग, कामरूप, उत्तरी लखीमपुर, नगांव, तिनसुकिया, करीमगंज, धुबरी, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दारांग, जोरहाट, गोलपाड़ा, हलाकांडी, उदलगुड़ी
5.	बिहार	38	मुंगेर, दरभंगा, वैशाली, बेगुसराय, सहरसा, नालंदा, बांका, पटना, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, रोहतास, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, सारण, सुपौल, गया, शिवहर, औरंगाबाद, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, किशनगंज, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, नवादा, कैमूर, जमुई, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी, अरवल

1	2	3	4
6.	छत्तीसगढ़	20	बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, जांगीर – चाम्पा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, करवधा, कोरिया, राजनांदगांव, नारायणपुर, बीजापुर, रायपुर, सरगुजा
7.	दिल्ली	1	उजवा (नई दिल्ली)
8.	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
9.	गुजरात	28	बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, आनंद, अहमदाबाद, डांग, सूरत, नवसारी, नर्मदा, अमरेली, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, सुरेंद्रनाथ, गांधीनगर,
10.	हरियाणा	18	पानीपत, कैथल, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, झज्जर; भिवनी, करनाल, गुड़गांव, अंबाला, रेवाड़ी
11.	हिमाचल प्रदेश	12	कुल्लू, ऊना, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति, बिलासपुर, किन्नौर, चंबा, शिमला, सोलन
12.	जम्मू और कश्मीर	19	जम्मू, राजौरी, डोडा, उधमपुर, पुंछ, लेह, पुलवामा, श्रीनगर, गंदराबल बडगाम, कारगिल, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कठुआ, कुलगाम, शोपियां, लेह (2), बंदीपुरा
13.	झारखंड	23	पश्चिमी सिंहभूम, डुमका, पलामू, पाकुर, लौहारदंगा, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, कोडरमा, देवघर, रांची, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, सरायकेला, खुन्ती
14.	कर्नाटक	31	रायचूर, हावेरी, बीदर, धारवाड़, कोप्पल, गुलबर्गा, बीजापुर, उत्तर कन्नड़, बगलकोट, हसन, मंड्या, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, चित्रदुर्गा, चिक्कामगलूर, दक्षिण कन्नड़, चमराजनगर, कोलार, बेंगलूरु ग्रामीण, कोडागू, मैसूर, बेलगाम, गडग, दावनगेरे, रामानगरम, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़, गुलबर्गा, बेलगाम, चिकाबल्लापुर
15.	केरल	14	पालघाट, कोल्लम, वायनाड, कोट्टयम, कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिशूर, कासरगोड, एल्लेपी, एर्नाकुलम, कोझिकोड (कालीकट), तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पथानमथीट्टा
16.	लक्षद्वीप	1	किलताब द्वीप लक्षद्वीप
17.	मध्य प्रदेश	47	छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, शहडोल, खंडवा, टीकमगढ़, सिवनी, भिंड, राजगढ़, गुना, बालाघाट, बैतलू, पन्ना, थार, डिंडोरी, ग्वालियर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, सागर, खरगोन, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर,

1	2	3	4
			हरदा, दमोह, नरसिंहपुर, देवास, पडारिया, छतरपुर, शिवपुरी, नीमच, मंडला, बड़वानी, उमरिया, श्योपुर, दतिया, भोपाल, रतलाम, विदिशा, सतना, इंदौर, सीहोर, रायसेन, बुरहानपुर, अशोकनगर
18.	महाराष्ट्र	44	वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, गोदचिरौली, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, रायगढ़, धुले, नागपुर, नासिक, परभणी, कोल्हापुर, बुलढाणा (1), अमरावती (1), अमरावती (2), नांदेड़, सोलापुर, वाशिम, सिंधुदुर्ग, ठाणे, जलगांव, बीड (1), सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, जालना, हिंगोली, नंदुरबार, लातूर, पुणे (2), जलगांव, अकोला, सतारा (2), बीड (2), बुलढाणा (2), अहमदनगर (2), सोलापुर (2), नासिक (2), नांदेड़ (2), औरंगाबाद (2) बुलढाणा (2), अहमदनगर (2), सोलापुर (2), नासिक (2), नांदेड़ (2), औरंगाबाद (2)
19.	मणिपुर	9	पश्चिम इंफाल, चूराचांदपुर, तामेंगलांग, चंदेल, सेनापति, विष्णुपुर, पूर्व इम्फाल, थोबल, उखरूल
20.	मेघालय	5	पश्चिम गोरा हिल्स, री-भोई, जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स
21.	मिज़ोरम	8	लुंगलेई, कोलासीब, चिमतुईपूई, लानतलाई, माम्मीत, चम्पाई, सेरचिप, अजवाल
22.	नागालैंड	9	दीमापुर, मेदजीफेमा, वोखा, मोकोकचुंग, कोहिमा, तुएनसांग, मोन, जूनहेबोटो, लोंगलेंग
23.	ओडिशा	33	कोरापुट, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, बालासोर, गंजम, बरगढ़, कंधमाल, (फूलबनी), कालाहांडी, जयपुर, ढेंकानाल, अंगुल, भद्रक, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, नयागढ़, संबलपुर, जगतसिंहपुर, गजपति, रायगढ़, नुआपाड़ा, बौद्ध, मयूरभंज, सोनेपुर, मलकानगिरी, देवगढ़, झारसुगुडा, पुरी, कटक, खुर्द, मयूरभंज (2), गंजम (2), सुन्दरगढ़ (2)
24.	पुदुचेरी	3	कराईकल, पुदुचेरी, यानम
25.	पंजाब	20	फरीदकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, बठिंडा, होशियारपुर, पटियाला, कपूरथला, संगरूर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, अमृतसर, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, जालंधर, मनसा, तारनतरन, बरनाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)
26.	राजस्थान	42	दौसा, झुंझुनू, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अजमेर, धौलपुर, सीकर, जालौर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा,

1	2	3	4
			जोधपुर पाली, टोंक, जयपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर (2), नागौर (2), बीकानेर (2), जोधपुर (2), जुरू (2), जयपुर (2), जैसलमेर (2), अलवर (2), हनुमानगढ़ (2) प्रतापगढ़
27.	सिक्किम	4	पूर्व सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, दक्षिण सिक्किम।
28.	तमिलनाडु	30	सलेम, कुड्डालोर, विर्धाचलम, त्रिचराप्पली, पेराम्बलूर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, मदुरै, विल्लुपुरम, वेल्लोर, तिरूवल्लुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, विरुधुनगर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, शिवागनगई, नामक्कल, डिंडीगुल, कोयंबटूर, थेनी, नीलगिरी, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरि, तंजावुर, तूतीकोरिन, करूर, अरियालुर
29.	तेलंगाना	13	वारांगल, अदिलाबाद, खाम्माम, निजामाबाद, रंगा रेड्डी, महबूबनगर, नलगोंडा, करीमनगर, मेढ़क, मेहबूब नगर (2), करीम नगर (2), वारांगल (2), नलगोंडा (2)
30.	त्रिपुरा	4	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, धलाई, उत्तरी त्रिपुरा
31.	उत्तराखंड	13	चम्पावत, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, अल्मोडा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग, उद्यमसिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर
32.	उत्तर प्रदेश	68	शाहजहांपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत, बागपत, मुरादाबाद, गौतम बद्ध नगर, बहराइच, बलिया, मऊ, वाराणसी, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, चंदौली, बलरामपुर, संत कबीर नगर, मथुरा, झांसी, रायबरेली, फतेहपुर, अलीगढ़, कानपुर (देहात), मैनपुरी, महोबा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, बरेली, कुशीनगर, एटा, आगरा, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, गोंडा, चित्रकूट, उन्नाव, प्रतापगढ़, गाजीपुर, सीथौली, कौशाम्बी औरैया, देवरिया, महामायानगर, बांदा, अंबेडकर नगर, सीतापुर
33.	पश्चिम बंगाल	18	दार्जिलिंग, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, नादिया, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मिदनापुर, पुरूलिया, बर्धमान, बीरभूम, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना
	कुल	638	

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष [2011-12 से 2014-15 (जुन, 2014) तक] के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किये गये कार्य

क्र.सं.	गतिविधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
1.	खेतों पर किये गये परीक्षण (संख्या)	29528	29428	33791	3982
2.	किये गये अग्ररेखीय प्रदर्शन (संख्या)	101115	131000	171000	24457
3.	प्रशिक्षित किये गये किसान (लाख में)	14.68	17.38	14.88	2.17
4.	प्रशिक्षित किये गये विस्तार कर्मी (लाख में)	1.28	1.42	1.18	0.19
5.	विस्तार गतिविधियों में प्रतिभागिता (लाख में)	180.30	170.16	102.41	7.69
6.	बीज का उत्पादन (टन में)	29700.0	17400.0	15700	3319.0
7.	उत्पादित रोपण सामग्री (लाख में)	193.28	206.59	167.19	15.80
8.	उत्पादित पशुधन स्ट्रेन्स और छोटी मछलियां (लाख में)	49.85	117.46	102.53	8.01
9.	परीक्षण किये गये मृदा, जल, पाइप, खाद के नमूने (लाख में)	2.49	3.78	2.91	1.16
10.	किसानों को प्रदान की गयी मोबाइल कृषि सलाह (लाख में)	13.43	11.14	16.28	18.48

[अनुवाद]

बीटीएडी की जनसांख्यिकी संरचना

1696. श्री सिराजुद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिलों (बीटीएडी) के अंतर्गत उन गांवों की संख्या कितनी है जहां गैर-बोडो की जनसंख्या बहुतायत में है;

(ख) क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पहले ही गैर-बोडो गांवों को बीटीएडी क्षेत्र से बाहर करने का आदेश पारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) ऐसा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अधीन बोडोलैंड प्रदेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) हेतु बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् के गठन के लिए केन्द्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओएस में बीटीसी के क्षेत्र को परिभाषित किया गया था और उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बीटीएडी से गांवों को बाहर रखने से संबंधित रिट याचिकाओं पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अनेक आदेश पारित किए हैं जिनमें याचिकाकर्त्ताओं से मुख्य सचिव, असम सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और मुख्य सचिव से एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सकारण आदेश पारित करते हुए अभ्यावेदन का निपटारा करने के लिए कहा गया है। तद्नुसार, मुख्य सचिव ने सकारण आदेश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि छठी अनुसूची वाले क्षेत्र से गांवों को बाहर रखने की शक्ति असम के माननीय राज्यपाल के पास है और उपर्युक्त मामलों में मुख्य सचिव को कोई भूमिका नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र

1697. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र सहित देश में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों (एनवाईके) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब तक गठित नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में नए नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां पाई गई हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) देश भर में 623 नेहरू युवा केंद्र हैं जिनमें से 34 केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। इन केंद्रों की राज्य-वार और स्थान-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान में देश भर में नए केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) से (च) जी, हां। नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी यथा मैसर्स हरयाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली को सौंपा गया जिसने अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत की। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि संगठन के सरल कार्यकरण हेतु अधिक प्रभावी तंत्र और कार्यविधि की स्थापना की जा सके।

विवरण

देश में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या

क्र. स.	राज्य का नाम	जिलों के नाम जिनमें नेहरू युवा केन्द्र स्थापित है	नेयुके की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, कमोत्रा, कैम्पबैल बे, मायाबंदर (रंगत), डिगलीपुर	06
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, विजयवाड़ा, चित्तूर, कुडाप्पा, गुंटूर, काकीनाडा (पूर्वी गोदावरी), कुरनूल श्रीकाकुल्लम, विशाखापट्टनम, वजयानगरम, नेल्लोर, पश्चिम गोदावरी (इल्लूरू), प्रकाशम (ओरंगल)	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	सियांग (अलॉन), लोअर सुबानसिरी (जीरो), अप्पर सुबानसिरी (डियोपोरिजो), लोहित (तेजू), तवांग, पश्चिमी कमेंग, पूर्वी कमेंग, पापुम पारे, पूर्वी सियांग, अप्पर सियांग, डिबंग वैली, चांगलोंग, तिरप, कुरंग काईसे, ईटानगर	15
4.	असम	डिब्रगढ़, दिफु (कारबी एंगलाँग), दुबरी, कामरूप (मालीगांव), उत्तरी लखीमपुर, नौगांव, कछार (सिल्चर), तेजपुर (सोनितपुर), हॉफलाँग (एन.सी. हिल्स), करीमगंज, बारपेटा, कोकराझार, जोरहाट, सिबसागर, नलबाड़ी, गुआलपाड़ा, धीमाजी, डैरंग (मंगलदोई), हेलकांडी, गोलाघाट, मॉरीगांव, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, चिरैंग, उदालगिरी, बक्सा, कामरूप महानगर	27

1	2	3	4
5.	बिहार	अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारन (मोतिहारी), गावा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगडिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पुर्निया, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सारन (छपरा), सीतामढ़ी सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर), पश्चिमी चम्पारन (बेतिया), सिहोहर, लखीसराय, शेखपुर, अरवाल	38
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, चाम्पा, दुर्ग, कांकेर (बस्तर), रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरिया, कावर्धा, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा, जसपुर नगर, महासमुंद, जगदलपुर	16
7.	दिल्ली	अलीपुर, महरौली, नांगलोई, उत्तर, उत्तर पूर्वी, नई दिल्ली, सेंट्रल दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी	9
8.	गुजरात	भरूच, नडियाड (खेड़ा), कछ (भुज), गोधरा, साबरकांठा (हिम्मत नगर), जुनागढ़, मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, भावनगर, वलसाड, सूरत, गांधी नगर, अहमदाबाद, वड़ोदरा, डांग, अमरेली, पालनपुर, राजकोट, पाटण, पोरबंदर, आनंद, दाहोद, नर्मदा, नवसारी	25
9.	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी गुड़गांव, करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद, सोनपत, जींद, हिसार, महेन्द्रगढ़ (नारनौल), रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर	19
10.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला (कांगड़ा), हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, केलोंग (लौहोल स्पीती), मण्डी, नाहन (सिरमौर), सोलन, शिमला, ऊना	12
11.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ, अनंतनाग, बडगांव, बारामुला, डोडा, जम्मू, कुपवाड़ा, करगिल लेह (लद्दाख), पुलवामा, पुंच, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर	14
12.	झारखंड	बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दमुका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) गडवा, गिरहिड, गुमला, हजारीबाग, लोहारदगा पलामु (डेल्टोनगंज) रांची, साहबगंज, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबाशा), कोदरमा, पाकुर, जंतरा, लाथर, सरायकेला, सिंदेगा	22
13.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, बीदर, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, हासन, कंवर, कोडगू (मेडीकेरी), कोलार, मैंगलोर, मंडया, मैसूर, रायचूर, तुमकुर, धारवाड़, चित्रदुर्गा (दावनगेरे), बेल्लारी, शिमोगा, बैंगलूरु, (ग्रामीण) बेंगलूरु (शहरी), बागलकोट, कोप्पल, गडग, हवेरी, दक्षिण कन्नड़ (दावनगेरे), कामराज नगर, उडप्पी	27
14.	केरल	अल्लेप्पी, कन्नूर, थोडुपुजहा (इदुक्की), कोजीकोड़, मल्लाप्पुरम, पालघाट, पाठनमिठ्ठा त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, एर्नाकुल्लम, कोट्टयम, कासरगोड, वयनाड, क्यूलोन	14
15.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, इरदा, होशांगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खंडवा, खरगौन, मंडला, मंदसोर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन (भोजपुरा), रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ उज्जैन, विदिशा, उमरिया, नीमच, श्योपुर, बडवानी, डिंडोरी, अशोक नगर, अनूपपुर, बुरहानपुर	48

1	2	3	4
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, अलीबाग (राजगढ़), भंडारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ठाणे, जलगांव, नांदेड, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरोली, जालना, बुलडाणा, नागपुर, मुंबई (काल), सतारा, अहमदनगर, नासिक, परभणी, उस्मानाबाद, धुले, रतनागिरी, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, अकोला, चन्द्रपुर, वर्धा, बीड, सांगली, नंदुरबार, गोंडिया, हिंगोली, वासिम	34
17.	मणिपुर	चुराचांदपुर, इम्फाल, सेनापति (कोंगपोकपी), तेमंगलांग, उखरूल, थोबुल, चंदेल, बिशनपुर, सेनापति-II पूर्वी इम्फाल	10
18.	मेघालय	जनतिया हिल्स (जोवाई), पश्चिमी गारो हिल्स (तुरा), पूर्वी खासी हिल्स (शिलांग), पूर्वी गारो हिल्स (विलियम नगर), पश्चिमी खासी हिल्स (नांगस्टाईंग), दक्षिणी गारो हिल्स (बाघमारा), रि भोई	07
19.	मिज़ोरम	एजवाल, लुंगली, घिमुट्टुईपुरी (सेहा), मामित, कोलासिब, चम्फाई, सरछिप लांगटलाई	08
20.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग जोनहीबोटो, तुंगसांग, मोन, वोखा, फाक, दिमापुर, पेरेन, किफायर, लांगलिंग	11
21.	ओडिशा	बालासोर, बालंगिर, मयुरभंज (बारीपाडा); बेहरामपुर (गंजम), कालाहांडी (भवानी पटना), धनकेनाल, क्योनझार, कोरापुट, फुलबानी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, कटक, नोपाड़ा, खुर्दा (भुवनेश्वर), केन्द्रपाड़ा, बारागढ़, झारसुबुड़ा, देवगढ़, भाडरक, जाजापुर, अंगल, नयागढ़, गजापति, बोधा, सोनपुर, रायागढ़, नाबारंगपुर, मलकानगिरी, जयसिंहपुर	30
22.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधरख कपूरथाला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरुर, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, तरन तारन, नवा शहर, मोंगा, एसएएस नगर, बरनाला	20
23.	राजस्थान	अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दुंगपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुंझुंनू, झालावाड़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, बारां, दौसा, हनुमानगढ़, करौली	32
24.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम (गंगटोक), उत्तरी सिक्किम (मंगन), पश्चिमी सिक्किम (गेजिंग), दक्षिणी सिक्किम (नामची)	04
25.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, कुड्डालोर (दक्षिण आरकोट), धर्मापुरी, मदुरै, पुड्डकोट्टाई, सेलम, सिवगंगा, त्रिचरापल्ली, थंजावूर, तिरुनलवेली, नीलगिरी (उदगामंडल्लम) ऊटी, वैलोर, कामराजार (विरुद्धनगर), कन्याकुमारी (नागरकोविल), चिकलपेट (एमजीआर) ईरोड (पैरियार), डिंडिगुल (अन्ना), रामानाथापुरम, चिदम्बनार (टुटीकोरिल), चेन्नई (ग्रामीण), नागापट्टनम्, तिरुवन्नामलाई, वेलुपुरम, तिरुवलोर, थेनी, तिरूवरूर, नामाक्कल, करूर, पैरमबल्लुर, अरियालपुर (कृष्णागिरी)	30
26.	तेलंगाना	करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, निजामाबाद, मेडक (सिद्धिपेट) आदिलाबाद, वारंगल, हैदराबाद, नलगोंडा और रंगारेड्डी	10

1	2	3	4
27.	त्रिपुरा	अगरतला (पश्चिमी त्रिपुरा), धरम नगर (उत्तरी त्रिपुरा), उदयपुर (दक्षिणी त्रिपुरा), ढलाई	04
28.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बहराईच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, अमेठी, दवेरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूर्खाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन (उरई), जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखन ऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, ज्योतिबा फुले नगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, महोबा चित्रकूट, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, शेरावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, खुशी नगर, चंदौली, संत रविदास नगर, औरैया	71
29.	उत्तराखंड	अल्मोडा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्र प्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत उधमसिंह नगर	13
30.	पश्चिम बंगाल	बारासात (24 परगना उत्तर), बर्द्धवान, मुर्शीदाबाद, दार्जिलिंग, बरूईपुर (24 परगना दक्षिण), जलपाईगुड़ी, पुरूलिया, कोलकाता, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, बांकुरा, बीरभुम, हुगली, नाडिया, हावड़ा, मालदा, दुर्गापुर (बर्द्धवान-II), डायमंड हार्बर (24 एस परगना), तामलुक मिदनापुर-प्प्, कोलकाता (दक्षिण), रघुनाथपुर (पुरूलिया), दक्षिणी दिनाजपुर	23
31.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1
32.	गोवा	उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा (मडगांव)	2
33.	लक्षद्वीप	कवरति	1
34.	पुदुचेरी	कराईकल, पुदुचेरी, माही, यानम	4
35.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	1
36.	दमन और दीव	दमन, दीव	2
	कुल नेहरू युवा केन्द्र		623

[अनुवाद]

कलाकारों को बढ़ावा देना

1698. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक कला और संस्कृति के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण देश के विभिन्न भागों में कुछ कलाकार दयनीय स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इनके नामों और कार्यक्षेत्रों सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सरकार, कलाकारों और लोक कला एवं संस्कृति के बारे में अधिक चिंतित है और तद्नुसार, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसीज) की स्थापना की हे, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में अवस्थित है। जेडसीसीज का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारंपरिक लोक कला और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार करना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, लोक कला और संस्कृति से संबंधित कलाकारों सहित मंचकला के कलाकारों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं:—

1. मंचकला अनुदान स्कीम
2. छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति
3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
4. गुरू-शिष्य परंपरा स्कीम
5. युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम
6. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन
7. रंगमंच नवीकरण स्कीम
8. शिल्पग्राम कार्यकलाप
9. लोकतरंग — राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा ऑक्टेव — पूर्वोत्तर का उत्सव

उपयुक्त स्कीमों के अलावा, सरकार कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के अंतर्गत उन कलाकारों को भी पेंशन प्रदान कर रही है, जो अपनी आयु अथवा अन्य कारणों से दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हैं।

केरल में आतंकी गतिविधियां

1699. श्री जोस के. मणि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में केरल में आतंकवाद के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल बंदी बनाए गए अभियुक्तों की संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) राज्य में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा केरल सरकार के साथ संयोजन में क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) सरकार के पास आसूचना से संबंधित ऐसी कोई सूचनाएं नहीं हैं जो यह दर्शाती हैं कि हाल के वर्षों में केरल में उग्रवाद के मामलों में वृद्धि हुई हैं इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल में उग्रवाद संबंधी कोई भी मामला नजर में नही आया है। तथापि, आतंकवादी संगठनों और गैर-कानूनी संगठनों के क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों के बीच अत्यंत नजदीकी एवं प्रभावी समन्वय मौजूद है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ संभावित योजनाओं एवं खतरों के बारे में आसूचना की सूचनाओं को नियमित आधार पर साझा किया जाता है। मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को मजबूती प्रदान करते हुए पुनर्गठित किया गया है, ताकि इसे अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना को साझा करने एवं निकटतम वास्तविक समय में मिलान के लिए 24×7 आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना संबंधी सूचनाएं साझा की जाती हैं, जिससे राज्यों तथा केन्द्रीय सुरक्षा एवं विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच नजदीकी समन्वय तथा आसूचना का साझा किया जाना और सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है।

वयोश्रेष्ठ सम्मान

1700. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस और वयोश्रेष्ठ सम्मान, 2013 के अवसर पर कुछ नए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय 2005 से प्रतिवर्ष 1 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस मनाता आ रहा है। इस दिन प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों तथा उन संस्थाओं को "वयोश्रेष्ठ सम्मान" दिए जाते हैं जो वृद्ध व्यक्तियों विशेषतया, वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2013 में, इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा ये विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी वरिष्ठ नगारिकों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से समारोहों, कार्यशालाओं, परिसंवादों, जागरुकता अभियानों आदि का आयोजन कर उपयुक्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने का परामर्श दिया गया है।

धरोहर स्थलों का संरक्षण

1701. श्री रामसिंह राठवा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार देश के पुरातत्वीय धरोहर स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महान क्रांतिकारियों और शहीदों के नाम पर निर्मित धरोहर स्थलों, जैसे महल रजवाड़ा, शहीद स्थल पुराने मठ मंदिरों, संग्रहालयों इत्यादि के संरक्षण हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्थलों के संरक्षण हेतु निर्धारित/जारी निधियां कितनी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंध के तहत वे प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक अभिरूचि के हैं और कम-से-कम 100 वर्षों से विद्यमान हैं, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जा सकते हैं।

ऐसे कुल 3660 स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल/अवशेष हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। ब्यौरा (राज्य-वार) संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से कुछ स्मारक, जैसे (i) घर जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर (गुजरात); (ii) भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का पैतृक घर, जिरादेई (बिहार); (iii) विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्या कुमारी समुद्र तट, कन्या कुमारी (तमिलनाडु), राष्ट्रीय नेताओं के जीवनचरित और कार्यों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों की सूची में महल, मठ मंदिर शामिल हैं।

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3680 स्मारकों/स्थलों/अवशेषों के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए 68.00 करोड़ रुपए निर्दिष्ट किए गए हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सार-सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	129
2.	आंध्र प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	मिज़ोरम	01
20.	नागालैंड	04
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174

1	2	3
22.	ओडिशा	78
23.	पुदुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	07
24.	पंजाब	33
25.	राजस्थान	162
26.	सिक्किम	03
27.	तेलंगाना	08
28.	तमिलनाडु	413
29.	त्रिपुरा	08
30.	उत्तर प्रदेश	743
31.	उत्तराखंड	42
32.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	3680

फार्मा उद्योग द्वारा मूल्य वृद्धि

1702. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मा उद्योग वार्षिक आधार पर 2% तक दवाइयों की कीमत में वृद्धि कर रहा है जो सरकारी नीति का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने दवाइयों के मूल्यों के पुनरीक्षण के संबंध में शक्तियां राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दवाइयों के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के पैरा 16 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्माता पूर्व कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर वर्ष में एक बार अप्रैल के महीने में अनुसूचित फार्मूलेशनों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में वृद्धि कर सकता है और इस संबंध में सरकार का कोई भी पूर्वानुमोदन अपेक्षित नहीं होगा। जहां तक गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों का संबंध है, कोई भी विनिर्माता किसी भी औषधि के अधिकतम खुदरा मूल्य में पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और जहां यह वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक होगी, वहां वह उसे कम करके अगले बारह महीनों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत के स्तर तक लाएगा। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों तरह के फार्मूलेशनों के मूल्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को मूल्यों के निर्धारण/संशोधन से संबंधित शक्तियां प्रदान की हैं। प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 की अनुसूचित श्रेणी के अंतर्गत कुल 680 एनएलईएम दवाइयों में से 30 जून, 2014 तक 440 दवाइयों के संबंध में उच्चतम मूल्य अधिसूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त एनपीपीए ने 108 गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के संबंध में मधुमेह-रोधी और कार्डियोवास्कुलर दवाइयों के मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा

1703. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी :
श्री राहुल रमेश शेवाले :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के लिए राहत के रूप में जारी वित्तीय सहायता की राशि कितनी है और आज की तिथि तक प्रयुक्त की गई निधियों की राशि कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त निधियों के दुर्विनियोजन की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त आपदा के कारण अब तक लापता व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और देश में प्राकृतिक विपदाओं हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 20.06.2013 को राज्य की राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) के लिए 145 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2013 के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में अधिसूचित राष्ट्रीय आपदाओं से हुई तबाही से संबंधित राहत के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से 329.50 करोड़ रुपए (दिनांक 19.07.2013 को 250 करोड़ रुपए + दिनांक 28.02.2014 को 17.66 करोड़ रुपए + दिनांक 31.03.2014 को 61.84 करोड़ रुपए) की राशि जारी की है। इस मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा उक्त निधि के दुर्विनियोजन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 16 फरवरी, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को निःशुल्क राहत के रूप में 219.59 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया है।

उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अन्य राज्यों के 3184 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है। इस संबंध में जांच की निर्धारित प्रक्रिया में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ-साथ उन राज्यों के अधिकारियों द्वारा भी कार्य किया जाना अपेक्षित है, जहां के ये व्यक्ति सामान्य निवासी थे।

उत्तराखंड में समग्र प्रणाली और कार्य-पद्धति में अत्यधिक सुधार हुआ है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपनी तैयारी में वृद्धि करके निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूती प्रदान करना
- राज्य एवं जिला आपदा योजनाओं की तैयारी
- 24×7 आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर आपातकालीन अभियान केन्द्र को क्रियाशील बनाना
- विशिष्ट सूचना प्रदान करने के लिए आईएमडी, सीडब्ल्यूसी और इसरो के साथ समन्वय करना
- संचार एवं चेतावनी प्रसारण नेटवर्क को मजबूती प्रदान करना
- राज्य आपदा कार्रवाई बल (एसडीआरएफ) की स्थापना करना
- संवेदनशील स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल और राज्य आपदा कार्रवाई बल की पूर्व-तैनाती करना
- तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा हैं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए उनके फोटोग्राफ व अन्य विवरणों को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
- प्रभावी ढंग से पीड़ितों को बचाने एवं उन्हें बाहर निकालने के लिए संवदेनशील क्षेत्रों में 52 हेलीपैड तैयार करना
- सड़क संपर्क के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना
- मलबे को जल्दी हटाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक उपकरण पहले से ही उपलब्ध कराना और
- दवाइयों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का भंडारण करना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेवारी राज्यों की होती है। आपदा तैयारी की प्रणाली में सुधार शासन की एक सतत् चलने वाली और विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए संस्थागत तंत्र का प्रावधान है, जिसमें देश में किसी भी आपदा की स्थिति में समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई शामिल है और आपदाओं के निवारण, प्रशमन और उनके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा संपूर्ण उपाय किया जाना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) अपनी अग्रिम चेतावनी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए डॉपलर वेदर राडार लगा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान ने सूचित किया है कि मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता में सुधार करने और त्वरित सूचना प्रसारण प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मौसम से संबंधित पंद्रह (15) संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। आईएमडी ने उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए केन्द्रीय नोड्स को इन स्थानों पर कार्यों के सुझाव के साथ विशिष्ट भविष्यवाणी की जानकारी प्रदान करने के उपाय किए हैं। राज्य सरकार के प्राधिकरणों को चार धाम और हेमकुंड यात्रा के लिए आगामी सात दिनों की भविष्यवाणी और चेतावनी भी प्रदान की जाती है और इन्हें आईएमडी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। राज्य सरकार को हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक छह घंटे के आधार पर वायु एवं तापमान की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर आईसीपी

1704. डॉ. संजय जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में भारत-नेपाल सीमा पर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित समेकित जांच चौकियों (आईसीपी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रक्सौल सहित उक्त क्षेत्र में कुछ स्वीकृत समेकित जांच चौकियों की स्थापना नहीं किए जाने से तस्करों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त जांच चौकियों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर बिहार राज्य में आईसीपी, रक्सौल, जिला पूर्वी चम्पारण और आईसीपी, जोगबनी, जिला अररिया नामक दो एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) की स्थापना की जा रही है।

(ख) और (ग) आईसीपी की स्थापना व्यापार को आसान बनाने के लिए है और इस प्रकार की आईसीपी की स्थापना का सामान्य रूप से तस्करी से कोई प्रत्यक्ष संबंधी नहीं है। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य में (रक्सौल सहित) भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए तस्करी के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

बिहार राज्य में (रक्सौल सहित) भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए तस्करी के मामलों की संख्या

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए सामानों का मूल्य (लाख रुपए में)
2011-12	1349	1417.117
2012-13	997	2589.63
2013-14	1215	1358.49
2014-15 (जून, 2014 तक)	245	210.538

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संबंधित पहुंच मार्गों को तैयार कर दिए जाने के अध्यधीन आईसीपी, रक्सौल और आईसीपी, जोगबनी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू करने की योजना है।

[अनुवाद]

केरल से विधेयक

1705. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से "द पलाचीमादा कोका कोला विक्टिम रिलिफ एंड कंपनसेषन कलेमस स्पेशल ट्रिब्यूनल बिल, 2011" प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विधेयक को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य विधान मंडल द्वारा यथा पारित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत केरल के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति हेतु आरक्षित रखा गया "द पलाचीमादा कोका कोला विक्टिम्स रिलीफ एंड कंपनसेषन क्लेम्स स्पेशल ट्रिब्यूनल बिल, 2011" गृह मंत्रालय में दिनांक 06.04.2011 को प्राप्त हुआ है। इस विधेयक की जाचं केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात् कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग); पर्यावरण और वन मंत्रालय; विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग; न्याय विभाग); ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) और जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श से की गई है। उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां/अभ्युक्तियों प्राप्त करने के बाद, फाइल परामर्श हेतु निधि कार्य विभाग को भेज दी गई थी, जिसने इस मंत्रालय को पर्यावरण और वन मंत्रालय से विधिक राय की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कहा है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर सीधे ही विधि कार्य विभाग से प्राप्त कर ली गई थी। दिनांक 06.05.2014 के का.ज्ञा.सं. 17/12/2011-न्यायिक एवं पीपी तथा बाद में अनुस्मारकों के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से इसकी मांग की गई है।

राज्य विधानों की जांच संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके तीन दृष्टिकोणों से की जाती है अर्थात;

(i) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता;

(ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से उनका विचलन; और

(iii) विधिक एवं सांविधानिक वैधानिकता।

जब कभी आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। कभी-कभी, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। यद्यपि यह मंत्रालय इस विधान पर शीघ्र कार्रवाई करने का हर संभव प्रयत्न कर रहा है, तथापि, इसके अनुमोदन की कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

पेट्रोलियम डीलरों द्वारा अनियमितताएं

1706. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ पेट्रोलियम डीलर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों में छेड़छाड़ कर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में व्यापक कार्य-योजना तैयार करने के लिए राज्यों और अन्य मंत्रियों सहित अन्य पणधारकों के साथ परामर्श किया या परामर्श करना प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (ग) जी, हां। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई सामान्यत: राज्य सरकार के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों और विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाती है। वे पणधारियों के साथ नियमित विचार-विमर्श और आवधिक निरीक्षण भी करते हैं।

पर्यटन अवसंरचना का पुनर्निर्माण

1707. श्री राहुल रमेश शेवाले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उत्तराखंड राज्य सहित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप नष्ट/क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न पर्यटन/तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली पर्यटन संपत्तियों/अवसंरचना और मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवसंरचना/मार्गों के पुनर्निर्माण की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विभिन्न पर्यटन/तीर्थस्थलों को जोड़ने वाले नष्ट/क्षतिग्रस्त पर्यटन संपत्तियों/अवसंरचना और मार्गों के पुनर्निर्माण/विकास/पुन: बनाने के लिए उत्तराखंड सहित राज्यों को कितनी सहायता/राहत प्रदान की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया (पीएचडीसीसीआई) ने जून, 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन संचालित किया।

अध्ययन से अर्थव्यवस्था को लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान का पता चला है। लगभग 116.00 करोड़ रुपए की सरकारी पर्यटन संपत्तियों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच न होने के कारण सभी निजी पर्यटन परिसंपत्तियों के नुकसान का अभी तक पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पुन: निर्माण/ध्वस्त इमारतों/क्षतिग्रस्त सरकारी पर्यटन परिसंपत्तियों के लिए 100.00 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है जिसमें 10.58 करोड़ रुपए जारी होने के साथ 72.55 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 में उत्तराखंड राज्य में विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं हेतु 145.17 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

फार्म मशीनरी और उपस्कर

1708. श्री छेदी पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के शारीरिक श्रम को कम करने के लिए विगत में विकसित फार्म उपस्कर यंत्रों और औजारों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त उपस्करों को विकसित करने में सम्मिलित केंद्रीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि कार्यकलापों हेतु फार्म मशीनरी और उपस्करों के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित/आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों/कार्यशालाओं और इस प्रयोजन हेतु सम्मिलित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन उपस्करों की खरीद हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वहनीय लागत पर किसानों हेतु फार्म मशीनरी और उपस्कर विकसित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) ग्याहरवीं योजना (2007-12) के दौरान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएई) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा फार्म यंत्रों एवं मशीनरी, पशु ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एरगोनोमिक्स तथा सुरक्षा के संबंध में विकसित/परिवर्धित फार्म उपस्कर, यंत्र, मशीन और औजारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कृषि कार्यकलापों के लिए फार्म मशीनरी और उपस्कर को बढ़ावा देने हेतु किसानों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रोत्साहन देने के लिए सीआईएई, भोपाल द्वारा 2007-08 से 2013-14 तक आयोजित कार्यक्रम/कार्यशाला का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कृषि उपस्कर और मशीनों की खरीददारी के लिए सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर कोई ऋण नहीं देती है। तथापि, किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि संबंधी मशीनों और उपस्करों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है।

(घ) आईसीएआर ने बेहतर फार्म यंत्रों और मशीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु एनएएसआई-आईसीएआर पुरस्कार की स्थापना की है।

विवरण-I

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएई) और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा फार्म यंत्रों एवं मशीनरी, पशु ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एरगोनोमिक्स तथा सुरक्षा के संबंध में विकसित, परिवर्धित फार्म उपस्कर, यंत्रों, मशीन और औजारों का ब्यौरा निम्न रूप में है:—

- पशु चालित एवं ट्रैक्टर चालित फार्म यार्ड खाद स्प्रेडर विकसित किए गए। पशु चालित स्प्रेडर की फील्ड क्षमता और फील्ड दक्षता 2.4 कि.मी./घंटा के परिचालन की गति पर 0.19 हैक्टेयर/घंटा थी, जबकि ट्रैक्टर चालित फार्म यार्ड खाद स्प्रेडर की फील्ड क्षमता 4 कि.मी./घंटा पर 0.6 हैक्टेयर/ घंटा थी।
- भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कालिकट के सहयोग से बागवानी नर्सरी के लिए एक ऊर्जा चालित अचर टाइप की पॉट फिलिंग मशीन विकसित की गई जो मिक्सिंग, पूलवैराइजिंग, सिविंग तथा वांछित मात्रा में पॉली बैगों में पॉटिंग मिश्रण को भरने में सक्षम है।
- पूर्ण केले के गुच्छ को अलग करने वाले उपस्कर को उद्योग के सहयोग में हल्के वजन वाले विकसित पावर टिलर से जोड़ा गया।
- गन्ने से बड चिप्स के निष्कर्षण के लिए पैडल चालित और न्यूमैटिकली चालित गन्ना बड चिपिंग मशीन विकसित की गई। ट्रैक्टर चालित चार पंक्ति वाला पंच प्लांटर विकसित किया गया।
- ट्रैक्टर चालित चार पंक्तियों वाला पंच प्लांटर विकसित किया गया।
- पांच पंक्तियों में ट्रैक्टर से चालित सीड ड्रिल विकसित की गई जिसमें प्रोटोटाइप प्राक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है।
- पॉलि बैगों में गन्ना कलम पौधों के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के सहयोग में एक ट्रैक्टर चालित प्लांटर विकसित किया गया।
- लेजर सेंसर आधारित ऑन/ऑफ टाइप एकल पंक्ति वाला शाकनाशी एप्लिकेटर विकसित किया गया।
- फ्रंट माउंटेड उपस्कर के द्वारा पवार की सहज सुनिश्चितता के लिए फ्रंट पीटीओ उपलबध कराने हेतु एक ट्रैक्टर का उन्नयन किया गया। उभरी क्यारी की स्थिति में पोर्टल हाउसिंग की उपयोगिता बढ़ाने हेतु कम चौड़े वाले टायरों के साथ पोर्टल हाउसिंग विकसित किया गया।
- पावर टिलर चालित तथा स्वचालित अंतर-कैनोपी स्प्रेयर विकसित किया गया। 1.31 कि.मी./हैक्टेयर के परिवहन की गति पर पावर टिलर चालित कैनोपी स्प्रेयर की प्रभावकारी फील्ड क्षमता 1.46 हैक्टेयर/घंटे थी। 64.2 प्रतिशत और 59.4 प्रतिशत की फील्ड दक्षताओं के साथ कपास और

अरहर की फसलों के खेतों में स्वचालित मशीन की वास्तविक क्षमता क्रमश: 1.06 हैक्टेयर/घंटा और 0.95 हैक्टेयर/घंटा थी।

- डीओजीआर पूणे के परामर्श से एक प्याज हार्वेस्टर विकसित किया गया। प्रोटोटाइप की फील्ड क्षमता 0.20 हैक्टेयर/घंटा पायी गई। सामान्य विधि की तुलना में हार्वेस्टर के उपयोग से फसल कटाई-तुड़ाई की लागत में 50 प्रतिशत की बचत हुई।
- उद्योग के सहयोग में ट्रैक्टर चालित स्ट्रा कंबाइन विकसित किया गया। यह नई मशीन छोटे खेतों में ज्यादा दक्षता लाने और श्रम में कमी लाने में सक्षम है।
- किसी भी रोटरी टाइप मशीन के प्रचालन के लिए एक डाइनापॉड विकसित किया गया जिसमें मानव शक्ति का बड़ी दक्षता से उपयोग किया गया। डायनापॉड के साथ उपयोग करने पर मक्का शैलर की क्षमता हैंड क्रैकिंग विधि की तुलना में 60 प्रतिशत बढ़ी, जबकि नीरस कार्य में लगभग 67 प्रतिशत की कमी आई।
- ट्रैक्टर चालित एक हल्दी हार्वेस्टर विकसित किया गया।
- केला डिसकरिंग टूल (हस्तचालित) विकसित किया गया।
- फल हार्वेस्टर (प्लेटफार्म टाइप) विकसित किया गया।
- एनआईआरजेएएफटी, कोलकाता के सहयोग में जूट रिबनर (क्षमता 100 कि.ग्रा./हैक्टेयर) विकसित किया गया।
- वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नारियल पेड़ पर चढ़ने के लिए सुरक्षा यंत्र विकसित किया गया।
- सिल्क कोकून (50 कि.ग्रा./बैच) के लिए एक सोलर शुष्कन सिस्टम विकसित किया गया।
- उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए एक सौर समर्थित डीह्यूमिडिहायर आधारित ड्रायर (20 कि.ग्रा./बैच) विकसित किया गया।
- उपस्कर-अमरूद और टमाटर के लिए फल ग्रेडर, प्रि-कूलिंग और अस्थाई स्टोरेज के लिए वाष्प संबंधी कूलिंग संरचना, हैंडलिंग ट्राली, स्टैक लिफ्टर और जड़ वाली फसल के लिए वासर विकसित किए गए।
- ताजी करी पत्ती के लिए फोर्स्ड फ्लो टाइप तथा बिजली से ताप दिये जाने वाला ड्रायर (क्षमता 50 कि.ग्रा./बैच) का अंगीकरण किया गया।
- प्याज का छिलका हटाने के लिए एक बैच टाइप मल्टीप्लायर विकसित किया गया।
- आंवला (एमएमब्लिका आफीसीनेलिस गेटर्न) के लिए सतत् फीड टाइप सीड रिमूवल एवं सेगमेंटेशन उपस्कर के अभियांत्रिकी और न्यूमेटिक मॉडल विकसित किए गए।
- सोयाबीन तेल की डिगमिंग इकाई (क्षमता 50 लीटर/बैच)।
- सोया गिरी (क्षमता 25 कि.ग्रा./दिन) को फ्राई करने के लिए रोस्टिंग और डीप फैट फ्राइंग के लिए परीक्षण किया गया।
- सनाय पत्ता विपट्टक
- एलोवेरा जेल निष्कर्षक
- ओकारा और छेने के पानी का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी
- घूमने वाली मेगजीन किस्म को ट्रैक्टर से चलने वाला सब्जी ट्रांसप्लांटर और प्याज सीडर
- खेती की एसआरआई विधि के लिए उपयुक्त धान ट्रांसप्लांटर और वीडर
- आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर क्षेत्र के लिए बैल से खींचे जाने वाला 5 पंक्ति वाला मूंगफली का स्वचालित प्लांटर
- सब्जी नर्सरी उत्पादन के लिए निडल टाइप ट्रे सीडर
- एसआरआई खेती के लिए हाथ से खींचने वाला धान रो सीडर
- हल्के वजन वाले पावर ट्रिलर के लिए बुआई और निराई अटेचमेंट्स
- आत्म-चालित पटसन बीज ड्रिल
- ट्रैक्टर चालित बहु-फसली प्लांटर (मसाले, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली)
- पर्वतीय क्षेत्र के लिए पावर टिलर चालित जीरो-टिल ड्रिल
- क्यारी में बागवानी और सोयाबीन-गेहूं फसलों के लिए नेरो व्हील प्राइम मूवर और उपकरण
- मूंगफली और सब्जियों के लिए प्लास्टिक मल्च्ड क्यारियों में रोपण के लिए ट्रैक्टर चालित प्लांटर
- जीरे के लिए ट्रैक्टर चालित प्लांटर
- आत्म-चालित राइडिंग टाइप अंतर-संवर्धन एवं छिड़काव उपकरण

- फलोउद्यान और बागवानी फसलों में अंतर-संवर्धन प्रचालनों के लिए पावर वीडर
- ट्रैक्टर चालित मूंगफली डिगर एलीवेटर
- ट्रैक्टर चालित कंदमूल फसल हार्वेस्टर एवं एलीवेटर
- पावर टिलर चालित आलू डिगर
- पालमाइरा के लिए हस्तचालित पढ़ने वाला उपकरण (ट्री क्लाइम्बर)
- चारा फसलों के लिए आत्म-चालित हार्वेस्टर
- अजवाइन के लिए थ्रैशर
- गन्ने की सीठी को कतरने के लिए पावर टिलर रोटावेटर के लिए चोपर टाइप टाइनेस
- टुनकेटिड पेरामिड टाइप सोलर कुक्कर एवं ओवन
- सौर ड्रायर्स
- नेचुरल सर्कुलेशन और ड्रायर
- कम लागत वाला सौर ट्रेंट ड्रायर
- फोर्स्ड कन्वेक्शन और ड्रायर
- सेमी कंटीन्यूअस सोलर टनल ड्रायर
- कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए सोलर टनल ड्रायर
- पशुओं से प्राप्त खाद को फैलाने वाले दो मॉडल विकसित किए गए। हॉपर की क्षमता 3.75-4.0 क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न थी। कवरेज की चौड़ाई 1.35 मी. से 1.52 मी. तक भिन्न-भिन्न थी। दोनों मॉडलों में अनुप्रयोग की दर 2.8 से 18.53 टन प्रति हैक्टेयर के बीच भिन्न-भिन्न थी। सतत् प्रचालन के लिए फील्ड क्षमता 0.15-0.18 हैक्टेयर/घंटा के बीच भिन्न-भिन्न थी।
- कपास और अरहर की फसलों के लिए बैल से चलने वाले इंजन चालित स्प्रेयर का विकास किया गया। विकसित किए गए स्प्रेयर का अधिकतम डिस्चार्ज 697 ली./घंटा था। यूनिट की फील्ड क्षमता 1.19 हैक्टेयर/घंटा थी।
- असम के छोटे बैलों के लिए हल्के वजन का नॉन-व्हील्ड टाइप टूल फ्रेम का विकास किया गया/बनाया गया डिजाइन मुख्यतया पाइप सेक्शनों का था जिसकी फ्लैड वेल्डिंग की गई थी। सभी अटैचमेंट में भी पाइप सेक्शन थे जो इसके साथ वैल्ड किए गए थे जिन्हें केवल टूल फ्रेम में डाला जा सकता है। टूल फ्रेम बहुत हल्का है जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम है। अटैचमेंट लगा देने के बाद भी इसका वजन लगभग 4 किलोग्राम है। किसान औजार के साथ टूल फ्रेम को आसानी से उठा सकता है। एम.बी. हल, उलटने योग्य शावर और रिजर की फील्ड क्षमताएं 0.03, 0.05 और 0.07 हैक्टेयर/घंटा थी।
- बैल से चलने वाले उपयुक्त कोलेक्टर का विकास किया गया जिसकी चौड़ाई 1.65 मि.मी. और ऊंचाई 30 सें.मी. थी। प्रभावकारी फील्ड क्षमता और फील्ड दक्षता क्रमशः 0.40 हैक्टेयर/घंटा और 90.5 प्रतिशत पाई गई और सफाई कार्यकुशलता 87.93 प्रतिशत थी। प्रचालन लागत 760 रुपए प्रति हैक्टेयर थी।
- आरम्भिक जुताई कार्य के बाद मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए पशु चालित रोटरी क्लोड क्रशर का विकास किया गया। धान पडलर का फ्रेम इस्तेमाल किया गया। यद्यपि क्लोड क्रशर की फील्ड क्षमता (0.255 हैक्टेयर/घंटा) पलंकर की क्षमता (0.0387 हैक्टेयर/घंटा) से कम थी, तथापि संक्षोदन की डिग्री बेहतर थी।
- सिक्किम क्षेत्र में प्रयोग के लिए शून्य मृत्तिका परिस्थितियों के अंतर्गत गेहूं बोने हेतु बीज सह-उर्वरक ड्रिल का परिष्करण एक पंक्ति बीज सह उर्वरक ड्रिल में किया गया था।
- परिष्करण मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों की परिधि में ढुलाई उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए गए एकल वातिल पहिया बैलगाड़ी में किए गए थे।
- गोबर और पेशाब के एकत्रीकरण और अलगाव के लिए प्लेटफार्म, स्ट्रेनर, ट्रे और कंटेनर युक्त एक प्रणाली।
- एक वहनीय खाद संग्राही।
- कृषि-प्रसंस्करण मशीनरी और विद्युत उत्पादन के कार्य को करने के लिए एक चक्रीय संचारण प्रणाली का विकास किया गया था। इस इकाई को एक ऊंट या बैलों की मध्यम जोड़ी से संचालित किया जा सकेगा।
- तीन गांवों, रायपुर जिले में दो और इलाहाबाद जिले में एक, में कृषि-प्रसंस्करण के लिए चक्रीय संचारण के लिए तीन इकाइयां स्थापित की गयी थीं। चारा काटने, धान थ्रेसर और विनोवर के लिए प्रत्येक गांव में लगभग 10-15 किसानों ने चक्रीय इकाई का प्रयोग किया।

श्रम प्रभाविकी तौर से परिष्कृत/विकसित फार्म औजार और उपस्कर/प्रौद्योगिकियां

- नारियल के पेड़ में चढ़ने के लिए टीएनएयू
- सुपारी के पेड़ में चढ़ने का यंत्र और पैदावार निकालने का चाकू
- पनई ताड़ में चढ़ने का यंत्र
- सुपारी स्ट्रिपर
- केले के गुच्छे निकालने का यंत्र
- हस्त चालित नारियल डिहस्कर
- अमरूद फल निकालने का किट
- एनईएच क्षेत्र में संतरा निकालने का यंत्र
- फल निकालने और छंटाई कार्य के लिए पिक पोजिशनर में लगाया गया ट्रैक्टर
- पदचालित मकई डिहस्कर रोलर
- पदचालित रागी पर्लर

महिला अनुकूल यंत्र और उपस्कर

- कैंची की तरह का चाय प्लकर
- टीएनएयू सुपारी डिहस्कर
- डॉ. वीएसकेकेवी चक्रीय सुपारी डिहस्कर
- कोनो वीडर

सुरक्षा पहल

- हस्तचालित और विद्युत चालित कुट्टी काटने वाले औजार के लिए सुरक्षा यंत्र
- ट्रैक्टर ट्रेलर को पीछे से पहलटने से बचाव की यांत्रिकी
- दो पहिए वाले ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए एक और पलटने का संकेत देने हेतु इलैक्ट्रॉनिक मॉनीटर
- ट्रैक्टर के लुढ़कने के बचाव (आरओपीएस) के स्थैतिक जांच के लिए रिग
- ट्रैक्टर पर आरओपीएस के लिए यूनिवर्सल माउंटिंग फिक्सचर
- ट्रैक्टर के लिए आरओपीएस डिजाइन
- ओडिशा में अक्षीय प्रवाह थ्रेसरों के लिए सुरक्षा अनुशंसायें
- कुओं से विषैली गैस निकालने के लिए ट्रैक्टर चालित पंप
- खेतों में छिड़काव के दौरान संचालक का रासायनिकों से विगोपन संबंधी अध्ययन
- पहाड़ी कृषि में कार्मिकों को लगने वाली चोटों को न्यूनतम करने के लिए सुरक्षा गैजेट्स/पहनावे

संचालक का सुख साधन

- चाय छंटाई के लिए कंपन वियुक्तक
- ट्रैक्टर सीट के लिए कंपन वियुक्तक
- श्रम प्रभावी सोच विचार पर आधारित भारतीय संचालकों के लिए ट्रैक्टर चालक के कार्य स्थल का लेआउट
- विद्युत चालित टिलर-ट्रेलर प्रणाली के लिए उन्नत कार्य स्थलीय लेआउट
- स्व-प्रेरित बूम स्प्रेयर के संबंध में आवाज और कंपन माप और कंपन वियुक्तकों के माध्यम से क्षीणन।

विवरण-II

1. **कार्यक्रम/कार्यशालाएं आदि**

क्र.सं.	कार्यक्रम	वर्ष
1	2	3
1.	तालाबी मात्स्यिकी से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला	2007
2.	पहाड़ी कृषि संबंधी कृषि यांत्रिकी पर कार्यशाला	2008

1	2	3
3.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (अर्थशास्त्र 2007 और सोयाबीन प्रसंस्करण और उपयोग)	2008
4.	फार्म यांत्रिकी पर सार्क क्षेत्रीय कार्यशाला	2008
5.	आईएसएई का वार्षिक सम्मेलन और संगोष्ठी	2008
6.	भाकृअप क्षेत्रीय समिति संख्या VII की 21वीं बैठक	2010
7.	कृषि यांत्रिकी संबंधी पारस्परिक बैठक	2010
8.	प्रभागों के प्रमुख और क्षेत्रीय स्टेशन तथा संस्थानों के पीसीज/पीडीज के लिए बैठक-सह-कार्यशाला	2011
9.	मध्य प्रदेश के कृषि इंजीनियरी निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ पारस्परिक बैठक	2012
10.	फार्म मशीनरी और विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरी की इकाइयों से संबंधित भाकृअप वैज्ञानिकों की पारस्परिक बैठक	2012
11.	फार्म यांत्रिकी पर भाकृअप-सी-II संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक	2012
12.	भाकृअप अनुसंधान परिसर गोवा में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यांत्रिकी पर कार्यशाला सह प्रदर्शनी	2012
13.	मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पणधारियों के साथ 2 दिन की पारस्परिक बैठक	2012
14.	कृषि शिक्षा दिवस	2012
15.	संधारणीय कृषि यांत्रिकी केंद्र (सीएसएएम) की तकनीकी समिति का नौवां सत्र	2013
16.	शाक-सब्जी उत्पादन के लिए संरक्षित कृषि पर राष्ट्रीय सेमिनार	2014

2. राष्ट्रीय लेवल प्रशिक्षण

क्र.सं.	प्रशिक्षण	वर्ष
1	2	3
1.	वर्टिसोल्स में सधारणीय कृषि उत्पादन के लिए अतिरिक्त वर्षा प्रबंधन संबंधी भाकृअप प्रत्यायित ग्रीष्म काली स्कूल	2007
2.	कृषि उपस्कर के लिए उत्पाद प्रौद्योगिकी के संबंध में भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2008
3.	विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोगिता में भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2009
4.	सोया आधारित उद्योगों के प्रबंधन संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2009
5.	फलों एवं शाक-सब्जियों के पैकेजिंग, भंडारण, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण में नॉवेल प्रशिक्षण संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2009

1	2	3
6.	जैव ईंधन संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल — जीवाश्म ईंधनों का संधारणीय विकल्प	2009
7.	वर्टिसोल्स में परिशुद्ध कृषि के लिए डीएसएस एवं विद्युत नियंत्रण का प्रयोग करते हुए ग्रामीण समय सिंचाई संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2009
8.	वर्टिसोल्स में परिशुद्ध कृषि के लिए परिशुद्ध फार्म मशीनरी, निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) और इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रकों का प्रयोग करते हुए बीज, उर्वरक और रासायनिक के लिए इनपुट अनुप्रयोग सक्षमता बढ़ाने संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2010
9.	भारतीय कृषि में यांत्रिकी की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं के संबंध में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	2010
10.	इनपुट प्रयोग सक्षमता में सुधार लाने के लिए परिशुद्ध कृषि के लिए सेंसर आधारित अनुप्रयोग संबंधी भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2011
11.	खाद्य प्रणालियों के लिए गैर-तापीय, गैर-रासायनिक प्रसंस्करण और मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकियों संबंधी एनएआईपी प्रत्यायित प्रशिक्षण	2011
12.	कृषि में मशीन दृश्य अनुप्रयोगों के लिए सेंसर और प्रोटोकॉल्स संबंधी एनएआईपी प्रत्यायित राष्ट्रीय प्रशिक्षण	2011
13.	कृषि यांत्रिकी में तकनीकी उद्यमिता अवसरों के संबंध में भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल।	2012
14.	क्रियात्मक भोजन के विकास और मूल्यवर्धित उपोत्पादों के लिए जैव-प्रसंस्करण प्रणाली में विकासों के संबंध में भाकृअप प्रत्यायित शीतकालीन स्कूल	2013
15.	परिशुद्ध कृषि के लिए सेंसरों और प्रेरकों के संबंध में एनएआईपी प्रत्यायित राष्ट्रीय प्रशिक्षण	2014

3. **अंतर्राष्ट्रीय लेवल प्रशिक्षण**

क्र.सं.	संबंधित प्रशिक्षण	भागीदार	वर्ष
1.	छोटे पैमाने/ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करने के लिए उपस्कर और प्रौद्योगिकी	अफ्रीकी आसियान नागरिक	2009, 2010, 2011, 2012, 2014
2.	कृषि मशीनरी का निर्माण, परीक्षण और मानकीकरण	सार्क भागीदार	2009
3.	परिशुद्ध कृषि सहित उत्पादकता संवर्धन के लिए कृषि उपस्करों में विकास	आसियान भागीदारी	2012
4.	कृषि यांत्रिकी के संबंध में प्रशिक्षण सह-अध्ययन दौरा	अफ्रीकीय पणधारी	2013

[अनुवाद]

भंडागारण सुविधाएं

1709. **श्री निशिकांत दुबे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भंडागारण सुविधाओं का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित ग्रामीण गोदामों की कुल संख्या कितनी है और झारखंड सहित राज्य-वार लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां। सरकार ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) के मांग आधारित, समग्र राजसहायता स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समवर्गी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण के निर्माण को बढ़ावा देती है, जिसे समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) की उप-स्कीम कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) में 1.04.2014 से विलयन कर दिया गया है।

(ख) 31.03.2014 के अनुसार स्कीम के तहत स्वीकृत की गई भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत निर्माण की गई भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। स्कीमों से लाभान्वित किसानों की संख्या का आकलन नहीं किया गया है, फिर भी यह बहुत ज्यादा हो सकती है तथा इसमें वे किसान, जो गोदामों के निर्माण द्वारा स्कीम के तहत राजसहायता से प्रत्यक्ष लाभान्वित हैं तथा वो किसान, जो ऐसी सुविधाओं का प्रयोग करके तथा रेहन वित्त द्वारा सीधे लाभान्वित है, दोनों तरह के किसान शामिल होंगे।

विवरण-I

शुरुआत से 31.3.2014 तक ग्रामीण भंडारण योजना के तहत स्वीकृत की गई भंडारण क्षमता

क्र. सं.	राज्य	भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7337677
2.	अरुणाचल प्रदेश	945
3.	असम	724806
4.	बिहार	465616
5.	छत्तीसगढ़	1646450
6.	गोवा	299
7.	गुजरात	3029714
8.	हरियाणा	6205438
9.	हिमाचल प्रदेश	22347
10.	जम्मू और कश्मीर	35648
11.	झारखंड	79918
12.	कर्नाटक	2933085
13.	केरल	72653
14.	मध्य प्रदेश	6981671
15.	महाराष्ट्र	4845976
16.	मेघालय	21012
17.	मिज़ोरम	756
18.	नागालैंड	250
19.	ओडिशा	778369
20.	पंजाब	6291363
21.	राजस्थान	1508474
22.	तमिलनाडु	1110793
23.	उत्तर प्रदेश	4731145
24.	उत्तराखंड	784677
25.	पश्चिम बंगाल	1352308
26.	त्रिपुरा	7340
27.	संघ शासित राज्य क्षेत्र	0
	कुल	50968730

विवरण-II

झारखंड सहित पिछले तीन वर्षों (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) के दौरान ग्रामीण भंडारण योजना के तहत निर्माण किए गए गोदामों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	139	569953	89	385824	129	751999
2.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	00	00	00	00
3.	असम	10	35086	14	50940	30	140391
4.	बिहार	44	47386.48	35	46015.16	31	66847.97
5.	छत्तीसगढ़	36	88292	39	131448	27	86275
6.	गोवा	00	00	00	00	00	00
7.	गुजरात	1392	345408	472	214308	1058	265192
8.	हरियाणा	34	162187.22	69	477107.67	34	433270.35
9.	हिमाचल प्रदेश	00	00	02	173.90	01	246.77
10.	जम्मू और कश्मीर	00	00	00	00	00	00
11.	झारखंड	2	10000	3	26510	1	5000
12.	कर्नाटक	688	334194	498	197272	430	425467
13.	केरल	0	0	0	0	1	442.96
14.	मध्य प्रदेश	36	73400	31	104100	126	564200
15.	महाराष्ट्र	177	288806.54	88	138531.81	197	176243.88
16.	मेघालय	00	00	00	00	1	8132
17.	मिज़ोरम	00	00	00	00	00	00
18.	नागालैंड	00	00	00	00	00	00
19.	ओडिशा	14	49833	9	20457	3	12805
20.	पंजाब	13	122345	93	1634248	101	166358
21.	राजस्थान	25	64888	28	43273	4	19716

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	5	30256.14	40	154515.00	22	115123.61
23.	उत्तर प्रदेश	84	112292	63	981363	48	385235
24.	उत्तराखंड	21	53671.6	9	45987.3	32	110170.51
25.	पश्चिम बंगाल	84	82229	34	77781	95	195370.28
26.	त्रिपुरा	00	00	01	994	01	6349
27.	संघ शासित राज्य क्षेत्र	00	00	00	00	00	00
	कुल	2804	2470227.98	1615	4730674.94	2371	3934588.56

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति श्रेणी में जातियों को सम्मिलित करना

1710. साध्वी निरंजन ज्योति : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों की श्रेणी में जातियों को सम्मिलित करने के लिए अनुपालित मानक/दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों (एससी) की श्रेणी में विभिन्न जातियों को शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने हेतु इन राज्यों द्वारा सूचीबद्ध जातियां कौन-सी हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इन प्रत्येक प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में उक्त जातियों को सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को शामिल करने के लिए अपनाये जाने वाला मानदंड 'अस्पृश्यता' की परंपरागत कुप्रथा से होने वाला अत्यधिक शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जातियों के रूप में जातियों के विनिर्देशन पर विचार करने के लिए जून, 1999 में क्रियाविधि तैयार की है, इसे जून, 2002 में संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:–

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समावेशन के लिए संस्तुत जातियां		
	2012	2013	2014
1	2	3	4
छत्तीसगढ़		(1) सारथी, सूत सारथी, साहिस, सेस, थनवर	
		(2) सोनकार	
झारखंड	(1) पेक, खंडित, खंडित पेक	–	–
मध्य प्रदेश	(1) जांगड़ा	–	–

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	—	(1) काहर, कश्यप, केवट, मल्लाह, निशाद, धीवर, बिंड, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडियां, मांझी, मछुआ (2) भर, राजभर (3) कुम्हार, प्रजापति	—
पश्चिम बंगाल	—	—	(1) चैन
दादरा और नगर हवेली	(1) वाल्मीकि	—	—
दिल्ली		(1) बेरवा (2) कपाड़िया	—

उपर्युक्त प्रस्तावों पर निर्धारित क्रिया विधि के अनुसार कार्रवाई की गई है। की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:—

छत्तीसगढ़ राज्य की सोनकार जाति, झारखंड की पैक, खंडित पैक जाति, मध्य प्रदेश की जांगड़ा जाति, उत्तर प्रदेश की कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिण्ड, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, भर, राजभर, कुम्हार और प्रजापति जातियों से संबंधित प्रस्तावों को भारत के महापंजीयक की टिप्पणियों के प्रकाश में उनकी सिफारिश का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र प्रशासनों को लौटा दिया गया है। दादरा और नागर हवेली के वाल्मिकी जाति के प्रस्ताव को अपेक्षित नृजातीय ब्यौरे के साथ अपनी सिफारिश की पुष्टि करने के अनुरोध के साथ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चैन जाति के प्रस्ताव को आरजीआई के पास उनकी टिप्पणियां के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सारथी, सूत सारथी, साहिस, सेस, थनवर जाति के प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

(घ) इस समय, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एनसीटीसी और राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड की स्थापना

1711. डॉ. शशि थरुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) की प्रचालनात्मकता की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर राज्यों के साथ चर्चा/परामर्श पूरे कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड की स्थापना के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) का प्रचालन आस्थगित रखा गया है। इस मुद्दे पर दिनांक 05 जून, 2013 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और चर्चा अनिर्णायक रही।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

चीनी उद्योग

1712. श्री शैलेश कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने हाल में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) क्या चीनी उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए चीनी के मूल्यों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की एक बैठक दिनांक 23.06.2014 को आयोजित की गई थी, जिसमें गन्ना मूल्य बकाया की वर्तमान स्थिति तथा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी), कच्ची चीनी के उत्पादन और निर्यात, चीनी पर आयात शुल्क और चीनी मिलों को उत्पाद शुल्क ऋण से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। केंद्रीय सरकार सभी हितधारकों अर्थात् गन्ना किसानों, चीनी उद्योग और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेती है।

(ग) घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें अनेक कारकों पर निर्भर होती हैं अर्थात् कच्चे माल की लागत, परिवर्तन लागत, उत्पादन, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, बाजार की स्थिति, चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आदि। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं।

[अनुवाद]

भेषज इकाइयों का पुनरुद्धार

1713. श्री नारणभाई भिखाभाई काछडिया :
श्री पी.के. बिजू :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के भेषज निर्माण उपक्रमों के बंद/रुग्ण इकाइयों/संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा इकाई/संयंत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के भेषज कंपनियों के प्रचालन हेतु सरकार द्वारा दी गई सहायता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय/विभाग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बजाए निजी कंपनियों से महंगी दवाइयां खरीदते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां हैं; और

(ङ) मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से ही दवाइयां खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) औषध पीएसयू, जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है और बंद किया गया है, का ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	स्थिति
1.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिम्परी, पुणे	रुग्ण, बीआईएफआर को संदर्भित
2.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता	रुग्ण, बीआईएफआर को संदर्भित
3.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुडगांव	रुग्ण, बीआईएफआर को संदर्भित
4.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल), कोलकाता	बंद
5.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल), कोलकाता	परिसमाप्त
6.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल), नागपुर (एचएएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र पीएसयू)	बंद
7.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल), मणिपुर (एचएएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र पीएसयू)	बंद

सरकार ने 9 मार्च, 2006 को एचएएल की पुनर्वास स्कीम अनुमोदित की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 137.59 करोड़ रुपए की नकद सहायता और 259.43 करोड़ रुपए के पिछले ऋणों तथा उन पर ब्याज की माफी (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार) शामिल थी। एचएएल की द्वितीय पुनर्वास स्कीम के लिए मामले को बीआईएफआर को भेजा गया है। उसी प्रकार भारत सरकार ने भी 21 दिसम्बर, 2006 को बीसीपीएल की पुनरुद्धार स्कीम अनुमोदित की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 207.19 करोड़ रुपए की नकद सहायता और 233.41 करोड़ रुपए के पिछले ऋणों तथा उन पर ब्याज की माफी (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार) शामिल थी। आईडीपीएल के पुनरुद्वार के लिए मामले को बीआईएफआर को भेजा गया है।

(ख) चालू वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान एचएएल, बीसीपीएल और आईडीपीएल को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	पीएसयू	मंजूर की गई रकम	प्रयोजन
2011-12	बीसीपीएल	0.60	पूंजीगत पुनर्संरचना (पुनरुद्धार स्कीम)
	आईडीपीएल	1.21	अनुसूची-एम अनुपालन के लिए, ओडीसीएल
		3.40	आईडीपीएल के गुडगांव ऋषिकेश और चेन्नई संयंत्र के अनुसूची एम अनुपालन के लिए
2012-13	आईडीपीएल	5.00	हैदराबाद संयंत्र के लिए लिक्विड ओरल संयंत्र (द्वितीय लाइन)
2013-14	एचएएल	5.00	एचएएल के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए
		6.20	फार्मूलेशन परियोजना के लिए उपयोगिता ढांचा स्थापित करने हेतु
	आईडीपीएल	1.22	ओडीसीएल संयंत्र में किए जा रहे चरण-II अनुसूची-एम कार्य को पूरा करने के लिए
		1.80	ओडीसीएल संयंत्र में किए जा रहे चरण-II अनुसूची-एम कार्य को पूरा करने के लिए

(ग) से (ङ) सरकार ने दिनांक 10.12.2013 से औषध क्रय नीति (पीपीपी) कार्यान्वित की है जो पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी। पीपीपी एक ऐसी सुविधा है जिसका मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों आदि द्वारा औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उचित मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त औषधियां खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खरीद करने वाले अभिकरणों/संस्थाओं को पीपीपी नीति के अधीन दवाएं खरीदने का निदेश दें।

[अनुवाद]

रबी और खरीफ फसलें

1714. श्री पी. करुणाकरण :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रबी और खरीफ फसलों में कृषि भूमि के क्षेत्रफल का फसल तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान रबी और खरीफ फसलों के अंतर्गत कृषि-क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके कृषि क्षेत्र में आई कमी के कारण रबी और खरीफ फसलों में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन फसलों के कृषि क्षेत्रफल में गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) 2014-15 के लिए कृषि फसलों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादन संबंधी पहले अग्रिम अनुमानों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। 2011-12

से 2013-14 के दौरान मुख्य खरीफ और रबी फसलों के तहत क्षेत्रीय कवरेज के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान, रबी फसलों के तहत क्षेत्रीय कवरेज ने एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। तथापि, समग्र वर्षा की स्थिति, प्रतिकूल मौसम तापक्रम परिस्थितियों, सिंचाई सुविधाओं आदि पर निर्भरता के अनुसार, खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता रहता है।

(घ) 2011-12 से 2013-14 के दौरान मुख्य खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान, अधिकांश सभी मुख्य खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ङ) देश में कृषि योग्य क्षेत्र में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषक नीति-2007 (एनपीएफ, 2007) के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण क्रियाकलापों सहित गैर-कृषि विकास क्रियाकलापों के लिए गैर-कृषि योग्य कृषि, क्षारीय, अम्लीय आदि प्रभावित भूमि जैसे म जैविकीय क्षमता वाले भूमि को निर्धारित करें। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं बंदोबस्त नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007) में यह सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं को बंजर भूमि, गैर-उन्नत भूमि व गैर-सिंचित भूमि पर स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं बंदोबस्त नीति, 2007 ने यह भी सिफारिश की है कि परियोजनाओं में गैर-कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए तथा बहु-फसलीकृत भूमि को हर संभव टाला जाए तथा सिंचाई युक्त भूमि का अधिग्रहण, यदि इसे टाला नहीं जा सकता है तो न्यूनतम पर रखा जाए।

विवरण-I

2011-12 से 2013-14 के दौरान खरीफ और रबी फसलों का राज्य-वार क्षेत्रीय कवरेज

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2011-12			2012-13			2013-14*		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	7979.0	3364.0	11343.0	8134.0	3412.0	11546.0	8473.0	3541.0	12014.0
अरुणाचल प्रदेश	196.7	42.6	239.3	199.6	42.9	242.4	#	#	#
असम	2302.8	799.1	3101.8	2248.1	848.1	3096.2	2243.8	825.5	3069.3
बिहार	3967.4	3229.3	7196.7	3924.6	3330.5	7255.1	3770.9	3111.5	6882.4
छत्तीसगढ़	4488.3	795.2	5283.4	4476.3	912.3	5388.6	4462.4	873.7	5336.1
गोवा	32.9	28.5	61.4	32.9	26.9	59.8	#	#	#
गुजरात	8574.0	2457.0	11031.0	7029रू0	1678.0	8707.0	7900.0	2521.0	10421.0
हरियाणा	2669.0	3250.0	5919.0	2463.7	3230.4	5694.1	2405.3	3297.0	5702.3
हिमाचल प्रदेश	406.6	400.8	807.4	407.4	408.6	816.0	402.9	399.5	802.5
जम्मू और कश्मीर	637.5	365.9	1003.4	634.3	364.0	998.4	632.3	367.5	999.8
झारखंड	1965.5	591.9	2557.3	2076.6	610.6	2687.3	1857.7	642.8	2500.5
कर्नाटक	6822.0	3004.0	9826.0	6228.0	3403.0	9631.0	6683.0	3177.0	9860.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	167.8	49.0	216.8	154.6	49.1	203.7	155.5	46.1	201.6
मध्य प्रदेश	11615.5	9869.2	21484.7	12025.0	10316.3	22341.3	12386.1	11075.0	23461.1
महाराष्ट्र	14844.0	4842.0	19686.0	14690.0	4790.0	19480.0	15064.0	5827.1	20891.1
मणिपुर	262.7	58.2	320.9	54.4	170.0	224.4	#	#	#
मेघालय	127.4	23.2	150.6	127.4	23.3	150.8	#	#	#
मिज़ोरम	50.3	2.7	53.0	25.3	1.8	27.1	#	#	#
नागालैंड	312.9	55.1	368.0	316.3	62.7	379.0	#	#	#
ओडिशा	4660.6	647.0	5307.5	4710.6	712.5	5423.1	4802.1	721.6	5523.7
पंजाब	3607.0	3589.0	7196.0	3557.2	3623.6	7180.8	3546.4	3579.0	7125.4
राजस्थान	12326.5	7213.3	19539.8	10273.5	7505.4	17778.9	10782.1	8218.6	19000.7
सिक्किम	69.8	8.5	78.3	68.7	5.5	74.2	#	#	#
तमिलनाडु	3201.8	937.1	4133.9	2724.2	764.6	3488.9	3123.6	1409.9	4533.6
त्रिपुरा	216.9	68.6	285.5	210.2	64.2	274.5	#	#	#
उत्तर प्रदेश	11239.0	12185.0	23424.0	11168.0	12151.0	23319.0	11223.0	12277.0	23500.0
उत्तराखंड	653.0	437.0	1090.0	643.8	429.9	1073.7	610.0	416.0	1026.0
पश्चिम बंगाल	5111.6	2229.1	7340.7	5140.1	2280.5	7420.6	5166.7	2437.9	7604.6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.6	1.6	10.2	8.0	1.3	9.3	#	#	#
दादरा और नगर हवेली	14.5	3.3	17.8	19.2	3.3	22.5	#	#	#
दिल्ली	11.8	23.5	35.4	10.7	21.7	32.4	#	#	#
दमन और दीव	2.0	0.0	2.0	2.3	0.0	2.3	#	#	#
पुदुचेरी	17.0	4.4	21.4	15.1	5.4	20.4	#	#	#
अन्य	46.0	0.0	46.0	50.0	0.0	50.0	1118.6	433.4	1552.0
अखिल भारत	108608.3	60575.0	169183.2	103849.3	61249.2	165098.5	106809.4	65198.2	172007.6

*तीसरे अग्रिम अनुमान।

#अन्यों में शामिल।

विवरण-II

2011-12 से 2013-14 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन के अनुमान

फसल	मौसम	उत्पादन (लाख टन)		
		2011-12	2012-13	2013-14*
चावल	खरीफ	927.8	923.6	920.1
	रबी	125.2	128.7	142.8
	कुल	1053.0	1052.3	1062.9
गेहूं	रबी	948.8	935.1	958.5
मोटे अनाज	खरीफ	324.4	298.0	312.4
	रबी	95.8	102.5	114.3
	कुल	420.1	400.4	426.8
दलहन	खरीफ	60.6	59.2	61.2
	रबी	110.3	124.3	134.5
	कुल	170.9	183.4	195.7
खाद्यान्न	खरीफ	1312.7	1280.7	1293.7
	रबी	1280.1	1290.5	1350.1
	कुल	2592.9	2571.2	2643.8
तिलहन	खरीफ	206.9	207.9	221.4
	रबी	91.1	101.5	102.8
	कुल	298.0	309.4	324.1
कपास@	कुल (खरीफ)	352.0	342.2	365.0
पटसन एवं मेस्टा$	कुल (खरीफ)	114.0	109.3	114.0
गन्ना	कुल (खरीफ)	3610.4	3412.0	3483.8

*15.05.2014 के अनुसार जारी तीसरे अग्रिम अनुमानें।

@प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें।

$प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठें।

साइबर सुरक्षा

1715. **प्रो. सौगत राय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विदेशी आसूचना एजेंसियों द्वारा देश के साइबर नेटवर्क में अवैध रूप से घुसने की घटनाओं की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के साइबर सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) ऐसे किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा देश में सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा के लिए, प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत, बहु-आयामी कार्य नीति अपनाई गई है। सरकार द्वारा देश में सुरक्षा प्रणाली की सुरक्षा हेतु विभिन्न निवारण एवं सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। साइबर सुरक्षा के मामलों का समग्र रूप से समाधान करने के लिए सरकार द्वारा जन-साधारण के उपयोग और सभी संबंधित हितधारियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013" बनाई गई है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में, साइबर अपराधों, साइबर हमलों और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा में सेंध लगाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है। भारतीय कम्प्यूटर आपात-कार्रवाई टीम (सीईआरटी-इन), अद्यतन साइबर-खतरों और उनका मुकाबला करने के उपायों के बारे में नियमित आधार पर अलर्ट और परामर्शी-पत्र जारी करती रहती है। सीईआरटी-इन ने वेबसाइट की सुरक्षा के लिए मार्ग-निर्देश प्रकाशित किए हैं, जो इसकी वेबसाइट *(www.cert-in.org.in)* पर उपलब्ध हैं। सीईआरटी-इन सिस्टम चलाने वालों को, वेबसाइटों के सुरक्षित संचालन (होस्टिंग) और साइबर हमले कम करने के बारे में जागरुक बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन (अधिनियम) 2008 के अनुसार, एनटीआरओ और सीईआरटी-इन को सरकारी क्षेत्र में क्रमशः महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) और गैर-महत्वपूर्ण (नॉन-क्रिटिकल) सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए अधिदेशित किया गया है।

शारीरिक रूप से विकलांगों को भूमि का आवंटन

1716. **श्री सुशील कुमार सिंह :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 यह उपबंधित करता है कि उपयुक्त सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना के द्वारा व्यवसाय, आवासों आदि की स्थापना हेतु रियायती दरों पर भूमि की वरीयता के आधार पर आवंटन के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में योजनाएं बनाएंगे;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में दिल्ली में उपयुक्त सरकारें और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली में व्यवसाय, आवासों की स्थापना हेतु रियायती दरों पर भूमि का आवंटन कितने निःशक्त व्यक्तियों को किया गया है;

(घ) क्या निःशक्त व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त और आयुक्त (निःशक्तता), दिल्ली को व्यवसाय, आवासों आदि की स्थापना के लिए भूमि के वरीय आवंटन हेतु योजनाएं नहीं बनाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दुकानों/स्टालों के आवंटन में 3% आरक्षण प्रदान किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार, जैसा कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में विनिर्दिष्ट है, 5% दुकान/स्टाल विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित किये गये हैं। डीडीए द्वारा आरक्षित मूल्य पर कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ द्वारा दुकानों का आबंटन किया जाता है।

(ग) यह जानकारी इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) और (ङ) विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त कार्यालय ने बताया है कि उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में व्यवसाय स्थापित करने, मकान आदि के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर जमीन आबंटित करने के लिए योजनाएं तैयार ना करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, वर्ष 2003 में विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त द्वारा वर्ष 1999 में प्राप्त शिकायत के आधार पर अपने दिनांक 27.06.2003 के आदेश द्वारा डीडीए को विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर मकान/जमीन आबंटन में प्राथमिकता देने के लिए उनके पक्ष में योजना बनाने के निर्देश दिये गये। तद्नुसार दिनांक 19.04.2004 को डीडीए ने विकलांग व्यक्तियों को मकानों/जमीन के आबंटन में प्राथमिकता देने के लिए वर्तमान नीति तैयार की थी।

इसके अलावा, दिनांक 09.10.2006 को शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली मंडल) ने डीडीए की उक्त नीति की समीक्षा की और विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 43 के संबंध में, विकलांग व्यक्तियों को मकानों/जमीन के आबंटन में प्राथमिकता देने हेतु वर्तमान नीति तैयार की।

आयुक्त (विकलांगता) दिल्ली प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे के संबंध में, यह जानकारी केन्द्रीयकृत रूप से इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

गोंड राजवंश के पुरातात्विक स्थल

1717. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के मांडला जिले में गोंड राजवंश के शासकों से संबंधित स्मारकों/कीर्ति स्तम्भों तथा पुरातात्विक स्थलों का विकास करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक पहचाने गए स्मारकों/कीर्ति स्तम्भों का स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) मांडला जिले में स्थित गौंड राजवंश काल के निम्नलिखित चार स्मारकों/स्थलों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण, अनुरक्षण और परिरक्षण किया जाता है:—

1. बेगम महल, चौगन रयोतवारी, मांडल।
2. स्पोर्टिंग पैलेस दलबदल, चौगन रयोतवारी, मांडला
3. शिव मंदिर, खद्देयोरी, जिला मांडला
4. सतखांडा नाम से विख्यात गौंडा किला और शाहबुर्ज नाम से विख्यात राजघाट पर मीनार और उसके अंदर मंदिर, मांडला।

[अनुवाद]

मृदा की गुणवत्ता

1718. श्री फिरोज़ वरूण गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुपोषित तथा आवश्यक पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे क्षेत्रों में मृदा की गुणवत्ता को पूरा करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। मृदा पोषकों की कमी वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार देश में कृषि भूमि के मृदा स्वास्थ्य की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना और राष्ट्रीय आर्गेनिक फार्मिंग परियोजना के माध्यम से मृदा-जांच आधारित संतुलित और समेकित पोषक प्रबंधन तथा जैविक पदार्थों (खाद/कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक इत्यादि) के उपयोग को बढ़ावा देती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों में उपलब्ध मृदा में नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के), सल्फर (एस), जिंक (जेडएन), लोहा (एफई), मैंगनीज (एमएन) और बोरान (बी) में कमी वाले जिले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पोषक तत्व	जिले
1	2	3
आंध्र प्रदेश	एन	आदिलाबाद, चित्तूर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, निजामाबाद, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी
	पी	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, वारांगल
	के	शून्य
	एस	कुरनूल, महबूबनगर, करीमनगर, कडप्पा, गुंटूर, अनंतपुर, निजामाबाद, नालगोंडा
	जिंक	कुरनूल, महबूबनगर, करीमनगर, गुंटूर, अनंतपुर, रंगारेड्डी, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, आदिलाबाद, प्रकाशम, श्रीकाकुलम
	एफई	कुरनूल, अनंतपुर, निजामाबाद, आदिलाबाद, प्रकाशम, विशाखापट्टनम
	मैंगनीज	रंगारेड्डी, पश्चिमी गोदावरी, निजामाबाद, मेडक
	बी	महबूबनगर, करीमनगर, रंगारेड्डी, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, नालगोंडा, आदिलाबाद, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, मेडक
असम	एन	बोंगईगांव, बोपेटा, चिरांग, दारांग, कोकराझार, मोरीगांव, एनसी हिल्स, नलबारी
	पी	जोरहट, कार्बी, आंगलिंग, उदलगुड़ी
	के	बोंगईगांव, काचर, चिरांग, गोलाघाट, हेलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकसझार, एनसी हिल्स, नवगांव, शिवसागर, उदलगुड़ी
	एस	जोरहट, शिवसागर, कामरूप
	जिंक	जोरहट, गोलाघाट, बारपेटा, कामरूप, सोनितपुर, डिब्रूगढ़, दारांग, तिनसुकिया
	एफई	शून्य
	मैंगनीज	शून्य
	बी	जोरहट, एन लखीमपुर, डिब्रूगढ़
छत्तीसगढ़	एन	बस्तर, दांतेवाडा, धमतरी, दुर्ग, कंकेर, कवर्धा, महासंमद, रायपुर, राजनंदगांव
	पी	बस्तर, दांतेवाडा, धमतरी, कंकेर, कोरबा, महासंमद, रायपुर
	के	बस्तर, दांतेवाडा, कंकेर

1	2	3
गुजरात	एन	अमरेली, बनासकांठा, भरुच, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, महेसाणा, नर्मदा, पाटन, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा
	पी	बनासकांठा, भरुच, भावनगर, दाहोद, महेसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पतन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, वलसाड
	के	शून्य
	एस	बनासकांठा, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, वडोदरा, अहमदाबाद, दाहोद
	जिंक	पाटन, भरुच, अहमदाबाद, साबरकांठा, महेसाणा, बनासकांठा, कच्छ
	एफई	आनंद, खेड़ा, पाटन, वडोदरा, मेहसाणा, बनासकांठा, गांधीनगर, कच्छ
	मैंगनीज	शून्य
	बी	पंचमहल, पाटन, साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर
हरियाणा	एन	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
	पी	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
	के	शून्य
	एस	कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, अंबाला, पलवल, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद
	जिंक	महेन्द्रगढ़, भिवानी
	एफई	सिरसा, हिसार, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक
	मैंगनीज	हिसार, करनाल, फतेहाबाद
	बी	शून्य
हिमाचल प्रदेश	एन	शून्य
	पी	हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना
	के	चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल, स्पीती, ऊना
	एस	शून्य
	जिंक	हमीरपुर, ऊना, चंबा, मंडी
	एफई	शून्य
	मैंगनीज	शून्य
	बी	बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, शिमला, सोलन

1	2	3
कर्नाटक	एन	कोलार
	पी	बैलारी, बीजापुर, हासन, उत्तर कन्नड़, दक्षिण, कन्नड़, उडुपी
	के	दक्षिण कन्नड़, उडुपी
केरल	एन	कासरगौड, कोलाम, तिरुअनंतपुरम
	पी	शून्य
	के	शून्य
मध्य प्रदेश	एन	भिंड, छतरपुर, दारिया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच, मुरैना, पन्ना, रतलाम, शिवोपु, शिवपुरी, सिद्धि
	पी	अशोक नगर, बेतूल, भिंड, छतरपुर, दमोह, दारिया, वयस्क, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, पन्ना, शिवपुरी, उज्जैन, उमरिया
	के	धार, अनूपपुर, बेतूल, ग्वालियर, मुरैना, सागर, सिद्धि
	एस	छतरपुर, सतना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रीवा, देवास, पन्ना, मुरैना
	जिंक	बालाघाट, सीवानी, शहडोल, मंडला, भोपाल, रायसेन, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, देवास, पन्ना, मुरैना
	एफई	भोपाल, पन्ना, नरसिंहपुर
	मैंगनीज	शून्य
	बी	शून्य
महाराष्ट्र	एन	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाना, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, शोलापुर, उस्मानाबाद, वर्धा, वाशिम, येओतमल
	पी	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाना, धुले, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोलहापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नंदरुबार, नासिक, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग शोलापुर, उस्मानाबाद, वर्धा, वाशिम, येओतमल
	के	रायगढ़, सिंधुदुर्ग
	एस	अकोला, औरंगाबाद, वाशिम, नांदेड़, गोंदिया, नागपुर, परभणी, लातूर
	जिंक	अकोला, भंडारा, जालना, यवतमाल, अमरावती, बुलढाना, चंद्रपुर, औरंगाबाद, वर्धा, हिंगोली, नांदेड़, नागपुर, परभणी, लातूर
	एफई	अकोला, जालना, अमरावती, औरंगाबाद, वाशिम, वर्धा, बीड, परभणी

1	2	3
	मैंगनीज	शून्य
	बी	शून्य
ओडिशा	एन	भद्रक, बौद्ध, कटक, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, केंद्रपाड़ा, खुर्द, मयूरभंज, नौपाडा, नयागढ़, बुलाभनी, पुरी, सुंदरगढ़
	पी	बालासोर, भद्रक, कटक, गजपति, गंजम, झारसुगुडा, क्योंझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, फुलबनी, संबलपुर
	के	कटक, गंजम, नयागढ़
	एस	बारगढ़, भद्रक, धेनकनाल, कालाहांडी, नयागढ़, नुआपाड़ा, संबलपुर, सोनपुर
	जिंक	अंगुल, भद्रक, बौद्ध, पुरी, सोनपुर
	एफई	शून्य
	मैंगनीज	शून्य
	बी	अंगुल, बारगढ़, भद्रक, बौद्ध, धेनकनाल, कंधमल, केंद्रपाड़ा, नयागढ़, नुआपाड़ा, पुरी, संबलपुर, सोनपुर
पंजाब	एन	भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर
	पी	शून्य
	के	शून्य
	एस	शून्य
	जिंक	गुरदासपुर
	एफई	भटिंडा
	मैंगनीज	भटिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर, तरनतारन
	बी	शून्य
राजस्थान	एन	अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बाडमेर, बूंदी, चुरू, दोसा, धौलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझनु, जोधपुर, करौली, कोटा, नागपुर, पाली, राजसमंद, सवाई, माधोपुर, सीकर, सिरची, श्रीगंगानगर, टोंक
	पी	भारतपुर, बाढ़मेर, चुरू, दोसा, धौलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, सिरची, श्रीगंगानगर
	के	शून्य

1	2	3
तमिलाडु	एन	कोयंबटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, फुदुककोट्टई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, मदुरै, नागापट्टिनम, नामक्कल, पीरमबलौर, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तंजावुर, थेनी, तिरुवल्लूर, तिरुवरुर, थोथुकुडी, तिरुवन्नामलाई, तिरुवरुर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
	पी	कांचीपुरम, शिवगंगई, थोथुकुडी, तिरुचिरापल्ली
	के	अरियालुर
	एस	नागपट्टिनम कोयंबटूर, विरुधुनगर, थेनी, कृष्णागिरि, पुडुकोट्टई
	जिंक	तंजावुर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, थेनी, कृष्णागिरि, कन्याकुमारी, थोथुकुडी, पुडुकोट्टई
	एफई	त्रिची, इरोडे, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, कृष्णागिरि
	मैंगनीज	विल्लुपुरम
	बी	इरोडे, सलेम, कृष्णागिरि, कन्याकुमारी, थोथुकुडी, पुडुकोट्टई
उत्तर प्रदेश	एन	आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, औरैया, बदायूं, बागपत, बैराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदोली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, ज्यातिसाफूल नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीराम नगर, कोंसभी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजगंज, मोहबा, मौनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शांहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रीबस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी
	पी	आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, औरैया, बदायूं, बागपत, बैराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदोली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, झांसी, ज्यातिसाफूल नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीराम नगर, कोंसभी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजगंज, मोहबा, मौनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संत रविदास, शांहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रीबस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी
	के	शून्य
	एस	इलाहाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, पीलीभीत, रायबरेली, रमाबाई नगर, उन्नाव
	जिंक	आगरा, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, रायबरेली, रमाबाई नगर, सीतापुर
	एफई	शून्य

1	2	3
	मैंगनीज	इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, सीतापुर, वाराणसी
	बी	शून्य
उत्तराखंड	एन	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
	पी	बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, पोडी, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
	के	शून्य
	एस	चंपावत, देहरादून
	जिंक	उधमसिंह नगर
	एफई	शून्य
	मैंगनीज	रुद्रप्रयाग
	बी	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी
पश्चिम बंगाल*	एन	मिदनापुर ई, मिदनापुर डब्ल्यू, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना
	पी	मिदनापुर ई, परकामा, पुरुलिया
	के	जलपाईगुड़ी
	एस	शून्य
	जिंक	जलपाईगुड़ी उत्तर दिनाजपुर, एन 24 परगना, वर्धमान, कूचबिहार
	एफई	शून्य
	मैंगनीज	शून्य
	बी	हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, नदिया, कूचबिहार, एस 24 परगना

स्रोत: agricoop.nic.in./dacdivision/Comsoilhealth28612.pdf और *IISS*, भोपाल।

प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाएं

1719. **श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और 2013-14 के दौरान इसके अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन के विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत धनराशि में से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास और

संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान उत्पाद/अवसंरचना गंतव्य विकास तथा परिपथ (पीआईडीडीसी) स्कीम के तहत स्वीकृत, निर्मुक्त और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र 1 अप्रैल, 2015 से देय होंगे।

पर्यटन मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों द्वारा करता है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया है जो नियमित रूप से पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है।

विवरण-I

गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य-वार सूचना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5014.08	4012.14	4004.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	2933.18	2346.53	0.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
4.	असम	1007.46	291.41	0.00
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	25.00	25.00	25.00
7.	छत्तीसगढ़	35.00	35.00	35.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	272.30	219.24	65.28
11.	गोवा	497.84	398.27	0.00
12.	गुजरात	5174.87	2744.60	0.00
13.	हरियाणा	80.00	65.00	65.00
14.	हिमाचल प्रदेश	47.20	44.99	25.00
15.	झारखंड	4814.42	1629.87	0.50

1	2	3	4	5
16.	जम्मू और कश्मीर	16856.59	9688.44	3609.53
17.	केरल	2375.69	1762.50	288.97
18.	कर्नाटक	2195.81	1756.64	1756.64
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	महाराष्ट्र	8222.25	4187.16	4076.85
21.	मणिपुर	3023.42	2418.72	2263.10
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
23.	मिज़ोरम	1290.92	1032.73	100.00
24.	मध्य प्रदेश	3567.90	2859.76	1281.25
25.	नागालैंड	6227.01	3818.14	3806.87
26.	ओडिशा	1141.69	913.35	84.32
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	423.38	338.70	3.26
29.	राजस्थान	500.00	400.00	217.25
30.	सिक्किम	2465.32	1971.68	284.31
31.	तमिलनाडु	2047.36	1637.88	516.83
32.	त्रिपुरा	1445.07	1156.05	0.00
33.	उत्तराखंड	9774.00	6165.67	963.96
34.	उत्तर प्रदेश	5100.56	2830.07	1789.72
35.	पश्चिम बंगाल	2764.21	2211.36	403.15
	कुल	89322.53	56960.90	25665.97

गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य-वार सूचना

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10472.07	4957.08	1100.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6587.50	2572.08	0.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
4.	असम	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	500.00	100.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	2461.91	910.63	0.00
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00
12.	गुजरात	486.75	389.40	0.00
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	3029	2433.89	0.00
15.	झारखंड	4885.71	2142.35	0.00
16.	जम्मू और कश्मीर	11260.00	4280.02	609.39
17.	केरल	7802.53	2321.69	0.00
18.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	महाराष्ट्र	7914.79	1638.92	0.00
21.	मणिपुर	1543.70	248.08	0.00
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
23.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00
24.	मध्य प्रदेश	20684.46	7055.54	2483.46
25.	नागालैंड	4516.66	1973.32	499.41
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	50.00	50.00	0.00
29.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
30.	सिक्किम	2834.69	1787.75	189.68
31.	तमिलनाडु	2041.97	1116.17	196.15
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
33.	उत्तराखंड	1297.47	1037.97	0.00
34.	उत्तर प्रदेश	3486.15	2011.97	276.69
35.	पश्चिम बंगाल	4668.46	2334.23	0.00
	कुल	96523.82	39361.09	5354.78

विवरण-II

वर्ष 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14	
		संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4.	असम	0	0.00
5.	बिहार	14	111.10
6.	चंडीगढ़	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00
10.	दिल्ली	2	57.69
11.	गोवा	0	0.00
12.	गुजरात	0	0.00
13.	हरियाणा	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	1	33.71
15.	झारखंड	45	85.47
16.	जम्मू और कश्मीर	1	5.00
17.	केरल	10	46.68
18.	कर्नाटक	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	6	67.95

1	2	3	4
21.	मणिपुर	11	214.38
22.	मेघालय	1	0.47
23.	मिज़ोरम	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	9	100.21
25.	नागालैंड	9	52.22
26.	ओडिशा	12	65.43
27.	पुदुचेरी	1	48.48
28.	पंजाब	2	10.39
29.	राजस्थान	10	51.75
30.	सिक्किम	11	104.35
31.	तमिलनाडु	0	0.00
32.	त्रिपुरा	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	24	130.13
34.	उत्तराखंड	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	0	0.00
	कुल योग	261	1801.54

*गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना का विकास, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और मेले और उत्सव एवं ग्रामीण पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

उन्नाव में खुदाई

1720. श्री कीर्ति आज़ाद : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोने के खजानों की खुदाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में डौंडिया खेड़ा गांव में खुदाई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो इस खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं तथा इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में उक्त गांव में खुदाई कार्य शुरू करने से पहले केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति का अनुमोदन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से छेड़-छाड़ करने की जांच की है और ऐसा अतार्किक व्यय करने के लिए जिम्मेदारी नियत की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में ऐसे व्यर्थ के प्रयास से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारण उपाय किये गये हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थल के पुरातत्वीय महत्व को समझने के लिए ट्रायल उत्खनन का कार्य शुरू किया था।

(ख) पूर्व ऐतिहासिक काल के पुरातत्वीय अवशेष पाए गए थे। ट्रायल उत्खनन के लिए कुल 2,78,751/- (मात्र दो लाख अठ्हत्तर हजार और सात सौ इक्यावन रुपए) का व्यय किया गया था।

(ग) और (घ) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 22 के अध्यधीन, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित डंडिया खेड़ा गांव में ट्रायल उत्खनन करने के लिए अनुमोदन दिया था।

(ङ) जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय ने कोई जांच नहीं कार्रवाई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली मुद्रा के मामले

1721. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री हंसराज गंगाराम अहीर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जब्त किये गये भारतीय जाली नोट (एफआईसीएन) का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि पड़ोसी विदेशी देशों में देश में जाली मुद्रा नोट भेजा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या जाली मुद्रा नोटों को जब्त करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई जागरुकता अभियान चलाया गया है/चलाये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एफआईसीएन के प्रवाह तथा प्रचलन को रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011, 2012, 2013 और मौजूदा वर्ष (30 जून, 2014 तक) के दौरान देश में बरामद और जब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011, 2012, 2013 के दौरान जाली भारतीय करेंसी नोटों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, देश में जाली भारतीय करेंसी नोट दक्षिण-पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में स्वतः पोषित आपराधिक नेटवर्क के द्वारा पड़ोसी देशों से नेपाल से होकर चीन के नए रास्ते के अतिरिक्त, नेपाल बांग्ला देश, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और यू.ए.ई. से होकर लाए जा रहे हैं।

जाली भारतीय करेंसी नोटों के खतरे के बहु-आयामी पहलुओं का निराकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा केन्द्र और राज्य की आसूचना एजेंसियां और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों से जुड़ी अवैध गतिविधियों से निपटा जा सके।

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में हाल ही में संशोधन करके विधि प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया गया है जिसमें हाई क्वालिटी वाली जाली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्कों तथा अन्य किसी सामग्री के निर्माण अथवा तस्करी अथवा परिचालन के द्वारा भारत की आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई को 'आतंकवादी कृत्य' घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त जाली करेंसी नोटों के परिचालन के खतरे से निपटने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष जाली भारतीय करेंसी नोट समन्वय केन्द्र (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है। यह समूह सदस्य एजेंसियों के लिए भारत और विदेशों में आसूचना संग्रहण और मिलान से संबंधित सभी मामलों का समन्वय भी करता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय एजेंसियां हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण एवं जाली करेंसी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एक आतंकवाद वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सैल कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों में सूचना देने और एफआईआर दायर करने के लिए एक सरल प्रक्रिया लागू की गई है। सुरक्षा प्रबंधन बढ़ाने तथा जाली भारतीय करेंसी नोटों के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को परामर्शी-पत्र जारी किए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा उच्च मूल्य के करेंसी नोटों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को निरंतर अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम चलाकर बड़ी मात्रा में नकदी को संभालने वाले बैंकों और अन्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके जागरुकता अभियान चलाए हैं।

सरकार ने इस मामले को ऐसे विषयों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंच पर भी उठाया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

जाली करेंसी (बरामद एवं जब्त की गई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य-वर्ग-वार ब्यौरा
वार्षिक रिपोर्ट : 01/01/2011 से : 31/12/2011 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यवर्ग							
		1000		500		100		50	
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	@	0	@	0	@	0	@	0
2.	आंध्र प्रदेश	258	2636	1302	9669	771	4680	56	1150
3.	अरुणाचल प्रदेश	&	1	&	20	&	0	&	0
4.	असम	113	668	433	1578	199	213	3	8
5.	बिहार	48	297	468	2135	991	1374	16	15019
6.	चंडीगढ़	2605	0	12646	0	20499	0	1476	0
7.	छत्तीसगढ़	~	53	~	330	~	581	~	31
8.	दादरा और नगर हवेली	$	2	$	9	$	0	$	0
9.	दमन और दीव	$	1	$	0	$	0	$	0
10.	दिल्ली	16017	714	55409	3912	19333	10832	2560	1249
11.	गोवा	~	155	~	470	~	52	~	2
12.	गुजरात	311	4425	1657	7261	853	2614	67	161
13.	हरियाणा	#	1	#	176	#	560	#	46
14.	हिमाचल प्रदेश	#	48	#	126	#	0	#	0
15.	जम्मू और कश्मीर	212	2102	753	1990	1340	431	15	3
16.	झारखंड	}	178	}	148	}	139	}	0
17.	कर्नाटक	3827	1327	10777	7790	1209	1844	88	85
18.	केरल	183	1238	735	2082	58	1825	2	4

09.07.2014 के डाटाबेस के अनुसार

अन्य		नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	एफआईआर	कुल अभियुक्त
(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
@	0	@	0	0	@	0	0	0	0
5	82	2392	18217	20609	989000	7996440	8985440	186	195
&	0	&	21	21	&	11000	11000	2	2
0	39	748	2506	3254	349550	1479100	1828650	70	81
0	93	1523	18918	20441	381900	2254425	2636325	46	52
38	0	37264	0	37264	11052360	0	11052360	0	0
~	35	~	1030	1030	~	278350	278350	67	61
$	0	$	11	11	$	6500	6500	2	0
$	0	$	1	1	$	1000	1000	1	0
13	3	93332	16710	110042	45782990	3815690	49598680	42	64
~	1	~	680	680	~	395320	395320	30	19
3	2	2891	14463	17354	1228190	8324990	9553180	250	57
#	0	#	783	783	#	147300	147300	14	23
#	0	#	174	174	#	111000	111000	3	4
0	9	2320	4535	6855	723250	3140340	3863590	39	73
}	1	}	466	466	}	265910	265910	22	34
4	9	15905	11055	26960	9340860	5410740	14751600	95	150
3	3	981	5152	6133	556430	2461730	3018160	53	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	{	0	{	0	{	0	{	0
20.	मध्य प्रदेश	298	205	1756	606	2328	2974	165	167
21.	महाराष्ट्र	2977	3703	13265	14501	3403	2265	135	76
22.	मणिपुर	&	19	&	14	&	0	—	0
23.	मेघालय	&	60	&	453	&	0	—	0
24.	मिज़ोरम	&	0	&	6	&	0	—	0
25.	नागालैंड	&	44	&	163	&	9	—	0
26.	ओडिशा	126	17	850	24	1060	0	76	0
27.	पुदुचेरी	^	1	^	17	^	1	^	0
28.	पंजाब	#	6439	#	7980	#	3992	#	387
29.	राजस्थान	2453	1284	10232	1969	6877	4406	268	70
30.	सिक्किम	@	0	@	18	@	0	@	0
31.	तमिलनाडु	6504	5591	30795	9986	2975	2494	109	174
32.	त्रिपुरा	&	4	&	143	&	0	&	0
33.	उत्तर प्रदेश	4687	1774	30189	4257	20433	4561	2923	1806
34.	उत्तराखंड	%	146	%	103	%	179	%	3
35.	पश्चिम बंगाल	5398	19900	18874	40182	4584	29756	248	1872
	कुल	46017	53033	190141	118118	86913	75782	8207	22313

टिप्पणी: आर - आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद।

एस — पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना।

अन्यों में 20, 10, 5, 2, 1 मूल्य वर्ग शामिल हैं।

@ — आरबीआई कोलकाता द्वारा आंकड़े भेजे गए।

~ — आरबीआई नागपुर/नवी मुम्बई द्वारा आंकड़े भेजे गए।

$ — आरबीआई अहमदाबाद द्वारा आंकड़े भेजे गए।

— आरबीआई चंडीगढ़ द्वारा आंकड़े भेजे गए।

{ — आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा आंकड़े भेजे गए।

} — आरबीआई पटना द्वारा आंकड़े भेजे गए।

& — आरबीआई गुवाहाटी द्वारा आंकड़े भेजे गए।

^ — आरबीआई चेन्नै द्वारा आंकड़े भेजे गए।

% — आरबीआई कानपुर द्वारा आंकड़े भेजे गए।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
{	0	{	0	0	{	0	0	0	0
3	0	4550	3952	8502	1417090	813750	2230840	19	27
13	8	19793	20553	40346	9956810	11183900	21140710	331	175
&	0	&	33	33	&	26000	26000	12	12
&	0	&	513	513	&	286500	286500	14	19
&	0	&	6	6	&	3000	3000	1	1
&	0	&	216	216	&	126400	126400	8	16
1	0	2113	41	2154	660820	29000	689820	4	7
^	0	^	19	19	^	9600	9600	4	0
#	0	#	18798	18798	#	10847550	10847550	51	91
5	207	19835	7936	27771	8270160	2715655	10985815	46	61
@	0	@	18	18	@	9000	9000	1	5
14	2	40397	18247	58644	22204680	10842130	33046810	276	83
&	0	&	147	147	&	75500	75500	9	14
35	11	58267	12409	70676	21971465	4449030	26420495	208	108
%	0	%	431	431	%	215550	215550	24	19
39	14	29143	91724	120867	15306200	43060411	58366611	199	44
176	519	331454	269765	601219	150191755	120792811	270984566	2129	1569

विवरण-II

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

जाली करेंसी (बरामद एवं जब्त की गई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य-वर्ग-वार ब्यौरा
वार्षिक रिपोर्ट : 01/01/2012 से : 31/12/2012 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यवर्ग							
		1000		500		100		50	
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	@	0	@	1	@	0	@	0
2.	आंध्र प्रदेश	218	4306	1491	17207	626	5936	29	145
3.	अरुणाचल प्रदेश	&	16	&	0	&	33	&	0
4.	असम	121	500	497	2109	149	1059	4	122
5.	बिहार	88	2848	380	3354	174	4563	580	254
6.	चंडीगढ़	3808	11	13425	143	21563	39	1854	0
7.	छत्तीसगढ़	~	81	~	950	~	902	~	65
8.	दादरा और नगर हवेली	$	0	$	0	$	0	$	0
9.	दमन और दीव	$	0	$	0	$	0	$	0
10.	दिल्ली	15725	63463	41563	217647	13884	86536	2806	9127
11.	गोवा	~	62	~	143	~	20	~	114
12.	गुजरात	412	3044	1712	11261	487	1931	38	238
13.	हरियाणा	#	859	#	2069	#	557	#	0
14.	हिमाचल प्रदेश	#	0	#	11	#	0	#	0
15.	जम्मू और कश्मीर	111	522	679	4034	471	1371	13	0
16.	झारखंड	}	137	}	474	}	16	}	0
17.	कर्नाटक	8680	5124	1739	14836	1697	1788	79	1055
18.	केरल	207	742	546	3380	50	145	0	0

09.07.2014 के डाटाबेस के अनुसार

अन्य		नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	एफआईआर	कुल अभियुक्त
(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
@	0	@	1	1	@	500	500	1	0
4	0	2368	27594	29962	1027630	13510350	14537980	172	246
&	0	&	49	49	&	19300	19300	2	2
2	300	773	4090	4863	384640	1671500	2056140	55	63
0	258	1222	11277	12499	324400	4996660	5321060	29	53
43	0	40683	193	40876	12769260	36400	12855660	2	0
~	0	~	1998	1998	~	649450	649450	55	38
$	0	$	0	0	$	0	0	0	0
$	0	$	0	0	$	0	0	0	0
17	48	73994	366821	440815	38035342	171397142	209432484	61	73
~	0	~	339	339	~	141200	141200	18	3
1	15	2650	16489	19139	1318620	8879660	10198280	213	133
#	0	#	3485	3485	#	1949200	1949200	15	30
#	0	#	11	11	#	5500	5500	1	2
0	0	1274	5927	7201	498250	2676100	3174350	17	30
}	0	}	627	627	}	375600	375600	8	7
2	1	27817	22804	50621	17533180	12773560	30306740	80	85
30	29	833	4296	5129	485300	2446790	2932090	60	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	{	0	{	0	{	0	{	0
20.	मध्य प्रदेश	90	670	235	1961	1316	4400	0	860
21.	महाराष्ट्र	3350	9467	12642	9556	2914	5679	113	578
22.	मणिपुर	&	1	&	1	&	0	&	0
23.	मेघालय	&	210	&	695	&	126	&	0
24.	मिज़ोरम	&	397	&	710	&	0	&	0
25.	नागालैंड	&	24	&	663	&	0	&	0
26.	ओडिशा	148	10	480	37	319	6	21	0
27.	पुदुचेरी	^	244	^	338	^	1	^	0
28.	पंजाब	#	3940	#	2443	#	2167	#	0
29.	राजस्थान	2374	2670	8972	4634	6317	565	320	14
30.	सिक्किम	@	22	@	0	@	0	@	0
31.	तमिलनाडु	10416	7375	31857	21269	5733	3145	275	143
32.	त्रिपुरा	&	15	&	147	&	0	&	0
33.	उत्तर प्रदेश	6918	3897	37065	7581	19106	5379	2807	782
34.	उत्तराखंड	%	78	%	110	%	186	%	3324
35.	पश्चिम बंगाल	7024	5009	19584	14076	4430	282	270	4
	योग	59889	106744	138477	341840	78226	126832	9208	16825

टिप्पणी: आर – आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद।

एस – पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना।

अन्यों में 20, 10, 5, 2, 1 मूल्य वर्ग शामिल हैं।

@ – आरबीआई कोलकाता द्वारा आंकड़े भेजे गए।

~ – आरबीआई नागपुर/नवी मुम्बई द्वारा आंकड़े भेजे गए।

$ – आरबीआई अहमदाबाद द्वारा आंकड़े भेजे गए।

– आरबीआई चंडीगढ़ द्वारा आंकड़े भेजे गए।

{ – आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा आंकड़े भेजे गए।

} – आरबीआई पटना द्वारा आंकड़े भेजे गए।

& – आरबीआई गुवाहाटी द्वारा आंकड़े भेजे गए।

^ – आरबीआई चेन्नै द्वारा आंकड़े भेजे गए।

% – आरबीआई कानपुर द्वारा आंकड़े भेजे गए।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
{	0	{	0	0	{	0	0	0	0
0	30	1641	7921	9562	339100	2134010	2473110	19	31
2	60	19021	25340	44361	9968080	14842630	24810710	279	204
&	0	&	2	2	&	1500	1500	2	2
&	3	&	1034	1034	&	570150	570150	18	21
&	0	&	1107	1107	&	752000	752000	6	7
&	0	&	687	687	&	355500	355500	7	10
1	0	969	63	1022	420970	29100	450070	6	10
^	0	^	683	583	^	413100	413100	5	7
#	0	#	8550	8550	#	5378200	5378200	28	61
7	0	16990	7883	24ठ73	7407830	5044200	12452030	49	69
@	0	@	22	22	@	22000	22000	1	1
17	23	48297	31955	80252	26930845	18331580	45262426	373	71
&	0	&	162	162	&	88500	88500	9	17
47	7	65933	17646	83579	27497170	8264610	35761780	176	148
%	0	%	3698	3698	%	317800	317800	17	21
0	1	31308	15372	56660	17272500	12075410	23347010	122	35
173	775	335773	592016	927789	162213117	290199202	452412319	1904	1518

विवरण-III

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

जाली करेंसी (बरामद एवं जब्त की गई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य-वर्ग-वार ब्यौरा
वार्षिक रिपोर्ट : 01/01/2013 से : 31/12/2013 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यवर्ग							
		1000		500		100		50	
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	@	0	@	0	@	0	@	0
2.	आंध्र प्रदेश	4326	11422	11647	23381	9587	14893	153	482
3.	अरुणाचल प्रदेश	&	0	&	0	&	0	&	0
4.	असम	501	1933	1533	1503	739	589	100	218
5.	बिहार	2364	1169	8919	2961	4958	91	185	69
6.	चंडीगढ़	3764	0	10404	0	20803	0	2069	0
7.	छत्तीसगढ़	~	50	~	1481	~	27	~	2
8.	दादरा और नगर हवेली	$	0	$	3	$	0	$	0
9.	दमन और दीव	$	0	$	0	$	0	$	0
10.	दिल्ली	20802	9656	46112	21671	19648	5817	1142	690
11.	गोवा	~	16	~	28	~	4	~	0
12.	गुजरात	9913	4784	20033	7092	5345	1869	224	205
13.	हरियाणा	#	6000	#	17887	#	9715	#	1514
14.	हिमाचल प्रदेश	#	50	#	195	#	675	#	0
15.	जम्मू और कश्मीर	306	1292	678	2864	1511	51	34	0
16.	झारखंड	}	30	}	25	}	5	}	0
17.	कर्नाटक	9742	5166	17640	5100	2011	1849	111	10
18.	केरल	2604	418	3424	2551	274	3358	23	89

09.07.2014 के डाटाबेस के अनुसार

अन्य		नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	एफआईआर	कुल अभियुक्त
(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
@	0	@	0	0	@	0	0	0	0
9	44	25722	50222	75944	11116010	24626380	35742390	170	242
&	0	&	0	0	&	0	0	0	0
3	0	2876	4243	7119	1346435	2764300	4100735	81	72
0	3150	16426	7440	23866	732850	2693550	10022100	31	44
31	0	37071	0	37071	11150240	0	11150240	0	0
~	0	~	1560	1560	~	793300	793300	19	18
$	0	$	3	3	$	1500	1500	1	0
$	0	$	0	0	$	0	0	0	0
7	0	87711	37834	125545	45879980	21107700	66987680	29	30
~	0	~	48	48	~	30400	30400	6	0
11	4	35526	13954	49480	20475330	8527210	29002540	143	83
#	4	#	35120	35120	#	15990760	15990760	16	25
#	0	#	920	920	#	215000	215000	5	9
1	0	2530	4207	6737	797810	2729100	3526910	26	45
}	0	}	60	60	}	43000	43000	3	6
6	103	29510	12228	41738	18768730	7902950	26671680	53	उ.न.
165	176	6490	6592	13082	4346770	2035800	6382570	49	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	}	0	}	0	}	0	}	0
20.	मध्य प्रदेश	1966	1195	7979	3421	6444	2925	366	160
21.	महाराष्ट्र	21245	9287	46087	10996	8785	7137	436	577
22.	मणिपुर	&	1	&	0	&	0	&	0
23.	मेघालय	&	235	&	477	&	50	&	0
24.	मिज़ोरम	&	600	&	564	&	0	&	0
25.	नागालैंड	&	888	&	25	&	69	&	1
26.	ओडिशा	558	43	2973	222	923	147	25	2
27.	पुदुचेरी	^	11	^	138	^	0	^	0
28.	पंजाब	#	2387	#	8825	#	350	#	0
29.	राजस्थान	2808	283	7989	260	6238	417	252	36
30.	सिक्किम	@	2	@	105	@	0	@	0
31.	तमिलनाडु	9404	10114	21571	14393	2030	961	109	206
32.	त्रिपुरा	&	325	&	538	&	0	&	0
33.	उत्तर प्रदेश	8690	2859	29755	3567	19887	4856	1785	599
34.	उत्तराखंड	%	476	%	311	%	23	%	0
35.	पश्चिम बंगाल	7938	असूचित	19134	असूचित	4058	असूचित	191	असूचित
	कुल	104931	70692	255878	130584	113241	55878	7205	4962

टिप्पणी: आर - आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद।
एस — पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना।
अन्यों में 20, 10, 5, 2, 1 मूल्य वर्ग शामिल हैं।
* — आंकड़ें अनंतिम।
@ — आरबीआई कोलकाता द्वारा आंकड़े भेजे गए।
~ — आरबीआई नागपुर/नवी मुम्बई द्वारा आंकड़े भेजे गए।
$ — आरबीआई अहमदाबाद द्वारा आंकड़े भेजे गए।
# — आरबीआई चंडीगढ़ द्वारा आंकड़े भेजे गए।
{ — आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा आंकड़े भेजे गए।
} — आरबीआई पटना द्वारा आंकड़े भेजे गए।
& — आरबीआई गुवाहाटी द्वारा आंकड़े भेजे गए।
^ — आरबीआई चेन्नै द्वारा आंकड़े भेजे गए।
% — आरबीआई कानपुर द्वारा आंकड़े भेजे गए।
एनआर — आंकड़ें प्राप्त नहीं।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
}	0	{	0	0	{	0	0	0	0
20	4	16775	7705	24480	6618440	3206060	9824500	29	63
53	18	76606	28015	104621	45189730	15527745	60717475	231	186
&	0	&	1	1	&	1000	1000	1	1
&	0	&	762	762	&	478500	478500	15	19
&	0	&	1164	1164	&	882000	882000	6	11
&	2	&	985	985	&	907460	907460	5	18
0	0	4479	414	4893	2138050	168800	2306850	6	9
^	1	^	160	150	^	80020	80020	5	1
#	0	#	11562	11562	#	6834500	6834500	17	23
2	162	17289	1158	18447	7438940	458285	7897225	9	17
@	0	@	107	107	@	54500	54500	1	1
8	2	33122	25678	58800	20398०70	17417040	37816110	288	25
&	0	&	863	863	&	594000	594000	17	22
94	29	58211	12010	70221	23645870	5163440	28810310	124	129
%	810	%	810	810	%	633800	633800	11	15
5	असूचित	31326	असूचित	31326	17920440	असूचित	17920440	असूचित	असूचित
415	3699	481670	265815	747485	244560395	141868100	386418495	1397	1149

विवरण-IV

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

जाली करेंसी (बरामद एवं जब्त की गई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य-वर्ग-वार ब्यौरा
अर्ध वार्षिक रिपोर्ट : 01/01/2014 से : 31/12/2014 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यवर्ग							
		1000		500		100		50	
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	@	0	@	0	@	0	@	0
2.	आंध्र प्रदेश	2207	3249	4224	6301	5460	5133	86	152
3.	अरुणाचल प्रदेश	&	0	&	0	&	0	&	0
4.	असम	387	63	823	116	584	0	79	0
5.	बिहार	829	0	2928	5	1753	0	67	0
6.	चंडीगढ़	946	0	2137	0	3696	0	194	0
7.	छत्तीसगढ़	~	0	~	0	~	0	~	0
8.	दादरा और नगर हवेली	$	0	$	0	$	0	$	0
9.	दमन और दीव	$	0	$	0	$	0	$	0
10.	दिल्ली	9709	12932	18083	28924	10737	16728	430	1132
11.	गोवा	~	188	~	268	~	80	~	5
12.	गुजरात	4149	814	7412	1425	2499	475	105	13
13.	हरियाणा	#	214	#	40	#	7	#	2
14.	हिमाचल प्रदेश	#	0	#	0	#	0	#	0
15.	जम्मू और कश्मीर	7	0	59	2112	103	0	0	0
16.	झारखंड	}	0	}	0	}	0	}	0
17.	कर्नाटक	0	195	0	44	0	26	0	5
18.	केरल	2554	88	3246	124	476	154	29	4

09.07.2014 के डाटाबेस के अनुसार

अन्य		नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	एफआईआर	कुल अभियुक्त
(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
@	0	@	0	0	@	0	0	0	0
3	0	11980	14835	26815	4869340	6920400	11789740	72	152
&	0	&	0	0	&	0	0	0	0
0	0	1873	179	2052	860850	121000	981850	11	17
3	0	5580	5	5585	2471690	2500	2474190	3	7
8	0	6981	0	6981	2393930	0	2393930	0	0
~	0	~	0	0	~	0	0	0	0
$	0	$	0	0	$	0	0	0	0
$	0	$	0	0	$	0	0	0	0
2	2	38961	59718	98679	19845730	29123430	48968ै०	31	9
~	0	~	519	519	~	308250	308250	9	5
10	0	14175	2727	16902	8110290	1574650	9684940	25	26
#	0	#	263	263	#	234800	234800	4	5
#	0	#	0	0	#	0	0	0	0
0	0	169	2112	2281	46800	1056000	1102800	4	4
}	0	}	0	0	}	0	0	0	0
0	3	0	273	273	0	219880	219880	3	5
1	0	6306	370	6676	4226060	165600	4391660	11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	लक्षद्वीप	}	0	}	0	}	0	}	0
20.	मध्य प्रदेश	339	371	1073	1654	1069	948	56	48
21.	महाराष्ट्र	74	4740	189	2694	126	218	0	12
22.	मणिपुर	&	13	&	0	&	0	&	0
23.	मेघालय	&	0	&	0	&	0	&	0
24.	मिज़ोरम	&	62	&	125	8	0	&	0
25.	नागालैंड	&	0	&	80	&	81	&	0
26.	ओडिशा	242	47	1080	0	407	0	4	0
27.	पुदुचेरी	^	4	^	10	^	0	^	2
28.	पंजाब	#	0	#	0	#	0	#	0
29.	राजस्थान	556	व	1373	0	1165	0	52	0
30.	सिक्किम	@	10	@	36	@	23	@	2
31.	तमिलनाडु	3837	308	7352	1362	968	59	58	0
32.	त्रिपुरा	&	0	&	40	&	3	&	0
33.	उत्तर प्रदेश	3035	457	11193	512	10798	27	662	17
34.	उत्तराखंड	%	0	%	1	%	12	%	0
35.	पश्चिम बंगाल	2842	0	5936	0	2060	0	123	0
		31713	23733	67108	45873	41901	23974	1945	1394

टिप्पणी: आर - आरबीआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद।
एस – पुलिस द्वारा जब्त और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना।
अन्यों में 20, 10, 5, 2, 1 मूल्य वर्ग शामिल हैं।
* – आंकड़ें अनंतिम।
@ – आरबीआई कोलकाता द्वारा आंकड़े भेजे गए।
~ – आरबीआई नागपुर/नवी मुम्बई द्वारा आंकड़े भेजे गए।
$ – आरबीआई अहमदाबाद द्वारा आंकड़े भेजे गए।
# – आरबीआई चंडीगढ़ द्वारा आंकड़े भेजे गए।
{ – आरबीआई तिरुवनंतपुरम द्वारा आंकड़े भेजे गए।
} – आरबीआई पटना द्वारा आंकड़े भेजे गए।
& – आरबीआई गुवाहाटी द्वारा आंकड़े भेजे गए।
^ – आरबीआई चेन्नै द्वारा आंकड़े भेजे गए।
% – आरबीआई कानपुर द्वारा आंकड़े भेजे गए।
एनआर – आंकड़ें प्राप्त नहीं।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
}	0	{	0	0	{	0	0	0	0
12	0	2549	3021	5570	985370	1295200	2280570	6	13
0	1	389	7665	8054	181100	6109420	6290520	77	68
&	0	&	13	13	&	13000	13000	1	1
&	0	&	0	0	&	0	0	0	0
&	0	&	187	187	&	124500	124500	5	0
&	0	&	161	161	&	48100	48100	2	4
0	0	1733	47	1780	822900	47000	869900	1	1
^	0	^	16	16	^	9100	9100	2	0
#	0	#	0	0	#	0	0	0	0
0	0	3146	0	3146	1361600	0	1361600	0	0
@	19	@	90	90	@	30585	30585	1	1
1	0	12216	1729	13945	7612710	994900	8807610	8	2
&	0	&	43	43	&	20300	20300	3	4
46	0	25734	1013	26747	9744970	716550	10461520	10	6
%	0	%	13	13	%	1700	1700	2	1
0	0	10961	0	10961	6022150	0	6022150	0	0
86	25	142753	94999	237752	69555490	49136865	118692355	291	344

विवरण-V

वर्ष 2011 से 2013 के दौरान जालीकरण (भारतीय दंड संहिता की धारा 231-254 और 489-क 489घ) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	284	266	312
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
3.	असम	130	86	84
4.	बिहार	91	105	304
5.	छत्तीसगढ़	61	34	43
6.	गोवा	27	4	2
7.	गुजरात	69	133	77
8.	हरियाणा	26	35	37
9.	हिमाचल प्रदेश	11	3	28
10.	जम्मू और कश्मीर	69	69	42
11.	झारखंड	20	28	13
12.	कर्नाटक	79	84	89
13.	केरल	40	485	61
14.	मध्य प्रदेश	23	55	50
15.	महाराष्ट्र	247	266	221
16.	मणिपुर	1	1	2
17.	मेघालय	23	11	19
18.	मिज़ोरम	2	5	9
19.	नागालैंड	10	7	7
20.	ओडिशा	26	24	35
21.	पंजाब	109	92	71
22.	राजस्थान	87	64	40
23.	सिक्किम	6	2	1
24.	तमिलनाडु	120	98	104
25.	त्रिपुरा	14	14	27
26.	उत्तर प्रदेश	218	199	190
27.	उत्तराखंड	21	26	41
28.	पश्चिम बंगाल	271	534	490
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	2	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	2
33.	दिल्ली	43	76	50
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	6	1
	कुल (अखिल भारत)	2130	2814	2456

[हिन्दी]

वर्षा सिंचित कृषि

1722. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री जैदेव गल्ला :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कृषि भूमि में से बुआई क्षेत्र, सिंचित और असिंचित क्षेत्र तथा वर्षा सिंचित क्षेत्र तथा इसकी प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्षा सिंचित कृषि के विकास के लिए पनधारा परियोजना के अधिकतम उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वर्षा सिंचित कृषि का समग्र विकास हेतु आवंटित जारी तथा उपयोग की गई धनराशि/राजसहायता, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनों के लिए आवंटित धनराशि को सिंचाई तथा उर्वरक जैसे आदानों पर व्यय किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में अलग-अलग राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछड़ों राज्यों में खाद्यान्न के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) : (क) देश में कुल कृषि योग्य भूमि में से निवल बुआई क्षेत्र, सिंचित और आसिंचित क्षेत्र/वर्षा सिंचित क्षेत्र तथा इसकी प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकारी योजनाओं के अनेक घटकों के तहत किसानों को सिंचाई तथा उर्वरकों आदि के लिए राज सहायता तथा समर्थन दिया जाता है। 01.04.2008 तक भू संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तीन पनधारा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है नामत: एकीकृत पनधारा विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवत्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम। उसके बाद उन्हें एकीकृत पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत लाया गया है ताकि उन्हें पनधारा विकास पर सामान्य दिशा-निर्देशों के तहत कार्यक्रम किया जा सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के तहत आवंटित की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) देश में अलग-अलग राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) सरकार ने पिछड़े राज्यों सहित देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी, खेती करने के तरीके में सुधार लाने, ग्रामीण अंत:संरचना तथा ऋण की डिलीवरी, प्रौद्योगिकी एवं अन्य आदानों, और बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से फार्म उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदन करने, उच्चतर स्तर के प्रापण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु एक विकेंद्रीकृत तरीके से अनेक कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उचित परियोजनाओं को बनाने व क्रियान्वित करने हेतु नम्यता प्रदान की गई है।

विवरण-I

2011-12 के दौरान देश में कुल खेती योग्य क्षेत्र में से निवल बुआई क्षेत्र, सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र तथा वर्षा सिंचित क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे के साथ-साथ उसकी प्रतिशतता

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश/वर्ष	निवल बुआई क्षेत्र	खेती योग्य भूमि के ऊपर प्रतिशत	सकल सिंचित क्षेत्र	खेती योग्य भूमि के ऊपर प्रतिशत	सकल असिंचित क्षेत्र/वर्षा सिंचित क्षेत्र	खेती योग भूमि के ऊपर प्रतिशत	खेती योग्य भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	11161	70.2	6785	42.7	6975	43.9	15894
अरुणाचल प्रदेश	215	50.6	57	13.3	225	53.0	424

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	2811	87.4	163	5.1	4011	124.7	3217
बिहार	5396	81.9	5158	78.3	2489	37.8	6588
छत्तीसगढ़	4677	84.2	1648	29.7	4016	72.3	5557
गोवा	132	66.8	41	20.8	123	62.4	197
गुजरात	10302	81.4	6305	49.8	6788	53.6	12661
हरियाणा	3513	95.0	5680	153.6	809	21.9	3698
हिमाचल प्रदेश	538	65.9	187	22.9	763	93.4	817
जम्मू और कश्मीर	746	70.2	480	45.2	681	64.1	1063
झारखंड	1085	25.3	152	3.6	1102	25.7	4288
कर्नाटक	9941	77.4	4137	32.2	7923	61.7	12850
केरल	2040	89.7	546	24.0	2116	93.1	2274
मध्य प्रदेश	15237	88.2	8228	47.6	14289	82.7	17284
महाराष्ट्र	17386	82.3	4089	19.4	17825	84.4	21125
मणिपुर	365	98.2	69	18.5	297	79.7	372
मेघालय	285	27.0	80	7.6	259	24.6	1056
मिज़ोरम	97	25.0	13	3.4	84	21.6	389
नागालैंड	379	55.3	92	13.4	382	55.7	686
ओडिशा	4394	65.1	1437	21.3	3527	52.3	6749
पंजाब	4134	97.3	7771	182.9	134	3.1	4250
राजस्थान	18034	70.6	8903	34.8	15602	61.1	25555
सिक्किम	77	79.0	19	19.2	118	120.9	98
तमिलनाडु	4986	61.3	3519	43.3	2371	29.2	8129
त्रिपुरा	256	92.3	129	46.8	241	87.2	277
उत्तराखंड	714	46.2	555	35.9	577	37.3	1546
उत्तर प्रदेश	16623	87.0	19792	103.6	6017	31.5	19099
पश्चिम बंगाल	5198	91.2	5437	95.4	3916	68.7	5697

1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	52.9	0	1.1	18	63.1	28
चंडीगढ़	1	83.2	1	87.4	1	38.7	2
दादरा और नगर हवेली	17	72.0	7	29.6	15	60.4	24
दमन और दीव	3	82.4		0.0	3	86.2	4
दिल्ली	22	41.6	30	55.7	9	17.1	53
लक्षद्वीप	2	100.0	0	0.0	3	130.4	2
पुदुचेरी	18	60.7	22	73.1	6	18.9	30
अखिल भारत	140801	77.4	91530	50.3	103716	57.0	181983

टिप्पणी: '0' 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र से संबंधित है।

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

विवरण-II

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के तहत जारी राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आईडब्ल्यूएमपी	
		2012-13	2013-14
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12513.7	18325.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1597.0	11083.1
3.	असम	4297.2	11660.2
4.	बिहार	1218.4	1541.6
5.	छत्तीसगढ़	0.0	2600.0
6.	गोवा	0.0	0.0
7.	गुजरात	32923.7	6000.0
8.	हरियाणा	522.6	1420.5
9.	हिमाचल प्रदेश	802.3	4607.6
10.	जम्मू और कश्मीर	3826.8	0.0
11.	झारखंड	4817.3	2940.9
12.	कर्नाटक	33454.9	58611.1
13.	केरल	480.9	0.0
14.	मध्य प्रदेश	12829.6	13557.4
15.	महाराष्ट्र	50160.0	18034.9
16.	मणिपुर	3375.0	3028.4
17.	मेघालय	3743.4	2805.7
18.	मिज़ोरम	1643.9	6917.8
19.	नागालैंड	7641.8	7466.7
20.	ओडिशा	8970.0	13690.7
21.	पंजाब	1488.8	1544.0

1	2	3	4
22.	राजस्थान	42453.0	0.0
23.	सिक्किम	817.8	0.0
24.	तमिलनाडु	22776.8	16855.5
25.	त्रिपुरा	2401.7	4780.7
26.	उत्तर प्रदेश	12843.0	8809.2
27.	उत्तराखंड	421.8	0.0
28.	पश्चिम बंगाल	4031.3	0.0

स्रोत: भू संसाधन विभाग के वेबसाइट।

विवरण-III

2013-14 के दौरान देश में खाद्यान्नों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादन और उत्पादकता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन - '000 टन	उत्पादकता - कि.ग्रा./हैक्टेयर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20258.8	2663
2.	असम	5119.6	1909
3.	बिहार	12626.1	1988
4.	छत्तीसगढ़	7718.7	1533
5.	गुजरात	8691.6	1949
6.	हरियाणा	16693.0	3726
7.	हिमाचल प्रदेश	1451.3	1846
8.	जम्मू और कश्मीर	1550.1	1658
9.	झारखंड	4129.9	1855
10.	कर्नाटक	11515.5	1552
11.	केरल	503.9	2536
12.	मध्य प्रदेश	24235.4	1622
13.	महाराष्ट्र	14353.1	1238
14.	ओडिशा	8125.1	1582
15.	पंजाब	27745.9	4285
16.	राजस्थान	18794.5	1381
17.	तमिलनाडु	8754.1	2407
18.	उत्तर प्रदेश	50591.6	2505
19.	उत्तराखंड	1773.0	1992
20.	पश्चिम बंगाल	16964.9	2724
21.	अन्य	2784.4	2123
	अखिल भारत	264380.5	2095

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

[अनुवाद]

अन्न सुरक्षा योजना

1723. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्न सुरक्षा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) भारत सरकार 'अन्न सुरक्षा योजना' नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है। तथापि सरकार ने दिनांक 10.09.2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करके मानव जीवन-चक्र में अनाज और

पोषाहार सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश की 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्राप्त दर से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवर करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम की कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है और आवश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक परामर्श पत्र जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कवरेज हेतु लाभार्थियों की पहचान संबंधी सूचना के आधार पर इस अधिनियम के अंतर्गत 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन शुरू कर दिया गया है। इनमें से 6 राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान से इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित कवरेज के अनुसार पहचान का कार्य पूरा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और शेष 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में पहचान का कार्य आंशिक रूप से किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी लाभार्थियों की पहचान का कार्य पूरा होने की सूचना दी है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभार्थियों की पहचान शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने और तैयारी संबंधी अन्य उपायों को पूरा करने के पश्चात् अगले 3 माह के भीतर अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

सब्जी की कीमतों में वृद्धि

1724. श्री राजन विचारे :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री बी.वी. नाईक :
श्री हरिचन्द्र चव्हाण :
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :
डॉ. किरीट सोमैया :
श्री शिशिर कुमार अधिकारी :
श्रीमती पूनम महाजन :
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्याज, आलू और अन्य सब्जियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि बाजारों में प्याज, आलू और अन्य सब्जियों के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच काफी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पूरे देश में प्याज, आलू और अन्य सब्जियों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ताकि सब्जियों की कीमतों में कमी लाई जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्याज, आलू तथा अन्य सब्जियों के अनुमानित उत्पादन में 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान वृद्धि हुई है जिसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:—

(उत्पादन '000 एमटी में)

फसल	2012-13	2013-14 (अनंतिम)	2012-13 से 2013-14 में % परिवर्तन
प्याज	16813	19299	14.78%
आलू	45344	46395	2.32%
अन्य सब्जियां	100030	104555	4.52%

स्रोत: भारतीय बागवानी डाटाबेस तथा बागवानी प्रभाग, डीएसी।

(ग) से (च) सब्जियों के थोक तथा खुदरा मूल्य अधिकांश बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। थोक तथा खुदरा मूल्यों में विभिन्न लागत घटकों यथा परिवहन लागत, लदाई उतराई शुल्क, मंडी शुल्क, खुदरा लाभ मार्जिन आदि के कारण अंतर को विभिन्न सब्जियों के खुदरा मूल्य के समान करने के लिए थोक मूल्य में जोड़ा जाता है।

देश के मुख्य शहरों में प्याज, आलू तथा टमाटर के थोक तथा खुदरा मूल्य संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

सब्जी के मूल्यों में बढ़ोत्तरी अकेले जमाखोरी के कारण नहीं है। बल्कि अनेक कारण जैसे मांग तथा पूर्ति के मध्य मेल ना होना, सीजनल कारक, खराब मौसम स्थिति, आदान लागत में वृद्धि आदि उत्तरदायी हैं।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आलू के खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य

केन्द्र	माह के अंत में खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)						माह के अंत में थोक मूल्य (रुपए/क्विंटल)					
	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014
दिल्ली	18	18	20	23	25	26	888	825	1000	1375	1550	1675
शिमला	सू.न.	14	20	20	25	25	सू.न.	1000	1400	1500	2000	1900
जम्मू	15	सू.न.	सू.न.	20	25	30	1000	सू.न.	सू.न.	1600	1900	2300
लखनऊ	12	10	सू.न.	सू.न.	20	25	1000	800	सू.न.	सू.न.	1500	1800
देहरादून	15	14	सू.न.	20	20	20	1000	900	सू.न.	1400	1400	1500
अहमदाबाद	20	20	20	सू.न.	22	25	1800	1800	1800	सू.न.	2000	2300
भोपाल	20	20	सू.न.	15	15	18	1500	1500	सू.न.	1200	1200	1500
मुम्बई	23	सू.न.	सू.न.	31	31	सू.न.	1050	1100	सू.न.	1650	1625	सू.न.
जयपुर	14	सू.न.	16	19	15	20	500	सू.न.	700	1000	500	1150
पटना	11	12	13	17	18	18	800	1000	1150	1500	1600	1600
भुवनेश्वर	16	10	12	16	16	17	1200	750	1020	1400	1350	1420
कोलकाता	10	9	12	16	17	17	800	600	800	1200	1300	1400
गुवाहाटी	सू.न.	10	14	सू.न.	20	20	सू.न.	750	1050	सू.न.	1550	सू.न.
शिलोंग	15	15	15	सू.न.	15	सू.न.	1000	1000	1000	सू.न.	1000	सू.न.
अगरतला	सू.न.	15	14	19	24	25	सू.न.	1100	900	1400	2100	1900
हैदराबाद	14	16	सू.न.	सू.न.	24	27	1200	1400	सू.न.	सू.न.	2200	2500
बेंगलूरु	19	सू.न.	सू.न.	सू.न.	28	28	1700	सू.न.	सू.न.	सू.न.	2600	2600
तिरुवनन्तपुरम	23	23	24	29	31	33	2100	2100	2100	2700	2800	3100
चेन्नई	16	15	सू.न.	21	सू.न.	24	900	800	सू.न.	1500	सू.न.	2000

स्रोत: राज्य सिविल आपूर्ति विभाग।

प्याज के खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य

केन्द्र	माह के अंत में खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)						माह के अंत में थोक मूल्य (रुपए/क्विंटल)					
	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014
दिल्ली	25	22	21	21	23	26	963	988	888	1063	1138	1900
शिमला	सू.न.	16	20	20	20	25	सू.न.	1300	1500	1500	1500	2100
जम्मू	20	सू.न.	सू.न.	20	20	25	1500	सू.न.	सू.न.	1400	1400	2000
लखनऊ	20	20	सू.न.	सू.न.	20	20	1600	1600	सू.न.	सू.न.	1600	1600
देहरादून	22	20	सू.न.	20	20	24	1600	1500	सू.न.	1500	1500	2000
अहमदाबाद	20	20	20	सू.न.	20	23	1800	1800	1800	सू.न.	1800	2100
भोपाल	13	11	सू.न.	10	16	18	1100	1000	सू.न.	900	1200	1500
मुम्बई	23	सू.न.	सू.न.	25	27	सू.न.	950	750	सू.न.	1050	1200	सू.न.
जयपुर	14	सू.न.	14	13	10	15	700	सू.न.	700	600	300	900
पटना	15	14	13	13	20	22	1300	1250	1150	1100	1800	2000
भुवनेश्वर	16	16	15	16	16	28	1300	1300	1200	1300	1300	2400
कोलकाता	18	16	14	16	22	32	1250	1100	900	1200	1500	2200
गुवाहाटी	सू.न.	15	15	सू.न.	22	18	सू.न.	1200	1000	सू.न.	1450	सू.न.
शिलोंग	40	17	17	सू.न.	32	सू.न.	3500	1500	1500	सू.न.	2000	सू.न.
अगरतला	सू.न.	24	19	19	29	31	सू.न.	1900	1600	1450	2200	2700
हैदराबाद	14	14	सू.न.	सू.न.	18	24	1200	1200	सू.न.	सू.न.	1600	2200
बेंगलुरु	16	सू.न.	सू.न.	सू.न.	16	28	1400	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1400	2600
तिरुवनन्तपुरम	22	23	20	26	27	32	2000	2000	1800	2400	2500	2900
चेन्नई	16	15	सू.न.	16	सू.न.	28	800	700	सू.न.	1000	सू.न.	2400

स्रोत: राज्य सिविल आपूर्ति विभाग।

टमाटर के खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य

केन्द्र	माह के अंत में खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)						माह के अंत में थोक मूल्य (रुपए/क्विंटल)					
	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014	जनवरी (31) 2014	फरवरी (28) 2014	मार्च (31) 2014	अप्रैल (30) 2014	मई (30) 2014	जून (30) 2014
दिल्ली	22	20	20	24	15	19	963	713	738	913	388	675
शिमला	सू.न.	25	20	20	15	20	सू.न.	2000	1400	1500	1200	1500
जम्मू	20	सू.न.	सू.न.	20	15	20	1600	सू.न.	सू.न.	1500	1000	1400
लखनऊ	20	20	सू.न.	सू.न.	12	15	1600	1400	सू.न.	सू.न.	1000	1200
देहरादून	28	28	सू.न.	20	18	15	2200	2200	सू.न.	1600	1200	1000
अहमदाबाद	20	18	17	सू.न.	18	25	1800	1650	1550	सू.न.	1600	2300
भोपाल	20	20	सू.न.	15	15	18	1500	1500	सू.न.	1300	1300	1200
मुम्बई	19	0	सू.न.	23	24	सू.न.	650	750	सू.न.	700	950	सू.न.
जयपुर	16	0	16	14	10	12	500	सू.न.	600	400	200	300
पटना	14	13	13	13	15	17	1250	1100	1100	1100	1300	1500
भुवनेश्वर	12	10	7	16	20	20	700	700	400	1300	1700	1700
कोलकाता	16	8	14	14	20	30	1000	500	900	900	1300	2000
गुवाहाटी	सू.न.	25	25	0	25	25	सू.न.	2000	2000	सू.न.	सू.न.	सू.न.
शिलोंग	35	35	35	0	35	सू.न.	3000	3000	3000	सू.न.	3000	सू.न.
अगरतला	सू.न.	26	26	19	26	26	सू.न.	1500	1500	1500	1700	1700
हैदराबाद	8	7	सू.न.	सू.न.	20	23	600	500	सू.न.	सू.न.	1800	2100
बेंगलुरु	9	सू.न.	सू.न.	सू.न.	16	14	700	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1400	1200
तिरुवनन्तपुरम	16	18	17	20	24	20	1300	1500	1500	1800	2100	1700
चेन्नई	8	9	0	17	सू.न.	20	500	400	सू.न.	1200	सू.न.	1400

स्रोत: राज्य सिविल आपूर्ति विभाग।

विवरण-II

सब्जियों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- प्याज के लिए आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया।
- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 17.6.14 से 300 अमेरिकी डॉलर निश्चित किया गया तथा 2.7.14 से बढ़ाकर 500 अमेरिकी डॉलर किया गया।
- आलू के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 26.6.2014 से 450 अमेरिकी डॉलर किया गया।
- प्याज तथा आलू के लिए भंडारण सीमा लागू की तथा उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया तथा राज्य सरकारों को व्यापारियों द्वारा इन सब्जियों की जमाखोरी पर दंड लगाने के लिए शक्ति प्रदान की गई।
- राज्यों को फल तथा सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम से बाहर करके इनकी मुफ्त आवाजाही की स्वीकृति की सलाह दी गई।
- सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा काजाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा कालाबाजारी रोकथाम तथा आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम (पीबीएमएमएसईसी) 1980 का कार्यान्वयन भी कर रही है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा पीबीएमएमईसी अधिनियम, 1980 के तहत जमाखोरी तथा काला बाजारी के विरुद्ध प्रभावी रूप से संयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शिका जारी की है।

मादक पदार्थों की तस्करी

1725. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री भगवंत मान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के कितने मामले हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जब्त किये गये मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य तथा सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विदेशियों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) देश के उन शहरों के नाम क्या है जहां उक्त अवधि के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी बहुत अधिक हुई है;

(घ) क्या पड़ोसी देशों की किन्हीं एजेंसियों की संलिप्तता की खबर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश के अंदर तथा सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 (मई तक) के दौरान देश के भीतर और सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की संख्या और जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 (मई तक) के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों सहित गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो शहर-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, मुम्बई, दिल्ली, लुधियाना एवं बेरहामपुर कुछ ऐसे भारतीय शहर हैं जहां बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

(घ) किसी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) देश के भीतर और सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नवत् हैं:—

(i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा विभिन्न केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा राज्य एजेंसियों जैसे कि पुलिस एवं राज्य उत्पाद के साथ आसूचना का समन्वय एवं आदान-प्रदान करना।

(ii) पड़ोसी देशों की नोडल एजेंसियों के साथ सही समय पर सूचना साझा करना और प्रचालन को समन्वय करना।

(iii) सूचना देने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों को ऐसी सूचना के लिए आर्थिक पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वापक मादक पदार्थों की जब्ती हुई हो/गैर-कानूनी फसलों को नष्ट किया गया हो।

(iv) राज्य एजेंसियों के समन्वय से गैर-कानूनी पोस्ताव एवं केनेबिस की खेती को नष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना। राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो प्रभावी ढंग से नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो के जोनल कार्यालयों के माध्यम से राज्य एजेंसियों को केनेबिस एवं पोस्ता की गैर-कानूनी खेती वाले क्षेत्रों का उपग्रह से लिए गए तस्वीर (इमेज) भी भेजता है।

(v) राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो मांग और आपूर्ति को कम करने के उपायों के बारे में समय-समय पर अध्ययन करता है और उसके लिए उपायों का सुझाव देता है।

(vi) भारत ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एवं म्यांमार के साथ मादक पदार्थ संबंधी मामले के बारे में द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(vii) म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ताएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

(viii) आसूचना साझा करने और दुर्व्यापार में बदलते रूझानों का पता लगाने के लिए आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), सैन्य आसूचना और असम राइफल्स जैसी एजेंसियों सहित म्यांमार, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ सीमा संपर्क अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो की भागीदारी।

(ix) पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न मंत्री स्तरीय, सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती हैं।

भारत-नेपाल एवं भारत-भूटान सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने अब तक 618 सीमा चौकियां (भारत-नेपाल सीमा पर 468 और भारत-भूटान सीमा पर 150) स्थापित की हैं जो सीमा पर गश्ती एवं नाका-बंदी जैसे विभिन्न प्रचालनात्मक क्रियाकलाप नियमित रूप से करती हैं। सीमा पार करने वाले व्यक्तियों की जांच भी रैंडम रूप से और स्वयं के स्रोतों/सिस्टर एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर की जा रही है। लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। क्षेत्र गठन और आसूचना व्यवस्था को विषय से अवगत कराया गया है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने भारत-चीन सीमा पर तस्करी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए हैं:-

(i) सीमा चौकियों पर प्रेक्षण (ऑब्जरवेशन) चौकियों/श्रवण चौकियों की स्थापना।

(ii) नई सीमा चौकियां खोलना।

(iii) सीमा चौकियों पर पर्याप्त टुकड़ियां तैनात करना।

(iv) आवश्यकतानुसार हवाई रेकी की जा रही है।

(v) सेना के साथ मिलकर जाड़े के मौसम में वायु प्रहरी प्रचालन उड़ान (डब्ल्यूएएसो) भरी जाती है।

(vi) भारत-चीन सीमा पर निर्जन क्षेत्रों/अंतरालों पर नियमित रूप से गश्त लगाया जा रहा है।

(vii) भारत-चीन सीमा पर गहन निगरानी रखने के लिए अग्र चौकियों पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा।

(viii) नाइट विजन डिवायस (एनवीडी), हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेज (एचएटीआई), लॉग रेंज ऑब्जरवेशन एवं रेकी प्रणली (एलओआरआरओएस) तथा हाई पावर टेलिस्कोप का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

(ix) मानव खुफिया तंत्र सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत-पाक एवं भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर नियंत्रण एवं निगरानी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) सीमा की प्रभावी निगरानी

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना।

(ग) रात्रि के समय प्रेक्षण बढ़ाने के लिए सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(घ) फोर्स मल्टीप्लायर्स एवं हाई-टेक निगरानी उपकरणों का प्रयोग शुरू करना।

(ङ) विभिन्न बैठकों के दौरान सीमा पार से तस्करी के मुद्दों को उठाना।

(च) अतिरिक्त कार्मिकों, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों और अन्य अवसंरचना सहयोग से सीमा प्रचालन चौकियों की समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण।

(छ) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन एवं सिस्टर एजेंसियों के साथ समन्वय।

(ज) सीमा पर विशेष अभियान चलाना।

(झ) सीमा के प्रभावी नियंत्रण की निगरानी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा का बार-बार दौरा।

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रभावी नियंत्रण के लिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो अतिरिक्त बटालियन तैनात किए गए हैं।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सूचित किया है कि पोत पत्तन, विमानपत्तन एवं स्थल सीमा तक कार्यालयों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। अन्य रणनीतिक कार्रवाइयों में अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय, सूचना का आदान-प्रदान, जांच संबंधी सहायता और मादक पदार्थ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कौशलों का उन्नयन शामिल हैं।

विवरण-I

देश में राज्य/संघ क्षेत्र-वार जब्त किए गए मादक पदार्थ और मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	जब्त किए गए मादक पदार्थ की मात्रा (किलोग्राम में)				मामलों की संख्या			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.40	5.38	4080.49	26.01	11	4	13	10
2.	आंध्र प्रदेश	9305.26	18719.88	23794.60	7905.50	125	358	572	154
3.	अरुणाचलल प्रदेश	426.10	873.46	485.92	5545.77	16	28	62	19
4.	असम	1496889.62	2413.15	1273732.05	10281.37	139	93	192	07
5.	बिहार	5020.65	4422.74	22379.70	260.05	04	08	36	04
6.	चंडीगढ़	10689.56	474.77	133557.39	2548.32	221	79	116	59
7.	छत्तीसगढ़	8356.88	3111.52	10873.32	10475.07	378	252	306	74
8.	गोवा	25.18	1054.73	537.30	21.11	64	40	53	18
9.	गुजरात	2574.67	4185.62	1613.32	462.09	86	54	52	33
10.	हरियाणा	24859.92	67483.09	35821.95	4470.27	628	110	843	243
11.	हिमाचल प्रदेश	33994.16	4205.85	55812.08	41398.24	391	373	404	167
12.	जम्मू और कश्मीर	115084.87	21736.32	95237.82	41905.67	322	261	285	164
13.	झारखंड	3507.97	1361.40	1702.03	78.05	89	109	115	21
14.	कर्नाटक	2196.16	2921.89	3025.63	509.30	205	212	278	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	केरल	27184.67	515.21	1826.46	147.36	697	667	898	302
16.	मध्य प्रदेश	40591.73	64623.37	95750.88	19810.86	336	491	668	253
17.	महाराष्ट्र	5794.60	24408.00	7325.37	1987.12	478	393	410	204
18.	मणिपुर	1518844.28	4023652.55	3187378.64	302339.51	54	49	70	26
19.	मेघालय	384.98	613.73	607795.91	0.01	34	28	89	02
20.	मिज़ोरम	2854649.45	9837257.40	33047963.77	1692854.98	332	283	262	124
21.	नागालैंड	120566.05	79615.92	155280.85	59557.00	94	47	73	36
22.	नई दिल्ली	3887.03	91430.55	5319615.98	9706.71	601	77	440	14
23.	पंजाब	7231669.15	105514.29	30840729.09	573ए84	4308	4205	10234	20
24.	राजस्थान	10740.84	7281.81	3844.35	106.09	10	37	63	04
25.	तमिलनाडु	236.69	245.76	110.66	91.53	24	28	14	07
26.	त्रिपुरा	1824.30	—	298343.00	41667.00	18	—	78	35
27.	उत्तर प्रदेश	228835.74	102345.12	1598625.47	67008.78	5786	3583	5314	1874
28.	उत्तराखंड	2489.64	553.86	8253.76	144.34	201	220	368	113
29.	पश्चिम बंगाल	58377.78	14790.11	12909.38	36256.24	498	1167	710	216
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	2.22	—	—	—	03	—
31.	ओडिशा	17996.14	—	1505.90	—	122	—	04	—
32.	पुदुचेरी	0.02	0.32	0.05	—	02	05	01	—
33.	सिक्किम	—	—	46.67	—	—	—	08	—

टिप्पणी: जब्त किए गए मादक पदार्थ — एमफैटामाइन, कैनाबिस प्लांट, कोकीन, इफेड्रिन, गांजा, हशीश, हेरोइन, केटामाइन, लिसजरिक एसिड डिथलोमाइड (एलएसडी), मिथलेनोडोक्सी-एन—मेथिलामफैटामाइन (एमडीएमए), मैथामफैटामाइन, मैथालक्वालोन (मैंड्रक्स), मार्फिन, अफीम, अफीम पॉपी प्लांट, अन्य निर्मित मादक पदार्थ, अन्य मन:प्रभावी पदार्थ, पॉपी हस्क, पॉपी स्ट्रा, सूडोफेड्राइन, स्पेसमो, सिरप, टेबलेट

विवरण-II

विदेशी नागरिकों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य/क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	08	28	13

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	231	806	1382	301
3.	अरुणाचल प्रदेश	37	42	83	30
4.	असम	226	125	279	06
5.	बिहार	06	08	26	06
6.	चंडीगढ़	246	79	118	68
7.	छत्तीसगढ़	438	317	376	134
8.	गोवा	69	59	61	16
9.	गुजरात	124	84	66	47
10.	हरियाणा	743	114	976	296
11.	हिमाचल प्रदेश	513	475	451	207
12.	जम्मू और कश्मीर	440	346	401	227
13.	झारखंड	116	180	194	33
14.	कर्नाटक	370	336	430	120
15.	केरल	823	611	1053	381
16.	मध्य प्रदेश	515	683	946	343
17.	महाराष्ट्र	641	570	559	260
18.	मणिपुर	49	52	101	47
19.	मेघालय	16	05	23	—
20.	मिज़ोरम	432	344	325	156
21.	नागालैंड	128	55	97	48
22.	नई दिल्ली	679	78	533	29
23.	पंजाब	4563	3347	11265	03
24.	राजस्थान	19	49	100	07
25.	तमिलनाडु	23	33	17	09
26.	त्रिपुरा	04	—	63	35
27.	उत्तर प्रदेश	5836	3162	5368	1907

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तराखंड	223	244	338	118
29.	पश्चिम बंगाल	673	1643	977	319
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	03	—
31.	ओडिशा	418	—	01	—
32.	पुदुचेरी	05	07	02	—
33.	सिक्किम	—	—	07	—

टिप्पणी: उक्त व्यक्ति निम्नलिखित मादक पदार्थों के संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं:—

(1) एमफैटामाइन (2) कैनाबिस प्लांट (3) कोकीन (4) इफेड्रिन (5) गांजा (6) हशीश (7) हेरोइन (8) केटामाइन (9) लिसजरिक एसिड डिथलोमाइड (एलएसडी) (10) मिथलेनोडोक्सी-एन—मेथिलामफैटामाइन (एमडीएमए) (11) मैथामफैटामाइन (12) मैथालक्वालोन (मैंड्रक्स) (13) मार्फिन (14) अफीम (15) अफीम पॉपी प्लांट (16) अन्य निर्मित मादक पदार्थ (17) अन्य मनःप्रभावी पदार्थ (18) पॉपी हस्क (19) पॉपी स्ट्रा (20) सूडोफेड्राइन (21) स्पेसमो (22) सिरप (23) टेबलेट।

[हिन्दी]

वैशाली में पर्यटन

1726. श्री रामा किशोर सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के वैशाली को भारत तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) किसी कार्ययोजना के निर्माण सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पहचानी गई पर्यटन परियोजनाओं, जो योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण हैं, के लिए निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में वैशाली (कोल्हुआ) के विकास के लिए 388.97 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों और पर्यटक रुचि के स्थानों के संबंध में बुकलेट्स, लीफलेट्स, मानचित्र आदि सहित प्रचार सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित करता है ताकि भारत में पर्यटन को लोकप्रिय बनाया जा सके। पर्यटन के बारे में जागरुकता अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में 'मीडिया अभियान' के माध्यम से और मंत्रालय के घरेलू और विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से भी पैदा की जाती है।

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटन

1727. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन के संबंध में सरकार द्वारा अनुसरण किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वास्थ्य/चिकित्सा पर्यटन पर देश में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है और इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ग) आगामी वर्षों में चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित होने का अनुमान है; और

(घ) देश में विदेशी पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य/चिकित्सा पर्यटन के विकास तथा संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पर्यटन मंत्रालय विदेशी स्थित

बाजारों में निरोगता एवं चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन हेतु अपनी मार्केट विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत निम्नलिखित पात्र स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:—

(i) ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल (जेसीआई) या नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के प्रतिनिधि।

(ii) राज्य सरकारों या आयुष या एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त निरोगता केन्द्रों के प्रतिनिधि।

(iii) चिकित्सा पर्यटन सेवा सुविधा प्रदाताओं के प्रतिनिधि अर्थात् पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यात्रा एजेंट एवं टूर ऑपरेटर।

जैसाकि ऊपर उल्लिखित किया गया है कि अनुमोदित कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए की लागत, और बूथ के निर्माण, स्थापन के किराए, बिजली एवं पानी के शुल्क पर व्यय को पूरा करने हेतु पात्र स्टेकहोल्डरों को स्कीम के तहत 2.00 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। एमडीए स्कीम के तहत योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में 30 जून, 2014 तक के दौरान स्कीम के तहत पात्र स्टेकहोल्डरों को कुल 1,15,37,282/- रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2011 और 2012 के दौरान चिकित्सा उपचार हेतु आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 138802 और 171021 रही है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा उद्देश्य हेतु आने वाले पर्यटकों के माध्यम से अर्जित राजस्व के आंकड़ों को अलग से एकत्रित नहीं करता है। तथापि, भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान क्रमश: 77,591 करोड़ रुपए, 94,487 करोड़ रुपए और 1,07,671 करोड़ रुपए रही।

(घ) पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रैंड-लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभियानों को चलाने; रोड शो भारत परिचय सेमिनारों का संचालन करने; प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करने और निरोगता एवं चिकित्सा पर्यटन पर फोकस करने वाले कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों को सहायता देने के साथ-साथ समग्र तरीके से विदेशी पर्यटक आगमन को बढ़ाने हेतु निरोगता और चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2010-2013) और चालू वर्ष में 30 जून, 2014 तक के दौरान विभिन्न चिकित्सा/निरोगता पर्यटन स्टेकहोल्डरों को मार्केट विकास सहायता के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता

वर्ष	रुपए में प्रतिपूर्ति की गई राशि
2011-12	15,26,759
2012-13	19,13,018
2013-14	10,27,970
2014-15	70,69,535
कुल	1,15,37,282

[हिन्दी]

विवाहित जोड़ों के विरुद्ध अत्याचार

1728. श्री अर्जुनराम मेघवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रेम विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को परेशान करने तथा उन पर अत्याचार करने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट है तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) ऐसे विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके लिए आश्रय गृह की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किये गये हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किये गये सलाहों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित घटनाएं हुई है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों द्वारा घर से भागकर शादी करने की छिप-पुट घटनाएं शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप हत्या, दंगे, बलात्कार आदि जैसी घटनाएं होती हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम, आपराधिक घटनाओं का पता लगाने, मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने और नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है।

तथापि, भारत सरकार ऐसी विभिन्न घटनाओं का संज्ञान लेती है और अपराध की गंभीरता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगती है और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करती है। केन्द्र सरकार कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती कर राज्य सरकारों के प्रयासों को भी संपूरित करती है।

वर्ष 2011-2013 और चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कोई कदम नहीं उठाए गए हैं क्योंकि इस तरह की घटनाओं से निपटने में राज्य सरकारें स्वयं सक्षम हैं।

मक्का का समर्थन मूल्य

1729. श्री संतोष कुमार :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष हेतु कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य निर्धारण किया जा चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कृषि उपज-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अब तक मक्का का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मक्का का समर्थन मूल्य कब तक निर्धारित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से एमएसपी के निर्धारण हेतु अतिरिक्त कृषि उपज को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियन) : (क) से (ग) 2014-15 मौसम के लिए मक्का सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को निर्धारित किया गया है। तीन वर्षों के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत अतिरिक्त फसलों को शामिल करने के लिए समय-समय पर अनुरोध पत्र प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कवर की गई फसलें महत्वपूर्ण फसलें है जो आमतौर पर एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5
खरीफ फसलें				
धान	सामान्य	1250	1310	1360
	ग्रेड 'ए'	1280	1345	1400
ज्वार	हाईब्रिड	1500	1500	1530
	मलदांडी	1520	1520	1550
बाजरा		1175	1250	1250
मक्का		1175	1310	1310

1	2	3	4	5
रागी		1500	1500	1550
अरहर (तूर)		3850	4300	4350
मूंग		4400	4500	4600
उड़द		4300	4300	4350
कपास	मध्यम स्टेपल	3600	3700	3750
	लम्बा स्टेपल	3900	4000	4050
मूंगफली छिलके सहित		3700	4000	4000
सुरजमुखी के बीज		3700	3700	3750
सोयाबीन	काला	2200	2500	2500
	पीला	2240	2560	2560
तिल		4200	4500	4600
रामतिल		3500	3500	3600

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्तरीय खेल अकादमी

1730. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अधिक राष्ट्र स्तरीय खेल अकादमी खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में और अधिक राष्ट्र स्तरीय टेबल टेनिस अकादमियां खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) जी, हां। खोली गई/खोले जाने वाली प्रस्तावित अकादमियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खोली जाने वाली प्रस्तावित अकादमियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पहले से ही प्रारंभ अकादमियां

1. नई दिल्ली में साइक्लिंग प्रारंभ की गई।
2. नई दिल्ली में तैराकी प्रारंभ की गई।

खोली जाने वाली प्रस्तावित अकादमियां

1. नई दिल्ली में शूटिंग।
2. सोनीपत (हरियाणा) में कुश्ती।
3. रोहतक (हरियाणा) में मुक्केबाजी।
4. एथलेटिक्स: तिरुवनंतपुरम में स्प्रिंट एंड जंप, रोहतक सोनीपत में थ्रो तथा भोपाल में मिडल एवं लोंग डिस्टेंस
5. कोची (केरल) में वालीबाल।

6. कालीकट (केरल) और कोलकाता में फुटबाल।

7. गुवाहाटी और कोलकाता में तीरंदाजी।

8. बेंगलूरु और नई दिल्ली में हॉकी।

9. मेरठ (उत्तर प्रदेश) में वुशु।

[हिन्दी]

खेल संबंधी कानून

1731. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समेकित खेल संबंधी कानून लागू है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने खेल संबंधी कानूनों को लागू करने की पहल की है; और

(ग) इन कानूनों के अभाव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा इसे दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) खेल कानून के अभाव में राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रबंधन में खिलाड़ियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने, प्रबंधन के चुनाव में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने, राष्ट्रीय खेल परिसंघों से संबंधित विवादों के निपटान में देरी आदि जैसी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है और हितधारकों के विचार आमंत्रित करने के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया गया है।

सरकार इस बात से भी भलीभांति परिचित है कि मैच फिक्सिंग/स्पाट फिक्सिंग तथा अन्य अनैतिक कार्यों की बढ़ती हुई बुराई को रोकने और इससे निपटने के लिए कानून का होना अनिवार्य है जिससे देश में खेलों का संवर्धन और विकास होगा। अत: सरकार ने 'खेलों में धोखाधड़ी की रोकथाम विधेयक' तैयार किया है और इस बाबत हितधारकों से विचार मांगे हैं।

इन दोनों विधेयकों पर आगे परामर्श किया जाना भी आवश्यक है।

[अनुवाद]

आपदा कार्रवाई क्षमता

1732. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओडिशा के दस जिलों को बहु-आपदा आशंका वाले जिले घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि आपदा कार्रवाई क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) नागरिक सुरक्षा निदेशालय, ओडिशा ने दिनांक 3 फरवरी, 2012 को महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक रक्षा और होम गार्ड), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से नागरिक सुरक्षा से संबंधित पंचवर्षीय योजना स्कीमों के अगले चरण में बहु-आपदा वाले संभावित जिलों की सूची में दस जिलों नामत: सुंदरगढ़, कोरापुट, अंगुल, खोरधा, कालाहांडी, गंजम, पुरी, सम्बलपुर, झारसुगुडा और बोलंगीर को शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

दिनांक 06 जून, 2014 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 12वीं योजना हेतु "आपदा जोखिम प्रशमन में नागरिक सुरक्षा को मुख्य धारा में लाने की योजनागत स्कीम" में देश के अधिकांश सभी तटीय जिलों और भूकंपी क्षेत्र-V में आने वाले जिलों को सबसे अधिक असुरक्षित जिलों में शामिल किया गया है। ओडिशा के सात तटीय जिलों में से, चार जिलों अर्थात् बालासोर, भद्रक, केन्द्रपाड़ा और जगतसिंहपुर को वर्ष 2009-2013 के दौरान कार्यान्वित "देश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्विकास" की पूर्ववर्ती स्कीम में बहु-आपदा वाले संभावित जिलों में शामिल किया गया था और दो जिलों अर्थात् गंजम और पुरी को वर्तमान स्कीम में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

1733. श्रीमती रक्षाताई खाडसे :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही फसल बीमा योजनाओं और इस योजना में शामिल फसल की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नई फसल बीमा योजना आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत नई फसलों को शामिल करके फसल बीमा योजनाओं के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार फसल बीमा योजनाओं को और अधिक किसान हितैषी बनाने संबंधी निबंधन और शर्तों में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार को किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ग) राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी), जो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) तथा नारियल पॉम बीमा स्कीम (सीपीआईएस) को समाविष्ट करती है, को रबी 2013-2014 से कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके साथ ही कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) को वापस ले लिया गया है। तथापि, कुछ राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रबी 2013-14 के दौरान एनएआईएस के कार्यान्वयन के लिए इन राज्यों को अनुमति दी गई है। पुनः सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 2014-15 के लिए एनएआईएस अथवा एमएनएआईएस का कार्यान्वयन करने का विकल्प दिया गया है।

राज्य सरकार बीमा के तहत कवरेज करने के लिए विभिन्न खाद्य फसलों, तिलहन तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसल को अधिसूचित कर सकती है, जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या, न्यूनतम फसल क्षेत्र आदि के लिए पूर्व पैदावार डाटा/मौसम डाटा उपलब्ध है।

(ख) और (घ) वर्तमान बीमा स्कीम का सुधार करना निरंतर प्रक्रिया है। मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों, प्राप्त अनुभव तथा विभिन्न पणधारियों के विचारों के आधार पर वर्तमान बीमा उत्पाद अर्थात् राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को तैयार किया गया तथा रबी 2013-14 से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया।

(ङ) महाराष्ट्र के जलगांव तथा जालना जिलों के प्रभावित किसानों ने रबी 2012-13 मौसम के लिए मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के तहत कवर केले तथा स्वीट लाइम की फसल के संदर्भ में उठाए गए नुकसान दावों का भुगतान किए जाने के बारे में शिकायत की थी। अधिसूचित संदर्भ आटोमैटिक मौसम केन्द्र (एडबल्यूएस) द्वारा दर्ज की गई विंड स्पीड डाटा के आधार पर सरकार द्वारा प्रभावित किसानों के दावों का भुगतान करने के लिए संबंधित बीमा कंपनियों को कहा गया है।

भंडारण सुविधाएं

1734. श्री रत्न लाल कटारिया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले 40 प्रतिशत फल उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में अन्य राज्यों को ले जाने में बर्बादी हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) (आईसीएआर, लुधियाना) के हिमाचल प्रदेश सहित एक राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2010 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार फलों की वार्षिक बर्बाद 5.8% से 18% के बीच आंकी गई है जिसका वार्षिक मूल्य 7437 करोड़ रुपए है। संचालन के विभिन्न स्तरों पर होने वाली फलों की फसल-वार बर्बादी संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अध्ययन के अनुसार परिवहन के दौरान होने वाली फसलों की बर्बादी 1.1 से 2.8% तक की है।

(ग) खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत शृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए फसलोत्तर हानियों को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सहित देश में वर्ष 2008-09 से शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। देश में शीत शृंखला अवसंरचना की स्थापना हेतु संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एकीकृत शीत शृंखला तथा परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना निजी व्यक्तियों, उद्यमी समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीज), कृषक-उत्पादक संगठनों (एफपीओज), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज), केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि

के द्वारा की जा सकती है। शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ने देश में कार्यान्वयन हेतु 121 शीत शृंखला परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से 9 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) भी शुरू किया है। एनएमएफपी का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश समेत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत, निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से शीत शृंखला अवसंरचना की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:—

(i) **गैर-बागवानी उत्पाद शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम:** गैर-बागवानी उत्पादों जैसे कि डेयरी, मांस, पॉल्ट्री, मत्स्यिकी इत्यादि के लिए शीत शृंखला परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहातया निम्नानुसार दी जाती है: (i) **पूंजी सब्सिडी:** बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत दुर्गम क्षेत्रों में 50% की दर से परन्तु अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता और (ii) **ब्याज सब्सिडी:** परियोजना को पूरा होने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य क्षेत्रों में 6% प्रतिवर्ष की दर से परन्तु अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अथवा सावधि ऋण पर दिए जाने वाला वास्तविक ब्याज जो भी कम हो, तथा परियोजना के पूरा होने के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी राज्यों समेत दुर्गम क्षेत्रों के लिए 7 वर्ष की अवधि के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से परन्तु अधिकतम 3.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अथवा सावधि ऋण पर दिए जाने वाला वास्तविक ब्याज जो भी कम हो, की ब्याज सब्सिडी।

(ii) **ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के सृजन हेतु स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत शीघ्र सड़ने-गलने वाले उत्पादों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण एवं परिरक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कीम के अंतर्गत पात्र परियोजना लागत का सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, आईटीडीपी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता मान्य है।

(iii) **रीफर वाहन:** बागवानी एवं गैर-बागवानी उत्पाद दोनों को लाने-ले-जाने एवं परिवहन हेतु स्टैंड-ओलन रीफर वाहन (नों) तथा मोबाइल प्री-कूलिंग वैन (नों) को स्कीम के अंतर्गत नए वाहन (नों)/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन (नों) की लागत का 50% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिउ अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, शीतगारों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय सहाकारिता विकास परिषद् (एनसीडीसी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) भी अपनी संबंधित स्कीमों के अंतर्गत सहायत उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अन्य प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न फलों की बर्बादी का ब्यौरा

फसल/जिंस	खेतों/भंडारों में विभिन्न संचालनों के समय अलग-अलग हानियां (%)							कुल अनुमानित हानियां (%)
	फसल कटाई	संग्रहण	छंटाई/ग्रेडिंग	पैकिंग	परिवहन	खेतों पर प्रचालनों में होने वाली कुल हानियां	भंडारण में होने वाली कुल हानियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सेब	4.6	0.4	4.8	0.1	1.2	11.1	1.2	12.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. केला	1.3	0.4	0.9	0.4	1.1	4.2	2.4	6.6
3. खट्टे फल	0.9	0.5	1.8	0.3	1.3	4.8	1.5	6.3
4. अंगूर	0.9	0.2	3.2	0.3	1.9	6.6	1.7	8.3
5. अमरूद	4.4	1.2	4.6	0.9	2.8	13.9	4.1	18.0
6. आम	4.1	0.7	2.8	0.5	2.5	10.6	2.1	12.7
7. पपीता	1.4	0.3	2.0	0.2	1.1	5.1	2.3	7.4
8. चीकू	1.5	0.2	1.4	0.1	1.1	4.3	1.5	5.8

[*स्रोत:* केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), लुधियाना का अध्ययन]।

विवरण-II

हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	जिला	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपए)	अनुदान-सहायता की अनुमोदित राशि (लाख रुपए)	जारी की गई अनुदान की राशि (लाख रुपए)	वास्तविक प्रगति
1.	देव भूमि	शिमला	23.05.2011	1425	804.97	804.97	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू।
2	केनवास इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	ऊना	26.05.2011	1462.76	760.568	570.426	परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट की गई।
3.	एरोमेट्रिक्स फ्लोरा प्रा. लि.	कुल्लू	25.05.2011	2000	983.355	737.517	परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट की गई।
4.	हिलक्रेस्ट फूड्स	सोलन	25.05.2011	1560.92	768.67125	768.67125	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू।
5.	फ्रेश प्रोड्यूस इम्पेक्स	सिरमौर	20.09.2013	1591.91	949.477	0	25% प्रगति रिपोर्ट की गई।
6.	हिमालय काटन यार्न लि.	सोलन	20.09.2013	1229.71	543.78	0	25% प्रगति रिपोर्ट की गई।
7.	पोंटा साहिब फूड कॉर्पोरेशन	सिरमौर	04.10.2013	1570	877.988	0	कार्यान्वयनाधीन।
8.	अडानी एग्री फ्रेश लि.	शिमला	04.10.2013	2630.9	1000	0	कार्यान्वयनाधीन।
9.	हिम फ्रेश प्रोड्यूस कम्पनी	शिमला	04.10.2013	1648.73	977.1	0	कार्यान्वयनाधीन।
	कुल			15119.93	7665.90925	2881.58425	

विवरण-III

शीत शृंखला क्षेत्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य विभिन्न प्रोत्साहन

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35-एडी के अंतर्गत निवेश पर हुए व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है यदि यह निवेश (i) शीत शृंखला सुविधा की स्थापना एवं प्रचालन; तथा (ii) कृषि उपज के भंडारण हेतु मालगोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन के प्रयोजनार्थ ही किया गया हो। यह कटौती 150% तक अनुमत्य है बशर्ते कि करदाता ने अपना व्यापार 1.4.2012 को अथवा उसके बाद शुरू किया हो।

2. सरकार ने शीतागार, शीतकक्ष (खेत स्तर पर पूर्व शीतलन सुविधा सहित) या कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, समुद्री एवं जलीय उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को परियोजना आयात के लाभ दिए हैं। परिणामत: खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएं जो परियोजना के भाग के रूप में आयात की गई हों चाहे उनका टैरिफ वर्गीकरण कुछ भी क्यों न हो, 5% के मौलिक सीमा शुल्क की रियायती दर पर समान मूल्यांकन की पात्र होंगी।

3. टैरिफ शीर्ष; अध्याय 84 के अंतर्गत कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, समुद्री एवं जलीय उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए शीतागार, शीतकक्ष अथवा रेफ्रिजरेटिड वाहन की अधिस्थापना के लिए प्रयोग की गई सभी प्रकार की रेफ्रिजरेशन मशीनरी और उसके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाता है।

4. कृषि उपज के लिए शीतागारों सहित फसलोतर भंडारण अवसंरचना से संबंधित निर्माण, उत्थापन, प्रचालन अथवा अधिष्ठापन से संबंधित मूल कार्यों के लिए सेवा कर नहीं लिया जाता है।

5. आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश को वित्त मंत्रालय की अंतर वित्त-पोषण व्यवहार्यता स्कीम के लिए पात्र माना गया है। शीत शृंखला तथा फसलोत्तर भंडारण को अवसंरचना उप-क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है।

पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता

1735. श्री जुगल किशोर :
श्री पूनमबेन माडम :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से भारत में पलायन कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में शरण लेने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्र-वार कितने शरणार्थियों को दीर्घकालिक वीजा और नागरिकता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) हिन्दुओं सहित पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ पाकिस्तानी नागरिक, जो वैध वीजा पर भारत आए थे, पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनकी वीजा की अवधि बढ़ाने और उन्हें दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) हेतु आवेदन करने की अनुमति देने के लिए भी अनुरोध किया गया हे। इस मंत्रालय ने दिनांक 07 मार्च, 2012 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) प्रदान करने हेतु शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के मामलों पर निपटान करने के लिए सरकार द्वारा जारी सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के अनुरोध पर विचार करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को एलटीवी प्रदान करना एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, स्थायी रूप से भारत में बसने और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इरादे से पात्र श्रेणियों के तहत दीर्घावधिक वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ङ) दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) प्रदान किए गए विदेशियों से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 और 2014 (दिनांक 30.06.2014 तक) के दौरान 3753 पाकिस्तानी नागरिकों को दीर्घावधिक वीजा प्रदान किया गया है। गत तीन वर्षों अर्थात् 2011, 2012, 2013 और चालू वर्ष अर्थात् 2014 के दौरान 1854 विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई थी। देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नागरिकता प्रदान किए गए विदेशी नागरिकों की संख्या

देश का नाम	वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 के दौरान प्रदान की गई नागरिकता
1	2
अफगानिस्तान	316
अर्मेनिया	02
आस्ट्रेलिया	03
आस्ट्रिया	01
बांग्लादेश	147
बेलीज	02
बेल्जियम	02
कनाडा	09
चीन	05
क्रोएशिया	01
फ्रांस	02
जर्मनी	09
इंडोनेशिया	04
ईरान	14
इराक	01
इटली	04
इज़राइल	01
जापान	02
कजाकस्तान	01
केन्या	09
लेबनान	01
मलेशिया	09
मॉरिशस	03
मोजाम्बिक	01
म्यांमार	05
नेपाल	19
नीदरलैंड	03
नाइजीरिया	02
पाकिस्तान	1093
फिलीपीन	03
पौलेंड	01
पुर्तगाल	02
रुस	03
सिंगापुर	07
दक्षिण अफ्रीका	02
स्पेन	01
श्रीलंका	53
सूडान	02
स्वीडन	01
स्विटजरलैंड	04
तंजानिया	21
यूक्रेन	01
यूगांडा	01
संयुकत अरब अमीरात	01
यूनाइटेड किंगडम	23
संयुक्त राज्य अमेरिका	35
यूगोस्वालिया	01
जांबिया	05
जिम्बावे	03
राज्यविहीन	11
कुल	1854

[अनुवाद]

मात्स्यिकी क्षेत्र का विकास

1736. प्रो. के.वी. थॉमस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास तथा मछुआरों के कल्याण कार्यक्रमों संबंधी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि समुद्र अपदन के कारण केरल में मछुआरा समुदाय को बड़ा खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार द्वारा केरल सरकार को क्या सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम हैं (क) राष्ट्रीय मछुआरों के कल्याण संबंधी योजना (ख) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास (ग) समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट परिचालनों का विकास (घ) डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और (ङ) मात्स्यिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय मछुआरा विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और मछुआरों के कल्याण संबंधी योजना।

केरल सरकार सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि समुद्र अपदन, मछुआरा समुदाय के जीवन को प्रभावित कर रहा है और यह कि मात्स्यिकी विभाग, केरल से इस मामले में कोई सहायता जारी नहीं की गई है।

किसानों को पुनर्वास पैकेज

1737. श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री रामदास सी. तडस :
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :
श्री राजन विचारे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदर्भ सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि संकट के कारण कठिनाई का सामना करने वाले किसानों के लिए राहत/पुनर्वास पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में किसानों के समक्ष समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित चार राज्यों के 31 आत्महत्या संभावित क्षेत्रों के लिए 19998.85 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन किया है। इस पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन सितम्बर, 2006 में शुरू हुआ तथा नवम्बर, 2011 में समाप्त हुआ।

(ग) विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में कई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन है। 2012-13 से 2016-17 के लिए 3250 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों में 2012-13 से विदर्भ क्षेत्र के लिए विशेष स्कीम 'विदर्भ गहन सिंचाई विकास कार्यक्रम' (वीआईआईडीपी) कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष 2014-15 के लिए आवंटन 150 करोड़ रुपए है।

राज्य सरकारों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल परियोजना बनाने तथा उचित कार्यान्वयन के लिए लचीलेपन के साथ विकेन्द्रित तरीके से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार का फोकस प्राथमिक रूप से कृषि आय बढ़ाने, गैर-कृषि आय अवसरों के सृजन, वर्षा सिंचित कृषि उत्पादकता में सुधार, संरक्षित खेती के तहत कवरेज में वृद्धि तथा समग्र सम्पर्कों पर है।

किसानों के लाभ के लिए सरकर द्वारा किए गए अन्य उपायों में कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को संस्थागत ऋण प्रवाह में वृद्धि, किसानों द्वारा कृषि उत्पादों की मजबूरीवश बिक्री को रोकने के लिए छह माह के लिए फसलोपरांत ऋण, ऋण माफी/राहत, फसल ऋण पर ब्याज छूट, लघु अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुद्धार पैकेज आदि शामिल हैं।

जैव संवर्धित फसलों संबंधी नीति

1738. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव संवर्धित फसल संबंधी नीति को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैव संवर्धित फसलें आरम्भ की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जैव संवर्धित फसलों पर और अनुसंधान और परीक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) सरकार की नीति जीएम फसलों को इसके जैव सुरक्षा तथा पर्यावरण और उपभोक्ताओं पर प्रभाव के पूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन के पश्चात् अनुमति देने की है।

(ग) और (घ) कपास ही केवल ऐसी जीएम फसल (बीटी कपास) है जिसको देश में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ङ) जीएम फसलों के अनुमोदन के लिए भारत सरकार 'मामला दर मामला' की नीति का अनुपालन करती है।

पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिक विभाग (डीबीटी) तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के तहत आनुवांशिक परिचालन पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) जैव सुरक्षा अनुसंधान प्रयोग-1 तथा प्रयोग-2 जिसे सामान्य तौर पर बीआरएल-1 और बीआरएल-2 प्रयोग के नाम से जाना जाता है, का अनुमोदन करने के लिए सक्षम विनियामक एजेंसियां हैं।

एनएफएसए में संशोधन

1739. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन और अन्य राजसहायताप्राप्त खाद्य योजनाओं पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) अथवा खाद्य आधारित किसी अन्य स्कीम के कार्यान्वयन अथवा उनके कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका पर पुनर्विचार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

1740. श्री भर्तृहरि महताब : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों/वृद्धजनों के प्रति अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और अपराध-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और कितने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कितने मामले सुलझाए गए/असुलझे तथा उक्त अवधि के दौरान सभी मामलों के समाधान हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह जारी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं और वरिष्ठ नागरिकों/वृद्धजनों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए व्यापक कानून लागू किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए अपराधों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एनसीआरबी 50 वर्ष की आयु से अधिक वाले उन व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र करता है जो हत्या, हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध, बलात्कार और अपहरण तथा व्यपहरण के पीड़ित थे। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इसलिए नागरिकों के प्रति अपराध सहित अपराध को रोकने, इसका पता लगाने, मामला दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामलों को सर्वाधिक महत्व देती है और विभिन्न स्कीमों तथा परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को दो विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किए हैं, जिनमें उन्हें सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय करने और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने; सुरक्षा के संबंध में पुलिस कर्मियों को सुग्राही बनाने, वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा; बीट स्टाफ के नियमित दौरे; टॉल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन स्थापित करने; वरिष्ठ नागरिकता सुरक्षा सेल स्थापित करने; घरेलू नौकरों, ड्राइवरों आदि के सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सभी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त करने की सलाह दी गई है। उपर्युक्त परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट *http://mha.nic.in/national_adv.* पर उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 2011 से 2013 के दौरान 50 वर्ष से अधिक के आयु समूहों में हत्या, हत्या की श्रेणी में न आने वाले मानव वध, अपहरण और व्यपहरण तथा बलात्कार के राज्य-वार पीड़ित

क्र. सं.	राज्य	हत्या			हत्या की श्रेणी में न आने वाला मानव वध			अपहरण एवं व्यपरण			बलात्कार		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.	आंध्र प्रदेश	387	363	322	39	11	38	41	46	33	8	19	45
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3.	असम	48	51	46	0	0	0	0	0	0	8	0	4
4.	बिहार	172	202	150	21	18	18	15	3	12	0	3	6
5.	छत्तीसगढ़	195	159	174	1	1	4	11	0	2	13	4	6
6.	गोवा	6	13	9	0	3	0	0	1	2	0	0	1
7.	गुजरात	91	152	173	1	1	6	12	8	8	7	1	5
8.	हरियाणा	111	93	87	2	10	6	10	22	83	2	7	6
9.	हिमाचल प्रदेश	22	9	16	0	1	0	0	1	1	3	1	2
10.	जम्मू और कश्मीर	21	6	13	1	0	3	6	3	4	0	2	1
11.	झारखंड	92	78	62	5	2	2	1	3	2	2	0	0
12.	कर्नाटक	229	215	141	3	11	5	28	33	29	1	5	16
13.	केरल	109	87	100	32	43	32	5	5	2	21	15	16
14.	मध्य प्रदेश	357	317	254	12	12	21	5	8	5	27	17	27
15.	महाराष्ट्र	354	335	362	20	42	59	18	32	24	7	22	12
16.	मणिपुर	7	12	15	2	0	1	15	18	7	1	0	2
17.	मेघालय	13	14	12	0	0	1	5	5	2	1	1	1
18.	मिज़ोरम	3	5	5	2	1	0	0	1	0	1	1	2

19.	नागालैंड	8	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	88	119	127	0	1	0	2	2	14	17	11	20
21.	पंजाब	74	114	87	19	15	22	2	5	8	3	1	2
22.	राजस्थान	135	148	165	6	3	4	24	47	43	12	7	40
23.	सिक्किम	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
24.	तमिलनाडु	301	412	442	4	9	2	8	19	46	2	4	16
25.	त्रिपुरा	12	15	23	0	0	0	3	0	2	1	5	2
26.	उत्तर प्रदेश	383	493	598	140	153	142	7	11	6	0	2	5
27.	उत्तराखंड	20	31	27	7	2	6	1	8	72	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	198	320	16	69	28	0	666	13	25	1	1	10
	कुल राज्य	3439	3768	3432	387	367	372	886	294	434	139	129	247
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30.	चंडीगढ़	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32.	दमन और दीव	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	35	48	45	1	4	8	3	16	7	2	6	7
34.	लक्षद्वीप	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	7	6	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	50	58	56	4	7	10	3	17	9	2	6	9
	कुल अखिल भारत	3489	3826	3488	391	374	382	889	311	443	141	135	256

स्रोत: भारत में अपराध।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन

1741. श्री एम.बी. राजेश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रति परिवार खाद्यान्नों की पात्रता में वृद्धि करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पीडीएस नियंत्रित मूल्यों के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता के अतिरिक्त और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय लोगों के लिए खाद्यान्नों की सुगम सुलभता सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पीडीएस/एनएफएसए हेतु खरीद में वृद्धि के लिए राज्यों में और अधिक खरीद केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए गैर-पीडीएस मदों को शामिल करके उनका वस्तु संग्रह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से दालों, खाद्य तेलों, आयोडीनयुक्त नमक, मसालों आदि जैसी वस्तुओं के वितरण की सूचना दी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को भी शामिल किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समय के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित वस्तुओं का विविधीकरण शामिल है।

(ग) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को अधिसूचित किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे दूर-दराज के और जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करें। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी उपभोक्ता/कार्डधारक को अपनी उचित दर दुकान तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े। जो क्षेत्र उचित दर दुकानों द्वारा कवर नहीं किए जा सकते वहां दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए मोबाइल वैन शुरू की जाएं। दिशा-निर्देशों में साप्ताहिक हाटों पर बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रावधान शामिल है ताकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा सकें, जो इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को और विशिष्ट हकदारियों को पूरा करने के लिए योजनाओं को लागू करते समय विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के असुरक्षित समूहों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेंगी ताकि उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(घ) प्रत्येक विपणन मौसम की शुरुआत से पहले सरकार राज्य खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की एक बैठक बुलाती है ताकि आगामी विपणन मौसम में खरीद के प्रबंध करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा सके। इस बैठक में खरीद केन्द्रों की संख्या से संबंधित ब्यौरे ओर खरीद सामग्री, भंडारण स्थान आदि जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। समय-समय पर अतिरिक्त खरीद केन्द्रों की आवश्यकता, यदि कोई हो, पर भी विचार किया जाता है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोले जाते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देना

1742. डॉ. वीरेन्द्र कुमार :
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाने/नई परियोजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन और विपणन एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय मीडिया अभियानों, पर्यटन साहित्य और प्रचार सामग्री और माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय मौजूदा पर्यटन उत्पादों में सुधार लाने और नये पर्यटन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने हेतु पर्यटन परिपथों के विकास और तीर्थ स्थलों के अवसंरचना सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु योजनाओं का निर्माण कर रहा है। वर्ष 2014-15 के बजट में पर्यटन मंत्रालय की दो नई योजनाओं के लिए 600.00 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1.	5 पर्यटन परिपथ	:	5.00 करोड़ रुपए
2.	तीर्थ स्थान कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान (पीआरएएसएडी) और राष्ट्रीय मिशन	:	100.00 करोड़ रुपए

पर्यटन मंत्रालय के पास पर्यटन संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनेक दिशा-निर्देश हैं जिनमें प्रचार सामग्री के निर्माण, प्रिंट मीडिया में संयुक्त विज्ञापन, मेलों और उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन, फिल्म पर्यटन के संवर्धन आदि के लिए सहायता शामिल है। वित्तीय सहायता राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों, जो योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण हों, के आधार पर परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बाढ़ और भू-अपरदन के कारण विस्थापन

1743. श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्रीमती विजया चक्रवर्ती :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ और भू-अपरदन के कारण अनेक परिवार बेघर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ और भू-अपरदन के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन में आज की तिथि के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने परिवार और कुल कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है।

(ग) आज की तिथि के अनुसार कितने लोगों का पुनर्वास किया गया और उनका पुनर्वास कहां किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ङ) असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में बाढ़ और भू-अपरदन के कारण 30,651 परिवार बेघर हुए और 12,602 हैक्टेयर भू-क्षेत्र अपरदित हुआ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्यों का है। बाढ़ और भू-अपरदन के कारण भू-विहीन और बेघर हुए परिवारों का पुनर्वास संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/योजना निधियों से किया जाना होता है। राज्य सरकार मामले को सुलझाने के लिए अपनी मौजूदा भू-नीति के अनुसार राहत सहायता दे रही है और समुचित भूमि खोज रही है।

केन्द्रीय सरकार भी योजनागत स्कीम "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" को सहायता देती है जिसे राज्य के जल संसाधन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें असम राज्य सहित देश में मौजूदा आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार लाने और बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा भू-अपरदन को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन परियोजनाएं

1744. श्री थोटा नरसिम्हम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य विशेषकर पूर्वी गोदावरी जिले में पर्यटन अवसंरचना और पर्यटक स्थलों पर सुविधाओं के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र में कितना राजस्व सृजित हुआ;

(घ) राज्य में आरंभ की गई प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी निधियों का आवंटन किया गया है; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की कोई पर्यटन परियोजना सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रति वित्तीय वर्ष उनके परामर्श से पहचान की गई, पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन परियोजनाओं का विवरण, जिनके लिए पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 30.06.2014 तक पूर्वी गोदावरी जिले सहित पूर्व आंध्र प्रदेश (नया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से) राज्य सरकार को सीएफए स्वीकृत और निर्मुक्त की गई, राशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पर्यटन क्षेत्र से अर्जित राजस्व के आंकड़े (संयुक्त रूप से और एक अलग ईकाई के रूप में) उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा "आंध्र प्रदेश में मेगा पर्यटन के रूप में अनंतपुर जिले में पर्यटन अवसंरचना का एकीकृत विकास" की परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। स्थाई वित्त समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है तथा इस परियोजना के लिए 4241.84 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना की अनुशंसा की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
	2011-12		
1.	मेडक जिला में पर्यटन परिपथ का विकास	725.84	725.84
2.	घनपुर मंदिर एंव पंडावुलागुहालू में पर्यटन अवसंरचना का विकास	481.16	384.92
3.	वारंगल फोर्ट आंध्र प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना का विकास	437.37	437.37
4.	आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में पर्यटक सुविधाओं और साधनों सहित न्यूनतम पर्यटक अवसंरचना का विकास	772.50	618.00
5.	आंध्र प्रदेश में भोंगीर फोर्ट में पर्यटन अवसंरचना का विकास	499.50	399.60
6.	पर्यटक परिपथ के रूप में आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में पर्यटक सुविधाओं का विकास	626.74	626.74
7.	रमप्पा मंदिर एवं झील पर पर्यटन अवसंरचना का विकास	475.77	475.77
8.	समग्र मोबाइल आधारित पर्यटन संवर्धन प्रणाली और समर्पित टूरिस्ट हेल्पलाइन	8.85	7.96
9.	कर्नूल जिले में ओरवाकल्लू में ईको-पर्यटन केंद्र का विकास	486.35	486.35
10.	वारंगल फोर्ट में साउंड एंड लाइट शो चलाना	500.00	400.00
	कुल	5014.08	4562.55

1	2	3	4
	2012-13		
1.	आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी पर्यटन परिपथ का विकास	755.13	604.10
2.	आंध्र प्रदेश में करीमनगर पर्यटक परिपथ का विकास	705.40	564.32
3.	आंध्र प्रदेश में करीमनगर जिले में पर्यटक गंतव्य के रूप में कालेश्वरम का विकास	463.82	371.06
4.	आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में विरासत पर्यटन परिपथ का विकास	484.01	387.21
5.	आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले में विरासत पर्यटन परिपथ का विकास	799.89	639.91
6.	आंध्र प्रदेश में मेगा गंतव्य के रूप में नागार्जुनसागर पर बुद्धवनम परियोजना का विकास	2224.23	1115.12
7.	आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला, काकीनाडा पर बीच पार्क का विकास	450.74	360.59
8.	आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम – भीमउनीपत्तनम बीच कारीडोर का विकास	4588.85	917.77
	कुल	10472.07	4960.08
	2013-14		
1.	आंध्र प्रदेश, निजामाबाद, जिला, अलीसागर पर ईको-पर्यटन परियोजना का विकास	383.27	76.65
2.	महबूब नगर जिला, डिंडी पर मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	320.48	64.09
3.	आंध्र प्रदेश, काकीनाडा में ईको पार्क का विकास	437.00	87.40
4.	करीमनगर जिला में साउंड एंड लाइट शो और इलागंडल फोर्ट के क्षेत्र का विकास	461.45	92.29
5.	आंध्र प्रदेश, कृष्णा जिला, विजयवाड़ा में गांधी हिल का विकास	301.57	60.31
6.	आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले की पिलेरू निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटक परिपथ का विकास	642.81	128.56
7.	आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद जिला, बसरा में साउंथ एंड लाइट शो का विकास	500.00	100.00
8.	आंध्र प्रदेश, चित्तूर जिला, कलीकरी पर मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	202.33	40.46
9.	आंध्र प्रदेश, चित्तूर जिला में नागरी पर मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	161.78	32.36
10.	आंध्र प्रदेश में जिला निजामाबाद, जिला में निजामाबाद पर्यटक परिपथ का विकास	575.05	115.01
11.	आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला, कोरिंगा पर ईको-पर्यटन सुविधाओं का विकास	474.42	3.00
12.	आंध्र प्रदेश, खम्मम जिला में टैंक बंद पार्कों का विकास	474.07	3.00
13.	आंध्र प्रदेश में करीमनगर जिला, श्रीकोथकोंड वीरभद्रास्वामी मंदिर पर पर्यटक सुविधाओं और साधनों का विकास	441.77	88.35
14.	आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम मिनी पर्यटन परिपथ का विकास	457.51	91.50

1	2	3	4
15.	कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश, में विजयवनम, कोंडा रेड्डी ब्रुजु गोलगुम्बज एवं श्रीरूपाला सांगामेश्वरा जगन्नाथ गट्टु मंदिर में सौन्दर्यीकरण एवं विकास	438.56	3.00
16.	आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी जिला, कोडियाम पर ईको पार्क का विकास	295.56	3.00
17.	आंध्र प्रदेश में प्रमुख पर्यटक गंतव्य के रूप में वाईएसआर कडपा जिला में अमीन पीर दरगाह क्षेत्र का विकास	480.15	96.03
18.	आंध्र प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिला में पर्यटक परिपथ का विकास	615.83	5.00
19.	आंध्र प्रदेश, महबूब नगर जिला, बीचपल्ली पर मार्गस्थ सुविधाओं का विकास	213.98	3.00
20.	आंध्र प्रदेश में भद्राचलम – पापीकोंडालू-कोनासीमा मेगा पर्यटन परिपथ का विकास	4588.80	7.00
	कुल	12466.39	1100.01
	2014-15		
	शून्य	शून्य	शून्य

पूर्वोत्तर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1745. श्री राजेन गोहेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने मामले पंजीकृत किए गए और लूटपाट, डकैती, हत्या, सामूहिक बलात्कार, बम विस्फोट, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि सहित राज्य और अपराध-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे मामलों की रोकथाम और आमजन की जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या व्यापक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं की संख्या कम होने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ हैं तथापि, असम और मेघालय राज्यों में आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है। लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। सूचित अपराध और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सूचित अपराध के मामलों और आरोप-पत्रित व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य	लूटपाट		डकैती		हत्या		बलात्कार		आईपीसी के तहत कुल संज्ञेय अपराध	
	सीआर	पीसीएस	सीआर	पीसीएस	सीआर	पीसीएस	सीआर	पीसीएस	सीआर	पीसीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश	75	38	24	22	69	59	75	61	2776	1631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	923	535	246	436	1354	1090	1937	1313	87186	45042
मणिपुर	3	1	0	0	93	23	72	16	3178	150
मेघालय	68	26	51	43	166	71	183	215	3259	1797
मिज़ोरम	3	5	4	1	27	36	89	83	1709	1671
नागालैंड	49	46	3	2	78	24	31	26	1216	637
सिक्किम	6	13	1	0	15	18	43	44	851	1074
त्रिपुरा	44	57	9	6	142	179	233	298	6210	7399

(संक्षेप-सीआर: दर्ज मामले और पीसीएस: आरोप-पत्रित व्यक्ति)

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न उपायों जैसे लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, निगरानी, संचार, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, हथियार, वाहनों, कम्प्यूटरीकरण के लिए आधुनिक उपकरणों के प्रापण हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और पुलिस अवसंरचना अर्थात् आवास/पुलिस स्टेशनों/चौकियों/बैरकों आदि के निर्माण के लिए 100% केन्द्रीय सहायता के माध्यम से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करती है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार इंडिया रिजर्व बटालियनें स्थापित करने, राज्यों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संभार तंत्रीय सहायता उपलब्ध कराने, अवसंरचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने और पुलिस अवसंरचना का उन्नयन आदि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा मियाद समाप्ति के पश्चात् कीटनाशकों की बिक्री

1746. श्री हुकुम देव नारायण यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक और खरपतवार कृमि विदेशी उत्पादक निधि कंपनियां मियाद समाप्त होने के पश्चात् गैर-कानूनी रूप से इनका बड़े पैमाने पर आयात पर बिक्री कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशी कंपनियों ने घरेलू कीटनाशक उत्पादन कंपनियों के रूप में एकाधिकार स्थापित कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) विदेशी कंपनियों द्वारा कीटनाशकों की मियाद समाप्त होने के पश्चात् उनका गैर-कानूनी रूप से आयात करके इनकी बड़े पैमाने पर बिक्री किए जाने के संबंध में इस विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

महिला पुलिस थाने

1747. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने के लिए विशेष रूप से महिला पुलिस थाने स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय है और इस प्रकार महिला पुलिस यूनिटों/थानों को

अधिसूचित करने तथा स्थापित करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है तथापि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को महिलाओं के प्रति अपराध पर एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें प्रत्येक पुलिस थाने मे अनन्य रूप से 'महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध' डेस्क और पुलिस थाने में विशेष महिला पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा आवश्यकतानुसार महिला पुलिस थाना स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2013 तक देश में कुल 502 महिला पुलिस थाने मौजूद थे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महिला पुलिस थाना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला पुलिस थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32
2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	असम	1
4.	बिहार	40
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	32
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	झारखंड	22
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	9
15.	महाराष्ट्र	
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7
18.	मिज़ोरम	
19.	नागालैंड	
20.	ओडिशा	6
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	29
23.	सिक्किम	
24.	तमिलनाडु	196
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	71
27.	उत्तराखंड	2
28.	पश्चिम बंगाल	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
30.	चंडीगढ़	
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव	
33.	दिल्ली संघ शासित	
34.	लक्षद्वीप	
35.	पुदुचेरी	3
	अखिल भारत	502

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का निरसन

1748. श्री धर्म वीर गांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 में संशोधन अथवा उसका निरसन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बात पर विचार करते हुए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा तीसरे लिंग को मान्यता दिए जाने और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) में अधिकार प्रदान करने तथा यौन अस्मिता और लैंगिक व्यवहार के आधार पर पक्षपात को असंवैधानिक माने जाने के मद्देनजर सरकार का द्विलिंगी संबंधों के इत्तर यौन संबंधों को विधिक दर्जा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) जी, नहीं। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में कोई भी निर्णय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही लिया जा सकता है।

कोडैकानल का विकास

1749. श्री एम. उदयकुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन विकास के प्रयोजन से तमिलनाडु में कोडैकानल में हैलीपैड निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कोडैकानल को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्द्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रति वित्तीय वर्ष प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने तमिलनाडु में कोडईकनाल में हेलिपैड के निर्माण के लिए किसी को न तो स्वीकृति दी है, और न ही इस उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीएफए प्रदान करने के लिए किसी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'गंतव्यों और परिपथों के विकास के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास' योजना के तहत 'कोडईकनाल — चरण-II के विकास' की परियोजना के लिए 341.692 लाख रुपए निर्मुक्त करने के साथ 427.03 लाख रुपए की सीएफए स्वीकृत की थी।

वृद्ध व्यक्तियों से दुर्व्यवहार

1750. श्री इदरिस अली : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग प्रतिदिन 23% वृद्ध नागरिकों से दुर्व्यवहार होने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों से इस संबंध में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराध संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य विषय हैं और, इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध सहित अपराध की रोकथाम, संसूचन, पंजीकरण, जांच और अभियोजन का मूल दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है। तथापि, केन्द्रीय सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा विभिन्न योजनाओं और सलाहों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करती है। तथापि, एक गैर-सरकारी संगठन नामत: 'हेल्प एज इंडिया' ने 24 शहरों में 6748 वृद्ध व्यक्तियों के साथ किए गए एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट दी कि 23% पूछे गए वृद्ध व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनके निष्कर्ष के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, 23 प्रतिशत प्रतिवादियों ने दुर्व्यवहार की सूचना दी थी।

(ग) सरकार ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण बाध्यकारी तथा न्यायाधिकरणों के माध्यम से वाद योग्य बनाना; बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा लापरवाही के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के अंतरण को रद्द करने की व्यवस्था करना; वरिष्ठ नागरिकों को अकेला छोड़ने के लिए दंडात्मक प्रावधान; वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं; और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण की व्यवस्था है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ नागरिकों की पहचान;

वृद्धजनों की सुरक्षा, संरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों का सुग्राहीकरण; बीट स्टाफ का नियमित दौरा, टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन की स्थापना; वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना; घरेलू नौकरों, ड्राइवरों इत्यादि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्धजनों की सुरक्षा और संरक्षा तथा उपेक्षा, प्रताड़ना और हिंसा के सभी रूपों का समापन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए उन्हें सलाह देते हुए भी दो विस्तृत सलाहें जारी की हैं।

[हिन्दी]

युवाओं का विकास

1751. डॉ. भोला सिंह : क्या कौशल, विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में युवाओं के विकास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित/स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) युवा मामले क्षेत्र में अभी तक राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में युवाओं और खेल के विकास के लिए कोई नयी कार्य-योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) जी, हां। देश के विभिन्न भागों में युवाओं के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:—

युवा कार्यक्रम विभाग:

(i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

(iii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

(iv) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)

(v) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(vii) युवा छात्रावास

(viii) स्काउटिंग एवं गाइडिंग

खेल विभाग:

(ix) राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)

(x) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम

(xi) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम

(xii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)

(xiii) खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम

(xiv) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम

(xv) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम

(xvi) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्कीम

(xvii) राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष

(xviii) निःशक्त जनों के लिए खेलकूद स्कीम

(xix) भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता अनुदान

(xx) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर को सहायता अनुदान

(xxi) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सहायता अनुदान

(xxii) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) को सहायता अनुदान

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत आवंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा युवा कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में और खेल विभाग का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) युवा कार्यक्रम विभाग में उक्त स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए भारत के युवाओं को पूरी संभाव्य क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने तथा उनके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों की जमात में भारत को उसका वाजिब स्थान दिलाने के लिए एक साकल्यवादी विजन की संकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में युवा विकास के लिए सभी हितधारकों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई की रूपरेखा दी गई। युवा कार्यक्रम विभाग के 2014-15 के बजट में निर्णय निर्धारण तथा राष्ट्र

निर्माण प्रक्रिया में युवाओं की सहभागिता के लिए 'युवा नेतृत्व कार्यक्रम' के रूप में एक नई पहल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि असाधारण रूप से प्रतिभावान युवाओं की पहचान की जा सके, उन्हें पुरस्कृत किया जा सके तथा अन्यों के लिए रोल मॉडल और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

खेल विभाग के 2014-15 के बजट में जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं की वृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

युवा कार्यक्रम विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित निधि और व्यय

(लाख रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	आबंटित निधियां	14.7.2014 तक उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5
1.	नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)	2011-12	9200	9174
		2012-13	13466	13341
		2013-14	14924	13855
		2014-15	15660	4160
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	2011-12	8500	7507
		2012-13	8000	7801
		2013-14	7550	7483
		2014-15	7550	881
3.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	2011-12	900	900
		2012-13	2000	2000
		2013-14	2000	2000
		2014-15	2000	331
4.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी	2011-12	5650	4598
		2012-13	5272	5272
		2013-14	5272	4059
		2014-15	3300	—

1	2	3	4	5
5.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	2011-12	2768	2629
		2012-13	2300	2131
		2013-14	2300	2278
		2014-15	2400	429
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2011-12	1230	573
		2012-13	400	268
		2013-14	400	313
		2014-15	400	004
7.	युवा छात्रावास	2011-12	400	400
		2012-13	250	177
		2013-14	150	135
		2014-15	150	010
8.	स्काउटिंग एवं गाइडिंग	2011-12	100	100
		2012-13	150	150
		2013-14	100	63
		2014-15	100	—
	नई स्कीम			
9.	युवा नेता कार्यक्रम	2014-15	10000	—

विवरण-II

खेल विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित निधियां और किया गया व्यय

क. योजनागत स्कीमें (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय	आबंटित निधियां	वास्तविक व्यय अब तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) (पूर्ववर्ती पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, पायका)	1165.20	165.20	155.00	154.98	200.00	147.42	200.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम	40.50	40.50	23.00	23.00	50.00	36.35	40.00	0.00
3.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम	100.00	100.00	100.00	99.23	160.00	175.00 (160 करोड़ रुपए + 15 करोड़ रुपए अनुपूरक अनुदान के तीसरे बैच में)	185.00	26.18
4.	खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम (पूर्ववर्ती प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण)	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	6.84	10.00	0.00
5.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
6.	नि:शक्त जनों के लिए खेलकूद स्कीम	4.40	4.40	7.00	6.50	7.00	7.00	7.00	0.41
7.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष नकद पुरस्कार	14.00	11.74	4.40	4.40	5.00	4.04	13.20	0.71
8.	मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम	3.50	3.50	2.00	1.98	2.00	1.63	2.00	0.31
9.	भारतीय खेल प्राधिकरण	250.90	250.90	275.00	275.00	312.00	327.00 (312 करोड़ रुपए + 15 करोड़ रुपए अनुपूरक अनुदान के तीसरे बैच में)	392.00	100.36
10.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40	40.00	9.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा)	0.50	0.50	0.00	0.00	2.00	0.24	2.00	0.28
12.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)	2.50	2.50	2.50	2.50	5.70	1.91	9.00	0.36
13.	विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) को अंशदान की स्कीम	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.00
14.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
	नई स्कीमः								
15.	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान			0.40	0.06	2.00	0.00	1.00	0.00
16.	राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान, पटियाला			0.10	0.10	1.00	0.00	1.00	0.00
17.	राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता योजना — एलएनयूपीई, ग्वालियर में संसाधन केन्द्र की स्थापना			0.10	0.00	1.00	0.00	0.10	0.00
18.	देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण स्कीम (इंस्टाल) — जिला स्तर पर खेल विद्यालय					5.60	0.00	1.00	0.00
19.	जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाना							200.00	0.00
20.	मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना							100.00	0.00
21.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खेल कार्यक्रम							50.00	0.00
	कुल	609.00	606.74	600.00	598.24	809.00	753.03	1269.00	138.59
ख.	**योजनेत्तर स्कीमें**								
1.	अर्जुन पुरस्कार	1.10	1.03	1.50	1.43	1.10	0.00	1.10	0.00
2.	ध्यानचंद पुरस्कार	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
3.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.32	0.32	0.50	0.50	0.32	0.00	0.32	0.00
4.	भारतीय खेल प्राधिकरण	40.17	40.17	47.32	47.32	50.18	25.00	49.10	13.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	8.87	8.87	9.60	9.60	11.82	2.93	11.46	2.06
6.	राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष	0.35	0.35	0.50	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00
7.	एनसीसी/शारीरिक शिक्षा को अनुदान तथा अन्य व्यय	0.10	0.00	0.38	0.11	0.38	0.07	0.01	0.00
8.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	51.29	50.93	60.00	59.66	65.00	28.00	63.19	15.59

नक्सलवाद पीड़ितों हेतु मुआवजा

1752. श्री रामदास सी. तडस :
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सल हिंसा के शिकार नागरिकों और रक्षा कर्मियों दोनों के लिए कोई मुआवजा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रक्षा कर्मियों और नागरिकों को प्रदान की गई मुआवजा राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में मारे गए नागरिकों और राज्य पुलिस कार्मिकों के परिवारों के लिए राज्य सरकारों की अपनी मुआवजा नीति है। तथापि, केन्द्र सरकार, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में मारे गए नागरिक के परिवार को 1 लाख रुपए तक और सुरक्षा कर्मी के परिवार को 3 लाख रुपए तक अनुग्रह-अदायगी के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करती है। कार्रवाई के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिक के निकटतम संबंधी को, अन्य बातों के साथ-साथ, 15 लाख रुपए का अनुग्रह-मुआवजा प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार "आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के शिकार नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय स्कीम" नामक एक स्कीम चला रही है, इसके अंतर्गत शिकार हुए नागरिक के परिवार को प्रत्येक मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता (50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अपंगत) के लिए 3 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाती हैं गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, नक्सली हिंसा के इन शिकार नागरिकों/उनके निकटतम संबंधियों, जिन्हें "आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के शिकार नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय स्कीम" के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी गई थी, के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (17.07.2014 तक) के दौरान "आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के शिकार हुए नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय स्कीम" के अंतर्गत नक्सली हिंसा के शिकार नागरिकों को दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

राज्य का नाम	नक्सली हिंसा के शिकार नागरिक को दी गई वित्तीय सहायता							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (17.07.2014 तक)	
	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	—	—	07	21.00	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	33	99.00	06	18.00	—	—	—	—
झारखंड	15	45.00	04	12.00	—	—	—	—
महाराष्ट्र	58	174.00	14	42.00	—	—	—	—
ओडिशा	10	30.00	02	6.00	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	88	264.00	100	300.00	—	—	—	—
कुल	204	612.00	133	399.00	—	—	—	—

नोट: वर्ष 2013-14 और 2014-15 (अब तक) के दौरान, कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के अधीन यथाअपेक्षित प्रस्ताव नहीं भेजे गए थे।

[अनुवाद]

सीधे नकदी लाभ योजना

1753. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीधे नकदी लाभ योजना आरंभ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसे आरंभ किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) विभाग द्वारा ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं की गई है। "दिल्ली अन्नश्री योजना" नामक एक स्कीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यान्वित की गई थी, जिसमें कुल 99,489 लाभभोगियों ने 600/- रुपए प्रति लाभभोगी प्रति माह की खाद्य सब्सिडी का लाभ उठाया था। इस स्कीम का विलय अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में कर दिया गया है।

गन्ना हेतु उचित और लाभकारी मूल्य

1754. श्री बी.एस. येदियुरप्पा :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी)/राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य (एसएपी) का भुगतान किया जाना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ चीनी मिलों द्वारा किसानों को एफआरपी/एसएपी का भुगतान नहीं किए जाने का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/वर्ष-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एआरपी को बढ़ाए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान निर्धारित मूल्य कितना था और इस पर क्या कार्रवाई की गई और निगरानी मौसम के लिए कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गन्ना किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) केन्द्रीय सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से परामर्श के बाद गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। एफआरपी वह बेंचमार्क मूल्य है, जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी कारखाना गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकता है। तथापि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु सरकार राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) की घोषणा करती हैं, जो सामान्यत: एफआरपी से अधिक होती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई भी रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि गन्ना उत्पादकों को चालू चीनी मौसम के दौरान देश में अपने उत्पादों को लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तथापि समय-समय पर गन्ना मूल्य बकाया रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 में भी गन्ना किसानों द्वारा चीनी कारखानों को की गई गन्ने की आपूर्ति के लिए उन्हें गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान

के लिए आवश्यक प्रावधान निहित हैं, और गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को लागू करने संबंधी शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्योजित की गई तथा सौंपी गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड कार्यालय उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को किसानों को गन्ना बकाए का यथा समय भुगतान करने और चूककर्त्ता चीनी कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में भी उल्लेख किया गया है, एफआरपी का निर्धारण सरकार द्वारा सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जो ऐसी सिफारिश करने से पहले विभिन्न स्टेकहोल्डरों के अनुरोधों पर विचार करती है। पिछले तीन चीनी मौसमों, वर्तमान मौसम और आगामी चीनी मौसम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के एफआरपी से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गन्ना किसानों को पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाए के निपटान और वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य के यथा समय भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) दिनांक 3.1.2014 को अधिसूचित की है, जिसमें देश के चीनी कारखानों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने दिनांक 28.02.2014 को एक अन्य स्कीम अधिसूचित की है जिसमें निर्यात बाजार हेतु लक्षित कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन एवं प्रोत्साहन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन राशि की अनुमति प्रदान की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन का उपयोग चीनी कारखानों द्वारा किसानों को भुगतान के लिए किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन चीनी मौसमों, वर्तमान मौसम और आगामी चीनी मौसम के दौरान गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य*

(रुपए प्रति क्विंटल)

चीनी मौसम	सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य	मूल रिकवरी दर	मूल रिकवरी दर तुलना में प्रीमियम (प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर रुपए के रूप में)**
1	2	3	4
2010-11	139.12	9.5	1.46
2011-12	145.00	9.5	1.53
2012-13	170.00	9.5	1.79
2013-14	210.00	9.5	2.21
2014-15	220.00	9.5	2.32

*चीनी मौसम अक्तूबर से दिसंबर तक होता है।

**उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) चीनी की मूल रिकवरी दर से सम्बद्ध होता है, जिसमें किसानों को गन्ने से चीनी की अधिक रिकवरी के लिए प्रीमियम देय होता है।

कृषि उत्पादों हेतु लाभकारी मूल्य

1755. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री अशोक महादेवराव नेते :
श्री रवनीत सिंह :
श्री सदाशिव लोखंडे :
श्री रत्न लाल कटारिया :
डॉ. पी. वेणुगोपाल
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) एमएसपी के अंतर्गत वर्तमान में कवर की गई फसलों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने छोटे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सुझाव दिया है कि सभी महत्वपूर्ण फसलों को एमएसपी के अंतर्गत कवर किया जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने जिससे कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए पर्याप्त कीमत मिले और उन्हें बिचैलियों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने सिफारिश की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत से कम-से-कम 50% अधिक होना चाहिए।

सरकार ने एनसीएफ की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उद्देश्य मापदंड, संबंधित कारणों की विविधता पर विचार करने पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी की सिफारिश होती हैं तथा उत्पादन लागत में कम-से-कम 50% वृद्धि में बाजार गडबड़ा सकता है। कुछ मामलों में एमएसपी तथा उत्पादन लागत के बीच मैकेनिकल लिकेंज उल्टा हो सकता है।

सीएसीपी द्वारा संस्तुत एमएसपी के तहत नीति का उद्देश्य किसानों को अनुकूल तथा लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करना है न कि मार्जिन स्तर। सीएसीपी उत्पादन लागत, समस्त मांग आपूर्ति, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समानता, एमएसपी में बढ़ोत्तरी में उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव, कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों के मध्य व्यापार की शर्तों आदि पर विचार करता है।

चूंकि उत्पादन लागत विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है, किसी जिंस के एमएसपी की संस्तुति करते समय सीएसीपी अखिल भारतीय कृषि भारित औसत लागत का उपयोग करता है। तथापि सीएसीपी सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक श्रम सहित सभी भुगतान की गई लागतें उसके द्वारा संस्तुत एमएसपी में शामिल हों।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि सीएसीपी को शुष्क खेती तथा सिंचित क्षेत्र दोनों के लिए मुख्य कृषि जिंसों के लाभकारी मूल्यों की सिफारिश करने का अधिदेश होना चाहिए। वर्तमान में भी सीएसीपी को 23 जिंसों अर्थात् धान, गेहूं, मक्का, सोरघम, बाजरा, जौ, रागी, चना, तुर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, बिल, सूरजमुखी, कुसुम, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा पटसन की मूल्य नीति पर सलाह देने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(च) सरकार द्वारा वर्ष 2007 में अनुमोदित राष्ट्रीय किसान नीति में किसानों द्वारा उनके उत्पादन के लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए सीधे विपणन का प्रावधान है। बिचौलियों को अलग करने तथा किसानों को उनके कृषि उत्पाद की सीधे बड़े खरीददारों, संसाधकों, निर्यातकों, बड़े खुदरा व्यापारियों को लाभकारी मूल्यों पर बिक्री करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को भी मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 की तर्ज पर उनके एपीएमसी अधिनियम को संशोधित करने को कहा गया है।

कृषि को एक लाभकारी पेशा बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए अन्य उपायों में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों में अधिक सार्वजनिक निवेश, पशुधन, कुक्कुट पालन, डेयरिंग, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि जैसे कार्यकलापों को बढ़ावा देकर किसानों की आय का अनुपूरण, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेत पर जल उपयोग कुशलता को बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, कृषि उत्पाद के फसल कटाई पश्चात् भंडारण के लिए भांडागारों और शीतागारों, शीत शृंखलाओं, रैफ्रिजरेटिड वेन आदि की स्थापना करना, रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण हेतु प्रावधान, ऋण के समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज छूट, किसानों द्वारा कृषि उत्पादन की मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए छह माह हेतु फसलोपरांत ऋण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

फुटबाल का स्तर

1756. श्री राजेश रंजन :
श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय फुटबाल टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का फुटबाल को स्कूल पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल प्रसिद्ध खिलाड़ियों द्वारा ही फुटबाल संघों का 'प्रतिनिधित्व किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'खेल' राज्य का विषय है। विभिन्न खेल विधाओं के संवर्धन और विकास का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्यों और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का होता है जो अपने कार्यकरण में स्वायत्त हैं। सरकार सम्मत

दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के आयोजन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों का प्रशिक्षण/कोचिंग, उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों की पूर्ति करती है। इस समय भारत का फीफा विश्व रैंकिंग में 154वां स्थान है।

भारतीय फुटबाल टीम के प्रदर्शन में विभिन्न कारणों जैसे विशेषकर जमीनी स्तर पर फुटबाल के विकास पर समुचित ध्यान न देना, प्रायोजकता की कमी और फुटबाल के प्रति विज्ञापकों की उदासीनता, खेलों में कैरियर के अवसरों का अभाव आदि के चलते गिरावट आई है।

बच्चों में फुटबाल खेलने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (एआईएफएफ) के प्रस्ताव पर विचार किया है और एआईएफएफ द्वारा 2017 में भारत में अंडर-17 फीफा विश्व कप की मेजबानी की बोली के लिए सरकार की अपेक्षित घोषणा और गारंटिया उपलब्ध करा दी हैं। फुटबाल की स्कूली खेलों में एक महत्वपूर्ण खेल विधा के रूप में शामिल किया गया है और यह खेल लड़कों तथा लड़कियों के लिए अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 की श्रेणियों में खेला जाता है। इसके अतिरिक्त फुटबाल को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में भी शामिल किया गया है। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी (एसएमएसईएस) स्कूल स्तर पर अलग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबाल टूर्नामेंटों का आयोजन करता है। अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ फुटबाल के खेल के लिए देशभर में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के लिए अनेक टूर्नामेंटों का आयोजन करता है। स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन के लिए एसएमएसईएस को राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समतुल्य वित्तीय सहायता दी जाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों यथा राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) और शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के माध्यम से फुटबाल सहित खेलों के स्तर में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। आजीकेए के अंतर्गत फुटबाल सहित विभिन्न खेल विधाओं के लिए देश के प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक में एक खेल परिसर के निर्माण के लिए 1.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यूएसआईएस स्कीम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ फुटबाल/हाकी टर्फ/बहुउद्देशीय हॉल/एथलेटिक ट्रैकों आदि जैसी खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, विद्यालय, कालेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड सहायता के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण फुटबाल सहित खेल विधाओं के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन स्कीमें चला रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता सहित अनुभवी कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है:—

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी)

(ख) सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी)

(ग) भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

(घ) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

(ङ) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

इसके अतिरिक्त एआईएफएफ ने 1997 में या इसके बाद जन्मे बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेंगलूरु, कोलकाता, मुम्बई में एक-एक और गोवा में 2, कुल पांच राष्ट्रीय अकादमियां स्थापित की हैं। इन अकादमियों में खिलाड़ी पूरे भारत से आते हैं और इनका चयन एआईएफएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं से किया जाता है। ये एआईएफएफ अकादमियां पूर्णकालिक आवासीय अकादमियां हैं जहां यह खिलाड़ी एशियन फुटबाल कनफेडरेशन (एएफसी) द्वारा प्रत्यायित कोचों की निगरानी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

इसके साथ ही एआईएफएफ ने फीफा के सहयोग से 6-12 वर्ष के लड़के व लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी बुनियादी कार्यक्रम आरंभ किया है। इस समय यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लड़के व लड़कियों को फुटबाल खिलाना और एक सुरक्षित और गैर-प्रतियोगी माहौल में मनोरंजन प्रदान करता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विख्यात खिलाड़ी एआईएफएफ सहित परिसंघों का प्रतिनिधित्व करें, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विकास संहिता, 2011 के रूप में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्कृष्ट क्षमता वाले प्रमुख खिलाड़ियों को संबंधित खेल परिसंघों के कार्यकाल आधार पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है। वोट देने के अधिकार वाले ऐसे खिलाड़ियों की संख्या परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत (लगभग 25%) होनी चाहिए।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति की समीक्षा

1757. श्री धनंजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है और यह जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जनसांख्यिकी पद्धति में हुए परिवर्तन, वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्य प्रणाली तथा विगत दस वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 की पुनरीक्षा की गयी है तथा नई राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 के कार्यान्वित की जा रही है और यह 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:— • वृद्धाश्रम; • दिवा देखभाल केन्द्र; • चल चिकित्सा एकक; • एल्जीमर्स रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केन्द्र;

1	2	3	4
			• विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम; • क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्यों द्वारा आंशदान संपूरित किया जाना अपेक्षित होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न हैं:— • समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; • जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप-केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए 10 बिस्तर वार्ड के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं; • नई दिल्ली (एम्स), चेन्नै, मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्ड सहित वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित तृतीयक स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करना; और • उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धों के लिए दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

किसान मंडियों की स्थापना

1758. श्री राजीव सातव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसान मंडियों जो कि सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करेंगी की स्थापना किए जाने के लिए योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मंडियों में लघु किसान कृषि व्यापार संघ (कंसोर्टियम) की स्थापना किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मंडियों की आवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और होटल और केटरिंग उद्योग को सीधे बिक्री करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मंडियों को कब तक स्थापित और चालू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग किसान मंडियों की स्थापना का समर्थन कर रहे हैं ताकि किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को (एफपीओ) उनके उत्पाद को थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं एवं सामान्य उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेचने में समर्थ बनाया जा सके। ऐसी एक किसान मंडी की स्थापना पायलट आधार पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)द्वारा दिल्ली में की जा रही हैं। सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को किसान मंडियों या किसान बाजारों की स्थापना करने के लिए कहा गया है एवं एसएफएसी ने इन मंडियों को तकनीकी सहायता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है बशर्ते राज्य/संघ शासित प्रदेशों के कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम किसान मंडियों की स्थापना एवं प्रचालन की विशिष्ट रूप से अनुमति देता हो।

(ग) और (घ) किसान मंडी की आरडब्ल्यूए, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं एवं होटल एवं केटरिंग उद्योग तथा अन्य उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद बेचने की योजना है।

(ङ) दिल्ली में पायलट किसान मंडी का प्रचालन अक्तूबर, 2014 से किया जाएगा। राज्य किसान मंडी की स्थापना के लिए अपनी समय सारणी तैयार करेंगे।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का बंद किया जाना

1759. श्री रविन्दर कुशवाहा :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चीनी मिलें या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त चीनी मिलों के जीर्णोद्धार/पुन: चालू किए जाने के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) चालू चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) 2013-14 (30 जून, 2014) तक के दौरान राज्य-वार और बंद चीनी मिलों के क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चीनी मिलें पेराई मौसम के दौरान विभिन्न कारणों से यथा; पर्याप्त गन्ने की अनुपलब्धता, गन्ने से कम प्राप्ति, अलाभकर आकार, आधुनिकीकरण की कमी, उन्नयन एवं विविधीकरण, कार्यशील पूंजी की अत्यधिक लागत, व्यवसायिक प्रबंधन की कमी, स्टाफ की अधिकता इत्यादि के कारण बंद हो सकती हैं। इसलिए उन चीनी मिलों की संख्या दर्शाना संभव नहीं है जो बंद होने के कगार पर हैं।

(ग) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार/पुन: खोलने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की होती है और सार्वजनिक और सहकारी चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों की होती है। केन्द्रीय सरकार शर्करा विकास निधि के अंतर्गत आधुनिकीकरण/पुनर्वास और गन्ना विकास तथा संभावित रूप से व्यवहार्य बंद पड़ी/रुग्ण चीनी मिलों को एसडीएफ ऋणों की पुनर्संरचना के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है।

विवरण

चालू चीनी मौसम 2013-14 के दौरान (30.06.2014 तक) बंद हुई चीनी मिलों की क्षेत्र-वार/राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र			
		सहकारी	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4		5	9
2.	असम	2		1	3
3.	बिहार		13	4	17
4.	दादरा और नगर हवेली	1			1
5.	गुजरात	7			7
6.	हरियाणा	2			2
7.	कर्नाटक	5	1	7	13
8.	केरल	1		1	2
9.	मध्य प्रदेश	2	2	4	8
10.	महाराष्ट्र	47		12	59

1	2	3	4	5	6
11.	नागालैंड		1		1
12.	ओडिशा	1		2	3
13.	पंजाब	7		1	8
14.	राजस्थान	1		1	2
15.	तमिलनाडु		1	3	4
16.	तेलंगाना				1
17.	उत्तर प्रदेश	5	13	20	38
18.	उत्तराखंड			1	1
19.	पश्चिम बंगाल		1		1
	समग्र भारत	86	32	62	180

[अनुवाद]

श्रीलंकाई शरणार्थी

1760. **श्री सी.एन. जयदेवन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में, श्रीलंकाई शरणार्थियों को तमिलनाडु में जन्में उनके बच्चों के लिए जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और श्रीलंकाई नागरिकता हेतु चेन्नई स्थित श्रीलंकाई उप-उच्चायोग में समानांतर पंजीकरण कराने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत (आरजी एंड सीसीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु के मुख्य पंजीयक इसके कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं और जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय पंजीयकों द्वारा किया जाता है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य के शरणार्थी कैम्प में हुए प्रत्येक जन्म के लिए, पहले शरणार्थी जन्म प्रमाण-पत्र संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त करते हैं उसके बाद उन्हें अपने माता-पिता के शादी के प्रमाण-पत्र और उनके श्रीलंकाई जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र के साक्ष्य के साथ चेन्नई स्थित श्रीलंका के उप-उच्चायोग के पास श्रीलंकाई जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन देना होता है। इस प्रक्रिया के लिए, माता-पिता में से स्वयं एक को व्यक्तिगत रूप से श्रीलंकाई उप-उच्चायुक्त कार्यालय, चेन्नई में संपर्क करना पड़ता है।

इस उद्देश्य के लिए काफी दूर से यात्रा करके चेन्नई पहुंचने वाले शरणार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार और श्रीलंकाई उप-उच्चायोग, चेन्नई प्रत्येक जिले के कलक्ट्रेट में संयुक्त रूप से कैम्प लगाकर पात्रता के आधार पर श्रीलंकाई जन्म प्रमाण-पत्रों का वितरण करते हैं। अभी तक श्रीलंकाई उप-उच्चायोग, चेन्नई के मोबाइल कांसुलर सेवाओं द्वारा मदुरई, सलेम, रामनाथपुरम, कुल्लासोर, विरुद्धनगर जिलों को कवर किया गया है और लगभग 1,000 जन्म प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा

1761. **श्रीमती कमला पाटले** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार इसमें कितनी राशि शामिल हैं;

(ग) अब तक स्वीकृति प्रदान किए गए प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है और शेष प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास:**

पिछले तीन वर्षों यथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों

के लिए छात्रावासों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता पाने के इच्छुक छत्तीसगढ़ सहित राज्यों से प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों पर विधिवत् कार्रवाई की गई है तथा देय वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी गई है। संस्वीकृत छात्रावासों तथा जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान चार अपूर्ण प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त नौ प्रस्तावों की जांच की जा रही है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई इस वित्त वर्ष के भीतर की जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास:

पिछले तीन वर्षों यथा 2011-12 से 2013-14 के दौरान ओबीसी छात्रों के लिए 65 छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत छात्रावासों तथा जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र/कार्य समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव लंबित है। राज्यों से अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होते ही लंबित प्रस्तावों की मंजूरी हेतु कार्रवाई की जाएगी।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	907.00	5
2.	असम	0	0	100	1	218.60	3
3.	बिहार	687.74	4	0	0	81.00	1
4.	गुजरात	0	0	630.31	12	33.59	1
5.	हरियाणा	0	0	300	4	60.00	1
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	#	1
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	100.00	1
8.	झारखंड	0	0	300.00	9	0	0
9.	कर्नाटक	0	0	0	0	350.00	4
10.	केरल	200	1	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	605.00	11
12.	महाराष्ट्र	4297	28	100.00	1	619.62	8
13.	मणिपुर	0	.0	175.42	6	574.85	2

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पंजाब	90	2	0	0	263.00	1
15.	राजस्थान	111	0	280.00	2	100	2
16.	त्रिपुरा	0	0	47.04	1	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	99	1	0	0	17	1
18.	पश्चिम बंगाल	1106.67	12	1648.23	16	916.67	6
19.	पुदुचेरी	0	0	0	0	100.00	0
	कुल	6591.41	48	3581.00	52	4946.13	48

#(2013-14): 01 हिमाचल प्रदेश के लिए एक बालिका छात्रावास को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2010-11 में जारी की गई अधिक धनराशि + ब्याज (कुल 130.049 लाख रुपए) का समायोजन 2013-14 में जारी की गई धनराशि के साथ किया गया तथा इसे 2013-14 के लिए प्रथम किस्त माना गया। 2013-14 में कोई निधि जारी नहीं की गई।

विवरण-II

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अपूर्ण प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)
1.	महाराष्ट्र	1	1	180.00
2.	मणिपुर	2	5	801.21
3.	पश्चिम बंगाल	1	3	599.57
	कुल	4	9	1580.78

विवरण-III

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)
1.	दिल्ली	1	1	898.00
2.	मध्य प्रदेश	2	20	1751.50
3.	पंजाब	4	4	649.88
4.	राजस्थान	2	14	2300.00
	कुल	9	39	5599.38

विवरण-IV

छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मांगने वाले विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12				2012-13			
		प्राप्त प्रस्ताव		जारी		प्राप्त प्रस्ताव		जारी	
		वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1210.00	46	0.00	0	2630.00	73	0.00	0
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	465.42	10	0.00	0
3.	गुजरात	362.50	5	0.00	0	3676.00	6	123.50	5
4.	हरियाणा	140.00	2	0.00	0	0.00		0.00	0
5.	हिमाचल प्रदेश	1680.00	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
7.	झारखंड	214.87	4	0.00	0	212.00	4	0.00	0
8.	कर्नाटक	1002.16	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	केरल	72.80	1	0.00	0	0.00		0.00	0
10.	मध्य प्रदेश	770.00	11	210.00	3	560.00	8	0.00	0
11.	ओडिशा	163.14	2	69.50	2	70.00	1	119.50	1
12.	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	245.00	7	0.00	0
13.	तमिलनाडु	236.25	15	225.00	5	276.37	5	207.00	5
14.	उत्तर प्रदेश	591.22	14	431.79	14	0.00	0	0.00	0
15.	उत्तराखंड	124.60	2	124.60	2	0.00	0	0.00	0
16.	असम	739.00	2	126.00	2	410.00	1	0.00	0
17.	मणिपुर	252.00	2	0.00	0	0.00	0	126.00	2
18.	तेलंगाना	0	0	0	0	00	0	0	0
	कुल	7558.54	118	1186.89	28	8544.79	115	576.00	13

(लाख रुपए में)

2013-14				2014-15 (16.07.2014 तक)			
प्राप्त प्रस्ताव		जारी		प्राप्त प्रस्ताव		जारी	
वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या	वित्तीय	छात्रावासों की संख्या
0.00	0	0.00	0	1240.00	31	0.00	0
0.00	0	350.00	10	26.3.00	5	0.00	0
0.00	0	226.50	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
332.425	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
141.00	1	0.00	0	173.29	1	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
570.00	8	0.00	0	0.00	0	0.00	00
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4492.49	68	805.00	14	2381.59	37	0.00	00
1212.96	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
957.00	8	126.00	0	ढळ	0	0.00	0
0.00	0	112.00	0	0.00	0	0.00	0
0	0	0	0	162.60	3	0.00	0
7705.875	96	1619.50	24	4220.48	77	0.00	0

[अनुवाद]

स्लूइस गेट का निर्माण

1762. श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूनामी के पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के दक्षिणी द्वीपसमूह और ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में कृषि भूमि पुनरुद्धार करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन फाउन्डेशन द्वारा यथा संस्तुत स्लूइस गेट के निर्माण के लिए प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गेट का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा वर्ष 2005 से टीआरपी के अंतर्गत कुछ कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(घ) अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) और पीआरआई द्वारा अब तक कुल कितना व्यय किया गया है;

(ङ) भौतिक रूप से अभी तक ग्राम पंचायत-वार कुल कितनी कृषि भूमि का पुनरुद्धार किया गया है; और

(च) प्रशासन के पास खर्च नहीं की गई कुल राशि कितनी है और यह राशि कब से उसके पास है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रशासन को सुनामी के पश्चात् "न्यू अंडमान" के विकास के लिए कार्य योजना नामक एक रिपोर्ट मई, 2005 के दौरान प्रस्तुत की गई। तथापि, रिपोर्ट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के दक्षिणी द्वीपसमूह तथा ग्रेट अंडमान द्वीपसमूह में कृषि भूमि को पुनरुद्धार के लिए स्लूईस गेट के निर्माण से संबंधित कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राप्त निधियों की तुलना में राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज (आरजीआरपी) के तहत जारी निधियों और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

आरजीआरपी

वर्ष	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2
2004-05	125.02
2005-06	356.92
2006-07	89.16
एसीए	
2006-07	375.43
2007-08	546.60
2008-09	840.16
2009-10	647.77
2010-11	101.68

(घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना अनुसार, अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) और पंचायती राज संस्थाओं ने क्रमशः 1973.17 करोड़ रुपए और 10.00 करोड़ रुपए तक की धनराशि खर्च की है।

पंचायत-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

दक्षिणी अंडमान	—	314.10 हैक्टेयर
लिटिल अंडमान	—	117.00 हैक्टेयर
रंगात	—	73.00 हैक्टेयर
मायाबंदर	—	46.00 हैक्टेयर
डिग्लीपुर	—	70.20 हैक्टेयर
कार निकोबार	—	968.00 हैक्टेयर
कमोरटा	—	934.57 हैक्टेयर
टेरेसा	—	776.12 हैक्टेयर
कटचाल	—	923.33 हैक्टेयर
कैम्पबेल की खाड़ी	—	175.57 हैक्टेयर
कुल	—	4397.49 हैक्टेयर

(ङ) और (च) अंडमान और निकोबार प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

नक्सलवादियों और माफिया द्वारा उगाही

1763. श्रीमती रंजीत रंजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में असामाजिक तत्वों, माफिया और नक्सलवादियों द्वारा व्यापारियों और उद्योगपतियों से उगाही किए जाने के मामलों की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या कितनी है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी की गई सलाहों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादी समूहों, विशेषरूप से सीपीआई (माओवादी), द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों, विशेष रूप से तेंदु पता ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न अवैध खनन माफिया समूहों से उगाही किए जाने की रिपोर्टें मिली हैं। यद्यपि उगाही की सही प्रमात्रा बताना संभव नहीं है, तथापि, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन से अनुमान है कि सीपीआई (माओवादी) विभिन्न स्रोतों से 140 करोड़ रुपए वार्षिक से कम उगाही नहीं कर रही है।

वामपंथी उग्रवादियों आदि द्वारा उगाही करने और धन एकत्र करने संबंधी अपराधों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मामलों का पंजीकरण, जांच और मुकदमा चलाया जाता है। तदनुसार, केन्द्रीय स्तर पर इन मामलों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों के नोटिस में जब भी ऐसे उगाही के मामले आते हैं, तो उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट में राज्य पुलिस/राज्य सरकारों द्वारा विशेष उगाही-रोधी और धनशोधन-रोधी सेल स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अवैध खनन/वन ठेकेदारों/ट्रांसपोर्टरों और उग्रवादियों के बीच संबंधों को रोकने के लिए ऐसे सेलों की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को सलाह दी गई है कि वे तेंदू पता संग्रहण से नक्सलियों को जाने वाले धन को रोकने के उद्देश्य से नीति में कुछ परिवर्तन करें।

मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना

1764. श्री ओम बिरला :
श्री सदाशिव लोखंडे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के अंतर्गत राज्यों को धन का आवंटन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की कमी के कारण सभी छात्रों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निधि आवंटित किए जाने संबंधी प्रक्रिया की स्थिति निम्नवत् है:—

I. **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना**

योजना के वित्त-पोषण पैटर्न के अनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त 100% केन्द्रीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिबद्ध देयता से छूट प्रदान की गई है। किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हेतु केन्द्रीय सहायता की अनुमत राशि का परिकलन योजना के पैरामीटरों के मद्देनज़र किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।

II. **अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना**

योजना के वित्त-पोषण पैटर्न के अनुसार, किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता की राशि सैद्धांतिक आवंटन की निर्धारित सीमा तक विनिर्दिष्ट की जाती है तथा उनके प्रस्ताव के आधार पर किसी वित्त वर्ष के दौरान उन्हें जारी केन्द्रीय

सहायता उनके लिए किए गए सैद्धांतिक आवंटन की सीमा तक ही विनिर्दिष्ट होती है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सैद्धांतिक आवंटन की निर्धारित राशि भी बाद में संशोधित की जाए ताकि संबंधित राज्य सरकारों की अपेक्षाकृत अधिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग) जहां तक अनुसूचित जातियां के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का संबंध है, सभी पात्र छात्रों के लिए देय केन्द्रीय सहायता राशि अनुमत है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जारी किया जाता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के मामले में, वर्ष 2013-14 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता राशि तथा सैद्धांतिक रूप से आवंटित राशि के बीच अंतर रहा है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्थिति को आसान करने के लिए, योजना के तहत आवंटित राशि को ग्यारहवीं योजना के 1254 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बारहवीं योजना में 4695 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता राशि और सैद्धांतिक रूप से आवंटित राशि के बीच अंतर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सैद्धांतिक आवंटन (लाख रुपए में)	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)	अंतर (सैद्धांतिक आवंटन की तुलना में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5980.00	6314.00	0.00
2.	बिहार	7328.00	7738.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1800.00	0.00	1800.00
4.	गोवा	106.00	106.00	0.00
5.	गुजरात	4264.00	2707.10	1556.90
6.	हरियाणा	1793.00	811.00	982.00
7.	हिमाचल प्रदेश	487.00	448.86	38.14
8.	जम्मू और कश्मीर	882.00	708.89	173.11
9.	झारखंड	2330.00	2460.00	0.00
10.	कर्नाटक	4314.00	3749.32	564.68
11.	केरल	2358.00	2490.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	5125.00	5412.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	7935.00	8379.00	0.00
14.	ओडिशा	2958.00	2601.39	356.61
15.	पंजाब	1956.00	0.00	1956.00
16.	राजस्थान	4843.00	4442.93	400.07

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	5090.00	5375.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	14092.00	14880.00	0.00
19.	उत्तराखंड	713.00	392.00	321.00
20.	पश्चिम बंगाल	6446.00	6277.14	168.86
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.00	0.00	11.00
22.	दादरा और नगर हवेली	17.00	0.00	17.00
23.	दमन और दीव	11.00	8.86	2.14
24.	चंडीगढ़	61.00	0.51	60.49
25.	दिल्ली	93.00	44.88	48.12
26.	पुदुचेरी	7.00	0.00	7.00
27.	असम	7370.00	0.00	7370.00
28.	मणिपुर	638.00	531.00	107.00
29.	त्रिपुरा	850.00	850.00	0.00
30.	सिक्किम	142.00	128.00	14.00
	कुल	90000.00	76855.88	15954.12

[अनुवाद]

नक्सलवाद पर बैठक

1765. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दिल्ली में राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और अर्द्ध-सैनिक बलों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों और नक्सल चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में नक्सलवादियों का सामना करने के लिए विशेष कमांडो बल का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बल को कब तक अभियान में लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ दिनांक 27.06.2014 को बैठक की गई थी। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव उभरे जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास प्रयासों में सुधार करने से संबंधित है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों की रणनीतियों, प्रशिक्षण और प्रणालियों में सुधार, आसूचना तंत्र में सुधार, सीपीआई (माओवादी) पार्टी द्वारा किए जाने वाले प्रचार का मुकाबला करने के लिए व्यवस्था बनाने, विशेष बलों के सुदृढ़ीकरण, मोबाइल टॉवरों की स्थापना के माध्यम से मोबाइल संयोजकता में सुधार, भारत सरकार की विभिन्न सुरक्षा और विकास संबंधी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों द्वारा निधियों

का सम्पूर्ण और त्वरित उपयोग करने आदि पर भी विचार-विमर्श किया गया था। बैठक के दौरान आए सुझावों के मद्देनज़र, गृह मंत्रालय द्वारा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ग) और (घ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए उनके अपने विशेष बल हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्र सरकार, 12वीं योजना अवधि से, वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों को विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के अधीन विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए कम मात्रा में वित्त पोषण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को विशिष्ट कमांडो प्रशिक्षण भी दिया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुसिल बल का अपना विशिष्ट कमांडों बल अर्थात् कमांडो फॉर रेजोल्यूट एक्शन (कोबरा) है।

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

1766. श्री कामाख्या प्रसाद तासा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक असम राज्य में कार्य कर रहे विदेशी अधिकरणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या असम और इसके साथ लगे हुए राज्यों के बीच सीमा विवाद हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) आज की तारीख के अनुसार, असम राज्य में 36 विदेशी अधिकरण कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) असम-नागलैंड, असम-अरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय राज्य के बीच सीमाओं के सीमांकन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण संगतपूर्ण रहा है कि अंतर-राज्य सीमा विवाद को संबंधित राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है और यह कि केन्द्र सरकार पारस्परिक सामंजस्य और समझदारी की भावना से विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए एक मददगार के रूप में कार्य करती है।

असम सरकार ने असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय में क्रमशः मूल याचिका संख्या 2/88 और 1/89 दायर की थी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाओं की पहचान करने के लिए एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है। मूल याचिका संख्या 2/88 में, नागालैंड सरकार द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.08.2010 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिया कि स्थानीय आयोग को जारी रखने के अलावा मध्यस्थता के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने की संभाव्यता का भी पता लगाया जाए और इस उद्देश्य के लिए दो सह-मध्यस्थों की नियुक्ति की जाए। असम और नागालैंड सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के साथ अनेक बैठके करने के बाद सह मध्यस्थों ने अक्तूबर, 2013 में उच्चतम न्यायालयच को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के संबंध में, स्थानीय आयोग ने जून, 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जहां तक, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का संबंध है, केन्द्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से इस विवाद का निपटान करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

हॉकी टीम की रैंकिंग

1767. डॉ. रामशंकर कठेरिया : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम (पुरुष) का अन्य शीर्ष के हॉकी टीमों की तुलना में रैंकिंग क्या है;

(ख) भारतीय हॉकी टीम के खराब रैंकिंग के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का हॉकी के संवर्धन और देश में युवाओं के मध्य खेलों के बारे में जागरुकता पैदा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) 2014 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ की पुरुष विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय हॉकी टीम (पुरुष)

विश्व में 9वें स्थान पर है जो कि आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, बेलजियम, इगलैंड, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और कोरिया से पीछे है।

(ख) भारतीय हॉकी टीम की ऐसी रैंकिंग के कारणों में शामिल है – खेल सतह में तथा नियमों में लगातार परिवर्तन जो कि युरोपियन स्टाईल हॉकी के अनुरूप है जिसकी वजह से कलात्मक व कौशल आधारित हॉकी शारीरिक व गति आधारित हॉकी हो गई है।

(ग) और (घ) हॉकी सहित किसी भी खेल विधा के संवर्धन और विकास का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों का होता है। सरकार सम्मत दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार विभिन्न गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए कोचिंग कैंप आयोजित करने, सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों के लिए जोनल एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी एवं प्रशिक्षण, खेल एवं खेल विज्ञान उपस्करों की खरीद एवं ग्राह्य, एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी कोचों/विशेषज्ञों को अनुबंधित करना आदि के लिए वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। सरकार ने देश में हॉकी खेल के संवर्धन और विकास के लिए हॉकी इंडिया को एनएसएफ के रूप में मान्यता प्रदान की है। सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के बीच हॉकी के संवर्धन के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी को एनएसएफ के रूप में मान्यता प्रदान की है। स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए सोसायटी को एनएसएफ के समकक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार के बजट से हॉकी पर 3642.39 लाख रुपए व्यय किए गए।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत हॉकी सहित विभिन्न खेल विधाओं के लिए प्रतिभा का पता लगाया एवं उसका पोषण किया जाता है।

- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता मस्की (एनएसटीसी)
- सेना बाल खेल कम्पनी मस्की (एबीएससी)
- साई प्रशिक्षण केंद्र मस्की (एसटीसी)
- विशेष क्षेत्र खेल मस्की (एसएजी)
- उत्कृष्टता केंद्र मस्की (सीओई)

सरकार का केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीम राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) [पूर्ववर्ती पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)] और शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करती है। आरजीकेए के अंतर्गत हॉकी सहित विभिन्न खेल विधाओं के लिए देश के प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक में एक खेल परिसर के निर्माण के लिए 1.75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यूएसआईएस स्कीम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ हॉकी टर्फ/फुटबाल टर्फ/बहुउद्देशीय हॉल/एथलेटिक ट्रैक आदि जैसी खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड उपयुक्त सहायता के पात्र हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन में भर्ती

1768. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को भर्ती नहीं करने का निर्णय लेकर पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंध का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले को कब तक सुलझा लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, नहीं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 अनुपात अथवा तदर्थ आधार पर भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे को चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा गया था। तद्नुसार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत प्रावधान/नियमों (यदि कोई हैं) को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक निर्देश दिया है जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य के एससीएस अधिकारियों द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन में भरे जाने वाले पदों को साझा करने का प्रावधान है। अपर सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार से दिनांक 05.04.2014 के पत्र संख्या पर्स (ए-IV)-एफ(11)-2/94-III के द्वारा प्राप्त एक सूचना में यह बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में हिमाचल प्रदेश के एससीएस अधिकारियों की 7.19% साझेदारी के आवंटन से संबंधित मामले को हिमाचल प्रदेश के एससीएस अधिकारियों के संघ

के निवेदन के आधार पर उठाया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) में हिमाचल प्रदेश से तदर्थ आधार पर पदों को भरने का प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में उपलब्ध था जिसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से परामर्श किए बिना वर्ष 1993 में बंद कर दिया गया था। तथापि, इस संबंध में पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में विशिष्ट प्रावधानों के पत्र में कोई उल्लेख नहीं है।

अ.पि.व. के लिए आय सीमा

1769. श्री पी.पी. चौधरी :
श्री बी.वी. नाईक :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची (अ.पि.व.) से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के लिए आय मापदंड का संशोधन करने के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किये गये हो;

(ख) क्या सरकार का देश में अ.पि.व. के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय सीमा बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठा रहे अ.पि.व. की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) समाज में यह किस हद तक समता और अधिक समावेशिता लाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) देशों में अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) की सूची से क्रीमी लेयर को हटाने के लिए आय संबंधी मानदंड में संशोधन हेतु निर्धारित मानदंड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जेलों में कैदियों की अधिक संख्या

1770. श्री बी.वी. नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिहाड़ जेल सहित देश में अधिकांश जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार विचाराधीन और दोषसिद्ध बंदियों को पृथक् जेलों में रखने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 के अंत में 3,43,169 की कुल कैदियों की क्षमता की तुलना में देश में कैदियों की कुल संख्या 3,85,135 थी। मई, 2014 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली की तिहाड़ जेल में इसकी दस जेलों में 6250 कैदियों की अधिकृत क्षमता की तुलना में 14,048 कैदी थे। जेल-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कैदियों की संख्या को कम करने के लिए, भारत सरकार ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत साझेदारी आधार पर 1800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से वर्ष 2002 से 2007 तक और इसका आगे विस्तार करके वर्ष 2009 तक कारागारों के आधुनिकीकरण की योजनेत्तर स्कीम आरंभ की थी। कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत, राज्य सरकारों द्वारा 125 नई जेलों, विद्यमान कामगारों में 1579 अतिरिक्त बैरकों और कारागार कार्मिकों के लिए 8658 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कारागारों में वर्ष 2009 में मौजूद 122.8% की भीड़ वर्ष 2012 में 112.2% तक कम हुई है।

भारत सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क का प्रयोग करके कारागारों में भीड़ को कम करने के लिए एक परामर्शी-पत्र भी जारी किया है जिसे *http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AdvSec436APrison-060213_o.pdf* लिंक पर देखा जा सकता है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के कारागार प्रशासकों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित उपायों के माध्यम से समीक्षा हेतु विचाराधीन कैदियों (यूटीपी) के मामले उपलबध हैं:—

1. तीन महीने में बैठक करने और मामलों की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष के रूप में जिला न्यायाधीश और सदस्यों के रूप में जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक के साथ प्रत्येक जिले में एक समीक्षा समिति का गठन करना।

2. जेल अधीक्षक को ऐसे सभी मामलों का सर्वेक्षण करना चाहिए जिनमें यूटीपी अधिकतम सजा का एक चौथाई पूर्ण

कर चुके हैं। उन्हें एक सर्वेक्षण सूची तैयार करनी चाहिए और इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के साथ विचाराधीन (यूटी) समीक्षा समिति को भेजा जाना चाहिए।

3. कारागार अधिकारी विचाराधीन कैदियों को कैदियों के जमानत संबंधी अधिकार के संबंध में शिक्षित कर सकते हैं।

4. विधिक सहायता उपलब्ध कराना-इसे जमानत पर रिहा करने और जमानत की राशि कम करने के लिए प्रस्तुत किए गए मामलों हेतु डीएलएसए के सूचीबद्ध वकीलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. समय-समय पर जेलों का निरीक्षण करने वाले गैर-सरकारी निरीक्षकों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेटों/न्यायाधीशों को सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गृह विभाग इस संबंध में जेल-वार हुई प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित कर सकते हैं।

(ग) और (घ) यह सरकार की घोषित नीति है कि खुंखार अपराधियों की संभावित संगति के कारण विचाराधीन कैदियों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कामागारों में विचारणाधीन और दोषसिद्ध कैदियों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश विचारणाधीन कैदियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उप-जेलों और जिला कारागारों में रखा जाता है जबकि दोषसिद्ध कैदियों को जिला कारागारों और केन्द्रीय कामगारों में रखा जाता है। उन्हें पृथक् बैरकों में भी रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 2012 के अंत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़े

क्र. सं.	जेल का प्रकार	जेलों की संख्या	क्षमता	कैदियों की संख्या	अधिभोग दर (ओक्यूपेंसी)
1.	केन्द्रीय जेल	127	146648	170358	116.2
2.	जिला जेल	340	126110	160678	127.4
3.	उप-जेल	806	48474	41285	85.2
4.	महिला जेल	20	4817	3200	66.4
5.	बोर्स्टल स्कूल	21	2438	1170	48.0
6.	मुक्त जेल	46	4028	2847	70.7
7.	विशेष जेल	31	10331	5517	53.4
8.	अन्य	3	323	80	24.8
	कुल	1394	343169	385135	112.2

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना

1771. श्री अजय मिश्रा टेनी :
श्री भीमराव बी. पाटील :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राय सिखों, मजहबी सिखों और दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) इस समय, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा जून, 1999 में तैयार की गई क्रियाविधि, जिसे जून 2002 में संशोधित किया गया था, के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में एक जाति का विनिर्देशन करने पर विचार करने के लिए नृजातीय आंकड़ों के साथ पूर्ण प्रस्ताव अनिवार्य है। उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राय सिख समुदाय को संबंधित राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की पहले भी सिफारिश की थी लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में नृजातीय ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, इस मंत्रालय ने उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। तथापि, उन्होंने अभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की।

जहां तक मजहबी सिख को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का संबंध है, उपर्युक्त क्रियाविधि के अनुसार, ऐसा कोई भी प्रस्ताव किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त नहीं हुआ।

इसाई धर्म में धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में कई रिट याचिकाएं द्वारा की गई हैं तथा यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना

1772. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत कई वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करने की कब तक संभावना है और विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों यथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्रावासों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता पाने के इच्छुक महाराष्ट्र सहित-राज्यों से प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों पर विधिवत् कार्रवाई की गई है तथा देय वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी गई है। संस्वीकृत छात्रावासों तथा जारी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान चार अपूर्ण प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त नौ प्रस्तावों की जांच की जा रही है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई इस वित्त वर्ष के भीतर की जाएगी।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता	छात्रावासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	907.00	5
2.	असम	0	0	100	1	218.60	3

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	687.74	4	0	0	81.00	1
4.	गुजरात	0	0	630.31	12	33.59	1
5.	हरियाणा	0	0	300	4	60.00	1
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	#	1
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	100.00	1
8.	झारखंड	0	0	300.00	9	0	0
9.	कर्नाटक	0	0	0	0	350.00	4
10.	केरल	200	1	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	605.00	11
12.	महाराष्ट्र	4297	28	100.00	1	619.62	8
13.	मणिपुर	0	.0	175.42	6	574.85	2
14.	पंजाब	90	2	0	0	263.00	1
15.	राजस्थान	111	0	280.00	2	100	2
16.	त्रिपुरा	0	0	47.04	1	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	99	1	0	0	17	1
18.	पश्चिम बंगाल	1106.67	12	1648.23	16	916.67	6
19.	पुदुचेरी	0	0	0	0	100.00	0
	कुल	6591.41	48	3581.00	52	4946.13	48

#(2013-14): 01 हिमाचल प्रदेश के लिए एक बालिका छात्रावास को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2010-11 में जारी की गई अधिक धनराशि + ब्याज (कुल 130.049 लाख रुपए) का समायोजन 2013-14 में जारी की गई धनराशि के साथ किया गया तथा इसे 2013-14 के लिए प्रथम किस्त माना गया। 2013-14 में कोई निधि जारी नहीं की गई।

विवरण-II

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अपूर्ण प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)
1.	महाराष्ट्र	1	1	180.00
2.	मणिपुर	2	5	801.21
3.	पश्चिम बंगाल	1	3	599.57
	कुल	4	9	1580.78

विवरण-III

बाबू जगजीवन राम छात्रावा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	प्रस्तावित राशि (लाख रुपए में)
1.	दिल्ली	1	1	898.00
2.	मध्य प्रदेश	2	20	1751.50
3.	पंजाब	4	4	649.88
4.	राजस्थान	2	14	2300.00
	कुल	9	39	5599.38

[अनुवाद]

औषधि निर्माण कंपनियां

1773. श्री प्रताप सिम्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत/संचालनशील औषधि निर्माण कंपनियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में उनके द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उत्पादित औषधियों की कंपनी-वार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इन कंपनियों द्वारा औषधि निर्माण और विपणन को विनियमित करने का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए औषधि और भेषज संबंधी कार्यसमूह की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 10563 पंजीकृत औषध यूनिटें है। इन यूनिटों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:—

क्र.सं.	राज्य	यूनिटें
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	3139
2.	गुजरात	1526
3.	पश्चिम बंगाल	756
4.	आंध्र प्रदेश	727
5.	तमिलनाडु	570
6.	अन्य	3845
	कुल	10563

(ख) इंडस्ट्री आउटलुक सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्रावइेट लिमिटेड, मुम्बई के अनुसार विगत तीन वर्षों में औषधियों और भेषजों की बिक्री निम्नवत् है:—

क्र.सं.	वर्ष	बिक्री (मिलियन रुपए)
1.	2010-11	1107017.56
2.	2011-12	1225723.99
3.	2012-13	1210159.17

भारत में शीर्ष दस कंपनियों की बिक्री का ब्यौरा (बिक्री द्वारा) निम्नवत् है:—

रुपए (मिलियन)

कंपनी	वर्ष	राज्य
1	2	3
पिरामल एंटरप्राइजेज लि.	मार्च-13	83,946.00

1	2	3
रेनबेक्सी लेबोरेट्रीज लि.	दिसम्बर-12	82,973.80
डॉ. रेड्डी लेबोरेट्रीज लि.	मार्च-13	71,507.80
सिपला लि.	मार्च-13	60,615.00
लूपिन लि.	मार्च-13	55,695.00
सन फार्मास्युटिकल्स इंडस लि.	मार्च-13	39,744.90
अरबिन्दो फार्मा लि.	मार्च-13	32,663.50
जूबिलेंट लाइफ साइंसेज लि.	मार्च-13	30,943.00
केडिला हेल्थकेयर लि.	मार्च-13	28,286.60
मायलान लेबोरेट्रीज लि.	मार्च-13	27,432.70

(ग) और (घ) औषधियों का विनिर्माण और बिक्री एक लाइसेंसशुदा कार्यकलाप है और इसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन एक लाइसेंसिंग और निरीक्षण पद्धति के जरिए विनियमित किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजंता गुफाओं की प्रतिकृति

1774. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार से पर्यटकों के उपयोग हेतु अजंता में प्राचीन गुफाओं की प्रतिकृति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रतिकृतियों को तैयार करने हेतु कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) अजंता एलोरा विकास परियोजना चरण-II के तहत एक घटक के रूप में अजंता विजिटर केन्द्र में चयनित गुफाओं की गुफा प्रतिकृतियों के निर्माण को वित्तपोषित करने हेतु महाराष्ट्र की राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके लिए 7331 मिलियन जापानी येन की समतुल्य राशि (लगभग 299 करोड़ रुपए) के लिए एक ऋण समझौते पर भारत सरकार (आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय) और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के बीच 31 मार्च, 2003 को हस्ताक्षर किए गए। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी योजनाओं में से किसी भी योजना के तहत न कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है और न ही उपर्युक्त परियोजना के तहत घटक को वित्तपोषित किया गया है।

[अनुवाद]

तेलंगाना और पर्यटन विकास

1775. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने पर्यटन केन्द्रों के विकास के संबंध में तेलंगाना राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया है और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक के परिणाम क्या रहे?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्द्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीएफए प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों और पूर्व आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच 10 जनवरी, 2014 को हुई प्राथमिकीकरण बैठक के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2014-15 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार (पूर्व) के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

मेगा परिपथ

(क) वारंगल-करीमनगर मेगा परिपथ

(ख) कोंडापल्ली-इब्राहिमपटनम और आसपास के क्षेत्रों का मेगा परिपथ

परिपथ

(क) रचकोंडा फोर्ट-अरूतला (मंदिर)-रंगपुर वेधशाला-गालिशाहिद दर्गा-अललापुरम गांव (मंदिर)-नारायणपुर (मंदिर)-सिवन्ना गुडेम रॉक निर्माण-वैली ऑफ बंजारा सर्किट

(ख) गुट्टीकोंडा बिलाम गुफा-पिडुगुराली-कोंडावीडू फोर्ट-कोटाप्पा कोंडा मंदिर परिपथ, गुंटूर जिला

(ग) बौद्ध परिपथ श्रीकाकुलम

गंतव्य

(क) नागार्जुनसागर का विकास

(ख) दुर्गम चेरूवू लेक हैदराबाद का विकास

(ग) हैदराबाद में हेरिटेज थीम पार्क का विकास

(घ) श्रीकालाहस्ती में साउंड एंड लाइट शो और क्षेत्र विकास

(ङ) खम्माम जिले में खम्मार्म फोर्ट और आस-पास के क्षेत्रों का विकास

(च) करीमनगर जिले में पर्यटक स्थलों का विकास

(छ) पश्चिम गोदावरी में पेरूपलेम बीच का विकास

(ज) पानागल, नालगोंडा में पानागाल और उदयसमुद्रम के मंदिरों में पर्यटक सुविधाओं का विकास

उत्सव

(क) काकेशिया उत्सव

(ख) फ्लेमिंगो उत्सव

(ग) तारामती बारादरी उत्सव

(घ) काकीनाडा बीच उत्सव

(ङ) लेपाक्षी उत्सव

यूएपीए और एनआईए अधिनियम में संशोधन

1776. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम उन चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा है जिनके लिए ये अधिनियमित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियमों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजनाएं

1777. श्री राजू शेट्टी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थानों पर शुरू की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कोल्हापुर, सतारा और पुणे जिलों में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो सरकार के विचारार्थ हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है और शेष परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थानों सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रति वर्ष प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदन करता है।

पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत राशि और परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

कोल्हापुर सतारा और पुणे जिलों में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के किले, के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों और इनकी प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.08	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	4.98	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.75	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.80	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	5	29.80	1	33.71
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	27	112.86	45	85.47
16.	झारखंड	6	48.15	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.76	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	21.95	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	6	79.64	6	67.95

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मणिपुर	5	30.73	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.50	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.91	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.45	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	11.95	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.39	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.50	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.15	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.75	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.44	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.66	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.66	136	929.84	261	1801.54

*गंतव्यों और परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

विवरण-II

कोल्हापुर, सतारा और पुणे जिलों में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
	2005-06	
1.	सिंहगद किले का जीर्णोद्धार	376.08 लाख रुपए की सीएफए से पूरा किया गया।
	2006-07	
2.	मुम्बई फोर्ट परिपथ का एकीकृत विकास	438.62 लाख रुपए की सीएफए से पूरा किया गया।
2.	कोल्हापुर परिपथ का एकीकृत विकास	636.34 लाख रुपए की सीएफए से पूरा किया गया।

[अनुवाद]

भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

1778. श्री नलीन कुमार कटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निःशक्तता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्त लोगों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त आरक्षण को 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ाने और ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक नया कानून अधिनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु सभी मंत्रालयों के बजटीय आवंटन का एक हिस्सा निर्धारित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्ति, समान अवसर, अधिकारें का संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में अभिज्ञात पदों में विकलांग व्यक्ति अथवा विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के लिए न्यूनतम 3% रिक्तियां आरक्षित करेगी जिसमें से 1% प्रत्येक विकलांगता के लिए निम्न विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी:—

(i) दृष्टि बाधित या अल्प दृष्टि

(ii) श्रवण बाधित

(iii) प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में चलन विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात

(ग) और (घ) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को राज्य सभा में 07.02.2014 को प्रस्तुत किया है जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने बजटीय आबंटन के 3% को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

खेलों का विकास

1779. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है जो यह सुनिश्चित करे कि उपयोग की गई निधियां लाभकारी सिद्ध हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में खेलों के विकास के लिए किए गए/किए जा रहे अन्य उपाय क्या हैं?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में खेलों के स्तर में सुधार करने के लिए अपनी दो स्कीमों अर्थात् पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) [अब राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के रूप में संशोधित] तथा शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की हैं। पायका के अंतर्गत खेल मैदानों के सृजन/विकास तथा ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई। यूएसआईएस के अंतर्गत सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रो-टर्फ बिछाने तथा बहुउद्देश्यीय हाल के निर्माण के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई। पायका स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया हैं यूएसआईएस के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निधि जारी की गई।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण-IV और विवरण-V में उल्लिखित अनुदानों को छोड़कर जारी सभी अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं।

(घ) सरकार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से उन्हें जारी अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करती है। इन उपयोग प्रमाण-पत्रों से अनुदानों को जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया था, उनका उपयोग प्रमाणित होता है।

(ङ) देश में खेलों के विकास के लिए मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:—

(i) राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) 2014-15 में पूर्ववर्ती पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य एक चरणबद्ध ढंग से देश के सभी ब्लॉकों में एकीकृत खेल परिसरों का निर्माण करना तथा ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी प्रदान करना है।

(i) 2010-11 में शुरू की गई शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत प्लेफील्ड एसोसिएशनों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा खेल मैदानों के विकास, केंद्रीय और राज्य सरकारों के माध्यम से कोच विकास कार्यक्रम, हॉकी और एथलीटों के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाने सहित अवसंरचना के सृजन और बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड सहायता के पात्र हैं।

(iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के लिए सीनियर, जूनियर, सब-जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की प्रतियोगिता, कोचिंग शिविरों के आयोजन, विदेशी कोचों की नियुक्ति और खेल उपकरणों की खरीद का प्रावधान है।

(iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) पदक जीतने की संभावना वाले उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कस्टमाइज्ड और विशेष प्रकार के प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता एक्सपोजर के लिए सहायता देने सहित विभिन्न कार्यकलापों लिए है।

(v) खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत देश में खेल-कूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि में मानव संसाध्न विकसित करने पर ध्यान दिय गया है जिससे देश को सामान्यत: एक समयावधि में इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने तथा विशेष रूप से प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विज्ञान और औषधि संस्थान की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(vi) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए है।

(vii) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम सक्रिय खेल कैरियर में उनके संन्यास लेने के बाद उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी खेल उपलब्धियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

(viii) नि:शक्तजनों के लिए खेल-कूद स्कीम का उद्देश्य समुदाय कोचों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा नि:शक्त खिलाड़ियों को अपने रोल पर रखने वाले स्कूलों/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराकर तथा खेल उपकरणों की खरीद और संविदा आधार पर कोचों की नियुक्ति द्वारा नि:शक्तजनों में खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना है।

इसके अलावा प्रतिभा का पता लगाने और पोषण और प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित स्कीमें संचालित की जा रही हैं:—

(i) **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)** : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य 8-14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में नैसर्गिक और प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाना है।

(ii) **सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)** : इसका कार्यान्वयन सेना के सहयोग से किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए 8-16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है यह स्कीम भारतीय सेना में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है।

(iii) **विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)** : यह स्कीम देश के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगी खेलों के लिए प्रतिभा का पता लगाने और पोषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य 12-18 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावान और मेधावी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) **भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)** : इस स्कीम के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को रिहायशी या गैर-रिहायशी आधार पर स्कीम में भाग लेने का विकल्प दिया जाता है।

(v) **उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) :** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण करना है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने की संभावना हो।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में पायका स्कीम के अंतर्गत जारी राज्य-वार प्रतियोगिता अनुदान

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		ग्रामीण	महिला	एनईजी	ग्रामीण	महिला	एनईजी	ग्रामीण	महिला	एनईजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	11.16	0.34	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1.95	0.28	0	1.99	0.32	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	1.51	0.09	0	0.62	0.23	0	1.6	0.21	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1.11	0.13	0	1.12	0.14	0	0.7	0.13	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	2.17	0	0	2.58	0.69	0	2.45	0.41	0
13.	केरल	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4.37	0.54	0	4.18	0.57	0	4.1	0.55	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	3.44	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0.75	0.17	0.1	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0.08	0.67	0	0	0	0	0.11
18.	मिज़ोरम	0	0	0.1	1.06	0.13	0.1	0.58	0.13	0.1
19.	नागालैंड	0	0	0	0.91	0	0.12	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	3.86	0.53	0	0	0.27	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	पंजाब	0	0	0	0	0.24	0	1.45	0.13	0
22.	राजस्थान	1.72	0	0	3.42	0.46	0	0	0	0
23.	सिक्किम	1.12	0	0.08	1.12	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0.81	0.44	0	8.32	0.57	0
25.	त्रिपुरा	0.59	0.11	0.09	0.76	0.16	0	0.67	0.14	0.1
26.	उत्तर प्रदेश	8.2	0	0	0	0	0	1.15	0	0
27.	उत्तराखंड	1.29	0.11	0	1.18	0.1	0	1.1	0.1	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	24.03	1.49	0.35	39.63	4.52	0.32	22.12	2.64	0.31
	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं साई को जारी की गई	2.6	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0
	कुल	26.63	1.49	2.85	39.63	4.52	0.32	24.62	2.64	0.31

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में पायका स्कीम के अंतर्गत जारी अवसंरचना अनुदान की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		
		वीपी की संख्या	बीपी की संख्या	जारी निधि	वीपी की संख्या	बीपी की संख्या	जारी निधि	वीपी की संख्या	बीपी की संख्या	जारी निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	25.98	0	0	10.63	355	32	7.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	666	44	10.28	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	1964	28	25.27	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	13.43	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	619	12	5.09	0	0	0	0	0	3.34
9.	हिमाचल प्रदेश	324	8	3.66	389	10	6.34	0	0	2.99
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	566	18	9.61	565	18	10.2
13.	केरल	0	0	0	200	30	10.36	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2304	31	39.99	0	0	0	2304	31	32.55
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	83	8	1.72	0	0	0	0	0	0.44
18.	मिजोरम	0	0	2.07	163	5	2.07	245	8	4.1
19.	नागालैंड	110	5	4.7	0	0	0	438	22	6
20.	ओडिशा	0	0	7.34	1246	62	19.21	0	0	7.53
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	917	25	2.75	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	32	20	1.66	70	35	2.51	0	0	0.79
24.	तमिलनाडु	0	0	0	व	0	0	0	0	6.58
25.	त्रिपुरा	312	12	4.09	0	0	0	208	10	4.3
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	18.39	3384	82	9.03	0	0	4.92
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	3.38	1511	17	22.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0	14	0	0.14	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	एनएसडीएफ पायका	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	4701	121	134.05	8662	314	109.01	5626	138	113.85
	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं साई को जारी की गई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	4701	121	134.05	8662	314	109.01	5626	138	113.85

विवरण-III

शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस)

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन/उन्नयन हेतु शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यों को अनुमोदित और जारी अनुदान

2011-12 (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	ओडिशा	कलिंगा स्टेडियम खेल परिसर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00 (24.08.2011)	5.000
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	4.81 (18.10.2011)	3.620
3.	राजस्थान	उमेद स्टेडियम जोधपुर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (20.10.2011)	4.500
4.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.00# (29.08.2011)	3.000

1	2	3	4	5
5.	मिज़ोरम	मुआलपुई आइजवाल में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00@ (19.10.2011)	4.500
6.	मेघालय	जे.एन. खेल परिसर शिलांग में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50 (01.03.2012)	4.300
7.	असम	साई-एसएजी सेंटर तिनसुकिया में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (27.03.2012)	3.200
8.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.50 (28.03.2012)	4.465
9.	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड लाउसपेट में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (23.03.2012)	3.540
10.	केरल	नेहरू स्टेडियम कोटाइम में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (27.03.2012)	3.875
		कुल	54.81	40.00

#20.01.2014 को 2 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी की।

@16.01.2014 को 1.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी की।

2012-13 (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	5.00 (22.06.2012)	3.75
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9999 (22.06.2012)	1.80
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहाबाद में फुटबाल में लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	4.50 (03.10.2012)	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9779 (16.10.2012)	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.10.2012)	1.80
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (19.11.2012)	1.80

1	2	3	4	5
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैकेंडरी स्कूल, जिला थिरूवरूर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (03.01.2013)	1.80
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50 (07.01.2013)	3.50
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू, इटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	5.00 (14.02.2013)	1.26
10.	राजस्थान	अलवर, राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (22.03.2013)	1.00
		कुल	54.9778	22.00

2013-14 (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	केरल	केलिकट यूनिवर्सिटी, केरल में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50 (27.06.2013)	3.00
2.	उत्तराखंड	काशीपुर जिला उधम् सिंह नगर, उत्तराखंड में बहुउद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00 (04.07.2013)	1.80
3.	मिज़ोरम	छंगफुत खेल-मैदान चमफाइ, मिज़ोरम में सिंथेटिक फुटबाल टूर्फ बिछाना	4.50 (16.07.2013)	3.00
4.	मिज़ोरम	सजाईकांन, लूंगई शहर मिज़ोरम में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
5.	पंजाब	वार हीरोज स्टेडियम, संगरुर में सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50 (27.09.2013)	3.00
6.	उत्तर प्रदेश	श्री मेघवरन सिंह स्टेडियम, कर्मपुर, सईदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में सिंथेटिक हॉकी ट्रैक बिछाना	5.00 (04.10.2013)	3.00
7.	जम्मू और कश्मीर	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बहुउद्दीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (5.11.2013)	1.80
8.	आंध्र प्रदेश	कृषि विश्वविद्यालय बापाटला, गण्टूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय इन्डोर हाल का निर्माण	6.00 (05.11.2013)	1.80

1	2	3	4	5
9.	उत्तराखंड	महाराणा प्रताप स्पोटेर्स कॉलेज, राज्यपुर, देहरादून उत्तराखंड में सिंथेटिक ट्रैक हॉकी फील्ड बिछाना	5.00 (07.11.2013)	1.80
10.	राजस्थान	मोहनलाल सुखडिया (एमएलएस) विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (13.12.2013)	1.80
11.	नागालैंड	दीमापुर नागालैंड में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.12.2013)	1.80
12.	अरुणाचल प्रदेश	एसएलएसए काम्प्लेक्स चिम्पू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में फूटबाल टफ बिछाना	4.50 (27.12.2013)	2.25
13.	नागालैंड	जलूकी पैटेन जिला नागालैंड में सिंथेटिक फूटबाल टफ बिछाना	4.50 (31.12.2013	3.00
14.	हरियाणा	भीम स्टेडियम भिवानी में सिंथेटिक एथेलैटिक ट्रैक लगाना	5.50 (20.01.2014)	3.00
		कुल	76.00	32.85

विवरण-IV

31.3.2014 तक (15.7.2014 की स्थिति के अनुसार) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवसंरचना	प्रतियोगिता	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	224235000	224235000
2.	अरुणाचल प्रदेश	18436000	0	18436000
3.	असम	102829000	3840000	106669000
4.	बिहार	102428500	61890000	164318500
5.	छत्तीसगढ़	252745467	0	252745467
6.	गोवा	1462500	0	1462500
7.	गुजरात	0	26860000	26860000
8.	हरियाणा	33484178	18085599	51569777
9.	हिमाचल प्रदेश	29920000	0	29920000
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	4895000	28100000	32995000
12.	कर्नाटक	13222000	28616079	41838079
13.	केरल	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	34419675	34419675
15.	मध्य प्रदेश	103966923	46489701	150456624
16.	मणिपुर	382000	7505000	7887000
17.	मेघालय	4356000	1150000	5506000
18.	मिज़ोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	10604000	10280000	20884000
20.	ओडिशा	75350000	0	75350000
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	27476889	0	27476889
23.	सिक्किम	7832000	0	7832000
24.	तमिलनाडु	65819500	35299920	101119420
25.	त्रिपुरा	43020000	9132183	52152183
26.	उत्तराखंड	0	12005056	12005056
27.	उत्तर प्रदेश	139660162	0	139660162
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10584000	0	10584000
30.	चंडीगढ़	0	300000	300000
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पुदुचेरी	10584000	0	10584000
33.	दमन और दीव	1400000	0	1400000
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
35.	दिल्ली	0	0	0
	कुल	1060458119	548208213	1608666332

विवरण-V

शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी)

(यूएसआईएस स्कीम वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई)
(18 जुलाई, 2014 तक की स्थिति)

2010-11 (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान (तारीख)	जारी अनुदान
1.	पंजाब	तरन तारन में बहुउद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण	3.98 (17.03.2011)	2.00
2.	पश्चिम बंगाल	खुदी राम अनुशीलन, ईडन गार्डन, कोलकाता में इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/संशोधन और आधुनिकीकरण	6.00 (17.03.2011)	3.00
		कुल	19.98	12.50

2011-12 (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान (तारीख)	जारी अनुदान
1.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	4.81 (18.10.2011)	3.620
2.	राजस्थान	उमेद स्टेडियम जोधपुर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (20.10.2011)	4.500
3.	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड लाउसपेट में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (23.03.2012)	3.540
4.	असम	साई-एसएजी सेंटर तिनसुकिया में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (27.03.2012)	3.200
5.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.50 (28.03.2012)	4.465
6.	केरल	नेहरू स्टेडियम कोटाइम में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (27.03.2012)	3.875

2012-13 (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान (तारीख)	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	5.00 (22.06.2012)	3.75

1	2	3	4	5
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9999 (22.06.2013)	1.80
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहाबाद में फुटबाल में लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	4.50 (03.10.2013)	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9779 (16.10.2012)	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.10.2012)	1.80
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (19.11.2012)	1.80
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैकेंडरी स्कूल, जिला थिरूवरूर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (03.01.2013)	1.80
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50 (07.01.2013)	3.50
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू, इटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	5.00 (14.02.2013)	1.26
10.	राजस्थान	अलवर, राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (22.03.2013)	1.00

पुरुलिया में हथियार गिराए जाने का मामला

1780. श्री डी.के. सुरेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया में हथियार गिराए जाने के मामले की पुन: जांच कराने की मांग देश के विभिन्न हिस्सों से आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

डेयरी किसानों को सहायता

1781. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में डेयरी किसानों की दुरावस्था से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केरल के डेयरी किसान कल्याण निधि बोर्ड को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी किसान कल्याण बोर्ड बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डेयरी किसान कल्याण बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग का डेयरी किसान कल्याण निधि बोर्ड, केरल को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केरल सहित देश में डेयरी किसानों की आर्थिक, सामाजिक और पौष्टिक स्थिति में सुधार करने के लिए यह विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है;

(i) राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण।

(iii) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना।

(ग) (ख) के अलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस विभाग के पास राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) (घ) के अलोक में कोई प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र

1782. श्री सी.एस. पुट्टा राजू : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित/कार्यशील राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) केन्द्रों और उनके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार एनएसडी के और अधिक केन्द्रों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र (आरआरसी) और एक क्षेत्रीय शाखा बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित की गई है। इसके अलावा, एनएसडी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने सम्पर्क एवं प्रसार (आउट-रीच) कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम और त्रिपुरा में शिविर कार्यालय भी खोले हैं।

(ख) और (ग) बाहरवीं योजना के दौरान, बेंगलुरु, कोलकाता, महाराष्ट्र/गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांच ऐसे क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है जो स्वतंत्र स्वायत्त नाट्य विद्यालयों के तौर पर कार्य करेंगे और उनकी अपनी नाटक मण्डली कम्पनियां होंगी। मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण

1783. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में डल झील पर्यटन स्थलों यथा समुद्र तटों, जल प्रपातों और झीलों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) समुद्र तटों, जल प्रपातों और झीलों जैसे कि जम्मू और कश्मीर में डल झील जैसे पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रति वर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान डल झील में लेजर शो स्थापित करने की एक परियोजना स्वीकृत की गई। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
श्रीनगर में डल झील पर लेजर शो/ मल्टीमीडिया शो स्थापित करना	500.00

विवरण

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.08	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	4.98	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.75	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.80	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	5	29.80	1	33.71
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	27	112.86	45	85.47
16.	झारखंड	6	48.15	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.76	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	21.95	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	6	79.64	6	67.95

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मणिपुर	5	30.73	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.50	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.91	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.45	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	11.95	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.39	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.50	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.15	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.75	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.44	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.66	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.66	136	929.84	261	1801.54

*इसमें गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव तथा ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए अनुदान

1784. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिहार सहित गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन परियोजनाओं के लिए आवंटित निधियों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) बिहार सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में दिनांक 30.06.2014 तक परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (30.06.2014 तक)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	10	104.97	25	181.79	0	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	17	66.33	11	74.74	0	0.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0	0.00	14	111.10	0	0.00
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	1	24.37	2	57.69	0	0.00
11.	गोवा	1	4.98	2	0.50	0	0.00	1	8.79
12.	गुजरात	3	51.75	1	4.87	0	0.00	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.80	0	0.00	8	14.87	0	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	5	29.80	1	33.71	0	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	27	112.86	45	85.47	0	0.00
16.	झारखंड	6	48.15	2	48.86	1	5.00	0	0.00
17.	केरल	7	23.76	6	78.26	10	46.68	0	0.00
18.	कर्नाटक	6	21.95	0	0.00	8	32.29	1	50.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	6	79.64	6	67.95	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	मणिपुर	5	30.73	1	0.50	11	214.38	0	0.00
22.	मेघालय	3	0.50	2	0.68	1	0.47	0	0.00
23.	मिज़ोरम	7	13.91	4	1.12	10	47.11	0	0.00
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	16	206.50	9	100.21	0	0.00
25.	नागालैंड	19	65.45	17	47.60	9	52.22	0	0.00
26.	ओडिशा	6	11.95	2	0.61	12	65.43	0	0.00
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0	0.00	1	48.48	0	0.00
28.	पंजाब	2	4.39	0	0.00	2	10.39	0	0.00
29.	राजस्थान	3	14.50	0	0.00	10	51.75	0	0.00
30.	सिक्किम	8	25.15	4	20.75	11	104.35	0	0.00
31.	तमिलनाडु	6	20.75	2	20.42	0	0.00	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	7	21.29	24	130.13	0	0.00
34.	उत्तराखंड	14	102.66	2	12.97	30	265.33	0	0.00
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	2	46.94	0	0.00	0	0.00
	कुल योग	223	927.66	136	929.84	261	1801.54	2	58.79

*गंतव्यों और परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

औषधियों की उपलब्धता

1785. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में आम आदमी के लिए अनिवार्य/जीवनरक्षक दवाइयों की सुलभता संबंधी कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की शुरुआत से, देश के छोटे शहरों में औषधियों की उपलब्धता में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपी) राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन से प्राप्त मासिक रिपोर्टों और गैर-सरकारी संगठनों, अलग-अलग व्यक्तियों आदि से प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हों, के आधार पर औषधियों की उपलब्धता की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करता है। औषधियों की कमी के संबंध में रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद एनपीपीए

तत्काल मामले को संबंधित विनिर्माता के साथ उठाता है और उन्हें प्रभावित क्षेत्र में शीघ्र स्टॉक उपलब्ध कराने की सलाह देता है। तथापि, एनपीपीए ने आम आदमी के लिए आवश्यक/जीवन रक्षक औषधियों की सहज उपलब्धता के बारे में देश में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया है। एनपीपीए को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के लागू होने से देश के छोटे शहरों में दवाओं की पहुंच में कमी हुई है।

[हिन्दी]

सांविधिक विकास बोर्ड

1786. **श्री सदाशिव लोखंडे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र के लिए एक पृथक् सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) भारत सरकार को, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2005 (दुबारा 15 दिसम्बर, 2005) और 13 जुलाई, 2006 को पारित संकल्प प्राप्त हुए थे जिनमें क्रमश: कोंकण क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

उपर्युक्त बातों के मद्देनजर, ये दोनों प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू सेवन से जुड़े अतिचार

1787. **श्री पी. कुमार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू सेवा से जुड़े अतिचारों को मासिक अपराध समीक्षा के एक भाग के रूप में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के महीनों के दौरान विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (सीओटीपीए) में तम्बाकू के विज्ञापन-निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन, उत्पादों की आपूर्ति और वितरण शामिल है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम-2008 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान यथा कार्यस्थलों, शॉपिंग मॉलों, हवाईअड्डों, बस और रेलवे स्टेशनों, होटलों, सिनेमा घरों की दुकानों और रेस्तराओं, जहां धूम्रपान न करने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं, में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। धूम्रपान करने के लिए अलग स्थान की व्यवस्था करने की अनुमति दी जा सकती है और 30 अथवा इससे अधिक कमरों वाले होटलों और 30 अथवा इससे अधिक मेजों वाले रेस्तराओं में धूम्रपान क्षेत्र की व्यवस्था की जा सकती है जहां कोई अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी। इस अधिनियम में सभी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्पष्ट धूम्रपान निषेध चिन्हों अर्थात् "यहां धूम्रपान पूर्णरुपेण वर्जित है" को प्रदर्शित करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए तम्बाकू से संबंधित मामलों में नोडल मंत्रालय होने के कारण राज्यों के साथ सभी कार्यकलापों को समन्वित करता है और सीओटीपीए को लागू करने के लिए मार्ग-निर्देश और निर्देश एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्य स्वास्थ्य अभिमुखी कार्यक्रम जारी करता है।

सीओटीपीए के उल्लंघन से संबंधित धूम्रपान की घटनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

नि:शक्त व्यक्तियों की जनगणना

1788. **श्री बी. श्रीरामुलू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना-2011 के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नि:शक्तता की परिभाषा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के ग्रामीण भागों में नि:शक्त व्यक्तियों की सही-सही संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.86 करोड़ विकलांग व्यक्ति है।

(ख) और (ग) जनगणना भारत के महापंजियक के द्वारा की जाती है और उनके द्वारा आंकड़े तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया की मदद ली जाती है तथा यह कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा अपनी ओर से पूरे देश में विकलांग व्यक्तियों की पहचान एवं प्रमाणन के लिए एक तंत्र तैयार करने हेतु संयुक्त सचिव, डिसएबिलिटी कार्य विभाग के अधीन एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

1789. श्री भरत सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लघु और मध्यम उद्यमियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुदृढ़ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विलय और अधिग्रहण के द्वारा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने 12वीं योजना (2012-17) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) की शुरुआत की है। मिशन में अन्य के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम भी है। मिशन की उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के इच्छुक सभी पात्र लघु एवं मध्यम उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी एवं तकनीक सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50 लाख रुपए; संयंत्र एवं मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का दुर्गम क्षेत्रों (अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप) तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75 लाख रुपए और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 90% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए मिशन की उपर्युक्त स्कीम हेतु आवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्राप्त, स्वीकृत तथा निधियां जारी की जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार उत्तर प्रदेश समेत देश में लघु एवं माध्यम उद्यमियों तथा उनकी यूनिटों द्वारा, स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विभिन्न कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। कर प्रोत्साहनों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के विलय और अधिग्रहण संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

विवरण

हरियाणा समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कर प्रोत्साहनों को दर्शाने वाला विवरण

1. **आयकर:**

1.1 **खर्च की कटौती:** पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए निवेश के लिए निम्नलिखित व्यापार हेतु तथा इसके प्रचालन से पूर्व प्रोत्साहन दिए जाते हैं:

1.1.1 **व्यापार में 100% कटौती मान्य हैं:**

(क) शीतशृंखला सुविधा की स्थापना तथा प्रचालन।

(ख) कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु माल गोदाम की स्थापना तथा प्रचालन।

1.1.2 **व्यापार में 150% कटौती मान्य हैं:** (बशर्ते कि करदाता ने अपना व्यापार 01.04.2012 को अथवा इसके पश्चात् शुरू किया हो):

(क) मधुमक्खी-पालन तथा शहद एवं बी-वैक्स का उत्पादन।

(ख) चीनी के भंडारण हेतु माल गोदाम सुविधा की स्थापना तथा प्रचालन।

1.2 **लाभ में से कर की कटौती:** यह कर प्रोत्साहन प्रचालन के प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% की दर से कर में छूट के रूप में उपलब्ध है। 5 वर्षों के बाद, यह लाभ के 25% की दर से दिया जाता हैं तथापि, कंपनी के मामलों में, प्रचालन के 5 वर्षों के पश्चात् कर की दर लाभ का 30% है। यह लाभ केवल 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है बशर्ते कि व्यापार 01.04.2001 से शुरू किया गया हो। यह प्रोत्साहन फलों अथवा सब्जियों, मांस तथा मांस उत्पादों, पॉल्ट्री, समुद्री

अथवा डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकिंग के व्यापार में नई यूनिटों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी, मांस, मांस उत्पादों, पॉल्ट्री, समुद्री अथवा डेयरी उत्पादों से संबंधित व्यापार के मामले में, उपर्युक्त प्रोत्साहन केवल उन यूनिटों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना उत्पादन 01.04.2009 के पश्चात् शुरू किया है।

2. **सेवा कर:**

2.1 **नकारात्मक सूची:** नकारात्मक सूची में शामिल मदों पर सेवा-कर नहीं लागया जा सकता है। ये सेवाएं टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, कूलिंग अथवा भारी मात्रा में पैकिंग समेत कृषि फार्म पर अपनाई गई प्रक्रियाएं हैं तथा ऐसे प्रचालन जो कृषि उत्पाद की मूल विशेषताओं को नहीं बदलते परंतु केवल प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योग्य बनाते हैं।

2.2 **छूट प्राप्त श्रेणी:** निम्नलिखित सेवाओं के लिए सेवा-कर में छूट मान्य है:—

(i) ऐसे उद्देश्यों के लिए शीत-भंडारों समेत कृषि उत्पाद हेतु फसलोत्तर भंडारण अवसंरचना से संबंधित मौलिक सुविधाओं का निर्माण, उत्थापन, प्रचालन अथवा स्थापना।

(ii) एल्कोहॉलिक पेय-पदार्थों को छोड़कर खाद्य पदार्थों के रूप में कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करने वाली यूनिटों के लिए मशीनीकृत खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली, मशीनरी अथवा उपकरण; तथा

(iii) फलों, सब्जियों, अंडों, दूध, खाद्यान्नों अथवा दालों के परिवहन द्वारा माल परिवहन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं।

(iv) कृषि उत्पादों की लोडिंग, अन-लोडिंग, पैकिंग, भंडारण अथवा वेअरहाउसिंग की सेवाएं।

3. **सीमा शुल्क:**

3.1 सरकार ने निम्नलिखित परियोजना आयात लाभ उपलब्ध कराए हैं:—

(i) मशीनीकृत खाद्यान्न संचलन प्रणालियों के अधिष्ठापन परियोजनाओं तथा मंडियों में पैलेट रैकिग प्रणालियों और खाद्यान्न तथा चीनी के लिए माल-गोदामों को।

(ii) शीत-भंडार, शीत-कक्ष (खेत स्तर पर प्री-कूलिंग समेत) अथवा कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, दुग्ध, पॉल्ट्री, जलीय तथा समुद्री उत्पाद और मांस के परिरक्षण, भंडारण अथवा प्रसंस्करण करने वाले औद्योगिक परियोजनाएं।

परिणामस्वरूप, परियोजना के भाग के रूप में आयातित खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएं यथा लागू सीवीडी सहित 5% के रियायती सीमा-शुल्क की एक समान आकलन की हकदार होंगी चाहे उनका टैरिफ वर्गीकरण कुछ भी हो।

3.2 हैजलनट्स पर सीमा-शुल्क को 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

3.3 भूसी उतारी हुई जई पर सीमा-शुल्क को 30% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

4. **केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क:**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित रियायतें दी हैं:—

4.1 **खाद्य उत्पाद:**

(i) दुग्ध, दुग्ध उत्पादों (अध्याय-4), सब्जियों (अध्याय-7), मेवों एवं फलों, ताजे एवं सूखे मेवों (अध्याय-8) पर शून्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

(ii) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के लिए 12% के मानक उत्पाद-शुल्क के मुकाबले, बिना केन्द्रीय वैट के 2% अथवा केन्द्रीय वैट के साथ 6% की मैरिट दर रहती है।

(iii) सोया-दुग्ध पेय, पशुओं से प्राप्त सुगंधित दुग्ध पर भी कर बिना केन्द्रीय वैट के 2% अथवा केन्द्रीय वैट के साथ 6% की दर से होती है।

(iv) वर्ष 2013-14 के बजट में "फैक्टरी के अंदर उत्पादित और उपयोग की गई कसावा स्टार्च तथा कसावा सैगो (साबूदाना) के निर्माण और कसावा सैगो (साबूदाना) पर भी उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

4.2 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी:

(i) कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, दुग्ध, पॉल्ट्री, जलीय तथा समुद्री उत्पाद और मांस के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन अथवा प्रसंस्करण के लिए शीत-भंडार, शीत-कक्ष की स्थापना अथवा प्रशीतन वाहन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रशीतन मशीनरी तथा पुर्जों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

(ii) दुग्ध क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली पाश्चुरिंग, शुष्कन, वाष्पन आदि मशीनरी को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

[अनुवाद]

असम में सांप्रदायिक हिंसा

1790. श्री सिराजुद्दीन अज़मल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम में विशेषकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्य में प्रभावित हुए और शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रभावित हुए व्यक्तियों को प्रदान की गई मुआवजा राशि/राहत कितनी है और उसका उपयोग किस प्रकार हुआ है एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियों का हिस्सा कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) सूचना के अनुसार, असम के कुछ जिलों में जुलाई, 2012 और नवम्बर, 2012 में दो समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के आधार पर हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनमें 109 नागरिक मारे गए और 140 लोग घायल हुए। हिंसा के कारण, 4.85 लाख से अधिक लोगों ने असम राज्य सरकार द्वारा राज्य के अलग-अलग जिलों में लगाए गए राहत शिविरों में शरण ली। राहत शिविरों में शरण लेने वाले सभी लोग अपने-अपने मूल स्थानों/गांवों को पहले ही लौट चुके हैं। जिन परिवारों के मकान पूर्णतया और आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास अनुदान प्रदान किया गया था। पुनर्वास अनुदान में प्रत्येक परिवार के लिए 20,000/- रुपए नकद राशि, जीसीआई शीट के तीन (3) बण्डल, कपड़ों और बर्तनों के लिए 2,700/- रुपए नकद शामिल है। जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें प्रति परिवार 20,000/- रुपए की नकद सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, जिन परिवारों के मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत निधि से 30,000/- रुपए और जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें इस निधि से 20,000/- रुपए प्रति परिवार नकद सहायता दी गई थी। चयनित प्रभावित परिवारों को मकानों के निर्माण हेतु इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अधीन केन्द्रीय सहायता भी दी गई थी।

हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 8.00 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायल व्यक्तियों को समुचित मुआवजा भी प्रदान किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जिसे साम्प्रदायिक हिंसा कहा जा सके।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों को रोज़गार

1791. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पिछड़ा वर्गों में अन्य वर्गों/श्रेणियों की तुलना में रोजगार की मांग बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नियोजन में विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नोक्त आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं:—

क्र.सं.	वर्ष	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित
1.	2007	497978	193978	196236	1955773
2.	2008	538834	214057	390286	1932145
3.	2009	525264	219765	410948	1904583
4.	2010	518890	222556	447717	1825431

इसी तरह, विभिन्न समूहों और जातियों के कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट संख्या 543 (2009-10) के अनुसार यह पाया गया है कि रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की हिस्सेदारी में सामान्य वृद्धि हुई है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई स्कीमें आदि संचालित की जा रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों को रियायत ऋण प्रदान करते हैं, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह मंत्रालय उन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जो अन्य पिछड़े वर्गों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

औषधियों की कीमतें विनियमित करने के लिए औषध नीति

1792. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधियों की कीमत विनियमित करने हेतु औषध नीति बनाने और इन्हें आम आदमी को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों से विचार-विमर्श करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नई औषध नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) नई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी) दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित की गई थी जिसका उद्देश्य औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित करना था ताकि औषध उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उचित मूल्यों पर अपेक्षित दवाइयों — "आवश्यक दवाइयों" की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा सभी के लिए रोजगार और साझा आर्थिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 के अंतर्गत सूचीबद्ध आवश्यक दवाइयों के मूल्यों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाना है।

वर्तमान में एक नई औषधि नीति तैयार करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता

1793. श्री जोस के. मणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2012-13 वर्ष के दौरान केरल राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी गई कुल खाद्यान्न राजसहायता की राशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रति टन चावल पर कितना खर्च किया गया; और

(ग) खाद्य राजसहायता में वृद्धि पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनगत कार्य-कुशलता में सुधार करने सहित क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) वर्ष 2012-13 के दौरान केरल को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के रूप में 524.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ख) इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि केरल जैसे डीसीपी राज्यों के संबंध में डीसीपी स्टॉक से चावल के वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी किसी वर्ष विशेष के लिए निर्धारित आर्थिक लागत घटा केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के आधार पर जारी की जाती है।

केरल के मामले में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 हेतु सेला चावल की आर्थिक लागत ग्रेड 'ए' के लिए 25040.40 रुपए प्रति टन और सामान्य चावल के लिए 24513.90 रुपए प्रति टन थी।

खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यय की गई चावल की लागत 23048.40 रुपए प्रति टन थी; और

(ग) सरकार ने खाद्य सब्सिडी को नियंत्रण में रखने और भारतीय खाद्य निगम की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:—

(i) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण को बढ़ावा देना।

(ii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकता के लिए कैश क्रेडिट पर ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर पर अल्पावधिक ऋण लेना।

(iii) भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक कार्यक्षमता में सुधार करना और प्रशासनिक व्यय कम करना।

सर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास

1794. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्व में सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास और पूर्व में सिर पर मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) से (ग) हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत जनवरी, 2007 में हाथ से मैला साफ करने वाले सभी शेष व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों का पुनर्वास वैकल्पिक व्यवसायों में करने के लिए की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान, सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी अभिज्ञात, पात्र और इच्छुक 78,941 हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों को जून, 2010 तक देय वित्तीय सहातया का वितरण करने की पुष्टि की है। इसके पश्चात्, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर, हाथ से मैला साफ करने वाल 528 व्यक्तियों को भी इस योजना के अंतर्गत उनके पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' (एमएस अधिनियम, 2013) के अंतर्गत हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन निषिद्ध है, इसमें हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों की परिभाषश को विस्तारित किया गया है। यह अधिनियम 6.12.2013 को लागू हो गया है।

केन्द्र सरकार ने एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत, अभिज्ञात सभी हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एमआरएमएस को संशोधित किया है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में वैकल्पिक व्यवसाय आरंभ करने के लिए एकबारगी नकद सहायता, स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण और सब्सिडी वाले रियायती ऋण शामिल हैं।

फार्मा कंपनियों द्वारा अधिक वसूली

1795. श्री रामसिंह राठवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई फार्मा कंपनियों ने सरकार/राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत पर उपभोक्ताओं को दवाइयां बेची हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और कब से ऐसी कंपनियां अतिरिक्त वसूली कर रही है एवं कंपनी-वार अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस वसूलने और जुर्माना वसूलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों से वसूली और जुर्माने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उपभोक्ताओं को हुई हानि की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जाएगी; और

(ङ) किन कंपनियों को आज की तारीख तक नोटिस जारी किए गए हैं और हाल में इस समस्या के समाधान हेतु एनपीपीए द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) अनेक ऐसे मामले हैं जहां औषध कंपनियों को अपनी कुछ दवाओं को उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया गया है। अगस्त, 1997 में एनपीपीए की स्थापना से दिनांक 30.6.2014 की स्थिति के अनुसार 1040 ऐसे मामले हैं जहां एनपीपीए द्वारा औषध कंपनियों को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाएं बेचने के लिए 3603.04 करोड़ रुपए की रकम के मांग नोटिस जारी किए गए हैं। इन अधिप्रभार के 1040 मामलों की सूची की हार्ड कॉपी बहुत बड़ी है जिसके कई पृष्ठ हैं और इसलिए यह कॉपी उत्तर के साथ नहीं दी जा सकती है। उसे एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् *www.nppaindia.nic.in* पर उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ) अधिप्रभार के पुष्ट मामलों में, एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेचकर वसूल की गई अतिरिक्त रकम की उस पर लगे ब्याज सहित वसूली औषध कंपनियों से की जाती

हैं दिनांक 30.6.2014 तक 341.11 करोड़ रुपए की रकम की वसूली की गई है।

औषध कंपनियों से वसूल की गई अधिप्रभार की रकम को भारत की समेकित निधि में डिपोजिट किया जाता है। अधिप्रभार के मामलों का पता लगाने का कार्य उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल करने के लिए औषध कंपनियों के लिए एक भयपरतिकारी कार्रवाई के रूप में कार्य करता है और यह उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(ङ) मूल्य उल्लंघन/अधिप्रभार के मामलों को प्रोसेस करने के संबंध में दो आंतरिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देश संख्या 1/2012, दिनांक 04.10.2012 "मूल्य उल्लंघन मामलों से संबंधित है जिन्हें डीपीसीओ, 1995 के पैरा 8 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए संबंधित राज्य औषध नियंत्रक को रेफर किया जाना है। दिशा-निर्देश संख्या 2/2012, दिनांक 09.10.2012 "अधिप्रभार वाले और बिना मूल्य अनुमोदन वाले मामलों" से डील करने के संबंध में है। उसके बाद एनपीपीए द्वारा दिनांक 08.02.2013 को आंतरिक दिशा-निर्देश संख्या 2/2012 में एक संशोधन भी जारी किया गया था। इन दिशा-निर्देशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य अधिप्रभार/मूल्य उल्लंघन के मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने में स्पष्टता, संगतता और पारदर्शिता लाना था।

खेल-कूद में युवाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधा

1796. श्रीमती अनुप्रिया पटेल : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संघ देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं को खेल-कूद को एक पेशे के तौर पर लेने हेतु प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और अधिक अवसरों का सृजन करने और युवाओं को खेल-कूद में प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है। युवाओं के प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल विधाओं के संवर्धन और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम के अंतर्गत भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से खिलाड़ियों/टीमों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उपकरणों/उपभोज्य वस्तुओं की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों की पूर्ति करती है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत विदेशों में कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत अभिज्ञात खेल प्रतिभाओं का अनुभवी कोचों द्वारा वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उपकरण सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हों:–

- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)
- सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी)
- साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
- विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)
- उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों ही से युवाओं को शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार देश में युवाओं को प्रशिक्षण के लिए अधिकाधिक सहायता प्रदान करने की लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2014-15 के आम बजट में मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर और आउटडोर स्टेडियमों का उन्नयन करने के लिए 200 करोड़ रुपए तथा आगामी एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

सरकार ने मेनस्ट्रीम खेलों के अनुरूप देश के विभिन्न भागों में मुख्य खेल विधाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। सिद्धहस्त खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तथा देश में जूनियर और सब-जूनियर स्तर पर सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के पोषण के लिए निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती भारोत्तोलन तथा विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय की सुविधाओं से युक्त अकादमियां भी स्थापित की जाएंगी।

[हिन्दी]

गोदामों के लिए पीईजी योजना

1797. श्री हुकुम सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के लिए प्रस्तावित निर्माण किए जाने वाले गोदामों/भंडार स्थलों की कुल क्षमता तथा वास्तव में इनमें से निर्मित की गई क्षमता तथा किराए पर लिए गए भंडारण स्थल एवं इनके लिए अदा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के लिए भंडारण स्थल और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए कौन सी अन्य योजनाएं हैं और इनके सुधार के लिए मिले सुझाव क्या हैं और उन पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित जिलों की क्षमता क्या है और इस संबंध में निविदा प्रक्रिया को स्थान-वार कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) पीईजी स्कीमः इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए निजी पार्टियों और सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक- निजी-भागीदारी पद्धति से भंडारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। निजी पार्टियों के लिए गारंटी की अवधि 10 वर्ष है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के लिए यह अवधि 9 वर्ष है। निजी पार्टियों के मामले में राज्य-वार निविदाएं 2 स्तरीय बोली प्रणाली के अंतर्गत निर्दिष्ट नोडल एजेंसी द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी बोली के स्तर पर स्थलों का निरीक्षण किया जाता है और केवल उपयुक्त पाए गए स्थलों के लिए ही बोलियों पर आगे की कार्रवाई की जाती है। न्यूनतम बोलीकर्त्ताओं को ही निविदाएं आवंटित की जाती है। नॉन-रेलवे साइडिंग आधारित गोदामों का निर्माण एक वर्ष में किया जाता है जबकि रेलवे-साइडिंग के गोदामों के निर्माण के लिए दो वर्ष की निर्माण-अवधि की अनुमति दी जाती है। यह अवधि निवेशक के अनुरोध पर एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। गोदाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसका अंतिम निरीक्षण भारतीय खाद्य निगम और नोडल एजेंसी की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है तथा सभी दृष्टि से एवं विनिर्दिष्टयों के अनुरूप पूरे किए गए गोदामों का गारंटी आधार पर अधिग्रहण किया जाता है।

(ख) पीईजी स्कीम के अंतर्गत, 19 राज्यों में निर्माण हेतु 203.76 लाख टन की कुल क्षमता अनुमोदित की गई है, जिसमें से 120.30 लाख टन क्षमता पूरी कर ली गई है। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीईजी स्कीम के अंतर्गत संविदकृत क्षमता तथा गोदामों के लिए भुगतान किए गए किराए का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण संबंधी एक योजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 3,68,950 टन क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों (2012-13 और 2013-14) के दौरान 27,070 टन की क्षमता पूरी कर ली गई हैं भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों में खाद्यान्नों के लिए सुरक्षित भंडारण के लिए स्टैकिंग, फ्यूमीगेशन तथा कीटनाशकों का छिड़काव करने जैसे अपेक्षित कदम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों के नमूने आवधिक तौर पर एकत्रित किए जाते हैं और इनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है।

भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं:—

- छतों पर अल्प पारदर्शी शीटों (छत के क्षेत्रफल के 2 प्रतिशत तक) के साथ प्री पेन्टेड पॉलीयेस्टर कोटिड शीटों का प्रयोग करना।
- छत के ऊपर सोलर पीवी पैनलों की स्थापना।
- वर्ष जाल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- वेयर हाऊस के बाहर और भीतर विद्युत प्रकाश के लिए एलईडी लाइटों का प्रयोग करना।
- चिनाई के लिए सीमेंट कंक्रीट के कोटर युक्त ब्लॉकों का प्रयोग करना।
- रैट ट्रैप बॉण्ड चिनाई के लिए फ्लाई एश निर्मित ईंटों और श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार फ्लाई एश निर्मित ईंटों तथा रैट ट्रैप का उपयोग करना।
- कम प्रवाह अथवा पानी की किफायत वाली फिक्स्वरों का प्रयोग करना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम्पोजिट पिट का निर्माण करना।

भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों में उपर्युक्त सुझावों को क्रमशः कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रहा है।

(घ) पीईजी स्कीम के तहत 41 स्थलों पर 20 लाख टन क्षमता के साइलोज का निर्माण प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निविदाएं जारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

विवरण-I

दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित तथा वास्तव में पूरी की गई राज्य-वार क्षमता

(आंकड़े टनमें)

क्र. सं.	राज्य	निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षमता	पूरी की गई क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,51,000	3,56,800
2.	बिहार	940,000	80,000
3.	छत्तीसगढ़	542,600	434,200
4.	गुजरात	100,000	49,800
5.	हरियाणा	3,952,800	3,019,221
6.	हिमाचल प्रदेश	142,550	24,170
7.	जम्मू और कश्मीर	361,690	92,500
8.	झारखंड	475,000	80,000
9.	कर्नाटक	355.300	298,370
10.	केरल	55,000	5,000
11.	मध्य प्रदेश	2.366.600	1,079,140
12.	महाराष्ट्र	699,900	575,667
13.	ओडिशा	375,000	249,500
14.	पंजाब	4.999,000	4.181.238
15.	राजस्थान	250,000	223,000
16.	तमिलनाडु	345,000	155.000
17.	उत्तर प्रदेश	3.295.500	1.066.700
18.	उत्तराखंड	25.000	0
19.	पश्चिम बंगाल	643.600	59.600
	जोड़	20,375,540	12,029,906

विवरण-II

निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए राज्य-वार किराए

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (जून, 14 तक)	
		अधिग्रहित क्षमता (लाख टन में)	किराया (करोड़ रुपए में)	अधिग्रहित क्षमता (लाख टन में)	किराया (करोड़ रुपए में)	अधिग्रहित क्षमता (लाख टन में)	किराया (करोड़ रुपए में)	अधिग्रहित क्षमता (लाख टन में)	किराया (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.35	1.89	1.94	5.51	2.15	9.07	2.15	2.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	0.00	0.00	0.20	0.11	0.45	0.61	0.45	0.29
3.	छत्तीसगढ़	0.69	0.56	1.27	1.68	2.87	3.70	2.87	0.30
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.73	0.49	0.92
5.	हरियाणा	1.01	2.91	7.69	28.07	22.33	67.00	27.90	29.24
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.03	0.11	0.03	0.17	0.03	0.04
7.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.10	0.34	0.65	1.97	0.70	2.10
8.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.73	0.55	0.79
9.	कर्नाटक	0.38	0.68	0.81	2.01	1.64	3.93	1.79	2.24
10.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.32	0.05	0.03
11.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10
12.	महाराष्ट्र	0.57	2.00	2.36	9.40	5.04	24.46	5.40	7.66
13.	ओडिशा	0.89	0.00	1.94	0.00	2.19	9.97	2.29	0.00
14.	पंजाब	3.87	6.92	20.28	58.10	34.77	237.31	38.30	71.82
15.	राजस्थान	0.00	0.00	0.25	1.32	1.28	5.20	1.28	1.10
16.	तमिलनाडु	0.35	0.84	0.35	2.98	0.60	5.39	0.60	1.41
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.59	1.62	4.08	8.31	7.92	5.24
18.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0.0	0.00	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.14	0.00	0.26	0.00	0.39	0.00
	जोड़	8.11	15.80	37.95	111.25	79.33	379.87	93.36	126.01

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय सतर्कता समिति

1798. श्री जगदम्बिका पाल :
श्री पी.सी. गद्दीगौदार :
योगी आदित्यनाथ :
श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया :
श्री विद्युत वरण महतो :
श्री बैजयंत जे. पंडा
डॉ. बंशीलाल महतो :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली विकृतियों की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) गठित की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सीवीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और गरीब लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने

के लिए कोई दिशा-निर्देश/सुझाव जारी किए हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विपथन/चोरी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हानि हुई खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण की योजना का ब्यौरा और कार्यान्वयन स्थिति क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। रिट याचिका संख्या 196/2001-पीयूसीएल बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.7.2006 के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में नियुक्त आयुक्त डॉ. एन.सी. सक्सेना की सहायता वाले केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। समिति का कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उचित कार्यकरण को प्रभावित करने वाली विकृतियों का जांच करना था। समिति का कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ (क) डीलरों की नियुक्ति की पद्धति; (ख) डीलरों को देय आदर्श कमीशन अथवा दरों; (ग) पहले से कार्यरत समिति को कार्यकरण को बेहतर बनाए जाने से संबंधित रूपरेखाओं; (घ) दुकानों में बिक्री के लिए खाद्य स्टॉक के आवंटन में पारदर्शिता लाए जाने से संबंधित पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करना था।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.09.2012 के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने पीडीएस की कार्यप्रणाली से संबंधित सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने अपनी सिफारिशों को दीर्घावधिक और अल्पावधिक श्रेणियों में विभाजित किया है। दीर्घावधिक सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नागरिक आपूर्ति निगम का गठन करना तथा (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण। अल्पावधिक सिफारिशें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित थीं, अर्थात् (i) लाभार्थियों की पहचान/परिवारों को सूची में शामिल करने एवं हटाने संबंधी त्रुटियां (ii) भंडारण क्षमता (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों का परिवहन (iv) उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता (v) जवाबदेही और निगरानी (vi) प्रति यूनिट आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन (vii) सतर्कता समिति (viii) शिकायत निपटान तंत्र (ix) उचित दर दुकानों का आवंटन (x) लाभार्थियों में जागरुकता (xi) सतर्कता एवं प्रवर्तन (xii) उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली (xiii) फोर्टिफाईड आटे की आपूर्ति (xiv) जाली और नकली राशन कार्डों को समाप्त करना (xv) इलेक्ट्रॉनिक भारमापन (xvi) राशन कार्ड जारी करना (xvii) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8.5.2002 तथा 2.5.2003 के आदेशों का कार्यान्वयन (xviii) अनुमानित जनसंख्या 2012 के आधार पर राजयों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों का आवंटन (xix) संयुक्त रूप से नमूने लेना (xx) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी को समाप्त करना तथा (xxi) देश के निर्धनतम जिलों के लिए विशेष उपाय। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 07.01.2013 के आदेश में केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सतर्कता आयोजक की रिपोर्ट के संबंध में अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने का निदेश दिया था। केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ-पत्र दाखिल किया है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीपीडीएस की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार नियमित रूप से निर्देश जारी कर रही है और सम्मेलनों का आयोजन कर रही है जिनमें पात्र लाभार्थियों की सूची की निरंतर समीक्षा करने, आवंटित खाद्यान्नों के उठान में सुधार करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने, विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करने, टीपीडीएस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने, उचित दर दुकानों के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने आदि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है। टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्नों की चोरी/अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए एक 9-सूत्री कार्य-योजना जुलाई, 2006 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से तैयार की गई थी। दी गई सूचना के अनुसार 9 सूत्रीय कार्य-योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2014 तक की गई कार्रवाई का मद-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(घ) खाद्यान्नों के अन्यत्र हस्तांतरण/चोरी का ब्यौरा भारत सरकार के पास नहीं है/नहीं रखा जाता है। तथापि, इसके कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंतर्गत विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉस्ट-शेयरिंग आधार पर "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" संबंधी योजना स्कीम के घटक-1 कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के घटक-1 में राशन कार्डों/लाभार्थियों और अन्य डाटाबेसों का डिजिटीकरण, आपूर्ति-शृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल की स्थापना और शिकायत निपटान तंत्र का गठन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 30.06.2014 तक 248.90 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता जारी की गई है (जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है)।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 31.03.2014 तक सूचित स्थिति के अनुसार नौ सूत्रीय कार्य योजना के तहत की गई कार्रवाई का विवरण

1. राज्यों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।	31 मार्च, 2014 तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 30 राज्यों में कुल 393.46 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त हुए।
2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।	33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों इत्यादि को लाइसेंस दिए जाएं।	29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की मॉनीटरिंग करने के लिए सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उचित दर दुकानें ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि के द्वारा चलाई जाती हैं। प्रचालन में लगभग 5.15 लाख से अधिक उचित दर दुकानों में से लगभग 1.36 लाख उचित दर दुकानें ऐसे संगठनों द्वारा चलाई जा रही है।
4. उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिए।	32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर लाभभोगियों की सूचियां प्रदर्शित की जा रही है।
5. खाद्यान्नों का जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आबंटन वेबसाइटों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता जांच कर सके।	22 राज्यों/संघ रज्य क्षेत्रों में वेबसाइटों और अन्य प्रमुख स्थानों में खाद्यान्नों के जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन प्रस्तुत करने संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की उचित दर दुकानों पर द्वार पर सुपुर्दगी की जाए।	20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी निजी ट्रांस्पोर्टरों द्वारा कराए जाने के बजाए राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। इससे खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान चोरी कम होती है और उचित दर दुकानों के मालिकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है।
7. उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।	इस संबंध में 32 राज्यों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
8. सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान की जा रही है।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण देश भर में शुरू किया गया है। इस प्रयोजन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण संबंधी एक योजना स्कीम के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

विवरण-II

नौ सूत्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन – जुलाई, 2006 के बाद से उसके परिणाम

(31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीपीएल/एएवाई सूची की समीक्षा	दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करना	पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जाना	बीपीएल/एएवाई सूचियां को उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित करना	जनता द्वारा जांच किए जाने के लिए खाद्यान्नों का जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आबंटन वेबसाइट पर डालना	खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी	उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता	उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के कम्प्यूटरीकरण के लिए उठाए गए कदम
1.	आंध्र प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं*	–	जी हां	जी हां
3.	असम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	–	–	जी हां	जी हां	जी हां
4.	बिहार	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	–	जी हां	जी हां	जी हां
5.	छत्तीसगढ़	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
6.	दिल्ली	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
7.	गोवा	जी हां	जी हां	–	जी हां	–	–	जी हां	जी हां	जी हां
8.	गुजरात	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
9.	हरियाणा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	–	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
10	हिमाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
11.	जम्मू और कश्मीर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	–	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
12.	झारखंड	जी हां	जी हां	–	–	जी हां	जी हां	–	–	जी हां
13.	कर्नाटक	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
14.	केरल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	–	जी हां	जी हां	जी हां

15.	मध्य प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां
16.	महाराष्ट्र	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
17.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	जी हां	जी हां
18.	मेघालय	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	जी हां
19.	मिज़ोरम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी नहीं*	जी हां	जी हां	जी हां
20.	नागालैंड	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी नहीं*	जी हां	—	जी हां
21.	ओडिशा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
22.	पंजाब	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
23.	राजस्थान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
24.	सिक्किम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
25.	तमिलनाडु	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
26.	त्रिपुरा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
27.	उत्तर प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
28.	उत्तराखंड	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं*	जी हां	—	जी हां
29.	पश्चिम बंगाल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	जी हां	जी हां	जी हां	—	—	जी नहीं*	जी हां	—	जी हां
31.	चंडीगढ़	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	—	जी हां	जी हां	जी हां
32.	दादरा और नगर हवेली	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां	—	जी हां
33.	दमन और दीव	—	—	—	जी हां	—	—	जी हां	—	जी हां
34.	लक्षद्वीप	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं*	जी हां	जी हां	जी हां
35.	पुदुचेरी	जी हां	जी हां	—	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	—	जी हां
	जोड़	33	33	29	32	22	20	32	27	35

संकेत: जी हां — कार्यान्वयनाधीन। (—) — किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। * — व्यवहार्य नहीं।

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण संबंधी योजना के घटक-1 के तहत निधियों का निर्गम

(30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई निधि			
		2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	19.42	1.19	20.61
2.	असम	—	9.87	9.86	19.73
3.	बिहार	—	17.89	—	17.89
4.	छत्तीसगढ़	—	3.35	—	3.35
5.	गोवा	—	1.87	—	1.87
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4.24	—	4.24
7.	जम्मू और कश्मीर	—	6.11	—	6.11
8.	केरल	—	7.30	—	7.30
9.	झारखंड	—	9.47	—	9.47
10.	लक्षद्वीप	—	0.70	—	0.70
11.	मध्य प्रदेश	5.43	11.91	—	17.34
12.	महाराष्ट्र	—	20.92	—	20.92
13.	मणिपुर	2.60	1.64	—	4.24
14.	मेघायल	—	5.51	—	5.51
15.	मिज़ोरम	4.91	—	—	4.91
16.	नागालैंड	3.39	2.14	—	5.53
17.	ओडिशा	11.08	—	—	11.08
18.	पंजाब	7.79	—	—	7.79
19.	राजस्थान	—	—	13.89	13.89

1	2	3	4	5	6
20.	तमिलनाडु	—	11.83	—	11.83
21.	त्रिपुरा	—	5.85	—	5.85
22.	उत्तर प्रदेश	—	28.33	—	28.33
23.	उत्तराखंड	5.24	—	—	5.24
24.	पश्चिम बंगाल	—	15.17	—	15.17
	जोड़	40.44	183.52	24.94	248.90

*तेलंगाना शामिल हैं।

सिमी का पुनर्गठन

1799. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रतिबंधित सिमी की प्रकट और गुप्त गतिविधियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पुनर्गठन से संबंधित कोई जानकारी मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां उक्त संगठन की गतिविधियों की जानकारी मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सिमी की प्रकट और गुप्त गतिविधियां रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जांच एजेंसियों से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की नियमित गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो राज्य की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और जिनमें देश की शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने और सांप्रदायिक ताने-बाने को नष्ट करने की क्षमता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में पूर्व (एक्स) — सिमी कॉडरों के विरुद्ध अनेक प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की सूचना मिली है।

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। सिमी की प्रकट एवं गुप्त गतिविधियों पर काबू पाने के साथ-साथ लोक व्यवस्था एवं शांति कायम रखने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 01 फरवरी, 2014 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत सिमी को पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किया है। पूर्व में भी वर्ष 2001, 2003, 2006, 2008, 2010 और 2012 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था।

[अनुवाद]

कलाकारों को वित्तीय सहायता

1800. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहित, कला और संस्कृति के अन्य समान क्षेत्रों में विख्यात वयोवृद्ध कलाकारों/व्यक्तियों समेत कलाकारों को वित्तीय सहायता/पेंशन/मानदेय देने हेतु निर्धारित मानदंड और दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों से इस संबंध में सरकार को मिले प्रस्तावों/अनुरोधों/आवेदनों का ब्यौरा और इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव/अनुरोध पर की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान लंबित प्रस्तावों/अनुरोधों की संख्या कितनी है और उनके लंबित होने के क्या कारण हैं और कब तक इन्हें स्वीकृति दी जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सांस्कृतिक कलाकारों की वित्तीय सहायता और पेंशन राशि में वृद्धि करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) संस्कृति मंत्रालय, मंचकला अनुदान स्कीम और कलाकार पेंशन एवं कल्याण निधि स्कीम नामक स्कीमें चलाता है, जिसके अंतर्गत साहित्य, कला और संस्कृति के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विख्यात वयोवृद्ध कलाकारों/व्यक्तियों सहित कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित इन स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए संस्तुत प्रस्तावों/अनुरोधों/आवेदनों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II एवं विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देश के उपबंधों के अनुसार, संबंधित विशेषज्ञ समिति की बैठकें समय से नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं और ऐसी बैठकों के प्रारंभ होने से पूर्व प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों/आवेदन पत्रों/अनुरोधों पर विचार करने के लिए इन्हें विशेषज्ञ समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) इस समय सांस्कृतिक कलाकारों की पेंशन राशि सहित वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

मंच कला अनुदान स्कीम

मंच कला अनुदान स्कीम

क. प्रस्तावना

स्कीम का नाम "मंच कला अनुदान स्कीम" होगा। इस स्कीम के अंतर्गत नाट्यकला समूहों, रंग मंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगशाला, एकल कलाकारों और मंच कला कार्यकलापों के सभी प्रकार के स्वरूपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

स्कीम के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं:—

1. निर्माण अनुदान
2. रेपर्टरी अनुदान

ख. अनुदान के लिए पात्रता और मापदंड

(क) निर्माण अनुदान

1. इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान या आर्थिक सहायता, परियोजना या कार्यक्रमों के अनुमोदन के आधार पर दी जाएगी तथा यह तदर्थ प्रकार की होगी। स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चुनी गई परियोजनाओं की अवधि सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

   अनुदान की राशि वर्ष विशेष में सहायता के लिए चुने गए अनुमोदित प्रस्तावों/कार्यक्रमों में शामिल सभी मदों के व्यय के लिए पर्याप्त होगी। अनुदान के उद्देश्य के लिए अनुमोदित मदों के रूप में स्वीकार की गई मदों में प्रचलित दरों पर अनियत कलाकारों सहित कलाकारों को वेतन भुगतान, रिहर्सल के लिए हाल का किराया, पोशाकों की लागत, परिवहन फुटकर खर्च, शोध व्यय आदि शामिल होंगी।

2. निर्माण अनुदान मांगने के लिए आवेदन में सही औचित्य के साथ विस्तृत अनुमानित लागत शामिल की जानी चाहिए जिससे कि विशेषज्ञ समिति वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर अनुदान की सिफारिश पर विचार कर सकें।

3. सहायता के लिए व्यक्तिगत प्रस्तावों का चयन करने में यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि दुर्लभ और परम्परागत कला रूपों को उचित वरीयता देते हुए देश के सभी भागों से विभिन्न कला रूपों और शैलियों का प्रतिनिधित्व हो सके।

4. उन परियोजनाओं को विशेष महत्व दिया जाएगा जिनका उद्देश्य मौलिक लेखन, मौलिक निर्देशन, रंगशाला शोध, रंगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम और दर्शकों के प्रशिक्षण तथा ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के माध्यम से उपजे प्रयोगात्मक और नवाचार तरीकों को प्रोत्साहित करना है।

5. जिन अनुदानग्राहियों को निर्माण अनुदान स्वीकृत हुआ है वे अपने कार्यक्रम के विस्तृत विवरण, संस्कृति मंत्रालय को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि इन्हें संस्कृति मंत्रालय की वेब-साइट पर अपलोड किया जा सके।

6. निर्माण अनुदान मांगने वाले संगठन/व्यक्ति एक वर्ष में केवल एक ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ख) रेपर्टरी अनुदान

1. रेपर्टरी अनुदान सहायता के लिए समूह टोलियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में और गुणवत्ता एक रंगपटल हो और वे अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी हों।

2. वे अनुदान प्राप्तकर्त्ता जो रेपर्टरी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके वेतन अनुदान के नवीकरण की सिफारिश तभी की जाएगी जब वे वित्त वर्ष के दैरान कम-से-कम दो निर्माणों का मंचन करें। इनमें से एक निर्माण नया अर्थात् जो पहले मंचित न किया गया हो, होना चाहिए।

3. इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष समिति द्वारा रेपर्टरी अनुदान का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाएगा।

4. वेतन अनुदान के संबंध में, चौथे वर्ष के पश्चात् अनुदान जारी रखने हेतु वास्तविक सत्यापन अनिवार्य होगा।

ग. स्कीम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन

1. यद्यपि, तत्संबंधी विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट और प्रिंट मीडिया दोनों में ही वार्षिक आधार पर दिया जाएगा, तथापि, आवेदकों द्वारा उक्त आवेदन (विज्ञापन में विहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) वित्त वर्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है, जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष समिति द्वारा आवधिक आधार पर किया जाएगा। आवेदन-पत्र, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) सहित राष्ट्रीय आकादमी कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसीज) और इसी प्रकार के निकायों से विधिवत् रूप से संस्तुत देना चाहिए।

2. आवेदन पत्र के साथ नीचे पैरा-च में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज, संलग्न किए जाने चाहिए। इन दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

घ. चयन का तरीका

1. निर्माण अनुदान/रेपर्टरी अनुदान इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। विशेषज्ञ समिति का गठन दो वर्षों के लिए होगा तथा यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगी। विशेषज्ञ समिति मामला-दर-मामला आधार पर सिफारिशों के लिए अपना औचित्य सिद्ध करेगी।

2. निधियों और अनुदान के लिए आवेदनों की उपलब्धता के आधार पर विशेषज्ञ समिति द्वारा आवधिक रूप से आवेदनों की जांच की जाएगी।

3. मंचकला अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों/प्रस्तावों के संबंध में संस्तुतिकर्त्ता निकाय, इस योजना हेतु विशेषज्ञ समिति से भिन्न होगा।

4. निर्माण अनुदान, 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दो किस्तों के रूप में वितरित किया जाएगा जबकि संगठनों/संस्थानों को वेतन अनुदान वार्षिक रूप से जारी किया जाएगा।

ङ. अनुदान की राशि

1. **रेपर्टरी अनुदान :** 1.4.2009 से लागू, विशेषज्ञ समिति के निर्णयानुसार, अधिकतम 25 कलाकारों और एक गुरू को वेतन अनुदान दिया जाएगा। 1.4.2009 से प्रभावी, प्रत्येक कलाकार/गुरू को सहायता निम्नानुसार दी जाएगी:—

(i)	कलाकार	रुपए 6000/- प्रति माह
(ii)	एक गुरू/निर्देशक	रुपए 10,000/- प्रति माह

2. **निर्माण अनुदान :** 1.4.2009 से प्रभावी, परियोजना के आधार पर संगठन/व्यक्तियों को अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तथापि, वृहत निर्माणों के मामले में, स्कीम के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, माननीय मंत्री के अनुमोदन के अनुदान की ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम के अधीन व्यय स्कीम के अंतर्गत आबंटित परिव्यय एक सीमित होना चाहिए।

टिप्पणी: आवेदक संगठनों को भुगतान अपरिवर्तनीय रूप से प्रचलन के अनुसार, इलैक्ट्रॉनिक मोड/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

च. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

(i) संस्था के संगम ज्ञापन व पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

(ii) आयकर मूल्यांकन आदेश।

(iii) पिछले तीन वर्षों के प्राप्ति और भुगतान लेखे और लेखा-परीक्षक के प्रमाण-पत्र सहित तुलन-पत्र।

(iv) पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

(v) कलाकारों के नाम, गुरू/निर्देशकों के नाम, रिहर्सल लागत, पोशाकों की लागत, परिवहन लागत, शोध लागत, लेखन की लागत, मंचन की लागत आदि का सम्पूर्ण ब्यौरा।

(vi) पिछले वर्षों के निर्माण की प्रेस समीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकट आदि की स्मारिका प्रतिलिपि।

(vii) आवेदन पत्र, सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) सहित, किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसीज) और सदृश स्तर के निकायों से संस्तुत होने चाहिएं।

टिप्पणी: पदम पुरस्कार विजेताओं को, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) सहित किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों और सदृश स्तर के निकायों से संस्तुति प्राप्त करने में छूट दी जाएगी।

छ. स्कीम का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग

संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं का मूल्यांकन यथावश्यक आवधिक निरीक्षणों, क्षेत्रीय दौरों आदि, के माध्यम से किया जाएगा। विशेषकर आवधिक आधार पर रेपर्टरी अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं के लिए।

जहां तक रेपर्टरी अनुदान के नए मामलों का संबंध है, तो प्रत्येक मामले में अनुमोदित अनुदान, मंत्रालय के निर्णयानुसार केवल संगठनों के वास्तविक सत्यापन के पश्चात् ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा 5-10 प्रतिशत नए संस्तुत प्रस्तावों/मामलों को संस्कृति मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा वास्तविक रूप से निरीक्षित/सत्यापित किया जाएगा।

कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि

स्कीम

इस स्कीम को 'कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि' के रूप में जाना जाएगा। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा:—

(i) वर्ष 1961 की स्कीम के अधीन विद्यमान लाभार्थी; और

(ii) लेखकों, कलाकारों आदि के नये मामले, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदान के लिए पात्र हैं।

पात्रता

(i) उक्त स्कीम के अधीन सहायता हेतु पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति का कला और साहित्य आदि में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। परंपरागत विद्वान, अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है, भी पात्र होंगे, चाहे उनकी कोई कृति प्रकाशित न भी हुई हो।

(ii) आवेदक की निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) 4000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) आवेदक की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में यह लागू नहीं है)।

आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म में भरा जाए तथा इसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व भवन, आईएनए, नई दिल्ली को भेजा जाए। केन्द्रीय कोटा से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीधे भी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकता है।

सहायता का स्वरूप

सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। केन्द्र और राज्य कोटे के अधीन अनुशंसित कलाकारों को दिया गया ऐसा भत्ता केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा साझा किया जाएगा, जिसमें से सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रत्येक लाभार्थी को कम-से-कम 500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देगा। ऐसे मामलों में प्रति लाभार्थी को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला मासिक भत्ता 3500/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा और केन्द्रीय कोटा के अधीन संस्तुत मामलों में सहायता की राशि प्रति लाभार्थी 4000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

आवेदकों का चयन

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसाओं के आलोक में, आवेदन के वित्तीय साधनों और प्रसिद्धि केन्द्र-राज्य कोटे के तहत दी जाने वाली सहायता की मात्रा और सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा, निधियों की उपलब्धता पर, तय की जाएगी।

(ii) "केन्द्रीय कोटा" से दी जाने वाली सहायता की राशि और सहायता प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या का निर्णय आवेदक की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के बाद विशेषज्ञ समिति' की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष अवश्य रखा जाएगा।

वितरण

केन्द्री राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोटा : अंतिम रूप से चयन हो जाने पर, केन्द्र सरकार संस्वीकृतियां जारी करती है और सहायता प्राप्तकर्त्ताओं को सहायता की अपनी शेयर राशि जारी करती है तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता का अपना शेयर जारी करने की भी सलाह देती है।

केन्द्रीय कोटा : केन्द्रीय कोटे के मामलों, में, केन्द्र सरकार संस्वीकृत जारी करेगी और सहायता प्राप्तकर्त्ताओं को सीधे ही भुगतान करेगी।

नवीकरण

उपरोक्त उपबंधों के अध्यधीन, स्कीम के अधीन स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ता ऐसी अवधि के लिए होगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाए और/अथवा जो जीवन और आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर जारी रखा जाए।

भत्ता बंद करना

(i) यदि भत्ता प्राप्तकर्त्ता की वित्तीय क्षमता 4000/- रुपए प्रतिमह से अधिक हो जाती है तो उक्त स्कीम के अधीन भत्ते को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) सरकार, अपने विवेक से, भत्ता प्राप्तकर्त्ता को तीन महीने का नोटिस देकर, भत्ते को समाप्त भी कर सकती है।

(iii) कोई भत्ता प्राप्तकर्त्ता, सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ते प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ भी सकता है। ऐसे मामलों में अधिकार छोड़ने के पत्र की तिथि से भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

मृत्यु होने की स्थिति में

भत्ता प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु होने पर, आश्रितों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद, केन्द्र सरकार के विवेक से उपरोक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है।

नोट: वित्तीय सहायता प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु के मामले में भुगतान का तरीका निम्नानुसार होगा:

पति/पत्नी के लिए	—	जीवन पर्यन्त
आश्रितों के लिए	—	विवाह अथवा रोजगार मिलने अथवा 21 वर्षों की आयु होने तक।

राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि

परिचय

: संस्कृति मंत्रालय 1961 से साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नामक स्कीम चला रहा है। एक "राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि" का प्रावधान करने के लिए इस स्कीम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती होने तथा तत्काल कदम उठाए जाने वाली अन्य आकस्मिकताओं के मामलों में इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकारों ओर कलाकारों के आश्रितों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा।

उद्देश्य

इस निधि का उद्देश्य इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने वाले कलाकारों तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रितों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा:—

(क) जब एक कलाकार की मृत्यु हो जाए और उसके आश्रितों की सहायता करना आवश्यक हो।

(ख) जब इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकार को चिकित्सा उपचार/बीमारी के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो और वह अपनी आजीविका चलाने तथा अपने बच्चों की सहायता करने की स्थिति में न हो और/अथवा अपने इलाज के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हो।

(ग) जब किसी कलाकार को आकस्मिक शारीरिक विकलांगता के समय वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।

निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता

(क) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकार तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात् कलाकार पर आश्रित व्यक्ति।

(ख) कलाकार की मृत्यु होने पर, परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय सहायता का तरीका निम्नानुसार होगा:—

(i) पति अथवा पत्नी — कलाकार की मृत्यु के पश्चात् आवश्यकता की स्थिति में सर्वप्रथम वित्तीय सहायता कलाकार के पति अथवा पत्नी को प्रदान की जाएगी।

(ii) आश्रितों के लिए — विवाह होने अथवा रोजगार प्राप्त करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो।

वित्तीय सहायता की सीमा

प्रदान की गई वित्तीय सहायता गैर-आवर्ती प्रवृत्ति की होगी तथा किसी भी अवसर पर वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित सीमा तक प्रतिबंधित होगी:-

(क) उपरोक्त 10.2 (क) के उल्लेखानुसार कलाकार की मृत्यु की स्थिति में — 2 लाख रुपए

(ख) उपरोक्त 10.2 (ख) में उल्लेखानुसार चिकित्सा उपचार हेतु — 1 लाख रुपए

(ग) उपरोक्त 10.2 (ग) में उल्लेखानुसार आकस्मिक शारीरिक विकलांगता में कलाकार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर — 50,000/- रुपए

निधि का प्रशासन

निधि का समग्र प्रशासन संस्कृति मंत्रालय में निहित होगा। यह सहायता विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) द्वारा प्रदान की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकारों/लाभार्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में जीवन/आय प्रमाण-पत्र को मूल रूप से राजपत्रित अधिकारी/काउंसलर/एमपी/एमएलए से विधिवत् सत्यापित कराकर वार्षिक रूप से (प्रत्येक वर्ष) अप्रैल के महीने में भारतीय जीवन बीमा निगम को निम्नलिखित पते पर भेजना आवश्यक है।

प्रबंधक (पीएण्डजीएस),
भारतीय जीवन बीमा निगम,
पीएण्डजीएस विभाग, मंडल कार्यालय-1,
एन्यूटी सैल,
छठा एवं सातवां तल,
जीवन प्रकाश, 25, कस्तूरबा गांधी (के.जी.) मार्ग,
नई दिल्ली-110001

जिस बैंक में लाभार्थी का बैंक खाता हो, उस बैंक के प्रबंधक द्वारा विहित पत्र में विधिवत् सत्यापित बैंक प्राधिकार पत्र, 'स्कीम' के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों द्वारा उपरोक्त पते पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रस्तुत करना होगा, यदि इसे एलआईसी को प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान "मंचकला अनुदान स्कीम" के अंतर्गत प्रदान किए गए राज्य-वार वेतन एवं निर्माण अनुदान

(आंकड़े लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (जून, 14 तक)	
		संगठनों की संख्या	जारी राशि	संगठनों की संख्या	जारी राशि	संगठनों की संख्या	जारी राशि	संगठनों की संख्या	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	15.36	0	0	2	16.80	1	12.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	13	86.87	23	110.99	23	71.10	7	40.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	7.11	2	3.00	14	20.92	1	1.50
4.	असम	18	55.78	23	68.83	52	83.41	14	27.83
5.	बिहार	27	111.57	42	142.49	75	184.94	16	53.38
6.	चंडीगढ़	5	30.57	9	64.075	6	24.18	3	32.40
7.	छत्तीसगढ़	2	63.6	0	0	3	6.43	0	0
8.	दिल्ली	110	487.35	135	559.065	172	565.33	40	106.57
9.	गोवा	1	5.52	1	5.52	2	5.91	3	10.10
10.	गुजरात	10	23.39	12	41.67	14	64.07	3	14.60
11.	हरियाणा	11	38.43	14	41.705	36	69.33	8	10.83
12.	गुजरात	3	9.11	7	10.125	8	34.29	4	17.25
13.	हिमाचल प्रदेश	18	70.01	19	65.095	22	40.71	5	3.12
14.	झारखंड	0	0	4	4.875	6	17.05	2	3.20
15.	कर्नाटक	103	470.84	60	377.49	174	476.23	33	130.31
16.	केरल	26	136.6	36	193.96	51	60.73	10	52.50
17.	मध्य प्रदेश	29	114.27	43	194.377	57	169.96	10	14.61
18.	महाराष्ट्र	51	236.29	50	274.3	89	298.98	22	64.93
19.	मणिपुर	76	370.1	110	660.592	80	259.34	44	254.20
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	00	00
21.	मिज़ोरम	2	3.36	2	10.68	6	47.52	1	8.88
22.	नागालैंड	0	0	2	8.46	6	19.38	1	6.96
23.	ओडिशा	19	89.01	21	89.572	36	108.16	7	12.14
24.	पुदुचेरी	2	12.48	3	18.75	2	4.50	0	00
25.	पंजाब	3	15.03	4	13.65	8	30.24	3	25.72
26.	राजस्थान	10	41.22	26	73.775	36	143.94	6	15.70
27.	सिक्किम	0	0	1	1.50	0	0	0	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	तमिलनाडु	21	87.81	20	75.487	42	161.26	6	19.18
29.	त्रिपुरा	0	0	2	3.00	6	72.32	2	3.27
30.	उत्तर प्रदेश	91	236.18	47	238.334	150	256.49	51	131.46
31.	उत्तर प्रदेश	7	18.8	15	26.192	20	84.53	2	0.5
32.	पश्चिम बंगाल	297	862.49	287	990.633	347	912.72	73	247.66
	कुल योग	960	3,699.15	1020	4,368.19	1545	4,310.77	378	1,321.04

विवरण-III

कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के लिए संस्तुत राज्य-वार आवेदन (विगत तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 की एक संयुक्त बैठक 2 एवं 3 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	11-12, 12-13, 13-14 के दौरान संस्तुत आवेदनों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	बिहार	0
3.	असम	6
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	0
6.	हरियाणा	1
7.	जम्मू और कश्मीर	0
8.	झारखंड	0
9.	कर्नाटक	64
10.	केरल	117
11.	मध्य प्रदेश	12
12.	महाराष्ट्र	106
13.	मणिपुर	19
14.	नागालैंड	2
15.	ओडिशा	33
16.	राजस्थान	1
17.	तमिलनाडु	87
18.	उत्तर प्रदेश	21
19.	पश्चिम बंगाल	14
	योग	542

[हिन्दी]

बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि

1801. डॉ. अरुण कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपजाऊ भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में बंजर और गैर-कृषि योग्य भूमि के विस्तार का आकलन किया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में विकसित करने का है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध आकलन के अनुसार कुल बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि वर्ष (2006-07) में 17.29 मिलियन हैक्टेयर से सीमांत रूप से घटकर वर्ष (2011-12) में 17.23 मिलियन हैक्टेयर रह गई है। बंजर/गैर-कृषि योग्य भूमि के विस्तार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भूमि उपयोग की परिभाषा के अनुसार बंजर में जिसमें पहाड़, रेगिस्तान आदि वाली भूमि भी शामिल है जिसे बहुत अधिक लागत के बिना कृषि भूमि लायक नहीं बनाया जा सकता है। अत: बंजर भूमि को कृषि भूमि में विकसित करने हेतु कोई व्यापक योजना/कार्यक्रम नहीं है। तथापि भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में बंजर भूमि सहित वर्षा सिंचित/अवक्रमित क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

विवरण

भारत में बंजर एवं गैर-कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2011-12
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2098	2024
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	38
3.	असम	1447	1408
4.	बिहार	436	432
5.	छत्तीसगढ़	313	292
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	2595	2552
8.	हरियाणा	103	107
9.	हिमाचल प्रदेश	658	783
10.	जम्मू और कश्मीर	289	312
11.	झारखंड	564	569
12.	कर्नाटक	788	787
13.	केरल	26	18
14.	मध्य प्रदेश	1406	1341
15.	महाराष्ट्र	1719	1728
16.	मणिपुर	1	1
17.	मेघालय	137	132
18.	मिज़ोरम	9	8
19.	नागालैंड	2	2
20.	ओडिशा	840	1063
21.	पंजाब	27	39
22.	राजस्थान	2427	2387
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	502	489
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तराखंड	312	225
27.	उत्तर प्रदेश	507	457
28.	पश्चिम बंगाल	21	15
29.	दिल्ली	16	16
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2
31.	चंडीगढ़	0	0

1	2	3	4
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0
33.	दमन और दीव	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0
	सकल योग	17287	17227
	कुल योग (मिलियन हैक्टेयर)	17.29	17.23

स्रोत: वर्ष 2002-03 से 2011-12 भू-उपयोग सांख्यिकी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, जून-2014.

[अनुवाद]

जैविक खाद्य प्रसंस्करण जोन

1802. **श्री प्रेम दास राई : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देश में विशेष जैविक खाद्य प्रसंस्करण जोन विकसित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिक्किम सहित पर्वतीय राज्यों में विशेषत: ऐसे जोनों को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है; और

(घ) देश में कृषि आधारित जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (घ) सरकार देश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन एवं विकास हेतु अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों (क) मेगा खाद्य पार्कों (ख) एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास अन्य प्रोत्साहन कार्यकलापों, मानव संसाधन विकास स्कीम तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) की 01.04.2012 से शुरुआत की है। एनएमएफपी के निम्नलिखित घटक हैं: (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम (ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम (iii) बूचड़खानों का आधुनिकीकरण स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम (vi) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के सृजन की स्कीम (vii) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण तथा (viii) रीफर वैनें/वाहन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्हीलचेयरों की खरीद

1803. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियक्तजनों को देश के विभिन्न भागों मे हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनावों में वोट डालने के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में व्हीलचेयरों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार देश में समाज के गरीब वर्गों को व्हीलचेयर वितरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वे व्हीलचेयर कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) जी नहीं, हाल ही में सम्पन्न लोक सभा चुनावों में विकलांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें वितरित करने के लिए व्हीलचेयर की खरीद नहीं की है।

चुनाव आचरण नियमावली, 1961 के नियम 49 एन के उपबंधों के अंतर्गत, भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के मुद्दे के निवारण का प्रत्यक्ष प्रावधान है। जिसके अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में पंक्ति में इंतजार किए बिना प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली संसदीय क्षेत्रों में लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विकलांग मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों के संबंध में, मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली ने एक बैठक की थी। बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए स्वयंसेवक/परिचर सहित कम-से-कम उक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाये। मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश ने भी दिनांक 19.04.2014 को लोक सभा आम चुनावों के दौरान, लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद और वाराणसी में आवश्यक प्रबंध करने के लिए एक बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन संसदीय चुनावों क्षेत्रों में नामित मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जायेगी। तद्नुसार, मंत्रालय ने, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर, मंत्रालय, के अंतर्गत एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के माध्यम से जिला कलेक्टरों को लोक सभा आम चुनाव 2014 के दौरान चुनाव वाले दिन उपयोग हेतु व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई। चुनाव के बाद एलिम्को द्वारा ये वापस ले ली गई।

भारत के निर्वाचन आयोग ने भी अपने दिनांक 10.04.2014 के पत्र द्वारा, चुनाव के दिन विकलांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए व्हील चेयर प्रदान करने के विभाग के प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति प्रदान कर दी थी।

संसदीय चुनाव क्षेत्र-वार एलिम्को द्वारा आपूर्ति की गई व्हीलचेयर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1.	दिल्ली	2597
2.	लखनऊ	750
3.	कानपुर नगर	750
4.	इलाहाबाद	750
5.	वाराणसी	750
	कुल	5597

(ग) और (घ) मंत्रालयों की, यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे मानक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए अनुदान सहायता जारी की जाती है जो इस योजना के उद्देश्यों की पुष्टि करते हों ताकि जरूरत मंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दृष्ट से तैयार किये गए आधुनिक उपकरण जिनमें व्हीलचेयर शामिल हैं, प्राप्त करने में मदद की जा सके और इससे विकलांगता के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का संवर्धन किया जा सके। योजना के अंतर्गत ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 20,000/- रुपए से अधिक ना हो, सहायता हेतु कवर किये जाते हैं।

व्यक्तियों का लापता होना

1804. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लापता हुए व्यक्तियों की संख्या और इनमें बच्चों और लड़कियों की पृथक् रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गिरफ्तार किए गए अभियुक्ति, दोषसिद्ध, पता लगाए गए/पता नहीं लगाए गए बच्चों/लड़कियों, की संख्या, दोषसिद्ध की दर और सभी लापता व्यक्तियों को तलाशने हेतु उठाए गए कदम और पृथक् से दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई सलाह का ब्यौरा क्या और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) लापता हुए व्यक्तियों, बच्चों, बालिकाओं के साथ-साथ खोजे गए/नहीं खोजे गए बच्चों/बालिकाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों तथा 30.06.2014 को समाप्त अवधि के यथा उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उक्त आंकड़े, जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संग्रहीत किए गए हैं, उनके 'क्राइम इन इंडिया', 2011, 2012 एवं 2013 (सांख्यिकीय) नामक प्रकाशन में भी संकलित और प्रकाशित किए गए हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत् 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपराध की रोकथाम, जांच-पड़ताल, पंजीकरण और अन्वेषण करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों को अभियोजित करने और साथ ही नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का होता है।

लापता हुए बच्चों-अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों तथा बच्चों को खोजने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 जनवरी, 2012 को एक परामर्शी-पत्र भेजा गया था, जिसमें

लापता हुए और पाए गए बच्चों के संबंध में बेहतर आंकड़ा-संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा शामिल है। दूसरा परामर्शी-पत्र, लापता हुए बच्चों के मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के लिए रिट-याचिका (सिविल) संख्या 2012 की 75 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 25 जून, 2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में "ट्रैक चाइल्ड" के नाम से एक पोर्टल, जिसका उद्देश्य एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत पुनर्वास सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी बच्चों के आंकड़ों को अनुरक्षित करना है, जो लापता हुए/खोजे गए बच्चों का हर-एक विशिट ब्यौरा जैसा कि — भौतिक कारक, गुम होने/बरामद होने का स्थान, विशेष पहचान के चिह्न आदि, जैसे पुलिस थाने में सूचित किए गए हैं, को डाटाबेस में संग्रहीत करने में सक्षम होगा, के सहित अपनी नीतियों में बच्चों और बालिकाओं के लिए और कार्यक्रमों तथा नीतियों की अभिवृद्धि की है। तदुपरांत, सर्ज इंजिन सहित यह विशेष सॉफ्टवेयर, बरामद किए गए बच्चों की पहचान को सुकर बनाने के लिए आईसीपी के विभिन्न पदाधिकारियों की ओर से अपलोड की गई अपनी डाटाबेस की सीमा में बरामद किए गए बच्चों के समरूपी मानदंडों का मिलान करता है। यह बलात्कार के पीड़ितों सहित दुष्कर परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए स्वाधार और अल्प-आश्रय गृह प्राथमिकता है। भारत सरकार महिलाओं को इधर-उधर जाने, काम करने और जीने हेतु उनके लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने हेतु प्रभावी प्रक्रिया का प्रयास कर रही है। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, नुक्कड़ नाटकों, नारी चौपालों, विशेष ग्राम सभा और प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच सतत् जागरुकता पैदा करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2011-14 के दौरान राज्य-वार लापता हुए व्यक्तियों — पुरुषों-महिलाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पुरुष	90	31	78	16
		महिला	121	36	63	18
2.	आंध्र प्रदेश	पुरुष	5464	4986	7102	2541
		महिला	7473	7204	10217	3608
3.	अरुणाचल प्रदेश	पुरुष	25	52	25	3
		महिला	45	95	30	7
4.	असम	पुरुष	1985	1942	1525	314
		महिला	3256	3266	2567	595
5.	बिहार	पुरुष	1079	1012	एनआर	एनआर
		महिला	1033	799	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	पुरुष	226	189	123	45
		महिला	279	250	176	72
7.	छत्तीसगढ़	पुरुष	3357	3544	3165	1289
		महिला	6078	6511	5900	2344

1	2	3	4	5	6	7
8.	दादरा और नगर हवेली	पुरुष	4	6	11	5
		महिला	9	7	24	9
9.	दमन और दीव	पुरुष	13	6	13	6
		महिला	14	12	14	9
10.	दिल्ली	पुरुष	7894	6675	10129	2500
		महिला	7532	6796	10505	2667
11.	गोवा	पुरुष	449	445	419	165
		महिला	444	421	414	166
12.	गुजरात	पुरुष	3737	4266	4425	302
		महिला	6739	7376	7367	524
13.	हरियाणा	पुरुष	2237	2205	1989	411
		महिला	1868	1855	1678	496
14.	हिमाचल प्रदेश	पुरुष	716	600	525	167
		महिला	1038	1000	766	221
15.	जम्मू और कश्मीर	पुरुष	767	1380	622	167
		महिला	889	1217	626	274
16.	झारखंड	पुरुष	0	298	एनआर	एनआर
		महिला	0	675	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	पुरुष	4515	1550	6523	2019
		महिला	6138	2076	8201	2667
18.	केरल	पुरुष	1618	1419	2010	701
		महिला	3101	2880	3603	1341
19.	लक्षद्वीप	पुरुष	6	2	0	0
		महिला	0	0	0	1
20.	मध्य प्रदेश	पुरुष	10660	0	11014	2951
		महिला	18100	0	18672	5376

1	2	3	4	5	6	7
21.	महाराष्ट्र	पुरुष	18749	20661	23632	10380
		महिला	24216	26528	30019	13512
22.	मणिपुर	पुरुष	120	169	68	26
		महिला	120	174	53	20
23.	मेघालय	पुरुष	150	74	एनआर	एनआर
		महिला	182	83	एनआर	एनआर
24.	मिज़ोरम	पुरुष	11	6	3	0
		महिला	7	15	2	2
25.	नागालैंड	पुरुष	105	89	91	41
		महिला	129	136	137	70
26.	ओडिशा	पुरुष	1531	2489	1995	601
		महिला	3420	6523	5167	1701
27.	पुदुचेरी	पुरुष	70	63	80	20
		महिला	115	93	158	66
28.	पंजाब	पुरुष	1440	1566	9424	230
		महिला	957	985	6115	137
29.	राजस्थान	पुरुष	3995	4157	3956	1652
		महिला	6674	7345	6324	2893
30.	सिक्किम	पुरुष	155	350	175	73
		महिला	260	370	361	120
31.	तमिलनाडु	पुरुष	3062	3381	3684	1497
		महिला	4594	5399	6010	2815
32.	त्रिपुरा	पुरुष	317	421	447	153
		महिला	787	865	796	283
33.	उत्तर प्रदेश	पुरुष	5169	5363	एनआर	एनआर
		महिला	3185	3293	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7
34.	उत्तराखंड	पुरुष	906	1165	628	146
		महिला	739	850	398	135
35.	पश्चिम बंगाल	पुरुष	16009	3969	एनआर	एनआर
		महिला	27739	7554	एनआर	एनआर
	कुल (पुरुष)		206173	169666	220444	70570
	कुल (महिला)		233822	177189	220366	70554
	कुल योग		439995	346855	440810	141124

टिप्पणी: 1. एनआर : एनआर का तात्पर्य आंकड़े प्राप्त न होना है।

2. 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2011-14 के दौरान राज्य-वार लापता हुए बच्चों-बालक-बालिकाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पुरुष	19	12	14	4
		महिला	48	15	23	2
2.	आंध्र प्रदेश	पुरुष	2084	1769	2283	779
		महिला	3386	3079	3669	1291
3.	अरुणाचल प्रदेश	पुरुष	23	32	12	0
		महिला	41	64	12	6
4.	असम	पुरुष	835	772	618	116
		महिला	1455	1437	1001	250
5.	बिहार	पुरुष	504	833	एनआर	एनआर
		महिला	385	633	एनआर	एनआर
6.	चंडीगढ़	पुरुष	104	62	46	18
		महिला	107	94	90	34
7.	छत्तीसगढ़	पुरुष	1248	1225	902	321
		महिला	2657	2627	2005	498

1	2	3	4	5	6	7
8.	दादरा और नगर हवेली	पुरुष	2	4	4	5
		महिला	5	2	3	4
9.	दमन और दीव	पुरुष	4	5	4	4
		महिला	4	4	1	3
10.	दिल्ली	पुरुष	2943	2356	3286	782
		महिला	3111	2561	3895	1014
11.	गोवा	पुरुष	108	108	68	15
		महिला	140	161	91	22
12.	गुजरात	पुरुष	1074	1375	973	54
		महिला	2243	2423	1828	101
13.	हरियाणा	पुरुष	698	722	546	121
		महिला	493	489	472	142
14.	हिमाचल प्रदेश	पुरुष	192	178	131	20
		महिला	245	196	125	33
15.	जम्मू और कश्मीर	पुरुष	198	239	202	39
		महिला	243	222	229	73
16.	झारखंड	पुरुष	0	298	एनआर	एनआर
		महिला	0	675	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	पुरुष	1624	473	1865	502
		महिला	2214	617	1977	545
18.	केरल	पुरुष	428	391	578	178
		महिला	855	777	1003	391
19.	लक्षद्वीप	पुरुष	0	0	एनआर	0
		महिला	0	0	एनआर	1
20.	मध्य प्रदेश	पुरुष	4369	0	4076	682
		महिला	7765	0	6972	972

1	2	3	4	5	6	7
21.	महाराष्ट्र	पुरुष	5932	6296	5874	2123
		महिला	8201	9147	9460	3914
22.	मणिपुर	पुरुष	37	63	30	15
		महिला	35	70	16	6
23.	मेघालय	पुरुष	68	38	एनआर	एनआर
		महिला	105	49	एनआर	एनआर
24.	मिजोरम	पुरुष	6	1	0	0
		महिला	3	12	1	2
25.	नागालैंड	पुरुष	84	78	77	38
		महिला	105	92	100	50
26.	ओडिशा	पुरुष	643	1076	711	133
		महिला	1533	2907	1943	348
27.	पुदुचेरी	पुरुष	21	20	20	3
		महिला	53	30	29	15
28.	पंजाब	पुरुष	427	407	2000	61
		महिला	248	329	1082	23
29.	राजस्थान	पुरुष	1635	1423	1133	407
		महिला	2539	2470	1715	552
30.	सिक्किम	पुरुष	24	146	48	16
		महिला	53	132	76	19
31.	तमिलनाडु	पुरुष	961	1095	1090	412
		महिला	1867	2117	2181	917
32.	त्रिपुरा	पुरुष	149	144	136	43
		महिला	374	423	350	124
33.	उत्तर प्रदेश	पुरुष	2368	2317	एनआर	एनआर
		महिला	1461	1540	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7
34.	उत्तराखंड	पुरुष	334	428	240	69
		महिला	280	302	122	60
35.	पश्चिम बंगाल	पुरुष	6825	1316	एनआर	एनआर
		महिला	13429	3640	एनआर	एनआर
	कुल (पुरुष)		34971	25702	67638	18372
	कुल (महिला)		55683	39336	67624	18368
	कुल योग		90654	65038	135262	36740

टिप्पणी: 1. एनआर : एनआर का तात्पर्य आंकड़े प्राप्त न होना है।

2. 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2011-2014 के दौरान राज्य-वार लापता हुई बालिकाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	48	15	23	2
2.	आंध्र प्रदेश	3386	3079	3869	1291
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	64	12	म
4.	असम	1455	1437	1001	250
5.	बिहार	385	633	छै‌ज्31त	तंदत
6.	चंडीगढ़	107	94	90	34
7.	छत्तीसगढ़	2657	2627	2005	498
8.	दादरा और नगर हवेली	5	2	3	4
9.	दमन और दीव	4	4	1	3
10.	दिल्ली	3111	2561	3895	1014
11.	गोवा	140	161	91	22
12.	गुजरात	2243	2423	1828	101

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	493	489	472	142
14.	हिमाचल प्रदेश	245	196	125	33
15.	जम्मू और कश्मीर	243	222	229	73
16.	झारखंड	0	675	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	2214	617	1977	545
18.	केरल	855	777	1003	391
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	1
20.	मध्य प्रदेश	7765	0	6972	972
21.	महाराष्ट्र	8201	9147	9460	3914
22.	मणिपुर	35	70	16	6
23.	मेघालय	105	49	एनआर	एनआर
24.	मिज़ोरम	3	12	1	2
25.	नागालैंड	105	92	100	50
26.	ओडिशा	1533	2907	1943	348
27.	पुदुचेरी	53	30	29	15
28.	पंजाब	248	329	1082	23
29.	राजस्थान	2539	2470	1715	552
30.	सिक्किम	53	132	76	19
31.	तमिलनाडु	1867	2117	2181	917
32.	त्रिपुरा	374	423	350	124
33.	उत्तर प्रदेश	1461	1540	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	280	302	122	60
35.	पश्चिम बंगाल	13429	3640	एनआर	एनआर
	कुल योग	55683	39336	67624	18368

टिप्पणी: 1. एनआर : एनआर का तात्पर्य आंकड़े प्राप्त न होना है।

2. 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नौ सूत्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन — जुलाई, 2006 के बाद से उसके परिणाम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग	2011		2012		2013		2014	
			पता लगे	पता न लगे	पता लगे	पता न लगे	पता लगे	पता न लगे	पता लगे	पता न लगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पुरुष	16	3	5	7	7	7	4	0
		महिला	42	6	7	8	16	7	2	0
2.	आंध्र प्रदेश	पुरुष	1398	686	888	881	1079	1204	387	392
		महिला	2369	1017	1580	1499	1840	2029	617	674
3.	अरुणाचल प्रदेश	पुरुष	16	7	10	22	0	12	0	0
		महिला	31	10	18	46	0	12	0	6
4.	असम	पुरुष	450	385	330	442	275	343	49	67
		महिला	879	576	648	789	413	588	118	132
5.	बिहार	पुरुष	237	267	160	673	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
		महिला	267	118	150	483	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6.	ओडिशा	पुरुष	90	14	30	32	3	43	4	14
		महिला	74	33	35	59	11	79	11	23
7.	छत्तीसगढ़	पुरुष	871	377	988	237	446	456	172	149
		महिला	1654	1003	1840	787	836	1169	211	287
8.	दादरा और नगर हवेली	पुरुष	2	0	4	0	1	3	2	3
		महिला	3	2	2	0	2	1	1	3
9.	दमन और दीव	पुरुष	3	1	4	1	1	3	4	0
		महिला	3	1	4	0	1	0	2	1

10.	दिल्ली	पुरुष	2427	516	1228	1128	1908	1378	452	330
		महिला	2396	715	1315	1246	2031	1864	427	587
11.	गोवा	पुरुष	88	20	90	18	50	18	11	4
		महिला	115	25	131	30	62	29	9	13
12.	गुजरात	पुरुष	637	437	1242	133	581	392	36	19
		महिला	1082	1161	2108	315	790	1038	49	52
13.	हरियाणा	पुरुष	451	247	402	320	330	216	53	68
		महिला	305	188	269	220	302	170	64	78
14.	हिमाचल प्रदेश	पुरुष	172	20	114	64	79	52	12	8
		महिला	221	24	98	98	61	64	18	15
15.	जम्मू और कश्मीर	पुरुष	155	43	110	129	118	84	25	14
		महिला	185	58	87	135	119	110	30	43
16.	झारखंड	पुरुष	0	0	171	127	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
		महिला	0	0	320	355	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17.	कर्नाटक	पुरुष	968	656	194	279	710	1155	174	328
		महिला	1388	826	233	384	717	1260	170	375
18.	केरल	पुरुष	310	118	239	152	407	171	149	29
		महिला	671	184	467	310	687	316	332	59
19.	लक्षद्वीप	पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0
		महिला	0	0	0	0	0	0	1	0
20.	मध्य प्रदेश	पुरुष	3314	1055	0	0	1932	2144	266	416
		महिला	5212	2553	0	0	2828	4144	292	680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	महाराष्ट्र	पुरुष	4702	1230	4665	1631	3776	2098	1311	812
		महिला	6312	1889	6676	2471	5637	3823	2233	1681
22.	मणिपुर	पुरुष	21	16	44	19	22	6	10	5
		महिला	29	6	54	16	15	1	3	3
23.	मेघालय	पुरुष	60	8	31	7	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
		महिला	94	11	30	19	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
24.	मिज़ोरम	पुरुष	6	0	1	0	0	0	0	0
		महिला	3	0	10	2	1	0	1	1
25.	नागालैंड	पुरुष	23	61	18	60	20	57	13	25
		महिला	40	65	42	50	25	75	22	28
26.	ओडिशा	पुरुष	122	521	299	777	229	482	62	71
		महिला	265	1268	499	2408	419	1524	114	234
27.	पुदुचेरी	पुरुष	16	5	12	8	19	1	2	1
		महिला	50	3	22	8	27	2	14	1
28.	पंजाब	पुरुष	198	229	118	289	392	1608	9	52
		महिला	104	144	60	269	172	910	4	19
29.	राजस्थान	पुरुष	1306	329	1150	273	650	483	217	190
		महिला	2085	454	2140	330	898	817	281	261
30.	सिक्किम	पुरुष	19	5	96	50	9	39	0	16
		महिला	30	23	70	62	32	44	0	19

31.	तमिलनाडु	पुरुष	676	285	578	517	630	460	252	160
		महिला	1305	562	1442	675	1349	832	579	338
32.	त्रिपुरा	पुरुष	47	102	37	107	12	124	13	30
		महिला	91	283	68	355	23	327	44	80
33.	उत्तर प्रदेश	पुरुष	1615	753	1410	907	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
		महिला	871	590	895	645	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
34.	उत्तराखंड	पुरुष	236	98	190	238	155	85	27	42
		महिला	193	87	113	189	45	77	26	34
35.	पश्चिम बंगाल	पुरुष	2523	3302	570	746	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
		महिला	4704	8725	1281	2359	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल (पुरुष)		23175	11796	15428	10274	33200	34438	9400	8972
	कुल (महिला)		33073	22610	22714	16622	33193	34431	9396	8972
	कुल योग		56248	34406	38142	26896	66393	68869	18796	17944

टिप्पणी: 1. एनआर : एनआर का तात्पर्य आंकड़े प्राप्त न होना है।

2. 2014 के आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

अधिक पैदावार देने वाले बीज

1805. **श्री निशिकांत दुबे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उनकी मांग के अनुसार अधिक उपज वाले गुणवत्तापूर्ण बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई गुणवत्तापूर्ण बीजों की मात्रा दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न किस्म के अधिक उपज वाले गुणवत्तापूर्ण चावल, दालें और गेहूं आदि के बीजों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में कम कीमत पर अधिक उपज वाले गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अधिक उपज वाले अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध हैं। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष व वर्तमान वर्ष के दौरान मांग की तुलना में देश में प्रमाणीकृत/गुणवत्ताप्रद बीजों की कुल उपलब्धता निम्नलिखित है:–

मात्रा लाख क्विंटल में

वर्ष	मांग	उपलब्धता
2011-12	330.41	353.62
2012-13	315.19	328.58
2013-14	335.26	347.31
खरीफ-2014	145.51	149.37

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) अपने 20 अनुसंधान संस्थानों, 18 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) एवं 4 अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाओं (एआईएनपी) के माध्यम से चावल, दलहन व गेहूं सहित विभिन्न फसलों के लिए फसल सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती है।

चावल के मामले में अखिल भारतीय चावल सुधार समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत 47 केंद्रों के साथ-साथ दो आईसीएआर संस्थान नामत: केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (कटक, ओडिशा) तथा चावल अनुसंधान निदेशालय (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश) चावल सुधार अनुसंधान में शामिल हैं।

77 केन्द्रों के साथ चना, अरहर व मूंग, उड़द, मसूर, लैथरस, अरहर, राजमा व मटर (मुलर्प) संबंधित 3 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के साथ-साथ भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (कानपुर, उत्तर प्रदेश) दलहन के सुधार में शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय शुष्कभूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई), जोधपुर (राजस्थान) में स्थित इकाई जिसके दस केंद्र हैं, के सहयोग से शुष्क फलियों से संबंधित राष्ट्रीक नेटवर्क अनुसंधान परियोजना भी दलहन सुधार कार्यक्रम में शामिल है।

31 केन्द्रों के सहयोग से गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल (हरियाणा) गेहूं व जौ के सुधार से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से गेहूं अनुसंधान में शामिल है।

2009-14 (25.4.2014 तक) की अवधि के दौरान देश के विभिन्न कृषि-जलवायुवीय क्षेत्र के लिए कुल 278 किस्में जारी की गई हैं जिनमें 129 चावल, 95 दलहन व 52 गेहूं की किस्में हैं।

(घ) किसानों को कम कीमत पर अधिक उपज वाले गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार विभाग की जारी स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमाणीकृत बीजों के वितरण पर सहायता/राजसहायता प्रदान करती है।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों को धमकियां

1806. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :**
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमलों की धमकियों संबंधित खुफिया जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों के वाहनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने संबंधी आतंकवादियों की योजना के बारे में खुफिया जानकारी है और इसे केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

(ग) और (घ) इस वर्ष जब से यात्रा आरंभ हुई है, जिला गांदरबल से यात्रा वाहनों पर पथराव करने की कुछ घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन घटनाओं में, एक यात्रा के घायल होने और तीन वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूटने की सूचना मिली है। राज्य सरकार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। सुरक्षा के लिए यात्रा के मार्ग पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)/ जम्मू और कश्मीर पुलिस की 112 कंपनियों की तैनाती के अलावा, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने भी तीर्थयात्रियों के कल्याण के साथ-साथ यात्रा के मार्ग को सहज बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है।

पुलिस कर्मियों की संख्या

1807. डॉ. शशि थरूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनसंख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की संख्या वैश्विक मानदंडों से कम है, जिससे भारत दुनिया का सबसे कम पुलिस वाला देश बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने, विशेषकर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भर्ती के माध्यम से, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.2013 की स्थिति के अनुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत में अखिल भारत स्तर पर प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए पुलिस कर्मिकों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या (पुलिस-जनसंख्या अनुपात) क्रमश: 181.47 और 136.42 है। दिनांक 1.1.2013 की स्थिति के अनुसार भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बीपीआरएंडी द्वारा अन्य देशों के पुलिस और जनसंख्या अनुपात संबंधी कोई सूचना संकलित नहीं की जा रही है। तथापि, वर्ष 2010 में जारी यूएनओडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध "अपराध एवं न्याय संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े" पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, अनेक देशों जैसे कनाड़ा (191.4) इटली (549.9), जापान (199.8), न्यूजीलैंड (187.0), स्पेन (313.30), यूएसए (223.6) में वर्ष 2006 के दौरान भारत से अधिक पुलिस जनसंख्या अनुपात है।

(ग) चूंकि "पुलिस" और "कानून एवं व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1 और 2 में आते हैं इसलिए पुलिस कार्मिकों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बल में पदों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को अपनी पुलिस अवसंरचना को आधुनिक बनाने और अपनी संचालनात्मक सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का सम्पूरित करने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है।

विवरण

दिनांक 1.1.2013' की स्थिति के अनुसार राज्य-वार पुलिस-जनसंख्या अनुपात (स्वीकृत और वास्तविक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर कुल पुलिस	
		स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	150.38	112.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	1010.53	876.17
3.	असम	200.03	177.73
4.	बिहार	88.10	68.81
5.	छत्तीसगढ़	268.92	184.50
6.	गोवा	385.38	288.14
7.	गुजरात	188.15	113.16
8.	हरियाणा	236.33	150.35

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	249.31	208.05
10.	जम्मू और कश्मीर	654.69	606.43
11.	झारखंड	229.05	178.36
12.	कर्नाटक	150.98	117.41
13.	केरल	150.86	142.39
14.	मध्य प्रदेश	122.19	104.92
15.	महाराष्ट्र	181.99	170.01
16.	मणिपुर	1279.63	982.32
17.	मेघालय	492.36	423.98
18.	मिज़ोरम	1099.32	999.12
19.	नागालैंड	1060.35	1057.99
20.	ओडिशा	137.58	109.81
21.	पंजाब	282.24	220.62
22.	राजस्थान	134.45	124.67
23.	सिक्किम	973.72	634.62
24.	तमिलाडु	168.97	138.62
25.	त्रिपुरा	742.30	645.04
26.	उत्तर प्रदेश	178.48	81.01
27.	उत्तराखंड	198.61	175.35
28.	पश्चिम बंगाल	120.40	77.76
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	860.58	732.23
30.	चंडीगढ़	507.94	459.29
31.	दादरा और नगर हवेली	86.32	71.32
32.	दमन और दीव	141.87	85.12
33.	दिल्ली	420.49	391.33
34.	लक्षद्वीप	453.25	358.44
35.	पुदुचेरी	265.70	177.34
	अखिल भारत	181.47	136.42

स्रोत: बीपीआरएंडडी।

[हिन्दी]

कपास और मूंगफली की फसल के लिए मुआवजा

1808. श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया :
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2012-13 के खरीफ के मौसम के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में कपास और मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों के रूप में बीमें के दावे का भुगतान कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में तहत कपास और मूंगफली की फसलों के संबंध में प्रति हैक्टेयर के हिसाब से बीमे का कितना प्रीमियम एकत्रित किया गया था; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीमा दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2012-13 मौसम के दौरान कपास एवं मूंगफली फसलों के लिए किसानों को 77.65 करोड़ रुपए एवं 139.76 करोड़ रुपए के प्रीमियम की तुलना में क्रमशः 303.69 करोड़ रुपए एवं 1854.73 करोड़ रुपए तक के कुल दावों की राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) मूंगफली एवं कपास फसलों के लिए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम क्रमश: 12,102 रुपए एवं 5,775 रुपए था।

(ङ) राज्य सरकार से उपज/मौसम आंकड़ों की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक दावों पर कार्यवाही की जाती है एवं उनका अनुमोदन किया जाता है। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) की नई पुनर्संरचित योजना के संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के घटक के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों, जहां कम-से-कम 50 प्रतिशत फसल उपज नुकसान से गुजर रहे हैं, में तत्काल राहत के यप में 25 प्रतिशत संभावित दावों का अग्रिम भुगतान किया जाता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), एनसीआईपी के अन्य घटक के अंतर्गत जोखिम अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर दावों का निपटान किया जाता है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा

1809. श्री जैदेव गल्ला :
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) :
श्री एम. मुरली मोहन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में योजना मंत्रालय के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, हां। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 02 मार्च, 2014 को हुई बैठक में योजना आयोग को तेरह जिलों वाले उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के निर्णय को कार्यान्वित करने का निदेश दिया था।

(ख) से (घ) जी, हां। योजना आयोग, जिससे इस मामले में संपर्क किया गया था, ने सूचित किया है कि उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 10 वर्ष और 15 वर्ष की अवधि के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग की गई हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। योजना आयोग को श्री चन्द्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यह उनके विचाराधीन है।

खाद्यान्न उत्पाद के लिए लक्ष्य

1810. श्री पी. करुणाकरन :
श्री पी. कुमार :
श्री इदरिस अली :
श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान मॉनसून के दौरान देश में खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी कमी आने की संभावना है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खाद्यान्न के उत्पादन में कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित हैं:—

फसल	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन में)
1	2
कुल खाद्यान्न	261.00

1	2
चावल	106.00
गेहूं	94.00
दलहन	19.50
मोटे अनाज	41.50
तिलहन	33.00
गन्ना	345.00
कपास*	35.00
जूट एवं मेहता**	11.20

*(कपास हेतु 170 किग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठों में)।

**(पटसन एवं मेस्ता हेतु 180 किग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठों में)

भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय तिलहन व ऑयल पॉल मिशन (एनएमओओपी) तथा समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि का कार्यान्वयन करती है ताकि खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, उन्नत बीज/पौध सामग्री का वितरण, आवश्यकता आधारित पौध संरक्षण व मृदा सुधारक, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी/ऊर्जा प्रबंधन, कुशल जल अनुप्रयोग उपस्कर, संरक्षित कृषि, किसान प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सितम्बर के प्रारंभ में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाती है। तथापि, चूंकि खरीफ फसलों की बुवाई अवधि अगस्त के पहले सप्ताह तक है, वर्तमान वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में कमी का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

(ङ) वर्तमान मानसून/खरीफ मौसम में देश के कई भागों में कम वर्षा को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन में कमी को रोकने के लिए राज्यों ने केंद्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के संस्थानों के सहयोग से जिला-वार फसल आकस्मिक योजनाएं तैयार की है। उन्हें लघु आवधिक, सूखा सह्य किस्मों व वैकल्पिक फसलों के बीजों, उर्वरकों की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति व समय पर अन्य महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

किसानों को स्वस्थाने नमी संरक्षण एवं फार्म तालाबों के माध्यम से खेत पर जल संचयन, आदि, रिज फरो, ब्रोड बेड फरो, मल्चिंग, सामयिक खरपत-वार प्रबंधन, सीड ड्रिल/ड्रम सीडर के माध्यम से सीधे बोए गए चावल सहित जीरो टिलेज पद्धतियों जैसी सम्यविज्ञानीय प्रणालियों को बढ़ावा देने, सहभागी धान जैसी धान की लघु आवधिक व सूखा प्रतिरोधक किस्मों के उपयोग, दलहन/तिलहन/मोटे अनाजों के साथ अंतःफसलन एवं मिश्रित फसलन, थियो-यूरिया, केसीएल, केएनओ व हाइड्रोजल आदि जैसे सूखा शामक रसायनों का छिड़काव करने आदि जैसी तकनीकें अपनाने के लिए नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। राज्यों को धान की सामुदायिक नर्सरियों उगाने एवं मोटे अनाजों, दलहन, तिलहन, सब्जियों, चारे आदि जैसी आकस्मिक फसलों के बीजों की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। सरकार नियमित रूप से राज्यों के साथ स्थिति की समीक्षा कर रही है।

[अनुवाद]

कृषि तकनीक का उन्नयन

1811. प्रो. सौगत राय :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में किसानों/काश्तकारों/कृषि श्रमिकों की ओडिशा सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में किसानों/कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई और उपयोग की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से कृषि तकनीक का विकास/उन्नयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) भारत के

महापंजीकार द्वारा की गई गणना 2011 के अनुसार, देश में कृषि कार्मिकों की कुल संख्या जिसमें कृषक एवं कृषि श्रमिक शामिल है, 263.1 मिलियन (118.8 मिलियन कृषक एवं 144.3 मिलियन कृषि श्रमिक) है। कृषि कार्मिक की ओडिशा सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी हैं।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग के कार्यान्वयन के तहत 5 केन्द्रीय प्रायोजित मिशन, 5 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं तथा 1 राज्य प्लान योजना है। योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर राज्यों द्वारा प्रदान की गई तथा उपयोग की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अनुसंधान संस्थानों तथा उनके सहकारी केन्द्रों द्वारा प्री हार्वेस्ट तथा पोस्ट हार्वेस्ट दोनों से संबंधित औजारों/उपकरणों/प्रसंस्करणों/उत्पादों/व्यवसायों के रूप में अनेक कृषि अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है, उसका प्रदर्शन किया गया है तथा उसे बढ़ावा दिया गया है। इनका लक्ष्य कठिन परिश्रम तथा उत्पादन लागत को कम करके कृषि क्षेत्र में कृषि कार्मिकों की कमी को रोकना तथा उत्पादन पद्धति में समग्र संसाधनों की उपयोग क्षमता तथा लाभप्रदता में सुधार लाना है। इसके अलावा, विभिन्न आउटरीच क्रियाकलापों जैसे ऑन-फार्म प्रयोगों, फ्रंटलाइन प्रदर्शनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, किसान मेलें के अंतर्गत वर्षों से विकसित किये गये छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए उपयोगी, कम लागत वाले हथियारों, कम लागत वाले औजारों, उपकरणों, मशीनों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है। कृषि कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए छोटे तथा सीमांत किसान कस्टम हायरिंग आधार पर इन उन्नत फार्म औजारों एवं मशीनरी का उपयोग करने में सामर्थवान होंगे।

विवरण-I

भारत में कृषि कार्मिकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कृषि कार्मिक (मिलियन में)		
		कृषक	कृषि श्रमिक	कुल योग
1	2	3	4	5
	अखिल भारत	**118.81**	**144.33**	**263.14**
1.	जम्मू और कश्मीर	1.25	0.00	1.25
2.	हिमाचल प्रदेश	2.06	0.00	2.06
3.	पंजाब	1.93	0.00	1.93
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
5.	उत्तराखंड	1.58	0.00	1.58
6.	हरियाणा	2.48	0.00	2.48
7.	दिल्ली	0.03	0.00	0.03
8.	राजस्थान	13.62	0.00	13.62
9.	उत्तर प्रदेश	19.06	0.00	19.06
10.	बिहार	7.20	0.00	7.20

1	2	3	4	5
11.	सिक्किम	0.12	0.00	0.12
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.30	0.00	0.30
13.	नागालैंड	0.54	0.00	0.54
14.	मणिपुर (3 उप-भागों को छोड़कर)	0.57	0.00	0.57
15.	मिज़ोरम	0.23	0.00	0.23
16.	त्रिपुरा	0.30	0.00	0.30
17.	मेघालय	0.49	0.00	0.49
18.	असम	4.06	0.00	4.06
19.	पश्चिम बंगाल	5.12	0.00	5.12
20.	झारखंड	3.81	0.00	3.81
21.	ओडिशा	4.10	0.00	4.10
22.	छत्तीसगढ़	4.00	0.00	4.00
23.	मध्य प्रदेश	9.84	0.00	9.84
24.	गुजरात	5.45	0.00	5.45
25.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
26.	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.00	0.03
27.	महाराष्ट्र	12.57	0.00	12.57
28.	आंध्र प्रदेश	6.49	0.00	6.49
29.	कर्नाटक	6.58	0.00	6.58
30.	गोवा	0.03	0.00	0.03
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	केरल	0.67	0.00	0.67
33.	तमिलनाडु	4.25	0.00	4.25
34.	पुदुचेरी	0.01	0.00	0.01
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.00	0.02

टिप्पणी: भारत तथा मणिपुर की जनगणना 2001 के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के मावो परम, पवोमावा तथा पुरल उप-मंडलों को छोड़ दिया गया है।

स्रोत: पीसीए, भारत की जनगणना 2001-2011.

विवरण-II

मिशन/योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य है- क्षेत्र विस्तार के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहनें तथा मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा उत्पादकता बढ़ाना, भू-उर्वरता तथा उत्पादकता को पुन: स्थापित करना, रोजगार अवसरों का सृजन करना, तथा फार्म स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मिशन का मूल उद्देश्य, उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा विस्तार करना है अर्थात् बीज, सूक्ष्म प्रोटीन, भू-सुधार एकीकृत कीट प्रबंधन, फार्म मशीनरी तथा किसानों के क्षमता निर्माण के साथ संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां।

2. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए)

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन को निम्नलिखित कार्यों के लिए तैयार किया गया है जैसे स्थान विशेष एकीकृत/संयुक्त खेती पद्धति को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक उत्पादक, सतत्, लाभकारी तथा जलवायु, लचीला बनाना, उचित भू एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, विस्तृत भू स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवसायों को अपनाना प्रति बूंद में अधिक फसलों को प्राप्त करने के लिए विस्तार को बढ़ाने हेतु सक्षाम जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग अन्य चालू मिशनों के सहयोग से कृषक एवं पनधारियों की क्षमता का विकास करना तथा वर्षा सिंचित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाकर वर्षा सिंचित खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चुनिंदा ब्लॉकों में पाइलेट मोडल।

3. राष्ट्रीय दलहनें तथा पॉप ऑयल मिशन (एनएमओओपी)

इस मिशन का लक्ष्य है- तिलहनों के तहत् क्षेत्र का विस्तार करना, कम उत्पादकता वाले क्षेत्र/जिले में निहित क्षमता को काम में लाना, आदान वितरण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, वृक्ष जन्मे तिलहनों के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर फोकस के अलावा पश्चफसल कटाई सेवाओं को सुदृढ़ करना।

4. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)

इस मिशन के चार घटक है अर्थात् (i) कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई); बीज एवं पौध रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी); कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन (एसएमएएम); तथा पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन (एसएमपीपी), इस मिशन का लक्ष्य कृषि योजनाओं के संबंध में स्थानीय भाषा/उप-भाषा में कृषक समुदायों को जानकारी एवं ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना है।

5. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

इस मिशन का लक्ष्य क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय भिन्न-भिन्न नीतियों के माध्यम से बांस एवं नारियल सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है जिसमें शामिल हैं- प्रत्येक राज्य/क्षेत्र तथा इसके विविधिकृत कृषि जलवायु विशेषताओं तुलनात्मक लाभ के अनुसार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विस्तार, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा विपणन; निर्धारित पैमाने पर विस्तृत अर्थव्यवस्था को लाने के लिए एफआईजी/एफपीओ एवं एफपीसी के रूप में किसानों को कृषक समूहों में परिणत करने को प्रोत्साहित करना; गुणवत्ता जर्मप्लाज्म, पौध रोपण सामग्री तथा सुक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग क्षमता के जरिए बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा पोषाहार सुरक्षा को सुदृढ़ करना एवं उत्पादकता में सुधार लाना।

II. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (एनसीआईपी)

इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं इसके साथ-साथ प्रगतिशील खेती व्यवसायों, उच्च मूल्य आदानों एवं कृषि में उच्चतर प्रौद्योगिकियों को अपनाकर किसानों को प्रोत्साहित भी करना है।

2. एकीकृत कृषि सहकारी योजना (आईएसएसी)

इस योजना का उद्देश्य कृषि प्रसंस्करण, खाद्यान्नों के विपणन, आदान आपूर्ति, कमजोर वर्गों की सहकारिताओं के विकास, सहकारिताओं के कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी सहकारिताओं के क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसके साथ लोगों में सहाकरिता जागृति विकसित करना तथा सहकारी कार्मिकों एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा प्रदान करना एवं प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति भी करना है।

3. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएम)

इस योजना का लक्ष्य राज्य, सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेशों को बैकएंड राजसहायता प्रदान करके कृषि विपणन मूलभूत सुविधाओं

के सृजन को बढ़ावा देना; वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देना; एकीकृत मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा देना (मात्र प्राथमिक प्रसंस्करण के स्तर तक सीमित), प्राथमिक प्रसंस्कर्त्ताओं के साथ किसानों को सीधे एकीकरण प्रदान करना; कृषि विपणन में नई चुनौतियों के अनुकूल किसानों को सुग्राही एवं सुगम विस्तार के रूप में आईसीटी का उपयोग करना; किसानों एवं अन्य पनधारियों द्वारा उनकी क्षमता एवं समयानुकूल उपयोगिता के लिए आगमनों पर बाजार सूचना आंकड़ों एवं मूल्यों के तीव्र संकलन एवं प्रचार-प्रसार हेतु एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क पद्धति की स्थापना करना; किसानों को उनके ग्रेडेड उत्पादों के लिए बेहतर एवं लाभकारी मूल्य संबंधी सहायता करने के लिए ग्रेड मानकों को तैयार करने तथा कृषि जिन्सों के गुणवत्ता प्रमाणीकरण के संबंध में सहायता प्रदान करना; कृषि व्यवसायों परियोजनाओं की स्थापना करने में निजी पूंजीनिवेश को कोटिबद्ध करना तथा इसके पश्चात् उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार प्रदान करना एवं उत्पादकों एवं उनके समूहों के साथ कृषि व्यवसाय परियोजनाओं के बैकवार्ड समान्वय को सुदृढ़ करना; एवं कृषि विपणन क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार एवं परामर्श की शुरुआत करना तथा उसे बढ़ावा देना।

4. एकीकृत कृषि गणना, अर्थ एवं सांख्यिकी योजना (आईएसएसीई तथा एस)

इस योजना का लक्ष्य अंत: गणना अनुमानों के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग हेतु मूल कृषि विशेषताओं के लिए एग्रीगेट प्रदान करने के लिए देश में संचालनात्मक जोतों संबंधी आंकड़ें एकत्र करना/संकलित करना है।

5. सचिवालय आर्थिक सेवाएं (एसईएस)

योजना का लक्ष्य कार्यालय उपकरणों, फर्निचर, कार्यालय के स्थान, कमरों की मरम्मत, ढुलाई सेवाओं, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन व्यय आदि सहित कृषि एवं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना है।

III. राज्य योजना स्कीम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

इस योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में पूंजीनिवेश में बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना किसी भी ऐसे क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध है जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ोत्तरी को बढ़ावा दे सके।

विवरण-III

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर राज्यों के लिए आवंटित, जारी तथा व्यय की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मुख्य परियोजनाएं	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास (आरकेवीवाई)	7729.2	7732.8	6435.2	9110.7	8389.4	8124.3	9791.4	7000.0	4470.4	10054.0	1557.2	0.0
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1377.1	1185.0	1175.0	1998.7	1670.7	1681.3	2600.0	1976.9	1784.5	2306.5	1001.4	0.0
3.	बृहत प्रबंधन योजना (एमएमए)	778.0	778.0	721.9	898.0	714.2	312.9						
4.	एकीकृत तिलहन, दलहन पॉम ऑयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम)	416.4	416.4	394.5	222.8	222.8	300.9	306.2	306.2	291.7	364.7	122.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	उत्तर पूर्व बागवानी मिशन (एचएमएनई)	415.9	414.4	414.4	423.0	393.2	393.2	488.1	479.2	445.5	549.0	114.9	0.0
6.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)	1243.1	988.6	1118.4	1293.7	1031.8	1026.7	1440.8	1658.2	1657.9	1542.8	475.0	0.0
7.	राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन (एनएमएमआई)	1342.0	1226.0	1097.0	1494.0	1202.0	1231.8	1555.3	1271.5	1267.9	1555.3	530.0	0.0
8.	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम हेतु समर्थन (एटीएमए)	489.3	428.6	441.8	597.4	506.9	542.7	545.9	479.7	569.1	536.7	87.1	9.0
9.	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	110.9	84.9	75.3	112.2	85.9	65.0	142.6	125.8	122.7	112.9	27.7	0.0
10.	कपास प्रौद्योगिक मिशन (टीएमसी)	11.0	8.3	12.6	11.9	8.6	8.8	11.9	7.3	6.5			

*20 जून, 2014 के अनुसार।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोटे में कमी

1812. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर :
श्री सी.एन. जयदेवन :
श्री ओम बिरला :
श्री चांद नाथ :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को केवल कुछ राज्यों में ही लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में यह पूर्णतया/अंशत: लागू किया गया है;

(ख) क्या इस बात की रिपोर्ट मिली है कि कुछ राज्यों, जहां एनएफएसए को लागू किया गया है, में लाभार्थियों की संख्या तथा उनके हकों में की की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार चिन्हित लाभार्थियों के अनुपात में खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो राज्य इस कमी से किस प्रकार निपटेंगे और चालू वर्ष के दौरा राज्य-वार कितने लाभार्थियों की पहचान की गई है तथा खाद्यान्न आवंटित किया गया है; और

(घ) क्या केरल सहित कुछ राज्यों ने एनएफएसए को सभी जगह लागू करने तथा इसके अनुसार खाद्यान्न का आवंटन करने का अनुरोध किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) दिनांक 05.07.2013 से लागू माना जाता है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए 365 दिनों से अनधिक अवधि का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कवरेज के लिए लाभभोगियों की पहचान के संबंध में दी गई सूचना के आधार पर 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन प्रारंभ हो गया हैं इनमें से 6 राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान ने इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के अनुसार पहचान का कार्य पूरा कर लिए जाने की सूचना दी है तथा शेष 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा चंडीगढ़ में पहचान का कार्य आंशिक रूप से किया गया है।

(ख) मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज दिनांक 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित जनसंख्या तथा वर्ष 1993-94 के संबंध में गरीबी अनुमानों पर आधारित है। तद्नुसार, बीपीएल श्रेणी (अंत्योदय अन्न योजना सहित) के अंतर्गत लगभग 6.5 करोड़ परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के अंतर्गत शेष लगभग 11.5 करोड़ परिवार शामिल किए गए हैं। तथापि, एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता के अध्यधीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज को गरीबी अनुमानों से पृथक् कर दिया गया है। तथा इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवरेज अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक है।, जिसके अनुरूप राज्य-वार क्रवरेज योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति अथवा लगभग 16.57 करोड़ परिवार राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनसंख्या तथा परिवारों का राज्य-वार कवरेज ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है, मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत कवरेज से काफी अधिक है।

इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट राज्य-वार कवरेज तथा खाद्यान्नों की हकदारी के अनुसार 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हो रहे आबंटन से कम होने का अनुमान है। इसका समाधान करने के लिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी राज्य को किया गया खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के औसत वार्षिक उठान से कम है तो इसे संरक्षित किया जाएगा।

(ग) जिन 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहचान किए गए लाभभोगियों की संख्या के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट मूल्यों पर उन्हें खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। किसी राज्य को किया गया खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के औसत वार्षिक उठान से कम होने की स्थिति में उसके औसत उठान को संरक्षित करने के लिए चावल के लिए 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के लिए 6.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त 'टाइड ओवर' आबंटन किया गया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केरल सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सर्वसुलभ कवरेज के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कवरेज तथा हकदारियां खाद्यान्नों के उत्पादन तथा खरीद के हाल के रुझानों को ध्यान में रखकर की गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खाद्यान्नों का वर्तमान मासिक आबंटन (टन में)		
		चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	0	66250	66250
2.	राजस्थान	0	232631	232631
3.	दिल्ली	3785	13596	17381
		7538	22831	30369$
4.	हिमाचल प्रदेश	6395	9101	15496
		8946	17891	26837$
5.	पंजाब	0	72510	72510
6.	कर्नाटक	206362	0	206362
7.	छत्तीसगढ़	107573	0	107573

1	2	3	4	5
8.	महाराष्ट्र	164636	210497	375133
9.	चंडीगढ़	397.1	595.65	992.75
		0	1608.25	1608.25$
10.	मध्य प्रदेश	66366	184597	265463*
11.	बिहार	245745	163830	409575

$'टाइड ओवर' आबंटन दर्शाता है। शेष आबंटन एनएफएसए मूल्यों पर है।

*इसमें 1/- रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 14500 टन मक्के का आबंटन शामिल है।

[अनुवाद]

इको-रिजॉर्ट्स के लिए कानूनी दर्जा

1813. श्री शिवकुमार उदासि : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इको-रिजॉर्ट्स और होम स्टेज़ जैसे प्रतिष्ठानों को पृथक कानूनी दर्जा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय की इको-रिजॉर्ट्स और होम स्टेज जैसे प्रतिष्ठानों को पृथक् कानूनी दर्जा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय इस विषय पर योजना/दिशानिर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को वर्गीकृत करता है।

आपदा प्रबंधन हेतु सहायता

1814. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री पी.पी. चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता, उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्वरित कार्रवाई दलों के गठन का कोई प्रस्ताव है, जिसमें स्थानीय आबादी भी शामिल होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां।

आपदा प्रबंधन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर संभारकीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित करती है। भारत सरकार ने अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए आबंटित निधि के साथ प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) का गठन किया है। एसडीआरएफ में आबंटन का 5% तक उपकरण की अधिप्राप्ति पर खर्च किया जा सकता है। राज्य के पास आपदा निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने पर, राज्य को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से उपलब्ध कराई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के माध्यम से आपदा प्रबंधन में शामिल राज्य के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुकर बनाती है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने वर्ष 2011 में 1296 कार्मिकों, वर्ष 2012 में 1275 कार्मिकों, वर्ष 2013 में 1851 कार्मिकों और वर्ष 2014 में अब तक 1212 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने आपदा जोखिम प्रशमन में सिविल डिफेंस को मुख्यधारा में लाने की एक योजनागत स्कीम मंजूर की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, पहचाने गए सबसे असुरक्षित 140 जिलों में उपकरण के साथ क्यूआरटी वाहन उपलब्ध कराती है।

विवरण

वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के राज्य-वार आबंटित और निर्गम

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	एनडीआरएफ के तहत आवटन				जारी एसडीआरएफ में केन्द्र का अंशदान				एनडीआरएफ से जारी			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (आज तक)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (आज तक)
1.	आंध्र प्रदेश	534.28	560.99	589.04	367.26 @	300.71	420.74	520.89	—	257.61	0.00	763.53	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.58	40.51	42.54	44.67	34.72	36.46	38.29	20.10	0.00	100.44	140.46	10.74
3.	असम	276.96	290.81	305.35	320.62	124.63	454.995 #	68.77	137.41 #	0.00	45.00	0.00	0.00
4.	बिहार	351.21	368.77	387.21	406.57	131.705	276.58	290.41	—	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	158.89	166.83	175.17	183.93	116.33	122.145 #*	128.25 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	3.11	3.27	3.43	3.60	2.275 #	1.165 #*	3.735 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	527.23	553.59	581.27	610.33	395.42 #	415.19	435.95	228.875	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	202.55	212.68	223.31	234.48	0.00 *	75.95 #*	235.46 #	83.740 #	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	137.30	144.17	151.38	158.95	123.57	129.75	136.24	71.53	0.00	0.00	95.84	1.419
10.	जम्मू और कश्मीर	181.08	190.13	199.64	209.62	0.00 *	77.605 #*	423.93 #	89.84 #	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	272.42	286.04	300.34	315.36	204.32	214.53	225.26	—	0.00	0.00	0.00	82.77
12.	कर्नाटक	169.01	177.46	186.33	195.65	126.76	133.10	139.75	73.37	0.00	679.54	245.68	0.00
13.	केरल	137.63	144.51	151.74	159.33	103.22	54.19 *	121.51	59.75	0.00	0.00	61.74	0.00
14.	मध्य प्रदेश	412.39	433.01	454.66	477.39	231.965	324.76	341.00	—	0.00	0.00	502.59	83.13
15.	महाराष्ट्र	464.82	488.06	512.46	538.08	140.32	357.33 #*	567.375 #	—	0.00	1022.67	1269.11	0.00

16. मणिपुर	7.58	7.96	8.36	8.78	6.66 #	10.57 #	7.52	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
17. मेघालय	15.38	16.15	16.96	17.81	13.52 #	6.92 #*	22.53 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
18. मिज़ोरम	8.98	9.43	9.90	10.40	7.89 #	8.30 #*	13.145 #	—	0.00	0.00	0.00	0.00
19. नागालैंड	5.22	5.48	5.75	6.04	0.00 *	11.87 #*	5.18	2.72	0.00	0.00	36.60	0.00
20. ओडिशा	411.16	431.72	453.31	475.98	308.37	323.79	419.99	—	678.65	0.00	750.00	0.00
21. पंजाब	234.07	245.77	258.06	270.96	171.30 #	272.105 #	193.55	—	0.00	0.00	0.00	0.00
22. राजस्थान	630.69	662.22	695.33	730.10	698.27 #	496.67	521.50	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23. सिक्किम	23.89	25.08	26.33	27.65	31.74	22.57	23.70	12.445	200.38	0.8668	1.018	0.00
24. तमिलनाडु	308.20	323.61	339.79	356.78	231.15	121.355 *	376.19 #	—	500.00	0.00	453.87	0.00
25. तेलंगाना	—	—	—	251.23 @	—	—	—	—	—	—	—	0.00
26. त्रिपुरा	20.28	21.29	22.35	23.47	26.94 #	9.58 *	29.70 #	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
27. उत्तर प्रदेश	404.66	424.89	446.13	468.44	303.50	318.67	334.60	175.665	0.00	0.00	0.00	0.00
28. उत्तराखंड	123.54	129.72	136.22	143.02	0.00 *	205.595 #*	145.00 #	—	0.00	0.00	329.50	0.00
29. पश्चिम बंगाल	320.07	336.07	352.87	370.51	240.05	252.05	264.65	—	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	6381.18	6700.22	7035.23	7387.01	4075.40	5154.53	6034.08	1243.745	1636.64	1848.52	4649.94	178.06

*पहले जारी की गई निधियों को जमा न करने, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सूचना उपलब्ध न कराए जाने की वजह से एसडीआरएफ में केन्द्र का अंशदान जारी नहीं किया गया।

#एसडीआरएफ की पिछले वर्ष की बकाया राशि सहित।

@आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एसडीआरएफ का आबंटन वर्ष 2014-15 के लिए 60:40 के अनुपात में बांटा गया है।

फसल अपशिष्ट को बायोचार में बदलना

1815. **श्री फिरोज़ वरुण गांधी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे कार्यक्रमों की पहल करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल के अपशिष्ट को बायोचार में बदलने, जिसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में और भू-उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जा सके, के बारे में शिक्षित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) फसल अवशिष्टों का बायोचार में अंतरण एवं मृदा सुधार के रूप में मृदाओं में इसका अनुप्रयोग मृदा गुणवत्ता व उत्पादकता में सुधार करने के अलावा मृदाओं में बायोमंडलीय कार्बन के पृथककरण के लिए एक नया दृष्टिकोण है। इसके अलावा, बायोचार का उत्पादन व मृदा में इसका अनुप्रयोग मृदा जल अवधारणा गुणों में वृद्धि, सैचुरेटिड जलीय संवाहकता और पोषक तत्व उपलब्धता में वृद्धि करता है। इसने इस क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों की रुचि को बढ़ाया है। केंद्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद ने यह संकेत दिया है कि बायोचार का उत्पादन कपास, रेड ग्राम, मक्का, अरहर एवं एरंड के डंठलों से किया जा सकता है। सीआरआईडीए में कम लागत वाले पोर्टेबल तापन अट्ठे (चारिंग किल्न) का विकास किया गया है। जलवायु सह्य कृषि संबंधी राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए) के अंतर्गत किए गए अनुसंधान ने आंध्र प्रदेश की लाल मृदाओं में बायोचार के अनुप्रयोग की उपयोगिकता को स्पष्ट किया। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल ने विभिन्न मूल के बायोमास से बायोचार के उत्पादन हेतु इष्टतम स्थितियों के मानकीकरण एवं मृदा के गुणों व फसल वृद्धि पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के किसान, जिन्होंने केवीके व सीआरआईडीए के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, को बायोचार उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

सरकार तदनुसार किसानों के बीच पर्याप्त जागरुकता लाने एवं विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार सुधार कार्यक्रमों (एटीएमए स्कीम), कृषि विस्तार हेतु मास मीडिया समर्थन; कृषि क्लिनिक व कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना व किसान कॉल केंद्र स्कीम जैसी पहलों के जरिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार व प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के अंतर्गत कृषि विस्तार से संबंधित उप-मिशन (एसएमएई) के अंतर्गत उन्हें शिक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में स्थानिक व मौसम परामर्श सूची के रूप में व उनकी फसल अधिमानता के अनुसार एसएमएस पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनज़र प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन को बढ़ावा

1816. **श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि से संबंधित पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और तीर्थस्थलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्रीय सहित देश में ऐतिहासिक स्थलों/किलों/पर्यटन स्थलों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) कृषि, चिकित्सा और तीर्थ पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष सीएफए प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए परस्पर प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल (जेसीआई) अथवा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हास्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों अथवा आयुष अथवा एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त निरोगता केन्द्रों के प्रतिनिधियों और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं अर्थात् ट्रैवेल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों को विदेशी बाजारों में निरोगता और चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस योजना के तहत जैसा कि ऊपर कहा गया है पात्र स्टेकहोल्डरों को अनुमोदित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया की लागत और बूथ के निर्माण, स्थान किराए पर लेने, बिजली और पानी पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए 2.00 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। एमडीए योजना के तहत वित्तीय

सहायता योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर दी जाती है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 30.06.2014 तक एमडीए योजना के तहत पात्र स्टेकहोल्डरों को 1,15,37,282/- रुपए की कुल सहायता की प्रतिपूर्ति की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय इंक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभियान चलाकर; रोड शो, भारत परिचय सेमिनार आयोजित करके; प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेकर तथा साथ ही निरोगता तथा चिकित्सा पर्यटन पर केंद्रित समारोहों/सेमिनारों/सम्मेलनों में सहायता देकर अन्य बातों के साथ-साथ समग्र तरीके से विदेशी पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कृषि, तीर्थ, निरोगता और चिकित्सा पर्यटन सहित भारतीय गंतव्यों और उत्पादों का भी संवर्धन करता है।

महाराष्ट्र सहित ऐतिहासिक स्थलों, किलों, पर्यटक स्थलों के परिरक्षण और विकास पर केंद्रित पर्यटन परियोजनाओं सहित पर्यटन परियोजनाओं, जिनके लिए गत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान 30.06.2014 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत/निर्मुक्त की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों (2010 से 2013) और चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2014 तक विभिन्न चिकित्सा/पर्यटन स्टेक होल्डरों को बाजार विकास साहयता के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता

वर्ष	प्रतिपूर्ति की गई राशि रुपए में
2011-12	15,26,759
2012-13	19,13,018
2013-14	10,27,970
2014-15	70,69,535
कुल	1,15,37,282

विवरण

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और राशि* की राज्य-वार सूची*

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.08	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	4.98	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.75	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.80	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	5	29.80	1	33.71
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	27	112.86	45	85.47
16.	झारखंड	6	48.15	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.76	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	21.95	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	6	79.64	6	67.95
21.	मणिपुर	5	30.73	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.50	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.91	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.45	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	11.95	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.39	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.50	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.15	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.75	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.44	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.66	2	12.97	30	265.33

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.66	136	929.84	261	1801.54

*इसमें गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव तथा ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

बिहार में नक्सली हिंसा

1817. श्री कीर्ति आजाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में नक्सल हिंसाओं की अधिक घटनाओं की खबरे हैं;

(ख) यदि हां, तो सामने आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सुरक्षाकर्मी और नागरिक घायल हुए/मारे गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय, विशेष अवसंरचना योजना और समेकित कार्य योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता जारी और उपयोग की गई; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) चालू वर्ष के वामपंथी उग्रवादी हिंसा के स्तर के संदर्भ में छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद बिहार, तीसरा सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 11 जुलाई, 2014 तक) के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं, मारे गए सिविलियनों और मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए है। घायल हुए सिविलियनों और सुरक्षा बल कर्मियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेष अवसंरचना योजना और एकीकृत कार्य योजना तहत जारी की गई और उपयोग की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना प्रतिपूर्ति योग्य प्रकृति की होने के कारण व्यय का वहन पहले राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसकी केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह से निपटाने के लिए केन्द्र सरकार चार प्रकार की रणनीति अपनाती है — सुरक्षा संबंधी उपाय: विकास संबंधी उपाय; स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करना तथा जन-अवधारणा प्रबंधन, जिनमें व्यापक श्रेणी की योजनाओं और उपायों के अतिरिक्त यह राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित करती है।

सुरक्षा संबंधी उपायों में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को सीधे तैनात करने के लिए अलावा भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों में राज्यों को हेलीकॉप्टर मुहैया करना, विद्रोही-रोधी एवं आतंकवादी रोधी विद्यालयों की स्थापना, इंडिया रिजर्व बटालियानों के गठन हेतु सहायता प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आचूना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

विकास के मोर्चे पर, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना (पुरानी एकीकृत कार्रवाई योजना के स्थान पर) और सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I) आदि जैसी विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों, जो पीढ़ियों से इन जंगलों में निवास कर रही हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को रिकॉर्डबद्ध नहीं किया जा सका है, को मान्यता प्रदान करने और उन्हें वनभूमि में वन-अधिकारों और व्यवसाय से समृद्ध करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है इनके नियम दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किउ गए थे और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें और संशोधन किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जन अवधारण प्रबंधन के अंतर्गत, केंद्र सरकार मीडिया के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार के अभिमत की जानकारी देने के लिए मीडिया योजना कार्यान्वित कर रही है।

भारत सरकार का यह मानना है कि संतुलित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकास संबंधी प्रयत्न और शासन में सुधार के संयोजन के दीर्घावधि में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित विद्रोह का प्रभावकारी रूप से मुकाबला किया जा सकता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 11.07.2014 तक) के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं, मारे गए सिविलियनों और मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों (एसएफ) की राज्य-वार संख्या

राज्य	2011			2012			2013			2014 (11.07.2014) — अनंतिम		
	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक
आंध्र प्रदेश	54	9	0	67	12	1	28	7	0	12	1	0
बिहार	316	60	3	166	34	10	177	42	27	99	18	6
छत्तीसगढ़	465	124	80	370	63	46	355	67	44	184	35	37
झारखंड	517	149	33	480	134	29	387	122	30	202	44	6
कर्नाटक	1	1	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0
केरल	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0
मध्य प्रदेश	8	0	0	11	0	0	1	0	0	2	0	0
महाराष्ट्र	109	44	10	134	27	14	71	13	6	45	12	11
ओडिशा	192	39	14	171	31	14	101	28	7	67	14	0
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	8	3	1	8	3	1
उत्तर प्रदेश	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	92	43	2	6	0	0	1	0	0	0	0	0
असम	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	1760	469	142	1415	301	114	1136	282	115	620	127	61

विवरण-II

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना – वर्ष 2011-12 से 2014-15 (30.06.2014) की स्थिति के अनुसार) के दौरान जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंध्र प्रदेश	1072.77	1512.82	1798.02	509.56
बिहार	1364.91	786.83	1710.89	1344.67
छत्तीसगढ़	4237.08	5074.01	4214.41	1480.50
झारखंड	7535.95	6754.94	4778.74	2471.30
मध्य प्रदेश	27.50	65.05	55.75	70.00
महाराष्ट्र	762.91	460.44	738.51	632.50
ओडिशा	2156.62	1531.34	4813.30	1823.31
तेलंगाना	–	–	–	509.56
उत्तर प्रदेश	200.01	550.11	533.28	133.12
पश्चिम बंगाल	1390.68	1330.70	2065.10	713.19
कुल	18748.43	18066.24	20708.00	9687.71

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) – वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान जारी और उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य	2011-12		2012-13	2013-14		2014-15	
	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	*जारी निधियां	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	2377.16	1032.15	शून्य	999.00	शून्य	700.00	शून्य
बिहार	3465.71	2387.71	शून्य	1505.70	शून्य	–	शून्य
छत्तीसगढ़	3040.53	2937.43	शून्य	1634.09	शून्य	1655.47	शून्य
झारखंड	3561.35	1656.35	शून्य	1652.33	शून्य	–	शून्य
मध्य प्रदेश	747.73	227.04	शून्य	–	शून्य	–	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	434.25	274.05	शून्य	—	शून्य	—	शून्य
ओडिशा	4047.27	3644.81	शून्य	1622.25	शून्य	—	शून्य
तेलंगाना	—	—	शून्य	—	शून्य	300.00	शून्य
उत्तर प्रदेश	440.84	433.03	शून्य	—	शून्य	—	शून्य
पश्चिम बंगाल	467.17	—	शून्य	—	शून्य	—	शून्य
कुल	18582.01	12592.57	शून्य	7413.37	शून्य	2655.47	शून्य

*नोट वर्ष 2012-13 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी क्योंकि सीसीईए द्वारा दिनांक 02.04.2013 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 के समाप्त होने के पश्चात् योजना को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (पहले एकीकृत योजना के रूप में जाना जाता था) के तहत जारी/आबंटित और उपयोग की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय#
आंध्र प्रदेश	240.00	163.06	210.00	204.46	117.10	128.77	120.00	13.55
बिहार	270.00	150.32	190.00	185.39	158.38	275.69	330.00	34.58
छत्तीसगढ़	300.00	284.85	300.00	330.57	238.38	237.60	420.00	5.63
झारखंड	510.00	531.01	510.00	346.45	184.19	336.22	510.00	89.95
मध्य प्रदेश	240.00	221.35	300.00	276.65	148.38	245.53	300.00	33.86
महाराष्ट्र	60.00	46.50	50.00	46.57	50.00	41.34	120.00	1.89
ओडिशा	540.00	527.30	540.00	396.38	222.57	577.36	540.00	28.47
तेलंगाना*	0	0	0	0	0	0	120.00	0
उत्तर प्रदेश	90.00	24.74	60.00	61.10	60.00	90.85	90.00	6.49
पश्चिम बंगाल	90.00	58.71	90.00	94.04	30.00	33.86	90.00	2.29
कुल	2340.00	2007.84	2250.00	1941.61	1209.00	1967.22	2640.00	216.71

*वर्ष 2014-15 से आंध्र प्रदेश से नया राज्य (तेलंगाना)

#दिनांक 16.07.2014 के अनुसार व्यय।

जनमैत्री पुलिस परियोजना

1818. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनमैत्री पुलिस परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा देश के सभी राज्यों में उक्त परियोजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में पर्यटन

1819. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन उद्योग के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन राज्यों को बढ़ावा/प्रोत्साहन देने संबंधी सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2013 के दौरान देश में शीर्ष 10 राज्यों का योगदान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) की कुल संख्या में लगभग 84.9% और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) की कुल संख्या में 89.9% था। डीटीवी और एफटीवी के संदर्भ में शीर्ष दस राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय डीटीवी और एफटीवी के संदर्भ में 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रति वर्ष प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परिपथों के विकास के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

डीटीवी और एफटीवी के संदर्भ में दस शीर्ष राज्य

	डीटीवी के संदर्भ में दस शीर्ष राज्य		एफटीवी के संदर्भ में दस शीर्ष राज्य	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीटीवी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफटीवी
1.	तमिलनाडु	244232487	महाराष्ट्र	4156343
2.	उत्तर प्रदेश	226531091	तमिलनाडु	3990490
3.	आंध्र प्रदेश	152102150	दिल्ली	2301395
4.	कर्नाटक	98010140	आंध्र प्रदेश	2054420
5.	महाराष्ट्र	82700556	राजस्थान	1437162
6.	मध्य प्रदेश	63110709	पश्चिम बंगाल	1245230
7.	राजस्थान	30298150	केरल	858143
8.	गुजरात	27412517	बिहार	765835
9.	पश्चिम बंगाल	25547300	कर्नाटक	636378
10.	छत्तीसगढ़	22801031	गोवा	492322

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.8	10	104.97	25	181.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.7	17	66.33	11	74.74
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0	0.00
4.	असम	5	11.1	0	0.00	0	0.00
5.	बिहार	0	0	0	0.00	14	111.10
6.	चंडीगढ़	2	0.3	0	0.00	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	0.4	0	0.00	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	4	2.7	1	24.37	2	57.69
11.	गोवा	1	5	2	0.50	0	0.00
12.	गुजरात	3	51.8	1	4.87	0	0.00
13.	हरियाणा	6	0.8	0	0.00	8	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.5	5	29.80	1	33.71
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.2	27	112.86	45	85.47
16.	झारखंड	6	48.2	2	48.86	1	5.00
17.	केरल	7	23.8	6	78.26	10	46.68
18.	कर्नाटक	6	22	0	0.00	8	32.29
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.8	6	79.64	6	67.95

21.	मणिपुर	5	30.7	1	0.50	11	214.38
22.	मेघालय	3	0.5	2	0.68	1	0.47
23.	मिज़ोरम	7	13.9	4	1.12	10	47.11
24.	मध्य प्रदेश	8	40.4	16	206.50	9	100.21
25.	नागालैंड	19	65.5	17	47.60	9	52.22
26.	ओडिशा	6	12	2	0.61	12	65.43
27.	पुदुचेरी	4	0.3	0	0.00	1	48.48
28.	पंजाब	2	4.4	0	0.00	2	10.39
29.	राजस्थान	3	14.5	0	0.00	10	51.75
30.	सिक्किम	8	25.2	4	20.75	11	104.35
31.	तमिलनाडु	6	20.8	2	20.42	0	0.00
32.	त्रिपुरा	6	15.4	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	11	51	7	21.29	24	130.13
34.	उत्तराखंड	14	102.7	2	12.97	30	265.33
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.8	2	46.94	0	0.00
	कुल योग	223	927.7	136	929.84	261	1801.54

*इसमें गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और मेले तथा उत्सवों तथा ग्रामीण पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्मारकों के संरक्षण हेतु धनराशि

1820. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार धन की कमी के कारण इन योजनाओं को लागू करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन योजनाओं और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण का कार्य स्कीम/बजट शीर्ष "प्राचीन स्मारकों का संरक्षण" के अधीन किया जाता है और इस उद्देश्यार्थ पर्याप्त निधि प्रदान की जाती है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संरक्षित स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों के संरक्षण के लिए किया गया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय और चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए आबंटन का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा का नाम	2011-12 में किया गया व्यय	2012-13 में किया गया व्यय	2013-14 में किया गया व्यय	लेखा अनुदान 2014-15 के तहत किया गया आबंटन
1	2	3	4	5	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	544.49	737.49	957.97	390.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1208.00	1047.49	944.99	338.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	310.70	494.00	493.00	230.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	359.00	414.99	415.00	180.00
5.	कर्नाटक	बेंगलुरु मंडल	1041.00	1131.00	1253.00	467.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	943.98	793.00	993.79	385.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	607.90	708.50	716.99	270.00
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	289.98	455.22	280.00	156.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	433.08	378.75	448.18	173.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	चेन्नई मंडल	530.00	500.03	845.00	306.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	529.99	685.92	795.92	285.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	62.81	105.00	155.86	60.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	927.39	1100.98	1300.19	408.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	107.99	144.50	57.00
15.	सिक्किम को छोड़कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	गुवाहाटी मंडल	213.32	207.25	147.24	112.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	445.49	435.00	521.48	190.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	640.00	890.00	1068.43	366.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	383.96	275.04	263.00	118.00

1	2	3	4	5	5	6
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	270.00	243.80	260.00	86.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल लेह	85.00	67.00	116.83	43.00
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	301.50	406.00	455.00	165.00
22.	गुजरात, दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	वडोदरा मंडल	574.97	459.99	655.00	241.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	139.99	107.49	210.49	91.00
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	303.58	405.00	468.40	169.00
25.	झारखंड	रांची मंडल	62.58	53.57	69.00	26.00
26.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ मंडल	—	—	—	125.00
27.	राजस्थान	जोधपुर मंडल	—	—	—	100.00
28.	महाराष्ट्र	नागपुर मंडल	—	—	—	75.00
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	556.39	527.67	510.85	218.00
		उद्यान कार्य (अखिल भारतीय)	1514.78	2122.85	2446.05	970.00
		कुल	13389.88	14861.02	16936.16	6800.00

*अक्तूबर, 2013 में सृजित।

खिलाड़ियों को आवास देना

1821. श्रीमती पूनम महाजन : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विश्वविद्यालय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले आवासों की घटिया स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़/दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है। स्पर्धाओं के आयोजन सहित किसी भी खेल विधा के विकास और संवर्धन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित खेल परिसंघों और राज्य सरकारों का है। भारत सरकार तो "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम" के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन और विदेशों में प्रतियोगिताओं में भागीदारी आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) अपने सदस्य संस्थानों जो आवास मुहैया कराने सहित अन्य इंतजाम करते हैं, के माध्यम से विश्वविद्यालय

स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन करता है सरकार तो केवल इन स्पर्धाओं के आयोजन के लिए एआईयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विगत में, अंतर-विश्वविद्यालय चैम्पियनशिपों के प्रतियोगिताओं को प्रदान किए गए आवासों की घटिया स्थिति की जानकारी इस मंत्रालय को उस समय प्राप्त हुई थी जब तक प्रतिभागी ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष एक सीडब्ल्यूपी संख्या 9157/2010 दायर की थी।

(ग) ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं लाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेयरी विकास

1822. श्री भैरों प्रसाद मिश्र :
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 'श्वेत क्रांत' को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता से ईकाई-वार कितनी ईकाईयां लाभान्वित हुई हैं;

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में डेयरी विकास क्रियाकलापों के लिए कुछ कितनी धनराशि आवंटित की गई और कृषि विकास के लिए किए गए कुल आवंटन में से यह कितने प्रतिशत रही; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी योजना, चरण-I (एनडीपी-I) के अधीन एनडीडीबी को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण जो मार्च, 2012 के दौरान 2242 करोड़ रुपए (2011-12 से 2016-17 तक) के परिव्यय सहित शुरू की गई का ब्यौरा नींचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 की स्थिति के अनुसार)
4.00	123.00	139.79	71.99

(ग) एनडीपी-1 के अधीन सहायता प्राप्त ईकाइयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 12वीं पचंवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा 4981.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जो कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए कुल आवंटन 6.97 प्रतिशत है।

(ङ) डेयरी विकास कार्यकलापों की योजनाएं मांग-आधारित हैं। इसलिए राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया गया है।

विवरण

एनडीपी-1 के अंतर्गत अनुमोदित उप-परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य	कार्यकलाप	अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	पीटी-सीबी जरसी	आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी
2.	आंध्र प्रदेश	एसएसएस-बनवासी	आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी
3.	आंध्र प्रदेश	आरबीपी	गुनटूर दुग्ध संघ

1	2	3	4
4.	आंध्र प्रदेश	आरबीपी	कृष्णा दुग्ध संघ
5.	आंध्र प्रदेश	एफडी	गुनटूर दुग्ध संघ
6.	आंध्र प्रदेश	एफडी	कृष्णा दुग्ध संघ
7.	आंध्र प्रदेश	भीबीएमपीएस	कृष्णा दुग्ध संघ
8.	आंध्र प्रदेश	भीबीएमपीएस	गुनटूर दुग्ध संघ
9.	आंध्र प्रदेश	भीबीएमपीएस	कुमोल दुग्ध संघ
10.	बिहार	आरबीपी	विकरमशिला (भागलपुर) दुग्ध संघ
11.	बिहार	आरबीपी	तिरहुत (मुजफ्फरपुर) दुग्ध संघ
12.	बिहार	आरबीपी	बरौनी दुग्ध संघ
13.	बिहार	एफडी	वैशल पटलिपुत्र (पटना) दुग्ध संघ
14.	गुजरात	पीटी-मुराह	साबरमती आश्रम गौशाला
15.	गुजरात	पीटी-सीबीएचएफ	साबरमती आश्रम गौशाला
16.	गुजरात	पीटी-मेहसाना	बनासकांठा दुग्ध संघ
17.	गुजरात	पीटी-मेहसाना	मेहसाना दुग्ध संघ
18.	गुजरात	पीएस-कंकरेज	बनासकांठा दुग्ध संघ
19.	गुजरात	पीएस-जफ्फरबाड़ी	साबरमती आश्रम गौशाला
20.	गुजरात	पीएस-गिर	साबरमती आश्रम गौशाला
21.	गुजरात	एसएसएस-एसएजी बिदज	साबरमती आश्रम गौशाला
22.	गुजरात	एसएसएस-जगुदन	मेहसाना दुग्ध संघ
23.	गुजरात	एसएसएस-एआरडीए	अमुल अनुसंधान और विकास संघ, आइदूं
24.	गुजरात	एसएसएस: पाटन	गुजरत पशुधन विकास बोर्ड
25.	गुजरात	एसएसएस: दमा	बनासकांठा दुग्ध संघ
26.	गुजरात	इम्ब्रीइस का आयात	साबरमती आश्रम गौशाला
27.	गुजरात	पायलट एवन सूपूरदगी सेवाएं	माही दुग्ध उत्पादकता कम्पनी लि.
28.	गुजरात	आरबीपी	बनासकांठा दुग्ध संघ
29.	गुजरात	आरबीपी	मेहसाना दुग्ध संघ

1	2	3	4
30.	गुजरात	आरबीपी	साबरकांठा दुग्ध संघ
31.	गुजरात	आरबीपी	सुरत दुग्ध संघ
32.	गुजरात	आरबीपी	पंचमहला दुग्ध संघ
33.	गुजरात	आरबीपी	माही दुग्ध संघ उत्पादकता लिमिटेड
34.	गुजरात	एफडी	साबरकांठा दुग्ध संघ
35.	गुजरात	एफडी	सूरत दुग्ध संघ
36.	गुजरात	एफडी	माही दुग्ध संघ उत्पादकता लिमिटेड
37.	गुजरात	एफडी	बनासकांठा दुग्ध संघ
38.	गुजरात	भीबीएमपीएस	पंचमहला दुग्ध संघ
39.	गुजरात	भीबीएमपीएस	साबरकांठा दुग्ध संघ
40.	गुजरात	भीबीएमपीएस	राजकोट दुग्ध संघ
41.	गुजरात	भीबीएमपीएस	बनासकांठा दुग्ध संघ
42.	गुजरात	भीबीएमपीएस	माही दुग्ध संघ उत्पादकता लिमिटेड
43.	गुजरात	भीबीएमपीएस	भरूच दुग्ध संघ
44.	हरियाणा	पीटी मुराह	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड
45.	हरियाणा	पीएस हरियाणा	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड
46.	हरियाणा	आरबीपी	सिरसा दुग्ध संघ
47.	हरियाणा	एफडी	सिरसा दुग्ध संघ
48.	हरियाणा	भीबीएमपीएस	सिरसा दुग्ध संघ
49.	कर्नाटक	पीटी एचएफपुरे	कर्नाटक दुग्ध संघ
50.	कर्नाटक	एसएसएस नंदनी	कर्नाटक दुग्ध संघ
51.	कर्नाटक	एसएसएस सीएफएसपी और टीआई	सीएफएसपी एंड टी
52.	कर्नाटक	आरबीपी	बेंगुलरु दुग्ध संघ
53.	कर्नाटक	आरबीपी	कोलार दुग्ध संघ
54.	कर्नाटक	आरबीपी	मैसूर दुग्ध संघ

1	2	3	4
55.	कर्नाटक	एफडी	कोलार दुग्ध संघ
56.	कर्नाटक	एफडी	बेंगलुरु दुग्ध संघ
57.	कर्नाटक	एफडी	रांची बैलेरी दुग्ध संघ
58.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	कोलार दुग्ध संघ
59.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	मैसूर दुग्ध संघ
60.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	बेंगलुरु दुग्ध संघ
61.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	हसन दुग्ध संघ
62.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	मंडेया दुग्ध संघ
63.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	तुकुर दुग्ध संघ
64.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	सिमोंगा दुग्ध संघ
65.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	दक्षिण कन्नड़ दुग्ध संघ
66.	कर्नाटक	भीबीएमपीएस	धारवाड़ दुग्ध संघ
67.	केरल	पीटीसीबी एचएफ	केरल पशुधन विकास बोर्ड
68.	केरल	एसएसएस मतुपिटी	केरल पशुधन विकास बोर्ड
69.	केरल	एसएसएस धौनी	केरल पशुधन विकास बोर्ड
70.	केरल	आरबीपी	त्रिअंन्तपुरम दुग्ध संघ
71.	केरल	आरबीपी	तिरुंतपुरम दुग्ध संघ
72.	केरल	आरबीपी	इमा कुल्म दुग्ध संघ
73.	केरल	भीबीएमपीएस	मालावाड़ दुग्ध संघ
74.	केरल	भीबीएमपीएस	इमा कुल्म दुग्ध संघ
75.	केरल	भीबीएमपीएस	त्रिअंन्तपुरम दुग्ध संघ
76.	मध्य प्रदेश	एसएसएस भडभाडा	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और पौलट्री विकास निगम
77.	मध्य प्रदेश	आरबीपी	भोपाल दुग्ध संघ
78.	मध्य प्रदेश	एफडी	इंदौर दुग्ध संघ
79.	मध्य प्रदेश	भीबीएमपीएस	भोपाल दुग्ध संघ
80.	मध्य प्रदेश	भीबीएमपीएस	इंदौर दुग्ध संघ

1	2	3	4
81.	महाराष्ट्र	पीटी सीबीएसएफ	बीआईएफ विकास अनुसंधान
82.	महाराष्ट्र	पीएसपंधारपुरी	महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड
83.	महाराष्ट्र	एसएसएस उरूलीकंचन	बीएआईएफ विकास अनुसंधान
84.	महाराष्ट्र	आरबीपी	कोल्हापुर दुग्ध संघ
85.	महाराष्ट्र	आरबीपी	सोल्हापुर दुग्ध संघ
86.	महाराष्ट्र	आरबीपी	पुणे दुग्ध संघ
87.	महाराष्ट्र	एफडी	कोल्हापुर दुग्ध संघ
88.	महाराष्ट्र	एफडी	सोल्हापुर दुग्ध संघ
89.	महाराष्ट्र	एफडी	बारामाती दुग्ध संघ
90.	महाराष्ट्र	एफडी	पुणे दुग्ध संघ
91.	महाराष्ट्र	एफडी	राजाराम बापु दुग्ध संघ
92.	महाराष्ट्र	एफडी	कृषि विकास ट्रस्ट बारामाती
93.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	औंरागाबाद दुग्ध संघ
94.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	जलगांव दुग्ध संघ
95.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	पुणे दुग्ध संघ
96.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	राजारामबापु दुग्ध संघ
97.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	संग्रामनर दुग्ध संघ
98.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	शिवमरूत दुग्ध संघ
99.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	कौलापुर दुग्ध संघ
100.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	सागली दुग्ध संघ (वसंत दादा)
101.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	वीड दुग्ध संघ
102.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	भंडारा दुग्ध संघ
103.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	लातुर दुग्ध संघ
104.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	सोल्हापुर दुग्ध संघ
105.	महाराष्ट्र	भीबीएमपीएस	गांदावरी खौर दुग्ध संघ

1	2	3	4
106.	ओडिशा	वीबीएमपीएस	गोडिंया मिल्क यूनियन
107.	ओडिशा	आरबीपी	समलेशवरी मिल्क यूनियन
108.	ओडिशा	एफडी	समलेशवरी मिल्क यूनियन
109.	ओडिशा	वीबीएमपीएस	कटक मिल्क यूनियन
110.	ओडिशा	वीबीएमपीएस	समलेशवरी मिल्क यूनियन
111.	ओडिशा	वीबीएमपीएस	पुरी मिल्क यूनियन
112.	पंजाब	पीटी-मुर्रा	पंजाब पशुधन विकास बोर्ड
113.	पंजाब	पीएस: नील गिरी	पंजाब पशुधन विकास बोर्ड
114.	पंजाब	एसएसएस-नाबा	पंजाब पशुधन विकास बोर्ड
115.	पंजाब	आरबीपी	रोपड़ मिल्क यूनियन
116.	पंजाब	आरबीपी	लुधियाना मिल्क यूनियन
117.	पंजाब	आरबीपी	जालंधर (दोबा) मिल्क यूनियन
118.	पंजाब	एफडी	जालंधर (दोबा) मिल्क यूनियन
119.	पंजाब	एफडी	रोपड़ मिल्क यूनियन
120.	पंजाब	एफडी	लुधियाना मिल्क यूनियन
121.	पंजाब	वीबीएमपीएस	लुधियना मिल्क यूनियन
122.	पंजाब	वीबीएमपीएस	रोपड़ मिल्क यूनियन
123.	पंजाब	वीबीएमपीएस	जालंधर (दोबा) मिल्क यूनियन
124.	राजस्थान	पीएस-राठी	उरमूल ट्रेस्ट
125.	राजस्थान	एसएसएस: बासी	राजस्थान सहकारी डेयरी संघ
126.	राजस्थान	प्लाट ए-1 डिलीवरी सर्विस	प्यास दुग्ध उत्पादकता कंपनी लिमिटेड
127.	राजस्थान	आरबीपी	गंगानगर मिल्क यूनियन
128.	राजस्थान	आरबीपी	भीलवाड़ा मिल्क यूनियन
129.	राजस्थान	आरबीपी	प्यास दुग्ध उत्पादकता कंपनी लिमिटेड
130.	राजस्थान	आरबीपी	पाली मिल्क यूनियन

1	2	3	4
131.	राजस्थान	आरबीपी	उदयपुर मिल्क यूनियन
132.	राजस्थान	एफडी	भीलवाड़ा मिल्क यूनियन
133.	राजस्थान	एफडी	गंगानगर मिल्क यूनियन
134.	राजस्थान	एफडी	प्यास दुग्ध उत्पादकता कंपनी लिमिटेड
135.	राजस्थान	एफडी	कोटा मिल्क यूनियन
136.	राजस्थान	एफडी	चितौड़गढ़ मिल्क यूनियन
137.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	भीलवाड़ा मिल्क यूनियन
138.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	प्यास दुग्ध उत्पादकता कंपनी लिमिटेड
139.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	जालोरी-सिरोही मिल्क यूनियन
140.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	कोटा मिल्क यूनियन
141.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	उदयपुर मिल्क यूनियन
142.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	चितौड़गढ़ मिल्क यूनियन
143.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	पाली मिल्क यूनियन
144.	राजस्थान	वीबीएमपीएस	जयपुर मिल्क यूनियन
145.	तमिलनाडु	पीटी – सीबी जर्सी	तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादकता संघ लिमिटेड
146.	तमिलनाडु	एसएसएस – डीएलएफ इक्वाटी	तमिलनाडु पशुधन विकास एजेंसी
147.	तेलंगाना	एसएसएस – करीमनगर	आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी
148.	तेलंगाना	आरबीपी	मुल्लकानूर महिला परस्परिक सहायता प्राप्त दुग्ध उत्पादक संघ
149.	तेलंगाना	एफडी	मुल्लकानूर महिला परस्परिक सहायता प्राप्त दुग्ध उत्पादक संघ
150.	तेलंगाना	वीबीएमपीएस	मुल्लकानूर महिला परस्परिक सहायता प्राप्त दुग्ध उत्पादक संघ
151.	तेलंगाना	वीबीएमपीएस	नलगौंडा रंगा रेड्डी दुग्ध संघ
152.	उत्तर प्रदेश	पीटी – मुर्रा	पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन
153.	उत्तर प्रदेश	एसएसएस – एबीसी सलून	पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन

1	2	3	4
154.	उत्तर प्रदेश	आरबीपी	लखनऊ मिल्क यूनियन
155.	उत्तर प्रदेश	आरबीपी	मेरठ मिल्क यूनियन (गंगोल)
156.	उत्तर प्रदेश	एफडी	लखनऊ मिल्क यूनियन
157.	उत्तर प्रदेश	वीबीएमपीएस	लखनऊ मिल्क यूनियन
158.	उत्तर प्रदेश	वीबीएमपीएस	मेरठ मिल्क यूनियन (गंगोल)
159.	उत्तर प्रदेश	वीबीएमपीएस	बिजनौर मिल्क यूनियन
160.	उत्तर प्रदेश	वीबीएमपीएस	फरीदाबाद मिल्क यूनियन
161.	उत्तर प्रदेश	वीबीएमपीएस	अहमदनगर मिल्क यूनियन
162.	उत्तराखंड	पीटी – सीबी एचएफ	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड
163.	उत्तराखंड	एसएसएस – ऋषिकेष	उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड
164.	पश्चिम बंगाल	एसएसएस – हरिनघाटा	पश्चिम बंगा गाऊ संपद विकास संस्था
165.	पश्चिम बंगाल	एसएसएस – सलबोनी	पश्चिम बंगा गाऊ संपद विकास संस्था
166.	पश्चिम बंगाल	एफडी	भगीरथ मिल्क यूनियन
167.	पश्चिम बंगाल	वीबीएमपीएस	भगीरथ मिल्क यूनियन
168.	पश्चिम बंगाल	वीबीएमपीएस	लचहामाटी मिल्क यूनियन
169.	पश्चिम बंगाल	वीबीएमपीएस	किशन मिल्क यूनियन
170.	पश्चिम बंगाल	वीबीएमपीएस	कंगासबाड़ी मिल्क यूनियन

कुजी : पीटी – प्रोगेनिसी परीक्षण कार्यक्रम, पीसी – पीडी गिरी चयन कार्यक्रम, एसएसएस – वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण, आरबीपी – राशन संतुलन कार्यक्रम एफडी – चारा विकास और वीबीएमपीएस – ग्राम आधारित दुग्ध प्राप्ति प्रणाली।

[अनुवाद]

यूरिया विनिर्माण इकाइयां

1823. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :
श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सहित देश में मेगा यूरिया इकाइयों की स्थापना करने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सहकारी यूरिया विनिर्माण कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रस्तावों को राज्य/कंपनी-वार कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद) : (क) से (ग) उर्वरक विभाग को नई निवेश नीति (एनआईपी) 2012 के अंतर्गत निम्नलिखित 14 कंपनियों से प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं:—

क्र.सं.	कम्पनी	परियोजना	स्वामित्व	राज्य/देश
1.	इफ्को-कलोल	कलोल में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार संयंत्र	सहकारी	गुजरात
2.	आईजीएफएल-जगदीशपुर	जगदीशपुर में ब्राउनफील्ड विस्तार यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
3.	सीएफसीएल-गडेपान	गडेपान-कोटा में अमोनिया-यूरिया इकाइयों का विस्तार	निजी	राजस्थान
4.	कृभको-हजीरा	ब्राउनफील्ड हजीरा उर्वरक इकाई-चरण-II	सहकारी	गुजरात
5.	टीसीएल-बबराला	बबराला में यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	उत्तर प्रदेश
6.	जीएनवीएफसी-भरूच	दाहेज में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य संयुक्त उद्यम	गुजरात
7.	जीएसएफसी-वडोदरा	दाहेज में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य पीएसयू	गुजरात
8.	एनएफसीएल-काकीनाडा	काकीनाडा में अमोनिया-यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	आंध्र प्रदेश
9.	मेटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	पानागढ़, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया उर्वरक परिसर	निजी	पश्चिम बंगाल
10.	बीसीसीएल (श्रीराम ग्रुप)	पाराद्वीप, ओडिशा में ग्रीनफील्ड कोयला गैसीकरण अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	ओडिशा
11.	आरसीएफ-थाल	आरसीएफ के थाल-III पर ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	सीपीएसयू	महाराष्ट्र
12.	केएफ एंड सीएल-कानपुर	पनकी-कानपुर में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
13.	केएसएफएल-शाहजहांपुर	शाहजहांपुर-II में ब्राउनफील्ड यूरिया-अमोनिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
14.	फैक्ट-कोच्चि	कोच्चि में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	पीएसयू	केरल

इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 में संशोधन की अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् किया जाएगा, जो अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

उर्वरकों की मांग और खपत

1824. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ और रबी के मौसम के दौरान देश में किसानों की विभिन्न उर्वरकों की घरेलू खपत संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों की घरेलू उर्वरक कंपनियां उक्त मांग को पूरा करने में समर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो खरीफ और रबी के मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद) : (क) और (ख) जी, हां। रबी और खरीफ मौसम के शुरू होने से पहले कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से माह-वार मांग का आकलन और प्रक्षेपण किया जाता है। रबी 2013-14 और खरीफ 2014 का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश में उर्वरकों का उत्पादन आवश्यकता से कम है। उर्वरक विभाग रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है:—

(i) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) राज्य सरकारों के परमर्श से प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले माह-वार मांग का आकलन और प्रक्षेपण करता है।

(ii) कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये माह-वार और राज्य-वार प्रक्षेपण के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी राज्यों की उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है तथा निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है:—

(क) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली *(www.urvarak.co.in)* द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्त्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(ग) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण की लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(घ) उर्वरक की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

विवरण-I

रबी 2013-14 मौसम के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की आकलित आवश्यकता

('000 टन में)

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	यूरिया	डीएपी	एमओपी	मिश्रित
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1700.00	400.00	300.00	1100.00
कर्नाटक	800.00	250.00	250.00	700.00
केरल	100.00	7.70	101.00	119.15
तमिलनाडु	700.00	200.00	250.00	400.00
पुदुचेरी	14.50	2.35	2.30	11.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.50	0.50	0.40	0.50
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल दक्षिणी क्षेत्र	3315.00	860.55	903.70	2330.70

1	2	3	4	5
गुजरात	1125.00	240.00	70.00	230.00
मध्य प्रदेश	1250.00	500.00	40.00	200.00
छत्तीसगढ़	250.00	100.00	40.00	60.00
महाराष्ट्र	1250.00	450.00	200.00	800.00
राजस्थान	1200.00	300.00	15.00	51.00
गोवा	1.50	1.00	0.40	1.90
दमन और दीव	0.13	0.03	0.01	0.01
दादरा और नगर हवेली	0.38	0.32	0.10	0.00
कुल पश्चिमी क्षेत्र	5077.01	1591.35	365.51	1342.91
हरियाणा	1150.00	200.00	10.00	20.00
पंजाब	1315.00	415.00	30.00	70.00
उत्तर प्रदेश	3550.00	915.00	100.00	500.00
उत्तराखंड	115.00	15.00	2.00	29.00
हिमाचल प्रदेश	30.00	0.00	7.50	20.00
जम्मू और कश्मीर	78.00	42.75	20.00	0.00
दिल्ली	5.00	2.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल उत्तरी क्षेत्र	6243.00	1589.75	169.50	639.00
बिहार	1150.00	275.00	100.00	200.00
झारखंड	100.00	40.00	10.00	40.00
ओडिशा	230.00	60.00	60.00	130.00
पश्चिम बंगाल	890.00	250.00	216.00	550.00
कुल पूर्वी क्षेत्र	2370.00	625.00	386.00	920.00
असम	200.00	35.00	90.00	20.00
त्रिपुरा	23.00	3.00	6.00	0.00

1	2	3	4	5
मणिपुर	9.00	5.00	2.50	0.00
मेघालय	7.00	5.00	2.00	0.00
नागालैंड	1.00	0.75	0.30	0.30
अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.35	0.30	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	1.00	0.50	0.50	0.00
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	241.50	49.60	101.60	20.30
सकल योग	17246.51	4716.25	1926.31	5252.91

विवरण-II

खरीफ 2014 मौसम के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की आकलित आवश्यकता

('000 टन में)

खरीफ 2014 की आकलित आवश्यकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक यूरिया	आरक्षित यूरिया	कुल यूरिया	डीएपी	एमओपी	मिश्रित
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1650.00	100.00	1750.00	500.00	200.00	1000.00
कर्नाटक	800.00	100.00	900.00	400.00	200.00	650.00
केरल	90.00	10.00	100.00	15.00	88.00	130.00
तमिलनाडु	450.00	0.00	450.00	175.00	150.00	300.00
पुदुचेरी	11.00	0.00	11.00	0.50	1.50	5.30
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.50	0.00	0.50	0.28	0.40	0.50
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल दक्षिणी क्षेत्र	3001.50	210.00	3211.50	1090.78	639.90	2085.80
गुजरात	1100.00	100.00	1200.00	270.00	70.00	270.00
मध्य प्रदेश	750.00	100.00	850.00	600.00	60.00	220.00

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	500.00	50.00	550.00	200.00	60.00	130.00
महाराष्ट्र	1500.00	150.00	1650.00	500.00	200.00	1000.00
राजस्थान	700.00	50.00	750.00	250.00	8.00	45.00
गोवा	3.32	0.00	3.32	1.90	0.80	2.90
दमन और दीव	0.18	0.00	0.18	0.03	0.01	0.09
दादरा और नगर हवेली	0.87	0.00	0.87	0.77	0.01	0.00
कुल पश्चिमी क्षेत्र	4554.37	450.00	5004.37	1822.70	398.82	1667.99
हरियाणा	810.00	40.00	850.00	200.00	15.00	25.00
पंजाब	1165.00	100.00	1265.00	400.00	30.00	25.00
उत्तर प्रदेश	2700.00	200.00	2900.00	750.00	75.00	400.00
उत्तराखंड	135.00	0.00	135.00	20.00	3.50	25.00
हिमाचल प्रदेश	37.00	0.00	37.00	0.00	0.80	10.00
जम्मू और कश्मीर	60.00	0.00	60.00	32.00	5.00	0.00
दिल्ली	2.50	0.00	2.50	2.00	0.50	0.60
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल उत्तरी क्षेत्र	4909.50	340.00	5249.50	1404.00	129.80	485.60
बिहार	900.00	100.00	1000.00	175.00	55.00	125.00
झारखंड	125.00	35.00	160.00	45.00	10.00	35.00
ओडिशा	450.00	30.00	480.00	110.00	75.00	200.00
पश्चिम बंगाल	520.00	40.00	560.00	125.00	100.00	350.00
कुल पूर्वी क्षेत्र	1995.00	205.00	2200.00	455.00	240.00	710.00
असम	145.00	15.00	160.00	20.00	60.00	5.00
त्रिपुरा	20.00	10.00	30.00	2.50	7.50	2.50
मणिपुर	20.00	10.00	30.00	5.00	3.50	2.50
मेघालय	3.35	0.00	3.35	1.05	0.55	0.00

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	1.09	0.00	1.09	0.66	0.34	0.32
अरुणाचल प्रदेश	1.93	0.00	1.93	0.00	1.06	0.00
मिज़ोरम	8.00	0.00	8.00	5.00	4.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	199.37	35.00	234.37	34.21	76.95	10.32
अखिल भारत	14659.74	1240.00	15899.74	4806.69	1485.47	4959.71

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का भंडारण

1825. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए कोई समुचित सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वर्तमान में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की भंडारण सुविधा में सुधार करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) देश में कृषि उत्पादों की उपलब्ध वर्तमान भंडारण क्षमता लगभग 125.00 मिलियन मिट्रिक टन है।

इसके अलावा, 'कृषि विपणन अवसंरचना, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए आवश्यक द्वितीयक कृषि एवं नीति' पर 12वीं योजना कार्य समूह में 35 मिलियन मीट्रिक टन की कम भंडारयण क्षमता का आकलन किया गया है जिसे 12वीं योजना अवधि (212-17) के दौरान तैयार किया जाएगा।

इसके लिए सरकार (i) ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) जिसे 1.4.2014 से कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), जो समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम है, में शामिल कर दिया गया है, जैसे कई उपायों के माध्यम से भंडारण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत 230 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता तैयार करने का लक्ष्य 12वीं योजना (2012-17) के दौरान निर्धारित किया गया है। (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत आवंटन का 35 प्रतिशत कृषि अवसंरचना हेतु प्रदान किया जाता है। जिसमें भंडारण भी शामिल है और इसके अलावा 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधियां राज्य विशिष्ट परियोजनाओं के लिए इसी उद्देश्य हेतु उपयोग की जा सकती है। (iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार करने क लिए सहकारी समितियों की सहायता भी करता है। (iv) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 122वीं योजना में 3.7 लाख मीट्रिक टन के भंडारण लक्ष्य को बढ़ाने के लिए अपनी योजना के तहत भंडारण के निर्माण को भी बढ़ावा देता है। निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना में पीपीपी मोड सिलोस सहित भंडारण के निर्माण को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गारंटीकृत हायरिंग द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। पीईजी के तहत 203.76 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य 19 राज्यों में गोदामों में निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है जिसमें 20 लाख मीट्रिक टन मॉडर्न सिलोस है। (v) इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए), प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता वैज्ञानिक भंडारण की स्थापना के लिए राज्य एवं राज्यों की संस्थाओं को प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) और भंडारण अवसंरचना कोष (डब्ल्यूआईएफ) के माध्यम से 18.20 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता तैयार की जानी प्रस्तावित है।

प्रवासी श्रमिकों विरुद्ध अपराध

1826. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी भाषी राज्यों से संबंधित प्रवासी श्रमिकों

के विरुद्ध किए गए अपराध के बारे में हिंसा/अत्याचार की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की प्राप्त रिपोर्टों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) अपराधों के संकलन से संबंधित घटना विशेष रूप से हिन्दी भाषी प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य राज्यों के श्रमिकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं तथा नहीं रखे जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई परामर्शी-पत्र जारी नहीं किया है यद्यपि जब कभी उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इन श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने तथा उपाय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा है। ना तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तथा न ही केन्द्र सरकार ने इस संबंध में परामर्शी-पत्र जारी किया है।

चूंकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, केन्द्र सरकार नागरिकों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की प्रणाली के माध्यम से अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उनके पंजीकरण तथा जांच और अपराधियों को अभियोजित करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।

तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न घटनाओं का संज्ञान लेती है और अपराध को गंभीरता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त करती है तथा त्वरित उपाचारात्मक कार्रवाई करती है। सरकार, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाली घटनाओं की रोकथाम करने तथा ऐसी अवांछनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरणों को समय-समय पर आवश्यक परामर्शी-पत्र जारी करके इनको नियंत्रित करने संबंधी कदम उठाए गए। प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र ने व्यक्तिगत अधिकारों संबंधी विनियम तैयार किये हैं तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अभिरक्षक होने के नाते, वे श्रमिकों जिनमें प्रवासी श्रमिक तथा बच्चे भी शामिल हैं, के प्रति किए जाने वाले अपराध की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं तथा तत्संबंधी उपाय कर रहे हैं।

[अनुवाद]

गोचर भूमि में कमी

1827. श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती रमा देवी :
श्रीमती कमला पाटले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोचर भूमि में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गिरावट हो रही है और वे खत्म होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में सस्ती दरों पर चारा प्रदान करने में कार्यरत कुल केन्द्रों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण किसानों की गोचर भूमि के कम होने/खत्म होने की संभावनाओं के परिणामों का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर चारा प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि देश में सामान्यतः स्थायी पाश्चरीकृत और चराई भूमि में कमी आई है लेकिन यह खत्म होने के कगार पर नहीं हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान पाश्चरीकृत तथा चराई भूमि राज्य-वार क्षेत्र के तहत क्रमशः 10.33971, 10.30142 तथा 10.29626 मिलियन हैक्टेयर थी। राज्य के अंदर पाश्चरीकृत भूमि में क्रमशः कभी कृषि भूमि का दूसरे कृषि उद्देश्यों, के लिए बदलाव, अतिक्रमण, शहरीकरण तथा औद्योगिकरण इत्यादि के कारण हैं।

(ग) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार की सस्ते दर पर सीधे चारा उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है लेकिन देश में उपयुक्त दर पर आहार और चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा चारा एवं आहार उत्पादन वृद्धि के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

पेंशन योजनाएं

1828. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**
श्री अर्जुनलाल मीना :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निःशक्त लोगों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत पेंशन राशि कितनी है;

(ख) क्या सालाना बढ़ती मुद्रास्फीति की तुलना में पेंशन की राशि के संशोधन हेतु कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की राजस्थान सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का इन पेंशन योजनाओं में कुछ परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत, केन्द्रीय सहायता केवल वृद्धों, विधवाओं, निःशक्त व्यक्तियों और किसी भी जाति के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु पर दुःखी परिवारों को प्रदान की जाती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है।

इस समय, एनएसएपी की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 5 योजनाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए लागू हैं:—

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)

(3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)

(4) राष्ट्रीय परिवार अनुलाभ पेंशन (एनएफबीसी)

(5) अन्नपूर्णा योजना

प्रदत्त सहायता राशि सहित इन 5 योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एनएसएपी की योजना के तहत सहायता उन सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं। एनएसएपी की योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह सूचना राज्यों द्वारा प्राप्त/सूचित नहीं की जाती है।

(ङ) और (च) सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक कार्य-बल ने संबंधित विभिन्न विभागों आदि से प्राप्त सामाजिक सहायता/सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों, मांगों और सुझावों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट मार्च, 2013 में प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कवरेज के स्कोप को बढ़ाने और पेंशन की राशि में वृद्धि करने की सिफारिश की गई थी। कार्यबल की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के तहत सहायता की राशि सहित पात्रता संबंधी मानदंड

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) : प्रतिमाह 200/- रुपए की केन्द्रीय सहायता 60-79 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को यह 500/- रुपए प्रतिमाह दी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) : इस योजना के तहत प्रतिमाह 300/- रुपए की दर से केन्द्रीय सहायता 40-79 वर्ष की आयु समूह की विधवाओं को दी जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर, लाभार्थी आईजी एनओएपीएस में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें प्रतिमाह 500/- रुपए की बढ़ी हुई सहायता मिलती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 रुपए की केन्द्रीय सहायता 18-79 वर्ष आयु के उन व्यक्तियों को दी जाती है जो अत्यधिक तथा बहु-विकलांगत से ग्रस्त होते हैं। 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर, लाभार्थी आईजीएनओएपीएस में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें प्रतिमाह 500-रुपए की बढ़ी हुई पेंशन मिलती है।

राष्ट्रीय परिवार अनुलाभ योजना (एनएफबीएस) : इस योजना के तहत एक बीपीएल परिवार के 18 और 59 वर्ष के कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु पर एकमुश्त रकम का हकदार होता है और ऐसे परिवार को 20,000/- रुपए की सहायता दी जाता है।

अन्नपूर्णा : इस योजना के तहत, जो वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें प्रतिमाह 10 कि.ग्रा. अनाज नि:शुल्क दिया जात है।

[अनुवाद]

एनवाईकेएस के अंतर्गत एनजीओ

1829. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश में विशेष रूप से ओडिशा में नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से युवाओं के लिए कार्यों संबंधी की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ओडिशा सहित देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनवाईके की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान युवा विकास गतिविधियों हेतु अब तक देश में कार्यरत विभिन्न राज्य सरकारों और एनजीओज को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) नेयुकेसं अपने कार्यकलापों का संचालन संबद्ध युवा क्लबों के माध्यम से करता है। नेयुकेसं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कोई भी कार्यकलाप संचालित नहीं करता है।

(ख) और (ग) नेयुकेसं के ओडिशा राज्य में 30 केंद्रों सहित देश भर में 623 केंद्र कार्यरत हैं। वर्तमान में नेयुकेसं के और अधिक नए केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय युवा किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को अनेक कार्यक्रमों अर्थात् युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का विकास, किशोर विकास और सशक्तिकरण तथा तकनीकी और अनुसंधान विकास के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देता है। विभिन्न राज्य सरकारों और देश में कार्यरत एनजीओ को युवा विकास कार्यकलापों के संवर्धन के लिए वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भी केंद्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा स्कीम (रासेयो) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। राज्य सरकारों को वर्ष 2012-13 और 2013-14 और 2013-14 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसी प्रकार, खेल विभाग नि:शक्तों के लिए खेल-कूद स्कीम के अंतर्गत एनजीओ को वित्तीय सहायता देता है। इस स्कीम के अंतर्गत खेल कोचिंग और विद्यालयों के उपभोज्य और अनुपभोज्य उपस्करों की खरीद, कोचों के प्रशिक्षण और नि:शक्तों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनुदान दिए जाते हैं। एनजीओ को वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

खेल विभाग राज्य सरकारों को राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के अंतर्गत खेल अवसंरचना और ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तथा शहरी विकास अवसंरचना (यूएसआईएस) स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास संरचना के सृजन/उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता देता है। राज्य सरकारों को वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) के अंतर्गत जारी अनुदान

राज्य का नाम	2012-13	2013-14
1	2	3
आंध्र प्रदेश	–	–
बिहार	–	2,28,000

1	2	3
दिल्ली*	15,29,62,337	10,69,79,850.00
गुजरात	—	—
हरियाणा	—	—
हिमाचल प्रदेश	4,87,500	—
जम्मू और कश्मीर	1,10,03,405	1,44,81,421
झारखंड	—	4,68,750
केरल	—	—
कर्नाटक	23,69,431	—
मध्य प्रदेश	—	—
महाराष्ट्र	3,86,498	18,11,528
ओडिशा	—	1,00,13,389
पंजाब	—	1,75,000
राजस्थान	47,18,443	—
तमिलनाडु	41,77,922	—
उत्तर प्रदेश	—	19,29,225
उत्तराखंड	—	9,46,475
पश्चिम बंगाल	1,35,75,997	1,45,72,003
चंडीगढ़	10,00,000	10,00,000
अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000	—
असम	99,89,160	27,51,850
मणिपुर	10,00,000	31,66,000
मेघालय	—	—
मिज़ोरम	14,40,000	—
नागालैंड	—	15,70,475
तेलंगाना	—	—
कुल	2 1,31,10,693	16,00,93,966.00

* यह नोट किया जाए कि इस राशि में नेयुकेसं, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, आईएमएफ, स्पिक, मकाय, नेशनल यूथ प्रोजक्ट आदि जैसे अखिल भारतीय संस्थान जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, को दिया गया आवंटन शामिल है। तथापि, उनके कार्यक्रम और कार्यकलाप देश भर में संचालित किए जाते हैं।

विवरण-II

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत जारी अनुदान

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल अनुदान 2012-13 (लाख रुपए)	कुल अनुदान 2013-14 (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	356.26	730.67
2.	आंध्र प्रदेश	721.75	539.14
3.	बिहार	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	201.17	173.80
5.	गोवा	43.04	48.49
6.	गुजरात	357.00	266.68
7.	कर्नाटक	847.05	436.38
8.	केरल	298.20	286.51
9.	मध्य प्रदेश	386.43	218.19
10.	पंजाब	0.00	248.38
11.	उत्तराखंड	195.96	199.15
12.	पश्चिम बंगाल	255.54	155.16
13.	हरियाणा	0.00	174.11
14.	जम्मू और कश्मीर	43.99	68.99
15.	झारखंड	0.00	84.46
16.	महाराष्ट्र	550.92	607.38
17.	ओडिशा	219.45	163.93
18.	राजस्थान	405.9.1	290.92
19.	तमिलनाडु	820.20	612.69
20.	हिमाचल प्रदेश	150.16	32.29
21.	पुदुचेरी	23.72	33.19

1	2	3	4
22.	दिल्ली	0.00	78.62
23.	अरुणाचल प्रदेश	26.72	32.06
24.	असम	96.02	119.06
25.	मणिपुर	42.68	51.21
26.	मेघालय	76.51	94.87
27.	नागालैंड	18.85	22.62
28.	सिक्किम	33.43	41.45
29.	त्रिपुरा	66.53	82.50
30.	मिज़ोरम	82.29	82.29
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	3.48
32.	चंडीगढ़	0.00	31.61
33.	दादरा और नगर हवेली	3.79	2.53
34.	दमन और दीव	3.43	3.56
35.	लक्षद्वीप	0.00	3.56
	कुल	6326.99	6012.79

विवरण-III

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान निःशक्तों के लिए खेल-कूद स्कीम के अंतर्गत जारी अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संगठन का नाम	प्रति स्कीम जारी अनुदान (रुपए में)	
			2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	निर्माण एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ट, हैदराबाद	शून्य	194250
2.	असम	कच्छआजुली फिजीकली हैडिकैप्ड (डेफ एंड डंब) स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर लखीमपुर	236250	20050
3.		विकलांग कल्याण केंद्र, लखीमपुर	315000	315000
4.		आशादीप स्कूल फॉर द मेंटली डिसेबल्ड, गुवाहाटी	314496	260260
5.	बिहार	चाईल्ड कंसर्न इंस्टिट्यूट फॉर चाईल्ड डेवलपमेंट, पटना	315000	शून्य
6.		बिहार डिसेब्ड स्पोटर्स अकादमी, पटना	315000	शून्य
7.		बुद्धम शरणम, गया	270000	शून्य
8.		विकलांग सम्मान संस्थान, नवादा	275000	शून्य
9.		उमंग बाल विकास, पटना	314800	शून्य
10.	चंडीगढ़	सोसायटी फॉर दाप ब्लाइंड, सेक्टर-26 चंडीगढ़	236250	180000

1	2	3	4	5
11.	दिल्ली	जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, लालबहादुर शास्त्री मार्ग	175144	शून्य
12.		स्कूल फॉर द हैंडीकैप्ड, रोहिणी	228697	शून्य
13.		स्कूल फॉर द मेंटली रिटारटेड चिल्ड्रन, मयूर विहार फेज-I	146250	शून्य
14.	गोवा	गुजराती समाज एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर दर हैंडीकैप्ड, एक्वेम, मारगांव	206250	168956
15.		कारीटास-गोवा फॉर सेंट जेवियर्स अकादमी, कदम्बा रोड, ओल्ड गोवा	शून्य	18750
16.	गुजरात	कोडियार एजुकेशन ट्रस्ट, मेहसाना	236250	305000
17.	हरियाणा	बिट्स वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, कालानौर, रोहतक	शून्य	शून्य
18.		मार्डन एजुकेशन सोसायटी, खारकोड़ा, सोनीपत	शून्य	शून्य
19	हिमाचल प्रदेश	सहयोग बाल श्रवण विकलांग कल्याण समिति, नागाचल्ला, एनएच-21	236250	313424
20.		नव चेतना पेरेन्टस एसोसिएशन फॉर द मेंटली चैलेंज्ड, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	307363	274390
21.		चिनमय आर्गनाईजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट (सीओआरडी), डिस्ट्रिक कांगड़ा	312335	285447
22.		चंद्र आभा मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड; कुल्लू	285000	शूनय
23.		प्रेम आश्रम, इंस्टिट्यूट ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, यूएनए	236170	231583
24.	जम्मू और कश्मीर	प्रेरणा इंस्टिट्यूट ऑफ रिहेबीलिटेशन एंड रिसर्च, आर.एस. पुरा, जम्मू	315000	शून्य
25.		ह्यूमेनिटी वेलफेयर आर्गनाईजेशन, हेल्प लाइन, अनंतनागा, जम्मू और कश्मीर	283545	शून्य
26.	झारखंड	जिला विकलांग रेजिडेन्सियल स्कूल, जैलहाटा, पलामू	215000	276517
27.		मधुर मुस्कान, मेन रोड, राची	165000	शून्य
28.		झारखंड डिसेबल्ड स्पोटर्स बरयातु, रांची	275000	310500
29.	केरल	करुणा स्पीच एंड हेयरिंग स्कूल फॉर द डेदफ, इरनहिपलम, कालीकट	275000	शून्य

1	2	3	4	5
30.	केरल	तांलीमुल इस्लाम ट्रस्ट, कन्नूर, विलयनकोड, कन्नूर	108711	शून्य
31.		वायानाड़ आरफनऐज, मुतिल, वायानाड़	शून्य	शून्य
32.	मध्य प्रदेश	सहयोग विशेष आवासीय विद्यालय (दृष्टिबंधीतर्थ), होशंगाबाद	315000	296500
33.		चिंगारी ट्रस्ट, भोपाल	220197	253110
34.		स्नेह शिक्षा एंड मानव सेवा संस्थान, रीवा	236250	240000
35.		विकलांग सेवा भारती, एम.पी., जबलपुर	315000	261450
36.		अमर ज्योति स्कूल, ग्वालियर	236250	शून्य
37.	महाराष्ट्र	माजी विद्यार्थी संध पिम्पलगांव (हेर), जलगांव	शून्य	शून्य
38.		इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल पिडियाट्रिक्स, पुणे	शून्य	शून्य
39.		सहयाद्री आदिवासी ग्रामीण विकास प्रशिक्षण मंचर, पुणे	शून्य	123440
40.	मणिपुर	ब्लिस आइलैंड स्कूल, चूराचंदपुर	315000	303500
41.		रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंडिकैप्ड पर्सन्स (आरआईएचपी), यैरीपोक	236250	315000
42.		अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मैडन (एआरएम), इम्फाल	315000	315000
43.		सोसायटी फॉर इंम्पावरमेंट ऑफ द डिसेब्ल्ड, फिवंगबम, मोइरंग	315000	315000
44.		स्पास्टिक सोसायटी ऑफ मणिपुर, गढ़ी, इम्फा	315000	315000
45.	मेघालय	द्वार जिंगकियारमेंन, स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, शिलांग	शून्य	254881
46.		बेथानी सोसायटी, शिलांग	236250	290775
47.		लिंटि जिंगकियारमेंन, स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वेस्ट खासी हिल्स	114443	शून्य
48.	मिज़ोरम	स्पास्टिकस सोसायटी ऑफ मिज़ोरम, आइजोल	315000	305920
49.		स्पेशल ब्लाइंड स्कूल (समारिटन्स एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड), दुर्तलंग वेंगलाइ	185625	शून्य
50.	ओडिशा	ओपन लर्निंग सिस्टम, खुर्दा	शून्य	315000
51.		ओपन लर्निंग सिस्टम, पुरी	शून्य	302915

1	2	3	4	5
52.	ओडिशा	भीमा भोई स्कूल आर द ब्लाइंड यूनिट-IX, भूवनेश्वर	शून्य	136250
53.	पंजाब	उमंग स्कूल, फरीदकोट (मेंटली रिटारडेड)	शून्य	154632
54.		उजाला स्कूल फरीदकोट (विजुली हैंडीकैप्ड)	129966	363717
55.		उमंग रैड क्रास स्कूल, फरीदकोट (डेफ एंड डम्ब)	145635	168558
56.		संत एजुकेशनल एंड वेलफयर सोसायटी, 10 पेका बाग, रोपड़	290838	289367
57.	पुदुचेरी	सत्या स्पेशल स्कूल, मुथियालपेट	288153	315000
58.		करून्नी सोसायटी फॉर एजुकेशन, रेडियारपलायम	315000	315000
59.	राजस्थान	सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हेंडीकेप्ड, जयपुर	182646	287690
60.		नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	315000	294090
61.		आशा का झरना (इंस्टिट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन) नेवालगढ़, राजस्थान	240000	314218
62		तपोवन मनोविकास विद्यालय एनएच-15, श्रीगंगानगर	315000	शून्य
63.		राजस्थान महिला कल्याण मंडल (आरएमकेएम), अजमेर	307420	261450
64.	तमिलनाडु	सीएसआई एचएस एंड वोकेशनल ट्रैनिंग सेंटर फॉर डेफ, सतचियापुरम	236250	236187
65.		सिवाबकियम स्पेशल स्कूल फॉर द मेंटली चैलेंज्ड एंड रिहेबीलिटेशन सेंटर, इलानगर	235000	224851
66.		हेलन केलर स्कूल फॉर द हेयरिंग इंपियेर्ड, अरियालुर	295691	शून्य
67.	उत्तर प्रदेश	संचित विकास संस्थान (मानसिक मंद विद्यालय) गोंडा	315000	283890
68.		अमेठी ग्राम विकास संस्थान, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	160000	221250
69.	उत्तराखंड	समर्थ सेवा समिति, कनखल हरिद्वार	126000	119508
70.	पश्चिम बंगाल	जनादशिप हैंडिकैप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, कूच बेहर	253888	246582
71.		केन्दुअधी विकास सोसायटी बंकूरा	168602	310848
72.		नोबल मिशन ऑफ साउथ कोलकाता	232500	शून्य
73.		निमटौरी टमलुक उन्नयन समिति, मेदिनिपुर	185888	216062
74.		स्पेशल ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	35004143	37221823

विवरण-IV

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान पायका स्कीम के अंतर्गत जारी राज्य-वार प्रतियोगिता अनुदान

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13			2013-14		
		ग्रामीण	महिला	पूर्वोत्तर खेल	ग्रामीण	महिला	पूर्वोत्तर खेल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.16	0.34	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1.99	0.32	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0.62	0.23	0	1.6	0.21	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1.12	0.14	0	0.7	0.13	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	2.58	0.69	0	2.45	0.41	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4.18	0.57	0	4.1	0.55	0
15.	महाराष्ट्र	3.44	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0.75	0.17	0.1	0	0	0
17.	मेघालय	0.67	0	0	0	0	0.11
18.	मिज़ोरम	1.06	0.13	0.1	0.58	0.13	0.1
19.	नागालैंड	0.91	0	0.12	0	0	0
20.	ओडिशा	3.86	0.53	0	0	0.27	0
21.	पंजाब	0	0.24	0	1.45	0.13	0
22.	राजस्थान	3.42	0.46	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	1.12	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0.81	0.44	0	8.32	0.57	0
25.	त्रिपुरा	0.76	0.16	0	0.67	0.14	0.1
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	1.15	0	0
27.	उत्तराखंड	1.18	0.1	0	1.1	0.1	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	39.63	4.52	0.32	22.12	2.64	0.31
	भाखेप्रा को जारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं	0	0	0	2.5	0	0
	कुल	39.63	4.52	0.32	24.62	2.64	0.31

वर्ष 2012-13 और 2013-14 में पायका स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार अवसंरचना अनुदान

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13			2013-14		
		ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी अनुदान	ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	10.63	355	32	7.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	666	44	10.28	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	1964	28	25.27	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0.18	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	3.34
9.	हिमाचल प्रदेश	389	10	6.34	0	0	2.99
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	566	18	9.61	565	18	10.2
13.	केरल	200	30	10.36	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	2304	31	32.55
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0.44
18.	मिजोरम	163	5	2.07	245	8	4.1
19.	नागालैंड	0	0	0	438	22	6
20.	ओडिशा	1246	62	19.21	0	0	7.53
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	70	35	2.51	0	0	0.79
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	6.58
25.	त्रिपुरा	0	0	0	208	10	4.3
26.	उत्तर प्रदेश	3384	82	9.03	0	0	4.92
27.	उत्तराखंड	0	0	3.38	1511	17	22.84
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	14	0	0.14	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	एनएसडीएफ पायका	0	0	0	0	0	0
	कुल	8662	314	109.01	5626	138	113.85

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)

वर्ष 2012-13 और 2013-14 में खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन/उन्नयन के लिए शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित और जारी अनुदान

2012-13 (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	5.00 (22.06.2012)	3.75
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9999 (22.06.2013)	1.80
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहाबाद में फुटबाल में लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	4.50 (03.10.2013)	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.9779 (16.10.2012)	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.10.2012)	1.80
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (19.11.2012)	1.80
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैकेंडरी स्कूल, जिला थिरूवरूर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (03.01.2013)	1.80
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50 (07.01.2013)	3.50

1	2	3	4	5
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू, इटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	5.00 (14.02.2013)	1.26
10.	राजस्थान	अलवर, राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (22.03.2013)	1.00
		कुल	54.9778	22.00

2013-14 (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	केरल	केलिकट यूनिवर्सिटी, केरल में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50 (27.06.2013)	3.00
2.	उत्तराखंड	काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में बहुउद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00 (04.07.2013)	1.80
3.	मिज़ोरम	छंगफुत खेल, मिज़ोरम में मैदान चमफाड- सिंथेटिक फुटबाल टूर्फ बिछाना	4.50 (16.07.2013)	3.00
4.	मिज़ोरम	सजाईकांनलूंगई शहर मिज़ोरम में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.07.2013)	1.80
5.	पंजाब	वार हीरोज स्टेडियम, संगरुर में सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50 (27.09.2013)	3.00
6.	उत्तर प्रदेश	श्री मेघवरन सिंह स्टेडियम, सईदपुर, कर्मपुर, उत्तर प्रदेश में सिंथेटिक हॉकी ट्रैक गाजीपुर बिछाना	5.00 (04.10.2013)	3.00
7.	जम्मू और कश्मीर	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बहुउद्धीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (5.11.2013)	1.80
8.	आंध्र प्रदेश	कृषि विश्वविद्यालय बापाटला, गण्टूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय इन्डोर हाल का निर्माण	6.00 (05.11.2013)	1.80
9.	उत्तराखंड	महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, राजयपुर, देहरादून उत्तराखंड में सिंथेटिक ट्रैक हॉकी फील्ड बिछाना	5.00 (07.11.2013)	1.80
10.	राजस्थान	मोहनलाल सुखडिया विश्वविद्यालय उदयपुर (एमएलएस) राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (13.12.2013)	1.80

1	2	3	4	5
11.	नागालैंड	दीमापुर नागालैंड में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00 (16.12.2013)	1.80
12.	अरुणाचल प्रदेश	एसएलएसए काम्प्लेक्स चिम्पू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में फूटबाल टफ बिछाना	4.50 (27.12.2013)	2.25
13.	नागालैंड	जलूकी पैटेन जिला नागालैंड में सिंथेटिक फूटबाल टफ बिछाना	4.50 (31.12.2013	3.00
14.	हरियाणा	भीम स्टेडियम भिवानी में सिंथेटिक एथेलैटिक ट्रैक लगाना	5.50 (20.01.2014)	3.00
		कुल	76.00	32.85

स्वायत्तशासी जिला परिषदों का सशक्तिकरण

1830. श्री जितेन्द्र चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों में संशोधन के द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्वायत्तशासी जिला परिषदों के सशक्तिकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार द्वारा तीन-स्तरीय स्थानिक निकाय प्रणाली के उपबंधों को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा इसके लिए केन्द्रीय पूल से धन का उपबंध करने पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) जी, हां। असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों में गठित स्वायत्त जिला परिषदों को सशक्त बनाने के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य रूप से निर्वाचित ग्रामीण परिषदों, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्रामीण परिषदों एवं जिला परिषदों के चुनाव आयोजित कराना आदि शामिल हैं।

एचओसीएल और एचआईएल का आधुनिकीकरण

1831. प्रो. के.वी. थॉमस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रचालन को सुधारने के लिए केरल के कोचीन के हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की समीक्षा/मजबूती प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार केरल के कोचीन के हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु परियोजनाओं पर कार्य करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) मैसर्स एफएसीटी इंजीनियरिंग एवं डिजाइन संगठन (एफईडीओ) को एचओसीएल के पुनरुद्धार अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अभिग्रस्त किया गया है।

(ग) और (घ) एचआईएच की कोच्चि इकाई में पेंडीमेथाइलीन के निर्माण के लिए बजट अनुमान 2014-15 में योजना ऋण के रूप में 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह पेंडीमेथाइलीन एक हर्बीसाइड है जिसका प्रयोग पहले और बाद में होने वाली वार्षिक जंगली

घास और कुछ पत्तों में लगने वाले कीटों को नियंत्रित करने में किया जाता है।

निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण

1832. श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निःशक्त व्यक्तियों की राज्य और लिंग-वार संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके पुनर्वास और उन्नयन के लिए क्या उपाय किए गए हो और इन पर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार कितना व्यय किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा निःशक्त छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित छात्रों को प्रदान की जाने वाली ऐसी छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निःशक्त व्यक्ति संबंधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न कल्याण योजनाओं से निःशक्त व्यक्ति किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं, जिसमें से 1.50 करोड़ पुरुष तथा महिला विकलांग हैं। उनकी राज्य-वार जनसंख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है:—

(i) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ii) विकलांग व्यक्तियों हेतु यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता प्रदान करने की योजना जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को यंत्र तथा उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन को एजेंसी अनुदान जारी किया जाता है।

(iii) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना जिसके केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों जिसमें स्वायत्तशासी निकाय और विश्वविद्यालय शामिल हैं तथा राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से संबंधित गतिविधियों, विशेषकर पुनर्वास तथा बाधामुक्त एक्सेस के प्रावधान सहित के समर्थन हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक अनुदान सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	जारी अनुदान सहायता		
	डीडीआरएस	एडीप योजना	सिपड़ा
2012-13	46.00 करोड़	रुपए 70.60 करोड़	20.03 करोड़
2013-14	63.64 करोड़	रुपए 95.36 करोड़	47.87 करोड़
2014-15 आदिनांक को	67.59 लाख	रुपए 19.50 करोड़	33.15 लाख

(ख) विकलांग छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथव शैक्षिक संस्थान में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फेलोशिप प्रदान करने के मानदंडों में उम्मीदवार, के पास 40% विकलांगता सहित विकलांगत प्रमाण-पत्र होना चाहिए और भारत में किसी भी मान्यतप्राप्त विश्वविद्यालय तथा संस्थान से एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना चाहिए। वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में क्रमशः 176 और 178 लाभार्थी थे।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम वर्तमान में उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा करने वालों सहित विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:—

नौकरी/स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता के लिए विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पूरे देश में विकलांग छात्रों को 1000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। लड़कियों के लिए 30% छात्रवृत्ति आरक्षित की गयी है। छात्रवृत्ति के लिए केवल भारतीय नागरिक ही पात्र हैं। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 1000, 1216 और 1968 लाभार्थी (नवीनीकरण मामलों सहित) है।

राष्ट्रीय निधि की विकलांग छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना है। प्रतिवर्ष 500 नयी छात्रवृत्तियां समान रूप से चार प्रमुख विकलांगता श्रेणियों

हेतु प्रदान की जानी हैं। (प्रत्येक को 125) – (i) अस्थि विकलांग (ii) दृष्टि बाधित (iii) श्रवण बाधिता (iv) अन्य। प्रत्येक श्रेणी में 40% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमश: 503, 209 तथा 512 लाभार्थी (नवीनीकरण) मामलों सहित हैं।

(ग) और (घ) विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) को वर्ष 2013-14 से 1000 से बढ़ाकर 2000 प्रति वर्ष कर दी गयी है।

(ङ) विभिन्न कल्याण योजनाओं द्वारा देश में विकलांग व्यक्तियों को विशेषकर शिक्षा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और बाधामुक्त वातावरण के क्षेत्र में सशक्त बनाया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2011 की जनगणना के अनुसार कुल विकलांग जनसंख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2266607
2.	अरुणाचल प्रदेश	26734
3.	असम	480065
4.	बिहार	2331009
5.	छत्तीसगढ़	624937
6.	दिल्ली	234882
7.	गोवा	33012
8.	गुजरात	1092302
9.	हरियाणा	546374
10.	हिमाचल प्रदेश	155316
11.	जम्मू और कश्मीर	361153
12.	झारखंड	769980
13.	कर्नाटक	1324205
14.	केरल	761843
15.	मध्य प्रदेश	1551931
16.	महाराष्ट्र	2963392
17.	मणिपुर	54110
18.	मिज़ोरम	15160
19.	मेघालय	44317
20.	नागालैंड	29631
21.	ओडिशा	1244402
22.	पंजाब	654063
23.	राजस्थान	1563694
24.	सिक्किम	18187
25.	तमिलनाडु	1179963
26.	त्रिपुरा	64346
27.	उत्तर प्रदेश	4157514
28.	उत्तराखंड	185272
29.	पश्चिम बंगाल	2017406
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6660
31.	चंडीगढ़	14796
32.	दमन और दीव	2196
33.	दादरा और नगर हवेली	3294
34.	लक्षद्वीप	1615
35.	पुदुचेरी	30189
	योग	26810557

किसान आय बीमा योजना

1833. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आपदा के दौरान निवेश की वापसी सुनिश्चित करने के लिए किसान आय बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कृषि विपणन उपज अधिनियम की समीक्षा पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) विद्यमान बीमा योजना के विशेषताओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों, प्राप्त अनुभवों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचारों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, पॉयलट संशोधित कृषि बीमा योजना, पॉयलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना, पॉयलट नारियल पॉम बीमा योजना को मिलाकर रबी 2013-14 से आगे कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) तैयार किया गया तथा उसे अनुमोदित किया गया। एनसीआईपी में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), नारियल पाम फसल बीमा योजना (सीपीआईएस) शामिल हैं।

(ग) और (घ) कृषि विपणन सहित कृषि राज्यों जिनके अपने कृषि उत्पाद/विपणन विनियमन अधिनियम हैं, का अधिदेश है। कृषि मंत्रालय ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 और मॉडल एपीएमसी नियमावली, 2007 तैयार की थी जिसे सभी राज्यों को अपनाने के लिए भेजा गया था। तद्नुसार राज्यों के संबंधित अधिनियमों में सुधार करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

केन्द्र-राज्य मुद्दे

1834. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री एन.के. प्रेमचन्दन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् और क्षेत्रीय परिषद् बैठकों के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 2014 की तिथि के अनुसार सरकार के पास लंबित उन बिना सुलझे केन्द्र-राज्य मुद्दों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और लंबित मुद्दों के समाधान हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार केन्द्र और राज्यों की गतिविधियों के समन्वय हेतु प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, हां। गृह मंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय परिषदों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की आगामी बैठकों को आयोजित करने के लिए, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, सभी आवश्यक बुनियादी कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि सभी बैठकें अक्तूबर, 2015 के भीतर आयोजित की जा सके। अंतर्राज्यीय परिषद् सचिवालय (आईएससीएस) से इनकी तैयारी से संबंधित कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) वैधानिक, प्रशासनिक, वित्तीय, संस्थागत मामलों अन्य विविध मांगों से संबंधित केन्द्र राज्य के अनेक मुद्दे हैं, जो समय-समय पर उठाए गए हैं। पंछी आयोग ने, जिनका गठन 27 अप्रैल, 2007 को किया गया था, 273 सिफारिशें की हैं, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन गठित अंतर्राज्यीय परिषद् की सहायता के लिए आईएससीएस की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, अतः किसी नए निकाय की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

किसानों को कृषि संबंधी उपकरण

1835. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री कौशल किशोर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु और सीमान्त किसानों सहित किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने छोटे जोतों के लिए उपयुक्त कई निम्न लागत कृषि तकनीकी/उपकरणों को विकसित किया है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर लघु और सीमान्त किसानों के लिए ऐसी कृषि तकनीकी प्रदान की है/प्रदान की जानी प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत देश में ऐसे उपकरणों/तकनीकियों की खरीद हेतु किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि तकनीक की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उइाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) कृषि संगणना 2010-11 के आधार पर देश में सभी प्रकार समूहों की कार्यात्मक जोतों की संख्या और छोटे एवं सीमांत कार्यात्मक जोतधारियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल ने कोयम्बटूर में अपने क्षेत्रीय केन्द्रीय और 24 के साथ "कृषि उपस्कर और मशीनरी" प्रोटोटाइप संभाव्यता परीक्षण, प्रोटोटाईप विनिर्माण, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन किसानों के खेत पर परीक्षण आदि के माध्यम से विभिन्न फसलों एवं जिन्सों की आवश्यकता, कृषि जलवायु क्षेत्रों और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रबंधन के लिए कृषि-मशीनरी विकसित करने को अनिवार्य बनाया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न कृषि उपकरण और उपयुक्त मशीनरी विकसित किए गए हैं।

(ग) और (घ) कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग के निम्नलिखित प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों की कार्य योजना के प्रस्तावों के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती है:-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
2. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
3. राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपॉम मिशन (एनएमओओपी)
4. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)

प्रत्येक स्कीम के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं जिसमें उच्चतम सीमा के साथ उपकरण/उपस्कर की लागत के 25 से 50 प्रतिशत की दर पर राजसहायता प्रदान करना परिकल्पित है।

विभाग की स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को राज्य-वार आवंटित/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कृषि मशीनों एवं उपकरणों के कार्यों, मरम्मत और रख-रखाव पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी कराया जाता है। एटीएमए मास मीडिया और किसान कॉल केन्द्र (केसीसी) स्कीमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करते हैं। किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में उनके स्थान, फसल/कृषि पद्धतियों आदि की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में सूचना देने ओर परामर्श देने के लिए सभी विभागों तथा संगठनों को किसानों के लिए एक राष्ट्रव्यापी एसएमएस पोर्टल को समर्थ बनाया है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए उपयोगी पूर्ण सामग्रियों का प्रकाशन और विस्तार कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित करने सहित कृषक परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थान (आईसीएआर) और कृषि विज्ञान केन्द्र के विस्तार आउटरीच कार्यक्रम है और विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए फ्रंट-लाइन प्रदर्शन भी कराता है।

विवरण-I

सारणी : भारत में कार्यात्मक जोतों की संख्या और छोटे एवं सीमान्त जोतधारियों की संख्या

संघ/राज्य क्षेत्र का नाम	प्रचलनात्मक जोतों की कुल संख्या ('000)	राज्य-वार छोटे प्रचलानात्मक जोत की संख्या ('000)	सीमान्त प्रचलानात्मक जोतों की संख्या ('000)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	2	5
आंध्र प्रदेश	13175	2918	8425
अरुणाचल प्रदेश	109	19	21
असम	2720	497	1831
बिहार	16191	948	14744
चंडीगढ़	1	नगन्य	नगन्य

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	3746	831	2183
दादरा और नगर हवेली	15	4	8
दमन और दीव	8	नगन्य	8
दिल्ली	20	5	11
गोवा	78	10	60
गुजरात	4886	1429	1816
हरियाणा	1617	315	778
हिमाचल प्रदेश	961	175	670
जम्मू और कश्मीर	1449	167	1207
झारखंड	2709	429	1848
कर्नाटक	7832	2138	3849
केरल	6831	180	6580
लक्षद्वीप	10	नगन्य	10
मध्य प्रदेश	8872	2449	3891
महाराष्ट्र	13699	4052	6709
मणिपुर	151	49	77
मेघालय	210	58	103
मिज़ोरम	92	30	50
नागालैंड	178	20	6
ओडिशा	4667	919	3368
पुदुचेरी	33	3	28
पंजाब	1053	195	164
राजस्थान	6888	1511	2512
सिक्किम	75	17	40
तमिलनाडु	8118	1181	6267
त्रिपुरा	578	55	499
उत्तर प्रदेश	23325	3035	18532
उत्तराखंड	913	157	672
पश्चिम बंगाल	7123	980	5853
कुल	138348	24779	92826

स्रोत: कृषि संगणना 2010-11.

विवरण-II

सारणी : कृषि यंत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को राज्य-वार आवंटित/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2011-12			2012-13			2013-14		2014-15 (आवंटन			
	एमएमए	एनएचएम	एनएफएसएम	एमएमए	एनएचएम	एनएफएसएम	एनएचएम	एनएफएसएम	एमआईडीएच	एनएफएसएम	एनएमओओपी	एसएमएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	वर्ष 2014-15 के दौरान एमआईडीएच के अंतर्गत बागवानी यंत्रीकरण के संवर्धन के लिए 5750.18 लाख रुपए निर्धारित की गई है।	0.00	0.00	2.00
आंध्र प्रदेश	3150.00	337.88	1818.63	4365.00	0.00	1845.00	0.00	1211.00		1725.9	0.00	1076.00
अरुणाचल प्रदेश	91.00	0.00	0.00	352	172.0	135.75	0.00	200.10		64.3	0.00	39.00
असम	180.00	0.00	393.72	0.00	0.00	420.00	0.00	967.05		387.18	0.00	554.00
बिहार	2002.78	0.00	715.05	3376.14	59.51	1044.00	65.88	1738.20		431.78	0.00	981.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	400.00	326.19	1431.90	450	290.49	1299.93	745.46	1006.50		1183.6	54.35	568.00
दादरा और नगर हवेली	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.00
दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00
दिल्ली	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00
गुजरात	1189.94	125.8	282.00	1246.97	102.0	358.74	0.00	577.95		768.34	373.67	1029.00
हरियाणा	0.00	318.11	411.45	0.00	321.6	624.70	266.60	1272.00		3109.05	178.68	300.00
हिमाचल प्रदेश	197.26	0.00	0.00	264.19	655.75	285.00	585.90	289.38		166.3	0.00	111.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	701.85	0.00	138.00	1092.74	533.75	62.25	468.90	433.80	वर्ष 2014-15 के दौरान एमआईडीएच के अंतर्गत बागवानी यंत्रीकरण के संवर्धन के लिए 5750.18 लाख रुपए निर्धारित की गई है।	352.9	26.65	140.00
झारखंड	8.00	19.56	309.56	47.00	19.84	293.79	6.81	430.65		189.45	0.00	399.00
कर्नाटक	1912.08	216.75	800.40	1014.31	449.44	422.97		906.90		2225.7	391.32	1306.00
केरल	193.00	82.88	41.55	150.00	0.00	26.25	84.32	30.00		5.3	0.00	273.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1500.00	193.39	1748.01	1725.00	45.69	2263.50	732.49	2778.90		3160.93	563.9	1599.00
महाराष्ट्र	1600.00	229.44	1756.64	1740.00	619.76	1827.90	364.61	2826.63		4477.82	967.42	2264.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	238.3	403.63	308.55	70.0	473.70		83.6	0.00	40.00
मेघालय	50.00	0.00	0.00	400.5	94.63	0.00	63.0	210.60		49.5	0.00	111.00
मिज़ोरम	130.00	0.00	0.00	135.00	277.35	0.00	202.35	59.85		112.5	0.00	45.00
नागालैंड	195.00	0.00	0.00	200.00	152.87	215.79	112.50	360.00		87.3	0.00	54.00
ओडिशा	1325.84	7.44	1010.00	1514.49	340.0	1215.48	338.09	415.23		553.15	22.67	818.00
पुदुचेरी	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00
पंजाब	300.00	143.44	937.65	342.01	204.01	487.00	214.63	1011.00		280.0	0.00	265.00
राजस्थान	216ण00	0.00	810.00	250.00	157.68	1224.30	270.09	1929.00		7905.6	359.47	1761.00
सिक्किम	16.00	0.00	0.00	22.00	123.0	3.00	112.25	18.00		24.0	0.00	15.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	588.00	958.35	226.95	510.00	380.80	577ण50		258.25	177.02	938.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	36.00	513.6	21.25	222.00	17.50	187.50		269.5	0.00	67.00
उत्तर प्रदेश	1199.69	0.00	5592.33	1100.00	131.75	8145.60	207.83	7556.70		1725.0	146.6	2426.00
उत्तराखंड	250.00	0.00	0.00	273.00	221.45	549.60	193.78	656.50		111.25	0.00	113.00
पश्चिम बंगाल	709.00	0.00	477.30	1675.00	0.00	225.00	0.00	316.95		252.86	197.76	880.00
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454.85	20.35	779.00

स्टेडियम का निर्माण

1836. डॉ. वीरेन्द्र कुमार : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषरूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कोई हॉकी स्टेडियम निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त स्टेडियम के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्टेडियम का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

1837. श्री एंटो एंटोनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में विस्तृत कार्य योजना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्दिष्ट की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत केरल में क्रियान्वित किए जा रहे बड़े कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के लिए एनएफएसएम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन और कार्य योजना के अनुमोदन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केरल में, एनएफएसएम-चावल एक जिला अर्थात् पालाक्कड जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएसएम-चावल के अंतर्गत 315.07 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई है जिसमें फसल प्रदर्शन, बीज, वितरण, पौध संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु सहायता, कृषि मशीनरी, प्रशिक्षण, पंपसेट इत्यादि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन और अनुमोदित कार्य योजना

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	अनुमोदित कार्य योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	100.28	123.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.00
3.	असम	106.18	99.34
4.	बिहार	91.55	74.39
5.	छत्तीसगढ़	90.01	95.89
6.	गुजरात	61.71	49.94
7.	हरियाणा	50.62	52.72
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	19.08
9.	जम्मू और कश्मीर	18.00	25.07
10.	झारखंड	30.00	31.75
11.	कर्नाटक	130.91	156.39
12.	केरल	2.01	3.15
13.	मध्य प्रदेश	260.91	283.01
14.	महाराष्ट्र	273.67	332.00
15.	मणिपुर	15.00	15.42
16.	मेघालय	10.22	9.34
17.	मिज़ोरम	7.50	7.08
18.	नागालैंड	20.16	19.90

1	2	3	4
19.	ओडिशा	71.02	79.46
20.	पंजाब	50.60	50.34
21.	सिक्किम	3.01	2.83
22.	राजस्थान	220.40	230.29
23.	तमिलनाडु	60.62	69.06
24.	तेलंगाना	61.58	79.44
25.	त्रिपुरा	20.48	30.88
26.	उत्तर प्रदेश	273.47	312.90
27.	उत्तराखंड	15.22	16.40
28.	पश्चिम बंगाल	52.28	65.82
	कुल	2130.41	2350.12

*एनएफएसएम-चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों सहित।

गैर-कानूनी अप्रवासियों को वापस भेजा जाना

1838. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवासीय गैर-कानूनी अप्रवासियों के लिए असम में स्थापित किए गए बन्दी शिविरों की संख्या कितनी है;

(ख) गैर-कानूनी अप्रवासियों को वापस भेजे जाने के लिए मौजूदा उपबंध क्या हैं और शिविर-वार आज की तिथि तक वापिस भेजे गए गैर-कानूनी अप्रवासियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं कि बन्दी अप्रवासियों के मानवाधिकारों को उल्लंघन नहीं हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) फिलहाल, असम सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अधीन स्थापित विदेशी विषयक अधिकरणों द्वारा गैर-कानूनी घोषित किए गए अप्रवासियों/विदेशियों को रखने के लिए राज्य के गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर जिलों में तीन बंदी शिविर स्थापित किए गए हैं। विदेशी विषयक आदेश, 1948 के पैरा 11(2) के साथ पठित विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) और 3(2) (ङ) के अंतर्गत गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है। गोलपाड़ा बंदी केन्द्र में रखे गए गैर-कानूनी घोषित तेरह (13) व्यक्तियों और धुबरी जेल में बंदी 17 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। बंदी केंद्रों में रखे गए गैर-कानूनी अप्रवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

औषधियों पर लाभ का अंश

1839. श्री थोटा नरसिम्हम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि मूल्य निर्धारण संबंधी हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कुछ सामान्य औषधियों में औषध निर्माण कंपनियों द्वारा उच्च्य लाभांश अर्जित किए जाने की ओर इशारा किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में औषधियों के मूल्यों को विनियमित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में औषधि कंपनियों द्वारा निर्मित सामान्य औषधियों पर लाभ के अंश को नियंत्रित/विनियमित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) हाल ही में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा लाभ के मार्जिन पर कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वप्रेरणा से किया गया एक अध्ययन केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा जून, 2012 में इस मंत्रालय के विचारार्थ और सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित किया गया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि भारत में कुछ प्रमुख औषध कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे कुछ फार्मूलेशनों के संबंध में बहुत अधिक लाभ का मार्जिन/व्यापार मार्जिन आदि है। अध्ययन रिपोर्ट की जांच करने पर एनपीपीए ने यह पाया था कि औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत अनुसूचित औषधि वाली केवल एक दवा अर्थात् सिप्रोफ्लोक्सासिन थी और अन्य गैर-अनुसूचित औषधियां थी जिनके संबंध में एनपीपीए को डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत लांच मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। सिप्रोफ्लोक्सासिन के संबंध में

एनपीपीए ने फार्मूलेटरों के विरुद्ध अधिक मूल्य वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी।

(ग) और (घ) वर्तमान में दवाओं के मूल्य औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित/विनियमित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) में विनिर्दिष्ट सभी दवाओं को डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। एनपीपीए, जो औषध विभाग के अधीन विशेषज्ञों को एक स्वतंत्र निकाय है, को डीपीसीओ, 2013 के अधीन किसी भी औषधि का उच्चतम मूल्य अथवा खुदरा मूल्य निर्धारित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। 30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 440 फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए हैं और डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित दवाओं के मूल्यों में महत्वपूर्ण कमी की गई है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

1840. श्री राजेन गोहेन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतन किए जाने की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अद्यतन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कतिपय राज्यों के असफल होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में समग्र एलआरसी अद्यतन को पूर्ण करने के लिए कोई समयबद्ध समय-सीमा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (घ) सरकार ने देश के सभी व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति का सत्यापन करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) स्कीम के अंतर्गत एकत्र की गई जानकारी के आधार पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने का निर्णय लिया है। व्यय की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

असम राज्य में, नागरिकता का निर्धारण, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 (एनआरसी) को अद्यतन किए जाने के आधार पर किया जाएगा। असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपद्धति के आधार पर, भारत सरकार द्वारा 288.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है जोकि तीन वर्ष में पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

दालों की खेती

1841. श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री इदरिस अली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दालों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र और इनके उत्पादन और उपलब्धियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में झारखंड सहित दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट योजना/स्कीम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) कृषि फसलों के उत्पादन संबंधी प्रथम अग्रिम अनुमानों को सामान्य तौर पर सितम्बर में जारी किया जाता है तथा 2014-15 के लिए उसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान दलहनों के तहत् क्षेत्र तथा उनके उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा दलहनों के उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में दलहनों पर गठित किए गए विशेषज्ञ दल ने विभिन्न राज्यों में दलहनों के विभिन्न प्रकारों के उत्पादन के लिए उपयुक्त एवं क्षमता युक्त जिलों की पहचान की।

(ग) से (ङ) झारखंड राज्य सहित देश में दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन — दलहन (एनएफएसएम-दलहन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि।

विवरण

2011-12 से 2013-14 के दौरान दलहनों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उपलब्धि के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)			उत्पादन लक्ष्य ('000 टन)			अनुमानित उत्पादन ('000 टन)		
	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1931.0	1949.0	1651.0	1600.0	1600.0	1682.0	1230.0	1623.0	1394.0
अरुणाचल प्रदेश	9.5	9.5	#	#	#	#	10.5	10.6	#
असम	119.7	141.2	133.2	63.0	63.0	75.0	68.6	84.4	79.5
बिहार	524.3	515.8	527.7	407.0	631.0	650.0	511.3	542.8	515.6
छत्तीसगढ़	813.6	926.5	894.2	473.0	539.0	540.0	499.1	648.7	635.5
गोवा	9.9	10.0	#	#	#	#	8.3	9.0	#
गुजरात	957.0	660.0	861.0	633.0	643.0	670.0	780.0	572.2	794.0
हरियाणा	180.0	162.9	209.0	151.0	151.0	160.0	127.0	130.4	197.0
हिमाचल प्रदेश	32.3	32.6	31.8	13.0	13.0	14.0	30.8	46.1	36.0
जम्मू और कश्मीर	26.0	26.7	28.5	18.2	18.0	12.0	13.2	14.2	16.2
झारखंड	465.5	587.0	555.4	285.0	305.0	330.0	412.0	609.3	551.7
कर्नाटक	2303.0	2269.0	2498.0	1435.0	1435.0	1430.0	1134.1	1259.3	1450.0
केरल	3.4	3.1	1.2	12.0	12.0	13.0	2.5	3.2	3.9
मध्य प्रदेश	5185.9	5314.4	5429.0	3278.8	3809.0	4050.0	41619	5165.9	5093.6
महाराष्ट्र	3273.0	3274.0	3920.0	2961.0	2961.0	3000.0	2268.6	2306.0	3183.0
मणिपुर	28.5	30.3	#	#	#	#	26.9	28.4	#
मेघालय	4.2	3.6	#	#	#	#	3.7	3.7	#
मिज़ोरम	3.8	3.1	#	#	#	#	5.3	3.3	#
नागालैंड	31.8	39.8	#	#	#	#	34.7	43.6	#
ओडिशा	729.3	827.2	796.8	411.0	429.0	450.0	343.4	424.4	412.4
पंजाब	19.0	64.4	20.8	24.0	54.0	80.0	15.0	53.0	19.9
राजस्थान	4458.0	3245.6	4152.3	2563.0	2573.0	2750.0	2432.1	1956.8	2354.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिक्किम	6.5	6.4	#	#	#	#	5.9	5.8	#
तमिलनाडु	668.5	507.6	876.4	333.0	335.0	370.0	369.3	209.9	369.3
त्रिपुरा	8.6	8.5	#	#	#	#	6.0	6.0	#
उत्तर प्रदेश	2421.0	2367.0	2377.0	2027.0	2247.0	2350.0	2403.0	2332.0	2042.0
उत्तराखंड	55.0	61.0	64.0	24.0	24.0	24.0	49.0	51.3	57.0
पश्चिम बंगाल	185.0	201.9	252.5	181.0	181.0	190.0	130.6	192.3	246.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.8	1.3	#	#	#	#	1.0	0.7	#
दादरा और नगर हवेली	4.3	5.5	#	#	#	#	4.0	5.0	#
दिल्ली	0.4	0.3	#	#	#	#	0.7	0.7	#
पुदुचेरी	2.4	1.6	#	#	#	#	1.0	0.8	#
अन्य	एनए	एनए	119.8	107.0	217.0	160.0	एनए	एनए	117.0
अखिल भारत	24462.2	23256.8	25399.8	17000.0	18240.0	19000.0	17088.9	18342.5	19567.9

*15.05.2014 के अनुसार तीसरे अग्रिम अनुमान।

#अन्यों में शामिल।

एनए: लागू नहीं।

[अनुवाद]

ट्रांसजेण्डर समुदाय का सशक्तिकरण

1842. श्री बैजयंत जे. पांडा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ट्रांसजेण्डर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 के आदेश के तहत गठित की गई ताकि परालिंगी (ट्रांसजेण्डर) समुदाय को पेश आ रही समस्याओं का गहन अध्ययन किया जा सके तथा उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाए जा सकें। इस समिति ने दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) संख्या 400/2012 के संदर्भ में दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को परालिंगी व्यक्तियों के मुद्दों के बारे में अपना निर्णय देते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को परालिंगी समुदाय के कल्याण हेतु विविध उपाय करने तथा उक्त निर्णय में की गई विधिक घोषणा के आधार पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच भी करने का निदेश दिया।

महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षण

1843. श्री धर्म वीर गांधी : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला खिलाड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में पुरुषों के मुकाबले खेल-कूद की श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं कि खेल-कूद की श्रेणियों के अंतर्गत महिला खिलाड़ी आरक्षण का लाभ लें?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) जी, नहीं। शैक्षणिक संस्थानों में खेल श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण महिला खिलाड़ियों पर भी समान रूप से लागू होता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के मुद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सीआरपीएफ कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ा जाना

1844. श्री एम. उदयकुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2009 से 2012 के बीच में 10,000 से अधिक केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के कार्मिकों ने नौकरी छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कारण चिह्नित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की रोकथाम और ऐसे कार्मिकों की कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2009 से 2012 तक की अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी/आर) लेकर जाने वाले/त्याग-पत्र देने वाले कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	त्याग पत्र/ कार्यमुक्ति	कुल
2009	3595	271	3866
2010	2801	822	3623
2011	2379	971	3350
2012	4854	830	5684
कुल	13629	2894	16523

उपर्युक्त के यह देखा जा सकता है कि उक्त 4 वर्षों के दौरान सीआरपीएफ छोड़कर जाने वाले कार्मिकों की कुल संख्या 16523 है, जो प्रतिवर्ष की बल संख्या का केवल 1.47% है।

अधिकांश मामलों में इसके कारणात्मक घटकों में मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत एवं घरेलू कारण पाए गए हैं, जिनमें बच्चों/परिवार के मुद्दे, स्वयं अथवा परिवार का स्वास्थ्य/बीमारी, सामाजिक/पारिवारिक दायित्व एवं प्रतिबद्धताएं इत्यादि शामिल हैं। कुछेक कार्मिक 20 वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने पर सामान्य जीवन जीने एवं पेंशन संबंधी लाभों का फायदा लेने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं।

(ग) वर्ष 2009 से 2012 तक की अवधि के दौरान, सीआरपीएफ छोड़कर जाने वाले कार्मिकों का उक्त प्रतिशत सामान्य और स्वीकार्य है। तथापि, बल कार्मिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं सहित उनके कार्यकरण की शर्तों में सुधार लाने के लिए, सीआरपीएफ ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) पारदर्शी, विवेक पूर्ण और निष्पक्ष छुट्टी संबंधी नीति का कार्यान्वयन;

(ii) उनकी तत्काल घरेलू समस्याओं/मुद्दों/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल कार्मिकों को उदारतापूर्वक छुट्टी की अनुमति;

(iii) सैन्य बलों की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कमांडरों, अधिकारियों और सैनिकों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की नियमित वार्ता;

(iv) शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना;

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य के घंटों को नियमित करना;

(vi) सैन्य बलों और उनके परिवारों के लिए मूलभूत सुख-साधनों/सुविधाओं के प्रावधान द्वारा जीवन स्तर में सुधार करना;

(vii) वर्धित जोखिम, कठिनाई और अन्य भत्ते के माध्यम से बलों को प्रेरित करना;

(viii) अपने परिवार के सदस्यों के सम्पर्क में रहने तथा दूरस्थ स्थलों में तनाव को कम करने के लिए सैन्य बलों को एसटीडी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान;

(ix) विशिष्ट सुविधाओं के साथ संयुक्त अस्पताल आरंभ करने

सहित सैन्य बलों तथा उनके परिवारों हेतु बेहतर मेडिकल सुविधाएं;

(x) उनकी व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की बातचीत कराना;

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन हेतु योगा और मेडिटेशन कक्षाएं;

(xii) मनोरंजन एवं खेल सुविधाएं एवं टीम गेम तथा खेलों आदि का प्रावधान;

(xiii) टुकड़ियों तथा उनके परिवारों को केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन तथा कार्मिकों को बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी सुविधाएं इत्यादित मुहैया कराना।

(xiv) सीएपीएफ के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व-सीएपीएफ का दर्जा प्रदान करना, जिससे विद्यमान सीएपीएफ कार्मिकों का मनोबल बढ़ने और उनकी बेहतर पहचान एवं सामुदायिक मान्यता का प्रावधान होने और इस प्रकार समाज में पूर्व-सीएपीएफ कार्मिकों का मान-सम्मान एवं गौरव बढ़ने की आशा है।

(xv) कल्याण उपाय के रूप में लेह सहित पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्रों में, तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को एयर कुरियर सेवा सुविधाएं प्रदान की गई है।

(xvi) शांति वाले क्षेत्रों में, जहां परिवारिक आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां कार्मिकों को अपने परिवार के साथ रखने की अनुमति दी जा रही है। उन्हें निर्धारित अर्जित अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश के साथ-साथ अन्य स्वीकार्य पितृत्व/मातृत्व अवकाश इत्यादि भी लेने की अनुमति है। उनके तनाव एवं दबाव को कम करने के लिए उन्हें गृह नगर जाने हेतु प्रतिवर्ष नि:शुल्क छुट्टी पास/एलटीसीसी सुविधा प्रदान की जाती है।

(xvii) 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात्, सरकार द्वारा सहायक कमांडेन्ट एवं मेडिकल अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल की भी अनुमति दी जाती है।

(xviii) डायनमिक एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) स्कीम के तहत आईजी (मेडिकल) के रैंक तक डॉक्टरों (जीडीएमओ और विशेषज्ञों) को समयबद्ध वित्तीय उन्नयन भी प्रदान किया जाता है।

(xix) त्याग-पत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदनों पर कार्रवाई करते समय, कार्मिकों को उनके त्याग-पत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके द्वारा सामना की जाने वाली बेरोजगार की स्थिति एवं वित्तीय कठिनाइयों के बारे में यथोचित तरीके से समझाया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का भंडारण और वितरण

1845. श्री रामदास सी. तडस : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने आम जनता की सुविधा के लिए जिला स्तर पर खाद्यान्न के भंडारण और वितरण हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) भंडारण और वितरण प्रणाली इस प्रकार तैयार की जाती है। कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जिले में भारतीय खाद्य निगम का एक बेस डिपो ही अथवा वह उस बेस डिपो से सम्बद्ध हो। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

उपर्युक्त संदर्भ में भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम: इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए भंडारण क्षमता का निर्माण निजी पार्टियों और सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों की सहायता से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति से किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 19 राज्यों के गोदामों में निर्माण हेतु 203.76 लाख टन क्षमता अनुमोदित की गई है। दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार 120.30 लाख टन क्षमता पूरी कर ली गई है।

2. एक योजना स्कीम के अंतर्गत भी 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 3,68,950 टन क्षमता निर्मित करने के लिए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। विगत दो

वर्षो (2012-13 और 2013-14) में पूरी की गई क्षमता 27,070 टन है।

3. पीईजी स्कीम के अंतर्गत समग्र लक्ष्य के भीतर सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति के माध्यम से आधुनिक साइलोज के रूप में 20 लाख टन भंडारण क्षमता निर्मित की जा रही है।

[अनुवाद]

फर्नीचर की खरीद

1846. श्री बिष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार प्रशासन के सरकारी विभागों द्वारा गत पांच वर्ष के दौरान विभाग-वार कुल कितना फर्नीचर खरीदा गया;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन को स्थानीय स्तर पर बने फर्नीचर की खरीद करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उक्त अवधि के दौरान ऐसे फर्नीचर की खरीद का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन के 32 विभागों द्वारा खरीदे गए फर्नीचरों का ब्यौरा/मात्रा को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) स्थानीय स्तर पर बने फर्नीचर की खरीद करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	विभाग	सामग्री का विवरण	संख्या
1	2	3	4
1.	सचिवालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कुर्सी, टेबल, अलमारी, बुक शेल्फ, कम्प्यूटर की कुर्सी और टेबल, एक्जिक्यूटिव कुर्सी, सोफा-सेट, सजावट वाली कुर्सी आदि।	533
2.	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर की कुर्सी और टेबल, एक्जिक्यूटिव कुर्सी, अलमारी, फिक्सिग, रैक, सोफा-सेट, साइड रैक, घूमने वाली कुर्सी आदि।	229
3.	उद्योग विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर की कुर्सी और टेबल, स्टूल, अलमारी, एक्जिक्यूटिव कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, फाईल कैबिनेट आदि।	199
4.	पुलिस अधीक्षक (भ्रष्टाचार-निरोधी) अंडमान और निकोबार प्रशासन	स्टील की अलमारी, रैक, एक्जिक्यूटिव कुर्सी, सजावट वाली कुर्सी, कम्प्यूटर टेबल, घूमने वाली कुर्सी आदि।	68
5.	कमांडिंग ऑफिसर, एनसीसी, अंडमान और निकोबार प्रशासन	प्लास्टिक की कुर्सी, कम्प्यूटर की कुर्सी और टेबल, स्टील अलमारी, कार्यालय टेबल, सोफा सेट, स्टील रैक, सम्मेलन टेबल एवं कुर्सी, सेंटर टेबल, लकड़ी की रैक, जीआईपाइप की बैड आदि।	211
6.	गवर्नमेंट प्रेस, अंडमान और निकोबार प्रशासन	घूमने वाली कुर्सी, कार्यालय की कुर्सी एवं टेबल, कम्प्यूटर कुर्सी, स्टील रैक, प्लास्टिक कुर्सी आदि।	61
7.	जिला और सत्र न्यायालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	पुस्तक केस, कुर्सी, टेबल, अलमारी, पुस्तक सेल्फ आदि।	103
8.	राज निवास, अंडमान और निकोबार प्रशासन	घूमने वाली कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, अलमारी, फाईल रैक, पुस्तक सेल्फ, कार्यापालक टेबल एवं कुर्सी आदि।	38

1	2	3	4
9.	टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, छात्र कुर्सी एवं टेबल, ग्रीन बोर्ड, सोफा सेट, सेंटर टेबल, सजावट वाली कुर्सी, स्टूल, कार्यापालक कुर्सी आदि।	840
10.	मत्स्यन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कार्यपालक कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, स्टील टेबल एवं कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, फाईल रैक, अलमारी आदि।	351
11.	राजभाषा विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	स्टील कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी, कार्यापालक कुर्सी आदि।	25
12.	आईपी एंड टी निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	तीन सीटों वाली कुर्सी, अलमारी, कम्प्यूटर कुर्सी, टेबल, कार्यापालक एवं सजावट वाली कुर्सी आदि।	93
13.	मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, कार्यालय कुर्सी, कार्यालय की कुर्सियों एवं हेड रेस्ट कुर्सियां (बिना हत्थे वाली)।	25
14.	सामाजिक कल्याण निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कार्यापालक टेबल एवं कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल और सजावट वाली कुर्सी।	12
15.	जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कार्यापालक कुर्सी, घूमने वाली कुर्सी, अलमारी, पुस्तक सेल्फ, फाईल कैबिनेट, कम्प्यूटर कुर्सी, सजावट वाली कुर्सी आदि।	33
16.	जनजातीय कल्याण निदेशलय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कुर्सी, टेबल, स्टील रैक, सोफा सेट, पुस्तक सेल्फ आदि।	142
17.	आपदा प्रबंधन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	स्टील अलमारी, कार्यापालक कुर्सी, सजावट वाली कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, फाईल कैबिनेट, घूमने वाली कुर्सी, सम्मेलन टेबल एवं कुर्सी, सोफा सेट आदि।	330
18.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	आरामदायक आईसीयू बेड, डीलक्स श्रेणी बेड, पूर्णतया: इलेक्ट्रिक आईसीयू बेड, सीपीआर एवं बैटरी बैकअप सिस्टम के साथ, कार्यपालक टेबल एवं कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, स्टील रैक, (2, 4, 5 सेल्फ), कार्यालय टेबल, सजावट वाली कुर्सी, प्लास्टिक कुर्सी, तीन एवं पांच सीट वाली कुर्सी, शीशे वाली बुक सेल्फ, डिस्पेंशिंग स्टूल, लकड़ी की स्टूल, स्टील, लॉकर, अलमारी, (बड़ा एवं छोटा) टेबल ग्लास, सिस्टर के लिए कुर्सियां, सेमी एक्जीक्यूटिव कुर्सी, फाईल केबिनेट, घूमने वाली ऊंची स्टूल आदि।	3798
19.	परिवहन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, कार्यपालक कुर्सी, सेमी हाई-बैक कुर्सी, स्टील की हत्थे वाली कुर्सी, तीन कुर्सियों का सेट, डेस्क लेट के साथ कुर्सी, स्टील रैक एवं अलमारी (बड़ा, छोटा एवं मध्यम), स्टूल, कार्यालय टेबल, स्लाइडिंग शोकेस, पुस्तक सेल्फ, व्हील बरो, लकड़ी की टेबल एवं कुर्सी आदि।	1143

1	2	3	4
20.	मुख्य अभियंता, अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कुर्सी, टेबल, लकड़ी की डाइनिंग टेबल, टीपॉय कुर्सी, पदाऊक कोट, सजावट वाली कुर्सी, अलमारी, ग्लास टॉप डाइनिंग टेबल और टी टेबल, रैक, ड्रेसिंग टेब, सोफा सेट, बेड साईड टेबल, स्टूल, टीवी स्टेंड, स्टील कुर्सी एवं टेबल, सम्मेलन टेबल एवं कुर्सी, साफा सेट, हाई बैक रियोल्विंग कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी एवं टेबल, कार्यापालक कुर्सी एवं टेबल, डांइनिंग टेबल, लकड़ी की कुर्सी एवं बैंच, जज की टेबल एवं कुर्सी, पुस्तक केस आदि।	1082
21.	शिक्षा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कार्यपालक टेबल एवं कुर्सियां (हाइड्रोलिक), कम्प्यूटर टेबल एवं कुर्सी सेमी एक्जीक्यूटिव कुर्सी, सजावट वाली कुर्सी, लकड़ी के डेस्क और बैंच का सेट (बड़ा एवं छोटा) अलमारी आदि।	4173
22.	पर्यटन निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल एवं कुर्सी, सामान का रैक, क्लर्क की कुर्सी, कम्प्यूटर टेबल एवं कुर्सी, अलमारी, कार्यपालक टेबल, फाईल भंडारण यूनिट, फाईल रैक, मैमेन्टो केबिनेट, लकड़ी के दरवाजे, प्लास्टिक की कुर्सी, चौड़े बैंच, सजावट वाली कुर्सी, बेड साइड टेबल, खाट/बेड पैडॉक, ड्रेसिंग टेबल, स्टूल, स्टडी टेबल एवं कुर्सी, कॉफी टेबल, कैन की कुर्सी, वारड्रोब, कुर्सी एवं टेबल, बेड साइड रैक आदि।	1053
23.	आरडी, पीआरआई एवं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	स्टील टेबल एवं कुर्सी, कार्यपालक टेबल एवं कुर्सी, सेमी एक्जीक्यूटीव कुर्सी, कम्प्यूटर कुर्सी, अलमारी, प्लास्टिक की गद्देदार कुर्सी, स्टील रैक, कम्प्यूटर की घूमने वाली कुर्सी आदि।	304
24.	उपायुक्त कार्यालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कम्प्यूटर कुर्सी, सजावट वाली कुर्सी, पैडस्टल फैन, स्टील की एक्जीक्यूटिव टेबल, स्टील अलमारी, स्टील रैक, घूमने वाली एक्जीक्यूटिव कुर्सी, बुक सेल्फ, श्वेत बोर्ड, विनाइल फ्लोरिंग, घास वाले कारपेट, प्लास्टिक की कुर्सी, लेखन बोर्ड, औद्योगिक पंखे, कोयर मैट, ढ़कन वाले डस्टबिन, कुर्सियों के साथ चार सीट वाले क्रास लैग्ड राउंड टेबल, पुस्तक केस, लकड़ी की स्टूल, सेंटर टैबल, कम्प्यूटर टेबल, तीन सीट वाली विजिटर स्टील कुर्सी आदि।	654
25.	नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	सोफा सेट, एक्जिक्यूटिव ऑफिस टेबल एवं कुर्सी, स्टील अलमारी (बड़ा एवं छोटा), सजावट वाली कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, घुमने वाली कुर्सी, कम्प्यूटर टेबल एवं कुर्सी, स्टील रैक, तीन सीट वाली कुर्सी, सेंटर टेबल, लेखन स्टेंड, स्टीइल पुस्तक केस आदि।	380
26.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर टैक्नॉलोजी संस्थान, अंडमान और निकोबार प्रशासन	चौक बोर्ड, स्टील अलमारी, फैब्रीकेटिड कुर्सी, घूमने वाली कुर्सी, टेबल, पदाऊक सजावट वाली कुर्सी, काउंटर टेबल, लकड़ी के खाट, चुबंकीय स्वेत पट, एक्जिक्यूटिव कुर्सी, कम्प्यूटर डेस्क, फाईल केबिनेट आदि।	792

1	2	3	4
27.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कुर्सी	06
28.	अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन	घूमने वाली कुर्सी एवं स्टील अलमारी	02
29.	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन	स्टील अलमारी, रैक, टेबल विजीटर कुर्सी, एक्जिक्यूटिव कुर्सी एवं टेबल, पुस्तक केस, कम्प्यूटर कुर्सी, लकड़ी की टेबल एवं बैंच, एडजस्टेबल स्टूल, सजावट वाले गद्दीदार कुर्सी, कार्यालय का बड़ा टेबल आदि।	953
30.	पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अंडमान और निकोबार प्रशासन		637
31.	रजिस्ट्रार सहकारी समिति, अंडमान और निकोबार प्रशासन	शून्य	शून्य
32.	पुलिस महानिदेशक, अंडमान और निकोबार प्रशासन	कार्यालय के फर्नीचर।	7522

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लंबित प्रस्ताव

1847. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में गुरु-शिष्य परंपरा की प्रदर्शक कांगड़ा लघु चित्रों का पुनरुद्धार करने, शिमला स्थित हिमाचल राज्य संग्रहालय, धर्मशाला में स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय, चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देने तथा शिमला के हेरिटेज गेइटी थियेटर में गेइटी रिपर्टरी शुरू करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा विशेषज्ञ समिति ने इस बारे में अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रस्ताव की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला का विकास	हिमाचल प्रदेश सरकार से जनवरी, 2014 में प्राप्त प्रस्ताव को दिनांक 16.05.2014 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक के समक्ष रखा गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने

1	2	3
		के लिए दिनांक 23.06.2014 को राज्य सरकार को 5 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	भूरी सिंह संग्रहालय, चंबा का विकास	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 05.03.2014 को राज्य सरकार को 18.80 लाख रुपए के अनुदान की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।
3.	कागड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला का विकास	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 06.03.2014 को राज्य सरकार को 32.00 लाख रुपए के अनुदान की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।
4.	कांगडा लघु चित्र	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला ने अपने आप अथवा भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला की सिफारिश पर गुरू-शिष्य परंपरा के अंतर्गत कलाकारों के लिए कांगडा लघु चित्र के पुनरुद्धार एवं प्रचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।
5.	शिमला के हेरिटेज गेइटी थिएटर में गेइटी रिपर्टरी शुरू करना	यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जेल सुधार

1848. श्री बी.वी. नाईक :
श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेल सुधार से संबंधित सार्वजनिक-निजी भागदीरी वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में जेल सुधार करने के लिए ऐसी और अधिक पहलें करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अधीन "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सहकारों का है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की तकनीकी जानकारी और व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करने के लिए, जेलों से संबंधित निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिन राज्यों में ये परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं, वे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा हैं।

आंध्र प्रदेश में, निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग केन्द्रीय और जिला जेलों के परिसरों में आधुनिक उद्योग शुरू करने के लिए किया गया है ताकि कैदियों को प्रशिक्षित करने और रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने और लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सके जिससे जेल से छूटने के बाद के जीवन के लिए उनके कौशल में वृद्धि हो सके। निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित यूनिटें स्थापित की गई हैं — केन्द्रीय कारागार, विशाखापत्तनम में काजू छीलने की यूनिट; कदापा, राजामुंद्री, वारंगल, हैदराबाद और प्रिजनर एग्रीकल्चरल कॉलोनी चेरलापल्ली स्थित केन्द्रीय कारागार में इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, केन्द्रीय कारागार, विशाखापत्तनम में डेयरी और कृषि संबंधी गतिविधियां; केन्द्रीय कारागार, विशाखापत्तनम के जेल परिसर के बाहर पल्प वुड प्लांट की विभिन्न प्रजातियों के क्लोन संबंधी प्रचार; कदापा स्थित केन्द्रीय कारागार में अगरबत्ती बनाने की यूनिट, विशाखापत्तनम केन्द्रीय कारागार में झाड़ू बनाने और पत्तों की प्लेटें बनाने की यूनिट, प्रिजनर एग्रीकल्चरल कॉलोनी, अनन्तपुरम और चेरलापल्ली में हर्बल पौधों की खेती, प्रिजनर एग्रीकल्चरल कॉलोनी, अनन्तपुर में

आरियेंटल तम्बाकू (इज्मोर किस्म) की खेती, केन्द्रीय कारागार चेरलापल्ली में अगरबत्ती बनाने की यूनिट।

तमिलनाडु में निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग, टेरी काटन के उत्पादन और जेल, पुलिस और अग्निशमन कार्मिकों के लिए वर्दी बनाने के लिए किया जाता है। कर्नाटक में बेकरी यूनिट और बंगलौर में वस्त्र निर्माण यूनिटें तथा हरियाणा में प्लास्टिक पार्ट्स बनाने और बेकरी यूनिटें कार्य कर रही हैं।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अधीन "कारागार" राज्य का विषय है और कारगार प्रशासन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, देश में जेलों के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर 1800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जेलों के आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई है। आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा 125 नई जेलों और 1579 अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया गया है। इससे वर्ष 2009 में मौजूदा 122.08% की भीड़-भाड़ कम होकर वर्ष 2012 में 112.08% हो गई है। 13वें वित्त आयोग द्वारा आठ राज्यों — आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ओडिशा और त्रिपुरा को वर्ष 2011-2015 से जेलों के उन्नयन के लिए 609 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए थे।

अभिसरण क्षेत्र

1849. श्री प्रताप सिम्हा :
श्री नलीन कुमार कटील :
कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय से परामर्श सहित कतिपय अभिसरण क्षेत्रों को चिह्नित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने दोनों मंत्रालयों के लिए संयुक्त कार्य योजना के अंतर्गत अभिसरण के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है।

दोनों मंत्रालयों द्वारा पहचान किए गए अभिसरण के प्रमुख क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:—

1. जहां कहीं भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया/फूड फेस्टिवल/रोड शो आयोजित किए जा रहे हों वहां संयुक्त प्रचार एवं कार्य
2. विरासत स्थलों से संबंधित पर्यटन परियोजनाएं
3. एएसआई स्मारकों पर स्वच्छ भारत अभियान
4. "इंक्रेडिबल इंडिया" का संयुक्त संवर्धन
5. पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के मध्य स्मारकों और विरासत स्थलों पर आगंतुक सुविधाओं में सुधार के लिए समझौता-ज्ञापन
6. पर्यटक परिपथों का विकास
7. पर्यटक गाइड प्रशिक्षण के लिए संयुक्त कार्य योजना।

[हिन्दी]

पर्यटकों के लिए बहु-भाषिक हेल्पलाइन

1850. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों को पर्यटन संबंधी सूचना और स्थानीय सहायता देने के लिए एक बहु-भाषिक हेल्पलाइन नवम्बर शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित हेल्पलाइन के कब तक प्रचालनरत होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटकों के उपयोगार्थ देश में स्थित पर्यटन-स्थलों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आने वाले पर्यटकों (आगमन पूर्व और पश्चात्) को सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम, अर्हता प्राप्त और अनुभवी साझेदारों के माध्यम से टेलीफोनिक सम्पर्क केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस सेवा से मुख्यत: निम्नलिखित लोगों को सहायता मिलेगी:— (i) जो लोग विदेशों से कॉल कर रहे हैं और भारत के भीतर यात्रा के बारे में बहुत कम जानते हैं; और (ii) जो भारत पहुंच चुके हैं परन्तु भारतीय प्रणाली (निजी क्षेत्र प्रणाली सहित) और/अथवा भारतीय भाषाओं, यहां तक कि अंग्रेजी को भी नहीं समझते। मंत्रालय मार्गदर्शन सेवाओं के लिए बैंक ऑफिस कार्यों को आउटसोर्स करेगा। जिन भाषाओं के संबंध में सम्पर्क केन्द्र सेवाएं प्रदान करेंगे उनमें अंग्रेजी और हिन्दी

के अलावा दस अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं अर्थात् अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटैलियन, जापानी, कोरियाई, चीनी, पुर्तगाली, रूसी, स्पैनिश शामिल हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है कि इन्फोलाइन 31 मार्च, 2015 से शुरू हो जाए।

(ग) और (घ) पर्यटक स्थलों की पहचान एक सतत् प्रक्रिया है और सभी महत्वपूर्ण घरेलू पर्यटक स्थलों के बारे में सूचना पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट *www.incredibleindia.org* पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

किसानों से धान की खरीद

1851. श्री भीमराव बी. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों से किसानों से धान की सीधी खरीद करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खरीदे गए धान की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्रा कितनी है; और

(ग) यदि हां, तो बिचौलियों से बचने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) जी, हां। सरकार तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किसानों से धान सहित खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है। चावल की खरीद, किसानों से सीधे खरीद के अतिरिक्त मिल-मालिकों से संग्रहित लेवी के माध्यम से भी की जाती है। किसानों से सीधे खरीदे गए धान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा धान की राज्य-वार सीधी खरीद

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2010-11	खरीफ विपणन मौसम 2011-12	खरीफ विपणन मौसम 2012-13	खरीफ विपणन मौसम 2013-14* (17.07.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	24.47	21.23	14.31	0.72
तेलंगाना	—	—	—	24.53
असम	0.23	0.34	0.27	नगण्य
बिहार	11.44	22.87	19.44	12.36
चंडीगढ़	0.13	0.19	0.18	0.17
छत्तीसगढ़	51.16	59.71	71.35	63.96
दिल्ली	—	—	0	0
गुजरात	—	0.05	0	0

1	2	3	4	5
हरियाणा	24.82	29.66	38.54	35.87
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
झारखंड	0	4.11	3.21	नगण्य
जम्मू और कश्मीर	0.04	0.02	0.04	नगण्य
कर्नाटक	0.35	2.29	0.22	0
केरल	3.93	5.61	3.58	5.36
मध्य प्रदेश	4.28	9.4	13.4	15.6
महाराष्ट्र	1.94	2.6	2.86	2.4
नागालैंड	—		0	0
ओडिशा	36.14	42.1	53.5	42.04
पुदुचेरी	—		0	0
पंजाब	128.86	115.39	127.73	120.98
राजस्थान	—		0	0
तमिलनाडु	23.03	23.82	7.17	9.22
उत्तर प्रदेश	14.46	23.24	17.8	9.07
उत्तराखंड	0.15	0.19	0.32	0.47
पश्चिम बंगाल	11.76	14.43	14.32	7.7
जोड़	337.21	377.24	388.22	350.45

*खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अभी चल रहा है।

डोपिंग-रोधी कार्यक्रम

1852. श्री नलीन कुमार कटील :
श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल-कूद के क्षेत्र में डोपिंग-रोधी उपायों/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप, डोपिंग-रोधी कार्यक्रम के पुनर्गठन की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डोपिंग-रोधी अनुशासनिक पैनल द्वारा दंडित किए गए भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या खेल-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को डोपिंग-रोधी कार्यक्रम के बारे में परामर्श देने के लिए पृथक फोन-लाइनें रखने जैसे

उपायों के जरिए संबंधितों की जागरुकता बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) सरकार और राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी खेलों को "डोप मुक्त" बनाने और देश में खेलों के लिए एक साफ और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए मिल कर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में न रहने और प्रतियोगिता से बाहर होने पर डोप परीक्षणों का आयोजन कर खेलों में डोप के विरुद्ध कड़े उपाय कर रही है। सरकार डोप रोधी विनियमों का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल बरदाश्त न करने की घोषणा बार-बार कर चुकी है। इस प्रयास में, नाडा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एथलीटों पर 11949 डोप परीक्षण किए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने नाडा के माध्यम से देश भर में खिलाड़ियों पर डोपिंग के दुष्प्रभावों के संबंध में विभिन्न शैक्षिक और जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। नाडा के तकनीकी अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के क्षेत्रीय केन्द्रों और अन्य स्थानों (जहां प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं) का दौरा करते हैं और नियमित आधार पर व्याख्यानों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करके अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, तेलुगु, मलयालयम, पंजाबी और बंगाली में मुद्रित डोप नियंत्रण पुस्तिका की सहायता से एथलीटों को खेलों में डोपिंग और डोप पदार्थों के नुकसानदेह प्रभावों की शिक्षा दे रहे हैं। नाडा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) के स्कूलों और स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ परिसंघों द्वारा आयोजित खेल स्पर्धाओं के माध्यम से डोप रोधी उपायों के संबंध में कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर समन्वय स्थापित कर रहा है। ऐसी स्कूली स्पर्धाओं में छात्रों के "जागरुकता स्तर" में प्रत्यक्ष तौर पर और युवा खिलाड़ियों की जरूरत के अनुरूप स्कूली कोचों के माध्यम से सुधार करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण खेल केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण (सार्ड) प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न डोप रोधी जागरुकता संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

(ख) जैसा कि न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति द्वारा सिफारिश की गई है, भारत सरकार ने देश में डोपिंग की बुराई को रोकने के लिए अनेक पहलें और सुधारात्मक उपाय किए हैं। सिफारिशों के आधार पर नाडा ने सूचना, शिक्षा ओर संप्रेषण (आईसी) अभियान पर परामर्श के लिए चिकित्सकों, विधिक सदस्यों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों वाले पेनल का गठन किया। यह विशेषज्ञ समूह अभियान के उद्देश्यों के अनुसार डोप रोधी शिक्षा योजना प्रतिपादित करेगा। यह समूह खेलों में विभिन्न हितधारकों के लिए शिक्षा-सह-जागरुकता सामग्री तैयारी करेगी। यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) से समन्वय कर मेडिकल प्रेक्टिशनरों के लिए निषिद्ध पदार्थों और निर्धारित औषधियों के बारे में जानने के लिए डोप रोधी उपायों पर कन्टीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (सीएमई)/कार्यशालाएं आयोजित करेगा। यह विशेषज्ञ भारतीय परिवेश आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया की ओर से शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए वाडा द्वारा विकसित सभी प्रासंगिक सामग्री को कस्टमाइज करेंगे।

प्रतिभांगी एथलीटों की सहायता के लिए भारतीय खेल परिसंघों के सहयोग से मांग आधारित जागरुकता सह-शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। इसके अलावा, नाडा ने इस वित्त वर्ष में सभी हितधारकों के लिए 50 डोप रोधी कार्यशालाएं/संगोष्ठियों के आयोजन का प्रस्ताव किया है। इनमें से अभी तक 13 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डोप रोधी अनुशासनिक पेनल ने कुल 425 भारतीय खिलाड़ियों को दंडित किया है। खेल विधा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए एक योजना का पहले ही प्रस्ताव किया है जिसमें संपूरकों और ओषधियों के प्रयोग के संबंध में खिलाड़ियों और कोचों को परामर्श देने के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। तथापि, नाडा प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी खिलाड़ियों, कोचों और सहायक स्टाफ में डोप नियंत्रण पुस्तिका, निषिद्ध पदार्थों की सूची और एथलीटों के लिए क्या करें और क्या न करें मदों के वितरण से जागरुकता उत्पन्न कर रहा है।

विवरण

खेल विधा-वार खिलाड़ियों को दिए गए दंड

वर्ष-2011

क्र. सं.	खेल विधा	भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए दंड की संख्या
1	2	3
1.	कबड्डी	03
2.	एथलेटिक्स	26
3.	भारोत्तोलन	18

1	2	3
4.	सॉफ्ट टेनिस	01
5.	पावरलिफ्टिंग .	12
6.	कुश्ती	04
7.	रग्बी	01
8.	फुटबाल	01
9.	मुक्केबाजी	11
10.	ताईक्वांडो	01
11.	बास्केटबॉल	02
12.	बॉडी बिल्डिग	01
13.	जूडो	02
14.	वाली बॉल	01
	कुल	84

वर्ष-2012

क्र. सं.	खेल विधा	भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए दंड की संख्या
1	2	3
1.	एथलेटिक्स	45
2.	बॉडी बिल्डिग	07
3.	पावरलिफ्टिग	13
4.	भारोत्तोलन	30
5.	साईक्लिग	02
6.	मुक्केबाजी	14
7.	जूडो	03
8.	तैराकी	07
9.	ट्राईथलान	01
10.	कुश्ती	17
11.	कबड्डी	26
12.	कयाकिंग एवं केनोइंग	04
13.	हॉकी	01
14.	वालीबाल	01
15.	फुटबाल	01
16.	रोइंग	02
17.	ताईक्वांडो	02
18.	वुशु	01
	कुल	177

वर्ष-2013

क्र. सं.	खेल विधा	भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए दंड की संख्या
1	2	3
1.	एथलेटिक्स	23
2.	बास्केटबाल	01
3.	बॉडी बिल्डिग	07
4.	मुक्केबाजी	06
5.	साईक्लिग	02
6.	फुटबाल	01
7.	जिम्नास्टिक	01
8.	जूडो	07
9.	कबड्डी	06
10.	पावरलिफ्टिंग	08
11.	तैराकी	01

1	2	3
12.	वालीबाल	01
13.	भारोत्तोलन	27
14.	कुश्ती	13
	कुल	104

वर्ष-2014 (15.07.2014 की स्थिति)

क्र. सं.	खेल विधा	भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए दंड की संख्या
1.	एथलेटिक्स	18
2.	बास्केटबाल	01
3.	बॉडी बिल्डिंग	01
4.	मुक्केबाजी	03
5.	जूडो	01
6.	पावरलिफ्टिंग	06
7.	तैराकी	01
8.	ताईक्वांडो	04
9.	भारोत्तोलन	20
10.	कुश्ती	04
	कुल	60

पर्यटन विकास के लिए सहायता

1853. श्री एन. क्रिष्टप्पा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पर्यटन के विकास हेतु राज्यों को सहायता देने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुत से पर्यटन स्थलों को विदेशी वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुई और व्यय की गई ऐसी सहायता का परियोजना-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ द्वीपों को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में घोषित/विकसित करने तथा राज्य सरकारों को इस संबंध में सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश में पर्यटन के विकास के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) द्वीपों में पर्यटन के सम्वर्द्धन सहित विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योज़ना दिशा-निर्देशों की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

देश में द्वीपों का विकास करने के लिए सीएफए प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों का विवरण

1. **गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास :** इस स्कीम का उद्देश्य देश में कर्नाटक परिपथों एवं गंतव्यों की पहचान करना और उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास करना है। इन परिपथों और गंतव्यों में पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इस स्कीम में रखे गए प्रावधानों में ग्रामीण पर्यटन हेतु प्रावधान भी शामिल हैं। इस स्कीम के तहत जनजातीय उप-योजना हेतु वार्षिक योजना 2014-15 के 2.5% का आवंटन किया गया है।

2. **वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं हेतु सहायता :** इस स्कीम का उद्देश्य पब्लिक सेक्टर द्वारा उदार नीतियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण और अनुकूल परिवेश प्रदान करके और निजी सेक्टर की प्रौद्योगिकीय

प्रबंधकीय दक्षताओं और संसाधनों को आकर्षित करके देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर साझेदारी सुनिश्चित करना है।

3. **आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार :** इस स्कीम के अंतर्गत घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरुकता संदेशों के प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों का संवर्धन करने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान शुरू किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर को पर्यटक गंतव्यों के रूप में संवर्धित करने के लिए भी अभियान शुरू किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पर्यटन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

4. **मार्केट विकास सहायता (एमडीए) सति विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार :** इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने हेतु अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन एवं आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने और देश में पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य के साथ विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेश स्थित महत्वपूर्ण एवं संभावित पर्यटक सृजक बाजारों में कई संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत विदेशों में पर्यटन के संवर्धन हेतु स्टेक होल्डरों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

5. **आईएचएम/एफसीआई आदि को सहायता :** पर्यटन मंत्रालय विद्यमान आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी का विस्तार एवं उनका उन्नयन करने हेतु और साथ ही नए संस्थानों जैसे होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) और भोजन कला संस्थान (एफसीआई) को स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताएं पूरी की जा सके।

6. **सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण :** इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सेक्टर की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है और साथ ही समाज के गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहता है ताकि उन्हें रोजगार योग्य कौशल प्रदान किया जा सके। पर्यटन मंत्रालय ने "हुनर से रोजगार तक" नामक एक प्रमुख कार्यक्रम को जांच किया है ताकि न्यूनतम 8वीं पास और 18 से 28 के आयु समूह के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

7. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं :** बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय एक लाइन मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

8. **20 वर्ष की संदर्शी योजना सहित मार्केट अनुसंधान :** पर्यटन मंत्रालय समुचित निर्णय लेने तथा आयोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए पर्यटन से संबंधित विभिन्न अध्ययन एवं सर्वेक्षण कराता है। विभिन्न क्षेत्रों/गंतव्यों के लिए संदर्शी योजनाएं तथा मास्टर प्लान तथा गंतव्यों/परिपथों के लिए डीपीआर तैयार किए जाते हैं।

9. **कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी :** इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को उनकी पर्यटन संबंधी कम्प्यूटर सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. **पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता :** स्कीम का उद्देश्य मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना तथा सफल परियोजना कार्यान्वयन, स्मारकों का उचित रखरखाव, प्रदीप्तिकरण/परिरक्षण करना, क्रूट टर्मिनल आदि का विकास संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पत्तन न्यास, आईटीडीसी, रेल मंत्रालय आदि जो सम्पत्ति के मालिक हैं द्वारा सुनिश्चित करना है।

विवरण-II

विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी वित्तीय सहायता

(i) अजंता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना के चरण-II के लिए वर्ष 2003 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 7331 मिलियन जापानी येन की समतुल्य राशि के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए ऋण सहायता का उपयोग निम्नानुसार है:—

वर्ष	जापानी येन मिलियन में
2009-10	253.09
2010-11	2506.80
2011-12	146.09
2012-13 (31.01.2013 तक)	123.37

(ii) दक्षिण एशिया पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना-भारतीय हिस्सा (सिक्किम) के लिए 2010 में एशियाई विकास बैंक द्वारा 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समतुल्य निवल राशि के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 0.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2012-13 के दौरान 0.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण किया गया है।

(iii) हिमाचल प्रदेश और पंजाब को कवर करने वाली पर्यटन अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-I) के लिए वर्ष 2011 में एशियाई विकास बैंक द्वारा 43.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समतुल्य राशि के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2012-13 के दौरान 3.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण किया गया है।

(iv) तमिलनाडु और उत्तराखंड को कवर करते हुए पर्यटन अवंसरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-II) के लिए वर्ष 2012 में एशियाई विकास बैंक द्वारा 43.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समतुल्य राशि के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इस परियोजना के तहत 0.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण किया गया है।

विवरण-III

वर्ष 2014-15 के लिए द्वीपों में पर्यटन के संवर्द्धन के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं

लक्षद्वीप

(i) काल्पेनी द्वीप में इको पर्यटन का विकास

(ii) एन्ड्रोथ द्वीप में इको पर्यटन का विकास

(iii) कदमत में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(iv) बंगरम में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(v) मिनिकॉय में मार्गस्थ सुविधाओं का सृजन

(vi) वाटर सपोर्ट्स उपकरण, बोट, कंट्री क्राफ्टस आदि की खरीद

मेले और उत्सव — 3.00 लाख रुपए

पश्चिम बंगाल

(i) सुन्दरबन का पश्चिमी भाग — फ्रेजरगंज बखाली — हेनरी द्वीप-गंगा सागर

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां

1854. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दर्ज ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या और ऐसी घटनाओं में हताहत सुरक्षा कार्मियों/नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, असम और मेघालय राज्यों में हिंसक घटनाओं में थोड़ी वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 30.06.2014 तक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार हिंसा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक समन्वित तरीके से भूमिगत उग्रवादी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक पहलें की हैं और राज्य सरकारों द्वारा समन्वित प्रयास किए जाते हैं। केन्द्र सरकार, विद्रोह-रोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता, आसूचना एजंसियों के सुदृढ़ीकरण और इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने तथा विद्रोह संबंधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एकीकृत कमान ढांचे के विस्तार से संबंधित अधिसूचना जारी करती है। सरकार ऐसे किसी भी संगठन से वार्ता/बातचीत करने की नीति का अनुसरण कर रही है, जो हिंसा का मार्ग छोड़ने का इच्छुक हो तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांगों के समाधान हेतु तैयार हो। इसके परिणामस्वरूप, अनेक उग्रवादी समूहों ने अपने हथियार समर्पित किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2011-2014) के दौरान राज्य-वार हिंसा की घटनाएं

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	53	51	21	23	—	—	06	2
2012	54	66	14	17	—	—	05	1
2013	21	49	07	02	01	—	02	2
2014 (30.06.2014 तक)	20	34	07	01	—	—	02	—

असम

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	145	378	46	789	14	13	18	127
2012	169	412	59	757	05	29	27	64
2013	211	348	52	92	05	19	35	92
2014 (30.06.2014 तक)	121	163	43	59	04	13	77	51

मणिपुर

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	298	1365	28	284	10	15	26	88
2012	518	1286	65	350	08	51	21	164
2013	225	918	25	513	05	17	28	44
2014 (30.06.2014 तक)	149	544	08	24	04	14	06	45

मेघालय

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	56	57	11	39	08	9	12	7
2012	127	92	16	20	01	3	36	27
2013	123	75	21	10	07	—	30	15
2014 (30.06.2014 तक)	89	75	18	08	—	3	16	10

मिज़ोरम

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	01	04	—	02	—	—	—	1
2012	—	02	—	—	—	—	—	1
2013	01	03	—	—	—	—	—	—
2014 (30.06.2014 तक)	01	—	—	01	—	—	—	—

नागालैंड

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	घालय हुए सिविलियन
2011	61	267	08	—	—	—	07	14
2012	151	275	66	04	—	—	08	49
2013	145	309	33	01	—	—	09	28
2014 (30.06.2014 तक)	31	160	05	—	—	—	01	7

त्रिपुरा

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलयन	घालय हुए सिविलयन
2011	13	19	—	25	—	—	01	—
2012	06	12	02	13	—	—	—	—
2013	06	10	—	22	—	—	01	—
2014 (30.06.2014 तक)	01	04	—	33	—	—	—	—

[अनुवाद]

युवा नीति

1855. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम** और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय युवा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत आबंटित व उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों का अनुमान क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास युवाओं के संबंध में ऐसी एक विशेष नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे उनके कैरियर के चयन में उनको मदद होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) इस समय कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय युवा नीति-2014 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(1) राष्ट्रीय युवा नीति-2014 में 15-29 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

(2) राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के अंतर्गत देश के युवाओं के लिए भारत सरकार के विजन को परिभाषित किया गया है कि उन मुख्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है जिनमें युवा विकास के लिए कार्रवाई अपेक्षित है और इसके अंतर्गत सभी हितधारकों के लिए कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रदान की गई है।

(3) इस नीति में कार्रवाई के लिए निम्नलिखित ग्यारह विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है:—

(i) शिक्षा

(ii) रोजगार और कौशल विकास

(iii) उद्यमिता

(iv) स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली

(v) खेल

(vi) सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना

(vii) समुदाय सहभागिता

(viii) राजनीति और शासन में भागीदारी

(ix) युवा सहभागिता

(x) समावेशन

(xi) सामाजिक न्याय

राष्ट्रीय युवा नीति में उक्त प्राथमिकता क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए भावी आवश्यकताओं की रूपरेखा भी दी गई है।

(4) इस नीति के अंतर्गत नीति के कार्यान्वयन की सफलता के मूल्यांकन के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक विशिष्ट कार्य-निष्पादन संकेतकों का सुझाव दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद "युवा रिपोर्ट की स्थिति" के प्रकाशन का प्रावधान है जिससे युवाओं के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों, लक्ष्यों के प्रति प्रगति की अद्यतन स्थिति का पता चल सकेगा और यह भावी कार्य योजना की संस्तुति करेगा।

(5) इस नीति में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा का प्रावधान है जिससे सरकार को मुख्य उपलब्धियों तथा चुनौतियों का जायजा लेने और प्रगतिशील युवाओं के लिए प्राथमिकताओं को फिर से तय करने में सहायता मिलेगी।

(ख) राष्ट्रीय युवा नीति-2014 एक मार्गदर्शी दस्तावेज है जो युवा विकास के लिए समग्र रूपरेखा उपलब्ध कराता है। नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं अपने बजटीय आबंटन से की जानी अपेक्षित है। नीति के कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय युवा नीति-2014 में कैरियर संबंधी विकल्प चुनने में युवाओं की सहायता करने के पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस पहलू पर कोई विशेष नीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि कार्य में महिलाएं

1856. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में महिला किसानों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि क्षेत्र में महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव जिसे राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकित एवं अनुसंशित किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा इसकी महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक उप-घटक के अधीन प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और शेष राशि संबंधित राज्य सरकार या परियोजना कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों से अनुदान के रूप में किसी दाता एजेंसियों द्वारा सहयोग की जाती है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक केन्द्र सरकार के कुल 479.06 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के साथ परियोजना अवधि के दौरान 24.5 लाख महिला किसानों को लाभ पहुंचाते हुए महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) की कृषि स्ट्रीम के अधीन 14 राज्यों से 58 परियोजना स्वीकृत की है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

1857. श्रीमती कोथापल्ली गीता : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सहित देश में स्थित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/स्थलों की सूची में कुछ और स्मारकों/विरासत स्थलों को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय महत्व के विरासत स्थलों/स्मारकों का समुचित संरक्षण/रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) वर्तमान में देश के विभिन्न भागों से स्मारकों के संरक्षण के लिए 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर, पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण संरचनात्मक तथा रासायनिक संरक्षण के द्वारा किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए पहचान किए गए स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला	राज्य
1.	प्राचीन स्थल	जूनीकरण	कच्छ	गुजरात
2.	फिरोजशाह महल और तहखाने के नज़दीक स्थित महल इमारत	हिसार	हिसार	हरियाणा
3.	मंदिर समूह	हारादीब	रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला	शाहपुर	पलामू	झारखंड
5.	नवरत्नगढ़ किला और मंदिर परिवार	गुमला	गुमला	झारखंड
6.	तिलियागढ़ किला	साहेबगंज	साहेबगंज	झारखंड
7.	किला और जैन शैलकृत मूर्तियां	कोल्हुआ पहाड़ी	चतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर	पानामारम	वेनाड	केरल
9.	विष्णु मंदिर	नडावयाल	वेनाड	केरल
10.	दौलताबाद किले की किलेबंदी दीवार	दौलताबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	पुराना उच्च न्यायालय भवन	नागपुर	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला गिन्नूरगढ़	सिहोर	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
13.	बिरंची नारायण मंदिर	बगुडा	गंजम	ओडिशा
14.	मंदिर समूह	रानीपुर झरियाल	बोलंगीर	ओडिशा
15.	सीता-राम जी मंदिर	डीग	भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग महल	डीग	भरतपुर	राजस्थान
17.	बाला किला	अलवर	अलवर	राजस्थान
18.	सीढ़ीदार कुंआ	नीमराणा	अलवर	राजस्थान
19.	सेंट थॉमस चर्च	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड
20.	नौसेरी बानू मस्जिद	केल्ला निज़ामत	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
21.	चौक मस्जिद	केल्ला निज़ामत	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
22.	पुरातत्वीय स्थल (साकीसेना टीला)	मोगलबाड़ी	पश्चिम मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	ख्वाजा अन्वर बेर (नवाब बाड़ी महल)	ख्वाजा अन्वर बेर	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल
24.	वृंदावन चंद्र मंदिर	बीरसिंहा	बांकुरा	पश्चिम बंगाल
25.	राधा दामोदर मंदिर	बीरसिंहा	बांकुरा	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

स्थानीय भाषाएं

1858. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैश्वीकरण के कारण भारत की स्थानीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के अधीन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) की स्थापना भारतीय भाषाओं के विकास समन्वित करने के लिए की गई थी ताकि वैज्ञानिक अध्ययनों, अंतर-विषयात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन, भाषाओं के एक दूसरे को समृद्ध बनाने के माध्यम से भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता को सामने लाने का कार्य किया जा सके और जिससे भारत के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव लाने में योगदान दिया जा सके। सीआईआईएल को भाषा से जुड़े मामलों के संबंध में केन्द्र ओर राज्य सरकार को सलाह देने का भी अधिदेश दिया गया है। सीआईआईएल ने यह बताया है कि केवल वैश्वीकरण ही स्थानीय भाषाओं के समाप्त होने का अकेला कारण नहीं है। यह सच है कि वैश्वीकरण इस अर्थ में भाषाओं को प्रभावित कर रहा है कि इस के दबाव में आई बहुत-सी भाषाएं वाचिक साहित्य और संस्कृति विशेषकर खान पान की वस्तुओं, परिधान और आभूषणों, रीति-रिवाजों, वनस्पतियों और जीवां आदि से संबंधित शब्द खोती जा रही हैं। लेकिन वैश्वीकरण किसी भाषा के समाप्त होने का कारण नहीं है। जब किसी भाषा के बोलने वालों को यह आभास होने लगता है कि उनकी भाषा में विश्व स्तर पर कार्य करने की क्षमता नहीं है। अर्थात् वे महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनको उनकी स्थानीय और हाशिए की स्थिति से उठाकर विश्व की मुख्य धारा से जोड़ने में असमर्थ है तो वे इसे त्यागने लगते हैं। और किसी सुदृढ़ भाषा को अपनाने लगते हैं। वैश्वीकरण के दौर में, संस्कृतियों का परस्पर मिलन उस दृष्टि से भाषाओं पर दबाव डालता है कि जब विभिन्न स्तरों और विभिन्न कार्यों पर सह आस्तित्व रखने वाली भाषाएं एक साथ आती हैं तो ये बोलने वालों के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं। अत: बोलने वाले लोग जिन भाषाओं को वैश्विक स्तर पर सीमित क्षमता रखने वाली मानते हैं और उनका परित्याग कर देते हैं तो इन पर संकट आ सकता है और वे लुप्त भी हो सकती हैं। वैश्वीकरण के दबाव में, कुछ भाषाओं के प्रयोग का क्षेत्र घटता जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि कई भारतीय भाषाएं संकटग्रस्त हैं और यहां तक की लुप्त होने को हैं। एक भाषा तब मृत हो जाती है जब उसे बोलने वाले मृत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की अका-बो नामक एक भाषा अभी हाल ही में मृत हो गई जब उसे बोलने वाले अंतिम व्यक्ति की वर्ष 2010 में मृत्यु हो गई।

(ग) भारत सरकार ने सीआईआईएल के माध्यम से 'भारत की संकटापन्न भाषाओं का रक्षण और परिरक्षण' नामक एक स्कीम आरंभ की हैं इस स्कीम के तहत, सीआईआईएल जनजातीय एवं गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जा रही भाषाओं तथा दस हजार से कम व्यक्तियों द्वारा बोली लाने वाली गैर-अनुसूचित भाषाओं/मातृ भाषाओं का प्रलेखन कर रहा है। यह संस्थान पहले से ही विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली ऐसी 70 भाषाओं/मातृ भाषाओं का प्रलेखन कर रहा है।*[अनुवाद]*

विजन डाक्युमेंट-2015

1859. श्री रामसिंह राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजन डाक्युमेंट-2015 में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की क्षमता का दोहन करने के क्रम में मंत्रालय द्वारा विजन दस्तावेज-2015 तैयार किया गया था, जिसमें वर्ष 2015 का शीघ्र सड़ने-गलने वाले खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से 20%, मूल्यवृद्धि को 20% से 35% तथा वैश्विक खाद्य व्यापार से हिस्सेदारी को 1.5% से 3% तक बढ़ाते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में निवेश को तिगुना करने की परिकल्पना की गई थी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2015 तक 100,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता थी। जिसमें से सरकार का हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए था।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरन, मंत्रालय के 4816 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के मुकाबले, मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए मात्र 4041 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय किया गया था। हालांकि, 11वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन पर किया गया वास्तविक व्यय केवल

1596.88 करोड़ रुपए था। 11वीं योजना के दौरान, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु मंत्रालय द्वारा अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों (क) मेगा खाद्य पार्कों (ख) एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना, तथा (ग) बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी/उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास एवं अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप, मानव संसाधन विकास तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम का कार्यान्वयन किया गया था।

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

1860. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बांग्लादेश में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी खबर है कि उक्त शिविरों में प्रशिक्षित आतंकवादी देश में घुस आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) बांग्लादेश के क्षेत्र मं भारतीय उग्रवादी समूहों के शिविरों/गुप्त ठिकानों की मौजूदगी के बारे में सूचनाएं मिली हैं। भारत सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है। बांग्लादेश सरकार ने इस बात से आश्वस्त किया है कि उसके क्षेत्र भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रभावी चौकसी के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तैनाती की गई है।

[हिन्दी]

नशे की लत

1861. **श्री सदाशिव लोखंडे :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ती नशे की लत की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित देश में चल रहे नशामुक्ति केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे केंद्रों को राज्य-वार कुल कितनी निधि आबंटित/स्वीकृत की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवा और अपराध से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के सहयोग से वर्ष 2000-2001 में नशीली दवा दुरुपयोग पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया था जिसमें यह अनुमान था कि भारत में लगभग 107 लाख व्यक्ति नशीली दवाओं के प्रयोगकर्त्ता थे। तथापि, इस समय देश में नशीली दवा दुरुपयोग की सीमा निर्दिष्ट करने संबंधी कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यापान तथा नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि को समेकित व्यसनी पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा नशीली दवा दुरुपयोग रोकथाम के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:—

1. उक्त योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और व्यापक रूप से समाज के स्तर पर मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में जागरुकता सृजित करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

2. मंत्रालय नशीली दवा दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जून को एक समारोह आयोजित करता है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप मं, रेलियां, पेंटिग्स, अभियान, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां इत्यादि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती हैं। इस अवसर पर मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं को, उन्हें प्रेरित करने तथा उनके प्रयासों की मान्यता में, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

3. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) और अन्य सहयोगी भागीदारों के सहयोग से विद्यालयों और महाविद्यालयों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियां (महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित) तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

योजना का नाम: मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (दावा) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना 2011-12 से 2013-14 के दौरान निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्ति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी राशि
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	18	156.81	6	36.73	17	165.42
2.	बिहार	12	150.11	4	33.40	12	131.19
3.	छत्तीसगढ़	2	35.61	1	9.42	1	3.93
4.	गोवा	1	10.46	1	3.52	0	0.00
5.	गुजरात	3	55.46	2	6.62	5	38.39
6.	हरियाणा	11	92.26	6	62.82	8	65.64
7.	हिमाचल प्रदेश	3	37.37	2	15.84	2	22.28
8.	जम्मू और कश्मीर	1	20.00	0	0.00	0	0.00
9.	झारखंड	2	4.91	1	6.00	1	6.91
10.	कर्नाटक	29	270.28	19	175.46	14	118.84
11.	केरल	21	164.10	11	78.85	17	130.69
12.	मध्य प्रदेश	15	143.73	8	61.25	11	107.06
13.	महाराष्ट्र	40	401.09	29	271.45	47	417.19
14.	ओडिशा	27	260.55	13	128.09	29	296.89
15.	पंजाब	14	151.04	9	115.78	4	31.61
16.	राजस्थान	12	103.80	10	101.73	16	159.46
17.	तमिलनाडु	27	234.70	14	138.36	12	107.12
18.	उत्तर प्रदेश	26	264.77	21	163.96	19	207.36
19.	उत्तराखंड	3	30.16	2	29.26	3	33.78

1	2	3	4	4	5	6	7
20.	पश्चिम बंगाल	11	161.76	3	22.48	11	130.00
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	दिल्ली	11	140.03	5	19.33	6	76.59
25.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	पुदुचेरी	0	0.00	1	0.50	0	0.00
	कुल (शेष भारत)	291	2889.00	168	1480.85	235	2250.35
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	9.95	0	0.00	1	19.90
2.	असम	16	128.86	5	56.61	7	64.35
3.	मणिपुर	21	250.45	15	137.60	13	95.88
4.	मेघालय	2	20.06	1	3.84	2	16.77
5.	मिज़ोरम	10	145.80	9	83.62	8	80.22
6.	नागालैंड	6	74.99	5	29.42	1	3.48
7.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	सिक्किम	1	14.93	0	0.00	1	9.95
	कुल (पूर्वोत्तर)	57	645.04	35	311.09	33	290.55
	कुल (शेष भारत + पूर्वोत्तर)	348	3533.45	203	1791.94	268	2540.90

[अनुवाद]

हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा

1862. श्री बी. श्रीरामुलु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371(घ) में संशोधन करके हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के गुलबर्ग, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और बीदर जिलों को क्षेत्र-वार रोजगार और प्रवेश में आरक्षण देने का उपबंध करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) जी, नहीं। कर्नाटक विधान सभा ने कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए दिनांक 17.03.2010 को एक प्रस्ताव पारित किया, जैसा कि भारत के संविधान में संशोधन करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 371घ के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किया गया है। राज्य के विधान परिषद् ने भी दिनांक 18.03.2010 को ऐसा कर प्रस्ताव पारित किया है।

इसका उद्देश्य कर्नाटक-हैदराबाद क्षेत्र, जिसमें गुलबर्ग, बीदर, रायचूर, कोप्पल और यादगीर तथा बेल्लारी जिले शामिल हैं, की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों के उचित आबंटन हेतु राज्य के राज्यपाल के अधीन एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के साथ-साथ मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करना, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानीय कैडरों को नौकरी और आरक्षण उपलब्ध कराकर क्षेत्र में रोजगार का संवर्धन करना है।

केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया। दिसम्बर, 2012 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक के पारित कर दिए जाने के बाद माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 01 जनवरी, 2013 को इस पर अपनी सहमति दी और संविधान (अठ्ठानवे वां संशोधन) विधेयक, 2012 को दिनांक 20 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड-I में प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात्, कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव पास होने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत किया, जिसे दिन से उक्त अधिनियमं दिनांक 24 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना द्वारा लागू होगा। राष्ट्रपति का आदेश (संख्या जीएसआर 701 (ज) दिपांक 24.10.2013) नामतः कर्नाटक राज्य (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 2013 दिनांक 24.10.2013 जो जारी किया गया था।

[हिन्दी]

एनआरएआई में पंजीकृत निशानेबाज

1863. श्री हुकुम सिंह : क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) में पंजीकृत निशानेबाजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) एनआरएआई में पंजीकृत ऐसे निशानेबाजी की संख्या कितनी है जिन्होंने विगत का एक वर्ष या इससे अधिक समय से किसी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे निशानेबाजी की सदस्यता रद्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल) : (क) और (ख) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा निशानेबाजी खेल विधा के संवर्धन के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने सूचित किया है कि उनके पास रजिस्टर्ड निशानेबाजों की वर्तमान संख्या 8205 है। रजिस्टर्ड निशानेबाजों की कुल संख्या के लगभग 10 प्रतिशत निशानेबाजों ने वित्तीय बाध्यताओं, स्कूल/कॉलेज/बोर्ड परीक्षाओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से विगत एक वर्ष से किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वार्षिक सदस्य जब तक अंशदान शुल्क का भुगतान करते हैं, रोल पर बने रहते हैं। अन्य सदस्य आजीवन सदस्य हैं, सरकार परिसंघों के इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग

1864. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोग के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए और सामान्यतः जनता और विशेषकर विद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के मध्य जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए

आवंटित/जारी निधियों और किए गये खर्च का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि रही है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग संबंधी विधेयक दिनांक 26.02.2009 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसे जांच हेतु संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और कुछ सिफारिशें/सुझाव दिए। तथापि, 2010 में, राष्ट्रीय संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम प्रवृत्त किया गया और 2011 में इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का गठन किया गया। इन घटनाक्रमों को देखते हुए विभिन्न पणधारियों के साथ विचार-विमर्श करके संशोधित विधेयक की जांच/पुनरीक्षा की जा रही है। अत: इस स्तर पर राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

प्रस्तावित विरासत स्थल आयोग के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:—

— विरासत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

— विरासत स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के मामले में दिशा-निर्देश तैयार करना।

— विरासत के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन करना या करवाना और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

— मौजूदा कानूनों के लिए उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना।

(ग) जी, हां।

(घ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न गठन (संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त) हैं। ये उनको दिए गए आदेशानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तथापि, शुरुआती स्तर पर, आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र और 3 अकादमियां (साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी) प्रधान रूप से ऐसे कार्यक्रम और समारोह आयोजित करते हैं। विगत 3 वर्षों के दौरा आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा दी गई निधियों और किए गए व्यय तथा साथ ही, पिछले 3 वर्षों के दौरान अकादमियों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सभी आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा जारी और व्यय की गई राशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई राशि	जेडीसीसी द्वारा किया गया व्यय
1.	2011-12	3760.73	2663.64
2.	2012-13	2159.15	2525.99
3.	2013-14	4246.22	3522.54
4.	2014-15 (दिनांक 30.06.2014 के अनुसार)	1566.66	313.63

पिछले तीन वर्षों के दौरान अकादमियों द्वारा किया गया व्यय

(करोड़ रुपए में)

		2011-12 वास्तविक व्यय	2012-13 वास्तविक व्यय	2013-14 वास्तविक व्यय
1.	संगीत नाटक अकादमी	23.79 रुपए	20.48 रुपए	35.87 रुपए
2.	ललित कला अकादमी	7.09 रुपए	6.55 रुपए	9.15 रुपए
3.	साहित्य अकादमी	13.99 रुपए	14.50 रुपए	17.27 रुपए

[अनुवाद]

जैविक कृषि

1865. श्री प्रेम दास राई :
श्री निशिकान्त दुबे :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय हिमालयी क्षेत्र विशेषकर देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यों को प्रदान की गई राजसहायता, प्रोत्साहन और ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार व्यय और परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ङ) सरकार राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और आईसीएआर के अधीन जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में भारतीय हिमालयी क्षेत्र सहित देश में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है।

एनएमएसए के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) घटक के अंतर्गत, जैव/जैविक उर्वरकों सहित जैविक आदानों के संवर्धन हेतु 5,000 रुपए प्रति हैक्टेयर और 10,000 रुपए प्रति लाभार्थी की सीमा के अध्यधीन लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कृषि/सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए 63.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन वित्तीय परिव्यय के 33 प्रतिशत तक और जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों के लिए 40.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वित्तीय परिव्यय के 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता भी नाबार्ड के माध्यम से पार्श्वांत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) के अधीन, जैविक खेती प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, विश्लेषकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, फील्ड पदधारियों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले विस्तार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण जैसी जैविक प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत जैविक आदानों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिए गए हैं।

विवरण-I

उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अधीन जैविक खेती हेतु निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	99.00	131.00	25.80	123.48	170.00
असम	66.00	173.10	28.60	35.60	73.65
मणिपुर	270.00	78.00	51.30	110.00	260.00
मेघालय	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	100.00	126.20	152.00	16.50	20.00
नागालैंड	64.50	190.00	81.50	123.00	102.00

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	236.33	315.25	332.48	492.50	265.50
त्रिपुरा	93.00	141.00	130.40	79.40	52.00
जम्मू और कश्मीर	60.60	61.50	67.25	117.10	144.91
हिमाचल प्रदेश	148.80	107.00	216.28	398.21	79.00
उत्तराखंड	152.03	84.31	201.00	53.60	40.00
कुल	1342.76	1407.36	1286.61	1549.39	1207.06

विवरण-II

उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों (एसएमएनईएच) के लिए एमपीओएफ के अधीन जैविक उत्पादन इकाइयों के लिए निर्मुक्त की गई राज्य-वार सब्सिडी

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त सब्सिडी (लाख रुपए में)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.	असम	0.938	2.596	1.375	22.319	0.750
3.	हिमाचल प्रदेश	0.083	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	मिज़ोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
11.	उत्तराखंड	9.810	8.945	8.750	0.000	0.000
	कुल	10.831	11.541	10.125	42.319	0.750

विवरण-III

विगत 5 वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के अधीन जैविक खेती के लिए निर्मुक्त की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.99	0.00
2.	असम	9.00	11.57	11.88
3.	हिमाचल प्रदेश	10.05	10.50	7.50
4.	जम्मू और कश्मीर	0.79	2.37	1.64
5.	मणिपुर	2.82	0.75	0.29
6.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
7.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00
8.	नागालैंड	1.50	1.50	0.60
9.	सिक्किम	2.50	1.20	0.00
10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तराखंड	13.31	9.44	3.44
	कुल	39.97	40.32	25.35

विदेशी निधियों के लिए गए दान का प्रकटीकरण

1866. डॉ. थोकचोम मेन्या :
प्रो. सौगत राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संगठन/संस्थान के लिए विदेशी एजेंसियों से कोई निधियां/दान लेने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी निधियों का कोई वास्तविक निरीक्षण और संवीक्षा कराई है और यदि हां, तो निरीक्षण दल के निष्कर्षों और चूककर्त्ता स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्युमन राइट्स वाच से प्राप्त निधियों/दानों का प्रकटीकरण करने के लिए और उन्हें मिलने वाले विदेशी निधियों को रोकने के लिए सभी बैंकों को निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी निधियों की अवैध प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11 में यह विनिर्दिष्ट है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, को तब तक विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा जब तक केन्द्र सरकार से उसने पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो अथवा प्राप्त नहीं करती हो।

(ख) दिनांक 16.07.2014 की स्थिति के अनुसार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत कुल 42,569 संगठनों को पंजीकृत किया गया है। संगठनों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) क्षेत्र एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों और लोगों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) और विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (एफसीआरआर) के किसी भी प्रावधान के तथाकथित उल्लंघन पर संगठनों के अभिलेखों और लेखों की जांच की जाती है। वर्ष 2011 के स्थल पर की गई जांचों की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	स्थल पर की गई जांच
2011	55
2012	29
2013	33
21014 (जून तक)	27

पता लगाई गई अनियमितताएं, सामान्यत: निम्नलिखित श्रेणियों के क्षेत्र में हैं:–

(i) एफसीआरए के तहत बिना पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति।

(ii) विदेशी अभिदाय (एफसी) हेतु विशिष्ट खाते न रखना, जैसाकि एफसीआरए के तहत अपेक्षित है।

(iii) निर्धारित अवधि के अन्दर अनिवार्य वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करना।

(iv) एफसीआरए के तहत पंजीकृत न किए गए संगठनों को विदेशी अभिदाय का हस्तांतरण।

(v) अनुदान से भिन्न अथवा प्राप्त करने वाले संगठन के उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग।

(vi) विदेशी अभिदाय की सम्पत्तियों का पंजीकरण संगठन के नाम के बजाय व्यक्ति के नामों से कराना।

(vii) सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बैंक अथवा बैंक खाता संख्या बदलना।

(viii) सरकार को सूचित किए बिना संगठन के पंजीकृत कार्यालय को बदलना।

जांच के आधार पर, दोषी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें पंजीकरण रद्द करना, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से संगठन को प्रतिबंधित करना, बैंक खातों का निलंबन और बंद करना, सीबीआई/संबंधित राज्य पुलिस को आगे जांच और अभियोजन हेतु मामले भेजना, निर्धारित आर्थिक दंड का भुगतान करके अपराध का प्रशमन करना शामिल है।

एफसीआरए, 2010 और एफसीआरआर, 2011 के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को इसके तहत बिना पंजीकरण/पूर्व अनुमति वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना देने के साथ-साथ किसी व्यक्ति द्वारा एक ही लेनदेन में अथवा तीस दिनों की अवधि में लेनदेन में एक करोड़ रुपए से अधिक अथवा समतुल्य के किसी विदेशी अभिदाय की प्राप्त की सूचना देने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर एक विशेष विदेशी दाता के विरुद्ध प्रतिकूल सूचनाएं प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बैंकों को ऐसे दाता से प्राप्तकर्त्ता खाते में निधियों को जमा करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

विवरण

दिनांक 16.7.2014 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत किए गए राज्य-वार संगठन

राज्य का नाम	कुल पंजीकरण
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24
आंध्र प्रदेश	5239
अरुणाचल प्रदेश	79
असम	515
बिहार	2274
चंडीगढ़	78
छत्तीसगढ़	335
दादरा और नगर हवेली	15
दमन और दीव	2
दिल्ली	2228
गोवा	178
गुजरात	1867
हरियाणा	275
हिमाचल प्रदेश	193
जम्मू और कश्मीर	179
झारखंड	750
कर्नाटक	2993
केरल	2472
मध्य प्रदेश	1048
महाराष्ट्र	4170
मणिपुर	784

1	2
मेघालय	186
मिज़ोरम	71
नागालैंड	202
ओडिशा	2444
पुदुचेरी	122
पंजाब	260
राजस्थान	789
सिक्किम	36
तमिलनाडु	5380
त्रिपुरा	60
उत्तर प्रदेश	3385
उत्तराखंड	480
पश्चिम बंगाल	3456
कुल	42569

पर्यटन उत्पादों की रेटिंग

1867. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक सहित देश में पर्यटन स्थलों/उत्पादों की विश्व के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों से रेटिंग के लिए मानदंड तय करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए अभिज्ञात/चिह्नित की जा रही एजेंसियां कौन सी हैं; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए मानदंड कब तक तय कर लिए जाएंगे?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) इस समय पर्यटन मंत्रालय का कर्नाटक सहित देश के पर्यटक गंतव्यों/उत्पादों का विश्व के अन्य बेंचमार्क किए गए पर्यटक गंतव्यों के साथ रेटिंग करने के लिए मानदंड तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यटन मंत्रालय ने फूट फाल्स के आधार पर चुने गए शहरों, प्रत्येक राज्य से एक, के लिए स्वच्छता सूचकांक तैयार करने का कार्य शुरू किया है।

कर्नाटक राज्य सहित पर्यटन का विकास और संवर्द्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रति वर्ष उनके परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देश के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

तटीय सुरक्षा

1868. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तटीय सुरक्षा के संबंध में सुभेद्यता/अंतर विश्लेषण नियमित आधार पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक तटीय पुलिस स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई सहायता सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। गृह मंत्रालय पांच वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से एक अनुपूरक योजना के रूप में तटीय सुरक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना का चरण-I, जो दिनांक 01.04.2005 को आरंभ हुआ और जिसे दिनांक 31.03.2010 को समाप्त हो जाना था, को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और यह योजना दिनांक 11.03.2011 को वास्तविक रूप में समाप्त हो गई।

योजना के चरण-I के कार्यान्वियन के दौरान, 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई की घटना के पश्चात् देश के समूचे तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत

सरकार द्वारा बहुस्तरीय एवं अंतरमंत्रालयी समीक्षा की गई और इस संबंध में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें की गई हैं:—

- तटीय सुरक्षा योजना के उस समय चल रहे चरण-I का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2011 को पूरा हो गया है।
- तटीय सुरक्षा योजना की सुभेद्यता/कमी का विश्लेषण किया गया था और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस थाना, 60 जेट्टी, 10 समुद्री अभियान केन्द्र, 150 नावें (12 टन), 10 नावें (5 टन), 20 नावें (19 मीटर), 35 आरआईबी (रिजिड इनफ्लेटेबल बोट), 10 बड़े जलयान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह), 131 माचार पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराने के लिए 1580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II की व्यापक योजना तैयार की गई थी। इस संबंध में, निगरानी उपकरण, नाइट विज़न उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणालियों और फर्नीचर के लिए प्रति पुलिस थाना 15 लाख रुपए की सहायता का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। योजना का चरण-II दिनांक 01.04.2011 को प्रारंभ हुआ और वर्तमान में यह कार्यान्वित किया जा रहा है।
- राज्य समुद्र पुलिस को 0 से 12 नॉटिकल मील गश्त के संबंध में उत्तरदायी बनाया गया है।
- भारतीय तटरक्षक को देश की तटरेखा पर 0 से 200 नॉटिकल मील की समग्र सुरक्षा हेतु उत्तरदायी नोडल प्राधिकरण बनाया गया है।
- महानिदेशक तटरक्षक को तटीय कमान के कमांडर के रूप में अभिहित किया गया है और उन्हें तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- भारतीय नौसेना ने विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान करने और समुद्र में कार्रवाई योग्य आसूचना पर कार्रवाई करने हेतु मुम्बई, विखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में 4 संयुक्त अभियान केन्द्र स्थापित किए हैं।
- भारतीय तटरक्षक ने कारवार, रत्नागिरी, वडिनार, मिनीकॉय, हटबे, एन्ड्रोथ, कराकइल, गोपालपुर और निज़ापट्टनम में नौ अतिरिक्त स्टेशन स्थापित किए हैं।
- भारतीय तटरक्षक द्वारा मुख्य भूमि और द्वीपसमूहों में 46 स्थानों पर स्थायी (स्टेटिक) रॉडार लगाए गए हैं।
- तटीय सुरक्षा में शामिल केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं।
- तटीय जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
- मछुआरों सहित तटीय गांवों के सभी लोगों को बहु-प्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) जारी किए जा रहे हैं।
- सभी प्रकार के मत्स्ययन जलयानों का पंजीकरण किया जा रहा है।
- सभी प्रकार के जलयानों में नौवहन से संबंधित उपस्कर और संचार उपकरण स्थापित करने/उनका प्रावधान करने का कार्य शुरू किया गया है।
- मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित 'नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मेरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी अंग्रेस्ट थ्रेट फ्राम सी' (एनसीएसएमसीएस) तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की मॉनीटरिंग कर रही है।
- तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में तटीय सुरक्षा संबंधी संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) गठित की गई है।
- एनसीएसएमसीएस एवं संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में गहन रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एनसीएसएमसीएस वर्ष में दो बार तटीय सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करती है, जबकि सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गठित तटीय सुरक्षा की समीक्षा संबंधी स्टीयरिंग कमेटी भी वर्ष में दो बार तटीय सुरक्षा की समीक्षा करती है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "तटीय सुरक्षा के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" शीर्ष के तहत उपलब्ध कराई गई कुल वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान जारी निधियां (करोड़ रुपए में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल जोड़
1.	गुजरात	6.43	4.61	1.34	0	12.38
2.	महाराष्ट्र	2.43	0.00	4.05	0	6.48
3.	गोवा	0.76	1.96	0.33	0	3.05
4.	कर्नाटक	2.39	1.46	0.63	0	4.48
5.	केरल	4.00	0.00	3.05	0	7.05
6.	तमिलनाडु	9.45	14.34	2.46	0	26.25
7.	आंध्र प्रदेश	0.97	12.95	0.08	0	14.00
8.	ओडिशा	2.23	0.00	10.11	0.02	12.36
9.	पश्चिम बंगाल	2.00	0.00	1.66	0	3.66
10.	दमन और दीव	0.98	0.00	1.94	0	2.92
11.	लक्षद्वीप	0.50	2.60	0.40	0	3.50
12.	पुदुचेरी	0.50	0.00	4.12	0	4.62
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.02	12.00	0.58	0	27.60
		47.66	49.92	30.75	0.02	128.35

(घ) और (ङ) जी, हां। तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के अंतर्गत 73 पुलिस थाने संस्थापित किए गए थे। चरण-II के अंतर्गत 131 पुलिस थानों की स्थापना की जा रही है। तटीय सुरक्षा योजना, जो वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है, के चरण-II के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य-वार सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस थाना	नाव/जलयान		जेट्टी की संख्या	चार पहिया वाहन	दोपहिया वाहन	टिप्पणी
			12-टन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	12	21	10 (5-टन)	5	12	24	
2.	महाराष्ट्र	7	14		3	7	14	
3.	गोवा	4	4		2	4	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	कर्नाटक	4	12		2	4	8	
5.	केरल	10	20		4	10	20	
6.	तमिलनाडु	30	—	20 (19-मीटर)	12	30	60	
7.	आंध्र प्रदेश	15	30		7	15	30	
8.	ओडिशा	13	26		5	13	26	
9.	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16	
10.	दमन और दीव	2	4		2	2	4	
11.	लक्षद्वीप	3	6	12(*)	2	3	6	
12.	पुदुचेरी	3	6		2	3	6	
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20		10 एलवी(#) 23(*)	10	20	20	10(**) एमपीओसी
		131	150	75	60	131	242	

(#) एलबी-बड़े जलयान

(*) आरआईबी-रिजिड इनफ्लेटेबल बोट

(**) समुद्री पुलिस अभियान केंद्र

निगरानी उपकरण, कम्प्यूटर प्रणालियों और फर्नीचर के लिए प्रत्येक तटीय पुलिस थाने को 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

जम्मू और कश्मीर संबंधी वार्ताकारों की रिपोर्ट

1869. डॉ. शशि थरूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि सरकार द्वारा 2010 में कश्मीर में व्याप्त स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन के लिए गठित वार्ताकारों के समूह ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वार्ताकार समूह की सिफारिशों सहित उनकी अंतिम रिपोर्ट को जन-साधारण के हितार्थ गृह मंत्रालय की वेबसाइट *www.mha.nic.in* पर अपलोड किया गया है और उनकी हार्ड कॉपी को संसदीय पुस्तकालय में रखा गया है। सरकार ने रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार रिपोर्ट की विषयवस्तु पर किसी भी सूचित विचार-विमर्श का स्वागत करेगी।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम

1870. श्री जैदेव गल्ला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, हैदराबाद के साझा राजधानी क्षेत्र की जनता के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा राज्य के राज्यपाल में निहित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये नियम कब तक तैयार और अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, नहीं। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हैदराबाद के साझा राजधानी क्षेत्र की जनता के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनन्य रूप से राज्यपाल की नहीं है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राज्यपाल की एक विशेष जिम्मेदारी है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की मद संख्या 1 और 2 के अंतर्गत तेलंगाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी के अतिरिक्त है। तेलंगाना राज्य सरकार और राज्यपाल द्वारा कार्य संचालन के मानक निर्धारित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) अत:, प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों के लिए केरोसिन कोटा

1871. श्री पी. करुणाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछुआरों को बीपीएल मूल्य पर केरोसिन के विशेष आवंटन के लिए विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को केरोसिन कोटा किस समय तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) मत्स्यन जलयानों के संचालन के लिए विशेष मिट्टी के तेल के आवंटन के लिए कुछ राज्यों, नामत: महाराष्ट्र और केरल से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ परामर्श करके इसकी जांच-पड़ताल की गई और यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत केवल खाना पकाने और जलाने के उद्देश्य से ही सब्सिडीकृत उत्कृष्ट मिट्टी का तेल (एसकेओ) आवंटित करती है। किसी राज्य में मात्स्यिकी सेक्टर के लिए आवंटित किए जाने वाले किसी अलग एसकेओ को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके समग्र आरकेओ आवंटन में से ही समायोजित किया जाना है। तथापि, तेल विपणन कम्पनियों द्वारा राज्यों को गैर-सब्सिडीकृत दर पर अतिरिक्त आवंटन द्वारा मात्स्यिकी सेक्टर की इस मांग को पूरा किया जा सकता है।

तदुपरांत, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2012 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) आपातकालीन आधार पर अथवा विशेष अवसरों के लिए समय-समय पर एसकेओ की आवश्यकता होती है। इस आदेश के आगे कहा गया कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक अवसरों, मात्स्यिकी, विभिन्न 'यात्राओं', मेलों इत्यादि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सब्सिडीकृत दरों पर (उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/कर सहित तथा कम/वसूली/राजकोषीय सब्सिडी को छोड़कर) पीडीएस मिट्टी के तेल का एक माह का कोटा जितना आवंटन ले सकेगा। यह आवंटन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजे बिना किस्तों में भी ले सकते हैं। राज्य स्तरीय समन्वयक के पास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर मिट्टी के तेल को जारी करने का अधिकार है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक माह के इस कोटे का प्रयोग कर चुकने के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गैर-सब्सिडीकृत एसकेओ का और अतिरिक्त आवंटन मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया जाना

1872. श्री अशोक महादेवराव नेते : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कई जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति सूची में कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में आरक्षण के अधिक लाभ उठा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2004 (9) स्केल] में यह व्यवस्था दी है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट जातियां इत्यादि संविधान के प्रयोजनार्थ एक सजातीय समूह है। आरक्षण के लाभ ऐसी सभी जातियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी अनुजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं में आरक्षण के जाति-वार लाभों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

किसानों की ऋणग्रस्तता

1873. प्रो. सौगत राय :
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 'किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता' के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या प्रत्येक किसान पर ऋण भार देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में किसानों के ऋण के भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) "किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता: (किसानों की स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण चक्र 59 के रूप में) के अनुसार 48.6 प्रतिशत अनुमानित किसान परिवारों के ऋणग्रस्त होने की रिपोर्ट थी। किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जनवरी, 2003 के दौरान संचालित किसानों की स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण में की गई रिपोर्ट के अनुसार कृषि वर्ष जुलाई, 2002-जून, 2013 के दौरान प्रति किसान परिवार बकाया ऋण तथा औसत मासिक आय के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) किसान ऋण के संस्थागत तथा गैर-संस्थागत दोनों स्रोतों से ऋणग्रस्त है। तथापि, ऋण संबंधी किसानों के दबाव हेतु गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना मुख्य कारण है। किसानों को अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निजी साहूकारों पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए तथा ऋणग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाने तथा छोटे तथा सीमांत किसानों सहित अधिक से अधिक किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि ऋण प्रवाह को सुधारने के लिए वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, ऐसे किसानों के लिए प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर पर 3.00 लाख रुपए तक फसल ऋणों का प्रावधान, जो बैंकों द्वारा निर्धारित की गई पुनर्भुगतान अवधि के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान करते हैं, किसान क्रेडिट कार्डधारी छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए पारक्रम्य वेयरहाऊस प्राप्तियों के लिए वेयरहाऊस में अपने उत्पादों के भंडारण हेतु 6 माह तक की अग्रिम अवधि हेतु ब्याज छूट स्कीम के लाभ का विस्तार, 1.00 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण, उत्तरदायी समूह (जेएलजी) के वित्तपोषण हेतु स्कीम शामिल है।

विवरण-I

कृषि वर्ष (जुलाई'02-जून'03) के दौरान ऋणग्रस्त किसान परिवारों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किसान परिवारों की अनुमानित संख्या (00)	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की अनुमानित संख्या (00)	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	60354	49493	82
अरुणाचल प्रदेश	1229	72	5.9

1	2	3	4
असम	25040	4536	18.1
बिहार	70804	23383	33
छत्तीसगढ़	27598	11092	40.2
गुजरात	37845	19644	51.9
हरियाणा	19445	10330	53.1
हिमाचल प्रदेश	9060	3030	33.4
जम्मू और कश्मीर	9433	3003	31.8
झारखंड	28238	5893	20.9
कर्नाटक	40413	24897	61.6
केरल	21955	14126	64.4
मध्य प्रदेश	63315	32110	50.8
महाराष्ट्र	65817	36098	54.8
मणिपुर	2146	533	24.8
मेघालय	2543	103	4.1
मिज़ोरम	782	184	23.6
नागालैंड	805	294	36.5
ओडिशा	42341	20250	47.8
पंजाब	18446	12069	65.4
राजस्थान	53086	27828	52.4
सिक्किम	531	174	38.8
तमिलनाडु	38887	28954	74.5
त्रिपुरा	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	171562	69199	40.3
उत्तराखंड	8961	644	7.2
पश्चिम बंगाल	69233	34696	50.1
संघ राज्य क्षेत्र समूह	732	372	50.8
अखिल भारत	893651	434242	48.6

विवरण-II

कृषि वर्ष (जुलाई'02 – जून'03) के दौरान प्रति किसान परिवार की औसत आय तथा औसत बकाया ऋण की राज्य/ संघ क्षेत्र समूह-वार स्थिति*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति किसान परिवार औसत मासिक आय *(आरएस)	प्रति किसान परिवार औसत वार्षिक आय# (आरएस) (कालम (2) *12	प्रति किसान परिवार बकाया ऋण (आरएस)	सर्वेक्षण किए गए किसान परिवार के नमूनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	1634	19608	23965	3396
अरुणाचल प्रदेश	7455	89460	493	502
असम	3161	37932	813	2187
बिहार	1810	21720	4476	3970
छत्तीसगढ़	1618	19416	4122	1087
गुजरात	2684	32208	15526	1330
हरियाणा	2882	34584	26007	928
हिमाचल प्रदेश	3309	39708	9618	1154
जम्मू और कश्मीर	5488	65856	1903	917
झारखंड	2069	24828	2205	1405
कर्नाटक	2616	31392	18135	2009
केरल	4004	48048	33907	2232
मध्य प्रदेश	1430	17160	14218	2455
महाराष्ट्र	2463	29556	16973	3312
मणिपुर	2741	32892	2269	986
मेघालय	4496	53952	72	724
मिज़ोरम	4862	58344	1876	501
नागालैंड	3590	43080	1030	384
ओडिशा	1062	12744	5871	1938
पंजाब	4960	59520	41576	1279

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्थान	1498	17976	18372	2596
सिक्किम	3258	39096	2053	552
तमिलनाडु	2072	24864	23963	3189
त्रिपुरा	1742	20904	2977	1022
उत्तर प्रदेश	1633	19596	7425	6748
उत्तराखंड	3351	40212	1108	412
पश्चिम बगाल	2079	24948	5237	3958
संघ राज्य क्षेत्र समूह	3235	38820	10931	484
अखिल भारत	2115	25380	12585	51770

*ब्याज, लाभांश आदि जैसे गैर-आवक गतिविधियों से आय को छोड़कर।

#प्रति किसान परिवार औसत वार्षिक आय को 12 तक प्रति किसान परिवार औसत मासिक आय को बढ़ाकर परिकलित किया जाता है।

यह नोट किया जाता है कि गोवा तथा दिल्ली राज्यों के लिए अलग से आंकड़े नहीं दिए गए है इसलिए रिपोर्ट में इन्हें निर्मुक्त नहीं किया गया है क्योंकि परिवारों के नमूनों की संख्या 300 से कम नहीं है, सभी संघ शासित क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र किए गए है तथा इसे 'संघ शासित क्षेत्रों के समूह, शीर्ष' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

संग्रहालयों औष्र पुरातात्विक स्थलों का पुनरुद्धार

1874. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक अभिज्ञात संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों का ब्यौरा क्या है और उनके रख-रखाव और पुनरुद्धार के लिए स्थान-वार कितनी निधियां जारी/खर्च की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों को आने वाले वर्षों में पुनरुद्धार करके ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान आबंटित/खर्च की गई निधियों के ब्यौरे सहित संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय संग्रहालयों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नियंत्रणाधीन 44 स्थल संग्रहालय हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान आबंटित/खर्च की गई निधियों के ब्यौरे सहित इन 44 संग्रहालयों की स्थान-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अनुदान के लिए मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न संगठनों के प्रस्तावों और इन प्रस्तावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान संग्रहालय अनुदान स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय से अनुदान दिया गया है, उन संग्रहालयों, के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुरातात्विक स्थलों/केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(ख) और (ग) संस्कृति मंत्रालय ने पहले से ही "संग्रहालय अनुदान स्कीम" तैयार की है, जिसके अंतर्गत वर्तमान संग्रहालयों की स्थापना और उनकी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, सोसाइटी अधिनियम, 1860 अथवा दृश्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों तथा न्यासों को वित्तीय सहायता दी जाती है। संग्रहालय अनुदान स्कीम की एक प्रति संलग्न विवरण-V में दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उन्नयन कार्य के लिए 6 पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों को चिन्हित किया गया है और इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया आबंटन और वहन किया गया खर्च

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
		संस्वीकृत अनुदान	उपयोग की गई राशि	संस्वीकृत अनुदान	उपयोग की गई राशि	संस्वीकृत अनुदान	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	1,944.00	1,994.00	2,415.00	2,415.00	2,513.00	2,513.00
2.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	360.63	305.38	564.07	502.42	536.37	429.26
3.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	1,366.18	1,783.72	1,028.25	1,236.25	979.86	1,374.95
4.	राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	1,845.00	1,572.68	1,790.00	1,757.12	2,079.80	2,062.88
5.	राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई	1,591.00	1,458.56	1,622.82	1,551.42	1,917.60	1,663.29
6.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	1,096.05	1,510.03	2,585.00	2,453.97	11,249.69	7,160.68
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	1,310.00	1,301.28	1,532.00	1,531.96	1,820.80	1,670.70
8.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, दिल्ली	1,495.00	1,495.00	1,972.00	1,834.00	1,823.00	1,804.00

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संग्रहालयों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए आबंटन/व्यय

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	संग्रहालय का नाम	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14	
			आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला	दिल्ली	27.00	27.00	16.00	17.26	26.75	25.89
2.	भारतीय युद्ध स्मारक, लाल किला	दिल्ली	2.25	2.25	5.00	5.08	14.75	13.58
3.	स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, सलीमगढ़	दिल्ली	7.00	7.00	15.50	14.44	11.45	11.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	पुरातत्व संग्रहालय, लाल किला	दिल्ली	4.00	4.00	8.25	6.50	17.50	15.87
5.	पुरातत्व संग्रहालय, पुराना किला	दिल्ली	5.35	5.35	11.70	12.01	11.70	11.67
6.	पुरातत्व संग्रहालय, रोपड़	पंजाब	6.50	5.14	8.50	8.67	9.00	7.95
7.	पुरातत्व संग्रहालय, थानेश्वर	हरियाणा	2.00	1.83	4.10	1.85	7.41	7.40
8.	कांगड़ा किला संग्रहालय	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.85	4.30	1.22	7.34	6.94
9.	पुरातत्व संग्रहालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	7.50	7.39	8.40	8.34	12.75	12.75
10.	पुरातत्व संग्रहालय, चंदेरी	मध्य प्रदेश	26.40	26.40	35.15	35.15	16.75	16.75
11.	पुरातत्व संग्रहालय, खजुराहो	मध्य प्रदेश	13.50	13.50	22.75	22.77	14.10	14.10
12.	पुरातत्व संगहालय, सांची	मध्य प्रदेश	14.20	14.20	29.69	29.69	7.50	7.49
13.	पुरातत्व संग्रहालय, कालीबंगन	राजस्थान	4.00	4.20	6.60	6.59	11.15	11.15
14.	डीग पैलेस संग्रहालय	राजस्थान	4.60	4.05	3.80	3.80	5.50	5.49
15.	ताज संग्रहालय, आगरा	उत्तर प्रदेश	4.28	4.27	13.50	13.47	9.00	7.42
16.	पुरातत्व संग्रहालय	उत्तर प्रदेश	0	0	9.40	9.34	15.50	17.58
17.	रेसीडेंसी संग्रहालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	12.00	3.00	3.00	2.80	24.00	24.15
18.	पुरातत्व संग्रहालय, जागेश्वर	उत्तराखंड	3.00	3.00	3.70	3.53	7.20	8.02
19.	पुरातत्व संग्रहालय, श्री सूर्य पहाड़	असम	4.00	4.03	13.00	12.94	13.75	13.63
20.	पुरातत्व संग्रहालय, सारनाथ	उत्तर प्रदेश	48.75	48.75	47.5	47.5	64.15	64.15
21.	पुरातत्व संग्रहालय, वैशाली	बिहार	9.50	9.50	4.00	4.00	10.20	9.94
22.	पुरातत्व संग्रहालय, नालंदा	बिहार	5.00	5.00	8.50	8.25	12.25	12.25
23.	पुरातत्व संग्रहालय, बोधगया	बिहार	3.25	3.25	6.60	6.60	4.50	4.48
24.	पुरातत्व संग्रहालय, विक्रमशिला	बिहार	7.00	6.99	9.23	9.23	11.86	11.83
25.	पुरातत्व संग्रहालय, कोणार्क	ओडिशा	22.5	22.5	14.00	13.99	14.30	14.30
26.	पुरातत्व संग्रहालय, रत्नागिरि	ओडिशा	24.00	24.00	16.30	16.30	30.10	30.10
27.	पुरातत्व संग्रहालय, तामलुक	पश्चिम बंगाल	5.00	4.99	6.60	6.38	5.87	5.78
28.	कूच बिहार पैलेस संग्रहालय	पश्चिम बंगाल	16.00	15.92	21.00	20.43	20.55	19.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	हज़ारदुवारी पैलेस संग्रहालय, मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	22.50	22.49	25.00	24.46	41.25	41.25
30.	फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई	तमिलनाडु	30.27	33.62	66.65	66.66	40.00	40.00
31.	पुरातत्व संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा	आंध्र प्रदेश	49.00	49.00	35.50	35.10	27.50	28.59
32.	पुरातत्व संग्रहालय, अमरावती	आंध्र प्रदेश	13.37	12.92	19.00	19.30	9.50	9.06
33.	पुरातत्व संग्रहालय, चंद्रगिरि	आंध्र प्रदेश	6.75	6.73	5.75	5.78	9.00	9.56
34.	पुरातत्व संग्रहालय, कोंडापुर	आंध्र प्रदेश	9.75	9.77	17.00	17.93	6.03	6.02
35.	टीपू सुल्तान पैलेस संग्रहालय, श्रीरंगापट्नम	कर्नाटक	14.90	14.79	6.50	6.50	8.50	8.49
36.	पुरातत्व संग्रहालय, हलेबिदु	कर्नाटक	6.00	5.88	10.50	10.29	5.25	5.23
37.	मत्तनचेरी पैलेस संग्रहायल, कोच्चि	केरल	22.00	21.99	5.50	9.50	19.00	18.55
38.	पुरातत्व संग्रहालय, वेल्हा गोवा	गोवा	19.50	19.59	37.92	38.18	22.50	20.43
39.	पुरातत्व संग्रहालय, लोथल	गुजरात	5.60	5.49	8.60	8.54	8.50	8.34
40.	पुरातत्व संग्रहालय, धोलावीरा	गुजरात	3.75	3.72	2.95	2.98	8.11	8.11
41.	पुरातत्व संग्रहालय, हम्पी	कर्नाटक	10.00	10.09	14.28	15.00	8.75	8.75
42.	पुरातत्व संग्रहालय, बादामी	कर्नाटक	5.00	5.00	11.60	11.60	9.00	8.81
43.	पुरातत्व संग्रहालय, अइडोल	कर्नाटक	5.00	5.00	13.60	13.60	6.31	6.17
44.	पुरातत्व संग्रहालय, बीजापुर	कर्नाटक	8.00	8.00	14.50	14.50	13.36	13.36
	कुल		521.00	512.40	650.90	648.05	659.40	652.40

विवरण-III

वित्तीय अनुदान के लिए मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न संगठनों के प्रस्ताव

क्र.सं.	संगठन का नाम	निर्गत निधियों (लाख रुपए में)		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	दामरेला रामा राव मेमोरियल राजकीय आर्ट गैलरी, राजमुंदरी	—	—	24.67

1	2	3	4	5
असम				
2.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	—	—	2.40
गोवा				
3.	म्यूजियम ऑफ क्रिश्चयन आर्ट, गोवा	3.25	—	—
गुजरात				
4.	श्री लक्ष्मीनाथजी ट्रस्ट, अहमदाबाद	6.71	6.71	—
5.	एल.डी. संग्रहालय, अहमदाबाद	39.44	—	19.72
6.	एन.सी. मेहता गैलरी, अहमदाबाद	—	5.72	2.10
हरियाणा				
7.	ध्वनि और चित्र आभासी संग्रहालय, कला एवं पुरातत्व विज्ञान केंद्र, गुड़गांव	—	—	166.33
हिमाचल प्रदेश				
8.	भूरी सिंह संग्रहालय चंबा	—	—	18.80
9.	कांगड़ा कला संग्रहालय, धर्मशाला	—	—	32.00
जम्मू और कश्मीर				
10.	अमर महल संग्रहालय	—	—	4.80
11.	ओथसांग सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण सोसायटी	—	—	3.45
कर्नाटक				
12.	चचाड़ी संग्रहालय, बेलगाम	—	—	13.76
केरल				
13.	माधवन नायर फाउंडेशन, कोच्चि	19.69	—	6.56
14.	हित पैलेस संग्रहालय, त्रिपुनीतुरा	—	200.00	—
15.	पजहस्सी राजा पुरातत्व संग्रहालय, कोझीकोडे	—	109.96	—
16.	लोकगीत कोईकल पैलेस पुरातत्व संग्रहालय, नेदुमनगड	—	115.00	—
17.	गुरु गोपीनाथ नाट्यग्राम सोसायटी	—	—	90.00
18.	बे द्वीप ड्रिफ्टवुड संग्रहालय, केरल	—	—	0.46

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
19.	दिगंबर जैन संग्रहालय, उज्जैन	—	15.16	—
20.	एच.एच. महाराजा सर जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर	—	96.00	83.89
21.	देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय, खरगोन	—	10.00	—
22.	गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर	—	—	43.00
23.	राज्य संग्रहालय, भोपाल	—	—	136.60
24.	छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई	—	—	300.00
मणिपुर				
25.	सार्वजनिक संग्रहालय, जिरीबाम	2.50	—	41.09
मेघालय				
26.	डॉन बोस्को म्यूजियम ऑफ इंडीजेनस कल्चरल सेक्रेड हार्ट थियोलॉजिकल कॉलेज, शिलांग	17.54	—	—
नागालैंड				
27.	एलेन वेलफेयर सोसायटी, नागालैंड	6.06	6.06	—
28.	जनजातीय कला तथा वस्त्र संग्रहालय, दीमापुर	—	71.58	—
29.	नोरहे सोसायटी, नागालैंड	—	—	9.93
ओडिशा				
30.	पल्ली संस्कृति कला परिषद्, पुरी	—	50.00	—
पंजाब				
31.	शीश महल संग्रहालय और किला मुबारक संग्रहालय, पटियाला	132.42	—	—
राजस्थान				
32.	सिटी पैलेस संग्रहालय, उदयपुर	125.00	—	—
33.	राजकीय संग्रहालय, भरतपुर	—	112.58	—
34.	राजकीय संग्रहालय, मडोर, जोधपुर	—	52.09	—
35.	डॉ. रामनाथ ए पोदास हवेली संग्रहालय	—	—	4.50

2	3	4	5
तमिलनाडु			
36. विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी	10.00	—	10.00
37. मद्रास रेजिमेंट संग्रहालय, वेलिंगटन	—	16.59	—
उत्तराखंड			
38. कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	17.30	—	—
उत्तर प्रदेश			
39. महाराजा बनारस विद्यामंदिर ट्रस्ट, वाराणसी	—	115.00	—
40. ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ	—	—	23.30
41. कला एवं शिल्प कला कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय	—	—	—
42. पार्श्वनाथ भारत कला संग्रहालय, वाराणसी	—	—	—
पश्चिम बंगाल			
43. नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कोलकाता	93.08	—	—
44. नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, आईआईटी खड़गपुर	58.86	—	—
45. बगनान आनंद निकेतन कीर्तिशाला, हावड़ा	2.50	99.43	—
46. भद्रकाली महिला एवं बाल विकास सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र, हुगली	—	8.40	—
47. रवींद्र भारती विश्वविद्यालय	—	42.25	—
48. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	—	900.00	—
49. नेहरू बाल संग्रहालय, पश्चिम बंगाल	—	—	20.32
50. बंगाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, दार्जिलिंग	—	—	125.00
दिल्ली			
51. श्रीनिवास महिला मेमोरियल रंगमंच शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली	34.16	—	—
52. ललित कला और साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	20.25	6.75	39.00
53. संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	—	—	4.55

विवरण-IV

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देश में उन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। देश में केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों की राज्य-वार सूची इस प्रकार है:—

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों का सार

क्र. स.	राज्य का नाम	पुरातत्व स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	129
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	मिज़ोरम	01
20.	नागालैंड	04
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
22.	ओडिशा	78
23.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
24.	पंजाब	33
25.	राजस्थान	162
26.	सिक्किम	03
27.	तेलंगाना	08
28.	तमिलनाडु	413
29.	त्रिपुरा	08
30.	उत्तर प्रदेश	743
31.	उत्तराखंड	42
32.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	3680

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों में और उनके इर्द-गिर्द पर्यावरण के संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव व विकास के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा संरक्षित मंदिरों और स्मारकों का दौरा करने वाले आगंतुकों को मूल भूत सुविधाएं/साधन (उदहारणार्थ पेय जल, शौचालय खंड, शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु सुविधाएं, पथिकाएं, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/साइनेज, वाहन पार्किंग, क्लॉक रूम आदि) उपलब्ध कराने जैसे नियमित कार्यकलाप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता एवं संसाधनों के अनुसार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इन सार्वजनिक सुविधाओं का सुधार और स्तरोन्नयन कार्य एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रत्येक वर्ष एएसआई के राष्ट्रीय महत्व के तौर पर घोषित स्मारकों/स्थलों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। विशेष प्रकृति की संरचनात्मक मरम्मत का कार्य आरंभ करने के लिए कई स्मारकों की पहचान की जाती है। तदनुसार, संरक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है और इसके

लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती है। शेष स्थलों/स्मारकों के धारणीय परिरक्षण के लिए वनस्पतियों को हटाने, रख-रखाव जैसे नेमी अनुरक्षण कार्य, पैच प्लस्तर करने, टीपकारी, जल-रोधन, चिनाई आदि जैसे छुट पुट मरम्मत कार्य आदि भी किए जाते हैं। गत तीन वर्ष के दौरान देश में केंद्रतया संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव पर उठाया जाने वाला खर्च निम्नानुसार है:—

विगत तीन वर्षों के लिए एएसआई के अधीन केन्द्रतया संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2011-12 (रुपए में)	व्यय 2012-13 (रुपए में)	व्यय 2013-14 (रुपए में)
1	2	3	4	5	5
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	544.49	737.49	957.97
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1,208.00	1,047.49	944.99
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	310.70	494.00	493.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	359.00	414.99	415.00
5.	कर्नाटक	बेंगलुरु मंडल	1,041.00	1,131.00	1,253.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	943.98	793.00	993.79
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	6,07.90	708.50	716.99
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	289.98	455.22	280.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	433.08	378.75	448.18
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	500.03	845.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	529.99	685.92	795.92
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	62.81	105.00	155.86
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	927.39	1,100.98	1,300.19
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	107.99	144.50
15.	सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	213.32	207.25	147.24
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	445.49	435.00	521.48
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	640.00	890.00	1,068.43
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	383.96	275.04	263.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	270.00	243.80	260.00

1	2	3	4	5	5
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल लेह	85.00	67.00	116.83
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	301.50	406.00	455.00
22.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	574.97	459.99	655.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	139.99	107.49	210.49
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	303.58	405.00	468.40
25.	झारखंड	रांची मंडल	62.58	53.57	69.00
		रासायनिक परिरक्षण (संपूर्ण भारत)	556.39	527.67	510.85
		उद्यान कार्य (अखिल भारतीय)	1,514.78	2,122.85	2,446.05
		कुल	13,389.88	14,861.02	16,936.16

विवरण-V

संग्रहालय अनुदान स्कीम

पृष्ठभूमि

संग्रहालय राष्ट्र की संस्कृति का संग्रह होते हैं जिनमें लंबी अवधि के दौरान किसी देश की संस्कृति और विरासत के विकास के साक्ष्यों के सुस्पष्ट उदाहरण मौजूद होते हैं। अत:, देश के 12वीं योजना से पूर्व, यह मंत्रालय संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 स्कीमों को चला रहा था, नामत:

(क) क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता स्कीम; और

(ख) महानगरों में संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

इन स्कीमों ने XIवीं योजना अवधि में बड़ी संख्या में संग्रहालयों को वित्तपोषण प्रदान करने का कार्य किया, तथापि ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि मंत्रालय को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के आधार पर बड़े स्तर के संग्रहालयों के वित्तपोषण हेतु एक कार्यतंत्र भी विकसित करना चाहिए। यह देखा गया कि अभी तक केवल सरकार द्वारा एकल रूप से किए जाने वाले संग्रहालय विकास कार्य में निजी/कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी की काफी गुंजाइश है। यह पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के समतुल्य बड़े स्तर के संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तपोषण की बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है जिसे सरकार इन 2 मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत प्रदान करने में असमर्थ थी। अत: निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वृहतर वित्तपोषण की संभावनाओं सहित एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ, इस क्षेत्र में स्कीमों के आधिक्य से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न आकार के संग्रहालयों के वित्तपोषण हेतु विभिन्न घटकों के साथ एक समग्र (अंब्रेला) स्कीम के अंतर्गत इन 3 स्कीमों को विलयित कर दिया जाए।

उद्देश्य

राज्य सरकारों और सोसाइटियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों तथा सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा नए संग्रहालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही देश में संग्रहालय आंदोलन के और मजबूती प्रदान करने के लिए संग्रहालय व्यावसायिक की क्षमताओं का विकास करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसके अलावा, XIIवीं योजना अवधि में राज्य की राजधानियों में संग्रहालयों के विकास संबंधी स्कीम के घटक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य की राजधानी में स्थित कम-से-कम एक केन्द्रीय/राज्य सरकार संग्रहालय शुरू और विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।

कार्य क्षेत्र

नए संग्रहालयों की स्थापना तथा संगत कानूनों के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत राज्य सरकारों, संगठनों, संस्थानों, ट्रस्टों, स्थानीय निकायों, अकादमिक संस्थानों आदि द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित संग्रह रखने वाले संग्रहालय शामिल होंगे:—

(क) पुरावस्तु

(ख) सिक्का शास्त्र

(ग) चित्र

(घ) नृजातीय संग्रह

(ङ) लोक कला

(च) कला एवं शिल्प, वस्त्र, मुहर आदि सहित अन्य वस्तुएं

(छ) उपरोक्त विधाओं में से किसी एक अथवा समस्त को प्रदर्शित करते हुए ऑन लाइन आभासी संग्रहालय

नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस स्कीम के 3 घटक होंगे:—

(क) जिला और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना और विकास

(ख) राज्य की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापना और विकास

पात्रता मानदंड, स्वीकार्य अनुदान की मात्रा और प्रत्येक घटक के अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार है:—

(क) जिला और क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना और विकास

1. पात्रता

सभी राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों, भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 (XXI) अथवा राज्य सरकारों के सदृश कानूनों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत सोसाइटियां अनुदान हेतु विचार किए जाने की पात्र हैं। आवेदक संस्थान द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:—

शर्तें

(क) आवेदक संस्थान को आवेदन करने से पहले कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व अस्तित्व में होना चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ समिति अपने विवेक के आधार पर असाधारण मामलें में इसमें छूट दे सकती है, इसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए;

(ख) इसके कार्यकरण के लिए इसका एक सुपरिभाषित संघटन और निर्धारित नियमावली/उप-नियम होने चाहिए;

(ग) इसके पास संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ऐतिहासिक और/अथवा सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण संग्रह का स्वामित्व और कब्जा होना चाहिए और वस्तुओं की संख्या को परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;

(घ) इसे संग्रहालय के रख-रखाव करने और आवर्ती लागतों को वहन करने में सक्षम होना चाहिए;

(ङ) इसके पास उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संसाधन और कार्मिक होने चाहिए जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है;

(च) इसे राज्य सरकार से (संस्कृति विभाग अथवा समकक्ष) इसके संतोषजनक कार्य-निष्पादन के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(छ) इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।

(ज) इसे उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां यह संग्रहालय अवस्थित है अथवा निर्मित किया जाना प्रस्तावित है और यहां तक आगन्तुकों का पहुंचना सुगम होना चाहिए।

(झ) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं आकलित लागत के लोक निर्माण विभाग (अथवा समकक्ष संगठन) द्वारा सत्यापित और प्रमाणित होना चाहिए।

अन्य शर्तें:—

(क) आवेदक संगठन को नीचे दिए गए घटकों को शामिल करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए:—

(i) निदानात्मक अध्ययन समेत संग्रहालय की दशा के संबंध में रिपोर्ट।

(ii) संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास किस प्रकार किया जाएगा इसका उल्लेख करते हुए एक कार्यनीति पत्र जिसमें संग्रहालय के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के नियोजित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने की योजना भी शामिल होगी।

(iii) संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित कदम की विस्तृत

(ख) परियोजना प्रस्ताव में नवीकरण/मरम्मत, वीथियों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण, प्रकाशन, संरक्षण, प्रयोगशाला/संरक्षण परियोजना, संग्रहालय, पुस्तकालय, उपकरण और प्रलेखीकरण आदि के विभिन्न पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदृश संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा इसको भी परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और इसमें विशिष्ट समय-सीमा को भी दर्शाया जाना चाहिए।

2. संग्रहालयों की श्रेणियां

घटक स्कीम के अंतर्गत सहायता के उद्देश्य हेतु संग्रहालयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:—

(क) श्रेणी-I : सरकारी स्वामित्व वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय तथा उत्कृष्ट संग्रहों सहित प्रतिष्ठित संग्रहालय;

(ख) श्रेणी-II : सभी अन्य संग्रहालय

3. वित्तीय सहायता की धनराशि

क्र. सं.	उद्देश्य	श्रेणी	अधिकतम वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)
(i)	नए संग्रहालयों की स्थापना	श्रेणी-I	10
(ii)	नए संग्रहालयों की स्थापना	श्रेणी-II	5
(iii)	मौजूदा संग्रहालयों का विकास	श्रेणी-I	8
(iv)	मौजूदा संग्रहालयों का विकास	श्रेणी-II	4

वित्तीय अनुदान की शर्तें

(क) यह अनुदान केवल एक बार दिया जाएगा। आगे की किसी आवश्यकता को आवेदक संस्थान द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत किस संस्थान को अनुदान दिया गया है वह संस्थान पिछले अनुदान की अंतिम किस्म के भुगतान की तारीख से 10 वर्ष गुजरने से पहले पश्चातवर्ती अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के वित्तपोषण तक सीमित होगी और यह संग्रहालय चलाने के लिए नहीं होगी।

(घ) किराया, वेतन विद्युत बिल आदि जैसे आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ) सिविल कार्यों के लिए अनुमोदित अनुदान के 60 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(च) संग्रहालयों के लिए भूमि और कलाकृतियों को खरीदने के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(छ) स्वीकार्य घटक के लिए केन्द्र सरकार कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक प्रदान करेगी। आवेदक को परियोजना लागत के कम-से-कम 20 प्रतिशत का वहन करना होगा।

(ज) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में संग्रहालयों के मामलों में, स्वीकार्य घटक के लिए केन्द्र सरकार कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक प्रदान करेगी और आवेदक को परियोजना लागत के कम-से-कम 10 प्रतिशत का वहन करना होगा।

(झ) जहां कहीं भी कार्य को सरकारी एजेंसियों के अलावा किन्हीं अन्य एजेंसियों को सौंपा गया है वहां मुक्त निविदा/कोटेशन आमंत्रित करके पारदर्शी प्रतिस्पर्धी पद्धति के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को चुना जाना चाहिए। इस विषय में इस मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

(क) सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 अनुपात में 3 किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

(ख) दूसरी किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता की धनराशि से आनुपातिक सदृश अंश का उपयोग कर चुका हो।

(ग) तीसरी एवं अंतिम किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किस्तों तथा सदृश अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

(घ) पूर्व किस्त और संगठन के आनुपातिक सदृश अंश के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और चार्टर्ड अकाउंटेड फार्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण की प्राप्ति के पश्चात् दूसरी और तीसरी किस्तें, जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किस्तों तथा संस्थान की सदृश अंशदान राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए कर लिया गया है जिसके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी किस्तों का जारी किया जाना सरकार द्वारा अपेक्षित/मांगे गए अन्य दस्तावेज, आदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

5. स्वीकार्य घटक

इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान से निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए जाने की पात्रता रखते हैं:—

1. वीथियों का नवीकरण/मरम्मत, विस्तार और आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण:—

(क) सरकारी संग्रहालयों के लिए इस उद्देश्य हेतु योजना और लागत अनुमान पीडब्ल्यूडी से प्राप्त होना चाहिए और अन्य संग्रहालयों के मामले में यह पीडब्ल्यूडी/पंजीकृत आर्किटेक्ड से प्राप्त होना चाहिए।

(ख) सरकारी संग्रहालयों के लिए पीडब्ल्यूडी तथा अन्य संग्रहालयों के मामले में पीडब्ल्यूडी/पंजीकृत आर्किटेक्ट से एक समापना-सह-मूल्यांकन प्रमाण-पत्र कार्य समापन से तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. **प्रकाशन**

(क) सूचीपत्र

(ख) संग्रहालय संदर्शिका

(ग) गैलरी — शीट्स

(घ) फोटो — इंडेक्स काईस

(ङ) चित्र पोस्ट कार्ड

(च) संग्रहालय वस्तुओं के चित्र सहित पत्रक

(छ) मोनोग्राफ्स

(ज) संक्षिप्त सूची आदि

अंतिम किस्त के जारी होने से पहले प्रकाशित दस्तावेज की दस प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रकाशित दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियां शामिल की जानी चाहिए "संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित"।

3. **संरक्षण प्रयोगशालाएं/संरक्षण परियोजनाएं**

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विस्तार और स्तरोन्नयन तथा विहित प्रोफार्मा में वस्तुओं के संरक्षण के लिए होगी। यह अनुदान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रयोगशाला के पास उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। जहां प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वहां इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा संरक्षण कार्य निम्न में से किसी एक के माध्यम से किया जाएगा:

(क) राष्ट्रीय कला, संरक्षण एवं संग्रहालय-विज्ञान संग्रहालय संस्थान, जनपथ, नई दिल्ली।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास।

(ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण शोध प्रयोगशाला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(घ) एगमोर संग्रहालय, चेन्नई।

(ङ) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता।

अंतिम किस्त जारी करने से पहले, संगठन द्वारा संरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

4. **संग्रहालय पुस्तकालय का विकास**

मौजूदा संग्रहालय पुस्तकालयों के स्तरोन्नयन तथा संग्रह को बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

5. **उपकरणों की खरीद**

निम्नलिखित उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

I. **उपकरण (सामान्य)**

(क) पोडियम और पैनल जैसे प्रदर्शक सामान्य

(ख) संग्रहालय वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु विशेष लाइटिंग

(ग) प्रलेखीकरण के लिए कम्प्यूटर

(घ) कैमरे, स्लाइड प्रोजेक्टर और स्क्रीन

(ङ) सीसीटीवी

II. **सुरक्षा प्रणाली के लिए उपकरण (केवल श्रेणी-I संग्रहालयों के लिए)**

डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हस्त चालित मेटल डिटेक्टर, वाहन निरीक्षण शीशे, रेडियो सेट, हैंड बैगेज एक्सरे मशीन, सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग प्रणालियां, दरवाजों के लिए चुम्बकीय चिटकनी, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर्स, चुम्बकीय स्विच, वाइब्रेशन डिटेक्टस, अलार्म सिस्टम, वीडियो मोशन डिटेक्टर्स, पैसिव इंफ्रारेड उपकरण, इंफ्रारेड बीमा बैरियर आदि।

III. **कोई अन्य उपकरण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक माना जाए।**

संगठन द्वारा अनुदान राशि से खरीदे गए उपकरण की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

6. **प्रलेखीकरण**

सभी संग्रहालयों को फोटो-प्रलेखीकरण और अंकीकरण जैसी प्रमाणित और उभरती प्रौद्योगिकियों का इष्टतम उपयोग करके अपने संग्रहों का सम्पूर्ण और गहन प्रलेखीकरण रखने का प्रयास करना चाहिए।

6. परियोजना अवधि

परियोजना को प्रथम किस्त जारी होने के समय से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। परियोजना में सम्पन्न होने में यदि कोई विलंब होता है तो विलंब के लिए पूर्ण औचित्य का वर्णन करते हुए मंत्रालय से समय विस्तार की अनुमति मांगी जा सकती है इसमें चूक होने पर बाद वाली किशत जारी नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से किए जा रहे कार्य का वास्तविक निरीक्षण करने के लिए संग्रहालय का दौरा करने हेतु तैनात कर सकता है।

7. स्कीम के तहत आवेदन करने और प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'क' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले-पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। राज्य संग्रहालयों के अलावा अन्य संग्रहालयों के मामले में, स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के आवेदन मंत्रालयों को अंतिम रूप से संस्तुत करने से पहले इसे जिला उपायुक्त/कलेक्टर (जिस जिले में संग्रहालय अवस्थित हो) द्वारा संबंधित राज्य सरकार को प्रायोजित किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को आवेदक के कार्यकलाप तथा जहां यह संग्रहालय स्थापित किया गया है उस जगह की स्थिति के बारे में अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र-क) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की साईट *http://indiaculture.nic.in* पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की धनराशि संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने के लिए प्रस्तावित कलाकृतियों की संख्या और मूल्य के अनुपात में है।

इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, समय दर समय, किश्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

नोट: निधियों के दुरुपयोग अथव समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की गंभीरता से लिया जाएगा। चूककर्त्ता संगठनों को काली-सूची में डाल दिया जाएगा और भारत सरकार से भविष्य में अनुदान प्राप्त करने में विवर्जित कर दिया जाएगा तथा कानून के अधीन अभियोग चलाया जाएगा।

(ख) राज्यों की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास

1. उद्देश्य

प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम-से-कम एक संग्रहालय का विकास और आधुनिकीकरण करना संग्रहालय अनुदान स्कीम के इस घटक का उद्देश्य है। इसका एक अन्य उद्देश्य इन संग्रहालयों में व्यावसायिकों की प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है (और इस घटक में से प्रतिवर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपए का वित्त-पोषण इनके प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है)।

2. पात्रता

संग्रहालय अनुदान स्कीम के इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राजधानी शहरों में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के मौजूदा प्रतिष्ठित संग्रहालय पात्र हैं।

शर्तें:

(क) इस संग्रहालय को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में अवस्थित होना चाहिए।

(ख) इसे एक प्रतिष्ठित संग्रहालय होना चाहिए जिसमें वस्तुओं/कलाकृतियों का महत्वपूर्ण संग्रह हो।

(ग) विगत दो वर्षों में इसमें वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष 1 लाख आगन्तुक आए हों।

3. वित्तीय अनुदान की राशि

वित्तीय अनुदान की राशि प्रति संग्रहालय पंद्रह करोड़ रुपयों तक सीमित होगी तथा इस घटक से निधियां उपलब्ध करवाते हुए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संग्रहालय को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदक संग्रहालय द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी जिसे तैयार करके प्रस्ताव के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा और जिसमें उक्त निधियों की सहायता से आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के सभी पक्षों के विवरणों को दर्शाया जाएगा। डीपीआर तैयार करने की लागत संग्रहालय को संवितरित अनुदान की राशि में समायोजित की जाएगी।

शर्तें:

(क) यह अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जाएगी।

(ख) भारत सरकार की वित्तीय देयता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को वित्तपोषित करने तक ही सीमित होगी एवं संग्रहालय चलाने के लिए नहीं।

(ग) यह अनुदान किराया, वेतनों, बिजली के बिलों आदि जैसे आवर्ती व्ययों को कवर करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) संस्वीकृत अनुदान की केवल 60 प्रतिशत राशि ही सिविल कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(ङ) इस अनुदान का उपयोग संग्रहालय के लिए भूमि अथवा कलाकृतियों के प्रापण में नहीं किया जाएगा।

(च) जिस संस्थान को इस स्कीम के तहत अनुदान दिया गया हो वह पूर्व अनुदान की अंतिम किश्त के भुगतान से 10 वर्ष समाप्त होने से पहले अनुदान का पत्र नहीं होगा।

4. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

(i) सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 के अनुपात में 3 किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

(ii) दूसरी किश्त, जो केन्द्र सरकार से अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर चुका हो।

(iii) तीसरी एवं अंतिम किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किश्तों का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

(iv) दूसरी और तीसरी किश्तें, पूर्व किश्त के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किश्तों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया हो जिसके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

दूसरी और तीसरी किश्तों का जारी किया जाना सरकार द्वारा अपेक्षित/मांगे गए अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

5. स्वीकार्य घटक

स्कीम के पैरा ए 5 में दिए गए कार्यकलाप (घटक ए के अधीन) स्कीम के अधीन उपलब्ध करवाए गए अनुदान से आरंभ किए जा सकते हैं।

6. परियोजनावधि

यह परियोजना, पहली किश्त जारी किए जाने से पांच वर्ष के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के निष्पादन में कोई विलंब हो तो विलंब का पूर्ण औचित्य सिद्ध करते हुए मंत्रालय से विस्तार की अनुमति की मांग की जा सकती है, जिसकी अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तरवर्ती किश्त जारी नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय, समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को संग्रहालय का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ताकि वह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किए गए कार्य का वास्तविक निरीक्षण कर सके।

7. स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार और आवेदन करने की प्रक्रिया

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'ख' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। एक वित्त वर्ष में इस घटक के तहत एक से अधिक संग्रहालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र-ख) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की साईट *http://indiaculture.nic.in* पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एंव अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर; संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करे, समय दर समय, किश्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ग. सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापना व विकास

1. उद्देश्य

देश के विभिन्न भागों में संग्रहालयों की उपलब्धता से संबंधित विद्यमान कमी को पूरा करने की दृष्टि से एक सार्वजनिक – निजी – भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में राज्य सरकारों और नागरिक समाज के एक संयुक्त उद्यम के तौर पर, पहचान किए गए शहरों में बड़े स्तर के संग्रहालयों (50 करोड़ रुपयों से अधिक) की स्थापना हेतु एक नई योजना का प्रस्ताव है। इस संग्रहालय में उपलब्ध सुविधाएं उच्च स्तर की एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समतुल्य होंगी तथा उनकी प्रचालनात्मक लागत को विभिन्न आगंतुक सुविधाओं व प्रवेश शुल्क आदि से जनित राजस्व के द्वारा पूरा किया जाएगा। संग्रहालय का दैनिक प्रशासनिक कार्य शासकीय निकाय जैस शीर्षस्थ निकाय को अभ्यावेदन द्वारा, केवल नीति स्तर निर्णय लेने में शामिल सरकारों (केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों) के साथ संलग्न नागरिक समाज/स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रचालक द्वारा किया जाएगा।

2. पात्रता

राज्य सरकारें/सभी स्वैच्छिक संस्थान, सोसायटियां, स्थानीय निकाय व भारतीय सोसायटी अधिनियम, 1860 (XXI) के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत न्यास या तत्समय प्रवृत्ति किसी कानून के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अनुदानों के लिए पात्र हैं। उनके पास न्यूनतम 1500 उत्कृष्ठ ऐतिहासिक व सांस्कृतियों का संग्रह होना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:—

(क) इसका गठन आवेदन से कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व किया गया हो। तथापि, विशेषज्ञ समिति के विवेकानुसार कुछ विशेष मामलों में इस शर्त में छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे;

(ख) उसके पास कार्य करने के लिए सुपरिभाषित संविदा एवं निर्धारित नियम/उप-नियम हो;

(ग) वह संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक और/या सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक संपन्न संग्रह का स्वामी हो (न्यूनतम 1500 कलाकृतियां) व वस्तुओं की प्रकृति और संख्या का उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया जाए;

(घ) वह संग्रहालय के रख-रखाव में सक्षम हो तथा सभी आवर्ती लागतों को वहन कर सके;

(ङ) उसके पास आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संसाधन और उस कार्य को निष्पादित करने हेतु कार्मिक मौजूद हों जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है;

(च) उसके पास राज्य सरकार (संस्कृति विभाग या समतुल्य) से प्राप्त प्रमाण-पत्र हो जिसमें उसके संतोषजनक निष्पादन का प्रमाण हो;

(छ) उसे निजी लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हो;

(ज) वह उस भूमि का मालिक हो जिस पर संग्रहालय स्थित हो या निर्मित किए जाने का प्रस्ताव हो, जहां आगंतुक आसानी से पहुंच सकें।

(झ) आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजनाओं व अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठनों) द्वारा सत्यापित व प्रमाणित किया गया हो।

अन्य शर्तें:

(क) आवेदक संगठन को नीचे दिए गए घटकों को शामिल करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए:—

(i) निदानात्मक अध्ययन समेत संग्रहालय की दशा के संबंध में रिपोर्ट;

(ii) संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास किस प्रकार किया जाएगा इसका उल्लेख करते हुए एक कार्यनीति पत्र जिसमें संग्रहालय के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के नियोजित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने की योजना भी शामिल होगी;

(iii) संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक कदम की विस्तृत लागत, क्रम और समय-सीमा को शामिल करते हुए एक कार्य योजना।

(ख) परियोजना प्रस्ताव में नवीकरण/मरम्मत, वीथियों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण, प्रकाशन, संरक्षण, प्रयोगशाला/संरक्षण परियोजनाएं, संग्रहालय, पुस्तकालय, उपकरण और प्रलेखीकरण आदि के विभिन्न पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदृश संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा इसको भी परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और इसमें विशिष्ट समय-सीमा को भी दर्शाया जाना चाहिए।

3. अनुदान की राशि

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कीम के तहत, परियोजना लागत की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जोकि अधिकत 20 करोड़ रुपए तक होगी, चाहे इसका संबंध नया संग्रहालय स्थापित करने से हो या विद्यमान संग्रहालय के आधुनिकीकरण से। परियोजना लागत का शेष भाग स्वयं सस्थान द्वारा या राज्य सरकार/कॉरपोरेट व सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

शर्तें:

(क) यह अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जाएगी।

(ख) जिस संस्थान को इस स्कीम के तहत अनुदान दिया गया है, वह पूर्व अनुदान की अंतिम किश्त के भुगतान से 10 वर्ष समाप्त होने से पहले अनुदान का पात्र नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार की वित्तीय देयता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को वित्तपोषित करने तक ही सीमित होगी एवं संग्रहालय चलाने के लिए नहीं।

(घ) यह अनुदान किराया, वेतनों, बिजली के बिलों आदि जैसे आवर्ती व्ययों को कवर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ) संस्वीकृत अनुदान की केवल 60 प्रतिशत राशि ही सिविल कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(च) इस अनुदान का उपयोग संग्रहालय के लिए भूमि अथवा कलाकृतियों के प्रापण में नहीं किया जाएगा।

(छ) जहां पर भी कार्य सरकारी एजेंसियों को न सौंपकर किसी अन्य एजेंसी को सौंपा गया है, वहां कार्यान्वयन एजेंसी का चयन खुला टेंडर/कोटेशन आमंत्रित करते हुए एक पारदर्शी

प्रतियोगी प्रक्रिया से किया जाएगा। तत्संबंधी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) आवेदन करते समय, आवेदक संस्थान परियोजना लागत का कम-से-कम 50 प्रतिशत अपने पास तैयार रखेगा।

(झ) यह भविष्य में अपने आवर्ती व्यय से निपटने के लिए एक वास्तविक संवहनियता योजना भी प्रस्तुत करेगा।

(ञ) सभी प्रयोजनों के लिए अनुदान 40.60 के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। अनुमानित लागत की अधिकतम तथा 40 प्रतिशत तक की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी (अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक) व बची हुई 60 प्रतिशत या शेष राशि आदि कोई हो, राज्य सरकार/संस्थान/कॉर्पोरेट निकायों, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ट) योजनावधि में इस घटक के अंतर्गत केवल एक परियोजना प्रस्ताव संस्वीकृत किया जाएगा।

4. **वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया**

(क) सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 4 किश्तों में जारी किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक किश्त संस्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत होगी। पहली किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

(ख) दूसरी किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता, केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 80 प्रतिशत राशि और साथ ही अपनी निधियों में से आनुपातिक अनुरूप अंशदान का उपयोग कर चुका हो।

(ग) तीसरी किश्त जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्त्ता, केन्द्र सरकार द्वारा जारी दूसरी किश्त की 80 प्रतिशत राशि के साथ-साथ अनुरूप अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो। संस्वीकृत राशि के शेष 25 प्रतिशत की चौथी किश्त का भुगतान तब किया जाएगा जब अनुदान प्रापतकर्त्ता ने पहली 3 किश्तों में संवितरित अनुदान का उपयोग उनके अनुरूप अनुदान के साथ पूर्ण रूप से कर लिया हो।

(घ) दूसरी और तीसरी एवं चौथी किश्तें, पूर्व किश्त और संगठन के समतुल्य आनुपातिक अनुरूप अंशदान के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेड फार्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किश्तों व संस्थान के अनुरूप अंशदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया हो जिनके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी व चौथी किश्तों का जारी किया जाना सरकार द्वारा अपेक्षित/मांगे गए अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

5. **अवसंरचना का विकास**

स्कीम के पैरा ए 5 में दिए गए कार्यकलाप (घटक क के अंतर्गत) स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए गए अनुदान से आरंभ किए जाने के पात्र हैं।

6. **परियोजनावधि**

यह परियोजना, पहली किश्त जारी किए जाने से पांच वर्ष के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के निष्पादन में कोई विलंब का पूर्ण औचित्य सिद्ध करते हुए मंत्रालय से विस्तार की अनुमति की मांग की जा सकती है, जिसकी अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तरवर्ती किश्त जारी नहीं की जाएगी। संस्कृत मंत्रालय, समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को संग्रहालय का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ताकि वह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किए गए कार्य का वास्तविक निरीक्षण कर सके।

7. **स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार और आवेदन करने की प्रक्रिया**

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'ख' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। एक वित्त वर्ष में इस घटक के तहत एक से अधिक संग्रहालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र-ख) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की साईट *http://indiaculture.nic.in* पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को

लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए।

इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, समय दर समय, किश्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण-VI

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 स्थल संग्रहालयों का उन्नयन कार्य एनसीएफ, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। 6 स्थल संग्रहालय इस प्रकार हैं:—

1. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
2. ताजमहल, आगरा
3. पुरातत्व संग्रहालय, अमरावती
4. पुरातत्व संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा
5. पुरातत्व संग्रहालय, सारनाथ
6. पुरातत्व संग्रहालय, नालंदा

खाद्यान्नों को जारी करना

1875. श्रीमती रंजीत रंजन :
श्री राजेश रंजन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसके गोदामों से बाजार में खाद्यान्नों के जारी किए जाने को लेकर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की कितनी मात्रा जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) रणनीतिक/बफर स्टॉक के रूप में कितने प्रतिशत खाद्यान्नों के भांडागार में रखे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) जी, हां।

(ख) रॉलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ दिनांक 20.03.2014 को विभाग में एक बैठक आयोजित की गई थी। प्राप्त सुझावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस-डी) के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) केंद्रीय पूल स्टॉक में बफर मानदंडों और कार्यनीतिक रिजर्व मनदंडों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(मात्रा लाख टन में)

निम्नलिखित तारीख के अनुसार	बफर मानदंड			कार्यनीतिक रिजर्व		सकल जोड़
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	—
1 अप्रैल	122	40	162	20	30	212
1 जुलाई	98	171	269	20	30	319
1 अक्तूबर	52	110	162	20	30	212
1 जनवरी	118	82	200	20	30	250

प्रत्येक तिमाही हेतु बफर और कार्यनीतिक रिजर्व मानदंड मात्रा-वार निर्धारित किए जाते हैं और ये प्रतिशत के रूप में नहीं है।

विवरण

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के बारे में दिनांक 20.03.2014 को आयोजित बैठक के दौरान रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन से प्राप्त सुझाव:

1. सरकार को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के संबंध में एक दीर्घावधिक नीति अपनाना चाहिए और उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन बार-बार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उद्योग जगत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. पिछले वर्षों के दौरान लगाई गई स्टॉक सीमा ने मिलरों को बहुत प्रभावित किया था और भविष्य में ऐसी नीतियों से बचा जाए।

3. पूरे देश में गेहूं की बिक्री के लिए एक मूल्य होना चाहिए क्योंकि गेहूं के मूल्य निर्धारण में विसंगति से अंतिम उत्पाद के मूल्य निर्धारण में विसंगति उत्पन्न होती है, जिससे कम मूल्य वाले राज्य में यह उद्योग पड़ौसी राज्यों की तुलना में लाभ की स्थिति में रहता है।

4. आरक्षित मूल्य का निर्धारण आधार मूल्य जमा रेलवे मालभाड़े का 50 प्रतिशत के आधार पर किया जाए।

5. इस स्कीम के अंतर्गत निविदाओं के माध्यम से गेहूं की वर्ष भर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

6. बिक्री के दौरान गेहूं की डिलीवरी सीधे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंटेनरों अथवा साइलो बोरियों में करने की अनुमति प्रदान की जाए, यदि खरीददार इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।

7. एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज के माध्यम से ई निविदा प्रणाली में दोहराव को दूर करना।

8. सरकार को रिजर्व मूल्य निर्धारित करते समय मिलरों द्वारा व्यय किए जा रहे प्रोसेसिंग प्रभार पर भी विचार करना चाहिए।

दालों का आयात

1876. डॉ. संजय जायसवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात की गई दालों की कुल मात्रा और मूल्य कितना है और इन एजेंसियों को एजेंसी-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कारोबार से इन एजेंसियों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) सब्सिडी प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीमों के तहत नामोदिष्ट एजेंसियों (अर्थात् एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी, नैफेड और एनसीसीएफ) ने दालों का आयात किया जिसमें से एमएमटीसी, पीईसी और एसटीसी ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान दालों का आयात किया। उक्त नामोदिष्ट एजेंसियों द्वारा आयातित दालों की मात्रा, मूल्य और अर्जित लाभ नीचे दिए गए हैं:-

नामोदिष्ट एजेंसी	वर्ष	आयातित मात्रा ('000 मी. टन)	मूल्य (करोड़ों रुपए में)	अर्जित लाभ (करोड़ों रुपए में)
पीईसी	2011-12	74.81	277.57	
	2012-13	5.02	16.65	
एसटीसी	2011-12	98.49	240.54	2.630
एमएमटीसी	2011-12	11	41.5	0.498
	कुल	189.32	576.26	3.128

स्रोत: नामोदिष्ट एजेंसियां और वाणिज्य विभाग।

टिप्पण : # नामोदिष्ट एजेंसियों द्वारा यथासूचित

2013-14 और 2014-15 के दौरान दालों का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) नामोदिष्ट एजेंसियों द्वारा दालों के आयात के लिए सरकार ने सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 767.71 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है और उसका विवरण नीचे दिया गया है:—

नामोदिष्ट एजेंसी	पीईसी	एसटीसी	एमएमटीसी	नैफेड	एनसीसीएफ	कुल
कुल प्रतिपूर्ति (रुपए करोड़ों में)	99.02	398.71	237.04	9.99	24.95	769.71

स्रोत: नामोदिष्ट एजेंसियों के दावे।

[अनुवाद]

धान की खेती की आधुनिक पद्धति

1877. श्री पी. कुमार :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर उपज के लिए धान की खेती की परिशोधित पद्धति को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेती की लागत बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बिहार समिति देश में धान के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाई गई/बनाई जा रही दीर्घावधिक कार्य-योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) देश में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम);" "पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)" और "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)" जैसे विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत चावल गहनीकरण प्रणाली (एसआरआई), सीधे बुआई वाले चावल (डीएसआर) और कतारबद्ध रोपाई जैसे धान की खेती के संशोधित पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है।

(ग) और (घ) कृषि की लागत/कृषि जिंसों का उत्पादन विभिन्न आदानों जैसे श्रम, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई प्रभार, भूमि का किराया मूल्य, यंत्रीकरण आदि निर्भर करता है। मंत्रालय 19 राज्यों के धान सहित चुने हुए फसलों की कृषि/उत्पादन अनुमानों की लागत तैयार कर रहा है। अद्यतन उपलब्ध तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के लिए प्रमुख धान उत्पादक राज्यों की कृषि की लागत का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

राज्य	वर्ष	कृषि की लागत (रुपए/हैक्टेयर)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2009-10	54202.54
	2010-11	51505.34
	2011-12	58027.19
पंजाब	2009-10	50650.21
	2010-11	51279.34
	2011-12	53813.93
तमिलनाडु	2009-10	46959.70
	2010-11	50632.40
	2011-12	59767.05
उत्तर प्रदेश	2009-10	32327.78
	2010-11	32299.35
	2011-12	40146.68
पश्चिम बंगाल	2009-10	38111.55
	2010-11	43019.85
	2011-12	49142.99

1	2	3
बिहार	2009-10	19764.04
	2010-11	20960.19
	2011-12	27833.63

(ङ) सरकार ने नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे संकर चावल की खेती बहुत दबाव सह्य किस्में, चूना, जिप्सम, सूक्ष्म-पोषकतत्व, ही खाद के उपयोग के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य सुधार, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, यंत्रीकरण आदि को बढ़ावा देने के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक रणनीति बनाई है इसके अलावा बिहार सहित सम्पूर्ण देश में एनएफएसएम, आरकेवीवाई, वीजीआरईआई, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की मदद से राष्ट्रीय कृषि विकास अनुसंधान (आईसीएआर) एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) द्वारा कई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

सुपारी के प्रयोग पर प्रतिबंध

1878. श्री एंटो एन्टोनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपारी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास देश में सुपारी के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को निदेश दिया था कि वह पानमसाला, गुटखा और इसी प्रकार की वस्तुओं के संघटकों पर एक अध्ययन कराएं और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 के निर्देशों के अनुपालन में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की। वैज्ञानिक साहित्य और अनेक अध्ययनों के परिणामों की समीक्षा के आधार पर समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मुख विवर (आरल केविट), भोजननली और लिवर के कैंसर के विकास के लिए पर्याप्त जोखिम कारक होने से सुपारी में प्रभावशाली और संगत साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा, इन कैंसरों का जोखिम सुपारी प्रयोग की वर्धित अवधि और बारम्बारता के साथ बढ़ा हुआ पाया जाता है। सुपारी प्रयोग और पैरी-ओडोंटल बीमारी, कार्डियोवस्कुलर बीमारी, मैटाबौलिक एबनोर्मलिटिस और विपरीत जन्म परिणामों के बीच भी एक महत्वपूर्ण मेल पाया गया है।

(ङ) वर्तमान में देश में सुपारी के प्रयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मानव दुर्व्यापार

1879. श्री थोटा नरसिम्हम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और अन्य कानूनों के अंतर्गत उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; जिनके अंतर्गत बाल दुर्व्यापार से संबंधित मामलों का विचार किए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाल दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के कितने मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पाए गए;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश में बाल दुर्व्यापार और बच्चों की गुमशुदगी की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) देश में मानव दुर्व्यापार, विशेषकर बाल दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित विशिष्ट विधान अर्थात् अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बंधुआ मजदूर प्रणाली (समापन) अधिनियम, 1976 बाल मजदूर (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986, मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 अधिनियमित किये गए हैं।

भारतीय दंड संहिता की विशिष्ट धाराओं 372 और 373 के अलावा, बालिकाओं को बेचने एवं खरीदने से संबंधित धारा, अवयस्क लड़कियों की खरीद-फरोख्त तथा विदेशों से लड़कियों का आयात से संबंधित धारा

366-क और 366-ख विद्यमान हैं।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 लागू हो गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 एवं 370क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें शारीरिक शोषण अथवा यौन शोषण, दासता, गुलामी अथवा अंगों के बलपूर्वक निष्कासन के किसी भी रूप के शोषण के लिए बच्चों के दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के संकट से निपटने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है।

यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012, जो 14 नवम्बर, 2012 से लागू हुआ है, यौन उत्पीड़न एवं शोषण से बच्चों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष कानून है। इसमें पैनेट्रेटिव एंव नॉन-पैनेट्रेटिव यौन हमला, यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़ने के अलग-अलग रूपों के संबंध में स्पष्ट परिभाषाएं दी गईं।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बच्चों का दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के तहत कारित विभिन्न अपराधों के अंतर्गत वर्ष 2011-13 के दौरान क्रमशः कुल 3517, 3554 और 3990 मामले दर्ज किये गए थे। विगत 3 वर्षों (2011-13) के दौरान बच्चों का दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के सूचित मामलों के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत सूचित मामलों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने एवं उनका मुकाबला करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार रोधी नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना करके, राज्यों की सहभागिता से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (आईजीएनओयू) द्वारा मानव दुर्व्यापार रोधी विषय पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ करके, एकीकृत मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना करके विधि प्रवर्तन कार्रवाई हेतु एक व्यापक योजना तथा बड़े पैमाने पर सुग्राहीकरण, जनजागरुकता एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन द्वारा व्यावसायिक यौन शोषण सहित मानव दुर्व्यापार का दमन करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

गृह मंत्रालय ने हाल ही में मानव दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों पर वन स्टाप आईटी इन्फार्मेशन रिपोजिटरी के रूप में मानव दुर्व्यापार रोधी विषय का एक वैब पोर्टल *(stophumantrafficking-mha.nic.in)* प्रारंभ किया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मानव दुर्व्यापार रोधी नोडल अधिकारी इंटरनेट की सुविधा के साथ एक दूसरे से अंतर-संयोजित हैं। इसमें गुमशुदा बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय पोर्टल में संबंद्ध एक महत्वपूर्ण 'ट्रैक चाइल्ड' जो अधिकांश राज्यों में संचालित हैं, का भी प्रावधान है।

गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार पर विभिन्न परामर्शी पत्र भी जारी किये हैं जो गृह मंत्रालय की मानव दुर्व्यापर रोधी वेब पोर्टल *http://stophumantrafficking-mha.nic.in/forms/Sublink1.aspx?lid=92* पर उपलब्ध है।

भारत सरकार ने हाल ही में दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 एवं 370क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें शारीरिक शोषण अथवा यौन शोषण, दासता, गुलामी अथवा अंगों के बलपूर्वक निष्कासन के किसी भी रूप के शोषण के लिए बच्चों के दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के संकट से निपटने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्रालय, पूरे देश में स्थापित एएचटीयू की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानव दुर्व्यापार-रोधी नोडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और व्यावसायिक यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार के पीड़ितों को बचाने, उनके पुनर्वास, पुर्नएकीकरण एवं पुर्नस्थापना के लिए एक व्यापक योजना "उज्जवला"-कार्यान्वित कर रहा है। आज तक, मंत्रालय द्वारा 276 परियोजनाओं में सहायता प्रदान की गई हैं जिनके अंतर्गत 153 पुनर्वास गृहों की मंजूरी दी गई है जिनमें लगभग 6450 पीड़ितों को बसाया जा सकता है। इन योजनाओं में पीड़ितों के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, चिकित्सा-देखभाल, विधिक एवं अन्य सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आय सर्जक कार्यकलापों का प्रावधान है। दुर्व्यापार के पीड़ितों को कठिन परिस्थितियों में शार्ट स्टे होम्स और स्वाधार होम्स में भी आश्रय दिया जाता है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) बच्चों एवं किशोरों के लिए चाइल्ड लाइन निःशुल्क नम्बर 1098 के माध्यम से आपातकालीक पहुंच सुविधाएं, शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुले आश्रय, प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल हेतु सहायता, पालन-पोषण देखभाल, गोद लेने एवं तदनुवर्ती देखभाल तथा संस्थागत देखभाल भी उपलब्ध कराती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थ दुर्व्यापार के पीड़ित बच्चों के बचाव-पूर्व, बचाव और बचाव के पश्चात् संबंधी अभियानों के लिए एक प्रोटोकॉल का सृजन किया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-2013 के दौरान अंतर्गत मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्तिर व्यक्ति (पीसीएस) और दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011						2012						2013					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	605	542	138	1368	1284	361	506	533	221	1399	1431	308	531	472	50	1467	1385	318
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0
3.	असम	165	68	1	199	81	1	154	114	1	175	129	1	149	101	4	166	116	4
4.	बिहार	218	313	22	488	553	30	99	61	20	176	117	25	267	139	21	337	252	30
5.	छत्तीसगढ़	33	33	2	85	91	9	18	21	20	40	41	10	53	33	0	70	67	0
6.	गोवा	18	15	3	43	31	3	40	9	2	100	26	3	28	18	0	66	54	0
7.	गुजरात	50	51	3	209	221	11	63	43	2	150	120	3	78	91	4	170	202	13
8.	हरियाणा	61	57	7	256	249	37	69	69	20	303	290	77	67	72	16	354	416	75
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2	2	4	4	13	9	7	0	22	17	0	5	4	1	29	20	1
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	8	7	0	3	4	0	13	13	0	2	3	0	15	15	0
11.	झारखंड	43	30	7	41	81	8	43	40	2	51	42	8	37	27	4	48	59	19
12.	कर्नाटक	372	346	120	1397	1361	364	412	290	100	1258	1188	241	412	345	58	1138	971	178
13.	कोल	206	212	124	315	337	807	220	228	105	335	355	146	195	177	84	349	297	107
14.	मध्य प्रदेश	94	87	22	418	420	87	45	49	10	112	117	43	53	45	12	137	129	41
15.	महाराष्ट्र	432	346	12	1494	1703	65	403	354	20	1700	1406	44	345	337	21	1052	1103	96
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	1	0	17	2	0	7	2	0	20	2	0	12	4	0	22	12	0
18.	मिज़ोरम	8	3	1	5	5	3	1	0	2	0	0	2	0	6	4	5	5	4
19.	नागालैंड	2	2	2	6	6	16	4	4	2	26	28	24	1	0	2	1	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20.	ओडिशा	35	26	0	80	70	0	29	29	1	93	87	3	106	60	2	149	163	5
21.	पंजाब	50	54	17	214	195	44	86	68	11	402	311	58	138	93	13	530	390	50
22.	राजस्थान	102	89	56	358	343	183	120	110	20	371	378	47	130	103	19	321	326	57
23.	सिक्किम	1	1	0	7	4	0	0	2	4	0	5	8	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	420	470	315	878	802	475	528	333	153	966	720	332	549	573	317	1055	905	448
25.	त्रिपुरा	7	27	4	31	29	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	48	44	32	275	274	173	51	47	13	221	206	74	37	37	24	268	251	122
27.	उत्तराखंड	3	3	3	14	14	8	19	12	3	65	48	15	14	16	3	72	86	8
28.	पश्चिम बंगाल	481	220	32	565	384	48	549	391	20	743	613	46	669	478	17	854	818	23
	कुल राज्य	3465	3044	955	8785	8551	2145	3511	2820	752	8744	7690	1518	3902	3236	676	8727	8044	1600
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	14	0	0	2	6	0	16	27	0	4	6	0	18	37	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	5	0	6	2	0	28	13	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	2	3	0	12	12	0	2	2	0	14	14	0
32.	दमन और दीव	6	4	0	47	28	0	3	5	0	24	29	0	6	5	0	32	24	0
33.	दिल्ली संघ शासित	36	40	25	132	87	62	32	25	32	110	88	86	20	24	24	50	70	78
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	3	2	17	17	13	4	0	2	21	0	7	0	2	2	0	9	10
	कुल संघ शासित	62	47	27	215	132	75	43	40	34	183	161	93	38	41	26	142	167	88
	कुल अखिल भारत	3517	3091	982	9000	8683	2220	3554	2860	786	8927	7851	1611	3940	3277	702	8869	8211	1688

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों में लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*इसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम + लड़कियों का आयात+नाबालिग लड़कियों का प्रापण+वेशवृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद+वेश्यावृत्ति के लिए बिक्री के शीर्ष शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2014 (जनवरी से जून) के दौरान मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत सूचित किए गए मामले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित के अंतर्गत सूचित किए गए मामले												माह के आंकड़े प्राप्त नहीं
	भारतीय दंड संहिता की धारा 363क, 366, 366क, 366ख 370, 371, 372, 373 एवं 374 के अंतर्गत	बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) प्रणाली अधिनियम की धारा 17, 18, 20 एवं 23 के अंतर्गत	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 14(1), 14(2) एवं 14(3)	किशोर न्याय (मामला एवं बाल संरक्षण) की धारा 23, 24(1), 24(2), 25 एवं 26 के अंतर्गत	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा 18(1), 18(2), 19, 20, 21(1) एवं 21(2) के अंतर्गत	बाल विवाह निषेध की धारा 9, 10, 11(1) एवं 11(2)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) vi के अंतर्गत	अन्य अधिनियम	अन्य अधिनियम -1	अन्य अधिनियम -2	अन्य अधिनियम -3	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	9	0	0	0	0	0	0	50	2	0	48	59	जून
अरुणाचल प्रदेश	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	मई, जून
असम	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	मार्च से जून
बिहार													**जनवरी से जून**
छत्तीसगढ़	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	अप्रैल से जून
गोवा	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	जनवरी, मई, जून
गुजरात	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	अप्रैल से जून
हरियाणा													**जनवरी से जून**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	मई, जून
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी से जून
झारखंड													**जनवरी से जून**
कर्नाटक	6	0	1	0	0	0	0	35	1	0	34	42	अप्रैल से जून
केरल													**जनवरी से जून**
मध्य प्रदेश	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	जनरवरी से अप्रैल, जून
महाराष्ट्र	23	0	0	0	0	0	0	9	5	0	4	32	फरवरी, मार्च, मई, जून
मणिपुर													**जनवरी से जून**
मेघालय													**जनवरी से जून**
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
ओडिशा	163	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	223	जनवरी, मई, जून
पंजाब													**जनवरी से जून**
राजस्थान													**जनवरी से जून**
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी से जून
तमिलनाडु	2	11	1	3	0	18	0	0	0	0	0	35	
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी से जून
उत्तर प्रदेश	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	अप्रैल से जून
उत्तराखंड	73	0	0	1	0	0	0	25	25	0	0	99	
पश्चिम बंगाल													**जनवरी से मई**
कुल राज्य	345	11	7	5	0	18	0	182	93	0	89	568	

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मार्च, जून
चंडीगढ़	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	अप्रैल, जून
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जनवरी से अप्रैल, जून
दमन और दीव													जनवरी से जून
दिल्ली संघ शासित	1	1	5	21	0	0	0	0	0	0	0	28	फरवरी, मई, जून
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जून, फरवरी, अप्रैल से जून
कुल संघ शसित	1	1	5	21	3	0	0	0	0	0	0	31	
कुल अखिल भारत	346	12	12	26	3	18	0	182	93	0	89	599	

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम।

1. वीई आंकड़ों का तात्पर्य छुड़ाए गए अतिरिक्त पीड़ितों से है।

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए का द्योतक है।

जूट और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1880. श्री राजेन गोहेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए जूट और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उचित निगरानी और सतर्कता की कमी के कारण किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत परिकल्पित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के वास्तविक लाभ देने के लिए भारतीय जूट निगम के माध्यम से सम्पूर्ण जूट उत्पादन को खरीदने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, 2014-15 मौसम के लिए कच्चे जूट के टीडी-5 किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया है। धान के सामान्य किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल पर तथा ग्रेड-ए किस्म के लिए 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी मूल्य के अनुरूप होता है जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है तब किसान उस बाजार मूल्य पर उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत् अधिप्राप्ति, नामित केन्द्रीय एजेंसियां तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालनों की निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों तथा प्रापण एजेंसियों को समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि किसानों के लाभ के लिए समय पर अधिप्राप्ति संचालनों को सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) और (च) भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से संपूर्ण जूट उत्पादन को खरीदने की कोई योजना नहीं है। भारतीय जूट निगम अपने 171 विभागीय खरीद केन्द्रों (डीपीसी) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चे जूट की खरीद करता है। जब कच्चे जूट का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक होता है तो भारतीय जूट निगम का क्रियाकलाप कम हो जाता है। तथापि, जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाते हैं तो भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन योजना के तहत, बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों पर उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित जूट की किसी भी मात्रा को खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है।

[हिन्दी]

भेड़ प्रजनन केन्द्र

1881. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़ प्रजनन केंद्रों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड के चतरा क्षेत्र में उटा में स्थित भेड़ प्रजनन केंद्रों की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त केंद्र बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास भेड़ प्रजनन केंद्र को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) कार्य आबंटन नियमों के अनुसार, पशुपालन राज्य का विषय है और प्रजनन फार्मों की स्थापना और कृत राज्य के पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार के अंतर्गत भेड़ प्रजनन फार्मों का ब्यौरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत हिसार, हरियाणा राज्य में स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है जिसकी स्थापना जलवायु अनुकूल उच्च आनुवंशिक गुणों वाले मेढों की आपूर्ति के उद्देश्य से कोलम्बो योजना के अंतर्गत 1969-70 के दौरान की गई थी। यह फार्म नाली × रेम्बोलेट क्रास, कोरीडाले × सोनादी क्रास का प्रजनन कर रहा है। उच्च आनुवंशिक गुणों वाले मेढों की आपूर्ति के अलावा यह फार्म विभिन्न भेड़ पालन प्रक्रियाओं और शियारिंग के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करता है।

(ख) लकचनपुर, इतखोरी रोड, छत्तरा में स्थित भेड़ प्रजनन फार्म, छत्ता झारखंड सरकार के अधीन कार्य कर रहा है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है और इसमें 132 नर कोरीडाले × साहाबादी वर्णसंकरित तथा कोरीडाले × साहाबादी वर्णसंकरित 217 मादा तथा 36 नर मेमने और 36 मादा मेमने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.टी. कपास का उत्पादन

1882. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :
श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान परम्परागत कपास की तुलना में बी.टी. कपास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति हैक्टेयर कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान परम्परागत कपास की तुलना में बी.टी. कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बी.टी. कपास की खेती के प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) 2011-12 से 2013-14 के दौरान बी.टी. कपास की तुलना में परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। कपास सहित कृषि फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों को आम तौर पर सितम्बर महीने में जारी किया जाता है तथा 2014-15 के लिए उसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) बी.टी. कपास के उत्पादन के आंकड़ों का रख-रखाव अलग से नहीं किया जाता है। तथापि, देश में बी.टी. कपास के तहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी हुई है। तथा कुल कपास क्षेत्र में बी.टी. कपास की हिस्सेदारी 2011-12 में 91.47 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 93.99 प्रतिशत हो गई है। कपास का कुल उत्पादन भी 2011-12 में 35.20 मिलियन गांठों (प्रति गांठ 170 कि.ग्रा.) से बढ़कर 2013-14 में 36.50 मिलियन गांठ हो गया है (तीसरे अग्रिम अनुमान)।

(घ) बी.टी. कपास को बढ़ावा देने के लिए कोई पृथक योजना नहीं है। तथापि, देश में कपास के समय उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने फरवरी, 2000 से देश में कपास तकनीकी मिशन (टीएमसी) का **मिनी-मिशन-II** क्रियान्वित किया है। मिनी मिशन-II के अंतर्गत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण, जल बचत उपकरणों के उपयोग एवं एकीकृत कीट प्रबंधन आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई थी। मौजदू वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान सरकार ने फसलीय पद्धति युक्त दृष्टिकोण को अपनाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में कपास विकास कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है।

उक्त उप-योजना के अंतर्गत, कीटनाशक प्रतिरोधक प्रबंधन (आईआरएम) तथा ऑन लाइन कीट निगरानी एवं परामर्शी सेवाओं (ओपीएमएएस) पर कार्यक्रम के अतिरिक्त, उच्च घनत्व वाले पौध रोपण पद्धति (एचडीपीएस) पर फ्रंट लाइन प्रदर्शनों, अंत:फसलीय, अतिरिक्त लंबाई वाले स्टेपल (ईएलएस)/देशी कपास, के लिए सहायता दी जाती है। किसानों को तकनीकी सहायता तथा लाभ देने के लिए, राज्य के कृषि विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एमएयू), कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) आदि के माध्यम से कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है।

विवरण

2011-12 से 2013-14 के दौरान बीटी कपास की तुलना में परंपरागत कपास के तहत क्षेत्र कवरेज

राज्य	कपास के तहत क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)								
	2011-12			2012-13			2013-14*		
	बी.टी. कपास	परंपरागत कपास	कुल	बी.टी. कपास	परंपरागत कपास	कुल	बी.टी. कपास	परंपरागत कपास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	5.46	0.14	5.60	4.80	0.00	4.80	4.97	0.08	5.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	5.88	0.53	6.41	5.73	0.41	6.14	4.87	0.79	5.66
राजस्थान	4.00	0.70	4.70	3.15	1.35	4.50	2.38	0.65	3.03
उत्तर कुल	15.34	1.37	16.71	13.68	1.76	15.44	12.22	1.52	13.74
गुजरात	26.78	2.84	29.62	22.14	2.83	24.97	25.68	1.23	26.91
महाराष्ट्र	38.95	2.30	41.25	38.15	3.31	41.46	36.92	1.80	38.72
मध्य प्रदेश	6.35	0.71	7.06	5.38	0.70	6.08	5.84	0.37	6.21
मध्य कुल	72.08	5.85	77.93	65.67	6.84	72.51	68.44	3.40	71.84
आंध्र प्रदेश	18.26	0.53	18.79	21.08	2.92	24.00	21.08	1.61	22.69
कर्नाटक	4.60	0.94	5.54	3.88	0.97	4.85	5.57	0.37	5.94
तमिलनाडु	0.90	0.43	1.33	1.00	0.28	1.28	1.00	0.39	1.39
दक्षिण कुल	23.76	1.90	25.66	25.96	4.17	30.13	27.65	2.37	30.02
ओडिशा/अन्य	0.05	1.43	1.48	0.10	1.59	1.69	0.10	1.57	1.67
कुल योग	111.23	10.55	121.78	105.41	14.36	119.77	108.41	8.86	117.27

स्रोत: कपास परामर्शी बोर्ड तथा कपास विकास निदेशालय, मुंबई।

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : अध्यक्ष महोदया, हमें एक प्रश्न पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : अब 12 बज गए हैं और प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य : हम पहली बार चुनकर आए हैं, हमें मौका मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मालूम है, सबको पहली बार मौका मिलेगा, लेकिन अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-I)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 222/16/14]

(2) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय (विधान परिषद् के बिना संघ राज्य क्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-II)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 223/16/14]

(3) वर्ष 2014-15 के लिए गृह मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 224/16/14]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 225/16/14]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2014-15 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 226/16/14]

(दो) वर्ष 2014-15 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 227/16/14]

(2) (एक) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 228/16/14]

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वर्ष 2014-15 के लिए पर्यटन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 229/16/14]

(2) वर्ष 2014-15 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 230/16/14]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 231/16/14]

(दो) हिन्दुस्तान इनसेक्टेसाइड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 232/16/14]

(2) वर्ष 2014-15 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 233/16/14]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 25 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 234/16/14]

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014, जो 22 अप्रैल, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 13/3/2003/एचपी-आई/स्था./228-330 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (प्रोन्नति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2014, जो 30 जनवरी, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 16/8/2013/एचपी-आई/स्था./5238-540 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014, जो 30 जनवरी, 2014 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 16/4/2013/एचपी-आई/स्था./5234 से 5237 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 235/16/14]

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वर्ष 2014-15 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 236/16/14]

(2) वर्ष 2014-15 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 237/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : अध्यक्ष जी, मैं पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) का.आ. 995(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'मत्स्य, मोलस्क, क्रस्टेसियन और उभयचर' को पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के खंड (क) के अंतर्गत परिभाषित 'पशु' की परिभाषा के अंतर्गत जलीय पशु विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) का.आ. 996(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की अनुसूची में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 238/16/14]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं श्री राव साहब पाटील दानवे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 239/16/14]

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1108(अ) जो 21 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसूची चार में स्तम्भ 3 के अंतर्गत, क्रमांक 17 के सामने कतिपय संशोधन किए गए हैं, अर्थात् '1.51' के स्थान पर प्रविष्टि '1.58', प्रतिस्थापित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 240/16/14]

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(i) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : अध्यक्ष महोदया, मैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह सभा पटल पर रख रहा हूं:—

गृह मामलों संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के संबंध में 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित एक सौ चौहत्तरवें (174वें) प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे अंगीकार किया, जिसे राज्य सभा/लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया था/रखा गया था।

समिति ने अपने 174वें प्रतिवेदन में सैंतीस (37) सिफारिशें की (पैराग्राफ संख्या 1.3.5; 1.5.11; 1.6.4; 1.7.6; 1.7.14; 1.13.5; 1.16.4; 1.18.3; 1.24.5; 1.27.5; 3.1.8; 3.2.6; 3.3.5; 3.4.7; 35.10; 3.6.4; 3.7.4; 3.8.3; 3.8.13; 3.9.4; 3.10.3; 3.11.3; 3.12.4; 3.13.4; 3.14.3; 3.14.7; 3.15.3; 3.15.6; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.6.1; 4.7.1; 4.8.1; और 4.9.1) जिनके संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से कार्रवाई अपेक्षित थी। गृह मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन दिनांक 12 जून, 2014 को राज्य सभा सचिवालय को भेज दी गई हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 241/16/14.

इस प्रतिवेदन में शामिल हुए 37 सिफारिशों में से मंत्रालय ने 31 सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है एवं पैरा 3.12.4; 3.14.3; 4.2.1; 4.6.1; 4.7.1; और 4.8.1 में निहित 06 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सतत् प्रकृति की होती है और आवश्यक कार्रवाई समय-समय पर की जाएगी।

समिति के 174वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराओं में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई/की जा रही कार्रवाई की स्थिति संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के नाम से जाना जाएगा, गठित की जाए जिसमें तीस सदस्य होंगे, बीस सदस्य लोक सभा से तथा दस राज्य सभा से, जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात् मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसका सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा

प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा दोनों सभाओं को ऐसे उपायों की सूचना देना जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर विषयों के संबंध में संघ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए।

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(तीन) संघ सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सरकारी उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) पर अन्य पिछड़ा वर्गों, विशेषकर अति पिछड़ा वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण पर दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(पांच) संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनों सहित संघ सरकार के दायरे में आने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर व्यापकता से विचार करना तथा दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना; और

(छह) ऐसे विषयों की जांच करना जो समिति उचित समझे या उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपे जाएं।

(3) समिति के सदस्य, समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, जो एक समय में उपर्युक्त पैरा (1) में बताई गई पद्धति के अनुसार तत्पश्चात् एक वर्ष के लिए पुनः गठित की जाएगी;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और आंशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसे अध्यक्ष बनाए; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के नाम से जाना जाएगा, गठित की जाए जिसमें तीस सदस्य होंगे, बीस सदस्य लोक सभा से तथा दस राज्य सभा से, जिसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात् मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से उसका सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा दोनों सभाओं को ऐसे उपायों की सूचना देना जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर विषयों के संबंध में संघ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए।

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(तीन) संघ सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सरकारी उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) पर अन्य पिछड़ा वर्गों, विशेषकर अति पिछड़ा वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण पर दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(पांच) संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनों सहित संघ सरकार के दायरे में आने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर व्यापकता से विचार करना तथा दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना; और

(छह) ऐसे विषयों की जांच करना जो समिति उचित समझे या उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपे जाएं।

(3) समिति के सदस्य, समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, जो एक समय में उपर्युक्त पैरा (1) में बताई गई पद्धति के अनुसार तत्पश्चात् एक वर्ष के लिए पुनः गठित की जाएगी;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और आंशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसे अध्यक्ष बनाए; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) नारियल विकास बोर्ड

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि नारियल विकास बोर्ड मिशन, 1981 के नियम 4(1) (एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड मिशन, 1981 के नियम 4(1) (एक) और (दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद्

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद् नियमों के नियम 8(क) के साथ पठित नियम 4(सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद् नियमों के नियम 8(क) के साथ पठित नियम 4(सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा 21 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि क्रम संख्या 1 की मद संख्या (एक) से संबंधित सिफारिश, जिसका सभा द्वारा पहले ही निपटान किया जा चुका है, का लोप किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 21 जुलाई, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि क्रम संख्या 1 की मद संख्या (एक) से संबंधित सिफारिश, जिसका सभा द्वारा पहले ही निपटान किया जा चुका है, का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

मद्रास उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति को स्थायी किए जाने में बरती गई कथित अनियमितता के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप जानती हैं, कल मैंने पूर्व डीएमके संसद सदस्य और मंत्रियों द्वारा न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप के मुद्दे को उठाया था। इसकी पुष्टि मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी की गई थी।...*(व्यवधान)*

समाचारपत्र में आज के लेख में बताया गया है कि पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री ने पुष्टि कर दी थी कि उनसे मंत्रीमंडल के साथियों और डीएमके संसद के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया था।...*(व्यवधान)* उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया था क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश के फोटोग्राफ देखे थे जिससे उनकी डीएमके से घनिष्ठता प्रदर्शित होती थी।...*(व्यवधान)* महोदया, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

महोदया, आज* पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : उन्होंने कहा था, उनके कुछ सहकर्मी उनके चैम्बर में आए थे और यह देखने का अनुरोध किया था कि न्यायाधीश की अभिपुष्टि हो गई है।...*(व्यवधान)* उस समय वह संकट में थे। यही बात मैं कह रहा हूं। * पहले ही अभिपुष्टि हो चुकी थी। उन्होंने कहा था, "डीएमके यूपीए का महत्वपूर्ण सहयोगी था और उनके संसद सदस्य यह कहने के लिए मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय आए थे कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ भेदभाव किया जा रहा है।"...*(व्यवधान)* सम्बन्धित अधिकारी कौन था जो * यह कहने आया था? ...*(व्यवधान)* यह बहुत ही गंभीर विषय है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको एक बात कह रही हूं कि आप किसी का नाम मत लीजिए, पूर्व मंत्री कह लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि डीएमके मंत्री और संसद सदस्य उनके चेंबर में आए थे और उन पर न्यायाधीश की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए दबाव डाला था। फिर, इसके बाद पूर्व मंत्री ने भी कहा था कि उन्होंने वे फोटोग्राफ देखे थे जिनसे यह प्रदर्शित होता था कि न्यायाधीश के डीएमके नेताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध थे। यही कारण है कि उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।...*(व्यवधान)* यदि यही मामला था, तो डीएमके मंत्रियों ने न्यायिक नियुक्ति में किस प्रकार से हस्तक्षेप किया? मैं यहां उपस्थित माननीय विधि मंत्री से इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग एक साथ मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : यह बहुत ही गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : संसद में हम चर्चा करते हैं कि न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)* परन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि डीएमके मंत्रियों और संसद सदस्यों ने मंत्री से सम्पर्क किया था और हस्तक्षेप किया था।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए। यदि मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदया, यदि आपकी अनुमति हो, तो विधि मंत्री यह जो मुद्दा उठाया गया है, इस पर उत्तर दें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : कल, माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपने इस पर आदेश दिया है। नियम के अनुसार, इसे दोबारा नहीं उठाया जाना चाहिए या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* आप इसकी अनुमति देने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु, यदि एक बार आपने किसी मुद्दे पर आदेश दे दिया है, तो क्या इसे पुनः उठाया जा सकता है और प्रायः इस पर चर्चा की जा सकती है। आपको इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट सुन लीजिए। थोड़ा धैर्य तो रखिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रूलिंग तो मैंने दी गई। ज़ीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कल जब बात आ रही थी तो मैंने इतना ही बोला था कि ज़ीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। वह मेरा विनिर्णय था। आज अगर उसमें कुछ एडीशन होकर वह उठाना चाहते हैं और अगर मिनिस्टर रिप्लाई देना चाहते हैं तो मैं उसको रोक नहीं सकती।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं कम्पैल नहीं कर रही हूं। यही बात है। यदि वे उत्तर नहीं देना चाहते, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे उत्तर देने और टिप्पणी करने का अवसर दिया। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और भारत के विधि मंत्री की हैसियत से मैं निश्चय ही संवेदनशीलता को ध्यान में रखूंगा।

हां, यह सार्वजनिक मुद्दा है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी डाली गई थी। मैं उसका इस निर्णय के मामले में केवल छोटा सा संदर्भ दूंगा। जिस न्यायाधीश पर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है और जिनके बारे में माननीय सदस्य तंबिदुरै जी ने मुद्दा उठाया है, इनकी नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई थी। इसके पश्चात् इस पर कोलेजियम को कुछ आपत्तियां रही। उन्होंने कुछ पूछताछ की। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा। फिर निर्णय लिया गया कि इस मामले में अभिपुष्टि करने की भी आवश्यकता नहीं है। परन्तु जून, 2006 में, तत्कालिन प्रधानमंत्री कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया कि इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसके पश्चात् कोलेजियम ने इस मामले पर पुनः विचार किया और कोलेजियम ने संयुक्त रूप से निर्णय किया कि उनकी अभिपुष्टि की अनुशंसा किए जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, तत्पश्चात् 16 जुलाई, 2005 को तत्कालीन विधि मंत्री ने अनुमोदन से कतिपय संवेदनशीलता दर्शाते हुए न्याय विभाग से पुनः एक टिप्पणी भेजी गई। फिर कोलेजियम ने निर्णय लिया कि कुछ समय बीतने के उपरांत इस मामले पर विचार किया जा सकता है और उन्हें स्थायी कर दिया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप पहले पूरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खडगे जी, एक बात सुनिए। सौगत राय जी, हर बात में नहीं बोलना होता है। पहले तो उनकी बात पूरी सुनिए। फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बोल सकते हैं। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए नहीं होता, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और ज़ीरो ऑवर है। वह बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, उसके पश्चात् भी मामला वैसा ही रहा। अब, आज की क्या स्थिति है?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार:

"संसद में चर्चा पर निर्बन्धन:

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं।"... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इनकी कुछ बात कार्यवाही में नहीं जाएगी। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया मैं इसका उत्तर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया मैं कृतज्ञ हूं कि माननीय सदस्य श्री खड़गे जी ने मुझे संवैधानिक उपबंधों की याद दिला दी। मुझे वह भली भांति याद है। मैं न्यायाधीश के लिए उनकी न्यायिक व्यवहार में आचरण के लिए एक क्षण को भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं वह सब करने नहीं जा रहा। परन्तु आज मैंने केवल उन तथ्यों को पढ़ा। आज तक की स्थिति यह है कि जिन न्यायाधीश पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है, वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दुर्भाग्य से वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। सभी सम्बन्धित माननीय न्यायाधीश अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शांति भूषण मामले में कहा है कि "घड़ी की सुई पीछे नहीं घुमाई जा सकती।"

परन्तु, हां, मैं माननीय डॉ. तंबिदुरै जी की चिन्ताओं को नोट करता हूं कि माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की अत्याधिक आवश्कयता है। माननीय अध्यक्ष, इसीलिए हमारी सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग प्रणाली की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए काफी उत्सुक है। वे यही कह रहे हैं। बस इतना ही।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री निनोंग इरिंग।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तंबिदुरै : डीएमके पार्टी के वे कौन से तत्कालीन मंत्री थे, जो इसमें शामिल थे? मैं उन पर कुछ कार्रवाई चाहता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निनोंग इरिंग जी, आपको कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। अब बात हो गई है। बार-बार एक ही चीज नहीं होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) **:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर बात जो कल हुई थी उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पूर्वोत्तर का लड़का काम करता था, 21 जुलाई को उसे पीट-पीट कर मारा गया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : तम्बिदुरै जी, प्लीज़, बार-बार ऐसे नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जो कुछ श्री निनोंग इरिंग कह रहे हैं, केवल वही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री निनोंग इरिंग : यह एक ही इश्यू नहीं है। 29 जनवरी को नीडो तानिया के साथ हुआ था। 7 फरवरी को एक नाबालिग लड़की के साथ ब्लात्कार हुआ था, 9 फरवरी को दो युवाओं जिनकोर्सिग नोलिक और ज़िमसिवांग नोलिक को बेहरमी से पीटा गया। इस तरह से अनगिनत विषय हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा न करें। उन्होंने वही कहा है जो वह कहना चाहते थे। आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपने स्थान पर जाइए। आप हमेशा मेरा सहयोग करते रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निनोंग इरिंग : पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग, कृपया एक मिनट ठहरिए। तंबिदुरै जी, आपने कहा और उन्होंने सुओ-मोटो कुछ बोला है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप भी बहुत अधिक गंभीर हैं और अच्छी तरह से सदन चलाते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने जो बोलना था बोल दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै : संसदीय कार्य मंत्री को यह आश्वासन देने दें कि वे तथ्यों को सबके सामने रखेंगे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : केवल श्री निनोंग इरिंग का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री निनोंगे इरिंग : माननीय अध्यक्ष जी, रेश्यो डिसक्रिमिनेशन के लिए कमेटी गठित हुई थी। वोहरा कमेटी के नेतृत्व में रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। हम सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेश्यो डिसक्रिमिनेशन के लिए सख्त कानून बनाने के लिए सरकार को ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : तंबिदुरै जी, ऐसा नहीं होता है। तुरंत एक्शन नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री निनोंग इरिंग : अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में विज्ञापन आया था। देश में लोगों को पता है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा कहां है। उनको यह भी पता है कि ये हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य हैं लेकिन उनको यह नहीं पता है या जानकारी नहीं लेना चाहते हैं कि यह हमारे साथ है। यह बहुत दु:ख की बात है कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए देशभक्ति की भावना से किस कठिनाई से सीमा में रह रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे लोग मर रहे हैं लेकिन आज जिस तरह से पूर्वोत्तर के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और लोगों में मन में जिस प्रकार की मानसिकता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कानून मंत्री और गृह राज्य मंत्री, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, से जानना चाहता हूं कि वह इस विषय में क्या कहना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग द्वारा उठाए गए विषय के साथ श्री प्रेम दास राई, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री एम.बी. राजेश, पी.के. बिजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री जोस के मणि, डॉ. ए. सम्पत, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री शिव कुमार उदासि, श्री इन्नोसेन्ट को संबद्ध किया जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : अध्यक्ष महोदया, मांस निर्यात हेतु पशुओं के बढ़ते कटान के कारण आज देश में डेयरी पशुओं की कुल संख्या में भारी गिरावट आ गई है।...*(व्यवधान)* पशुओं को काटे जाने की गति उनके प्रजनन की गति से दोगुनी है। अकेले मेरठ जोन में प्रतिदिन लगभग 77 हजार पशुओं का केवल अवैध कटान हो रहा है।...*(व्यवधान)* पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 21 हजार टन मांस का प्रसंस्करण हो रहा है। मांस कृषि उत्पाद घोषित है, जैसे कि पेड़ उगता है। कृषि उत्पाद घोषित होने के कारण मांस निर्यात तथा बूचड़खाना खोलने पर भारी सब्सिडी है।...*(व्यवधान)* जिस कारण गोवंश में श्रद्धा रखने वाला यह देश आज गोमांस का दुनिया का नम्बर का निर्यातक देश बन गया है। पशुओं की घटती संख्या के कारण देश में दूध की भारी कमी है, जिसके कारण दूध के दामों में गत आठ वर्षों में 275 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय श्रीमती वी. सत्याबामा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30½ बजे

इस समय श्री पी.आर. सुन्दरम तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं हर बात पर सरकार को नहीं कह सकती हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हर बात पर ऐसा नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है। जी नहीं, कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जी नहीं, मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री आनंदराव अडसुल** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, नार्थ-ईस्ट की जो समस्या थी, उसके संबंध में हमने होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पूछा था।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : निश्चित रूप से, वे अपराह्न 4.00 बजे अपना वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही को निर्बाध चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, आपने 'शून्य-काल' में यह मुद्दा उठाया है, उसी के अनुसार सरकार ने उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : तंबिदुरै जी, कृपया बैठ जाइए। सरकार ने इस मुद्दे पर उचित उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै (करुर) : यह उचित उत्तर नहीं था...*(व्यवधान)* आप कह सकते हैं कि सरकार ने उत्तर दे दिया है, परन्तु यह उचित उत्तर नहीं था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, आपने एक गलत परंपरा रखी है। 'शून्य-काल' में, कोई मंत्री वक्तव्य नहीं देता।...*(व्यवधान)* परन्तु मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 'शून्य-काल' में, मंत्री जी ने उत्तर दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै : पिछली सरकार ने भी ऐसा ही किया था।...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : कोई परंपरा कभी भी गलत परंपरा नहीं होती है।...*(व्यवधान)* पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण ही होता है।...*(व्यवधान)* एक उदाहरण के पश्चात् अन्य कोई उदाहरण, यदि पूर्व उदाहरण होता है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह यहां आएंगे और अपराह्न 4.00 बजे इसका उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें, आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 10 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे, जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल तक पहुंच जाएंगी। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : उत्तर प्रदेश के गन्ना मूल्य भुगतान में हो रहे विलम्ब से किसान आर्थिक संकट में पड़े हुए हैं क्योंकि गन्ना ही उनकी प्रमुख नकदी फसल है। धन के अभाव में खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित है और मिल मालिक किसानों के करोड़ों रुपए का भुगतान करने में हीला-हवाली कर रहे हैं। अदालती और सरकारी आदेश भी निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। देश के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य के किसान बदहाली में जी रहे हैं जिससे गन्ने की खेती का रकबा भी घटता

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

जा रहा है। निजी क्षेत्र की जिस चीनी मिलों पर सर्वाधिक गन्ना मूल्य बकाया है उनमें मेरे संसदीय क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल भी है जो काली सूची में डाली गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान कराने हेतु प्रभावी कदम उठावे।

(दो) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004 के पश्चात् अफीम की खेती के लिए रद्द किए गए पट्टों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मैं सरकार का ध्यान चित्तौड़ में अफीम की खेती करने वाले किसानों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। साल 2004 से पहले यहां अधिक संख्या में किसान अफीम की खेती करते थे। वहां के किसान की यह प्रमुख खेती थी जिस पर वे निर्भर रहते थे और इसी से उनकी रोजी-रोटी चलती थी। वर्षों से यह अफीम उत्पादक क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में सन् 2004 के बाद से अफीम की खेती करने वाले किसानों के पट्टे निरस्त कर दिए गए और न ही पुराने पट्टों का नवीनीकरण किया गया। इस वर्षों में वहां की हालत बद से बदतर हो गई। किसानों के सामने जीवन-यापन पर संकट खड़ा हो गया। किसान भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लेकिन अब तक उन किसानों की सुध नहीं ली गई। मेरे क्षेत्र के हजारों किसान भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।

अफीम की खेती के पट्टे न मिलने के कारण वहां के किसान आक्रोशित हैं तथा आंदोलनरत हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आए-दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों की इस गंभीर समस्या की ओर सरकार ध्यान दे और पूर्व में निरस्त किए गए सभी पट्टों को सरकार पुन: बहाल करे और जिन पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनका नवीनीकरण करे।

(तीन) कृषि बीमा योजना में आवश्यक बदलाव किए जाने और सभी राज्यों में इसका समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : भारत सरकार द्वारा कृषि बीमा योजना संचालित है लेकिन योजना में एकरूपता नहीं होने के कारण अलग-अलग राज्यों में इसका संचालन अलग-अलग ढंग से किया जा रहा है। इस योजना के तहत कई राज्यों में जैसे राजस्थान के किसानों से प्रीमियम पहले काट लिया जाता है, लेकिन मौसम आधारित बीमा होने के कारण किसी तहसील में 50 प्रतिशत से कम खरीद होने के कारण किसानों को कृषि बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलता है। इससे किसानों में रोष है। मेरा आपके माध्यम से भारत के कृषि मंत्री से मांग है कि कृषि बीमा योजना में आवश्यक संशोधन करके मुआवजे के लिए पात्रता हेतु निर्धारित की गई तहसील के स्थान पर ग्राम पंचायतों को इकाई माना जावे। जिससे भारत सरकार की योजना के तहत किसानों को कृषि बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त एक संशोधन यह भी किया जाए कि कृषि बीमा योजना में एकरूपता लाने के लिए सभी राज्यों में एक जैसी योजना हो जिससे अलग-अलग राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो।

(चार) बांदा और चित्रकूट क्षेत्र में अवैध खनन और जबरन धन वसूली रोके जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में बड़े जोर-शोर से अवैध खनन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। खनन माफिया जोर-जबरदस्ती करते हुए जिनकी नियमानुसार लीज़ बनी हुई है उन्हें कार्य करने से रोककर स्वयं अवैध खनन करवा रहे हैं। इस प्रकार की दबंगई का विरोध करने पर जगह-जगह हत्याएं हो रही हैं। ताजा उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र के कर्वी थानान्तर्गत खनन माफियाओं द्वारा हाल ही में किया गया दोहरा हत्याकाण्ड है। इसके अलावा मोरंग, गिट्टी व बालू पर लीज़ होल्डरों से रॉयल्टी के अलावा प्रति ट्रक 1500/- रुपए से 2500/- रुपए तक तथा प्रति ट्रैक्टर ट्राली से 500/- रुपए से 1000/- रुपए तक अवैध वसूली की जा रही है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद एवं तहसील स्तर पर अराजक तत्वों के माध्यम से जबरदस्ती वसूली की जा रही है।

जोर-जबरदस्ती के आधार पर जारी उपरोक्त के संबंध में अधिकारियों से शिकायत करने पर अधिकारी स्वयं अपने को असहाय महसूस करते रहे हैं। हालात बहुत ही विषम स्थिति में पहुंच चुके हैं। अत: मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

(पांच) दामोदर नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में दामोदर घाटी निगम और विभिन्न कोयला कंपनियों की भागीदारी की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में चंदवा होकर देवनद-दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजरकर बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। देवनद-दामोदर को झारखंड की लाईफ लाइन कहा जाता है। देवनद-दामोदर को प्रचीन ग्रंथ में विष्णु का अवतार मानते हैं। दामोदर सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को सहजता हुआ जैव-विविधता से परिपूर्ण वन प्रकांतरों और खनिज सम्पदा से भरपूर कोयलांचल में बहती है, परंतु आज प्रदूषण और अतिक्रमण से दामोदर का अस्तित्व खतरे में है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। जिसका विषाक्त जल मानव जाति पशुधन और कृषि के लिए हानिकारक हो गया है। चंदवा में प्रवेश करते ही इसका शोषण आरंभ हो जाता है। 2006 में

उद्योगों के आगमन के बाद तो इसका दोहन खूब हुआ। यहां से लगातार बालू उठाव के कारण नदी संकीर्ण होती गई। इस नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रम इसके प्रदूषण और अतिक्रमण के जिम्मेवार हैं। कोयला क्षेत्र की सरकारी कम्पनियां सीसीएल, बीसीसीएल इत्यादि एवं पतरातु सहित अन्य बिजली उत्पादन ईकाइयां अपना अपशिष्ट और प्रदूषित कचरा, मलबा दामोदर में डालते हैं। निजी प्रतिष्ठानों द्वारा भी इसको प्रदूषित किया जा रहा है। उद्‌गम स्थल के पास इसका जल पूरी तरह शुद्ध है। देवनद-दामोदर नदी का उद्‌गम स्थल चूल्हा पानी पर्यटक स्थल बन सकता है। दामोदर बचाओ आंदोलन, जल जागरुकता अभियान और युगांतर भारती के अथक प्रयास के बाद उद्‌गम स्थल के समीप भगवान विष्णु के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन इसे गति रूप नहीं दिया जा सका।

मेरी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से मांग है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया जाये कि वे दामोदर नदी का रखरखाव इसके उद्‌गम स्थल से संगम तक करें। डीवीसी नदी क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, भूमि संरक्षण इत्यादि का कार्य करें। कोयला क्षेत्र की कम्पनियां सीसीएल, बीसीसीएल आदि सीएसआर मद से दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राशि का उपयोग करें। साथ ही मंत्रालय एक केन्द्रीय जांच दल भेजकर इसके जल की गुणवत्ता एवं प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की जांच कर रिपोर्ट पेश करें और इसे प्रदूषित करने वाले संगठनों पर कार्रवाई हो।

(छह) महिला आंगनवाड़ी कार्यक त्ताओं की समस्या के निवारण हेतु उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डमुरियागंज) : देश के सभी जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यक्रम लागू है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम की पुष्टाहार योजना को सम्पूर्ण देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा समर्पित भाव से लागू किया जाता है। उसके बदले उन्हें मानदेय प्रदत्त किया जाता है। देश के सभी राज्यों में अलग-अलग दरों से मानदेय दिया जाता है, जिसके कारण आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्त्रियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए जो पुष्टाचार वितरण के लिए दिया जाता है उसकी गुणवत्ता भी काफी खराब है। इसके बावजूद हाट कुक योजना को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा लागू न करके एनजीओ के माध्यम से शुरू करने की संभावना है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मात्र 3200 रुपया एवं सहायिकाओं को 1500 रुपए दिये जा रहे हैं जबकि मनरेगा के मजदूरों को 125 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है। सहायिकाओं को प्रोन्नति नहीं हो रही है। इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की भी पदोन्नति न होने के कारण उनमें काफी असंतोष है, जिसको लेकर जनपदों में आंदोलन हो रहा है। अस्तु देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की समस्या के समाधान के लिए इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाये। इसे लागू करने के लिए भारत सरकार से मांग करता हूं।

(सात) राजस्थान में ईंट भट्ठा उद्योग के लिए पर्यावरण संस्वीकृति संबंधी मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला (कोटा) : राजस्थान के बूंदी सहित विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा ईंट भट्टे बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि इस तरह के मैदानी भट्टे भोपाल में भी चालू हैं। भू-राजस्व के नियम 5क के अनुसार 15000 हजार वर्ग मीटर से छोटे ईंट के भट्टों को उक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है किन्तु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा जारी आदेश से स्थानीय जिला प्रशासन में भ्रम की स्थिति है और उनके द्वारा क्षेत्र में ईंट के भट्टों को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस कारण राज्य में कुम्हार-प्रजापति समाज का बड़ा वर्ग अपनी पुश्तैनी धन्धे से विमुख होकर बेरोजगार होने के कगार पर है।

गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा 1990 में बनाया गया एक्ट स्पष्ट दर्शाता है कि मिट्टी के बर्तन व आवाकजावा प्रक्रिया से पकाई जाने वाली ईंट व केलू बनाने के लिए जिसमें चिमनी का प्रयोग नहीं हो, को अनुमत किया हुआ है।

ईंटों की खुदाई का कार्य और प्रकृति पर्यावरण प्रभाव आंकलन के मानदंडों के योग्य नहीं होता और ईंट के भट्टों को अपने-अपने राज्यों से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त होती रही है। अक्तूबर, 2012 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से एक आरटीआई के उत्तर में पुष्टि की गई है कि क्ले या साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। ईंट उद्योग से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सृजन होता है।

मैं सरकार से ईंट उद्योग में कार्य बहाल होना सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) दानापुर उप-मंडल के अंतर्गत तौफिर-मंगरपाल-हथियाकांध सराय सड़क से सेना का नियंत्रण हटाने और इसे आम जनता के लिए खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्रान्तर्गत दानापुर अनुमंडल के तौफिर मंगरपाल-हथियाकांध सराय सड़क को दानापुर छावनी के सैन्य अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। जिसके कारण सड़क के दोनों ओर बसे 40 हजार लोगों को काफी समस्या हो रही है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 से भी जुड़ती है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय रक्षा मंत्री को मामले को उचित समय में निपटाने का निर्देश दिया है। अनिर्णय की स्थिति में मामला काफी दिनों से लंबित है।

अत: सरकार से मांग है कि इस मार्ग को तत्काल दानापुर कैंट के नियंत्रण से बाहर कर आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाए।

(नौ) तेलंगाना में एम्स जैसा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद) : माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पांच राज्यों में एम्स जैसे संस्थनों को स्थापित करने की घोषणा की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश नवनिर्मित तेलंगाना राज्य को प्रथम सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तेलंगाना एक पिछड़ा राज्य है और यहां गरीबों की चिकित्सीय आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए एम्स जैसे संस्थान की बड़ी आवश्यकता है।

मैं सूचित करना चाहता हूं कि संपूर्ण तेलंगाना में केवल पांच सरकारी महाविद्यालय हैं। यद्यपि हमारे यहां निजाम इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान हैं किन्तु यह किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध नहीं है। तेलंगाना में अस्पताल में कार्डियो थोरासिस जैसी सर्जरी की सुविधा नहीं है और न ही तंत्रिका विज्ञान में सुपरस्पेशिलिटी की सुविधा है। हैदराबाद में स्थित कॉर्पोरेट अस्पताल निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि यह उनके लिए वहनीय नहीं है।

तेलंगाना में नालगोंडा जिले के फ्लोराइड पीड़ित लोगों की समस्याओं को दूर करने, अदिलाबाद जिले में मानसून के दौरान पीएफ मलेरिया के कारण जनजातीय लोगों में मृत्यु दर को नियंत्रित करने और मेहबूबनगर, मेडक आदि जैसे पिछड़े जिलों के गरीब लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे यथाशीघ्र तेलंगाना में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना करें। तेलंगाना सरकार हैदराबाद शहर के निकट भूमि देने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयार है।

(दस) उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा में गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन धार्मिक नगरी है जहां गंगा स्थान का अपना अलग महत्व है जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। वर्ष भर खासतौर पर प्रत्येक माह की पूर्णमासी को यहां हजारों श्रद्धालु आकर गंगा स्नान का पुण्य अर्जित करते हैं। यहां प्रतिवर्ष कार्तिक गंगा स्थान तथा ज्येष्ठ मास से गंगा दशहरा का मेला लगता है जिसमें देश के अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख गंगा नगरी हरिद्वार व गढ़ गंगा थी परंतु हरिद्वार के उत्तराखंड राज्य में जाने के बाद गढ़ गंगा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गंगा नगरी है जो न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपितु दिल्ली तथा हरियाणा के लोगों के लिए धार्मिक आस्था का केन्द्र है परंतु यहां के घाटों की स्थिति अच्छी न होने के कारण प्रति वर्ष अनेक लोग स्नान के समय डूब जाते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गंगा संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया है तथा गंगा पर्यटन बढ़ाने पर बल दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी केन्द्रीय बजट में गंगा की सफाई व संरक्षण के लिए "नमामि गंगा" परियोजना के लिए 2037 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि गढ़मुक्तेश्वर (उत्तर प्रदेश) को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए तथा गढ़ गंगा के महत्व को देखते हुए हरिद्वार की तर्ज पर यहां पक्के स्थान घाटों का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराया जाए ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधानुसार गंगा स्नान का लाभ अर्जित हो सकें।

(ग्यारह) सर्वशिक्षा अभियान के तहत भिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थियों के लिए फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : यह देखा गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के भाग के रूप में भिन्न प्रकार के सक्षम विद्यार्थियों की सहायता के लिए फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी राशि वापस कर दी गयी है। इस कारण से फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। इससे केरल के 3000 से अधिक विद्यार्थियों सहित बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों को स्वाभाविक न्याय से वंचित करना है। हमें उन छात्रों पर दया दिखानी चाहिए जो भिन्न रूप से सक्षम हैं। इस संबंध में, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति के लिए निधि न देने के निर्णय को वापस लें।

(बारह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पल्लाडाम होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के साथ-साथ इरुगुर पिरिरु से पोंगालुर तक लीक होने वाले ए.सी. पाइप को नए हाई डाइमेंशन वाले एम.एस. पाइप से बदलने हेतु एनएचएआई द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर) : कोयम्बटूर शहर जिसे तमिलनाडु

में 'दक्षिण भारत का मेन्चेस्टर' कहा जाता है, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर और औद्योगिक केन्द्र है। लोगों के लिए पेयजल और कोयम्बटूर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी का स्रोत पूर्णत: उस जलाशय पर निर्भर है जो वर्ष भर के दौरान वर्षा से भरता है। अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष कोयम्बटूर जिले में वर्षा औसत से कम होगी। आजकल मेरे संसदीय क्षेत्र लोगों के समक्ष विभिन्न स्रोतों से पेयजल की आपूर्ति में कमी के कारण पेयजल की गंभीर समस्या है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीश पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएमपी) योजना के तहत पल्लाडाम सीडब्ल्यूएसएस के लिए 30.36 कि.मी. की लंबाई तक पल्लाडाम होते हुए इरूगुर पिरिरू से पोंगलुर तक एनएच 67 के एक ओर विद्यमान पुराने लीक हो रहे ए.सी. पाइप के स्थान पर नए हाई डाइमेंशन वाले एम.एस. पाइप में बदलने हेतु एक प्रस्ताव है। चल रहे कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन, लागत प्रभाव में सुधार लाने क लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी आगत के इष्टतम प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आजीएनडीडब्ल्यूएमपी को शुरू किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले हीं इन पुराने पाइपों का बदलने के लिए वर्ष 2011 में अनुमति प्रदान कर दी है किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभी भी पानी के पाइपों को बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की है। लगभग 1.2 मिलियन लोग पूर्णत: इन जल योजना पर निर्भर हैं और वे विगत तीन वर्षों से इस चल रही परियोजना के पूरे होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपए लागत वाली अन्य अवसंरचनात्मक कार्य यथा फीडर मेन पंप और ओवर हेड टैंक का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि ये यथाशीघ्र एनएच 67 पर ऊपर लिखित स्थानों पर विद्यमान खराब लीक हो रहे ए.सी. पाइपों को हटाकर एम.एस. पाइप लगाने के लिए एनएचएआई को आवश्यक अनुमति प्रदान करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई करें।

(तेरह) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का हिस्सा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी) : इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से गांवों के बीपीएल परिवारों के लिए 220 वर्ग फुट में घरों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000 और दुर्गम क्षेत्रों (ऊंचाई वाले स्थानों) के लिए 75,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 220 वर्ग फुट में घरों के निर्माण के लिए प्रति घर 45,000 रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गयी थी जिसमें से 33,750 रुपए की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार थी और 11,250 रुपए की राशि की हिस्सेदारी तमिलनाडु सरकार की थी। हालांकि इतनी कम राशि में घर बनाना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने 55,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया और राज्य सरकार का कुल योगदान 66,250 रुपए हो गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार ने 52,500 रुपए की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी और 17,500 रुपए की राज्य सरकार की हिस्सेदारी के साथ कुल 88,436 घरों के निर्माण की मंजूरी दी किन्तु राज्य सरकार ने 50,000 रुपए अधिक की संस्वीकृति दी थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार ने केवल 53,429 घरों की मंजूरी दी जिसमें प्रति घर वित्तीय सहायता 52,500 रुपए थी और राज्य सरकार का अंशदान 17,500 रुपए था किन्तु राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि और संस्वीकृत की गयी। वर्ष 2014-15 के लिए तमिलनाडु के लिए संस्वीकृत घरों की संख्या को पिछले वर्षों की तुलना में घटा दिया गया। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए 1,80,000 की लागत पर 'हरित गृह' जिसका आकार 300 वर्गफुट है, 60,000 घरों का निर्माण कर रही है और 30,000 रुपए सोलर प्रणाली लगाने के लिए दे रही है। यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अंशदान राशि से अधिक है। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्रियों यथा सीमेंट, ईंट, बालू, लोहा, लकड़ी आदि की लागत में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। इसलिए इन सामग्रियों की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए इस अंशदान राशि में बढ़ोत्तरी की जाए।

वर्तमान में आईएचई योजना के अंतर्गत पर आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्यों के लिए क्रमश: 60:40 है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा 60 प्रतिशत के आवंटन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवंटित कोटे से बचे कोटे के पात्र सामान्य लोगों के लिए आवंटित किया जाए।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे निर्माण लागत के 75 प्रतिशत के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी करें और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोटे में छूट प्रदान की जाए ताकि उस वर्ष के लिए आवंटित कोटे को अन्यों द्वारा उपयोग में लाया जाए।

(चौदह) ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित रेल वैगन फैक्टरी की चालू वित्तीय वर्ष में स्थापना किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री अर्का केशरी देव (कालाहांडी) : मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी, ओडिशा में अवस्थित है। पिछली सरकार में रेल मंत्री जी ने रेल बजट पेश करते हुए यहां रेल वैगन फैक्टरी लगाने की घोषणा की थी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस वैगन फैक्टरी परियोजना को शुरू करें और पूरा करें।

(पंद्रह) केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वलाथुकारा नहर को चालू करने और राज्य में मूलाथारा-वलाथुकारा नहर को कोर्यार से वेलांथवलम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : अलथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुख्यत: कृषि आधारित है और यहां की अधिकांश जनसंख्या लघु और सीमांत किसान है। इस निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से पानी की भारी कमी है। निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी फसल तथा साथ ही आम किसानों की जीविका के लिए मूलधारा रेग्यूलेटर का पुर्निर्माण और वलाथुकारा नहर को चालू करना आवश्यक है। दूसरी बात मूलाथार-वलाथुकारा नहर का कोर्यार से वेलंथवलम तक विस्तार करना है। सरकार द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार 6190 मीटर क्षेत्र कवर करते हुए मूलाथार नहर का कोर्यार से व्रतयार के बीच निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। इस नहर का वेलंथवलम तक 15000 मीटर क्षेत्र का विस्तार करने से कोर्हीजम्बरा, वेलईयावेलतापथी, कोझीपथ्यी, वडक्झापथ्यी, यूरेथेपथ्यी और ओझलापथ्यी के गांव सिंचाई और पेयजल के मिलने से लाभान्वित होंगे। इसलिए, मैं सरकार से इन क्षेत्रों के गरीब किसानों की कृषि और आजीविका के संरक्षण के लिए इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

(सोलह) बिजली गिरने की घटना और तटीय मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : दुर्भाग्य से समुद्र कटाव और बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया है इसलिए वे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से मुआवजे के पात्र नहीं और इसलिए जान माल की क्षति होने पर कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली गिरना और तटीय कटाव पृथ्वी के प्राकृतिक विकास मूल्य तंत्र का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने बिजली गिरने और तटीय कटाव को "प्राकृतिक रूप से उत्पन्न" खतरे के रूप में मान्यता दी है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र आदि द्वारा किए गए शोध में समुद्र तटीय कटाव और बिजली गिरने को खतरनाक प्रकृति का माना गया है। जहां तक केरल का संबंध है, वहां बिजली गिरने की घटनाएं काफी अधिक होती हैं। एक विशुद्ध अध्ययन में बताया गया है कि केरल बिजली गिरने वाला एक प्रवण क्षेत्र है। 17 वर्ष के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष बिजली गिरने से औसतन 71 मौंते और 112 व्यक्ति घायल होते हैं। वर्ष 2012 में अक्तूबर और दिसम्बर के बीच बिजली गिरने से लगभग 35 मौतें हुई।

इस बात पर गौर किया जाए कि बिजली गिरने से मरने वाले और घायल होने वाले अधिकांश लोग अपने निर्धन परिवार की जीविका कमाने वाले थे जिनमें अधिकांश: महिलाएं थी। तटीय अपरदन के संबंध में पूरा तटीय क्षेत्र हमेशा ही आशंकित रहता हैं केरल का 590 कि.मी. तटीय क्षेत्र देश के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से है। हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "फैक्ट शीट ऑफ शोर लाइन चेंज — केरल नेशनल एसेसमेंट ऑफ शोर चेंज" से यह पता चलता है कि केरल तट रेखा के अधिकांश हिस्से (63%) में तेजी से अपरदन हुआ है। केरल में 9 तटीय जिले हैं सिंचाई विभाग ने अनेक तटीय अपरदन प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्षेत्रों की पहचान की है। यह कहने की आवश्यकता नही है कि समुद्री अपरदन तटीय क्षेत्रों में भयावह स्थिति उत्पन्न करता है। मछलियों के रहने वाले स्थान के भारी क्षति होती है। प्रति वर्ष समुद्र में प्रकोप से सैकड़ों घरों को क्षति पहुंचती है अथवा वे नष्ट हो जाते हैं।

बताए गए तथ्यों के मद्देनजर, मैं भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से मुआवजे के लिए बिजली गिरने और समुद्री अपरदन को प्राकृतिक आपदा में शामिल किए जाने की मांग करता हूं।

(सत्रह) केरल में विशेषकर कोल्लम में पासपोर्ट कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं सहित पासपोर्ट बुको को पर्याप्त संख्या में उपलबध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : केरल के पासपोर्ट कार्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पासपोर्ट बुक नहीं होने के कारण समय पर पासपोर्ट जारी नहीं किए जाते हैं। सैकड़ों आवेदनों पर विचार किया जाता है और पुलिस जांच सहित सभी औपचारिक प्रक्रियों को पूरा करने के पश्चात् उन्हें पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार किया जाता है, परन्तु समय पर पासपोर्ट जारी नहीं होने के कारण आवेदक समय पर विदेश नहीं जा पाते हैं।

पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं अत्यंत खराब स्थिति में हैं। कोल्लम पासपोर्ट कार्यालय के स्थापित होने के दो वर्षों के पश्चात् भी वहां बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। इस कार्यालय में शौचालय और प्रतीक्षा कक्षा तक उपलब्ध नहीं है। महिलाओं और बच्चों सहित सभी को बुनियादी सुविधाओं के लिए पड़ोस के घरों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। कोल्लम पासपोर्ट कार्यालय में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना परम आवश्यक है।

इसलिए मैं सरकार से केरल के कोल्लम पासपोर्ट कार्यालय में पर्याप्त पासपोर्ट बुक और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 2.02½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय सभापति : सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, जिनके पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं।

पेश किए हुए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि सदस्यगण इस सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया उसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

अपराह्न 2.03 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य)

पर्यावरण और वन मंत्रालय

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब सभा पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31 पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्यसूची के स्तम्भ (2) में पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या (31) के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2014-15)

मांग संख्या	मांग का नाम	19 फरवरी 2014 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रु.	पूंजी.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	960,46,00,000	57,45,00,000	1443,93,00,000	48,66,00,000

अपराह्न 2.04 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2014-15

पर्यावरण और वन मंत्रालय....... *जारी*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब श्री एंटो एन्टोनी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा) : धन्यवाद, सभापति महोदय। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि पर्यावरण हेतु बजटीय आबंटन पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। हमारा महान देश प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता के मामले में अत्यंत संपन्न है। प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अत: भारत ने पर्यावरण सुरक्षा हेतु की गई कई अंतराष्ट्रीय पहलों में अग्रणी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी विश्व के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने पर्यावरणीय ह्रास के घातक परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। एक सदी पहले महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं आज हकीकत बन चुकी हैं। इस भावना के अनुरूप, विगत के हमारे दूरदृष्टा नेताओं ने एक स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण विश्व हेतु सतत् विकास की संकल्पना के उद्भव में प्रमुख भूमिका निभाई थी ताकि भावी पीढ़ियों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।

जून 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण विषण पर आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस सम्मेलन में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। उनके विचारों ने पर्यावरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहलों के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन में शामिल होने वाली एकमात्र नेता थीं जो देश में सरकार की अध्यक्षता कर रही थीं।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमारे पर्यावरण के

रक्षार्थ कई विधायी कदम उठाए। अत: पिछली सरकारों द्वारा पर्यावरण रक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

हम विविध प्रकार की समस्याओं जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शहरी अपशिष्ट तथा निर्वनीकरण का सामना कर रहे हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 178 देशों के पर्यावरण का सर्वेक्षण किया। हमसे भारत का 155 वां स्थान था व वायु प्रदूषण के मामले में लगभग अंतिम स्थान था। सर्वेक्षण में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि भारत की पर्यावरणी गुणवत्ता सभी ब्रिक्स राष्ट्रों से काफी नीचे है। साथ ही, जी-20 देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व के 20 में से 13 सर्वाधिक प्रदूषित शहर भारत में हैं। अत: भारत के लिए लंबे समय तक अभी विकास, भविष्य में सफाई की अवधारणा पर चला पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संभव नहीं रहेगा।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें पर्यावरण हेतु बजटीय आबंटन की जांच करनी है। सतत् विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बजटीय घोषणा है कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया जाना। लेकिन उसके साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि माननीय वित्त मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस पैसे का क्या किया जाए? वर्तमान में, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में अनुमानत: 3,000 करोड़ से लेकर 3,500 करोड़ रुपए जमा हैं। लेकिन न तो उसमें से ज्यादा खर्च किया गया है और न ही कोई स्पष्ट योजना बनाई गई है कि इस धनराशि का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए।

मैं इस सम्माननीय सभा में यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसान की भांति पर्यावरण की रक्षा नहीं करता है। खेती विशेषकर बागानों के द्वारा किसान धरती की हरितिमा में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अत:, मैं देश के पर्यावरण की सुरक्षा में किसानों द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका की प्रशंसा करता हूं। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि किसानों, विशेषकर लंबे समय तक लगे रहने वाले वृक्षों, जैसे कि रबड़ का रोपण करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष कदम उठाए जाएं।

रबड़ वृक्ष का उपयोग मात्र लेटेक्स के लिए ही नहीं, अपितु कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी किया जाना चाहिए। अपने 30 वर्ष के आर्थिक जीवन चक्र में रबड़ का एक वृक्ष एक मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साईड का अवशोषण करने की क्षमता रखता है और इसीलिए 300 से अधिक रबड़ वृक्षों वाले एक हेक्टेयर के बागान में न्यूनतम 300 मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साईड का अवशोषण होता है।

इन बागानों के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के विषय में परिवेश वायु गुणवत्ता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की अद्यतन अध्ययन रिपोर्ट में बढ़कर और कौन सा प्रमाण चाहिए? यह अध्ययन 91 देशों के 1600 से अधिक शहरों में किया गया था। इस अध्ययन के तहत शामिल किए गए 123 भारतीय शहरों में से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पथनामथीट्टा को हवा में धूल कणों की न्यूनतम मात्रा के मामले में प्रथम स्थान पर रखा गया था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी उत्तम गुणवत्ता वाली हवा किसानों के कठिन प्रयासों का परिणाम है। बागानों द्वारा अवशोषित कार्बन की मात्रा को ध्यान में रखकर, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि रबड़ बागनों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में से न्यूनतम 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए।

यद्यपि, भारत में वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहल का नेतृत्व किया है और स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजनाओं से उसे फायदा भी मिला है, तब भी भारत के पास एक भी कार्यशील कार्बन विनिमय बाजार नहीं है। कार्बन विनिमय बाजारों की स्थापना करके सरकार रबड़ वृक्ष उगाने वाले किसानों को अपनी कृषि पद्धति के माध्यम से कार्बन अवशोषण हेतु 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है। कार्बन विनिमय बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा चीन में कार्य कर रहे हैं। अत: मैं सरकार से कार्बन विनिमय बाजार की स्थापना कर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की मांग करता हूं ताकि भारत प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। यह कदम वैश्विक पर्यावरणीय वार्ताओं में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। मैं इस मौके पर सरकार से यह भी मांग करता हूं कि पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि तथा बागानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की जाएं।

मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान पश्चिमी घाटों पर माधव गाडगिल समिति तथा कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्टों के बारे में केरल के लोगों की चिन्ताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन रिपोर्टों की संस्तुतियों को लागू करने पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि केरल देश के पारिस्थितिकी अनुकूल राज्यों में से एक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की ताजा रिपोर्ट (आई एस एफ आर) के अनुसार केरल देश के उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पिछले दो वर्षों के दौरान वन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

केरल राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 11,265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन हैं। केरल राज्य की कुल भूमि के 29 प्रतिशत भाग पर वन फैले हुए हैं। यदि हम उसमें रबड़ बागानों को भी शामिल करते हैं, तो कुल हरित क्षेत्र 53 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। वहीं, भारत का कुल वन क्षेत्र संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 21 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि मौजूदा कानूनी संरचना तथा संस्कृति पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्याप्त हैं। इन तथ्यों के बावजूद, पश्चिमी घाटों के संरक्षण

के नाम पर नए प्रतिबंध लगाने की मंशा जन सामान्य की भावनाओं तथा सतत् विकास की भावना के पूर्णतः विरुद्ध है।

पश्चिमी घाटों पर उच्च-स्तरीय समितियों के निष्कर्षों में कई खामियां हैं। उन्होंने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई एस ए) की पहचान हेतु सुदूर संवेदी उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। अतः, केरल की अधिकतर कृषि भूमि, जिनमें बागान भी शामिल हैं, को ई एस ए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। यह सच है कि उपग्रह से अवलोकन किये जाने पर ऐसे अधिकतर बागान से देश में कई अन्य भागों में मौजूद जंगलों से ज्यादा हरे-भरे दिखाई देते हैं। परिणाम-स्वरूप, केरल के 123 गांवों को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन गांवों को ई एस ए श्रेणी से बाहर रखा जाए, क्योंकि इन गांवों का वर्गीकरण गलतफहमी के कारण किया गया था।

उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 10 गांवों, जो कि गैर-वन क्षेत्रों में स्थित हैं तथा घनी बसावट वाले क्षेत्र हैं, को ई एस ए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया गया है। समिति के अनुसार 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जन संख्या घनत्व वाले गांवों को ई एस ए सूची से बाहर रखा जा सकता है। तथापि, केरल में 265 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व वाले गांवों को ई एस ए सूची में शामिल किया गया है। वहीं समिति द्वारा अन्य राज्यों में 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व वाले गांवों को भी ई एस ए सूची से बाहर रखा गया है।

गाडगिल समिति की मुख्य समस्या यह है कि इसने पश्चिमी घाटों के निकट रहने वाले लोगों की उपेक्षा की है। रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व लोगों से विचार-विमर्श नहीं किया गया। अतः, इस रिपोर्ट के कारण गरीब तथा सीमांत किसानों में काफी घबराहट फैल गई। प्रभावित जनसंख्या की चिंताओं का निवारण किये बिना इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना उचित नहीं होगा। यहां एक बार फिर अन्य मामलों की तरह, भारतीय जनता पार्टी (बी जे पी) ने दोहरे मापदंडों का प्रदर्शन किया है। जहां केरल में भा ज पा गाडगिल रिपोर्ट के पूर्णतः पक्ष में है, तो वहीं गोवा राज्य में वे इसके पूर्णतः विरोध में है। वे चाहते हैं कि केरल राज्य के गरीब किसान विस्थापित हो जाएं तथा उन्हें अपनी आजीविका से वंचित होना पड़े, लेकिन भाजपा-शासित गोवा राज्य में वे ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं।

मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए केरल सरकार ने पश्चिमी घाट से संबंधित उपर्युक्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया था। केरल सरकार ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह पश्चिमी घाट के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले केरल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करे।

हमारी प्रकृति के उपहार का संरक्षण करने के लिए संसद ने 1972 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम पारित किया था। तथापि, 2002 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के लिए किए गए संशोधन ने वनों के आस-पास रहने वाले लोगों की स्थिति दयनीय बना दी है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एंटो एन्टोनी : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मूल अधिनियम की धारा 51 में संशोधन कर कारावास की न्यूनतम अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है और इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास अवधि के दौरान दोषी को जमानत भी नहीं दी जाएगी। इससे लोग जानवरों द्वारा हमला करने की स्थिति में आत्मरक्षा के उपाय करने से बचने के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए साँप काटने की स्थिति में व्यक्ति के पास केवल दो विकल्प होंगे, या तो वह साँप द्वारा स्वयं को कटवा ले अथवा उसे मारने पर जेल जाने के लिए तैयार रहे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह वन्य-जीव द्वारा मनुष्य पर हमला करने की स्थिति में उसे आत्मरक्षा का उपाय करने हेतु इस अधिनियम में कुछ प्रावधान करे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में वनों के आस-पास रह रहे लोगों के मुद्दे को इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। उन पर सांच और हाथी सहित सरीसृपों और जंगली जानवरों द्वारा हमला किए जाने का सदैव खतरा रहता है। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों के काटने से प्रतिवर्ष 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है जो विश्व में सर्वाधिक है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक बीमा योजना प्रारम्भ करे जिसमें वन्य जीवों द्वारा लोगों के जान-माल के नुकसान को कवर किया जाए।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि समग्र रूप में नीति का फोकस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और विकास के अवसरों में वृद्धि करने पर होना चाहिए, परंतु असंधारणीय पर्यावरण अवक्रमण की कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यावरण की अनुषंगी है और इसके विपरीत नहीं है। इसलिए प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करने वालों, जैसेकि किसानों, को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

(सांकेतिक)

[अनुवाद]

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष (पृष्ठ 99) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्री प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (1)

जन परिवहन के वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (2)

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष (पृष्ठ 99) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्री एम.आई. शनवास (वयनाड) : मैं प्रस्ताव करता हूं

मानव पर्यावासों में जानवरों के अतिक्रमण के कारण लोगों के जान-माल को हुई क्षति की पूर्ति के लिए एक हजार करोड़ रुपए की अधिशेष निधि के आबंटन की आवश्यकता। (3)

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष (पृष्ठ 99) के अंतर्गत मांग में से 100 रुपए कम किए जाएं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ स्थापित करने की आवश्यकता। (7)

तटीय क्षेत्र में मछुआरों के घरों के निर्माण पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए तटीय क्षेत्र विनियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता। (8)

[हिन्दी]

डा. संजय जायसवाल (पश्चिमी चम्पारण) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट्स पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आज की इस चर्चा को भारतीय संस्कृति के पुरातन वेद अथर्ववेद के एक श्लोक के हिन्दी अनुवाद से प्रारंभ करना चाहता हूं। यह मानव जाति को संदेश देता है कि 'हे भूमि माता! तुम दिव्य गौ की भांति हमें बिना किसी रुकावट के सहस्र गुणा समृद्धि दो, किन्तु ऐसा हमारे कार्यों के बुरे प्रभावों से बचाते हुए करना।' हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है - देश को समृद्ध बनाना, किन्तु साथ ही अपनी भूमि माता एवं पर्यावरण की पूर्ण रूप से रक्षा करना।

महोदय, विश्व में गरीबों की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे भारतवर्ष में है। पर्यावरणविदों में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि गरीबी के चलते पर्यावरण का ज्यादा नुकसान होता है या पर्यावरण के ह्रास के चलते ज्यादा गरीबी होती है। लेकिन एक बात सभी वैज्ञानिकों में निश्चित है कि पर्यावरण और गरीबी का एक-दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है और इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। इसीलिए, हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार के उलट, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी को दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो इस बजट में काम किया है, इसके लिए मैं सांसद के ही नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत-बहुत नमन और साधुवाद देता हूं।

मैं जानता हूं कि मेरे कुछ विरोधी दल इस मामले को जरूर उठाएंगे कि पिछले वर्ष वन एवं पर्यावरण विभाग का आबंटन 2,430 करोड़ रुपये था जबकि इस आठ महीने के बजट में यह 2,043 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसको वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ इंटिग्रेट करके नहीं रखा गया है। जब हम इसे पूरे बजट को देखेंगे तो यह 50,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी के दिनांक 10 जुलाई के बजटीय भाषण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच के संबंध को बहुत ही अच्छे से समन्वित किया है। इन्होंने इनवायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को केवल एक शो-पीस की तरह अपने बजट में प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिए, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटीज़ की योजना दी है। जिस तरह से हमारे शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं, उस से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से पर्यावरण, इकोलॉजिकली फ्रेंडली सिटीज़ बनेंगे और इस पर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 7,060 करोड़ रुपये का बजट शुरुआती तौर पर आबंटित किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इसी तरह, पर्यावरण-संरक्षण और विकास की प्रत्येक जनता के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर को टोटल सैनिटेशन के तहत कवर किया जाएगा। मैं चम्पारण से सांसद हूं जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और महात्मा गांधी की 150वीं जन्म तिथि पर इस तरह के 'स्वच्छ भारत' के संकल्प से बड़ा उनकी श्रद्धांजलि के लिए नहीं हो सकता।

महोदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों से इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो शुरूआत की गयी है, यह भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा संरक्षण में सहायता देगा।

इसी तरह जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गयी है, इस से ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बिजली ही नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत मूल्यवान डीज़ल और केरोसिन ऑयल की बचत भी ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा हो पाएगी

अभी तक गंगा की सफाई को मात्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन रक्षा जाता था। इसीलिए पिछली यूपीए सरकार ने यंत्र के माध्यम से गंगा के कचरे को साफ करने का प्रयास किया, लेकिन यूपीए सरकार ने यांत्रिक उपाय किए, सैंकड़ों-करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु गंगा की आत्मा को ध्यान नहीं दिया और इसीलिए वह सफल नहीं हो सकी।

सभापति महोदय, आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने इस सोच में परिवर्तन करते हुए गंगा की आत्मा को जीवित करने का भार उठाया है। इसे जल संसाधन मंत्रालय को दिया है, क्योंकि जल संसाधनों को एक साथ रखने से ही गंगा की आत्मा जीवित हो सकती है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हुं, इसको अगर प्योर साइंस की नज़र से देखा जाए तो गंगा केवल रीवर की सफाई करने से नहीं, बल्कि पूरे रीवर सिस्टम की सफाई करने से ही गंगा की सफाई संभव है। इसमें इन्होंने जो दो हजारे करोड़ से ज्यादा की राशि आबंटित की है, वह भी मैं सही मायने में प्रकृति की वन्दना मानता हूं। उसी तरह से वनों और आदिवासियों के बीच अन्योनाश्रय संबंध है। यह सर्वविदित है कि अगर आदिवासी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने वनबंधु कल्याण योजना नाम की नयी योजना चालू की है। सौ करोड़ का जो आबंटन दिया है, उसमें वन संरक्षण विशेषज्ञों की ओर से सरकार सचमुच में बधाई की पात्र है। उसी तरह गांवों में नेशनल रूरल लाइवलीहूड मिशन मे स्टॉर्ट अप विलेज एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम की शुरूआत की है। इसमें जो वनों में चीजें उपजती हैं, उनसे छोटे-छोटे उद्योग धंधे गांव को लोग लगा सकते है और अपना घर भी चला सकते हैं। उसी तरह वाटरशैड प्रोग्राम में इस सरकार ने 2142 करोड़ रुपए निरांचल के माध्यम से दिया है। यह वाटरशैड प्रोग्राम ग्रामीणों को वन में अधिक से अधिक वन लगाने के लिए भी प्रेरित करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अभी एयर पोल्यूशन के बारे में माननीय एंटनी जी ने बोला था। यह सर्वविदित है कि आज पूरे विश्व में वायुमंडल में कार्बन डॉइऑक्साइड की बढ़ोत्तरी हो रही है। हम यह भी जानते हैं कि कार्बन डॉइऑक्साइड का उत्सर्जन कॉल बेस्ट प्लांट और ट्रांसपोर्ट सैक्टर सबसे ज्यादा करता हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, एक लाख सोलर पम्प गरीबों को देना, सोलर और विंड एनर्जी के कम्पोनेंट में टैक्स की छूट देना, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शहर जैसी योजनाएं, जिनसे सैंकड़ों क्यूबिक मीटर कार्बन डॉइऑक्साइड का उत्सर्जन रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही हमारा कोयला (Coal) और पैट्रोलियम का इम्पोर्ट बिल भी कम होगा तथा लाखों लोगों को रोजगार मिलने का भी काम होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया - "सबका साथ, सबका विकास।" यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी को ओर योगदान बढ़ाने को कहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्लम डेवलपमेंट को भी सीएसआर एक्टीविटी में शामिल करके पर्यावरण और शहरों के पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन को एक रिएलिटी मानते हुए इसका सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेशनल एडोप्टेशन फंड फॉर क्लाईमेट चेंज और नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीस के लिए उन्होंने जो फंड दिया है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस फंड के माध्यम से हमारा देश विश्वस्तर पर क्लाईमेट चेंज नेगोसिएशन में लीडरशिप पोज़िशन दिलाने की भूमिका में बहुत बड़ा सहायक होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेलवे से लेकर रक्षा तक कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से फंड अलॉट नहीं हुआ है। मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसीस का भी एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का कार्यकाल पिछले वर्ष सितम्बर में ही खत्म हो गया था। इसको रिकौंस्टीट्यूट सितम्बर से नहीं किया गया, इसके चलते 120 प्रोजेक्ट्स एक वर्ष से भी ज्यादा लटके हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के बगल में नोएडा है। उस इलाके में कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गईं। अब आम जनता के सारे पैसे उसमें डूब रहे हैं, वहां बिल्डिंग्स बन नहीं सकतीं, क्योंकि वह वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। लेकिन हमारी सरकार ने सौ दिनों के भीतर के एजेंडा में इसको लाकर यह बता दिया कि पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है। मैं अपने माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का भी बेहद आभारी हूं, कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी मंजूरी के प्रस्ताव को ऑन लाइन कर दिया है। ऑन लाइन दाखिला करने से व्यवस्था में पारदर्शिता लाई गई है। जिससे कि उद्यमियों को आज से पहले जो वर्षों से गैर-सरकारी टैक्स था, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बहुत फेमस टैक्स हुआ करता था, उससे भी उद्यमियों को मुक्ति मिल जायेगी।

मैं एनवायर्नमेंट एण्ड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्राण्ट्स का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूं कि 'आइये, हम ट्रस्टी के रूप में काम करें, जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें

और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें।"

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। सबसे पहले मैं अपनी नेता एवं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाईवी अम्मा का मुझे सीट देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे निर्वाचित करने के लिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिवगंगा के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं।

यह मेरा पहला भाषण है। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी बोलना चाहता हूं। मैं तिरुक्कुरल के एक उद्धरण से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं:

"मनिनीरम मल्लुम मलाईयम अनिनिझर कादुम उदराथु अरन"

इसमें वनों के महत्व का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है कि बहुमूल्य जल, समृद्ध मृदा, ऊंचे पर्वत और उर्वर वन एक आदर्श देश का निर्माण करते हैं।

हमारी अधिकांश नदियों का उद्गम घने वनों से होता है। वन वर्षा में सहायक होते हैं। मानसून वर्षा वनों और वृक्षों पर निर्भर करती है। वन सभी जानवरों, पक्षियों और कीट पतंगों के लिए गोद के समान है। ओजोन परत के प्रभावित होने के बाद मनुष्य को वनों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। वर्षा के बिना विश्व संभव नहीं है, वनों के बिना जीवन संभव नहीं है।

तमिलनाडु में बड़े स्तर पर वनीकरण करने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री पुराची थलाईवी अम्मा ने अपने 64वें जन्मदिवस के अवसर पर पूरे तमिलनाडु मे 64 लाख पौधे लगाने की एक नई योजना प्रारंभ की है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1200 रु. मूल्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक पेड़ प्रतिदिन 12 लोगों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इससे हम पेड़ों और वनों का मूल्य समझ सकते हैं। भारत विश्व के वन समूह शीर्ष के दस देशों में से एक है। भारत का 22 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है, इसलिए केन्द्रीय निधि का और अधिक आबंटन किया जाना चाहिए था। परंतु केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को मात्र 2256 करोड़ रुपये आबंटन किया गया है। तमिलनाडु को 18 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। तमिलनाडु में विश्व की दुर्लभ जैवविविधता पायी जाती है। हमारी मुख्य मंत्री माननीय अम्मा ने वन सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं प्रारम्भ की हैं:

(1) अवक्रमित वन भूमि में जल संरक्षण और छत्र (कैनपी) सुधार;

(2) तमिलनाडु वनीकरण परियोजना, चरण-दो, उपयोगिता योजना;

(3) तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरित परियोजना;

(4) तिरुचि श्रीरंगम के निकट ऊपरी अनीकट में बटरफ्लाई पार्क और नक्षत्र वन;

(5) वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम;

(6) कुड्डलूर और बिलुपुरम जिलों के थाने चक्रवात क्षेत्रों में पुनः पौधे लगाना।

(7) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम; और

(8) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

ये तमिलनाडु में चल रही कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके लिए 242 करोड़ रुपये आबंटन किया गया है।

अब मैं कई वर्षों से वनों में परम्परागत रूप से रह रहे लोगों को वहां से हटाने की समस्या पर आता हूं। उदाहरण के लिए शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र में 500 वर्ष पुराने कोडिकुलम गाँव को अब हटाया जा रहा है। 1953 में भारत में सभी वनों का राष्ट्रीकरण किया गया था। 1954 में जब वन सर्वेक्षण किया गया तो वह गांव रिकॉर्ड से छूट गया था। सर्वेक्षक की गलती से उस गांव के लोगों का जीवन और आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार वनों के भीतर स्थित दूरवर्ती गांवों तक सड़क सम्पर्क नहीं है। व अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण केन्द्र भी पीएसजीसवाई जैसी ग्रामीण सड़क योजनाएं, नाबार्ड की योजनाएं और 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित ग्रामीण सड़क योजनाएं गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करे। वनों का संरक्षण मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है और वन अधिकारी मनुष्यों के प्रति दयालु होने चाहिए। वन विभाग द्वारा लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं उन ग्रामीण सड़कों की सूची दे रहा हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सहयोग न किए जाने से प्रभावित हुई हैं।

1. कोडुवूर-मेलाक्कराई रोड़
2. कोडुवूर-करूंटूर रोड़
3. कोडुवूर-मथूर - ओरावयल - थुलाइयनालिपट्टी रोड़
4. विलगुंडी रोड़ से प्रदुकोट्टाई जिला सीमा रोड़

उपरोक्त चार शिवगंगा जिले के कानूनगुड़ी ब्लॉक में है।

5. अलावूर-सिरावायले रोड़

6. सिरावायाले-कीला पोंग्रडी रोड़

7. नटराजपुरम-कालयार कोविल लिमिट

उपरोक्त तीन सड़क कलाल ब्लॉक में हैं।

8. महीपालनपट्टी-एस. वेलनगुडी रोड़ तिरुप्थूर ब्लाक में।

उपरोक्त सभी रोड़ नाबार्ड स्कीम में कवर किए गए हैं।

9. इंबाल रोड़-कोडीकुलम रोड़ पीएमजीएसवाई के तहत कवर किया गया है।

10. एस.पुथुर ब्लॉक-नालवन पट्टी रोड़

11. थेंगल नगर रोड़

उपरोक्त दो सड़कें तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कवर की गई हैं।

कामराजपुरम - वाथीराइयारप्पू रोड़, किलावन कोविल सलाई, रामक्कल मेटू-साक्कूलथ्थू रोड़ थेनी जिले की जीन अन्य सड़कें हैं।

ये सभी सड़कें दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सड़क संपर्क प्रदान करती हैं और इनकी ठीक हालत में रखे जाने की जरूरत है। परंतु वन विभाग, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित ऐसे निर्माण कार्यों के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। पीडीएस के तहत राशन की ढुलाई और ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु ये सड़कें जरूरी हैं। जिला कलैक्टर ने इस मुद्दे को केन्द्र के साथ उठाया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करने और अपने कटौती प्रस्ताव जिन्हें सभा की स्वीकृति हेतु रखा जाएगा, के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पर्यावरण और वन मंत्री के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी है, इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय को कम महत्व दे रही है जबकि सतत् विकास के लिए इस मंत्रालय का अत्यधिक महत्व है। मेरा यह मानना है कि यह मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए पूर्णकालिक मंत्री हो जो मंत्रालय से जुड़े कार्यों पर पूरा ध्यान दे सके। यदि उनका ध्यान बंट जाएगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा। मुझे अपने मित्र की क्षमता पर संदेह नहीं है अपितु उनका भार कम होना चाहिए।

महोदय, विश्व के साथ-साथ हमारा देश पारिस्थितिकीय संकट का सामना कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे वाहन, हमारे कारखाने और हमारे विद्युत संयंत्र प्रतिदिन वायु में कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हमारे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन छोड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर वायुमंडल में जो कवर है वह प्रभावित हो रहा है जिससे ग्रीन हाऊस इफैक्ट पैदा होता है जिसके वैश्विक तापन हो रहा है और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो अनेक नीचे में अवस्थित क्षेत्र समुद्र में डूब जायेंगे। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या ने विश्व में भयंकर रूप धारण कर लिया है।

दूसरी बात यह है कि कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को काफी हद तक वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि कार्बन डाई-ऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की क्षमता पौधों के पास है। इस प्रकार पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं।

वनों को काटकर हम वायु को शुद्ध करने के तरीकों को नष्ट कर रहे हैं। महोदय, वर्षों से पर्यावरण और विकास के बीच बहस की जा रही है। हम तीसरे विश्व में रहते हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। पश्चिम के औद्योगिक रूप से विकसित देश अर्थात् प्रथम विश्व के देश हमारे देश पर पर्यावरणीय मानदंड थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सत्तर और अस्सी के दशक तक प्रदूषण फैलाया है। अब वे हमें यह कह रहे हैं कि हमें उनके कार्बन उत्सर्जन मानकों को अपनाना पड़ेगा परंतु समस्या यह है कि प्रदूषण फैलाने के बाद वे हमें कारों के लिए यूरो जैसे नए मानदंड अपनाने के लिए कह रहे हैं। अत: मुख्य प्रश्न यह है कि हम संतुलन कहां स्थापित करें।

पर्यावरण के सभी पहलुओं और वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण की देखरेख के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय नोडल एजेंसी है। हमारे शहरों की स्थिति देखिए। हम सीवेज को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। हमारे कारखाने सीवेज को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। हम पवित्र नदी गंगा की बात करते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं, 'देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा' परंतु हम वाराणसी में क्या कर रहे हैं? वे शवों को नदी में फेंक रहे हैं ताकि मांस खाने वाले कछुए उन्हें खा सकें। हम गंगा कार्य योजना बनाये जाने के 30 वर्षों के बावजूद भी गंगा के किनारे पर विद्युत शवदाह ग्रह नहीं बना पाए हैं। अब यह उचित समय है कि भारत सरकार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण तथा वनीकरण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाए। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है।

यदि आप योजना पर दृष्टि डालें तो आप यह देख पाएंगे कि भारत सरकार ने वर्षों से पर्यावरण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। वर्ष 2013-14 में इस मंत्रालय के लिए 2,430 करोड़ रु. का योजनागत आबंटन किया गया था, हमने केवल 1850 करोड़ रु. खर्च किये, जो कि आबंटन की तुलना में 600 करोड़ रु. कम है। अब वर्तमान वर्ष में मंत्रालय के लिए मात्र 2,043 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। वह मंत्रालय जो भारत के विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमने उसके योजना आकार में लगभग 400 करोड़ रु. की कटौती की है। मंत्री जी इस बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।

अनेक क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है। इसके क्षेत्राधिकार में वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण और वन अनुसंधान संस्थान आते हैं। इसका बड़ा नौकरशाही ढांचा है परंतु जनता के पूर्ण सहयोग और जनता को जागरुक बनाकर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज शहर के अच्छे स्कूलों में पर्यावरण विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। यदि आप सड़क पर एक कागज फेंकते हैं तो बच्चे कहते हैं, "गंदगी न फैलाएं।" परंतु बड़ी आबादी पर्यावरणीय अवक्रमण की समस्या से वाकिफ नहीं है।

कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में हमने वन रक्षा समितियां नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो वहां अब भी अस्तित्व में है। अराबाड़ी मॉडल नामक एक मॉडल है, जिसमें वनों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के सहयोग से वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रदूषण का सामना कर रहे सभी शहर, जो अपना मल तथा अपशिष्ट जल पानी में बहाते हैं, उन सभी शहरों में इस प्रकार के प्रयास किए जाने की जरूरत है। भारत सरकार के मात्र कुछ गिने-चुने अधिकारियों अथवा सांविधिक निकायों द्वारा यह काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, भूमण्डलीय तापन की समस्या तथा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दुर्दशा की बातों पर राष्ट्रीय चेतना जगाने के उस प्रयास की कोई झलक दिखाई नहीं देती है, इसीलिए, प्रत्येक दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब, हमें इस समस्या को सुलझाना है।

जब कभी भी, कोई वृहद नदी घाटी योजना प्रारंभ की जाती है, तो पर्यावरणविद् यह कहते हैं कि इससे नदी घाटी प्रदूषित हो जाएगी। ऐसी घटना केरल राज्य की शांत घाटी (साईलेंट वैली), क्षेत्र में घट चुकी है। उन्होंने कहा था कि नदी घाटी परियोजना साईलेंट वैली को नष्ट कर देगी। हमें नदी घाटी परियोजनाओं से बिजली भी चाहिए व साथ ही साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। जब उत्तराखंड में ठिहरी बांध का निर्माण किया गया, तो इसी तरह का वाद-विवाद हुआ था। ये सब मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आई एक अन्य प्रमुख समस्या है पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां। यह मुद्दा पर्यावरणीय मंत्रालय में चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है। इस बारे में कई किस्से प्रचलित है कि किस प्रकार पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त की जाती है?

हमारा देश खनिजों का प्रचुर भण्डार है। खनिज कहां हैं? खनिज भण्डार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के घने वनाच्छादित क्षेत्रों में स्थित हैं। जब कभी वहां खदानें खोदने की कोशिशें की जाती हैं, तो इन प्रयासों को स्थानीय जनता व जनजातियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अभी जो हो रहा है, वह है कि बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन वनक्षेत्रों में घुसने के प्रयास कर रही हैं। हम सब वेदान्ता मामले के बारे में जानते हैं। ओडिशा में नियमगिरि पहाडियों को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जहां वेदान्ता कंपनी बॉक्साईट खनन के प्रयास कर रही थी। इन सब मामलों में स्पष्ट नीति तथा पर्यावरणीय स्वीकरोक्ति हेतु एक स्पष्ट नियमावली बनाई जानी चाहिए। देरी के चलते भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तथा देरी के चलते हमारे कुल औद्योगिक विकास को भी गहरा धक्का पहुंचता है। समय की यह मांग है कि हम इन मामलों को गम्भीरतापूर्वक देखें।

मैंनें कहीं यह देखा था कि मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पर्यावरण संबंधी मंजूरी आनलॉईन प्रदान की जाएंगी। मैं चाहता हूं कि वे पर्यावरणीय स्वीकरोक्ति प्रदान किये जाने की एक निश्चित समय सीमा तय करें। उन्हें किसी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने दें अथवा मंजूरी देने से मना करने दें, लेकिन यह मंजूरी वर्षों तक अधर में न लटकी रहे, जिसके चलते विकास में देरी होती जाए। हमें सतत् विकास का मॉडल अपनाने की जरूरत है। यदि हमें 7 से 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करनी है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कम-कार्बन प्रयोग वाला विकास हो। जैसे कि वर्तमान समय में हम जिस दर से विकास कर रहे हैं, सन् 2030 तक भी, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन किसी भी विकसित देश से बहुत कम होगा। इसलिए हम अभी विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

अब दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है, तथा इसके अध्यक्ष कई विवादों में फंसे हुए हैं। इस संस्थान को, और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए व देशभर में इसकी शाखाएं स्थापित की जानी चाहिएं। हमने अपने राज्य में न्यू टाउन, राजरच्हाट में एक ईको पार्क की स्थापना की है, लेकिन हमारा राज्य उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। उस दिन हम मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न के बदले दिए गए उत्तर में निहित मानव-पशु संघर्षों के बारे में बात कर रहे थे। उस समय यह कहा गया था कि मनुष्य पशुओं को मार रहा है। हमारे राज्य में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। हमारे यहां विश्व के सबसे बड़े मैग्रोव जंगल मौजूद हैं। हर दिन, आप समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि किसी बाघ ने किसी व्यक्ति को मार डाला और उसे खा गया। इसलिए

प्रश्न मात्र यह नहीं है कि बाघों को मनुष्यों से बचाया जाए, परंतु असली प्रश्न तो यह है कि मनुष्यों को बाघों से बचाया जाए। उन गरीब मछुवारों अथवा गरीब लकड़हारों को आप कितना मुआवजा देंगे, जो उन जंगलों में जाते हैं?

दूसरी बड़ी समस्या उत्तर बंगाल में मौजूद है, जहां बड़े हाथी विचरण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथियों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। वे पुराने पथों का ही प्रयोग करते हैं। इतने वर्षों में, नित्य कई हाथी रेल इंजनों की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। रेलवे विभाग उत्तर बंगाल के जंगलों के मध्य से गुजरने वाले रेल मार्गों पर रेल गाड़ियों की गति कम नहीं रख पा रहा है। हमारे यहां गोरूमारा, चपरामाड़ी तथा होलोंग जैसे कई प्रसिद्ध वन क्षेत्र मौजूद हैं। इस कारण प्रत्येक वर्ष सैंकड़ों की तादाद में हाथी काल के ग्रास बन रहे हैं। अत: रेलवे को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, जिसमें हाथियों को बचाया जा सके तथा मंत्री महोदय को इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि मनुष्यों को वन्य जीवों के आतंक से बचाया जा सके।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : सभापति महोदय, इस लोक सभा में यह मेरा पहला भाषण है। मैं सीधे-सीधे आपसे मुद्दे की बात करता हूं। मैं अन्य कई संसद सदस्यों की ओर से बोल रहा हूं। यह अत्यंतत शोचनीय बात है, जब हम यह नहीं जानते कि इस सभा में कहां और कैसे खड़ा होना है? प्रभाग संख्याएं अभी तक आबंटित नहीं की गई हैं। मुझे यह देखकर अत्यंत क्षोभ होता है और यह जानकर अत्यंक खेद होता है कि एक ऐसी सरकार, जो कि अपनी तथाकथित 'महान दक्षता' के बल पर सत्ता में आई है। वह अब तक संसद सदस्यों को प्रभाग संख्याओं का आबंटन नहीं कर पाई है, जबकि बजट सत्र का आधा समय पहले ही बीत चुका है। हम इस सभा में बंजारों की भांति विचरण कर रहे हैं तथा हमें नहीं पता कि कहां पर बैठें या खड़े हों।

सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस माननीय सभा को इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा गंभीर मुद्दे, यानि कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में संबोधित करने का मौका प्रदान किया है। मैं सावधानी के साथ सीधे अपने भाषण पर आना चाहता हूं। पेशे से मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तथा पर्यावरण संबंधी कई मुकद्मों में मैने कई कंपनियों के लिए पैरवी की है। मैंने बिना कोई पैसे लिए कई गैर-सरकारी समूहों (एन जी ओ) के लिए पर्यावरण संबंधी कई मामलों में पैरवी की है (तो) ऐसे बात होती रहती है। मैं इस सभा पटल पर जो बात कह रहा हूं, उसमें कोई भी एजेंडा शामिल नहीं है। इस सभा पटल पर मेरे द्वारा कही गई हर बात का मूल स्रोत है कार्य संबंधी दीर्घावधिक तथा विस्तृत अनुभव, जो कि मूलाधार स्तर से उपजा है।

सभापति महोदय, सभी बजट संख्याओं का खेल मात्र है, क्योंकि बजट का मतलब ही है नीतियां, दर्शन और सिद्धांत। जहां तक संख्या का संबंध है कुछ संख्याएं बड़ी चिंताजनक होती हैं। वानिकी तथा वन्य जीव संबंधी आबंटन 824 करोड़ रुपये से घटकर 568 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के स्तर पर आ गया है, और अब यह घटकर 475 करोड़ रुपये हो गया है। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण संबंधी आबंटन के आंकड़े तो और भी अधिक निराशाजनक हैं। अर्थात्, 1446 करोड़ रुपये से घटकर पहले 1199 करोड़ रुपये और फिर अब और कम होकर 891 करोड़ रुपये हो गया है। भगवान जाने कि वास्तविक संशोधित आंकड़े क्या होंगे?

इस सरकार के बचाव में मात्र एक बात, जो मैं कह सकता हूं, वो यह है कि यह दशा पिछली शासनावधि में पूर्ववर्ती भ्रष्ट तथा अत्यंत अक्षम, सरकार की छोड़ी हुई विरासत है। अत: शायद उनके हाथ बंधे हुए थे। निश्चित ही हमें यह पूरी उम्मीद है कि उपरोक्त आंकड़े सरकार के उस गंभीर रुख से मेल नहीं खाते हैं? जिस रुख के साथ सरकार इस मंत्रालय से व्यवहार करने की मंशा रखती है।

खुशी की बात यह है कि राज्य सरकारों का प्रस्तावित अनुदान 208 करोड़ रुपए से बढ़कर 706 करोड़ रुपए हो गया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। यही वही बात है, जो श्री मोदी जी हमेशा से कहते रहे हैं, यानि कि इस सरकार के तहत असली संघीय संबंधों की शुरूआत होगी।

सभापति महोदय, आंकड़ों के बारे में कुछ कहने के बाद अब मैं दर्शन भाग या नीतिगत मुद्दों पर अपनी बात कहूंगा। मेरा यह कहना है कि दूरदर्शी सोच का एक सर्वोत्तम उदाहरण, जिसकी झलक हमें माननीय वित्त मंत्री के भाषण में दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने लौह अयस्क की ढुलाई हेतु स्लरी पाईपलाईनों को निवेश संबंधी छूट प्रदान की है। यह एक स्वागत योग्य तथा प्रशंसनीय कदम है। इससे भारी तादाद में किये जाने वाली सड़क मार्ग ढुलाई से उत्पन्न पारिस्थितिकीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी। दैनिक आधार पर हमारी सड़कों पर दौड़ते सैंकड़ों हजारों ट्रकों के कारण व्यापक पर्यावरणीय क्षति होती है। अत:, स्लरी पाईपलाइन एक भविष्योन्मुखी पहल है। ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्लरी पाईपलाईनों द्वारा ढुलाई का विकल्प अपनाना चाहिए और इसीलिए, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि वित्त मंत्री से इस प्रयास को प्रोत्साहन दिया है।

सभापति महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि स्थाई समितियों का गठन क्यों किया गया है? यदि हम उनकी किसी भी सिफारिशों को नहीं मानना चाहते, तो हमनें अंग्रेजों की यह प्रणाली ग्रहण तथा लागू की क्यों? यदि इन समितियों की सभी सिफारिशों का एक अंश भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं यह समझता हूं कि स्थाई समितियों के अस्तित्व में बने रहने का कोई ठोस आधार है। इस मंत्रालय विशेष में स्थाई समितियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्यावरण और वनों नामक विषय को अब समवर्ती सूची का हिस्सा बना देना चाहिए। यह बात पूर्ण रूप

से संघीय सिद्धांतों के अनुरूप है। यह बात पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर प्राप्त हो रहे परिणामों के भी अनुकूल है, क्योंकि आज हमारे पास राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन समिति (एसईआईए) मौजूद है, जो जमीनी स्तर तथा राज्य स्तर पर बहुत काम करती है। अत: हम यह बात नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों वन भूमि के अत्यंत तथा भिन्न प्रयोग संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव को मंजूरी प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा जाता है? यहां तक कि आधा हेक्टेयर से कम वन भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव दिल्ली क्यों भेजा जाना चाहिए? हम कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते, जिसमें राज्यों को अपनी ओर से स्वीकृति दी जाए। जिस प्रकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्य पर्यावरण बोर्ड होना चाहिए ताकि उनके पास उनकी स्वयं की संरचना हो। आप कोई आंकड़ा तय कर लीजिए, उदाहरण के लिए 50 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर से अधिक का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाना चाहिए, परंतु प्रत्येक साधारण से प्रस्ताव को दिल्ली नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत अड़चने आती हैं। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि जैसाकि स्थायी समिति ने प्रस्तावित किया था कि कंपनियों से वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत अत्यंत उपयोगी प्रावधान है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव किया है कि सीएसआर मार्गनिर्देशों के अनुसार दो प्रतिशत सीएसआर की 50 प्रतिशत राशि का आबंटन वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही उपयोगी प्रावधान है।

महोदय, मूलभूत प्रश्न यह है कि इस सरकार को स्वयं से यह पूछना चाहिए कि पर्यावरण और वन मंत्रालय उद्योगों का संरक्षक और सुविधा प्रदाता बनने वाला है या विनाशक बनने वाला है, जो पिछली सरकार गत दस वर्षों के दौरान उद्योगों को नष्ट करने में लगी रही।

आज, श्री सौगत राय ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के बारे में चर्चा की थी। मैंने पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष डर से कांपते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है; और उनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, उनसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है वे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। उनमें से आधे अधिकारी हर सप्ताह जमानती वारंट पर उपस्थित होते हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति वस्तुत: बेहतरीन पर्यावरण मंत्रालय है। आज पर्यावरण मंत्रालय का कोई महत्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय पर्यावरण मंत्रालय के ऊपर बैठा है। उच्चतम न्यायालय की ग्रीन बेंच अब साप्ताहिक आधार पर बैठती है। पिछले दस वर्षों में यूपीए सरकार ने सम्पूर्ण शक्ति और प्राधिकार का त्याग कर दिया था और अब यह शक्ति न्यायपालिका के हाथ में आ गई है। दुर्भाग्यवश आज हमारे पास पूर्णरूप से शक्तिहीन पर्यावरण मंत्रालय है, जिसके पास किसी भी मामले से निपटने की शक्ति नहीं है।

अब मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

माननीय सभापति : कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री पिनाकी मिश्रा : सभापति महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मुझे बोलने के लिए नौ मिनट मिलने चाहिएं और अभी तक पांच मिनट हुए हैं। मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए संख्या की गलती करने वाला नहीं हूं। अभी भी मेरे पास चार मिनट बचे हैं। जहां तक मेरे दल की बात है, तो उसे नौ मिनट मिलने चाहिए।

माननीय सभापति : आपके पास केवल सात मिनट हैं।

श्री पिनाकी मिश्रा : महोदय, मुझे थोड़ी छूट दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी अप्रासंगिक मामले को उठाकर सभा का समय बरबाद नहीं करूंगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में दो बड़ी परियोजनाएं हैं और इनमें से पहली 52,000 करोड़ रुपये के निवेश की पोस्को है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसके लिए काफी प्रयास किया था। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा की थी। यह दोनों सरकारों की परियोजना है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने इसके लिए पूरा प्रयास किया था। लेकिन क्या हुआ? यह इन गलतियों का सबसे मार्मिक उदाहरण है। 2007 में इसे पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो 2012 तक पांच वर्ष के लिए वैध थी। लगभग 2013 तक सेंडी बीच के लिए वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद पर्यावरण स्वीकृति के नवीकरण के लिए उसे 2012 में भेजा गया और 2013 के अंत तक इसे स्वीकृति नहीं मिल पायी थी। एक पूर्व मंत्री के कार्यकाल में हर कोई समानांतर कर की बात करता था। 52000 करोड़ रुपये की परियोजना हस्ताक्षरित फाइल 14 माह तक इस मंत्री के घर पर पड़ी रही। क्या यह शर्मनाक नहीं है? यदि पर्यावरण मंत्री के घर से 300 फाइलें मिलती हैं, तो इसके लिए कौन उत्तर देगा? यदि यह शर्मनाक नहीं है तो इस देश में क्या शर्मनाक है?

श्री सौगत राय ने वेदांता परियोजना के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदांता परियोजना में क्या हो रहा है। श्री नवीन पटनायक इस परियोजना को कालाहांडी लेकर आए थे, जो शायद भारत का नहीं, तो ओडिशा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहां केवल आदिवासी रहते हैं। उन्होंने इस कंपनी को वहां 35000 करोड़ रुपये का बॉक्साइट संयंत्र लगाने के लिए मनाया था। पर्यावरण स्वीकृति मिल गई और उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत रूप में इसकी वन स्वीकृति भी दे दी थी। अचानक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एन ए सी), जिसके बारे में सभी यह जानते हैं कि पिछली सरकार में वह एक सुपर-कैबिनेट थी, का एक सदस्य वहां जाता है और वापस आकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष को बताता है कि आदिवासी

इस परियोजना से बहुत नाराज है। कांग्रेस उपाध्यक्ष वहां जाकर अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं मैं ट्रायबल्स का सिपाही, दिल्ली में बैठा हूं।

इस संयंत्र को बन्द कर दिया गया क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति को रद्द कर दिया गया था। आप यह जानते ही हैं कि लोगों ने कांग्रेस का कैसे धन्यवाद किया। उन्होंने ओडिशा से कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस प्रकार आदिवासियों ने कांग्रेस को धन्यवाद किया। कांग्रेस की बलनीति के बारे में आदिवासियों का यही विचार है। आज देश की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस की बल नीति जिम्मेदार है।

महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार और पर्यावरण मंत्री, जिनकी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छ छवि रही है, इस मंत्रालय के बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि यदि हमें सुविधा प्रदाता बनना है तो इस देश में प्रत्येक नए निवेश के लिए सबसे पहले इस मंत्रालय से स्वीकृति लेनी होती है और आप इसके संरक्षक हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है जो अनुदान की मांग पर बोलना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य अपने भाषण सभापटल पर रखना चाहते हैं वे उन्हें रख सकते हैं। इन्हें कार्यवाही का हिस्सा माना जाए।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका वर्ष 2014-15 की पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

पर्यावरण संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर व्यक्ति, संगठन तथा संस्थान का यह दायित्व और कर्त्तव्य है कि वह इसका संरक्षण करे। यह हमारा सनातन धर्म है।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। विगत तीन वर्षों से आर्थिक मन्दी, स्थिर नीतिगत परिदृश्य तथा अन्य घटकों के कारण हमारे देश की औद्योगिक विकास में गिरावट आई है। हाल ही के केंद्रीय बजट में सरकार ने उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का प्रस्ताव किया है। मैं आश्वस्त हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के उचित दिशानिर्देश के तहत वह भविष्य के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दों की ओर माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके लिये भारत सरकार की ओर से तत्काल कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है। हमारे पास अब केन्द्र में एक स्थायी सरकार है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा भारतीय उद्योग भी सरकार से अच्छे तथा सकारात्मक मदद की आशा कर रहे हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चकन तथा रंजनगांव क्षेत्रों में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, में 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनायें शुरू होने वाली हैं। न केवल अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भूमियां अधिग्रहित की गई हैं, अपितु महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं। सरकार तथा उद्योग विभाग से उपलब्ध सूचना के अनुसार अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किये जाने की आशा है। तथापि, अक्टूबर, 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने यह अधिसूचित करते हुए एक ज्ञापन जारी किया था कि अनुसूची की श्रेणी क और ख के तहत ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा के निर्माण क्षेत्र वाली सभी इकाईयों हेतु पर्यावरण क्लीरियेंस की आवश्यकता है। यह अधिसूचना क्रमश: भवन तथा निर्माण परियोजनाओं और टाउनशिप (उपनगर) और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से संबंधित 8(क) तथा 8(ख) में उल्लिखित परियोजनाओं तथा कार्यकलापों हेतु मान्य है। कार्यकलाप 8(क) तथा 8(ख) को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह परिलक्षित होता है कि इस उपबंध का आशय तथा उद्देश्य निर्माण परियोजना अथवा उपनगर विकास से संबंधित है न कि विनिर्माण संयंत्र की अवसंरचना को बनाने से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल यह तथ्य कि संयंत्र का 20,000 वर्ग मीटर का कवर एरिया है इसलिये यह कार्यकलाप 8(क) अथवा 8(ख) के दायरे में नहीं आ सकता है तथा तत्पश्चात् ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत क्लीरियेंस लेने के लिए उत्तरदायी है।

चूंकि, निवेशकों में रोष था। अत: सदस्य-सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई ने दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के पत्र तथा तदन्तर दिनांक 20 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि उद्योग संबंधित निर्माण कार्यकलाप को निर्माण कार्य जिसका ईसी दिशानिर्देशों के तहत बिल्ट-अप कवर एरिया है, के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

तथापि, एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर अभी भी इस मामले पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप 15 परियोजनाओं को रोक दिया गया है जिनमें 16,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश है। परियोजना में आगे और विलंब से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के राजस्व सृजन पर प्रभाव पड़ेगा तथा रोजगार सृजन पर भी बुरा असर पड़ेगा तथा भारत की निवेशक-मैत्रीपूर्ण छवि को भी क्षति पहुंचेगी। मैं आशंकित हूं कि इस प्रकार के विलंब के परिणामस्वरूप 10,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की वापिसी अथवा विपथन होगा। इस मामले के महत्व के मद्देनजर मैं

सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से देखे तथा इसे उच्च वरीयता देते हुए तत्काल इस मामले को स्पष्ट करे।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री विशेषकर पुणे जिले में बैलगाड़ी दौड़ की परंपरा के बारे में जानते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हमारे यहां 300 वर्षों से ज्यादा समय से बैलगाड़ी शरयत (बैलगाड़ी दौड़) की परंपरा है। इस दौड़ का महाराष्ट्र राज्य में किसानों के जीवन में ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व है। दौड़ का दिन धार्मिक अवधि के दौरान आता है जब गांवों में देवताओं की पूजा की जाती है तथा उत्सवों के लिए जात्रा (मेला) का आयोजन किया जाता है। सभी जातियों तथा धर्मों के लोग इनमें भाग लेते हैं। इस प्रकार के मेले ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं तथा ये हमारी पहचान तथा परंपरा को वर्णित करते हैं।

तथापि, भारत सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति इसमें विनिर्दिष्ट भालू, बंदर, बाघ, पैंथर्स, शेर तथा सांड नामक किसी भी पशु को प्रशिक्षित अथवा प्रदर्शित नहीं करेगा। इस अधिनियम में स्पष्टत: यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बैलगाड़ी की दौड़ कराने की अनुमति नहीं है। तथापि, उलझाव दिनांक 11.07.2011 की केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना की सही ढंग से समझ न होने के कारण हुआ। इसमें प्रदर्शनी के लिए उपयोग किये गये पशुओं पर रोक है। अधिसूचना केवल प्रदर्शनी के लिए उपयोग किये गये गैर-बधिया (सांड) पर लागू होती है। यह बधिया बैलों पर लागू नहीं होती है। महाराष्ट्र राज्य ने गलती से बधिया सांडों पर रोक लगा दी। इसके अतिरिक्त सांडों का प्रदर्शनी तथा मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है। ये जरूर ही पालतू पशु है। ये अधिसूचना के दायरे के तहत नहीं आते हैं।

मेरे प्रयासों से राज्य सरकार ने इस गलती को माना है तथा एक शुद्धि-पत्र जारी किया है। यह बताते हुए कि बधिया बैलों का अधिसूचना के तहत कवर नहीं किया गया है तथा ये सभी मुद्दे विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं।

तत्पश्चात्, मुंबई उच्च-न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा उच्च-न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में भी बैलगाड़ी दौड़ों को आयोजित करने संबंधी मुख्य मुद्दे के बारे में आग्रह किया गया था। संपूर्ण मुद्दा वर्ष 1960 के उपर्युक्त अधिनियम में अंतनिर्हित आशय से संबंधित कानूनी तकनीकों में फंस गया है।

पूरे महाराष्ट्र राज्य में किसान यह जानकर अत्यधिक दुखी है कि इस मामले ने यह कैसा मोड़ ले लिया है। लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें उनके त्योहारों तथा सांस्कृतिक विरासत के उत्सवों से वंचित किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से यह अपील करता हूं कि वह वर्ष 1960 के अधिनियम के उपबंधों तथा अपने सांस्कृतिक तथा धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए लोगों की वास्तविक इच्छाओं के बीच एक समान संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को देखें। यह अधिनियम अथवा विधान हेतु संशोधन, शुद्धि-पत्र तथा अन्य उपयुक्त आदेशों के माध्यम से संभव है। इससे पशुओं तथा दशकों पुरानी परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

मैं पुन: माननीय सभापति महोदय का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु अनुमति देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 3.04 बजे

(डा. रत्ना दे (नाग) *पीठासीन हुई)*

***श्री राहुल शेवाले** (मुंबई दक्षिण मध्य) : 131 वर्ष पुराना गैर-सरकारी संगठन, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) प्रकृति के संरक्षण में कार्यरत है। अनेक वर्षों से हम देश के गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। दो दशक पहले तक हमारे देश में गिद्ध पाये जाते थे और 1980 के दौरान उनकी अनुमानित संख्या 40 मिलियन (4 करोड़) के लगभग थी। नब्बे के दशक के मध्य और वर्ष 2000 तक उनकी आबादी घटने लगी। देश में गिद्धों की लगभग 95 प्रतिशत आबादी समाप्त हो गई। इनकी मुख्य प्रजाति वर्ष 2007 तक 99.9 प्रतिशत विलुप्त हो गई। भारत और पाकिस्तान में किये गये अध्ययन से यह पता चला कि अधिकांश गिद्धों की मौत किडनी के काम न करने के कारण आंतड़ियों में सूजन और पीड़ा से हुई। नॉन-स्टिरायाडेल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा (एनएसएआईडी) डाइक्लोफेनेक जो कि जलन/सूजन के लिए पशुओं को दी जाती है, के प्रयोग के कारण गिद्धों की आंतड़ियों में सूजन और पीड़ा हुई। डाक्लोफेनेक दवा दिये जाने के पश्चात् 72 घंटे की अवधि के भीतर मर जाने वाले पशु के शव को खाने से गिद्धों पर डाइक्लोफेनेक के प्रभाव का पता चला। हमने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र (वीसीबीसी), पिंजौर, हरियाणा में मेलाक्सिन दवा जो कि पेटेंट रहित, नान स्टिरायोडल एंटी इंफ्लेमेटरि दवा है, की सुरक्षा जांच की और यह पाया कि यह दवा गिद्धों के लिए सुरक्षित और एक व्यवहार्य विकल्प है।

हमने इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन लिया और अगस्त, 2006 में पशु औषधि के रूप में डाइक्लोफेनेक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवाने

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में सफल रहे। अंतिम राजपत्र अधिसूचना अगस्त, 2008 में जारी की गई थी। हम पशुचिकित्सा क्षेत्र में मेलाक्सिन को नॉन स्टिरायोडल एंटी इंफ्लेमेटरि के रूप में बेहतर मुख्य दवा के रूप में प्रयोग करने को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि यह एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि यह गिद्धों के लिए सुरक्षित है। परंतु देश मे मानव के उपचार के लिए उपयोग मे लाई जाने वाली डाइक्लोफेनेक का पशु के उपचार में नाजायज इस्तेमाल किया जाता है और पशु-चिकित्सकों, पैरा वेटरिनेरियंस, किसानों, स्थानीय समुदायों के बीच हमारे समर्थन और जागरूकता कार्य के माध्यम से हम इसके नाजायज इस्तेमाल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

पिंजौर, हरियाणा, राजभट्टखावा, पश्चिम बंगाल, रानी फोरेस्ट, असम और भोपाल, मध्य प्रदेश में चार गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के लिए हमारा वार्षिक बजट लगभग 5 करोड़ रुपये है। इन केंद्रों पर हम गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजातियों अर्थात् व्हाइट बैक्ड गिद्धों, लांग बिल्ड गिद्धों तथा सलेंडर-बिल्ड गिद्धों के लिए प्रजनन कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत में प्रजनन कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष चूजों की संख्या बढ़ रही है परंतु उनके भोजन पर आने वाली लागत भी बढ़ रही है। रखरखाव, बिजली और पानी की लागत तथा कर्मचारियों को किए जाने वाले वेतन भुगतान में वृद्धि होने के कारण इन केंद्रों की प्रचालन लागत में भी वार्षिक वृद्धि हो रही है। हमें ऐसी प्रयोगशालाओं की जरूरत है जो कि गिद्धों की स्वास्थ्य संबंधी जांच करने तथा उन पर अनुसंधान करने के लिए पूर्णरूपेण सज्जित हो।

हमारी आवश्यकताओं को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

	खर्च किया गया धन (वर्ष 2013-14 का कुल वार्षिक खर्च - केवल प्रचालन खर्च जिसमें तत्काल जरूरत की राशि शामिल नहीं है)	अपेक्षित धनराशि (आगामी 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल वार्षिक खर्च)
प्रजनन केंद्र (4)	3 करोड़ रु.	5 करोड़ रु.
समर्थन, जागरूकता और 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र'	2 करोड़ रु.	4 करोड़ रु.
नुकसान पहुंचाने वाली दवाईयों की सुरक्षा जांच और दवा प्रयोग की निगरानी (आंशिक रूप से आईवीआरआई के रूप में की जाने वाला)	शून्य	3 करोड़ रु.
कुल धनराशि	करोड़ रु.	12 करोड़ रु.

पशुओं की दवा डाइक्लोफेनेक पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद बीएचएसएस, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों सहित 'सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्राम एक्सटिंक्शन'

www.save-vultures.org के अनेक भागीदारों ने यह सहमति व्यक्त की है कि अच्छे वैज्ञानिक आधार वाले निम्नलिखित गंभीर सरोकार हैं:

- भारत में वर्तमान गिद्ध संरक्षण - प्रजनन कार्यक्रम को जारी रखना और सहायता देना।
- भारत में गिद्ध संरक्षण हेतु वित्तपोषण में बढ़ते अंतर को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण यह कार्यक्रम खतरे में है।
- पूरे दक्षिण एशिया में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र संबंधी नेटवर्क और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- गिद्धों पर किए गए सुरक्षित परीक्षण के आधार पर ऐसी पशु औषधियां और दर्द निवारक औषधियां जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है या जिनका प्रयोग आरंभ किया जा रहा है, वे विनियमन हेतु प्रभावशाली तंत्र विकसित किया जाना।
- 3 एमएल से बड़े वायल्स अथवा एम्प्यूलस के रूप में मानव औषधि हेतु डाइक्लोफेनेक के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- इस साक्ष्य के आधार पर कि ये औषधियां गिद्धों के लिए

असुरक्षित हैं, इसलिए कीटोप्रोफेन और एसीक्लोफेन नामक दो औषधियों के संबंध में पशुचिकित्सा लाइसेंस न दिया जाना।

- वर्ष 2016 तक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों में प्रजनित गिद्धों को पहली बार छोड़ने के लिए तैयारी करना।

भारत में गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बीएनएचएस द्वारा केंद्रों में पहले से ही चलाये जा रहे सुदृढ़ और सफल प्रजनन कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर समर्थन तथा जागरूकता कार्य के साथ पक्षियों को जंगल में छोड़ा जाए। अनुसंधान हेतु बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ हमें इन प्रजनन केन्द्रों में कार्य के लिए और अधिक लोगों को लगाकर क्षमता सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रजनन कार्यक्रम के साथ-साथ हमें देशभर में 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' का नेटवर्क विकसित करने सहित और अधिक सुदृढ़ तथा अधिक प्रभावी समर्थनकारी तथा जगरूकता कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में गिद्धों की ऐसी जंगली प्रजातियां शेष हैं जिन पर मानव डिक्लोफेनेक के दुरुपयोग तथा अन्य हानिकारक औषधियों का अब भी प्रभाव पड़ता है। किसानों और पशु चिकित्सकों अर्ध पशु चिकित्सकों जैसे समुदाय स्तर तक पहुंचने के लिए हमें उनके साथ जुड़ने हेतु संसाधन सामग्री की जरूरत है। पशुधन उपचार हेतु हानिकारक एनएसएडीआईएस का उपयोग समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने हेतु लोगों में दल को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जैसे जीव विज्ञानी जो वन विभाग के साथ वन्य पक्षियों की निगरानी करें तथा स्वयंसेवियों का ऐसा नेटवर्क जो गिद्ध संरक्षण संबंधी परियोजनाओं की सातत्य सुनिश्चित कर सके।

हमने देशभर में अपने कार्य की नवीनतम रिपोर्टें इकट्ठी की हैं और हमें आशा है कि सरकार गिद्ध संरक्षण के लिए कुछ वित्तपोषण की व्यवस्था करेगी क्योंकि वर्तमान में संसाधनों के अभाव के कारण अब तक किए गए प्रयास विफल हो सकते हैं। अभी ये प्रयास स्वतंत्र बाह्य अनुदानों तथा सहायता पर निर्भर हैं।

हमें प्रजनन कार्यक्रमों हेतु समर्थन तथा जागरूकता कार्य में वृद्धि करने हेतु कुल 12 करोड़ रु. की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में पक्षियों को वन में छोड़ा जा सके तथा जंगलों में इनका संरक्षण किया जा सके और संरक्षा जांच परियोजना भी चलाई जा सके।

***एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर** (दक्षिण गोवा) : निसंदेह मानवता में विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है और पर्यावरण के विकास में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों पर उठाए गए प्रदूषण जैसे मुद्दों को देखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तथापि, मैं सरकार तथा विशेषकर पर्यावरण और वन मंत्रालय का ध्यान गोवा जैसे छोटे परन्तु महत्वपूर्ण राज्य से जुड़े मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। 3702 वर्ग किलोमीटर के कुल भू-भाग के साथ तटवर्ती राज्य गोवा के पास उसके विकास के लिए मुश्किल से 362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बचा है, जिसमें से 40% कृषि भूमि है, 38% वन हैं, 6% सी आर क्षेत्र के अंतर्गत है तथा लगभग 2% सड़कों तथा अवसंरचना के लिए है।

इस परिदृश्य में, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के बड़े भाग की पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचान की गयी है जिससे कि वाणिज्यिक तथा खनन संबंधी क्रियाकलापों पर रोक लग जायेगी।

पश्चिमी घाटों के संरक्षण के बारे में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर आधारित इस अधिसूचना को यदि लागू किया गया तो यह अर्थव्यवस्था और राज्य में लोगों की आजीविका के लिए घातक सिद्ध होगी। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वे उक्त अधिसूचना पर पुनर्विचार करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय से भेंट कर उक्त अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

पर्यावरण और विकास को एक साथ चलना होगा। एक को दूसरे की कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

पिछले दो वर्षों में गोवा की अर्थव्यवस्था पर खनन क्रियाकलापों पर लगे प्रतिबंध का असर पड़ा है, राज्य की लगभग 17% आय खनन उद्योग से है। पिछले 7 से 8 वर्षों में केन्द्र सरकार को गोवा राज्य से आय कर तथा अयस्क के निर्यात शुल्क के माध्यम से 30,000 रु. से 40,000 करोड़ रु. की आय हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर आधारित अधिसूचना से क्षेत्र में न केवल खनन क्रियाकलाप बंद होंगे बल्कि विकास संबंधी अन्य क्रियाकलाप भी बंद हो जाएंगे। पर राज्य के हित में होगा कि 1 किलोमीटर पर बफर जोन रखे जाएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। मेरे राज्य में धनबाडोरा, होनगुएम तालुका आदि जैसे क्षेत्र हैं, जहां पंचायत निकाय भी वन्य जीव अधिनियम के उपबंधों के मद्देनजर अपने कार्यालय का निर्माण अथवा मरम्मत भी नहीं करा पाते। अतः पर्यावरण मंत्री गोवा राज्य के कुछ भागों में इन उपबंधों की उपयुक्तता पर पुनः विचार करें तथा सीमाओं को पुनः परिभाषित करें।

गोवा के परंपरागत बढ़ईयों को समस्या हो रही है क्योंकि, वन विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देकर व्यापार लाइसेंस जारी नहीं करता। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि परंपरागत बढ़ई अपनी आजीविका अर्जित करने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के लिए अपना व्यवसाय चला सकें तथा बढईगिरी की उनती सदियों पुरानी परंपरा की रक्षा हो सके। मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि वह इस मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए उचित कदम उठाए।

परंपरागत मछुआरे समुद्रतट अथवा नदी किनारे रहते हैं। कोंकण तालुका में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वास्को से टालटोना तटवर्ती क्षेत्र हैं। बहुत से स्थानों पर मछुआरा समुदाय पीढ़ियों से तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहा है। तथापि कई बार सी आर जेड़ विनियमों के कारण मकानों के निर्माण तथा मरम्मत में बाधा आती है जिसके कारण उनके लिए शांतिपूर्वक जीना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों के कारण विकास संबंधी क्रियाकलाप भी प्रभावित होते हैं। इसके मद्देनजर मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि सी आर जेड विनियमों में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री थांगसो बाइते** (बाह्य मणिपुर) : मैं मणिपुर राज्य के बाह्य मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कि मणिपुर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 90 प्रतिशत है तथा जिसमें राज्य की 90 प्रतिशत जनजातीय आबादी तथा 20 प्रतिशत सामान्य आबादी के साथ सभी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं।

पर्यावरण एवं वन नामक विषय को आबंटित धनराशि के अपर्याप्त होने के कारण मेरी आपत्ति यह है कि प्रारंभ की जा सकने वाली नवीन परियोजनाओं तथा योजनाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पर्यावरण में सुधार मूलत: प्राकृतिक वनस्पति तथा पशुजगत के मध्य उचित संतुलन पर टिका हुआ है। पर्यावरण तथा वनों के संवर्धन हेतु वनीकरण एवं संरक्षण/सुरक्षा अनिवार्य तत्व हैं। इस संबंध में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बजटीय आबंटनों का अधिकांश भाग मुख्यत: प्रशिक्षण, अनुसंधान, संस्थानिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। वन प्रबंधन को प्रबल बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है अर्थात् वर्तमान में विद्यमान जंगलों, नदियों, झीलों तथा वन्य जीवन इत्यादि के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वन रक्षकों की भर्ती, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की खरीद तथा वन कल्याण योजनाओं हेतु पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति की, यथा राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्रों और वन्य जीवों के लिए वार्डनों तथा देखभाल करने वालों की नियुक्ति, इत्यादि की उपलब्धता के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य मणिपुर में, अगर समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो सभी मूल्यवान पादपों तथा वन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा है।

यहां यह भी बता दिया जाए कि वर्तमान बजट पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों, जिनकी आजीविका का 80 प्रतिशत भाग झूम खेती पर निर्भर है, के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि के बदले में कोई अन्य श्रेष्ठ विकल्प सुझाने के मामले में योजना निर्माण को लेकर शांत है। झूम कृषि पद्धति पहाड़ी क्षेत्रों, जहां जनजातीय लोग मूलत: निवास करते हैं, में पर्यावरण के मार्ग में मौजूद बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा है तथा इससे भी अधिक, इन क्षेत्रों में 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी घरेलू ईंधन के तौर पर लकड़ी का प्रयोग करती है, जो कि वन संरक्षण एवं वनीकरण के मार्ग में एक अन्य बड़ी समस्या है। इस संबंध में कोई भी प्रभावी उपाय, यथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता (एल पी जी) तथा बायोगैस प्लांटों के निर्माण इत्यादि नहीं किये गये हैं। उपरोक्त उपाय सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होंगे, इस बात का भी इस बजट में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

हालांकि, यह कहा जा सकता है कि वन एवं पर्यावरण विषय हेतु प्रस्तुत तथा आबंटित वर्तमान बजट के तहत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन) के लिए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की योजना के तहत 373.19 करोड़ रुपए दिये गये हैं। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के लिए 135.55 करोड़ रुपए प्रदान किये गये हैं, जो कि योजना के तहत एक नवीन उन्नत योजना है, जिसका मुख्य लक्ष्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनों एवं पर्यावरण का संवर्द्धन व संरक्षण करना है, जो कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के मामले में एक विशिष्ट तथा उचित पहल की जा सकती है।

संक्षेप में, विध्वंसक भूमण्डलीय तापन तथा जलवायु परिवर्तन तथा इसके कारणों हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं, भूमण्डलीय कार्बन उत्सर्जन तथा निर्वनीकरण की दरों में बढ़ोत्तरी। एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर भारत को जनसंख्या के आकार, भूमि औद्योगिक स्थिति इत्यादि के मामले में उचित योजनाएं बनाने की जरूरत है, ताकि भारत एवं विश्व जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से सुरक्षित रह सकें। इन सब बातों के बावजूद इस बजट में उचित वित्तीय आबंटन नहीं किये गये हैं। अत: माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस मामले को पुन: देखा जाए।

***श्री वी. एलुमलाई** (अरानी) : मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्नाद्रमुक की नेता सुश्री जयललिता (अम्मा) का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 16वीं लोक सभा के प्रथम बजट सत्र में पर्यावरण मंत्रालय के अनुदान हेतु मांगों संबंधी इस चर्चा में भाग लेने का मौका प्रदान किया है। मैं मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अरानी के लोगों का भी इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर में विचार-विमर्श हेतु हमारी पार्टी की नेता तथा हमारी पार्टी की क्षमताओं में अपना विश्वास जताया है।

मंत्रालय का विज़न "विकास एवं प्रगति संबंधी देश की आकांक्षाओं के अनुरूप माध्यमों के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों हेतु पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना" है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ध्येय "पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा संरक्षण एवं विकास संबंधी गतिविधियों के मध्य संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरणीय एवं वानिकी कार्यक्रमों की योजना निर्माण, समन्वयन एवं क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना" है।

किसी भी देश की उत्तरजीविता तथा उत्तम दशा एक सतत्, संवहनीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रक्रिया की जरूरतों और आकांक्षाओं को भविष्य की पीढ़ियों के हितों से समझौता किये बिना पूरा कर सके।

वर्तमान समय में पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसके प्रमाण हैं बढ़ती हुई आबादी, वनस्पति आवरण में कमी, तात्कालिक वातावरण तथा जैवविविधता तथा खाद्य श्रृंखलाओं में घातक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि तथा पर्यावरण दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या एवं जीवन रक्षा प्रणालियों के द्वारा सामना किये जा रहे खतरों में बढ़ोत्तरी।

पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि और इनके मध्य विद्यमान अंतर्सम्बन्ध शामिल है, जिसमें जल, वायु, भूमि, मानव जाति, अन्य जीव जन्तु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति आते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषक का अर्थ है कि ऐसी खास मात्रा में किसी ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ का संकेंद्रण, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो।

पर्यावरण संरक्षण सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट तथा तीव्र औद्योगिकरण के कारण हमारे स्थलीय तथा जलीय जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के समक्ष, अत्यंत गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जीवन रक्षक प्रणालियों, जैसे कि भूमि, जल, वनों तथा जैवविविधता का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने हेतु अत्यावश्यक है।

पर्यावरणीय सुरक्षा में मानव गतिविधियों की संपूर्ण पारिस्थितिकीय छाप आती है तथा इसमें वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि, दलदलों का संरक्षण, भूजल का संरक्षण, जिसमें नदियां और अन्य जल स्रोत भी शामिल है, तटीय क्षेत्रों व नाजुक पारिस्थिकी तंत्रों की सुरक्षा, मृदा एवं अन्य प्राकृतिक संरचनाओं की मानवीय गतिविधियों से सुरक्षा, पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करते हुए ठोस अपशिष्ट का प्रभावी पुनर्चक्रण और वातावरणीय प्रदूषण में कमी लाना इत्यादि तत्व भी शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं वातावरण में कार्बन डाईआक्साइड गैस की मात्रा में बढ़ोत्तरी। हर कोई यह बात जानता है कि जीवाश्म ईंधन के जलाने, औद्योगीकरण तथा खेत जुताई जैसी कृषि पद्धतियों, निर्वनीकरण के कारण कार्बन डाई ऑक्साईड की सांद्रता में तिगुनी बढ़ोत्तरी हुई है।

गर्म होते महासागर बढ़ेंगे, जिसके चलते विश्व भर में समुद्री जल के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। 50 लाख लोगों को अभी भी वार्षिक रूप से समुद्री तूफानों द्वारा लाई गई बाढ़ों से जूझना पड़ता है। हमने पिछले हिम युग के बाद अस्तित्व में आए आधे से ज्यादा जंगलों को पहले ही काट दिया है।

यदि मौजूदा दर से कारों की तादाद में बढ़ोत्तरी होती रही, तो वर्ष 2025 तक सड़कों पर एक अरब से ज्यादा कारें दौड़ेंगी। आज, मोटर वाहनों के द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 900 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साईड का उत्सर्जन किया जाता है। मोटर वाहनों की तादाद में बढ़ोत्तरी का मतलब होगा भू-मण्डलीय ताप में बढ़ोत्तरी। लेकिन आधुनिक युग में वाहनों की संख्या में वृद्धि को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हम प्रदूषण मुक्त वाहनों, जैसे कि विद्युत चालित तथा सौर ऊर्जा चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

पर्यावरणीय प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम अधिक ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है और हम हर क्षण इसके बारे में बातें करते हैं। वास्तव में, हम उस मेंढ़क की भांति बर्ताव कर रहे हैं, जिसे इस बात का भान ही नहीं है कि जिस बर्तन में वह बैठा हुआ है, उस बर्तन में भरा हुआ पानी धीरे-धीरे गर्म हो रहा है। और जब तक उस मेंढ़क को इस सच का पता चलता है कि बर्तन अत्यधिक गर्म हो गया है और उसमें बैठा नहीं जा सकता, तो तब तक उबलते पानी की चपेट में आकर मेंढ़क मारा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को 100 से अधिक रोग लग जाते हैं तथा उनको एलर्जी हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हर सेकेंड हमारे शरीर के प्रत्येक भाग पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके बावजूद हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने तथा छात्रों को पर्यावरण संबंधी बातें बताने के लिए नेशनल ग्रीन स्टेट, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ एक कार्यक्रम का अनुसमर्थन कर रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण, जागरूकता रैलियों, वर्मी कम्पोस्टिंग, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरण प्रतिस्पधनियों, प्लास्टिक रोधी अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रकृति शिविरों जैसे पर्यावरण संबंधी कार्रवाई आधारित कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करना तथा अपने आस-पास कम से कम छह हरित दिवस मनाना है। यह प्रक्रिया सतत होनी चाहिए और इस योजना हेतु और अधिक राशि आबंटित की जानी चाहिए।

टायर, प्लास्टिक तथा अन्य विषैली सामग्री जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं। देश के कोने-कोने में पॉलीथीन से बने कैरी बैग्स का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि उन्हें

इस्तेमाल करना और फेंकना आसान है। इनका निपटान तीन तरीकों से किया जाता है। पहला है इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंकना, यहां पशु इन्हें खा जाते हैं। दूसरा है, इन्हें जला देना। तीसरा तरीका है रसोई में घर के उपयोग के बर्तन बनाने के लिए इनका पुन: प्रयोग करना।

आजकल यह बहुत ही आम बात है कि बहुत से अस्पताल (बड़े अथवा छोटे), चिकित्सा क्लीनिक, कई टन जैव चिकित्सा कचरा पैदा करते हैं। इस कचरे का संग्रहण, प्राप्त करना, भंडारण, परिवहन, परिशोधन, निपटान तथा/अथवा इसकी संभलाई का कोई भी अन्य तरीका एक बड़ी समस्या है। यह दायित्व जैव चिकित्सा कचरा उत्पन्न करने वाली संस्था के अधिकारी का है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए कि कचरे का निपटान सही तरीके से हो, जिससे मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। परन्तु क्या ऐसा हो रहा है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। यद्यपि जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण तथा इसे कम करने के लिए कई कार्यक्रम हैं, परन्तु शब्दश: उनका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई करने के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मानाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने लगभग 10 वर्ष पहले भारत में पहली बार तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन कार्यान्वित किया था और यह कार्यक्रम आज भी, जब कम वर्षा हो रही होती है, तो अच्छे परिणाम देता है।

केन्द्र को देश के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं के अध्ययन हेतु अधिक समय, ऊर्जा और समय देना चाहिए। इसके लिए इस मंत्रालय हेतु और अधिक राशि के आबंटन की आवश्यकता है। इस मंत्रालय में लंबित फाइलों को निपटाने हेतु विशेष प्रयास कर केन्द्र सरकार द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र अरानी में काफी कुछ किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि नई सरकार मेरे सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी।

मैं विश्व पर्यावरण दिवस गान का संदर्भ देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

अर्थ एन्थम

अबर कॉस्मिक ओएसिस, कॉस्मिक ब्ल्यू पर्ल

दा मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट इन दा यूनिवर्स,

ऑल दा कांटीनेन्ट्स एण्ड ओशन्स ऑफ द वर्ल्ड

यूनाइटिड ली स्टैण्ड एज़ फ्लोरा एण्ड फोना

यूनाइटिड वी स्टैण्ड एज़ स्पीसिज़ ऑफ वन अर्थ

ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट डिफरेंट कलर्स,

वी आर ह्यूमन्स, दा अर्थ इज़ अवर होम।

भारत में वर्ष 2015 हेतु विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है – "एक विश्व एक पर्यावरण दिवस।" आइए इस परिकल्पना को पूरा करने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

***श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल** (दमन और दीव) : आज का ये जो विषय है उस पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान मेरे संघ शासित प्रदेश पर पड़ने वाले पर्यावरण की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा संघ शासित प्रदेश जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं। मत्स्य उद्योग और पर्यटन पर निर्भर है। मैंने अपने पूर्व काल में सांसद के दौरान वन और पर्यावरण मंत्रालय के दो पूर्व मंत्रियों से निवेदन किया था कि मेरे प्रदेश में बहती हुई दमनगंगा नदी जिसमें प्रदेश के निकट बसे वापी शहर, जो गुजरात में है, से औद्योगिक (ज्यादातर) केमिकल दूषित पानी का इस नदी में निकास होता है, दूषित हो रही है। मंत्रालय को मैंने यह भी बताया कि गुजरात प्रदूषण इन्डस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन का ट्रीटमेंट प्लांट भी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसका सीधा असर नदी के मत्स्य पर पड़ रहा है। नदी में मत्स्य खत्म हो रहे हैं। क्योंकि दमन नदी इसी शहर और अरब सागर के संगम पर बसा है, इसलिए दरियाई मछली पर इसका असर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि मत्स्य उद्योग पर इस प्रदूषण का असर पड़ रहा है।

इस प्रदूषित पानी के काला होने के कारण दरिया का पानी भी काले रंग का हो गया है। इसके कारण पर्यटन पर गंभीर असर पड़ रहा है। मैं एक और बात से अवगत कराना चाहता हूं। दमन में पीने का पानी पहले के दौर में भूमिगत था। लेकिन कुछ अरसे से हमें पानी दमनगंगा नदी पर बने बांध से मिल रहा है जो पर्याप्त नहीं है। इसके चलते हमें अभी भी बोरवेल के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पिछले काफी समय से यहां भी पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दमनगंगा में बहते प्रदूषित पानी का जमीन में सीपेज हो रहा है।

पूर्व दोनों मंत्रियों को मैंने इन सब से अवगत कराया था, लेकिन पिछले पांच वर्षों से मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण से कोई काम नहीं हुआ है। मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि अगर मेरे संघ शासित प्रदेश (जो महान भारत का दूसरा सबसे छोटा प्रदेश है) में इतनी पर्यावरण समस्या हो सकती है तो पूरे भारत में कितनी बड़ी समस्या होगी, इसलिए इसके बारे में गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए तथा जल्द से जल्द पर्यावरण पर नियंत्रण होना चाहिए।

***श्री गौरव गोगोई** (कलियाबोर): दिनांक 9 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत में वर्तमान भाजपा सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था। देशभर के करोड़ों लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को 100

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्मार्ट शहर बनाने, गंगा नदी साफ करने और प्रत्येक राज्य में एक आई आई टी तथा, एक आई आई एम खोलने की बात करते सुना। इस अभिभाषण में हमारे देश की महत्वपूर्ण आबादी - हमारे वन्यजीवन की अनदेखी की गई है। परंपरागत रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय हमारे वन्यजीवन और वनों का संरक्षक रहा है। इसका अधिदेश हमारे वन्यजीवन की रक्षा करना तथा उन औद्योगिक परियोजनाओं पर नज़र रखना है जो अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को भूल चुकी हैं। पूर्व में, हमने अक्सर देखा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से बातचीत करते समय पर्यावरण मंत्रालय पारिस्थितिकी संबंधी अपने उद्देश्यों पर काम कर रहा है। आज नई भाजपा सरकार के अधीन लगता है दोनों मंत्रालय एक ही सुर में बोल रहे हैं। नया रूप दिए गए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहले ही दिन घोषणा की थी कि उसका मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होगा कि औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाई जाए तथा कंपनियों को बिना किसी विलंब के पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाए। मंत्री महोदय के विजन में हमारी राष्ट्रीय धरोहर - कॉर्बेट के शानदार बाघ, गिर के सुंदर शेर अथवा कांज़ीरंगा के रॉयल गैंडे की अनदेखी की गई है। इसके कारण हमारे वन्यजीव असंरक्षित हो गए हैं तथा इससे पशु उत्पादों का अवैध व्यापार फलने-फूलने वाला घरेलू उद्योग बन जायेगा।

असम में एक सींग वाला गैंडा वहां के समाज तथा भारत दोनों के लिए गौरव की बात है। हर वर्ष लाखों लोग कांज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और स्थानीय युवाओं को आजीविका मिलती है। बहुत ही निकट से गैंडे को देखना, बहुत विशेष है। ऐसा लगता है कि आप डायनासोर के समय में वापस चले गए हों। इस दृश्य से आपकी सांसें थम जाती हैं और लाखों तस्वीरें भी इन क्षणों के एहसास को बयां नहीं कर सकतीं। असम में, एक समय ऐसा था जब अत्यधिक शिकार के कारण गैंडे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। वर्ष 1970 के दशक में भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 100 से कम थी, परन्तु संरक्षणवादियों ने इनकी संख्या को वर्तमान स्तर पर लाने के कड़ी मेहनत की है। वर्ष 2013 की गणना के अनुसार इनकी संख्या 2544 है।

परन्तु वन्य जीवों के अवैध उत्पादों में संलिप्त वैश्विक व्यापारियों की बुरी नजर एक बार फिर गैंडे के सींग पर पड़ गई है। वर्ष 2008 से 120 से अधिक गैंडे शिकारियों की नई पीढ़ी के शिकार बने हैं। ये शिकारी सिंगल 303 बोर राइफल की बजाए ए.के.47 मशीन गन का उपयोग करने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और विएतनाम जैसे देशों में गैंडे के सींग की कीमत में तेजी आने के कारण इस अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है। विएतनाम में गैंडे के सींग का एक ग्राम पाऊडर 6560 रु. से 16,500 रु. के बीच बिक रहा है। विएतनाम में गैंडे के सींग का पाऊडर परंपरागत औषधि, पार्टी ड्रग्स, स्थानीय कामोत्तेजक दवा अथवा लक्जरी उपहार हेतु प्रमुख घटक हैं। गैंडे का सींग विश्व में एक लुभावनी वस्तु बन चुका है और कुछ लोग इसे कोकीन जैसा ही लुभावना मानते हैं।

काज़ीरंगा के आस-पास रहने वाले स्थानीय युवा कमरतोड़ गरीबी और बेरोजगारी के कारण न चाहते हुए भी इस व्यापार का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें गैंडे को तुरन्त माने के लिए अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि 15 मिनट के भीतर आरी से गैंडे का सींग काटना है और स्थानीय वनरक्षक के आने से पहले भाग आना है। बिचौलियों और तस्करों को बेचे जाने के बाद सींग असम से नागालैंड होते हुए म्यांमार पहुंचते हैं और फिर वहां से इन्हें विएतनाम पहुंचाया जाता है।

यद्यपि राज्य सरकार ने अपने वन रक्षकों को आदेश दिया है कि शिकारियों को देखते ही गोली मार दी जाए और शिकारियों को आजीवन कारावास देने के लिए 1972 के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया गया है, स्थानीय लोगों की बेरोजगारी का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

यह एक वैज्ञानिक समस्या है। कांज़ीरंगा में गैंड़ों की जो स्थिति है, वही स्थिति नेपाल और दक्षिण अफ्रीका में भी है। दक्षिण अफ्रीका में, 2012 में 600 से अधिक गैंडे मारे गए हैं। हाल ही में गैंडो को मारे जाने की घटनाओं में आई तेजी के कारण केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को गैंडों की रक्षा के लिए कड़े उपाय करने पड़े। 1970 के दशक में इनकी संख्या 65000 थी, जो अब घटकर लगभग 5000 रह गई है।

इसी प्रकार, पिछले दो वर्षों में असम राज्य में गैंडे के सींगों की तस्करी काफी ज्यादा बढ़ी है। ऐसी आशंका है कि यह आने वाले खतरों की एक झलक मात्र है तथा इस बात की प्रबल आशंका है कि कहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपना यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा न खो दे और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा वन्यजीव प्रेमियों के मध्य अपनी लोकप्रियता न गंवा दे। इससे पर्यटन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा स्थानीय युवाओं हेतु रोजगार का मुख्य साधन है।

कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि अवैध शिकार के मामलों में बढ़ोत्तरी के चलते नृजातीय हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि गैंडे के सींगों का व्यापार स्थानीय नृजातीय समूहों हेतु कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। एके-47 बंदूको का प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि गैंडों को मारने वाले आधुनिक शिकारी अब गुपचुप तरीके से अवैध शिकार नहीं करते, अपितु संभावित सशस्त्र हमलावार हो सकते हैं। गैंडे के सींगों के व्यापार में शामिल तस्कर उत्तर पूर्वी भारत में पाई जानेवाली जानवरों की अन्य प्रजातियों, यथा बाघ, हूलॉक गिब्बन, सांभर

हिरण तथा हिमालयीन स्लॉथ बीयर के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

मेरे विचार में इस संबंध से निपटने के लिए हमें खुफिया जानकारी, अभियोजन तथा सामुदायिक निगरानी जो तीन प्रमुख दृष्टिकोण अपनाने पड़ेंगे केन्द्र सरकार को दिल्ली तथा गुवाहाटी में गैंडा संरक्षण संबंधी खुफिया सूचना इकाई की स्थापना करनी चाहिए। खुफिया सूचना इकाई की भूमिका उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस, वन तथा स्थानीय प्रशासन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना होगी। खुफिया सूचना अधिकारियों को गैंडे के अवैध शिकार संबंधी सभी अपराधों का पता लगाना चाहिए तथा नियमित अपराधियों से जुड़े आंकड़े तैयार करने चाहिए। इस सूचना से लैस खुफिया सूचना इकाई को तस्करी के इस मकड़जाल में संलिप्त प्रमुख तस्करों का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। खुफिया सूचना इकाई की सहायता वन्य जीव सरकारी वकीलों के एक दल द्वारा की जाए, जो कि इन मामलों से निपटा के संबंध में खास तौर पर प्रशिक्षित हों तथा जिन्हें हिरासत में लिये गये सभी अवैध शिकारियों एवं तस्करों को दंडित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो।

शिकारियों की छान-बीन में काजीरंगा उद्यान के आस पास रहने वाले स्थानीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अक्सर ये ग्रामीण अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण शिकारियों को संचारतंत्रीय संबंधी सहायता मुहैया करवाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल करके काम करे तथा इसे क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त व रोजगार सृजन पर केंद्रित परियोजनाएं शुरू करें। ऐसी परियोजनाएं सालाना तौर पर आने वाली बाढ़ों से निपटने, अथवा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की कमी को दूर करने की समस्या से निपटने पर केन्द्रित हो सकती हैं, जिन के पारिणामस्वरूप किसी युवा व्यक्ति को अवैध शिकारी का मार्ग अपनाना पड़ता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में 50 पर्यटक सर्किटकों की स्थापना किये जाने की संकल्पना की गई है। यूनेस्को विश्व विरासत तथा विश्व के सर्वाधिक जैव-विविधता वाला स्थल होने के नाते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास अफ्रीका की विश्वप्रसिद्ध सफारियों के समकक्ष बनने की क्षमता है क्योंकि जुलाई में बजट-सत्र आने वाला है, अत: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास यह मौका होगा कि वह उद्योगों के प्रति गलत ढंग से तय की गई अपनी प्राथमिकताओं में सुधार करे तथा हमारे पर्यावरण एवं वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा दर्शाए। हमारे चार टांगों वाले सहचर वन्य जीवों की रक्षा हेतु एक निगरानीकर्ता का कार्य करना हमारे सांसदों पर निर्भर करता है।

***श्री राजीव सातव (हिंगोली):** पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग मानव जीवन की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। मानव के लालच की पूर्ति के लिए उनका दोहन कभी नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस संसार में हरेक जीव की आवश्यकता की पूर्ति लायक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हरेक लोभ-लालच की पूर्ति के लिए नहीं। हम प्रकृति के अपार भण्डारों का कुछ हिस्सा स्वप्रयोग हेतु ले सकते हैं। हालांकि, प्रकृति का अनावश्यक दोहन एक अपराध है।

पारंपरिक तौर पर, मनुष्य विशेषकर भारत में, पर्यावरण से भावनात्मक रूप से जुड़े तथा इस की पुष्टि भारतीय समाज की विविध परंपराओं तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की जा सकती है। यह ब्रह्मांड संतुलन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है; यह संतुलन का ही सिद्धांत है कि, जिसने दूधिया आकाश गंगा (गैलेक्सी) में सौर मण्डल को बनाए रखा है, तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में अरबों-खरबों सौर मण्डल मौजूद हो सकते हैं। संपूर्ण सौर मण्डल गुरूत्वाकर्षण बल के संतुलन पर निर्भर करता है तथा इसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर निर्भर करती है। पर्यावरणीय मुद्दे किसी क्षेत्र अथवा राष्ट्र विशेष तक सीमित नहीं रह सकते, अपितु यह एक वैश्विक मुद्दा है। यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो पर्यावरणीय सततत के वैश्विक तंत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसे अपनाया जाना चाहिए। "विकास" की कोई सीमा नहीं है, "सततता" हमें विकास की अपनी बेलगाम तथा अविवेकपूर्ण आकांक्षाओं तथा इच्छाओं को सीमित करने की सीख देती है। विकास तभी बेहतर होता है, जब वह पर्यावरणीय चिन्ताओं से जुड़ा हो और यदि उससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेम कम होता हो या उसकी देखरेख की अनदेखी होती हो, तो वह अभिशाप बन जाता है।

भारत में पर्यावरण संबंधी अनेक मुद्दे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रदूषण तथा प्राकृतिक वातावरण का संदूषण इत्यादि सभी भारत के लिए चुनौतियां हैं। विश्व बैंक विशेषज्ञों के पर्यावरण आंकलन संबंधी अध्ययनों तथा संग्रहित आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1995 से 2010 के बीच भारत ने अपने पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान और अपने पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने में विश्व में सर्वाधिक गति से प्रगति की है। भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नागरिकों द्वारा अनुभव की जा रही पर्यावरणीय गुणवत्ता के स्तर तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। प्रदूषण भारत के लिए अभी भी एक प्रमुख चुनौती तथा मौका बना हुआ है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दे, रोग, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे तथा आजीविका पर पड़ने वाले दीर्घावधिक प्रभाव प्रमुख कारकों में से एक हैं। प्रशासन तथा न्यायव्यवस्था पर आधारित प्रमुख ऐतिहासिक भारतीय ग्रंथ याज्ञवलक्य स्मृति 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया माना जाता है, में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया तथा ऐसे कृत्यों के लिए दण्डों का प्रावधान किया गया है। मौर्यकाल में लिखित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वन प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अशोक ने इससे भी आगे बढ़कर अपने स्तंभ लेखों में पर्यावरण तथा जैवविविधता की सुरक्षा एवं संवर्धन के बारे में अपने विचार रखे हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 1985 में, भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की। यह मंत्रालय भारत में पर्यावरण संबंधी विनियमन एवं उसका संरक्षण सुनिश्चित करने वाला केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है। आज के दौर में, यह मंत्रालय भावी पीढ़ियों की वैश्विक आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का काम कर रहा है।

मैं विकास एवं प्रगति का बहुत बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ, मैं अपने आपको तथा देश के विकास के नाम पर पर्यावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की उपेक्षा न करने की चेतावनी देता हूं।

भारत में, वायु प्रदूषण की दर विश्व में सबसे अधिक है, जिससे रहने के लिए विश्व में सर्वाधिक खतरनाक स्थान समरूप बन जाता है। हर वर्ष लगभग 2.2 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं।

सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि भारत में 75% घरों में लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है - जिसके परिणामस्वरूप हर साल लगभग पांच लाख लोग काल का ग्रास बनते हैं तथा अन्य लाखों लोग फेफड़ों के कैंसर, फेफड़ों के संक्रमण तथा सांस में रुकावट संबंधी गंभीर लाइलाज बीमारियों को झेलते हैं।

परिवहन प्रणाली वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। इसका मूल कारण पुराने पड़ चुके उन डीजल इंजनों का प्रयोग, जो कि आधुनिक इंजनों के मुकाबले औसतन 170 गुना अधिक गंधक (सल्फर) वायुमण्डल में छोड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत के कुछ बड़े शहरों में बच्चों में दमे की बीमारी की दर अब 50 प्रतिशत हो गई है तथा इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में 'एयरोसोल्स' का तेजी से बढ़ता प्रयोग असाधारण रूप से भारतीय जलवायु में परिवर्तन ला रहा है तथा साथ ही साथ शेष विश्व में भी इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। सीटीसी नामक तत्व ओजोन को कम करने वाले अत्यंत शक्तिशाली तत्व का अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर विलायक के रूप में प्रयोग किया गया है। वास्तव में अधिकांश अन्य देशों में इस पर प्रतिबंध है।

'नासा' सैटेलाइट से आंकड़ों के नये विश्लेषण के अनुसार विद्युत संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड जो स्वास्थ्य तथा जलवायु प्रभाव दोनों के लिए वायुमण्डलीय प्रदूषक है, का उत्सर्जन हाल ही के वर्षों में सारे भारत में बढ़ा है।

'नासा' की ओरा सैटेलाइट के उपकरण से प्राप्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चला है कि लिमोंट-तीन में अरगोन राष्ट्रीय प्रयोगशाला के जिफेंग ल्यू द्वारा किए गए नये अनुसंधान के अनुसार वर्ष 2005 तथा 2012 के बीच भारतीय विद्युत संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। इस अध्ययन को 5 दिसम्बर, 2013 को 'एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी' पत्रिका में आनलाइन प्रकाशित किया गया था।

भारत ल्यू विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों तथा अमीरका पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व में प्रकाशित उत्सर्जन आकलनों के अनुसार विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बनते हुए वर्ष 2010 में अमरीका से भी आगे निकल गया। उसी अनुसंधान में यह दिखाई दिया कि भारत का लगभग आधार उत्सर्जन कोयला चालित विद्युत क्षेत्र से होता है।

जब प्रकृति में वायुमण्डलीय सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना मुख्य रूप से ज्वालामुखी उत्सर्जन वायुमंडल में अत्यधिक सल्फर युक्त मालिल के ईंधनों के ज्वलन उत्सर्जन और तांबा तथा निकल जैसी धातुओं के मानव द्वारा गलाने से होता है। गैस से अम्लीय वर्षा होने तथा इसके उच्च जमाव से श्वसन संबंधी समस्यायें हो सकती हैं। यह हवा में तैरते हुए एक प्रकार के कणों, सल्फेट ऐरोसोल्स का कारक भी है, जो बादलों की माइक्रोफिजिकल तथा ऑप्टिकल विशेषताओं को प्रभावित कर सकता है तथा यह एक ऐसा प्रभाव है, जिसे मापना कठिन है तथा जलवायु मॉडल में अनिश्चितता का बड़ा कारण है।

भारत के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2012 की रिपोर्ट में यह नोट किया था कि राष्ट्रीय सल्फर डाइऑक्साइड की सघनता में वर्ष 2001-2010 में गिरावट आई है, जो 361 ग्राउंड-आधारित निगरानी केन्द्रों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किया गया आकलन है। तथापि, अधिकांश केन्द्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां विनियमनों से वस्तुतः स्थानीय तौर पर प्रदूषण में कमी आई है। भारत में लगभग 70 केन्द्र ही विद्युत संयंत्र उत्सर्जन के स्रोतों के आस-पास औद्योगिक क्षेत्रों के परिमाणों को एकत्रित करते हैं।

'ल्यू' ने कहा था "यह निगरानी करने संबंधी स्थलों का मुद्दा है।" "हमें न केवल घनी आबादी वाले शहरों, अपितु उन औद्योगिक क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहिए जिनका वास्तव में कोयला चालिक विद्युत संयंत्रों का राष्ट्रीय सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रमुख स्थान है। एक ओर वहां स्थानीय निवासी अभी भी इस उत्सर्जन से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सल्फरयुक्त हवा जैसे प्रदूषक लम्बे समय तक क्षेत्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए लंबी दूरी तक फैला सकते हैं।

भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वैज्ञानिकों की राय अनुसंधानकर्ताओं के वर्ष 2004 में प्रक्षेपित नासा की ओरा सैटेलाइट के एक उपकरण द्वारा लिये गये मापन का प्रयोग करके विद्युत संयंत्र उर्त्सन को देखने की विधि विकसित करने के पश्चात् दो वर्ष के बाद आई। ओजोन निगरानी उपकरण (ओ एम आई) ओजोन तथा हवा गुणवत्ता

अन्य मुख्य घटकों, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है, का मापन करता है तथा रोजाना उसी स्थानीय समय पर उन्हीं स्थलों पर आंकड़ें एकत्रित करता है। ओ एम आई ओरा मिशन के फिन्निश मिटिओरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के सहयोग से ऐरोस्पेस कार्यक्रमों संबंधी नीदरलैंड की एजेंसी का योगदान है।

बार-बार किये गये मानों के आठ-वर्षीय रिकॉर्ड के साथ अनुसंधानकर्त्ताओं ने 23 क्षेत्रों में 65 विद्युत संयंत्रों से सल्फर का औसतन मापन किया। कुछ समय के बाद ऐसा पैटर्न सामने आया, जिसने वैज्ञानिकों को सल्फर डाइआक्साइड के अधिक परिवर्तनीय पृष्ठभूमि सांद्रण से अपेक्षाकृत सतत विद्युत संयंत्र उत्सर्जन को अलग करने दिया है।

अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2011 के अध्ययन में ओ एम आई मापन तथा उसी तकनीक का यह दर्शाने के लिए उपयोग किया कि बड़े अमरीकी कोयला चालित विद्युत संयंत्रों से औसत सल्फर डाइआक्साइड उत्सर्जन वर्ष 2005-2007 से 2008-2010 तक लगभग आधा हो गया। उस अध्ययन में परिवर्तनीय पृष्ठभूमि वाले सान्द्रणों से विद्युत संयंत्र उत्सर्जन को पक्के तौर पर दूर करने हेतु औसतन तीन वर्ष का समय चाहिए था। तथापि, भारत निम्न अक्षांश में सैटेलाइट देखने की बेहतर अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिससे वैज्ञानिकों को वर्ष-दर-वर्ष उत्सर्जन का पता लगा सकते हैं।

सैटेलाइट विश्लेषण के परिणाम वास्तविक स्थिति सूची की तर्ज पर हैं, जो वर्ष 2005 से 2012 में उत्सर्जन में 71 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को दर्शाते हैं। ल्यू तथा उनके सहयोगियों ने पहले के कार्य हेतु वास्तविक स्थिति सूची ग्राउंड-बेस्ड इन्वेन्टरी तैयार की थी, जिसमें नाइट्रोजन आक्साइड उत्जर्सन की गणना करने के लिए विद्युत संयंत्र तथा इकाई स्तरीय सूचना का प्रयोग किया गया था। अनुसंधानकर्ताओं ने सल्फर डाइआक्साइड उत्सर्जन हेतु प्रयोज्य तकनीक को रूपांतरित किया था तथा उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकी हेतु बायलर साइड कोयले से उत्सर्जन घटकों पर विचार विमर्श किया था।

ग्रीनबेल्ट, एम डी में नासा के गॉड्डर्ड स्पेस सेन्टर के सह-लेखक निकोले क्राटकोव ने यह कहा था "इस पत्र से यह पुष्टि होती है कि अमरीका में कार्य करने के लिए दर्शाई गई तकनीक का उन अन्य देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां उत्सर्जन (ग्राउंड आधारित मापन से) के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।"

नासा द्वारा यह अनुसंधान एअर क्वालिटी अप्लाइड साइंसेज टीम (एक्यू ए एस टी) कार्यक्रम के अंश के रूप में प्रायोजित किया गया था।

सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की निगरानी किए जाने तथा उसे बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है तथा विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए तथा उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि सल्फर डाइआक्साइड के उत्सर्जन को कम कर न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

शायद भारत की जनता को भारत में पर्यावरणीय संबंधी जिन बड़े मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें आवश्यक ताजे जल संसाधनों का अभाव या उन तक पहुंच न होना शामिल है। जैसे-जैसे भारत के उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उसी मात्रा में उन्हें जल की आवश्यकता होगी तथा उसमें पहले उत्तरोत्तर वृद्धि होना शुरू हो गयी है। उदाहरणार्थ कोका कोला फैक्टरी पर कई वर्षों तक समग्र पारिस्थिकी प्रणाली को बिगाड़ने का आरोप लगता रहा। सिर्फ उसी फैक्टरी के सारे जल को विपथित करने से लाखों-करोड़ों लोग जल से वंचित हो गया। इसी प्रकार की कंपनियां अत्यधिक सूखे तथा अत्यधिक भू-जल के दोहन तथा इसमें विषैले पदार्थ छोड़ने से एक बड़े क्षेत्र को संदूषित करने की भी दोषी है। निस्संदेह, कोका कोला एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है तथा इसीलिए यह सुर्खियों में आई, परन्तु मुझे कोई संदेह नहीं है कि सारे भारत में इसी तरह के लाखों उदाहरण है। भारत में वर्षों से भू-जल के दोहन से अचानक ही राष्ट्रीय भू-जल के स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत पेयजल भूगर्भीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, यह एक अत्यंत गंभीर समस्या दिखाई देती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जलापूर्ति से वंचित हो सकते हैं।

भारत में नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं। करोड़ों लोग नदियों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, लेकिन ये नदियां धीरे-धीरे प्रदूषित होती जा रही हैं तथा जल-मल, रसायनों तथा अन्य कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्टों के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ये नदियां विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक हैं, लेकिन इस विनाश लीला को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

मैंने पहले ही अपशिष्ट निपटान के मुद्दे पर अपने विचार रख दिये हैं, लेकिन यहां मैं इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक बात करना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पक्षों पर सरकार कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है तथा अब उनके समाधान हेतु खुद प्रयास करने पर बल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मैं केरल के कुछ कस्बों और गांवों का उदाहरण देता हूं, जो कि अब प्लास्टिक की बजाए कागज के थैलों का प्रयोग कर रहे हैं।

जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत तेजों से अपघटित नहीं होता, लेकिन भारत के लोक शायद इस तथ्य को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वे जहां भी मौजूद होते हैं, उसी जगह पर हर तरह की अवांछित वस्तु फेंक देते हैं। निश्चित रूप से, भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से पीड़ित लोगों में भावी पीढ़ियों तथा पशु भी आते

हैं। पवित्र गायों, जो कि भारतीय जीवन दर्शन का एक अटूट अंग है, भारी तादाद में उत्सर्जित प्लास्टिक बैग के कचरे जो अंततः उनके शरीर के अंदरूनी भागों के चारों ओर चिपक जाता है, के भक्षण के कारण धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं।

भारत में वन आधारित उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते निर्वनीकरण तथा संरक्षित वन क्षेत्रों के अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण भारी तादाद में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है।

यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लकड़ी की कुल औद्योगिक खपत बढ़कर इस सदी के अंत तक 70 मिलियन एम3 प्रति वर्ष (350,000 बड़े जहाजरानी कंटेनर) से भी अधिक हो जायेगी, जबकि घरेलू आपूर्ति इस बढ़ी हुई मांग के आंकड़े से अनुमानतः काफी कम, यानी कि 14 मिलियन एम3 रहेगी।

चूंकि इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए देश को बहुत बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर होना पड़ेगा, तो यह आशंका जताई जा रही है कि इस स्थिति के कारण उच्च संरक्षण मूल्य वाले वनों व अन्यत्र स्थित जैव विविधता को क्षति पहुंच सकती है।

भारत खाद्य तेलों का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। वास्तव में, यूरोपियन यूनियन तथा चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक देश है। इन आयातों में से, 95 प्रतिशत आयात इंडोनेशिया तथा मलेशिया से किये जाते हैं, जिसके चलते इन निर्यातक देशों में समान एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में नकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं।

उष्ण कटिबंधों में ऑयल पाम वृक्षों की खेती के लिए प्राकृतिक वनों का विनाश इन क्षेत्रों की जैव विविधता एवं जीविकोपार्जन हेतु एक बड़ा खतरा बन गया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के अधिकतर वर्षावन ऑयल पाम तथा पल्प वुड बागानों के विस्तार के कारण पहले ही नष्ट हो चुके हैं।

वर्ष 2030 तक पाम ऑयल की वैश्विक मांग वर्तमान में 28 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 50 मिलियन टन हो जाने का अनुमान लगाए जाने के साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि यह सब कुछ जैविक तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनों की कीमत पर होगा।

वर्तमान शहरों में मुंबई तथा बंगलुरू जैसे शहर मॉनसून के दौरान बाढ़ ग्रस्त होने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, दिल्ली भूकंप जोन-चार में स्थित है, चेन्नई तथा पुदुच्चेरी (पांडिचेरी) चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरू व कोलकाता) के विकास के समय शहरी जोखिम को घटाना नाशक सिद्धांत को योजना निर्माण का अंग नहीं बनाया गया। चूंकि सरकार स्मार्ट सिटी नामक सिद्धांत को आधार बनाकर नए शहर बसाने की योजना बना रही है, तो इस मामले में मैं सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग तथा जलवायु परिवर्तन समुदायों के सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे सब इस मुद्दे पर अपने विचार व मत साझा करे।

नए शहरों के निर्माण संबंधी इस नवीन योजना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, में सरकार को शहरी जोखिम में कमी (यूआरआर) तथा जलवायु परिवर्तन समायोजन (सीसीए) पर ध्यान देना चाहिए।

कृपया अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय उदाहरण व अनुभव साझा करें, जिनमें यूआरआर तथा सीसीए नामक सिद्धांतों को नए शहरों के विकास व वर्तमान शहरों के आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है।

जब मैं समस्याओं की बात करता हूं, तो मुझे उन विशिष्ट क्षेत्रों तथा संभावित समाधानों के बारे में भी बात करनी चाहिए, जहां पर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैंने यह पाया है कि ऐसे पांच क्षेत्र हैं, जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैंने यह पाया है कि ऐसे पांच क्षेत्र हैं, जिनपर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाया जा सके।

- आमदनी बढ़ाने के लिए उत्तम कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देना।
- समायोजन पद्धतियों, जो मौसम संबंधी चरम स्तरीय घटनाओं से संभावित नुक्सान के खतरे को कम कर सके, को लागू करना।
- संपूर्ण-फार्म इंटीग्रेटिड फसल प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाना।
- नई किस्मों के विकास, अनुसंधान तथा प्रयोग को सहायता प्रदान करना।
- सुदूरवर्ती मौसम स्टेशनों, रोग मॉडलिंग व इंडेक्स बीमा प्रणालियों की समता में वृद्धि करना।
- जलवायु संबंधी प्रमुख खतरे निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं:

जोखिम सं. 1 : नदी तटीय, समुद्र तटीय तथा शहरी बाढ़ के बढ़ते मामलों के कारण अवसंरचनाओं, आजीविकाओं तथा मानव बस्तियों को व्यापक हानि पहुंच रही है। पहले जोखिम के प्रमुख कारक हैं अत्यधिक वर्षा, विनाशकारी चक्रवात तथा समुद्र जल के स्तर में बढ़ोत्तरी। सरकारों द्वारा प्रभावी भूमि उपयोग योजना निर्माण तथा खतरे के दायरे में आने

वाली जनसंख्या के चयनित स्थानांतरण तथा अन्य उपायों के द्वारा अपने नागरिकों द्वारा सामना किये जा रहे इन खतरों को कम किया जा सकता है। जीवन रेखा रूपी अवसंरचनाओं तथा सेवाओं, जैसे कि जल, ऊर्जा अवशिष्ट प्रबंधन, भोजन, बायोमास, चलनक्षमता, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा संचार प्रणालियों इत्यादि के द्वारा सामना किये जाने वाले खतरों को कम करने की दिशा में भी सरकार द्वारा प्रयास किये जा सकते हैं। अन्य उपाय, जो सरकार द्वारा किये जा सकते हैं, वे हैं निरीक्षण तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना व साथ ही साथ इन का सामना कर रहे क्षेत्रों की पहचान करने वाले कदम उठाना, संवेदनशील क्षेत्रों तथा गृहस्थों को आजीविका के साधनों में विविधता लाने तथा बदलते हालातों के मुताबिक खुद को ढालने में मदद करना।

जोखिम सं. 2 : अत्यधिक गर्मी संबंधी मौतों के बढ़ते हुए मामले। दूसरा बढ़ा जोखिम है वैश्विक तापमान तथा तीव्र गर्मी के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी। सरकार द्वारा उच्च तापमान संबंधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जा सकती है। सरकार द्वारा उष्मा द्वीप, तथा ऐसे स्थान, जो अपने पड़ोसी स्थानों की तुलना में ज्यादा गर्म होते हैं, में कमी लाने के लिए शहरी आवास योजना निर्माण को मजबूत बनाया जा सकता है। वे उन ढांचों में सुधार कर सकते हैं, जो पहले ही बनाए जा चुके हैं तथा शहरों का विकास कर सकते हैं व साथ ही नई तरह की कार्य प्रणालियों की भी खोज कर सकते हैं, जिससे कि बाहर खुले में काम करने वाले मजदूरों को अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके।

जोखिम सं.3 : सूखे के कारण जल तथा भोजन की उपलब्धता में कमी के मामलों में बढ़ोत्तरी व इस कारण होने वाला कुपोषण, तीसरा जोखिम है। गर्मी, अत्यधिक ऊंचा तापमान तथा शुष्कता की बारंबारता में वृद्धि। सरकार आपदा तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है, जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा स्थानीय स्तर पर निपटने संबंधी रणनीतियां भी शामिल हैं। सरकार अनुकूलक/एकीकृत जल स्रोत प्रबंधन प्रणाली अपना सकती है तथा जल संसाधन अवसंरचना को मजबूत बना सकती है और जलवायु विकास को प्राथमिकता दे सकती है। सरकार जल स्रोतों में भी विविधता ला सकती है और कृषि पद्धतियों में सुधार तथा सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से जल के पुन: उपयोग तथा जल के कुशलतापूर्वक उपयोग इन पर विचार कर सकती है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा जिनका मैंने उल्लेख किया है, वास्तव में उससे कहीं अधिक पर्यावरणीय समस्याएं और जटिल प्रश्न और भी हैं। प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाने वाली प्रकृति के हैं और चूंकि उनमें से ज्यादातर का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, इसलिए विकास संबंधी कोई भी योजना बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। विश्व इस समय प्राकृतिक संसाधनों को लेकर युद्ध के कगार पर खड़ा है तथा भारत में भी विभिन्न राज्य जल संबंधी मुद्दों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। पर्यावरणीय संवहनीयता प्राप्ति की प्रक्रिया में समय पर उठाए गए कदम वास्तविक रूप में भारत को विश्व का असली नेतृत्वकर्ता दर्शाने में समर्थ होंगे।

*** श्री आर. पार्थिपन** (थेनी): मैं निम्नलिखित सड़क प्रस्तावों के संबंध में किये गये प्रयासों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी साझा करना चाहता हूं:

(1) कामराजपुरम से किलावन कोविल सड़क (सबसे छोटे मार्ग के रास्ते थेनी जिला तथा विरुद्धनगर जिला को जोड़ती है।)

(2) मनुथू से 9वीं माईल सड़क (अपने दैनिक शारीरिक श्रम/कार्यों आवागमन करने वाले गरीब बीपीएल लोगों को आसान तथा सबसे छोटा, किफायती मार्ग प्रदान करती है।)

दिनांक 30.07.2003 के मुख्य वन संरक्षक को संबोधित अपने पत्र (सी नंबर डी 2/11718/2002) में थेनी जिला वन अधिकारी ने यह कहा है कि "02.12.2002 तथा 03.12.2002 को ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ अपने संयुक्त निरीक्षण के बाद वन क्षेत्र से गुजरने वाली निम्नलिखित दो सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया गया है:

(1) कामराजपुरम से किलावन कोविल सड़क

(2) मनुथू से 9वीं मील सड़क

आगे, यह भी पता चलता है कि प्रयोगकर्ता एजेंसी (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) थेनी) ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपरोक्त वर्णित दो सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रखा है।

यह भी ज्ञात है कि माननीय वन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री द्वारा दिनांक 07.06.2003 को थेनी जिला कलेक्टरेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त सड़क निर्माण के प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है कि माननीय मंत्री द्वारा जीआरडीए अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र में आने वाली पेड़ों की तादाद तथा प्रतिपूरक भूमि के ब्यौरे वन विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि सड़क प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रेषित किया जा सके।

जिला कलेक्टर, थेनी ने दिनांक 17.07.2003 के अपने पत्र सं. 1392 2001/डी 9 में यह अनुरोध किया है कि वन क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाए, ताकि उपरोक्त दो सड़कों के निर्माण कार्य की जद में आने वाले पेड़ों की तादाद की सूची बनाने संबंधी सर्वेक्षण किया जा सके। इसी पत्र में, जिला वन अधिकारी (डीएफओ) ने पी सी सी एफ

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से यह अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण कार्य करने के लिए मेगमलै आर एल क्षेत्र में डी आर डी ए स्टाफ व संबद्ध दल के प्रवेश हेतु पीसीसीएफ द्वारा आज्ञा प्रदान की जाए।

जिला कलेक्टर, थेनी ने दिनांक 22.09.2003 के अपने पत्र सं. 10858/03/एम 4 में उपरोक्त दो सड़कों के प्रस्ताव को लेकर डी एफ ओ, थेनी को प्रतिपूरक भूमि का ब्यौरा दिया है। दिनांक 22.09.2013 के अपने पत्र सं. टीएफ4/70793/02 में पीसीसीएफ द्वारा डीएफओ को पेड़ों की तादाद का पता लगाने के लिए अधिकारियों को वन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं।

डीएफओ के अनुसार थेनी ने दिनांक 06.11.2003 के अपने पत्र सं. 11718/2002/डी2 के द्वारा उपरोक्त दो सड़कों के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाले पेड़ों की तादाद की सूची बनाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य हेतु वन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की है।

अब तक उठाए गए इन कदमों तथा किये गये प्रयासों के बावजूद उपरोक्त दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का जन उपयोगी कार्य पूरा नहीं किया जा सका। मेरा यह अनुरोध है कि सरकारी आज्ञा मिलने तक संबंधित विभागों द्वारा आगे की जाने वाली आधिकारिक कार्यवाही पुन: प्रारम्भ की जाए तथा उसमें तेजी लाई जाए, ताकि उपरोक्त दोनों सड़कों को जन प्रयोग हेतु शीघ्रातिशीघ्र खोला जा सके।

दूसरी सड़क (मनुथू से 9वीं मील सड़क) का यदि समय पूर्व निर्माण किया जाता है, तो निश्चित रूप से अपने दैनिक आजीविका कार्यों हेतु इस 9वीं माईल सड़क के मौजूदा फुटपाथ से होकर एस्टेटस को जाने वाले हजारों बीपीएल लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो जायेगी।

यदि पहली सड़क (कामराजपुरम से किलावन कोविल सड़क) का समयपूर्व निर्माण हो जाता है, तो थेनी और विरुद्धनगर, दोनों जिलों के लगभग एक लाख से ज्यादा लोग, जो इन दो जिलों के बीच अपने दैनिक व किफायती सफर के लिए सबसे छोटे मार्ग की उम्मीद रखते हैं, की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हो जायेगी।

तमिलनाडु के थेनी जिले में राजमार्ग है, जिनके बोदीनाथक्कनूर प्रखण्ड में टी. मेटटूपट्टी से याताकुला थू मेट्टू तक सड़क बनाई जाने की आवश्यकता है। थेनी जिला में टी मेट्टूपट्टी से शताकुलाथूमेटू सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो ऊथामपलयम-थेवरम-बोदीनायक्कनूर सड़क के 18/6 कि.मी. नामक खण्ड से अलग शाखा के तौर पर निकलती है। इस सड़क पर, कि.मी. 0/0-5/6 एक महत्वपूर्ण स्ट्रेच है। जिले में बोदी राजमार्ग के तहत अन्य सड़कें 1 किमी. 5/6-11/0 से शेष भाग वन सीमा में आता है। मौजूदा गाड़ी मार्ग अत्यंत संकरा है तथा इस पर यातायात के परिचालन में अत्यंत कठिनाइयां आ रही हैं, साथ ही, यह सड़क, जो कि केरल राज्य से इस क्षेत्र को जोड़ती है, राज्य राजमार्ग से मार्ग 11 कि. मी. दूर है। यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता है, तो विपणन हेतु इलायची, कॉफी, चाय, काली मिर्च तथा रबड़ जैसे महंगे कृषि उत्पादों की सरलतापूर्वक ढुलाई की जा सकेगी।

अत:, मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त दो जिलों के लाखों लोगों की दैनिक आवश्यकताओं व उम्मीदों को पूरा करने के लिए संबंधित वन विभाग को इन दो सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकारोक्ति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

***श्री शरद त्रिपाठी** (संत कबीर नगर) : वन एवं पर्यावरण के संक्षरण की समस्या भारत की एक बड़ी समस्या है। इस पर तत्तकाल गंभीरता से विचार कर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह हमें तो नुकसान पहुंचा ही रही है यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुंचाएगी।

मैं यहां उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है।

मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इस मामले में बिना जन भागीदारी के कुछ भी करना संभव नहीं हो सकेगा।

मैं यहां पर्यावरण की समस्या से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

1. वायु प्रदूषण
2. कचरा और अपशिष्ट
3. नदियों में उपभोक्ता अपशिष्ट
4. भूमि प्रदूषण
5. जल प्रदूषण
6. ध्वनि प्रदूषण
7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
8. वन संरक्षण (जंगल और जमीन की कृषि गिरावाट)
9. जैव विविधता को नुकसान

भारत में वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। भारत में वायु प्रदूषण प्रमुख स्रोतों ईंधन की लकड़ी और बायोमास जल, ईंधन में मिलावट

उत्सर्जन और यातायात भीड़ होने के साथ एक गंभीर मुद्दा है। वायु प्रदूषण भी मानसून में देरी होने के कारण है। भारत ऊर्जा उद्देश्यों के लिए ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और बायोमास का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। {पारंपरित ईंधन (fuel wood), फसल अवशेषों और गोबर केक} ग्रामीण भारत में घरेलू ऊर्जा का उपयोग हावी है। ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और बायोमास केक जलने से रिलीज होने वाला धुंआ भारत की आंतरिक और बाहरी हवा में दहन ग्रीन हाउस के एक प्रमुख स्रोत हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर भारत में, मानसून के बाद (अक्टूबर से दिसंबर तक) वार्षिक फसल जलाने की परंपरा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख सभी स्रोत है। फसल अवशेषों की लगभग 500 मिलियन टन प्रदूषित गैस हवा में रिहा कर दी जाती है। इसे पंजाब भर से सर्दियों में धुंध समस्याओं का एक प्रमुख कारण पाया गया है।

कचरा भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक आम दृश्य है। यह प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय शहरों अकेले ठोस अपशिष्ट से अधिक से अधिक 100 मिलियन टन एक वर्ष उत्पन्न करते हैं। सड़क के दोनों कचरे के साथ ढेर कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों और राह चलते कचरा डंप के रूप में गंदगी और कूड़े, नदियों और नहरों में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।

2000 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अलग-अलग अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्र करना, रीसाइक्लिंग को शामिल करते हुए एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को सभी शहरों में लागू किया जाए। इन दिशाओं की बस अनदेखी की गई है। शायद ही कोई इससे असहमत हो।

अनुपचारित मलजल का निर्वहन भारत में सतह के प्रदूषण और भूजल के प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में उत्पादन और घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार के बीच एक बड़ा अंतर है। समस्या न केवल भारत में पर्याप्त उपचार क्षमता की है, बल्कि यह भी है कि मौजूद उपचार क्षमता भी काम नहीं कर रही है। मलजल उपचार संयंत्र का अभाव है और जो हैं वो भी काम नहीं करते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 3119 शहरों और कस्बों के बाहर सिर्फ 209 आंशिक मलजल उपचार की सुविधा है और केवल 8 पूर्ण अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा है। यह दुखद है कि 100 से अधिक भारतीय शहर सीधे-सीधे गंगा नदी में अपना अनुपचारित मलजल डाल रहे हैं।

मार्च, 2009 में पंजाब में यूरेनियम की विषाक्तता के मुद्दे ने प्रेस कवरेज को आकर्षित किया। यह कथित पंजाब के फरीदकोट और भटिंडा जिलों में बच्चों में गंभीर जन्म दोष के लिए जो थर्मल पावर स्टेशनों की फ्लाई ऐश तालाबों की वजह से होने का आरोप लगाया गया था। समाचार रिपोर्टों में यूरेनियम का स्तर 60 से अधिक बार अधिकतम सुरक्षित सीमा से अधिक होने का दावा किया गया। 2012 में, भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि पंजाब के मालवा बेल्ट में भूजल 50% प्रदूषित है कि यूरेनियम धातु है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित ट्रेस सीमा से ऊपर पाया गया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मालवा जिले के भूजल में यूरेनियम एकाग्रता 60 बार डब्ल्यूएचओ सीमा से अधिक है लेकिन 3 स्थानों में डब्ल्यूएचओ सीमा से ऊपर 50% है। नमूनों में पाया कि यह सर्वोच्च एकाग्रता वर्तमान में फिनलैंड के रूप में कहीं मानव उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल जमीन पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले की तुलना में कम था। रिसर्च यूरेनियम के लिए प्राकृतिक या अन्य स्रोतों की पहचान करने के लिए चल रहा है।

इंसान के जीने के लिए ज़ल के महत्व को बताने की जरूरत नहीं है। पर एकांगी विकास प्रक्रिया के चलते, बहुत अल्प है और केवल अपने छुद्र स्वार्थ में समाज का बड़ा नुकसान कर डालने को तैयार रहने की प्रवृत्ति ने पूरे देश में जल प्रदूषण को जन्म दिया है। हम समझ सकते हैं कि प्रदूषित जल पर जीने वाली भारी आबादी वाला देश इस समस्या का निदान किए बिना सच्चे विकास की ओर कैसे बढ़ सकता है। स्वस्थ नागरिक ही किसी देश के विकास में स्वस्थ भूमिका निभा सकते हैं।

भारत में ध्वनि प्रदूषण भी भारत के शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति दिन भर में इस तरह के उच्च मात्रा के शोर को झेलता है। वह स्वाभाविक रूप से बहरेपन को बढ़ावा दे ही रही है पर साथ ही साथ नागरिकों में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों को भी जन्म दे रही है।

धरती की ऊपरी सतह जो हजारों वर्षों से निर्मित होती है, खेत तथा अन्य उत्पादनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुखद है कि विकास की प्रक्रिया (घर निर्माण और सड़क निर्माण) के दौरान और वर्षा ऋतु में पानी के मुक्त रूप से धरती की सतह बहने के कारण यह अति महत्वपूर्ण ऊपरी सतह नष्ट होती जा रही है। इसका कृषि और उससे जुड़े उत्पादनों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भूरक्षण को रोकने के प्रभावी इंतजामात बहुत जरूरी है।

ग्रीन गैसों का उत्सर्जन पूरी दुनिया में और भारत में जलवायु परिवर्तन को जन्म दे रहा है और वातावरण का तापमान बढ़ने से पारिस्थितिक चक्र में भी बड़े पैमाने में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

धरती पर मानव के रहने के लिए वनों का विशेष महत्व है। जहां एक तरफ हमारी जरूरत है वहीं अपने खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने वनों का क्षरण को रोकना होगा और

उन्हें अपनी धरती पर स्वस्थ मानव के जिंदा रहने की शर्त के रूप में बचाए रहना होगा।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार उदासि** (हावेरी) : मात्र एक दशक में ही, भारत की प्रमुख नदियां अपवित्र व दूषित हो गई है। शहरी गंदगी तथा औद्योगिक प्रदूषण इसके वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन इस परिस्थिति हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक हैं व्यक्तिगत लालच और प्रशासकीय उदासीनता। पर्यावरण विदों का मानना है कि औद्योगिक प्रदूषण और मलजल के अलावा, बूचड़खानों, धोबी घाटों, शवदाह गृहों तथा मलिन बस्तियों की तादाद में बढ़ोत्तरी इन नदियों में प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं। प्रत्येक वर्ष, इन नदियों में धार्मिक मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जिसके चलते इन नदियों में जो थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ था, वो भी समाप्त हो चुका है।

गंगा कार्य योजना का विस्तार 20 राज्यों के शहरों व कस्बों में हो गया है तथा इसमें 38 नदियां शामिल है। भारत में नदी प्रदूषण की समस्या का समाधान मात्र पैसे से नहीं किया जा सकता। जो बात महत्वपूर्ण है, वो है कार्यान्वयन के काम में लगे हुए व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा की भावना तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) के कार्यान्वयन में तेजी लाना।

प्रति वर्ष लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर की अत्यंत ऊंची दर से जंगल काटे जा रहे हैं, प्रत्येक नदी कचरे व गंदगी से भरी पड़ी है। लालची शहर कीमती कृषि भूमि को निगलते जा रहे हैं। विश्व का सबसे भयानक वायु प्रदूषण है भोजन पकाते समय गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा सूंघा जाने वाला धुआं, जो लकड़ी के जलाने से उत्पन्न होता है। हमारे महानगरों में तपेदिक तथा सांस संबंधी बीमारियों की एक बड़ी वजह है वायु प्रदूषण।

शहरी आबादी के मामले में आज भारत विश्वभर में चौथा स्थान रखता है। 21वीं सदी के अंत तक यह विश्व में सर्वाधिक होगी। आज शहरी भारत का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हर जगह हिल स्टेशनों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर्यटकों की आमद बढ़ने के कारण जंगलों का विनाश हुआ है तथा जल संकट एक सामान्य बात हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष हजारों वर्कर रोगों के कारण मरते व्यवसाय जनित रोगों के कारण मरते हैं।

यदि एक बांध शहरों को विद्युत आपूर्ति करेगा, परंतु इसके चलते लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे। भारतीय पर्यावरण की कहानी अपने लाभ के लिए शहरों द्वारा देश को लहुलुहान किये जाने की कहानी है। हां, सरकार द्वारा वनीकरण कार्यक्रम अवश्य चलाए गए हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के तहत मात्र शहरी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूकेलिप्टस, चीड़ तथा सांगवान वृक्षों का ही रोपण किया गया है। वन संसाधन आधार की इस वाणिज्यक प्रक्रिया के कारण व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई हुई जिसके कारण आज वानिकीकरण काफी पीछे है। जनसंख्या भारत में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, भू-प्रबंधन एक समस्या है। यदि उचित भूमि संसाधनों का उपयोग किया जाए तो देश में वर्तमान जनसंख्या से तीन गुना जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है।

यदि देश में अनेक समस्याएं हैं तो देश में अपार संभावनाएं भी है। वनिकीकरण में भूमिहीन किसानों को शामिल कर एक समाधान किया जा सकता है। टैंक के प्रयोग के माध्यम से 'जो प्रौद्योगिकी रामायण जितनी पुरानी हैं', भारत अपने यहां होने वाली वर्षा के एक चौथाई का भंडारण कर सकता है और भू-क्षेत्र का केवल 3 प्रतिशत ग्रहण करेगा।

जल संरक्षण के लिए छोटे मिट्टी के बांध जो पर्यावरण की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद है।

महिलाएं, जिन्हें हमेशा ही बोझा ढोने के लिए उपयुक्त समझा जाता था, वे ईंधन के नष्ट होने से अत्यधिक प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन चारा और पानी एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे व्यतीत करने पड़ते हैं।

यद्यपि, गरीब लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची फिर भी जागरूकता के कारण चिपको और अचिपको आन्दोलन हुए, जहां जनजातीय लोग, मुख्यत: महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाया करती थी तथा बांधी खानों के कारण विस्थापित होने की स्थिति में अब उन्हें नकद मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें भूमि भूमि के बदले भूमि चाहिए। पर्यावरणीय सक्रियता के कारण केरल मे साइलेंट वैली और कर्नाटक में बेथनी में दो बांधों पर काम पहले ही रोक दिया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय को दुर्लभ औषधीय पदापों और सुगंधित पादपों के संरक्षण हेतु कप्पाथगुड़डा को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव करना चाहिए। भारत सरकार को कर्नाटक सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव के लिए कहना चाहिए। कप्पाथगुड़डा जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है हजारों वर्षों से औषधीय पादपों के स्थान के लिए जाना जाता है। गैर कानूनी खनन को रोकने और दुर्लभ औषधीय पादपों के संरक्षण के लिए वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से गड़क जिले के लोगों की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कप्पाथगुड़डा को संरक्षित क्षेत्र में शामिल करने के निर्णय की समीक्षा की जाए और विभिन्न राजनीतिक दलों, कृषि जगत और अन्य नागरिक संगठनों के मत और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों साथ ही झीलों और नदियों और इसकी जैव विविधता, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, जीवों का कल्याण सुनिश्चित करना और प्रदूषण को रोकने और उपशमन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के बजटीय आबंटन में बढ़ोत्तरी का सुझाव देना चाहूंगा।

***श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू** (चेन्नई उत्तर) : पर्यावरणीय कार्यकलापों के संबंध में भारत की समृद्ध परम्परा रही है। 5वीं सदी से पूर्व लिखे गए प्राचीन यज्ञनावलक्म स्मृति लेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक स्तम्भ के आदेशों के पर्यावरण और जैव विविधता के संबंध में काफी कुछ कहा गया है। यहां तक कि अंग्रेज शासक भी पर्यावरण और जैवीय मुद्दों के प्रति काफी जागरूक थे तथा उन्होंने इसके संरक्षण के लिए कानून अधिनियमित किए। वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया कि राज्य पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण, सुधार और सुरक्षोपाय करेगा।

भारत ने जल (प्रदूषण और निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अधिनियमित किए गए थे। 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन का इस पर अपना प्रभाव पड़ा। इन कानूनों के बावजूद 1947 से 1990 तक पर्यावरणीय गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई।

वर्ष 1990 के आरम्भ में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण गिरावट आई और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कड़ी शर्तें लगाई गयी हैं। परन्तु ये शर्तें बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति के विरुद्ध कार्य करती हैं जिससे विकास प्रभावित होता है। इसलिए विकास कार्यकलापों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए मार्ग तलाश करना होगा।

भारत में प्रदूषण का मुख्य स्रोत ईंधन के तौर पर बहुतायत में लकड़ी को जलना और ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जैव ईंधन का प्रयोग है, संगठित कचरे का अभाव, ठोस अपशिष्ट सेवाएं, सीवर ट्रीटमेंट प्रचालन का अभाव, बाढ़ नियंत्रण और वर्षा जल निकासी व्यवस्था का अभाव, वर्षा जल का नदियों में विपथन, पुराने सार्वजनिक परिवहन द्वारा अत्याधिक प्रदूषण और और 1950 और 1980 के दौरान निर्मित संयंत्रों से अत्यधिक उत्सर्जन है।

वर्तमान पर्यावरणीय समस्याएं जिनका भारत सरकार कर रहा है वह वायु प्रदूषण अपशिष्ट का घटिया प्रबंधन, जल की बढ़ती कमी, भू-जल स्तर में गिरावट, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता हानि और भू/मृदा अपरदन है।

गैर-शोधित जलमल एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयू.एच.ओ) के अध्ययन के अनुसार भारत के 3119 शहरों मे से केवल 8 शहरों में पूर्ण रूप से जलमल शोधन संयंत्र सुविधा है और 209 शहरों में आंशिक शोधन सुविधा है। 100 शहर गैर शोधित जलमल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। भारत में प्रतिदिन 29,000 मिलियन लीटर जलमल सृजित होता है परन्तु हमारे पास प्रतिदिन केवल 6000 मिलियन लीटर की शोधक क्षमता है।

जलावन लकड़ी, जैव ईंधन को जलाने और वाहनों से उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भारत जलावन लकड़ी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इससे ग्रीनहाउस उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चात् कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के पारित होने के पश्चात हमने वायु प्रदूषण में कुछ सुधार देखा है।

केवल भारतीय शहर ही एक वर्ष में 100 मिलियन टन से अधिक का ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने सभी 2000 शहरों में अपशिष्ट पृथक्करण और पुनचर्क्रण के व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निदेश दिया है। ऐसा अनुमान है कि अभी लगभग 40 प्रतिशत अपशिष्ट एकत्रित नही किया जाता है। हाल ही के अध्ययन में यह पाया गया है कि भारत के चिकित्सीय अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान नहीं किया जाता है।

गत तीन वर्षों से भारत में वन कटाई की प्रवृत्ति में विपरीत रूझान आया है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने वर्ष 2010 के अध्ययन में भारत की विश्व के वन आच्छादित क्षेत्र वाले 10 बड़े देशों में शामिल किया है। वर्ष 1990 से 2000 तक खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने पाया कि भारत का वन आच्छादित वाला 5वां और 2000 और 2010 के बीच तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र होगा।

इस समस्या का समाधान करने से पहले इस बात पर व्यापक बहस होनी चाहिए कि सरकार इन असाधारण समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेगी। सरकार को गंगा बचाओ के बजाय भारत बचाओ की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यदि सवच्छ गंगा परियोजना सफल रहती है तो इसे देश की अन्य नदियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों के उपयोग के संबंध में पूर्णत: बिल्कुल विपरीत मत है। मोन्सोंटो वित्त पोषित अनुसंधान आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों का पक्ष ले रहे हैं परन्तु अन्य स्वतंत्र अनुसंध

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ानकर्ता इसके विरुद्ध हैं। भारतीय किसानों का अनुभव खोखला है। संसदीय स्थायी समिति और पर्यावरण मंत्रालय ने आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों और खाद्यान्नों के उपयोग पर रोक लगा दी है। उपर्युक्त को देखते हुए सरकार को जी.एम. फसलों और खाद्यान्नों के संबंध में हमारे किसानों को बीज अधिकार प्रभावित किए बिना और मृदा को नष्ट होने से बचाते हुए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए।

विगत में बड़े बांधों का निर्माण और खनन गतिविधियां काफी कष्टदायक रही है क्योंकि विस्थापित जलजातीय लोगों का उचित पुनर्वास नहीं हुआ है। सरकार ने जनजातीय लोगों की जमीन जबरन ली हैं और उसे कार्पोरेट घरानों को पट्टे पर अथवा बेच दिया गया है। प्रस्तावित भू-अर्जन विधेयक विकास और विस्थापित लोगों के संरक्षण, इन दो किनारों के बीच संतुलन होना चाहिए।

बड़ी परमाणु परियोजनाओं के विकीरण प्रभाव और उससे होने वाली प्रलय से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब विकसित देश तेजी से परमाणु परियोजनाओं का त्याग कर रहे हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दे रहे हैं हम जोरदार ढंग से परमाणु ऊर्जा के पीछे लगे हुए हैं। इस संबंध में जो राज्य परमाणु परियोजनाओं और इससे जुड़े जोखिमों का सामना कर रहे हैं अन्य राज्यों जो इसका विरोधकर रहे हैं के साथ साझेदारी करने के बजाए ऐसे राज्यों को पूर्ण उत्पादित विद्युत प्रदान की जानी चाहिए।

*** श्री एम. मुरली मोहन** (राजामुन्दरी) : इस सम्मानित सभा को मेरा प्रणाम मेरी शुभकामनाएं, माननीय सभापति को हार्दिक बधाई, मैं अपने नेता श्री चन्द्र बाबू नायडू को इस पावन संसद में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं। यहां इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा बोलने वाले सदस्य हैं जिन सदस्यों की मातृभाषा हिन्दी है, वे ही बोल रही हैं। हमारे तमिल भाई तमिला बोल रहे हें। इसी प्रकार, सदस्य कन्नड और मलयालम में बोल रहे हैं। इसी तर्ज पर मेरा प्रयास तेलगू में बोलने का रहेगा। श्री कृष्ण देव राय ने तेलगू की देश की विभिन्न भाषाओं में सर्वोत्तम कह कर उसकी सराहना की थी। संसद में तेलगू बोलने का मेरा यह प्रयास है:

मानव के अलावा, इस पृथ्वी पर जानवर, जंगली, जलीय पशु, पक्षी और कीट पतंगें हैं। ईश्वर ने इन सभी प्राणियों के निर्वाह के लिए पर्याप्त संसाधन दिये हैं। हमारे पास प्राकृतिक जंगल, खनिज, उर्वर भूमि, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना और कावेरी जैसी निरंतर बहने वाली नदियां हैं। हमारे पास कृषि कार्य करने वाले कुशल कृषक हैं। हमारे पास कुशल श्रमिक बल है। इस पवित्र देश में जहां सफाई का हर जगह बोलबाला है, वहीं हमारे पास एक समान जलवायु की अद्वितीय विशेषता ही है। हमारे देश में नाइजीरिया जैसे विभिन्न देशों से पक्षी प्रवास करती हैं। यह पक्षी गर्मी में हमारे देश में प्रवास करते हैं और छह माह बाद अपनी संतानों के साथ चले वापस जाते हैं। इस पवित्र भूमि में हम अपने संसाधनों का उपयोग उपयुक्त ढंग से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे पास अपनी भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समृद्ध खनिज सम्पदा है। लेकिन हम प्रोसीलाइनर्स जैसी आधुनिक मशीनों का प्रयोग इन खनिजों को निकालने के लिए कर रहे हैं और उन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। जहां वहां पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं इन कार्यों को करने का औचित्य लोकेन जब हमारे पास वहीं संख्या में उद्योग और पर्याप्त श्रमिक बल है। हमारी कच्ची सामग्री को अन्य देशों को निर्यात करना बुद्धिमतापूर्ण कदम नहीं है। इसके बजाय यदि हम उद्योग स्थापित करने और अपने अप्रयुक्त श्रमिक बल का उपयोग कर उन्हें कार्य दें तो हम तैयार माल का विनिर्माण कर सकते हैं और उसका अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं। इससे करों के रूप में और राजस्व सृजन होगा। हम ऐसे अवसरों को गंवा रहे हैं।

इसी प्रकार, हमारे पास स्वास्थ्य के लिए हितकर वनाछादन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बनडाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये वन कार्बनडाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। कृतज्ञ होने के बजाए, हम वनों की अंधाधुंध कटाई करते रहते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, जहां बड़े पेड़ों को जलावन लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। गर्मी के दौरान, दावानल से हमारे जंगल बबार्द हो जाते हैं। उससे हमारे वातावरण की क्षति होती है और प्रदूषण उत्पन्न होता है। हमें ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए।

सभी चारों मौसमों में वर्षा होती है और वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। वर्षा समय पर हो लेकिन प्रदूषण के कारण हमें नहीं पता चलता कि कब वर्षा होगी। यह जुलाई का तीसरा सप्ताह है और अभी तक उपयुक्त वर्षा नहीं हुई है। किसान कृषि नहीं करवा रहे हैं। किसान भू जल का उपयोग कृषि में कर रहे हैं, लेकिन भारी वर्षा और चक्रवात के कारण उन्हें क्षति पहुंच रही है। यह हमारा दायित्व है कि हम वर्षा जल का संरक्षण करें। यह वर्षा जल नदी में बहकर समुद्र में चला जाता है। इस संबंध में, हमारे नेता चन्द्रबाबू नायडू ने कहा था, 'इस बहते पानी की गति रोकें और जो भी उपलब्ध हो उसे संरक्षित करें।' इसके परिणामस्वरूप और अधिक चैकडैम बनाए गए। आवासीय क्षेत्रों में जल की हर एक बूंद के भण्डारण के लिए वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाई गई है। ऐसा करके भूजल स्तर की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। जब तक वे मुख्यमंत्री रहे, ये सभी पहलें व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित होती रहीं, लेकिन पिछले दस वर्षों में अनदेखी के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है।

कभी हैदराबाद में 100-200 फुट पर जल मिल जाता था, लेकिन अब 1500-2000 फुट की गहराई पर भी पानी नहीं मिलता है। इस स्थिति

*मूलत: तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तरण।

से उबरने के लिए हमें वर्षा जल का कुशलतापूर्वक संचयन करना चाहिए और वर्षा जल को समुद्र में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए। आज हमारे पास कई उद्योग हैं, हमें उद्योगों की जरूरत नहीं है, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। यह प्रदूषण जीवन को खतरे मे डालने के स्तर पर है। हमें इस प्रदूषण स्तर को कम करना चाहिए। इसी प्रकार, वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी एक चुनौती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में वाहन हैं, जिनसे प्रदूषण होता है।

हमें प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। अब यह प्लास्टिक का युग है। पहले हम अपने सामान को ले जाने के लिए कागज के बैगों का उपयोग करते थे। अब हम पोलीथीन की थैलियों का उपयोग कर रहे हैं। यह पोलीथीन बैग 15 वर्षों के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं। इन बैगों से नाले और खेती की नहरें बंद हो जाती हैं, जिससे बाढ़ आती है।

आजकल चक्रवातों और तूफानों के रूप में वर्षा हो रही है। ये स्थितियां बदल जानी चाहिएं। हम कॉर्बनडाई आक्साइड का भयंकर रूप देखते हैं। ऐसी स्थिति में, हमें अपने बच्चों को भारी स्कूली बस्तों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क ले जाने को कहना पड़ सकता है।

हमें अपने बच्चों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। मैंने कुछ समस्याओं का जिक्र किया है, तो मैं उनके कुछ समाधान भी बताना चाहता हूं। कीटनाशकों और नाशीजविकारों का उपयोग करने के बजाय हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक गांव और शहर में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक घर में कम-से-कम चार पेड़ होने चाहिए। प्रत्येक कार्यालय अथवा विद्यालय परिसरों में पेड़ होने चाहिएं। हमें पेड़ों को बचाने का दायित्व निभाना चाहिए।

आजकल लोग यात्रा हेतु निजी कारों का उपयोग करते हैं। कार-पूलिंग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाएं। छात्रों को विद्यालय की बसों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा करने से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसी तरह विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत के बजाय हमें जलविद्युत और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। गुजरात में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देकर हमारे प्रधान मंत्री ने सौर ऊर्जा, जो वहां के विकास में योगदान दे रही है को बढ़ावा देकर उदाहरण पेश किया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों के समाधान के लिए मेरे सुझावों पर विचार किया जाए। और अवसर देने के लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री मुरली मोहन कृपया अपने शेष सुझाव संबंधित मंत्री को दें।

[हिन्दी]

***श्रीमती अंजु बाला** (मिश्रिख): भारत सरकार के माननीय मंत्री पर्यावरण और वन द्वारा सामान्य बजट वर्ष 2014-15 पर चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर रख रही हूं। हमारी पृथ्वी के जन्म के समय ही हमारे वनों का भी जन्म हुआ था तथा इसी समय में जीवधारियों एवं जीवन का भी जन्म हुआ था, परन्तु समय बीतता गया, आबादी बढ़ती गई और हमारी पृथ्वी का श्रृंगार कम होता गया, जंगल कटते गए, विकास की परिस्पर्धा में खेत खलिहान मकान सड़कें आदि हमारी जरूरत की चीजों का विकास हो गया, लगने लगा हम समृद्ध हो रहे हैं, परन्तु वनों की कटाई से जंगली जीवों का शिकार या भोजन की कमी के कारण उनका अन्त होने लगा और उनकी संख्या में कमी होने लगी। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिससे हमारे पहाड़ों में भूस्खलन होने लगा। इसका एहसास हमें अभी पिछले वर्ष हुई उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम की घटना के रूप में हो रहा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समय रहते यदि हमने वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण नहीं किया तो पर्यावरण इस स्थिति में पहुंच जाएगा जिससे हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। इसका अहसास भी हम आज के समय में अधिक गर्मी, अधिक जाड़ा, वर्षा न्यूनतम तथा अलनीनों का प्रभाव पर्यावरण के कारण हमारे देश पर प्रतिवर्ष होता है। आज की यह आवश्यकता हो गई कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र पर वनों का विकास करें तथा सामाजिक वानिकी पर विशेष ध्यान दें क्योंकि वनों में विकास के लिए हमारे पास भूमि ही नहीं बची है। हम चाहकर भी मैदानी भागों में वनों का रोपड़ नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार को सामाजिक वानिकी के लिए अच्छे पारदर्शी नियम बनाने की आवश्यकता है जिससे आम जन में वनों के प्रति लगाव पैदा हो तथा सभी इनके प्रति आकर्षित हों। हमारे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के लिए वनों पर आधारित विशेष योजना भारत सरकार द्वारा लागू की जाए ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित धनराशि 1169 करोड़ वानिकी तथा वन्य जीवन विकास हेतु तथा 100 करोड़ पर्यावरण विकास हेतु, इसका मैं स्वागत करती हूं तथा सामान्य बजट का समर्थन करती हूं।

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला) **:** सभापति जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। स्कूल में कबीर दास जी का दोहा पढ़ा था कि "पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़"

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

"हमें पर्वतों तथा पर्यावरण की पूजा करनी चाहिए"

महोदया, हमारी विरासत तथा संस्कृति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। मंत्रालय की अनुदान की मांगों के सिंघावलोकन से पता चलता है कि संपूर्ण देश के पर्वतों, वनों, नदियों, पर्यावरण तथा जलवायु हेतु कुल बजट केवल 2043 करोड़ रु. है और वह सारी कहानी बयां करता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक नदी संरक्षण हेतु 557 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि है और यह इसकी स्थिति उजागर करती है। स्पष्ट है कि मंत्रालय को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसका वह हक़दार है।

वनों तथा पर्यावरण हेतु निर्धारित राशि में 30 प्रतिशत की कमी आई है। व्यापक लक्ष्य पर विचार करते हुए मंत्रालय वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है परन्तु विडंबना यह है कि इससे 30 प्रतिशत की कमी की गई है। अन्य कारणों जैसे जलवायु परिवर्तन को केवल 23 करोड़ रु. दिए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफैन्ट हेतु राशि केवल 291 करोड़ रु. है, जैव-विविधता तथा ग्रामीण आजीविका संरक्षण को केवल 15 करोड़ रु. मिले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वनों के आस-पास रहने वाले लोग या तो वनों को नष्ट कर सकते हैं अथवा वनों की रक्षा कर सकते हैं। अत: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निसंदेह, अनुदान सहायता बढ़ी है और इसे लेकर हम बहुत प्रसन्न हैं।

एक राष्ट्र के रूप में हमें इसे और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है और हमें छोटी चीजों के बारे में बड़ा सोचने की जरूरत है। बड़े बदलाव करने में शायद अब काफी विलंब हो चुका है। इसके बावजूद, मेरा मानना है कि खामियों की तरफ ध्यान दिलाने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने का यह उपयुक्त समय है। मुझे आशा है कि मेरे साथी संसद सदस्य इसे सही रूप में लेंगे क्योंकि वह मेरा पहला भाषण ही नहीं है बल्कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अंतदृष्टिपूर्ण तरीके से इस बजट को सही दिशा वाला बताया था। इस चर्चा के माध्यम से पता चलेगा कि सही दिशा क्या है।

सबसे पहले, मैं बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास आपस में अपवर्जक नहीं हैं। हम फिश लैडर्स और फिश पासेज के बिना बैराज तथा बांध बनाते हैं। इस कैम्पा (सी ए एम पी ए) राशि संग्रहित करते हैं और लंबी अवधि तक उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम वनों में हाथियों तथा अन्य वन्य जीवों को जाने का सुरक्षित रास्ता तथा सुरक्षित समपार दिए बिना राजमार्ग तथा रेलमार्ग बनाते हैं।

दूसरे, वनों तथा वन्य जीवन के विकास से ही राजस्व अर्जित हो सकता है। राजामुन्द्री में हिलसा मछली तथा पुलासा मछली असाधारण मछलियां हैं। वे भारतीय सालमोन हैं। वे प्रवासी हैं। वे समुद्र में रहती हैं तथा गंगा,, गोदावरी तथा महानदी की ऊपरी धाराओं में चली जाती हैं। ये मछलियां बैराजों के ऊपर से नहीं कूद सकतीं, हमें फिश पासेज की आवश्कता है। फरक्का बांध में प्रभावी फिश बैराज नहीं है। मुझे विश्वास है, पार्टी लाइन से अलग हटकर मेरे सभी बंगाली मित्र इस बात से सहमत होंगे कि यह तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं। हमने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे हैं, परन्तु हम प्रभावी फिश लैडर्स का निर्माण नहीं कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में पुलासा मछली एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह बहुत महंगी, लगभग 300 रु. प्रति किलो हुआ करती थी। अब यह लगभग 3,000 रु. प्रति किलो है और तेजी से विलुप्त होती जा रही है। यद्यपि पश्चिमी देशों में सलमोन उद्योग कई अरब डॉलर का उद्योग है और वस्तुत: अर्जित राजस्व इसके प्रयावासों, नदियों तथा धाराओं की रक्षा करता है। महोदया, निश्चित रूप से हमारी नीति में कुछ खामी है। हमें दिशा बदलनी होगी।

चंदन के वृक्षों की बात करें तो हमारे यहां आस्ट्रेलियाई किस्म है, भारतीय किस्म है, इंडोनेशियाई किस्म है तथा मलेशिया किस्म है। इनसे केवल तस्करों और शिकारियों को ही लाभ हो रहा है। राज्य सरकारों को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा है। भारतीय किस्म में सबसे अधिक सुगंध एवं तेल है। ऑस्ट्रेलिया में हजारों एकड़ क्षेत्र में भारतीय चंदन के वृक्ष लगाए जा रहे हैं और फल-फूल रहे हैं। यह विशाल उद्योग है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हम अपनी नीति में कुछ गलत कर रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है और हमें एक नई दिशा की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं।

तेलंगाना और रायलसीमा में लाल चंदन वृक्ष उगाए जाते हैं। विश्व की यह सबसे महंगी लकड़ी है - इसकी कीमत 3000 रु. प्रति किलोग्राम है। ऐसे कई उदाहरण हैं, परन्तु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक अन्य बात है। पर रायलसीमा और तेलंगाना में पाया जाता है।

बहुत से उदाहरण हैं - कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) मूंगा की चट्टानें और पश्चिमी घाट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद शिखर सम्मेलन में आयुर्वेदिक दवाओं का महत्व बताया था। लक्ष्मण को बचाने के लिए भगवान राम ने हनुमान को द्रोणागिरि पर्वत पर भेजा था और फिर उन्हें संजीवनी लाने के लिए कहा गया। उन्हें संजीवनी नहीं मिली, इसलिए वह पूरा पर्वत उठा लाए। परन्तु हमें आशा करनी चाहिए कि नहीं ऐसी स्थिति न हो कि हनुमान को द्रोणागिरि पर्वत ही न मिल पाए और यह पोलावरम जैसे बांध में न डूब जाए। मुझे लगता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में टकराव नहीं होना चाहिए। हम दोनों ही लक्ष्य सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।

तेलंगाना में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री के.

चन्द्रशेखर राव ने इस पर विशेष बल दिया है। हमने पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता तथा वन क्षेत्र संबंधी कई परियोजनाएं आरंभ की हैं, और हरित तेलंगाना मुख्य पहल है।

मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में कुछ विलुप्त पशु एवं पक्षी देखे गए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनमें से एक है। दूसरे, पिछले सप्ताह हैदराबाद मे बाहरी इलाके में कोलबर भोलानति नामक एक विलुप्त सांप देखा गया।

उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसरों में बहुत सी विलुप्त प्रजातियां तथा नई प्रजातियां आज भी नजर आती हैं। हमें इस प्रयोजनार्थ राशि की आवश्यकता है।

'कैम्पा' कोष में लगभग 1100 रु. का तेलंगाना का हिस्सा भारत सरकार के पास है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि तेलंगाना को यह राशि जल्द से जल्द जारी की जाए।

आदिवासी सबसे अधिक जानकार तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से सबसे जागरूक लोग होते हैं। उनकी संस्कृति एवं व्यवहार बहुत ही अच्छा है, उनकी भाषा में खराब शब्द नहीं हैं। उनकी संस्कृति में चोरी तथा भीख मांगने जैसी खराबियां नहीं हैं। वे अपने बच्चों तथा जीवन के अन्य सभी रूपों से अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरा मानना है कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक ओर तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, परन्तु दूसरी ओर हम उन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, जिनमें प्रवासी मछलियों, आदिवासियों तथा वनों के समाप्त हो जाने की आशंका है। कहा जाता है कि मानव के लालच की कोई सीमा नहीं है। परन्तु हमारे भीतर मानवीय अनुकम्पा होनी चाहिए। हां, मैं पोलावरम बांध की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाए बिना भी नया बांध बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वही दिशा है जिसकी बात वित्त मंत्री महोदय कर रहे थे।

*** श्री थोटा नरसिम्हम** (काकीनाडा) : हमारे प्राचीन दर्शन में यह उल्लेख है कि हम प्रकृति को 'धरती माता' मानते हैं। हम धरती माता और समुदाय के बीच सन्तुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

"दी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013" में आकलन किया गया है कि देश का कुल वन और पेड़ क्षेत्र 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.01 प्रतिशत है। वर्ष 2011 के आकलन से तुलना करें तो देश का वन क्षेत्र 5871 वर्ग कि. मी. बढ़ा है। वनीकरण को 'जन अभियान' का रूप देकर देश वन क्षेत्र में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

गुजरात की तटरेखा बहुत लम्बी है। गुजरात के समान आन्ध्र प्रदेश की तटरेखा भी बहुत लम्बी है। राज्य के विभाजन के बाद हमारे आन्ध्र प्रदेश को अपने अस्तित्व के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा केन्द्र सरकार विशेषकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस संबंध में पूरी सहायता प्रदान करे। मेरा अनुरोध है कि हमारे राज्य में तटरेखा की पारिस्थितिकी से संबंधित समस्याओं तथा पर्यावरण और लोगों पर इनके प्रभाव का अध्ययन कराया जाना चाहिए और उसकी शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों को स्वीकार किया है। जलवायु परिवर्तन इस मंत्रालय का कोई अलग से पोर्टफोलियो नहीं है, तथापि, मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन को मंत्रालय द्वारा फोकस किए जाने वाले तीन क्षेत्रों में शामिल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जलवायु परिवर्तन को एक मुद्दा मानती है जिसका हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तथा श्री प्रकाश जावडेकर ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करते समय यह आश्वासन दिया था कि वह पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृति प्रक्रिया "तेज", "पारदर्शी" और परेशानी रहित होगी। पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की नई प्रणाली भी शुरू की गई है। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुरू की गई नई प्रणाली पूर्णरूप से कार्यरत है। जुलाई, 2014 से ऑनलाइन पद्धति के अलावा किसी अन्य पद्धति से स्वीकृति संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मंत्रालय के कार्यकरण को बेहतर करने का संकेत है।

परन्तु प्रदूषण के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि सम्पूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित होगी, जिसमें प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा होगी और प्रत्येक चरण पर समय सीमा को कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। परंतु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ की गई शिकायतों के समाधान के लिए क्या समय सीमा है?

तीन मंत्रालय अर्थात् पर्यावरण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय अलग-अलग और सामूहिक रूप से उद्योगों के लिए बेहतर पर्यावरण, उद्योगों के अनुरूप श्रम कानून और उद्योगों की समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं ताकि उद्योगपति 'सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हित' में उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

इसके साथ-साथ मंत्रालय को लोगों की शिकायतें, वायु प्रदूषण,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नदी जल, सतही जल और भूजल के संदूषण, मृदा संरक्षण और कृषि उत्पादन के संदूषण तथा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर उसके प्रभाव का ध्यान रखना होता है।

राजग सरकार की प्राथमिकता उद्योगों के लिए शीघ्र पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी होनी चाहिए।

औद्योगिक विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे हमारी आजीविका समाप्त हो जाए, भूमि अधिगृहण एवं विस्थापन हो, पर्यावरण की अपूरणीय क्षति हो और प्राकृतिक संसाधन स्थायी रूप से समाप्त हो जाएं।

निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई सरकार की प्रतिबद्धता समाज और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

संसद में पुस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख है कि 2015 में 190 से अधिक देश एक समझौता करने जा रहे हैं जिसमें 2020 के बाद उत्सर्जन में कमी करने की शपथ की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य में समझौते में विकासशील देशा के सरोकारों और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन वैश्विक समझौतों में विकसित और विकासशील देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।

नए जलवायु समझौतों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासशील देशों के अपेक्षित कार्बन उत्सर्जन और विकास कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। वर्तमान में सरकार जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित दो समझौतों पर काम कर रही है।

सर्वेक्षण में उल्लेख है कि मानव प्रवृत्त ग्रीन हाउस गैसों (जीएचसी) के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है जो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग के स्तर से 2° सेंटीग्रेड अधिक तक सीमित कर पायेगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2000 से 2010 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 2.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1970 से 2000 के बीच प्रतिवर्ष 1.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जहां तक भारत की बात है, भारत को प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.8 मीट्रिक टन से बढ़कर 2010 में 1.7 मीट्रिक टन हो गया है जो विश्व के 2010 में 4.9 मीट्रिक टन के औसत से काफी कम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की मई में प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लेख है कि विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। वायु प्रदूषण देश में होने वाली मौतों का पांचवां सबसे बड़ा कारण है।

पचास प्रतिशत से अधिक भारतीय शहर अत्यधिक प्रदूषित हैं। 10 माइक्रोन से कम व्यास वाले कणों (पी एम 10) जो फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं, का स्तर राष्ट्रीय मानक से 1.5 गुना अधिक है।

विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत में हैं।

2011 से 2030 के बीच भारत में होने वाली मौतों का पांचवा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है।

भारत में सड़क दुर्घटना में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और लगभग हर मिनट एक दुर्घटना हो जाती है।

भारत के शहरों में विषैला धुंआ छोड़ने वाली कारों, दुपहिया वाहनों और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल से चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से देश की अर्थव्यवस्था का भी काफी नुकसान हुआ है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्र भोजन पकाने के पारंपरिक तरीकों, जैसे कि जलाऊ लकड़ी अथवा गोबर के उपलों के प्रयोग के कारण बाह्य वायु प्रदूषण के अलावा आंतरिक वायु प्रदूषण की समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। जलाऊ लकड़ी अथवा गोबर के उपलों की सहज तथा किफायती उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोत्तरी हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक है। महिलाएं और बच्चे इस आंतरिक वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं पैदा हो रही हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में, जो ज्यादातर समय घर पर रहते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी अथवा बायो गैस (गोबर गैस) की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए, तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। अत:, ग्रामीण जनता के लाभ हेतु सरकार द्वारा इस दिशा में तुरंत कदम उठाये जाने चाहिएं। ग्रामीण जब मानस में जलाऊ लकड़ी अथवा गोबर के उपलों को जलाने के कारण स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, व साथ ही साथ उन्हें एल पी जी अथवा बायो गैस/गोबर गैस के प्रयोग की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किये जाने की भी जरूरत है। इस समस्या को सुलझाने हेतु मेरे सुझाव इस प्रकार हैं:

1. वर्ष 2020-21 तक सभी शहर स्वच्छ वायु मानकों को पूरा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजना लागू करना। सभी राज्यों में वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना तथा लोगों के लिए दैनिक वायु गुणवत्ता चेतावनी के साथ-साथ एडवाईज़री जारी करना ताकि सही समय पर बचाव किया जा सके।

2. उत्सर्जन संबंधी कठोर मानकों का सूत्रपात करना। शुरूआत में, देशभर में भारत स्टेज (बीएस) IV उत्सर्जन मानकों को लागू किया जाए। 2016 तक कारों को बीएस-IV मानक पूरे करने चाहिए तथा देश को 2020-21 तक बी एस VI

स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास करने चाहिए। मात्र बी.एस VI मानक ही डीज़ल संबंधी उर्त्सजन पर प्रभावी रोक लगा सकते हैं जिसे फेफड़ों के कैंसर से मजबूत संबंध होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रचार श्रेणी के कैंसरकारक तत्व के तौर पर परिभाषित किया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जैसे वित्तीय उपायों के द्वारा एस यू वी (स्पोर्टस यूटीलिटी व्हीकल्स) तथा डीजल कारों की संख्या को सीमित करना। भारत यातायात आधुनिकीकरण तथा परिवहन मोटरीकरण हेतु उन तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकता, जो यूरोपीय मानदण्डों के अनुसार नौ से चौदह वर्ष पुराने हैं।

3. सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) जैसे स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल कराधान नीति लागू करना। सी एन जी तथा डीज़ल की कीमतों में प्रभावी अंतर ही सी एन जी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे सकता है। उन्नत स्वच्छ वाहन प्रौद्योगिकियों जैसे कि विद्युत चालित वाहनों को वित्तीय उपायों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए।

4. शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वहनीय साधनों की तादाद बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना। इन प्रणालियों के एकीकरण तथा पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए सुव्यवस्थित अवसंरचना और पैरा ट्रांजिट तंत्र की स्थापना हेतु सुधार आधारित वित्त पोषण का प्रयोग करना। 2020-21 तक शहरों में दैनिक आवागमन की कम से कम 80 प्रतिशत जरूरतें सार्वजनिक परिवहन तंत्र द्वारा पूरी की जाएं। सार्वजनिक परिवहन पर पड़ रहे मौजूदा भार को हटाने हेतु केंद्रीय व राज्य सड़क करों में सुधार लाना तथा कारों पर ऊंची दर से कर लगाकर राजस्व की कमी की भरपाई करना एक विशिष्ट शहरी परिवहन फंड की स्थापना की जाए। ऐसे शहरी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें लोग रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन तथा अन्य सेवाओं के केंद्रों के निकट रह सकें।

5. व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को सीमित करना। शहरी प्रशासन को मुफ्त पार्किंग बंद करनी चाहिए, तथा मूल्यवान सार्वजनिक भूमि तथा पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्य की वसूली के लिए पार्किंग तंत्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिए व पार्किंग सीमित की जानी चाहिए और पार्किंग शुल्क लगाए जाने चाहिए।

6. भारत में दुपहिया वाहनों की कुल बिक्री का लगभग 6 प्रतिशत भाग टू-स्ट्रोक दुपहिया वाहनों का है लेकिन देश में 70 प्रतिशत पैट्रोल चालित तिपहिया वाहन टू स्ट्रोक इंजन आधारित हैं जो कि चिंता का विषय है। भारत के कुछ शहरों में टू-स्ट्रोक युक्त तिपहिया वाहनों का पंजीकरण रोक दिया गया है। देश में इन टू-स्ट्रोक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

डब्ल्यू एच ओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के वायु प्रदूषण संबंधी आकलन के मुताबिक भारतीय शहरों की जलवायु बहुत हानिकारक हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत के सभी 124 सर्वेक्षित शहर पार्टिकुलेट मैटर के स्तर के मामले में डब्ल्यू एच ओ के दिशा निर्देशों से काफी आगे हैं, दिल्ली व पटना के मानक डब्ल्यू एच ओ द्वारा सुझाये गये सुरक्षा स्तर मानकों से 15 गुना अधिक हैं।

डब्ल्यू एच ओ द्वारा जारी किये गये शहरी वायु गुणवत्ता संबंधी अद्यतन डाटाबेस से उस बात की पुनः पुष्टि होती है, जो हम पहले से जानते हैं कि अधिकतर भारतीय शहरों की जलवायु अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण अत्यंत हानिकारक है। भारत उन देशों के समूह में शामिल है, जहां पार्टिकुलेट मैटर (पी एम) का स्तर सर्वाधिक है। साथ ही, भारतीय शहरों की हवा में अन्तर देशों के शहरों की तुलना में पीएम 10 तथा पी एम 2.5 (10 माईक्रॉन व 2.5 माईक्रॉन व्यास वाले सूक्ष्म कण) का स्तर सबस अधिक है।

आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान मे पी.एम. 2.5 का स्तर 101 माईक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर (μ जी/सी यू एम) है, जो सर्वाधिक है।

डबल्यू एच ओ द्वारा जारी किये गये पी एम 10 तथा पी एम 2.5 आंकड़ों में 124 भारतीय शहरों के आंकड़े और जानकारी दी गई है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि सभी भारतीय शहरों में पीएम10 का स्तर डब्ल्यू एच ओ के दिशानिर्देश, यथा 20 μ जी/सी यू एम से अधिक है, पी एम 2.5 के मामले में सिर्फ एक शहर (केरल का पथनमथिट्टा, जो डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश यानि की 10 की सीमा में है) को छोड़कर बाकी सभी शहरों में यह डब्ल्यू एच ओ दिशानिर्देशो (10 μ जी/सी यू एम) से अधिक है।

पी एम 2.5 का स्तर दिल्ली और पटना में सबसे ज्यादा है, जो डब्ल्यू एच ओ के दिशानिर्देशों से 15 गुना अधिक है। इसके बाद ग्वालियर, रायपुर, अहमदाबाद, लखनऊ तथा फिरोज़ाबाद का स्थान आता है, व इन सब शहरों में सूक्ष्म कणों का स्तर तय सीमा से 9 से 14 गुना अधिक है।

भारत की 150 में से 76 प्रमुख नदियां प्रदूषित हैं। बी जे पी के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार का कहना है कि वह गंगा की सफाई को लेकर अति गंभीर है। हर दिन 764 औद्योगिक इकाइयों से लगभग 500 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में छोड़ा जाता है। हर दिन शहरों से लगभग 7,322 मिलियन लीटर मल जल बिना उपचार किये गंगा में छोड़ दिया जाता है।

इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया गया है जो कि स्वागत योग्य कदम है। इसे यह समझना चाहिए कि भारत में प्रत्येक नदी गंगा जैसी है। प्रत्येक नदी या तो विलुप्त होने की कगार पर है अथवा विलुप्त हो चुकी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शहर इन नदियों से शुद्ध जल निकालते हैं तथा मल जल डालते हैं तथा उद्योगों द्वारा नदियों में अपशिष्ट डाला जाता है। घरों में आपूर्ति किया गया 80 प्रतिशत जल अपशिष्ट जल के रूप में वापस आता है।

नदी की सफ़ाई का मॉडल अभी तक मलजल शोधन संयंत्रों के निर्माण पर ही निर्भर रहा है। यह रणनीति त्रुटिपुर्ण है। वाराणसी शहर के लगभग 84 प्रतिशत हिस्से से सीवेज प्रणाली मौजूद नहीं हैं। इसी तरह इलाहाबाद का 71 प्रतिशत हिस्सा सीवेज प्रणाली से वंचित है। अभियंता सरकार को यह बतायेंगे कि वे सीवेज तंत्र का निर्माण करेंगे। यह एक दिवास्वप्न है। यद्यपि वे बकाया काम के निपटान की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अवसंरचना निर्माण अथवा मरम्मत की दिशा में और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। शहरों के पास जल-मल उपचार संयंत्र चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध नहीं है।

मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं:

1. नदी के सभी बहाव क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय बहाव को अनिवार्य बनाया जाए। ऊपरी बहाव क्षेत्र में, जहां नदी जल की आवश्यकता महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय कार्यों व साथ ही साथ सामाजिक जरूरतों की पूर्ति हेतु सबसे ज्यादा होती है, वहां यह बाध्यता होनी चाहिए कि न्यूनतम बहाव वाले मौसम में 50 प्रतिशत तथा अन्य ऋतुओं में नदी में न्यूनतम 30 प्रतिशत जल हर समय बहता रहे। शहरी क्षेत्रों में, इस बाध्यता की गणना नदी में छोड़े गये अपशिष्ट जल की कुल मात्रा तथा घुलनशीलता हेतु प्रयुक्त 10 नामक फैक्टर के आधार पर की जायेगी।

2. यह बात मान ली जाए कि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित रफ्तार के साथ पारंपरिक सीवेज नेटवर्क का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो सीवेज को खुले नालों में रोकें तथा उसे उपचार संयंत्रों तक लेकर जाएं। यह सुनिश्चित करें कि सीवेज उपचार संबंधी सभी नई प्रणालियों में स्थानीय स्तर पर विकसित तंत्रों का प्रयोग किया जाए।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि उपचारित जल-मल का पुनः प्रयोग हो अथवा उसे घुलने के लिए सीधे नदियों में छोड़ा जाए।

4. जल तथा स्वच्छता संबंधी किफायती उपाय अपनाने जाएं। आज, केन्द्र सरकार द्वारा सीवेज अवशोधन संयंत्रों के निर्माण एवं उनको चलाने के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है। शहरों में सभी लोगों को शुद्ध जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उन्हें कुछ दूरी पर मौजूद स्रोतों से महंगे दामों पर पानी मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा आपूर्ति के दौरान बर्बाद हो जाता है। यह व्यवहार्य नहीं है। शहरों को पानी के इस्तेमाल में किफायत बरतनी चाहिए, पानी के दाम चुकाने चाहिए और किफायत को ध्यान में रखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट में निवेश करना चाहिए। केंद्रीय निधि से मात्र उन प्रणालियों को राज सहायता प्राप्त होनी चाहिए, जो सिर्फ कुछ मुट्ठीभर व्यक्तियों को नहीं अपितु सब लोगों के लिए काम करता हो।

5. ऐसा कचरा विस्तारण तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें कचरे को अलग-अलग किया जाए तथा उससे मूल्यवान संसाधन पैदा किये जा सकें।

6. यह बात समझनी चाहिए कि औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण विधि के प्रभावी प्रवर्तन तथा लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाये जाने की मांग रखता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि हर दिन लगभग 500 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट जल गंगा में छोड़ा जाता है। नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिये जाने की जरूरत है।

7. स्वच्छता की कमी की स्वीकरोक्ति एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मौजूदा कार्यक्रम का क्रियान्वयन युद्ध स्तर पर किया जाए। इसे एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए, जिसका महत्व भी हो।

पारिस्थितिकी का महत्व अर्थव्यवस्था से अधिक है। औद्योगिक प्रगति के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। दोनों को साथ साथ चलना है। वास्तव में, पर्यावरण की बजाए, औद्योगिक वृद्धि को कहीं ज्यादा महत्व दिया गया है। पर्यावरण तथा सतत् विकास के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधी बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने जरूरी हैं।

औद्योगिक लॉबी द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरियों को विकास का मार्ग बाधित करने वाले तत्व के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सरकार की यह योजना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 में समाप्त हो गई थी, के दौरान ताप विद्युत का उत्पादन बढ़ाकर 78,700 मेगा वाट किया जाए, लेकिन मात्र 53,000 मेगा वाट क्षमता का ही निर्माण हो पाया है। इसी समय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 217,714 ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को मंजूरी दी गई। 2017 में समाप्त हो रहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 85,000 मेगा वॉट अतिरिक्त क्षमता सृजन की बात की गई है। हालांकि, यह लक्ष्य बिना और किसी मंजूरी के सरलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, इसीलिए अप्रैल 2012 से अब तक वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 36000 मेगा वॉट अतिरिक्त क्षमता सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है।

कोयले के मामले में भी यही बात लागू होती है। भारत में वर्तमान में कोयले का वार्षिक उत्पादन 557.7 मिलियन टन है। 2017 तक कोयले की मांग बढ़कर 980.50 मिलियन टन हो जायेगी, जिसे 11वीं योजना काल के दौरान मंजूरी प्रदान की गई, कोयला खदानों से प्राप्त होने वाले 589 मिलियन टन प्रति वर्ष के कोयला उत्पादन द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके बाद भी, वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2012 से 216 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता वाली 67 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

वास्तविकता यह है कि पर्यावरणीय आधार पर बहुत कम ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन्हें मंजूरी नहीं दी जाती है। सच तो यह है कि परियोजनाओं को इस आधार पर मंजूरी मिल जाती है कि सरकार के पास इस बात की जांच करने के लिए अत्यंत सीमित संसाधन व क्षमता मौजूद है कि क्या खननकर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं। यह उद्योगों को प्रभावित करता है। स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। नई सरकार को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाकर इसे मजबूत बनाना चाहिए तथा पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में भी सुधार लाया जाना चाहिए व सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों की चिंताओं का निवारण किया जा सके।

1. पर्यावरण, वनों, वन्यजीवन अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई मंजूरियों को एक छत के नीचे लाया जाए, ताकि इन परियोजनाओं के सकल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जा सकें।

2. सैंकड़ों नियामकों के स्थान पर एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए, जो पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करने का काम करे। इस निकाय को पर्याप्त अधिकार और संसाधन आबंटित किये जाने चाहिए, ताकि सही तरह मूल्यांकन किया जा सके और यथोचित अर्थदण्ड व प्रतिबंध लगाये जा सकें। यह प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह होनी चाहिए तथा पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में जलभागीदारी को प्रोत्साहित करती हो।

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो देश के सबसे बड़े पर्यावरणीय विनियामक हैं, के द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के तहत अनुपालन हेतु परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए। वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों का प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी की जानी चाहिए।

4. विनियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार को संसाधन मुहैया करने चाहिए, क्षमता निर्माण करना चाहिए तथा संस्थागत सुधार लाने चाहिए। चूंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धरातल पर विनियमन का काम करते हैं, अतः सरकार को उन्हें मजबूत करना चाहिए।

5. पर्यावरण संबंधी मंजूरियों से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी जनता के ध्यान में लाई जानी चाहिए, जन सुनवाई की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए व इसमें पारदर्शिता लाई जानी चाहिए।

6. सरकार सिर्फ इन्हीं उद्योगों को लाईसेंस देगी, जो अपने प्रारंभिक निवेश का कुछ भाग अपशिष्ट उपचार तथा स्थापित किये जाने वाले उद्योग के आस-पास हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु आरक्षित रखती है।

7. "प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे" आज का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि ऐसे उद्योग, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।

भारत बिजली की गंभीर किल्लत से जूझ रहा है। देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 778 किलो वॉट प्रति घण्टा प्रति वर्ष के साथ विश्व में सबसे कम है, इसकी तुलना में वैश्विक खपत का औसत 2600 किलोवॉट प्रति धण्टा प्रति वर्ष है। लगभग 306 मिलियन लोग जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, की पहुंच बिजली तक नहीं है। इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि लगभग 818 मिलियन लोग भोजन पकाने के लिए बायोमास ऊर्जा पर निर्भर हैं। 2013 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास सूचकांक में भारत का 136वां स्थान था।

स्पष्ट है कि ऊर्जा तक पहुंच की समस्या के शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। ऐसे करते हुए भारत को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं है। वर्तमान में, देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह उत्सर्जन लगातार बढ़ता ही जायेगा।

साल दर साल जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भारत प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता की 30 प्रतिशत जरूरत आयात द्वारा पूरी करता है। नई सरकार को ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य व जलवायु पर इसके प्रभाव के मध्य संतुलन बनाकर रखना चाहिए।

कोयले पर मौजूदा उपकर में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए, ताकि इससे प्राप्त धनराशि से स्वच्छ ऊर्जा तथा वनीकरणय ऊर्जा के विकास हेतु राजसहायता प्रदान की जा सके।

सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए तथा वर्ष 2019 तक प्रत्येक ग्रामीण अप्रवास को प्रति दिन कम से कम एक यूनिट बिजली प्रदान करनी चाहिए। ऊर्जा तक पहुंच के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिडें एक प्रभावी समाधान बनकर उभरी हैं। इन सब नीतियों को प्रभावी नीति तथा वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी सिलेंडरों, पाईप्ड बायो गैस अथवा उन्नत चूल्हों के माध्यम से रसोई गैस स्वच्छ ईंधन मुहैया कराया जाना चाहिए।

भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पूर्ण संभावित क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ताकि कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा न्यूनतम से बढ़कर अधिकतम हो जाए। 12वीं योजना के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र हेतु 10,94,938 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है 3 प्रतिशत। यह बढ़कर 25 प्रतिशत होना चाहिए।

विद्युत मंत्रालय के अनुसार, ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग के द्वारा लगभग 25,000 मेगा वॉट बिजली बचाई जा सकती है। यह उपाय अपनाकर न्यूनतम निवेश द्वारा मांग - आपूर्ति के मध्य विद्यमान खाई को पाटा जा सकता है। नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऊर्जा दक्षता का सिद्धांत सभी प्रकार की ऊर्जा के उपयोग में समाहित है।

वर्तमान में ऊर्जा नीतियां बिखरी हुई हैं तथा इनका प्रबंधन पांच अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। सरकार को इन सब नीतियों को एक छत के नीचे लाना चाहिए तथा एक संयुक्त संगठन की स्थापना करके सभी मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिसमें भारतीय ऊर्जा मिश्रण मॉडल का संतुलित परिदृश्य दिखाई देगा।

अगर उचित उपाय न किये जाएं, तो नवीकरणीय ऊर्जा भी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण सुरक्षित रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*** श्री अशोक संजर** (भोपाल) : हमारे जमाने में यह माना जाता था कि आर्थिक और सामाजिक विकास पर्यावरण के संरक्षण और पारिस्थितिकी पर मनुष्य के प्रभाव में कमी पर निर्भर करता है। जल एवं वायु प्रदूषण, ठोस एवं खतरनाक कचरे की उत्पत्ति, मृदा अपरदन, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं एक विवादास्पद मुद्दा बन चुकी हैं। आर्थिक, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

माननीय प्रधान मंत्री ने मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर यह मार्गदर्शन किया है कि भारत में भावी विकास कैसा होना चाहिए।

मैं भोपाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। भोपाल शहर को झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में और उसके आस-पास अनेक झीलें हैं। इनमें से दो झीलें प्रमुख हैं जो ऊपरी झील और निचली झील के नाम से प्रसिद्ध हैं। भोपाल की ऊपरी झील इस शहर की जीवन रेखा है और यह भोज आद्र भूमि क्षेत्र का भाग है। भोज आद्र भूमि हजारों वर्ष पुराना बहुतउद्देशीय जल निकाय है। इस झील को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसाकि जलभराव क्षमता में कमी, सीवेज और गंदे पानी का इसमें मिलना और जलभराव क्षेत्र का अतिक्रमण। बेईमान बिल्डरों द्वारा जलभराव क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के कारण राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन जी टी) ने सम्पूर्ण जलाशय क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि वह भोज आद्र भूमि के संरक्षण के लिए भोज आद्रभूमि विकास परियोजना के द्वितीय चरण के मंजूरी प्रदान करे। मंत्रालय ने 62 शहरी झीलों की पहचान करने और उनका संरक्षण करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह एक सराहनीय कदम है। मेरा मंत्रालय से यह भी अनुरोध है कि वह समयबद्ध तरीके से सभी शहरी झीलों की सैटेलाइट मैपिंग के लिए परियोजना शुरू करें और उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करे।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को शामिल कर इस संस्थान के अध्ययन के दायरे को बढ़ाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की) : अध्यक्ष महोदया, मुझे आज बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस सम्मानित सभा में पहली बार बोल रहा हूं।

मैं प्रकृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता और सतत विकास की आवश्यकता का समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ-साथ मैं विदेशी फंडिंग एजेंसियों से फंड प्राप्त कर रहे कुछ गैर सरकारी संगठनों के इशारों पर किए गए तथाकथित संरक्षण उपायों के बारे में चिंता व्यक्त करता हूं क्योंकि इसमें न तो लोगों को शामिल किया गया है और न उन्हें विश्वास में लिया गया है। यह सरकार की ओर से एक बेकार का प्रयास है जिसमें इस सरकार के संरक्षण क्रियाकलापों में लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया है।

उदाहरण के लिए अब सरकार प्रो. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा डा. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्यदल के माध्यम से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त कुछ रिपोर्टों के आधार पर पश्चिमी घाट के संरक्षण के संबंध में कार्रवाई कर रही है।

महोदया, भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों का निरीक्षण करने के लिए विश्व विरासत समिति से संपर्क किया था ताकि उन्हें प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जा सके। विश्व विरासत समिति ने आवेदनों को तीन बार अस्वीकार कर दिया और अंत में वर्ष 2009 में उसने यह कहते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना स्थगित कर दिया कि इस संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से एकत्र किए गए आंकड़ों का अभाव है और ऐसे आंकड़ों के आधार पर कोई विनियामक संस्था नहीं है।

परंतु इसके बाद भारत सरकार ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का गठन कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पैनल का गठन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री ने कोठागिरि और नीलगिरि में पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अभियान चला रहे गैर सरकारी संगठनों के कान्क्लेव में किया था। इस पैनल को व्यापक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की भागीदारी से और उन्हें शामिल कर पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था परंतु दुर्भाग्यवश, इस पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने लोगों से परामर्श करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। सबसे रोचक बात यह है कि यह पैनल 4 मार्च, 2010 को गठित किया गया था। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अभियान चला रहे एक गैर सरकारी संगठन 'आई यू सी एन' ने 6 जनवरी, 2011 को पर्यावरण और वन मंत्रालय को पत्र लिखकर पश्चिमी घाट में मौजूद बाघों के संरक्षण और विद्यमान 'वनस्पति, वहां उपयोग किए जा रहे कीटनाशकों और अन्य चीजों' के बारे में उसके सुझाव मांगे।

31 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत रिपोर्ट में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने स्पष्ट तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, आईयूसीएन की मांगों पर सहमति व्यक्त की या उन्हें स्वीकार किया था और विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों की सूची में इन 39 स्थलों को शामिल किए जाने के उद्देश्य से विश्व विरासत समिति को संतुष्ट करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। मेरा मानना है कि यह रिपोर्ट विश्व विरासत स्थल का तमगा हासिल करने के उद्देश्य से विश्व विरासत समिति को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुसार तैयार की गई थी।

डबल्यू जी ई ई पी के प्रस्तावों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने डा. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था। उन्होंने भी स्थानीय लोगों, स्थानीय समुदायों और स्थानीय स्व-शासन निकायों के साथ परामर्श करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने परामर्श किए बिना 15/04/2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में 4156 गांवों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें से 123 गांव केरल में है। इन 123 गांवों में से 48 गांव केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की में है इन्हें पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने के लिए उच्चस्तरीय कार्यदल ने जनसंख्या घनत्व को मापदंढ माना है। प्रति वर्ग कि.मी. 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया है और अन्य क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील जोन से बाहर छोड़ दिया गया है। परंतु दुर्भाग्यवश अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों, जहां प्रति वर्ग कि.मी. 750 से अधिक लोग रहते हैं, को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अब समस्या यह है कि सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया है तथा समग्र क्षेत्र को पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत दिनांक 13.11.2013 को एक अधिसूचना जारी की है।

महोदया, अब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम स्थानीय स्व-शासी संस्थानों के अंतर्गत केवल न्यूनतम विकासात्मक कार्यों को करने की स्थिति में भी नहीं है। ग्रेनाइट आदि जैसी कच्ची सामग्रियों की कमी के कारण किसी अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। हम पश्चिमी घाटों पर खनन संबंधी कोई कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं। परन्तु खनन संबंधी इन कार्यकलापों को स्थानीय विकास संबंधी आवश्यकताओं हेतु कच्ची सामग्रियां प्रदान करने तक विनियमित किया जाना चाहिए। उसे किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति : ठीक है, धन्यवाद।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज : महोदया, यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। केवल एक और मुद्दा है।

माननीय सभापति : यहां पर अनेक वक्ता हैं जिन्होंने अभी बोलना है।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज : पर्यावरण को संरक्षित करने के बहाने यह हो रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

वहां पर एक अन्य परियोजना है। यह उच्च श्रेणी की पर्वत भूदृश्य विकास परियोजना है जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त-पोषित तथा यू एन डी पी के समर्थन के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना इडुक्की जिले में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य 11,600 हेक्टेयर खेती की जमीन को संरक्षित क्षेत्र में बदलना है। इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। हमारा केवल यही अनुरोध है। हम प्रकृति के संरक्षण के लिए है क्योंकि हम वहां पर इलायची, चाय, कॉफी जैसी उष्णकटिबंधीन फसलों की खेती कर रहे हैं। यह पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय स्थिति हमारे भरण-पोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। परन्तु पर्यावरण का यह संरक्षण हमारी भागीदारी, हमारी सहमति तथा वहां पर रह रहे लोगों की सहभागिता के साथ होना चाहिए। उसके लिए हम सहमत हैं। अन्यथा यह प्रति-उत्पादक होगा। हम वहां पर जा रहे लोगों के विरुद्ध होकर प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं।

अत:, मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह हमारी भागीदरी के साथ हमें विश्वास में लेने के पश्चात् नई पहल करें। हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (मेहसाणा) : मानव सृष्टि पर्यावरण का अभिन्न अंग है। पर्यावरण का विभाजन भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में किया जा सकता है। आज दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। परन्तु वास्तविक धरातल पर उसकी परिणति कुछ कम नजर आ रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाला प्रभाव सभी महाद्वीपों और महासागरों में विस्तृत रूप ले चुका है। जलवायु असंतुलन के कारण आज एशिया को बाढ़ गर्मी के कारण मृत्यु, सूखा तथा पानी से संबंधित खाद्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश जो मानसून पर निर्भर करते हैं, उनके लिए यह खतरे की घंटी है।

गुजरात ही भारत में पहला राज्य है जिसने तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के विजन से क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय शुरू किया है। उसी गुजरात पेटर्न की तर्ज पर केन्द्र में भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सम्मिलित रूप से गठन किया है। जिससे इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से पर्यावरण संबंधी संतुलन को बनाए रखा जा सके।

आज सृष्टि संतुलन तथा मानव जाति के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हम सघन वनों के बारे में पुन: गंभीतरपूर्वक सोचें। आज दुनिया के पूरे भू-भाग में से भारत में सिर्फ 21.2 प्रतिशत वन भूमि है जिसकी वजह से वातावरण में तापन का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा यह खाद्य उत्पादन में निरंतर गिरावट का कारण बनता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वानिकी धरती माता की शोभा है तथा धरती पर जब हरे भरे पौधे फल-फूल लहलाते हैं तो एक उत्सव का आनंद अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में वन उत्सव मनाए जाते रहे हैं। पेड़-पौधे हमें सिर्फ भोजन ही नहीं प्रदान करते बल्कि ये हमारे सौंदर्य बोध को भी मजबूत करते हैं। सृष्टि के सृजन के प्रारम्भिक काल से ही मानव की वर्तमान अवस्था तक पेड़ पौधों का सामाजिक वनीकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आज प्राकृतिक असंतुलन की विभीषिका से जूझ रहे संसार के मध्य दूर दृष्टि रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास तथा वन्य जीवन हेतु और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु क्रमश: 1169 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक आबंटन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ पर्यावरण ही नहीं अपितु देश के सभी क्षेत्रों में चिंता परिलक्षित होती है।

सामान्य बजट में हिमालय अध्ययन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय केन्द्र बनाने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि स्वागत योग्य है। आज दुनिया में मानवीय गतिविधियों से प्रेरित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 प्रतिशत सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करने की दिशा में नहीं है तथा जलवायु परिवर्तन सतत् विकास पर 2 नए वैश्विक समझौतों को 2015 में अंतिम रूप देने पर बात चल रही है।

क्योटो प्रोटोकाल के पक्षकारों की 9वीं बैठक नवम्बर, 2013 में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वारसा, पोलैंड में आयोजित की गई थी। अनेक देशों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला दूसरा मुद्दा हरित जलवायु का पोस्ट कार्ड था। इन क्षेत्रों में निर्णयों पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण था और किसी एक मुद्दा स्पष्ट रूप से दूसरे पर निर्भर था।

देश के वन आजीविका और भरण-पोषण के लिए वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत् प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति संबंधित आंकड़ों का अभाव होने के कारण वनों से संबंधित वास्तविक मांगों तथा स्थानीय लोगों के कल्याण में वनों के योगदान का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2014 जारी किया है, जिसमें किसी विशिष्ट वन क्षेत्र के प्रबंधन की कार्यान्वित योजना का मूल्यांकन और संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का प्रावधान है।

माननीय सर्वोच्च् न्यायालय ने भी समाज में विभिन्न तरीकों से फैल रहे पर्यावरणीय प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि पॉलीथीन की थैलियों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए तथा घनी बस्तियों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के आस-पास मोबाईल टावर्स नहीं लगाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था क्योंकि ई-कचरा तथा मेडिकल वेस्ट कचरा और मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाली खतरनाक़ गैस से लोगों के जीवन का खतरा पैदा हो गया है।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि माननीय न्यायालय के आदेश का वह सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे। वातावरण में प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए हमें सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इस तरह के उपायों के अभाव में हम निरंतर मानव जीवन को ख़तरे में डाल रहे हैं।

पर्यावरण संतुलन के लिए सौर ऊर्जा के साथ-साथ टैरेस गार्डन की संकल्पना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसके जरिए लोगों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी तथा प्रदूषण से लड़ने में भी मदद मिलेगी। पर्यावरण प्रदूषण को पूरी तरह रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ व्यापक स्तर पर पूरे देश में शौचालय का निर्माण करना चाहिए। साथ ही सामाजिक जागरूकता के अभाव में लोगों ने नदियों, तालाबों तथा झीलों आदि में कूड़ा-कचरा फेंकना बंद नहीं किया है यहां तक कि देश की पवित्र नदियों में शवों को लगातार बहाया जाना जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का संपूर्ण रूप से पालन न होने की वजह से पर्यावरण-प्रदूषण विभिन्न तरीकों से लगातार फैल रहा है जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होकर काल का ग्रास बन रहे हैं।

इसके साथ ही सरकार ने वन्य जीव संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं जिसमें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, टाईगर परियोजना तथा हाथी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान देने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का वन्य जीवन के प्रति प्रेम झलकता है।

भारत में वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ पर्यावरण विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग पैसे के लालच में वन्य जीवों का शिकार मात्र कुछ धन कमाने के लिए कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि भारत में वन्य जीवों के लुप्त होने से भारत की पहचान लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है और वन्य जीवों के लुप्त होने से भारत का पर्यटन व्यवसाय तहस-नहस हो जाएगा तथा इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा समाज में अपराध पनपेगा।

अन्त में सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी आगामी 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टाईगर डे पर राष्ट्र को संबोधित करें तथा पर्यावरण और वन्य जीव के प्रति चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्र को संबोधित करें तथा पर्यावरण और वन्य जीव के प्रति चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों की घोषणा करें जिसमें स्कूली बच्चों को वनों की सैर कराने का कार्यक्रम शामिल हो तथा देश के बड़े शहरों में वन्य जीवों पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाए तथा फोटोग्राफी आदि की स्पर्धाओं का सम्मेलन करके हम देश में पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का सफल प्रयन्त कर सकते हैं।

अन्त में मैं नदियों और समुद्र तटों पर स्थित उद्योगों का गंदा पानी उनमें उडेले जाने की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात पेटर्न पर खेतों में किसान खेत के किनारे जुताई नहीं करते हैं और घास उगती है वहां पेड़ों को उगाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है और इसके लिए जहां वन विभाग पेड़ के पौधे मुफ्त में देते हैं किसानों ने अच्छा परिणाम दिया है। हमारे यहां पेड़ लगाने की जो परम्परा है उससे फल-फूल के अलावा लकड़ी की भी बिक्री हो जाती है। जिससे किसानों को बगैर किसी निवेश के अधिक लाभ मिलता, होता है। इसके साथ ही मैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की अनुदान की मांगों को पुरजोर समर्थन करती हूं तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन को गुजरात पेटर्न पर राष्ट्र व्यापी तौर पर लागू करने की अपील करती हूं। इससे भारत में पर्यावरण संतुलन बना रहेगा तथा देश की आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगी। आज की पीढ़ी को ये स्मरण रखना चाहिए कि धरती को उसके जेवरों से सजाएं तथा बड़ी तादाद में पौधे रोपने से ही आंखों को सुखद लगने वाली हरियाली हो सकती है क्योंकि पेड़-पौधों से सजी-धजी धरती माँ के आशीष हमारी आगे की पीढ़ियों के जीवन को समृद्ध रखेगी। इस पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत माननीय सदस्य स्वयं पांच पौधे रोपकर करें।

कृपया मेरी गुजरात से संबंधित मांगों पर भी ध्यान दिया जाए जोकि निम्नलिखित है:

1. वन्य प्राणि अभयारण की जमीन से कुनेरिया से मवाना (कच्छ) तक राजमार्ग बनाने की मंजूरी दी जाए क्योंकि यह लोगों के साथ-साथ बीएसएफ को भी स्थानांतरित करने में काम आयेगा।
2. एशिया में लायन से सासैनगिर स्वराष्ट्र में लायन सेंचुरी और उनके चारों ओर रिंग रोड़ बनाने की मंजूरी दी जाए।
3. गुजरात में सीएनजी नेटवर्क देश में सबसे अच्छा है अत: उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए लंबित मांगों को तत्काल मंजूरी दी जाए।

इसी के साथ मैं अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

*** श्री के. अशोक कुमार** (कृष्णागिरि) : इस सामान्य बजट के दौरान हमारे माननीय वित्त मंत्री ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को केवल 2256 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। मेरे विचार से यह बजट आबंटन बहुत ही कम है तथा बजट आबंटन को बढ़ाया जाये। क्योंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'वैज्ञानिक मंत्रालय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा वन संरक्षण, वन्य-जीव संरक्षण, जैव-विविधता, इन्वेन्टरि, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित अनेक विधाओं में विभिन्न अनुसंधान कर रहा है। अत:, यह अच्छे पर्यावरणीय प्रबंधन, संरक्षण तथा अनुसंधान के माध्यम से दोनों मानव तथा वन्य जीव के लिए पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में इस मंत्रालय के लिए 13 निगरानी-योग्य सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों अर्थात् पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन; वन और आजीविका; वन्य-जीव, ईको टूरिज्म तथा पशु कल्याण आदि की पहचान की है।

तमिलनाडु हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुरातछी थलावी 'अम्मा' अब बच्चों; विद्यार्थियों; वरिष्ठ नागरिकों; स्व-सहायता समूहों आदि के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें कार्यान्वित कर रही है।

हमारी मुख्यमंत्री माननीय अम्मा ने वनों को सुधारने के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की हैं:

1. तमिलनाडु वनरोपण परियोजना (टीएपी) चरण-दो - उपयोगिता योजना
2. तमिलनाडु जैव-विविधता संरक्षण और हरियाली परियोजना (टीबीजीपी)
3. बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने संबंधी कार्यक्रम
4. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम
5. अवक्रमित वन भूमियों में जल संरक्षण और
6. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि
7. सारे तमिलनाडु में बेघर गरीबों हेतु ग्रीन-हाउस

तमिलनाडु में माननीय मुख्यमंत्री हमारी अम्मा ने पर्यावरण परिदृश्य में सुधार करने के लिए सारे राज्य में अपने 64वें जन्मदिन पर 64 लाख पौधे लगायें।

'हमारी अम्मा' न केवल मानव अपितु पशुओं का भी ध्यान रख रही है। हमारी अम्मा की सलाह पर शिविर में सारे तम्लिनाडु में सभी मंदिरों में रखे गए हाथियों की देखभाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष हाथी शिविर आयोजित किये जाते हैं जिसमें प्रसिद्ध अनुभवी डाक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्यवर्द्धक औषधयुक्त खाद्य आदि की सुविधा दी जाती है।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ग्रामीण गरीब लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों के साथ अतिरिक्त निधियां आबंटित कर रही है।

मेरे कृष्णागिरि निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग 1496 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र द्वारा कवर किया गया है तथा जो कृष्णागिरि जिले के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत है। लगभग 30,000 आइरूलर एक जनजातीय समुदाय के थाली तथा केलामंगलम यूनियन जिले के वन क्षेत्र से अन्य हिस्सों तक समुचित सड़क कनेक्टिविटी के बिना वहां पर रह रहे आदिकालीन जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये लोग शिक्षा से वंचित हैं तथा अपने कृषि उत्पादों को बेचने में असमर्थ हैं। अत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित सड़क कनेक्टिविटी की आवश्यकता है : (क) सोकझाड़ी से जमबूथ; (2) मेलुर से गुल्लारी; (ग) बेट्टामुगीलालम से कालीक्ट्टम; (घ) मेलुर से थोलुवाबेट्टा; (ङ) डेनकानीकोताई से पुलाहाली; (च) कोच्चुवाड़ी से कुड़ीयर; (छ) सूलागुंडा से उलीबेंडा; (ज) केलामंगलम से कोडाकराई; और (झ) अथीनाथम से नूरडूसैमी हिल।

तमिलनाडु की हमारी मुख्यमंत्री अम्मा ने क्षेत्र के सुधार के लिए अनेक कदम उठाये थे तथा जिला प्राधिकरण डी आर डी ए कृष्णागिरि ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25.7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत आवश्यक निधियां जारी करने के लिए उपयुक्त निर्देश दे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 2014-2015 के संघ सरकार के बजट में कुछ खास उपाय किये गये हैं तथा मैं उनकी सराहना करता हूं। फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व और पहचान नहीं मिली है और मैं इस सदन का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं यहां जोर देना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में खुले में शौच करने की प्रथा अभी भी व्याप्त है। यहां तक कि महानगरों के आस-पास और रेल पटरियों पर लोग शौच करते हैं। वास्तव में यह बहुत शर्मनाक बात है, विशेष रूप से उपग्रह शौचालय सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल हमारे देश की छवि धूमिल होती है बल्कि इससे सभी के लिए गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी असुविधाएं पैदा होती हैं। इसलिए, मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी से हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की भागीदारी के साथ देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में शौचालय सुविधा स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार की भागीदारी के साथ देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में शौचालय सुविधा स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत निधियां आवाति किए जाने का अनुरोध करता हूं।

आजकल सीवेज/नालों, विभिन्न औद्योगिक एककों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट नदियों तथा नहरों में मिश्रित होता जा रहा है। इन नदियों और नहरों से जल-शोधन की विभिन्न प्रणालियों के पश्चात् जल की लोगों को आपूर्ति की जाती है।

हाल ही में एक दैनिक में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार इस पवित्र नदी में प्रतिदिन 3 बिलियन लीटर सीवेज गिरता है। 250 उद्योग अपने प्रदूषकों को इस नदी में डालते हैं। रिपोर्टों में उल्लेख है कि उसमें 20 प्रतिशत औद्योगिक बहिस्राव तथा 80 प्रतिशत शहरी बहिस्राव होता है। इसलिए, समाज, सरकार तथा व्यक्ति, व्यवसाय, वैगम, गैर सरकारी संगठन तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायी तथा विभिन्न अध्यात्मिक समुदाय के रूप में हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने में सामुहिक रूप से सफल रहे हैं।

संघ सरकार ने महानगरों और अन्य शहरों में सीएनजी चालित वाहनों से वायु प्रदूषण पर रोक लगाकर देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन सीएनजी सुविधा देश भर के सभी शहरों में नही है। इसके अलावा प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा जारी प्रदूषण प्रमाण पत्र केवल तीन महीने के लिए वैद्य होता है। लेकिन इसी वैधता को बढ़ाकर 6 माह किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भारत में कई धार्मिक कार्यक्रम सामुदायक कार्यक्रम होते हैं जिन्हें सभी समुदायों द्वारा पटाखे जलाकर मनाया जाता है जो कि खतरनाक होते हैं और पूरे समुदाय और देश में वायु प्रदूषण पैदा होता है। कोई भी मनुष्य और पशु बिना सांस के नहीं जी सकता है। सांस से कई बीमारियां जैसे हृदय रोग, स्वास की बीमारी तथा फेफड़ों का कैंसर आदि होता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण तथा इसे साफ सुथरा रखने में किसी भी कार्यक्रम/सामुदायिक समारोह आदि में पटाखे जलाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाए।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम) : महोदया, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आधुनिक और प्रगामि समाज के आर्थिक विकास के साथ संधारणीय पर्यावरण भी जुड़ा होता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संकट से निपटने, वन और जैव विविधता तथा हरित क्षेत्र के संरक्षण आदि कुछ उपाय संधारणिय विकास के लिए आवश्यक है। किसी परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया में वन तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेना महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी प्रणाली को और उम्मीद के मुताबिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। इसी बीच स्वस्थ मूल्यांकन प्रक्रिया और कठोर मंजूरी शर्तों की अनुपालना विशेषकर विस्थापित लोगों, आदिवासियों के पुनर्वास तथा वनों के भरण से संबंधित शर्तों हेतु कारगर प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

परन्तु व्यवहार्यत: अनेक परियोजनाएं वर्षों से पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी है। इसके कारण हम स्वीकृत परियोजना की लागत-वृद्धि और क्षेत्र विशेष की विकास दर में कमी वाले विषम क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। हमने कोयला ब्लॉकों के आबंटन में काफी समय बर्बाद कर दिया क्योंकि इनके आबंटन में असाधारण विलम्ब हुआ था।

मेरा आपसे पर्यावरण संबंधी मंजूरी के मानकों में स्थिरता बरते तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि आगामी छह महीनों में सभी कोयला ब्लॉक संचालित हो जाए। अन्यथा, हम कोयले का दुगनी दर पर आयात करते रहेंगे। यदि हम इस कोयले का आयात करते रहें जिसे देश में ही उत्पादित किया जा सकता है, तो हम न केवल विदेशी मुद्रा को खोते रहेंगे बल्कि बेरोजगारी का भी आयात करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पार्टी का समर्थन प्रत्येक विकासात्मक कार्य के लिए मिलता रहेगा।

सरकार ने पोलावरम परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी थी। समाज के कई वर्ग और पूर्व आंध्र प्रदेश राज्य के सीमावर्ती इलाके ने इस परियोजना के विरुद्ध आवाज उठाई थी। सरकार ने उसके विचार, आकांक्षाओं और पीड़ितों की भावना पर विचार नहीं किया और इस परियोजना की अनुमति दे दी, चूंकि सरकार ने खम्मम जिले के भद्राचलम

के सात मंडलों का विलय आंध्र प्रदेश में कर दिया है इसलिए, विभाजितों तथा आदिम जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक विशेष पैकेज एकीकृत करना चाहिए।

मैं सड़कों को चौड़ा करने, विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई, परियोजनाओं जैसी मौजूदा जनोपयोगी परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करने में होने वाली अकारण देरी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। पर्यावरण संबंधी मंजूरी न मिलने के कारण ऐसी परियोजनाएं वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं। इसकी बड़ी वजह है भूमि-अधिग्रहण से जुड़ी हुई दिक्कतें तथा राज्यों व केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मंजूरियों से संबंधित दशकों पुराने अधिग्रहण कानून व नियम। जन उपयोगी अवसंरचना के निर्माण हेतु एक हेक्टेयर तक की वन भूमि के अन्यत्र प्रयोग तथा स्वीकरोक्ति नियम और प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित किये जाते हैं।

मेरा केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि जन-उपयोगी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए वन एवं पर्यावरण संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा तथा इन बदलाव लाया जाए। सरकार को राज्यों में सी सी एफ ओ स्तर के अधिकारियों को शक्तियां व अधिकार प्रदान करने चाहिएं, ताकि वे मौजूदा परियोजनाओं को मंजूरी दे सकें और यदि कुछ गलत होता है, तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके।

पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक विशिष्ट पर्यावरणीय न्यायालय है, जो पर्यावरण तथा वन संबंधी दीवानी मामले देखता है। तीन-चार वर्षों की अल्पावधि के दौरान, न्यायालय में 5,600 से भी अधिक मामले है, जो निस्तारण किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए। यह अधिकरण को सशक्त बनाएगा व इसे गति प्रदान करेगा, ताकि पर्यावरण एवं वन संबंधी मुकद्में तेजी से निपटाए जा सकें।

हाल ही में मैंने प्रिंट मीडिया में यह देखा है कि मौजूदा सरकार प्रौद्योगिकी के विविध प्रयोग तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मौजूदा एवं दशकों पुराने श्रम कानूनों में बदलाव, सुधार लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इसी आधार पर सोच-विचार किया जाए तथा वन एवं पर्यावरण संबंधी दशकों पुराने इन कानूनों, नियमों का कुछ किया जाए, और देश हित में इन पुराने कानूनों, नियमों में बदलाव लाया जाए।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया आपका धन्यवाद। आज मैं अपनी पार्टी की ओर से वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं, जो एन डी ए सरकार के सभी मंत्रियों में से मेरे सबसे पसंदीदा हैं। वे सभी मंत्रियों में से सर्वाधिक मित्रवत व्यवहार करते हैं तथा हम सदस्यों, जो विपक्ष में बैठते हैं, से सौहार्दपूर्वक मिलते हैं तथा मेरे ज्यादातर साथी इस बात से सहमत होंगे ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (करक) : वे पर्यावरण हितैषी हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुप्रिया सुले : वे पर्यावरण हितैषी हैं तथा उन्हें इस विषय का अथाह ज्ञान है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जो कि काफी रुचिकर है, और उन्होंने मेरे हिसाब से अपना सारा काम ऑनलाईन कर दिया है, जिसके बारे में प्रो. सौगत जी ने बात की थी; उन्होंने न केवल इस विषय को ऑनलाईन किया है, अपितु इस संपूर्ण प्रक्रिया को समयबद्ध तथा पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा है कि लगभग एक महीने के अंदर-अंदर वे सारी फाईलों को स्वीकारोक्ति प्रदान कर देंगे। मुझे लगता है कि हम सभी को यह उम्मीद है कि वे निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे।

मैंने मेरे सहकर्मी श्री पिनाकी मिश्रा का क्षोभ देखा, क्योंकि मैं भी इसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूं। जो कुछ भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान हमारी कुछ आपत्तियां थी तथा कुछ परियोजनाएं काफी पिछड़ गई, यह सब सच है। लेकिन, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी उपलब्धियां भी रही हैं, जिनका मैं यकीनन बचाव करना चाहूंगी। ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम, तथा कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन पर भारत का रुख। मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से भारत ने शहरी छाप छोड़ी है तथा उस काल खण्ड के दौरान जब विभिन्न सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, तो श्री प्रकाश जी उसी दल में शामिल थे। मुझे लगता है कि यकीनन भारत का आज विश्व भर में काफी ऊंचा दर्जा है।

मैं, प्रो. सौगत जी द्वारा की गई बात को आगे कहते हुए अपने विचार व्यक्त करूंगी। उनकी यह बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण तथा उद्योग को साथ-साथ चलना है। मेरे पास से होकर गुजरे मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे यह कहा कि यह संपूर्ण वाद-विवाद पूरी तरह से उद्योगों का पक्ष लेता दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि यह वाद-विवाद उद्योगों का पक्ष लेता है। हम सभी यह बात जानते हैं कि बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। आज, संपदा तथा रोजगार सृजन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसको लेकर सारे देश और अगली पीढ़ी की हम लोगों से बहुत आशाएं हैं। मुझे लगता है कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए वन एवं पर्यावरणीय मंजूरियों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। लेकिन मेरी यह इच्छा है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा ऐसे कुछ मुद्दों पर

ध्यान दिया जाए, जो कि हमारे देश तथा राज्य से जुड़े हुए हैं, जहां वे उसी क्षति को भुगत रहे हैं, जिसे मैं भुगत रही हूं, उन में से एक मुद्दा रेत खनन से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश द्वारा सामना की जा रही एक प्रमुख चुनौती है। आज, कोई भी यह देख पा रहा है कि रेत खनन के कारण क्या नुकसान हो रहा है। इस बात का कोई हिसाब-किताब मौजूद नहीं तथा जिम्मेदारी तय नहीं है कि खनन के कारण क्या नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, जिस जिले का हम दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं, नीरा नदी या समीपवर्ती कृष्णा नदी में भारी तादाद में अवैध खनन किया जा रहा है और नदी की रेत चुराई जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों, वर्गों तथा समूहों के व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं। अतः, मैं इस बात को सभा के ध्यान में लाना चाहूंगी। तथा सारी सभा से यह आग्रह करती हूं कि भारत को वास्तव में रेत खनन की इस समस्या से निपटने की जरूरत है, जो इस देश की पारिस्थितिकि, नदियों को बर्बाद कर रहा है, जल प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है तथा इस देश की जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि समाज के सभी वर्गों की इसमें भागीदारी है, तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि मंत्री महोदय बजट में इस संबंध में कड़े कदम उठायेंगे तथा हमारे देश में हो रहे रेत के अवैध खनन के विरुद्ध मंत्रालय के प्रधान के रूप में आगामी वर्षों के बजट में इस बारे में कुछ ठोस कार्यवाही करेंगे।

अन्य मुद्दा है मृदा निम्नीकरण बजट में भी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस विषय में विस्तारपूर्वक बात की गई थी। इससे पहले हमारी सरकार में भी हमने मृदा निम्नीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। यहां तक कि हमने कई स्थानों पर मृदा प्रयोगशालाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की थी तथा मृदा अपरदन व मृदा गुणवत्ता में सुधार को लेकर चर्चा भी की थी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज कई स्थानों पर मृदा में जैव पदार्थ का स्तर, जो कि आदर्श रूप से 4.5 प्रतिशत होना चाहिए था, कई स्थानों पर घटकर लगभग 0.3 प्रतिशत हो गया है। तो, यह एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

कचरे तथा जल-मल (सीवेज) के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। कल जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान हम सबने इन बिंदुओं का उल्लेख किया था। निश्चित रूप से मैं सबसे यह आग्रह करूंगी कि इस संबंध में प्रभावी कदम उठाये जाएं क्योंकि जिस शहर से मैं आती हूं और हममें से कई सदस्य ऐसे कई बड़े शहरों से आते हैं। आज इन बड़े शहरों के इर्द-गिर्द बहने वाली नदियां इन शहरों से निकलले वाली सारे सीवेज का निस्तारण स्थल तथा नालों में बदल चुकी हैं तथा इसमें प्लास्टिक कचरे का मुद्दा भी शामिल है, हम सब यह बात जानते हैं। मुझे लगता है कि अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान शहरीकरण की प्रक्रिया के समक्ष सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। तो, मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को विस्तारपूर्वक व गंभीरतापूर्वक देखा जाना चाहिए और इस मामले में कुछ अच्छे उदाहरण भी मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही की प्रशंसा करती हूं।

सफलता की मात्र दो ऐसी कहानियां हैं, जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी और जिस राज्य से मैं आती हूं, वहां ये बात हुई है, इसको लेकर मुझे बहुत ग्रर्व है। एक है बाघ तडोबा परियोजना, जो कि एक अत्यंत सफल परियोजना है। आज देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या विदर्भ क्षेत्र स्थित तडोबा अभ्यारण्य में है, और इसने वास्तव में स्थानीय जनता हेतु प्रचुर संपदा तथा आजीविका के अनगिनत संसाधन मुहैया करवाए हैं।

मुझे यह लगता है कि मेरे सहकर्मी, जो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, ने अभी-अभी आजीविका के बारे में बात की है। उन्हें यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि लोगों का विस्थापन न हो। ऐसा वे दो क्षेत्रों में कर पाए हैं। एक क्षेत्र बाघ परियोजना का है, तो दूसरा क्षेत्र है कास। सतारा जिले में स्थित कास अत्यंत रमणीक स्थान है और इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। जब कास का पुनर्विकास किया जा रहा था, तो हमें काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था व हमारे पास विश्व विरासत योजना थी। आज, महाराष्ट्र सरकार के आजीविका कार्यक्रम ने वहां अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमें उस पर गर्व है। मैं इस मौके पर आप सबको 'कास' पधारने तथा यह देखने कि किस प्रकार वहां हमने एक अत्यंत सुंदर फूलों की घाटी संरक्षित करके रखी है, का निमंत्रण देती हूं।

अंतिम परियोजना, जिस पर मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिया जाए, वो है इको-विलेज परियोजना, जिसका-इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, बहुत से लोगों ने बिना पर्यावरण की जानकारी के ग्रामीण लोगों के बारे में बातें की। आज, मुझे लगता है कि पर्यावरण का संदेश इस देश के कोने-कोने में पहुंच गया है।

हमारे यहां स्वच्छता, वृक्षारोपण, कूड़ा तथा जल प्रबंधन संबंधी कार्य बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जिसे ईको-विलेज परियोजना कहा जाता है तथा जिसे महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और जिसे पिछले वर्ष पुरस्कार भी दिया गया था। मैं आश्वस्त हूं कि ईको-विलेज परियोजना से इस देश के पर्यावरण में सुधार करने तथा और ज्यादा जागरूकता लाने की समझ मिलेगी।

अंत में, मेरे मित्र पिनाकी की तरह कुछ परियोजनाओं के बारे में उनकी आपत्तियां हैं तथा मैं चाहती हूं कि सरकार उदाहरण के लिए जैतपुर की तरह इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट हो। हम सभी की आपत्तियां थी। स्थानीय लोगों में वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या होने जा रहा है। यह बहुत बड़ी न्यूक्लियर परियोजना है जिसे हमने शुरू किया

है। परन्तु स्थानीय स्तर पर विरोध तथा काफी सारी सूचना उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री पर्यावरण के संबंध में बहुत अच्छे विशेषज्ञ है। अतः, मैं इस बात की सराहना करूंगी यदि वे जैतपुर के संबंध में हस्तक्षेप कर सकें। समग्र अध्ययन करने के पश्चात् मैं आवश्स्त हूं कि इससे राष्ट्र को ऊर्जा सृजन में भी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

*** श्री पी.पी. चौधरी** (पाली) : मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूषित नदी की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार भयानक रूप से प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बद से बदतर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं, इस पानी को पीने के बाद उनकी मृत्यु तय है।

इस संबंध में मैं राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिए गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और यदि उस जमीन पर कुछ उग भी जाता है, तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निचली किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाले पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गई है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेक उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे।

इस गंभीर समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है। राज्य सरकार और औद्योगिक ईकाइयां इसे वहन करने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।

मैं सरकार का ध्यान अरावली पर्वत श्रृंखला के उस भाग की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कि राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले आते हैं। पहले से ही राजस्थान में पेड़ों की भारी कमी है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ों की रक्षा के लिए कोई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपाय न होने से दिन-प्रतिदिन पेड़ नहीं के बराबर दिखाई देने लगे हैं। जिससे पर्यवरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी मार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है। माननूस की अनियमितता और अनिश्चितता इसका एक उदाहरण है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई गंभीर उपाय नहीं किए तो इसका दुष्परिणाम जल्द ही भुगतना होगा।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अरावली पर्वत श्रृंखला पर विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए विशेष कदम उठाएं तथा पर्वतों पर वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए भी उपाय करें।

इसी के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

*** श्री जोस के मणि** (कोट्टयम) : आज विश्व में पर्यावरण तथा वन के संरक्षण और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने के बारे में भी बात हो रही है। पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है।

हम सभी पर्यावरण तथा वन के संरक्षण के लिए है परन्तु हाल ही में बनाई गई कुछ रिपोर्टों और नियमों में वास्तव में मानवजाति के अस्तित्व की ही अवहेलना की है।

पश्चिमी घाटों के संरक्षण के संबंध में विभिन्न रिपोर्टे जैसे कि माधव गाडगिल रिपोर्ट तथा कस्थूरी रंगन रिपोर्ट सामने आई है। परन्तु यह रिपोर्ट विशेषकर उच्च क्षेत्रों में रह रहे लोगों/किसानों के हितों के लिए हानिकर है। इस रिपोर्ट में केरल में पारिष्यितकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में 123 गांवों को चिन्हित किया गया था। परन्तु इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक आबादी है। वहां पर खेती-बाड़ी भी होती है तथा इसके अतिरिक्त वे इन क्षेत्रों में शताब्दी से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार नियमों को कार्यान्वित करने से न केवल किसानों पर आगे कृषि विकास करने पर रोक लगेगी अपितु धीरे-धीरे उन्हें भूमि तथा निवास-स्थान खाली करने के लिए बाध्य किया जायेगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर सौ से ज्यादा निवासियों सहित निवास स्थान/बस्ती में खेती-बाड़ी को ई एस ए के रूप में वर्गीकृत किये जाने से छूट मिलनी चाहिए। अतः दोनों पर्यावरणीय तथा मानवता संबंधी अनिवार्यता को संतुलित करके शानदार तरीके से लोगों की मौजूदगी के साथ विकास हो सकता है।

वन्य-जीव को संरक्षित करने के लिए बहुत ही सख्त नियम हैं। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि पशुओं का संरक्षक भी महत्वपूर्ण है तथा यह भी आवश्यक है कि इसे मानव जीवन की कीमत पर सुनिश्चित न किया जाये। कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि पशुओं के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जीवन तथा कल्याण को मानव-जीवन की तुलना में काफी महत्व, संरक्षण तथा वरीयता दी जाती है।

हम यह देखते हैं कि केरल में एक जिले को छोड़कर 14 जिलों में से 13 जिलों में जहां किसान वन क्षेत्रों के निकट रहते हैं तथा खेती-बाड़ी करते हैं, पर पशुओं के हमले हो सकते हैं जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती है तथा खड़ी फसलों को भी क्षति पहुंचती है। पशुओं से हमले के कारण सैंकड़ों लोगों की पहले ही मृत्यु हो गई है तथा वन से दूर सैंकड़ों एकड़ कृषि भूमि हाथी, जंगली भैंसे, जंगली सुअर, बंदर आदि जैसे पशुओं द्वारा रौंदी तथा नष्ट की जा रही है।

अमरीका, यू.के. तथा आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में जब पशुओं की कुछ किस्मों की संख्या ज्यादा है तब सरकार ने किसानों को लाइसेंस देकर इनमें से कुछ का वध करने के लिए कदम उठाये हैं।

इसी तरह हम ऐसे क्षेत्रों जहां पशु जैसेकि बंदर, जंगली सूअर आदि की संख्या ज्यादा है तथा जो मानव जीवन तथा खड़ी फसलों के लिए खतरा है को चिन्हित करके उसी प्रणाली को अपना सकते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षों से की गई किसानों की मेहनत तथा देखभाल पशुओं द्वारा कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाती है। अतः मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह पशुओं के हमले से मानव जाति तथा खड़ी फसलों को बचाने के तरीके ढूंढे।

भारत में आगे जो भय की बात होगी वह है पेयजल की अत्यधिक समस्या तथा अपशिष्ट प्रबंधन। हम भारत विशेषकर केरल में जो देखते हैं वह है कि कॉरपोरेशन, नगरपालिकाओं तथा पंचायतों द्वारा या तो देश के राज्य अथवा अन्य क्षेत्रों अथवा विदेशों से अपनी प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है। परन्तु 99 प्रतिशत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बहुत सारा धन व्यर्थ किये जाने के साथ विफल हुई है। अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप प्रत्येक राज्य की व्यर्थ पदार्थों की प्रकृति, जलवायु स्थिति, खाद्य आदतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के लिए फूलप्रूफ प्रौद्योगिकी बनाये। इसका रख-रखाव, सेवाओं तथा गारंटी द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

*** श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (टुमकुर)** : माननीय सभापति महोदया, यह मेरी महत्वाकांक्षा है कि मेरा पहला भाषण मेरी मातृभाषा कन्नड़ में हो। मैंने पहले ही माननीय सभापति की अनुमति मांगी है। माननीय सभापति महोदया पर्यावरण और वन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्द है। हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण और वन को संरक्षित करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सभी को यह जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।

महोदया, एक वन को बनने में शताब्दियां लगती है परन्तु उसे नष्ट करने में कुछ दिन ही पर्याप्त हैं। अतः, अपने समृद्ध वनों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। घने वन तथा अच्छी वर्षा एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। हमें अच्छी वर्षा नहीं मिलेगी यदि हमारे पास घने वन नहीं हैं। उसी तरह हमारे पास घने वन नहीं होंगे यदि अच्छी वर्षा नहीं होती है।

जब हम विद्यालय में थे तो हमें पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। परन्तु आज चेरापूंजी में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। यह केवल चेरापूंजी का ही मामला नहीं है यह देश में हर जगह है। अगस्त माह में भी कम वर्षा होती है तथा अब हम जुलाई के अंत में हैं। सारे देश में लोग कम वर्षा से बहुत चिंतित हैं तथा हमारे वन में कमी होने के कारण इस हद तक स्थिति बिगड़ गई है। हमारे पास मुश्किल से ही कोई घने वन हैं। माननीय सभापति महोदय, यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि जंगली पशु गांवों में प्रवेश कर रहे हैं। जंगली पशु जैसे कि हाथी, चीता, बाघ घने वनों से शहरों तथा गांवों की ओर जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमने वनों को नष्ट कर दिया है। इसलिए, इस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को हमारे वनों के संरक्षण हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

महोदया, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पौधों को लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरकारें इस कार्यक्रम के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। दुर्भाग्य से यह कार्यक्रम कागजों पर है तथा कुछ भी विदित नहीं है। मेरा यह मत है कि सरकार ने पेड़ पौधों को लगाने के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है।

मैंने कई बार पेड़-पौधे लगाने और इसमें हुई प्रगति की समीक्षा की है। मैंने यह पाया है कि पेड़ लगाने का ब्यौरा संबंधित विभाग द्वारा रखा जाता है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। इस प्रयोजनार्थ आबंटित हजारों करोड़ रुपयों से भी कुछ परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से महोदया, माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की होनी चाहिए न कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति अथवा अनुसंधान कार्य पर अत्यधिक पैसा खर्च करने की। हमें हमेशा प्राथमिकता बड़ी संख्या में पौधे लगाने की होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर हमारे देश में अच्छी वर्षा होगी और हम अपने वनों को संरक्षित कर सकते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

महोदया, कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में 'हागी' उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण एक पौधा लगाकर इस उत्सव को मनाता

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसी विशेष माह में पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने के लिए माहभर का कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि हमारे देश में अधिक से अधिक पेड़ और पौधरोपण की जा सके। विद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों तथा आम आदमी के बीच पेड़ तथा पौधरोपण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं महोदया आपके माध्यम से सरकार से अपने देश में पेड़ों को अनिवार्य रूप से लगाने के लिए एक राष्ट्रस्तरीय कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों पर व्यय हुआ धन निश्चित रूप से फलीभूत होगा।

महोदया, दूसरा बिन्दु यह है कि पेड़ लगाने के कार्यक्रमों पर व्यय धन हेतु उपयुक्त जवाबदेही होनी चाहिए। यदि हम संबंधित विभाग के कर्मचारियों से पूछें तो वे साधारण रूप से कहेंगे कि इस कार्यक्रम पर हजारों करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। लेकिन वास्तव में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई भी पौधा हमें दिखाई नहीं देता। यदि आप एक पौधा लगाओ तो वह आने वाले दिनों में पेड़ बन जाएगा। लेकिन संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। जब हम जवान थे जंगल में जाना हमारे लिए कठिन कार्य था क्योंकि वे बहुत घने जंगल होते थे, लेकिन आज कोई जंगल नहीं दिखाई देता है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई के कारण जानवर मानव बस्तियों में आ जाते हैं। यह इस बात को इंगित करता है कि हम प्रकृति के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

मेरा अगला बिन्दु यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, चार लेनों वाली सड़कों और छह लेन के राजमार्गों के निर्माण के लिए पेड़ों की छंटाई की जाती है, लेकिन सरकार एक पौधा भी लगाने की योजना नहीं बनाती है, सड़क निर्माण के नाम पर कई पेड़ों को काट दिया जाता है। इसलिए, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि एक पेड़ काटा जाता है तो दस पौधे अवश्य लगाने के लिए कानून बनाया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि भावी पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए देश में भविष्य के लिए कानून हो।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य कर्नाटक सहित देश में हर जगह अवैध खनन कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन के कारण हमारे खनिज तेजी से कम हो रहा है। इससे पर्यावरण की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि खनिज संसाधनों से वन सम्पदा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, हमारी प्राथमिकता वन के लिए होनी चाहिए न कि खनन के लिए। अवैध खनन की बजाए वनों का संरक्षण करना सरकार का परम कर्तव्य है।

मेरा अंतिम बिन्दु खतरनाक अपशिष्टों और उद्योगों द्वारा उत्पादित बहिस्रावों की समस्या से संबंधित है। अपशिष्ट निपटान और शहरों में ठोस अपशिष्ट समस्याएं हमारे लिए गंभीर चिंता बन गई है, इनसे पर्यावरण की और अधिक समस्यायें हो रही हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीके के आधार पर स्थायी समाधान ढूंढने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से इस संबंध में पर्याप्त निधियां आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*** श्री बृजभूषण शरण सिंह** (कैसरगंज) : विकास एवं विनाश की धाराएं साथ-साथ चलें, कभी समानान्तर और कभी एक दूसरे को काटती हुई तो भला किसको आश्चर्य नहीं होगा? लेकिन यह आश्चर्य आज का सत्य है जो आने वाली शताब्दियों के सामने दो प्रश्न चिह्न रखता है। विज्ञान की ताबड़तोड़ भाग दौड़, मनुष्य का अपरिचित-असंतुष्ट लालच, तेजी से क्षति विक्षिप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण से भरा पूरा उजड़ता हुआ संसार। यह सब आखिर कैसा चित्र उभारते हैं। हम जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं शायद विनाश उतनी ही रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा है इसका नतीजा क्या होगा? मानवता के सामने यह एक विराट प्रश्नचिन्ह है। यदि इसका सही समाधान कर लिया जाए तो ठीक है नहीं तो सम्पूर्ण जीव-जगत एक दिन पूर्ण विराम की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। शताब्दी के समकालीन चिन्तों की तरह मेरी इच्छा है कि मनुष्य की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उसका विकास हो लेकिन विकास की यह पटकथा विनाश के धरातल पर न लिखी जाए इस विश्व व्यापी चिन्ता का कारण पर्यावरण प्रदूषण है।

प्रदूषण आज मानव समाज के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। भविष्य में पर्यावरण का शुद्धीकरण कैसे हो इस पर हम सबको विचार करके ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ओजोन परत की क्षति और पृथ्वी की निरन्तर गर्म होने की विभीषिका हमारे सामने है पर्यावरण का अर्थ वायु, जल, मृदा, पेड़-पौधे एवं प्राणियों से है। सभी प्रकार के जीव और भौतिक तत्व आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं जो एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आदिम मानव अपने भोजन के लिए शिकार और तन ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था। कालान्तर में खेती, सहकारी उद्योग धन्धों, कुनबों एवं समाज के निर्माण से स्पष्ट है कि आदि काल से मानव अन्तराश्रित प्राणी रहा है। आज भी मानव पग-पग पर अन्य समुदाय, समाज एवं दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है परन्तु प्रकृति के साथ विध्वंसात्मक कार्यवाही जो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए हो रही है उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे मानव समाज का स्थायी विकास होना तो दूर हम अपना मानसिक संतुलन भी खोते जा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण तकनीकी सभ्यता के द्वारा वैभव एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने में हम भले ही स्थायी रूप से सफल क्यों न हो जाएं परन्तु हमारा स्थायी विकास बिना पर्यावरण संतुलन के अपूर्ण है। कालान्तर में भी यदि मानव स्वभाव के योग्य अभिवृत्ति बरकरार रही तो प्रकृति द्वारा करोड़ों वर्षों की यात्रा के उपरान्त बना प्राकृतिक पर्यावरण धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा। "मैन मेड इको सिस्टम" में मानव अपने अस्तित्व के प्रति स्वयं ऐसा खतरा उत्पन्न कर रहा है जहां तेज रफ्तार से जल, नभ, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के कारण मनुष्य स्वयं घुट-घुटकर मृत प्राय होने की तरफ अग्रसर है इसलिए समय रहते पारिस्थितिकी तंत्र, मानव समाज जो एक-दूसरे पर आश्रित है उसको बनाए रखना होगा और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन न करने की चेतना का देशव्यापी अभियान छेड़ना होगा।

एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को पढ़कर मैं गहरी चिन्ता में डूब गया हूं विगत कुछ वर्षों से उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में गिद्ध और चील जैसे पक्षियों के लुप्त होने की चर्चाएं चल रही हैं। चीलों और गिद्धों को हम प्राय: आकाश की ऊंचाईयों में उड़ते देखते थे। इन्हें जंगली एवं मैदानी क्षेत्रों में मुर्दा जानवरों का मांस खाते हुए बड़े-बड़े समूहों में बैठे देखा जाता। किन्तु कुछ समय से इन प्रजातियों के पक्षियों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। यह पक्षी किस कारण से लुप्त हुए अभी तक इसका पता ठीक ढंग से तो नहीं लग पाया है लेकिन जहां तक मेरा विचार है उससे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण का इन प्रजातियों पर गहरा असर पड़ा है। इसी तरह गांवों के आंगन में गौरैया का न दिखाई पड़ना, कौओं की संख्या में लगातार कमी होना भी पर्यावरण प्रदूषण से हमको आगाह कराता है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ प्रजाति के पक्षी आज बीच से विलुप्त हो रहे हैं बल्कि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकाश में उड़ते हुए ये पक्षी पर्यावरण सफाई पर बहुत बड़े प्राकृतिक साधन थे जो कीटों तथा जीवों एवं उनसे फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करते थे जो धरती पर मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे। डा. छाबड़ा के शोध के अनुसार अंधाधुंध कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों के प्रयोग इन प्रजाति के पक्षियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण में विषैले तत्वों के बढ़ते प्रयोग से जहां एक तरफ पशु एवं पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं वहीं मानव भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ रहा है। वास्तविकता भी यही है। जिस तरफ देखिए विष ही विष घुला नजर आता है। गांव हो या शहर जंगल हो या पहाड़ कोई इससे अछूता नहीं है। गावों का पानी प्रदूषित है तो शहरों और महानगरों में स्वच्छ वायु का अभाव है, वहीं जंगलों की अंधाधुंध कटाई एवं विस्फोटक पदार्थों से पहाड़ों को तोड़ने के कारण हमारे वायु मंडल का प्रदूषण बढ़ा है, आज धरती पर जीवन जीना दुष्कर हो गया है, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई खपत, के कारण वातावरण में धुलते हुए धुएं ने धरती पर जीवन को दुष्कर बना दिया है। वातावरण में आज जो प्रदूषण व्याप्त है उसके लिए मानव समाज कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आधुनिकता की अन्धी दौड़ में हम भूल गए कि हम जिस शाखा पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं।

इस स्थिति को सामान्य मानकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। यह स्थिति हमारे लिए खतरे की घंटी है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो धरती भी आदमी के अनुकूल नहीं रहेगी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा तो धरती पर मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। आज मानव समाज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सामने की दिशा में पूर्वत्तर आगे बढ़ते जाना अपने को मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है वहीं पीछे लौटकर न तो मानव सभ्यता के गौरवपूर्ण इतिहास को झुठलाना चाहेंगे और न ही आगे बढ़कर अपनी सुन्दर सभ्यता को नष्ट करना पसन्द करेंगे। एक तरफ मौत है दूसरी तरफ खाई। इस द्वन्द्व के मिटाने का एक ही उपाय है। हम सबको आपस में मिलकर एक नए रास्ते का निर्माण करना चाहिए। इन नाजुक संतुलन को बरकरार रखने के लिए मानव समाज में ऊर्जा एवं ताकत विद्यमान है, सिर्फ उसका सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है।

पर्यावरण विज्ञान पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रतिदिन नूतन शोध हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पर्यावरण पाठ्यसामग्री हिन्दी भाषी छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए तो इस कठिनाई को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार अनुकरणीय है। आज इस पर बल देने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में इस देश में सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है।

पृथ्वी पर जीवन का आरम्भ लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। जहां 5 लाख से अधिक प्रकार के पौधे तथा 10 लाख विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध हैं। फिर भी हमारी भारत माता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं कहा जा सकता। देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर जमीन बीमार है। भारत सरकार की पहली वन नीति में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश का एक तिहाई क्षेत्र वनाच्छिादित किया जाएगा। सिर्फ 9 से 12 प्रतिशत तक वन का आवरण ही इस देश के पास उपलब्ध है। इसके साथ ही अतिशय दोहन और निरन्तर पेड़ों की कटाई के कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है, वहीं वनों के अंधाधुंध कटान के कारण बांधों पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। नदियों में गाद जमने के कारण देश में बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ रहा है। ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत की ओर से हो रही ग्लोबल वार्मिंग में 19

फीसदी बड़े बांध उसके कारण हैं। दुनिया भर में बांधों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन का लगभग 27.86 प्रतिशत अकेले हिन्दुस्तान के बड़े बांधों से होता है। जो विश्व के अन्य सभी देशों के मुकाबले सर्वाधिक है। यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग की गम्भीर चुनौती का सामना करने के लिए भारत ऊर्जा स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं उसका भी बड़े पैमाने पर अंधाधुंध प्रयोग समस्या उत्पन्न कर सकती है। मैं सदन के माध्यम से प्रदूषित होते पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

1. भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगलों के अवैधा कटानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में वृक्षारोपण को अपने अभियान में शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ, वृक्षारोपण में आर्थिक रूप से अक्षम्य व्यक्तियों को सरकारी अनुदान उपलब्ध कराकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

2. भारत सरकार के साथ-साथ प्रादेशिक सरकारों ने वृक्षारोपण को विगत वर्षों में चलाए हैं। लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। वृक्षारोपण के नाम पर इस देश में करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन उसका कोई परिणाम परिलक्षित नहीं होता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से अधिकारियों को फायदा हुआ है। पर्यावरण संतुलन में अब तक किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रमों से कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ता।

3. ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण से बचने के बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। आज ग्रामीण इलाकों में सोलर लैम्प, सोलर कुकर जैसे दैनिक उपयोगी उपकरण लोकप्रिय हुए हैं। यदि ऊर्जा की बढ़ती असीमित मांगों के लिए इन दोनों विकल्पों पर ध्यान दिया जाए और बड़े-बड़े प्लांट लगाकर वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त की जाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह लाभकारी सिद्ध होगा।

4. मोटरवाहनों से निकलने वाले धुएं और जानलेवा गैसों से भी निजात पाने का विकल्प हमारे पास मौजूद है। पौधों से बने ईंधन का बायोफ्यूल का प्रयोग पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहा है। अपने देश के छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर जैट्रोफा का उत्पादन पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसको राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश के अन्य प्रांतों में भी लागू किया जाना चाहिए और किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

5. विश्व स्तर पर बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय तलाशना चाहिए, जिससे ऊर्जा के उपयोग पर बढ़ते दबाव पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही साथ 5 से 50 हजार क्षेत्रफल की भूमि पर प्राकृतिक केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए जहां उसके आस-पास रहने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होने वाले नुकसान की जानकारियां उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ नेचर क्लबों, नेचर कैम्पों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किए जाने के कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन संरक्षण में उपयोगी सिद्ध होंगे।

6. हिन्दुस्तान के बड़े शहरों में जनसंख्या विस्फोट के साथ-साथ मोटरवाहनों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 50 लाख है। जिसमें लगभग 20 लाख कार हैं। दिल्ली में प्रतिवर्ष चार पहिया गाड़ियों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यानी दिल्ली में कारों की संख्या में विस्फोट हो रहा है। हम अक्सर जनसंख्या विस्फोट की चिंता करते हैं लेकिन अब कार विस्फोट पर भी चिंता करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल दिल्लीवासियों के लिए यह समस्या गले की हड्डी बन जाएगी। दिल्ली में कई बार मैंने स्वयं महसूस किया है कि कारों का यह विशाल रेला चीटियों की रफ्तार से चलता है और थोड़ी दूर की यात्रा करने में घंटों लगते हैं। लगभग यही हाल अन्य तीन मेट्रोपोलीटन सिटी के साथ-साथ प्रदेश की राजधानियों का भी है। जहां पर्यावरण प्रदूषण एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक मत होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा कराई जाए और पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। सम्माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। उन्होंने जो नीति बनायी है, जो संकेत दिए हैं, उस में उन्होंने कृषि और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही है। इसी क्षेत्र में बड़ा रोजगार मिलने के संकेत अपने विचारों से प्रधान मंत्री जी ने प्रकट किया है और वित्त मंत्री जी ने भी यह कहा है। हमारे पर्यावरण मंत्री सम्माननीय प्रकाश जावडेकर जी भी इस बात को जानते हैं। यहां पर जितने भी हमारे सम्माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, उनमें अनेक सदस्यों की यह बात रही है कि उद्योग क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। देश में अगर विकास को बढ़ावा देना है तो मैं इस

मंत्रालय में विद्यमान कानून व नीति में परिवर्तन की बहुत जरूरत महसूस करता हूं।

महोदया, मैं जहां से आता हूं, वहां चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिले में क्रमशः 85% और 48% फॉरेस्ट है। सरकार की जो नीति है, उसके तहत सरकार देश में 33% मे फॉरेस्ट चाहती है। मैं यहां मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस देश में वन संवर्द्धन अधिनियम, 1980 का कानून बना कर रखा है। वर्ष 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, उसी के आधार पर, उसको मदर एक्ट मान कर ये इस कानून पर अमेंडमेंट लाते गए हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए। हमारे देश में दुनिया की 17% आबादी रहती है और दुनिया के कुल भू-पृष्ठ में हम 2.4% भूमि पर जीते हैं। उसमें से अगर हम 33% भूमि वन क्षेत्र के रूप में रिजर्व रखते हैं तो इस देश की जनता के लिए हम न्याय नहीं कर रहे हैं। कानून में अमेंडमेंट ला-लाकर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1980 में जो कानून बनाया है, इस कानून में आदिवासियों के कई अधिकार छीने गए हैं। जिस क्षेत्र में फॉरेस्ट है, वन अधिक है, उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की परियोजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

अभी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर मिनरल्स हैं। जो भारत देश की खनिज सम्पदा है, हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। उसे हम इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है और देश के 80% मिनरल्स हमारे वन क्षेत्रों में रिजर्व हैं, दबे हुए हैं। इसके कई प्रमाण हमारे सामने आते हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देना है, कृषि को सिंचित करना है तो ये दोनों बातें यहां पर कंट्रोवर्सी बनते हैं। जो विद्यमान एक्ट बने हुए हैं, जो नीति बनी हुई है, इसमें हम सिंचित क्षेत्र बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिन्हें हम फॉरेस्ट एक्ट की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

महोदया, मैं विदर्भ से आता हूं। विदर्भ में हमारे यहां चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया जैसे जिले हैं। यहां पर छोटी से बड़ी कुल मिलाकर 180 सिंचाई परियोजनाएं फॉरेस्ट एक्ट की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। पूरे देश में कितनी ऐसी परियोजनाएं होंगी? यह जो कानून है, जो भी एक्ट बनता है, वह जनता के हित में बनना चाहिए।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था, यह हमारे देश के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। हमारे देश के विकास में गतिरोध बनाने के लिए स्पीड गवर्नर लगा दिया गया है। इस एक्ट में हमें विचार करना पड़ेगा कि यह कितना फायदेमंद है। मैं मानता हूं कि देश में फॉरेस्ट होना चाहिए। हमारी संस्कृति में पेड़ों की पूजा होती है। मैं पेड़ काटने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम कितनी जमीन पर फॉरेस्ट रखें, इस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। यहां पर कई राज्य ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि किन राज्यों ने अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं किया है। उन्होंने क्यों नहीं विकास किया है, क्योंकि यहां पर जो भी परियोजनाएं आती हैं, जो विकास के काम आते हैं, अगर हमें खनन सम्पदा को निकालना है, उसे हम नहीं निकाल पाते। 80 प्रतिशत खनिज, मिनरल फॉरेस्ट एरिया में हैं, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश है, वहां 80 प्रतिशत फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ में 41 प्रतिशत फॉरेस्ट है, गोवा में 59, मेघालय में 77 प्रतिशत फॉरेस्ट, मिजोरम में 90 प्रतिशत और मणिपुर में 76 प्रतिशत, केरल में 44 प्रतिशत बताया गया है। बिहार में 7.2, गुजरात में 7.4, हरियाणा में 3.6, पंजाब में 3.5, राजस्थान में 4.7, ये जो विषमता एवं असमानता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर देश में फॉरेस्ट रखना है, 33 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, बीस प्रतिशत रखना है तो सब जगह समान होना चाहिए। ये अपाहिजपना है। अगर शरीर का कोई पैर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है तो उसे अपाहिज कहा जाता है। दुर्भाग्य से यह हुआ है कि देश के उन क्षेत्रों के लिए किसानों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ा, जहां पर अधिक फॉरेस्ट है। देश का मिनरल फॉरेस्ट में दबा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से विनती करता हूं कि फॉरेस्ट एक्ट में कहीं न कहीं जल्दी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया के साथ में चलना है, स्पीड में चलना है, इस वजह से देश की प्रगति में रोक लगी हुई है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित ही हम अपने देश की प्रगति नहीं कर पाएंगे। आदिवासी भाईयों के साथ भी कितना अन्याय हुआ है। जहां पर आदिवासी रहते हैं, उन क्षेत्रों में फॉरेस्ट ज्यादा हैं और वे आदिवासी सिंचित भूमि से वंचित हैं। अभी जो अमेंडमेंट बार-बार आ रहे हैं, ये फॉरेस्ट के प्रकार बन जाते हैं। कहीं सेंचुरी है, कहीं टाइगर प्रोजेक्ट है, कहीं राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। इन जगहों पर मनुष्य जा नहीं सकता। यहां मवेशी चारा नहीं चर सकते। वहां कोई पशु एवं मनुष्य नहीं जाएगा। इतना बड़ा देश का जो फॉरेस्ट है, अभी मुझे जो जानकारी मिली है, 7.7 करोड़ फॉरेस्ट लैंड देश में है, इतनी बड़ी फॉरेस्ट लैंड में से हम जानवरों को नहीं चरा सकते। यहां पर आदिवासी जा नहीं सकता। आदिवासी का अधिकार है, यह हमारी परम्परा है कि आदिवासी वन उपज के ऊपर जीवन जीया करते थे। उसमें वन क्षेत्र में रहने वालों का, आदिवासियों का आर्थिक अधिकार था, उससे उनको वंचित कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने कानून बना कर रख दिया और हमने उसको मान लिया। उन सब को हम लोगों ने भगा दिया, लेकिन कानून को स्वीकार किया है। पिछली लोक सभा में यूपीए सरकार ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट 1894 को कैंसिल कर दिया, पूरा बर्खास्त कर दिया और नया एक्ट बनाया, जिससे किसानों

की भूमि को अच्छा मुआवजा मिल पाए। यह वही एक्ट है, उसी की एक बात मैं कह रहा हूं। मंत्री जी इस कानून को आप बिल्कुल खारिज कर दें। जितने हमारे माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि कहीं मिनरल दबा हुआ है, कहीं प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, देश का विकास रुका हुआ है। क्या इसमें हम इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, क्या इससे देश का नुकसान होने वाला है? पर्यावरण का क्या नुकसान हो सकता है? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, तभी हम देश की प्रगति कर सकते हैं। हम जो बहुत बड़ा मिनरल नहीं निकाल पा रहे हैं, इस फॉरेस्ट एक्ट के चलते हम कई विकास के कामों से वंचित हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

(प्रो. के.वी. थॉमस *पीठासीन हुए)*

कहीं पर रास्ते नहीं बना पा रहे हैं, कहीं पर नई रेल की पटरी बिछाने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है तो फिर विकास कैसे होगा। देश की प्रगति में जो कानून बाधा बनता है, उस कानून को बदलना पड़ेगा, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहता हूं। आपको निश्चित ही इस पर विचार करना पड़ेगा।

अभी मैं किसानों की बात कर रहा था, आदिवासियों की बात कर रहा था, अभी जो हमारे देश में वन्य प्राणियों के लिए जो कानून बना हुआ है, उसमें वन्य प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, यह मैं मानता हूं, लेकिन कुछ जगह पर, जहां पर वन बहुल क्षेत्र है, वहां के किसान इन वन्य प्राणियों से बहुत परेशान हैं। वे अपनी फसल का कितना ही नुकसान हर दिन देखते हैं और जो फसल का नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिया जाता है। उसे स्केल पट्टी से गिनते हैं कि किसान की फसल का कितना नुकसान हुआ है। यह पद्धति भी गलत है। किसानों को कम से कम नुकसान भी नहीं दिया जाता है और न वन्य प्राणियों को खेत में आने से रोका जाता है। कुल मिलाकर अगर सारी बातों को देखा जाए तो फॉरेस्ट कानून के बारे में आपको नये सिरे से सोचने की जरूरत है, मैं इतना कहना चाहता हूं।

महोदया, इतना ही नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। ...*(व्यवधान)* मेरा समय होगा, मैं 1-2 बातें बताता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि अब और भी कार्य करना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : मंत्री महोदय, मैं बताता हूं। हमारे यहां पर महाराष्ट्र में एक हुमन प्रोजेक्ट है। एक हुमन रीवर प्रोजेक्ट है, यह उमा नदी पर प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका नाम हुमन इसलिए है, क्योंकि, यह ब्रिटिश काल का प्रोजेक्ट है। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह उमा नदी का प्रोजेक्ट है, इसकी स्टार्टिंग में जो कॉस्ट थी, वह 1983 में 33.68 करोड़ रुपये थी और एनवायर्नमेंट क्लियरेंस लेते-लेते इसकी आज जो कॉस्ट बनी है, वह 1016.48 करोड़ रुपये का यह प्रोजैक्ट बन गया है। इस प्रोजैक्ट को बनाने में इतना विलम्ब इसलिए हो रहा है, क्योंकि, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है और प्रोजेक्ट को बनाना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के रूप में इस सिंचाई प्रोजैक्ट के लिए 188 करोड़ रुपये आबंटित किया भी गया है, लेकिन अब एक साल के बाद पुन: फॉरेस्ट क्लियरेंस मंत्रालय ने इनसे 168 करोड़ रुपये की मांग की है। कुल मिलाकर एक सिंचाई प्रोजैक्ट, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, किसानों के लिए भी लाभकारी है, उस प्रोजैक्ट को किस तरह से रोका गया है, मैं यह उदाहरण के तौर पर बताता हूं। ऐसे कितन ही प्रोजैक्ट्स रोके गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, वह कार्य समाप्त होने के पश्चात् कृपया माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दीजिए।

माननीय सभापति : जी नहीं, उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हम बोलने के लिए उन्हें थोड़ा और समय दे सकते हैं। वह एक और मिनट लेकर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदय, मैं आपके सामने दो मिनट में हमारे यहां के एनवायर्नमेंट और पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। जैसे फॉरेस्ट की प्रोब्लम्स मैंने अपने अनुभव से बताई हैं, वैसे ही देश के जो पॉल्यूटिड शहर हैं, उनमें एक सिंगरौली है और एक चन्द्रपुर है, जहां से मैं आता हूं। यहां पर इण्डस्ट्रीज और पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे यहां कई लोगों ने कहा है कि थर्मल पावर स्टेशन से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है। मैं वही बात कहने जा रहा हूं। हमारे यहां पर एक 2300 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1970 में वह प्लांट बना था। वहां पर जो कोयला यूज किया जाता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप बहुत समय ले चुके हो। हमें अब अगला कार्य भी करना है। अत: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उन्हें पर्याप्त समय दिया जा चुका है। वह पहले ही 10 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। यदि आप दो और मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त कर सकते हैं तो कृपया भाषण जारी रखें। कृपया दो मिनट का समय लीजिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : मैं थोड़े में ही खत्म कर देता हूं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दे सकते हैं?

माननीय सभापति : पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदय, वहां पर जो कोल यूज किया जाता है, वह विदाउट वाश कोल यूज करते हैं और इम्पोर्ट कोल यूज किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि हमारे भारत देश के कोल में सल्फर का परिमाण 0.5 है और इम्पोर्टिड कोल में तीन परसेंट ज्यादा सल्फर आता है। जितना सल्फर अधिक यूज किया जायेगा, उससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जायेगी। यहां पर अधिकाधिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो आरएसपीएम या एसपीएम के मानक हैं, उससे कहीं अधिक पॉवर प्लांट पर प्रदूषण बढ़ता जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से कोल का यूज होता है, उसमें अच्छे कोयले का ही यूज हो, उसमें सल्फर का परिमाण भी कम हो और वाश कोल यूज किया जाए। वहां के वातावरण में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने की बहुत जरूरत है। ऐसा एक जगह ही नहीं है, कई जगह है। मैंने उदाहरण के तौर पर चन्द्रपुर का उल्लेख किया है।

[अनुवाद]

***श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया** (राजकोट) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदान मांगों मद सं. 17 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पृथ्वी पर यह मानव जाति का सबसे गंभीर मुद्दा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बहुमूल्य पुस्तक 'द कन्वीनिएन्ट एक्शन विद डीप कन्सर्न' लिखी है।

हमारे देश में, सभी प्रमुख विद्युत केन्द्र कोयला आधारित उद्योगों के लिए भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सेरामिक उद्योग में, कोयले का उपयोग किया जाता है क्योंकि चीन की तुलना में यह अधिक किफायती है। चीन बड़ी मात्रा में अपनी वस्तुएं हमारे देश में खपा रहा है क्योंकि ये कम लागत पर सेरामिक तैयार करते हैं। इसीलिए हमें सेरामिक तैयार करने के लिए कोयले की बजाए गैस का उपयोग करना चाहिए।

गुजरात के विश्व प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य में शेर तेंदुआ आदि तथा अन्य वन्य जीव इस प्रसिद्ध अभ्यारण्य के अस्तित्व के लिए मौजूद हैं। इस वन के चारों ओर रिंग रोड़ होना चाहिए। गुजरात सरकार केन्द्र सरकार से लंबे समय से इसकी मांग कर रही है।

मैं विनम्रतापूर्वक सभा के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में "वन बन्धु कल्याण योजना" गुजरात सरकार द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है, जोकि गुजरात की आदर्श योजना स्वरूप है।

प्लास्टिक की थैलियां बहुत ही खतरनाक तत्व हैं। इसे टैंक आदि में फेंका जाता है और पशु इस खतरनाक प्लास्टिक को खा जाते हैं। अतः मेरा आग्रह है कि प्लास्टिक की थैलियों को मानवता के हित में प्रतिबंधित किया जाए। नीलगाय से फसल की रक्षा करने के लिए तारों की बाड़ लगाई जाए।

***डा. सत्यपाल सिंह** (बागपत) : सर्वप्रथम मैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नई सरकार के प्रयासों और माननीय पर्यावरण और वन मंत्री को पर्यावरण तथा वन हेतु नवीन बजट प्रस्तुत करने की बधाई देता हूं और इसकी सराहना करता हूं। मैं इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे वन क्षेत्र में वृद्धि होगी और स्वच्छ वातावरण मिलेगा।

हमारी संस्कृति में वृक्ष को सदा ही पुत्र से अधिक महत्व दिया जाता रहा है। जीवन का स्रोत ऑक्सीजन है और सभी जानते हैं कि इस ऑक्सीजन का स्थायी स्रोत हमारे वृक्ष तथा वन ही हैं। देश में उपग्रह से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि देश में वन क्षेत्र वर्ष दर वर्ष कम होता जा रहा है और केंद्रीय वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। इस देश को 'चिपको' जैसे आंदोलन की आवश्यकता है जैसा कि उत्तराखंड में हुआ था। हम सभी को पिछले वर्ष की उत्तराखंड की त्रासदी याद है जिसमें गंभीर निर्वनीकरण तथा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुकूल पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता पारिस्थितिकी के कारण हजारों निर्दोष लोगों की जान गई थी। क्या हम इस देश में हर बच्चे के दिमाग मे यह बात डाल सकते हैं कि उनके अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है। ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई तथा पशुओं का शिकार करने पर देश के त्वरित पर्यावरणीय न्यायालयों में कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

जैसा कि महान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि तीनों प्रदूषणों (वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण) में से सबसे खराब प्रदूषण मृदा का है। वायु प्रदूषण को आसानी से दूर किया जा सकता है। जल प्रदूषण को दूर करने में अधिक समय लगता है तथा अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तदापि, मृदा प्रदूषण सबसे खराब होता है और भूमि का स्वास्थ्य बहाल करने में वर्षों लग जाते हैं और इसके लिए भागीदारी प्रयास करने की जरूरत होगी। हम जानते हैं कि पंजाब के होशियारपुर जिले में क्या हुआ। इसे आज देश के कैंसर ग्रस्त जिले के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने कृषि में कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया है, उससे इस देश में लोगों का स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। हमारे अनाज, सब्जियों, फलों तथा दूध तक में खतरनाक तत्वों के अवशेष पाए जाते हैं और उनके कारण स्वास्थ्य खराब होता है। छोटे बच्चे तक कैंसर, मधुमेह तथा हृदयघात जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित हैं। राम जाने की सरकार अपने अस्पतालों में इस समस्या से निपटने के लिए कितना अतिरिक्त धन खर्च कर रही है। यदि हम अपने देश की जनता को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कृषि में इन उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग की अपनी नीति की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार को जैविक कृषि पर बल देना होगा।

प्रयोगों तथा अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे बूचड़खानों तथा मांसाहारी भोजन पकाने से ऑटो मोबाइल प्रदूषण के साथ-साथ वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) की समस्या बढ़ी है। चिकित्सा विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि मांसाहारी भोजन खाने से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पशु-पक्षियों के अवैध शिकार के कारण हमारे देश में बहुत-सी प्रजातियां खतरे में हैं। क्या इस देश के स्वास्थ्य के लिए सरकार हमारे पर्यावरण, कृषि और चिकित्सा नीतियों की समीक्षा करना चाहेगी।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी नैसर्गिक जीवनशैली द्वारा प्रतिदिन वायु तथा जल को प्रदूषित कर रहा है। हम सांस लेते समय अच्छी हवा अंदर लेते हैं, परन्तु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अपने मल-मूत्र द्वारा हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए वैदिक परम्परा में कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य तथा प्रत्येक परिवार को हमारे द्वारा प्रदूषित किए गए वातावरण के शुद्धिकरण के लिए प्रति दिन कम से कम एक बार यज्ञ (अग्निहोत्र) करना चाहिए। यह हमारा पावन कर्तव्य (धर्म) है। हम इस परंपरा को भूल चुके हैं। क्या सरकार इस प्रकार की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से विचार करेगी क्योंकि यह अधार्मिक है तथा जीव जन्तुओं तथा वनस्पति सहित यह सभी के लिए लाभकारी है।

डॉ. रत्ना डे नाग (हुगली) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। यदि कोई एक मुद्दा अथवा विषय है, जिसका कि सर्वाधिक महत्व है तो मैं कहूंगी कि वह पर्यावरण है क्योंकि सब कुछ पर्यावरण पर ही निर्भर है। यदि हम पर्यावरण को खो दें अथवा पर्यावरणीय अपघटन हो जाए अथवा यदि हम अपने पर्यावरण का पूरा ध्यान न रख पाएं तो हम सही मायने में विकास अथवा प्रगति नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सम्माननीय सभा इस विचार से सहमत होगी।

पर्यावरण के कई पहलू हैं। पर्यावरण के साथ बहुत से मुद्दे जुड़े हैं। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, अपने पर्यावास को बचाए रखना, अपनी पारिस्थितिकी प्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत सुनिश्चित करना, ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, वर्तमान में हो रहे व्यापक औद्योगिक विकास के प्रभाव को कम करना, पारिस्थितिकीय औद्योगिक केन्द्रों का अस्तित्व में आना, नदियों की सफाई, परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां आदि, यह सूची काफी लम्बी है। उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलझनों तथा बाधाओं का दूर करने हेतु अंतदृष्टि का काफी उपयोग करना पड़ेगा।

12वीं योजना हेतु निगरानी योग्य लक्ष्यों का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। ये हैं - पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन वन एवं आजीविका, वन्यजीवन, पारिस्थितिकीय पर्यटन एवं पशु कल्याण तथा पारिस्थितिकी प्रणाली एवं जैव विविधता। मैं इनमें से केवल कुछ पर ही प्रकाश डालूंगी जैसे कि - 1.5 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि सहित हरित भारत के अंतर्गत 5 मिलियन हेक्टेयर से संवेदनशील 0.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण तथा वहां पारिस्थितिकी प्रणाली की बहाली। इसी प्रकार से 2017 तक 0.1 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि/अंतर्देशीय झीलों/जल निकायों को बहाल करना। पर्याप्त आबंटन तथा सामग्री के बिना सरकार 5 वर्षों की अवधि में इस कठिन लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेगी?

तटीय तथा समुद्री संरक्षण पर भी तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मंत्रालय की क्या कार्य योजना है? तटरेखा के अवक्रमण को रोका जाना चाहिए। ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि हमारी तटरेखा का अवक्रमण न हो।

कतिपय पहलू हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए महानगरों में खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे वायु प्रदूषण से निपटना। जल की गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। बढ़ते शहरों के साथ कचरा प्रबंधन निगमों के लिए भागीदारी कार्य बन गया है। क्या माननीय मंत्री महोदया वाद-विवाद का उत्तर देते समय यह बताएंगे कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया गया था अथवा जिन पहलुओं पर आधे अधुरे मन के साथ कार्रवाई की गई थी, क्या उनसे हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा?

मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूं कि जलवायु परिवर्तन हेतु 100 करोड़ रु. की सांकेतिक राशि आबंटित की गई है। इतनी कम राशि से हम जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार से निपटेंगे? सम्मानीय सभा में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण और वन मंत्रालय का कुल आबंटन 2430 करोड़ रु. है। मुझे लगता है कि यह आबंटन न के बराबर है क्योंकि जो बड़े मुद्दे मैंने उठाए उन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि विशेष मामले के तौर पर और अधिक राशि आबंटित की जाए जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् पर्यावरण पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा सके तथा अपेक्षित परिणाम निकल सकें जो कि मानव जाति के हितों की रक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान देना सरकार का परम कर्तव्य है। पर्यावरणीय मानदंडों का पूर्ण पालन करते हुए परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि पर्यावरण मंत्रालय गोवा में खनन हेतु नियमों में ढील देने जा रहा है। यदि समाचार पत्र में आई यह खबर सही है तो यह आपदा को निमंत्रण है। स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण की एकमात्र संरक्षक सरकार खनन के लिए नियमों में ढील कैसे दे सकती है?

वे सभी उद्योग जो हमारी नदियों चाहे वे गंगा हो या यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उनके लाइसेंस जब्त किए जाने चाहिएं। पेड़ों के गिरने की भी कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। पेड़ों को गिराने में लगे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।

यहां, मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि कानूनों को और भी कड़ा बना देना चाहिए ताकि हम अपने वृक्षों का ध्यान रखने में बड़ा बदलाव ला सकें। इन सभी उद्योगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिन्होंने जल निकासी शोधन संयंत्र नहीं लगाए हैं। पिछले कुछ समय से हमारे देश में व्यापक औद्योगिकीकरण के कारण नदियों में प्रदूषण बहुत बढ़ा है। इसे पूरे तरह रोका जाना चाहिए। जब तक सरकार इस पहलू को गंभीरता से नहीं लेती और नदियों को प्रदूषण से नहीं बचाती तब तक देश को पर्यावरण की दृष्टि से चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री जुगल किशोर** (जम्मू) : मुझे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर विचार व्यक्त करते हुए बताना है कि वन पौधे आज जीवन का एक अंग बन चुके हैं। इसलिए वनों को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। एक तरफ तो वनों की कटाई बड़े जोर-शोर से हो रही है और इसके साथ ही हर साल वनों में आग लगने से कई पेड़ पौधे जल कर खाक हो जाते हैं विशेषकर मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूं, वन कटकर और जल कर खाक होते जा रहे हैं। पर आग से वनों को बचाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है जिस की वजह से वन नष्ट होते जा रहे हैं वनों में पौधे लगाने का काम की भी कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। (नेशनल) राष्ट्रीय राजमार्गों का काम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए पर इसके तहत कटने वाले पेड़ों की संख्या से दो गुणा संख्या से ज्यादा पेड़ पौधे पहले लगाने की शर्त होनी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और रखने के लिए अवैध खनन को भी रोकना होगा, खासकर नदी नालों से होने वाला अवैध खनन को न रोका गया तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम होंगे।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमंगलूर) : हमारे देश के पश्चिमी घाट - उत्तर-पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्र विविध प्रकार की वनस्पतियों, मैंग्रोव व मूंगा चट्टानों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सम्पदा अत्यंत समृद्ध हैं, जिससे कि जैव-विविधता में संतुलन बना रहता है। भारत में 17 जीवमंडल जोनों की पहचान, जिनमें से यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यूनेस्को के वैश्विक संरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यूनेस्को के वैश्विक संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा है, भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है।

मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। वहां हमारे किसान सदियों से रह रहे हैं। प्रोत्र माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट के बाद उनमें यह डर बैठ गया है कि उनकी संपत्ति हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट तैयार करते समय न तो जन प्रतिनिधियों और न ही ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की राय ली गयी। लोगों को अंधेरे में रखा गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि कृपया निम्नलिखित प्रश्नों को लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, का अध्ययन कर लें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, जो भारतीय प्रायद्वीप के रक्षक और जिनसे अगत्स्यमलै, अन्नामलै, नीलगिरि और सह्याद्रि पर्वतीय वन श्रेणियों तथा गोदावरी, कृष्णा, नेत्रावती, कावेरी, कुन्ती, वैगई एवं अन्य नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट में भारत के सर्वाधिक जैव समृद्ध 13 राष्ट्रीय उद्यान तथा अनेक अभ्यारण्य स्थित हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व के आठवें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैवविविधता हॉट-स्पॉट माने जाने के साथ ही, पश्चिमी घाट 6 राज्यें के 44 जिलों और 142 तालुका के व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यू जी ई ई पी) तथा उच्च स्तरीय कारक समूह (एच एल डब्ल्यू जी) द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट में पर्यावरणीय प्रभावों, पास्थितीकीय मुद्दों तथा सतत् विकास के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन, उनमें इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की चिन्ताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। डब्ल्यू जी ई ई पी एवं एच एल डब्ल्यू जी दोनों, उपरोक्त वन क्षेत्रों में रहे लोगों के वास्तविक जीवन की समस्याओं तथा पीड़ओं को नहीं मानते हैं। दोनों की रिपोर्टों की मानव जाति के जीवन व आजीविका की सुरक्षा मिली में विफलता के कारण काफी आलोचना हुई है। मनुष्यों की चिन्ताओं पर ध्यान दिए बिना पर्यावरण की चिन्ता करना बिना संवेदनशील ही है।

निम्नलिखित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर और अधिक दिए जाने की आवश्यकता है:

भूमि उपयोग पर **खंड 1, पृष्ठ 4142:** ईजीईईपी की रिपोर्ट में उल्लेखित जिस व्यापक मार्गनिर्देश से लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा हुई है वह है, "वन भूमि का गैर-वन भूमि में अथवा कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि, कृषि भूमि से वन भूमि (अथवा बागवानी पेड़ों) को छोड़कर, के रूप में परिवर्तन या प्रयोग करने की अनुमति न दिया जाना" सिवाए तब, जबकि स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि को समाहित करते हुए, मौजूदा मानव बस्तियों के विस्तार की आवश्यकता हो। इसका अर्थ यह है कि आवास सिवाए अन्य सभी प्रकार की निर्माण तथा विकास संबंधी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध और इसे स्वीकार नहीं कर जा सकता है। एचएल डब्ल्यूजी रिपोर्ट में इस खंड में कोई संशोधन नहीं किया गया। अत:, विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, पुस्तकालयों, यहां तक कि गौपशुशालाओं के निर्माण संबंधी कोई भी मूल विकासात्मक क्रियाकलाप, जैव-संवेदी क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में 10 वर्ग किलोमीटर के घेरे में नहीं किए जा सकेंगे। इसका यह अर्थ है कि 20,000 वर्ग मीटर से बड़े आकार के भवनों तथा सड़क एवं रेलवे जैसा कोई अवसंरचनात्मक विकास नहीं किया जा सकेगा। यह स्वाभाविक है कि मूलभूत सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित किए गए लोगों को भविष्य में मजबूर पलायन करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक समाज में इससे मानव जीवन प्रभावित होगा। यदि गाडगिल समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है, तो आजीविका का भारी नुकसान हो सकता है।

2. सार्वजनिक भूमि के निजी भूमि में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध: डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट (खंड 1, पृष्ठ 41) के मार्गनिर्देशों में यह कहा गया है कि सार्वजनिक भूमि को निजी भूमि में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन, ऐसे हजारों किसान परिवार (गरीब, निम्नवत सामाजिक दर्जे के छोटे किसान या मजदूर) जिनमें जनजातियां भी शामिल हैं, जिनके पास दशकों से पश्चिमी घाट क्षेत्र में कृषि भूमि है, लेकिन उन्हें भूमि के दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, हजारों परिवारों को भूमि कर से छूट नहीं दी गई है। वे सभी छोटे और सीमांत किसान हैं, जो स्थाई रूप से बसे हुए किसानों की नई पीढ़ियों, जिन्होंने उच्च पर्वतीय श्रेणियों की ओर प्रवास किया, अथवा गरीब जनजातीय परिवारों से संबंध रखते हैं। एच एल डब्ल्यू जी समितियों ने भी इस खंड में संशोधन नहीं किया है। ये परिवार सदा सदा के लिए भूमि पट्टों से वंचित हो जाएंगे, जिसके चलते तंत्र व प्रशासन के विरुद्ध जनांदोलन व प्रदर्शन शुरू हो जायेंगे; जिससे कि प्रशासन एवं सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप्प हो जाएगा।

3. गैर-वन प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध जनजातियों तथा पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों संबंधी वर्ष 2006 का अधिनियम उन्हें उस वन भूमि पर खेती करने की अनुमति देता है, जिन पर वे लोग पीढ़ियों से अपनी आजीविका हेतु निर्भर रहे हैं। लेकिन, डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट के एक खंड के मुताबिक "वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।" यह जनजातियों एवं पारंपरिक वनवासियों को प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है। ऐसे हजारों किसान हैं, जो ठेके पर खेती करते हैं तथा वन भूमि से अपनी आजीविका चलाते हैं, इस उपधाराओं से उनके हित भी प्रभावित होंगे। एच एल डब्ल्यूजी द्वारा इस उपधारा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

4. रासायनिक उर्वरकों का चरणबद्ध तरीके से प्रयोग बंद करना: डब्ल्यू जी ईईपी रिपोर्ट में एक तय समय सीमा के भीतर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशकों को चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद किया जाने की सिफारिश की गई है। एचएलडब्ल्यूजी द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया गया है। कोई भी जैविक कृषि का विरोध नहीं कर सकता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का कड़ाई से विनियमन किया जाना चाहिए। लेकिन विनियमन और प्रतिबंध दो अलग-अलग चीजें हैं और रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम आवश्यक प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध किसान समुदाय को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग की समस्या मात्र पश्चिमी घाट से ही संबद्ध न होकर सम्पूर्ण भारत और विश्व से संबंधित समस्या है। प्रतिबंध से कृषि

उत्पादन एवं किसानों तथा उनके परिवारों की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5. एचएलडब्ल्यूजी द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि कॉफी, चाय, रबड़ इत्यादि विदेशी नस्ल की है और उपरोक्त खंड में संशोधन किया गया। नकदी फसलों के विस्तृत बागान, अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देते हैं तथा लाखों लोगों एवं परिवारों को रोजगार एवं आमदनी मुहैया करते हैं। यदि इस खंड की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह आपदाजनक कदम होगा, क्योंकि यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने संबंधी एक गंभीर चिंता का मुद्दा बन जाएगा।

6. **किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन :** डब्ल्यू जी ईई पी व एच एल डब्ल्यू जी दोनों में जैविक कृषि तथा कृषि क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन एच एल डब्ल्यू जी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना में जैविक कृषि के प्रचार-प्रसार तथा कृषि क्षेत्र हेतु राजसहायता के लिए, सिवाए वन और पर्यावरण संरक्षण विषयों के लिए निधि के आबंटन हेतु कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है। इससे इस सारे मामले में निरुत्साहित का बोध होता है।

7. एच एल डब्ल्यू जी रिपोर्ट के मुताबिक, लाल श्रेणी में शामिल किसी भी उद्योग को ईएसजेड (पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोन) में स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन दुग्ध प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण वनस्पति तेल के उत्पादन तथा अस्पताल जैसे उद्योग भी इस श्रेणी में शामिल किये गये हैं, जिसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

8. **किसानों को प्रोत्साहन:** डब्ल्यू जी ईई पी द्वारा विशेष रूप से उन किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने की सिफारिश की गई है, जो जैविक कृषि, फसलों को पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देते हैं, जो पशुध ान की देशी प्रजातियों, मछलियों की देशी प्रजातियों के प्रोन्नयन व पालन में शामिल है, पवित्र वन क्षेत्रों का संरक्षण करते हैं, पेड़ों की देशी किस्में उगा रहे हैं तथा जहां ढाल की तीव्रता 30 डिग्री से अधिक है। सदाबहार फसलों को अपना रहे हैं। इनमें अवशोषित मृदा कार्बन के बदले में सरकार द्वारा भुगतान की भी सिफारिश की गई है। ऐसी सिफारिशें, जिनमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होता है, को एच एल डब्ल्यू जी रिपोर्ट में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

9. **जलविज्ञान सेवा और स्थानीय समुदाय:** एच एल डब्ल्यू जी द्वारा इस बात की वकालत की गई है कि वनों द्वारा प्रदत्त जलविज्ञान संबंधी सेवाओं तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी लाभों पर वनों के प्रभावों की गणना की जाए। सामाजिक संदर्भ में इसमें कुछ अवर्निहित खतरे हैं विशेषकर तब जबकि जल के निजीकरण की तैयारी चल रही है। हवा की भांति जल को भी एक वाणिज्यिक वस्तु कभी नहीं माना जा सकता और उसका दाम नहीं लगाया जा सकता। मूल्य तय कर दिए जाने के बाद इसका दुरुपयोग किया जाएगा और संभवत: जल समाज के गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो जाएगा और यदि पहुंच में होगा भी, तो भी जल के दाम बहुत महंगे होंगे। हालांकि, वनों के निकट रहने वाले समुदायों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाने चाहिए। डब्ल्यू जी ईई पी द्वारा व्यक्तियों को पारिस्थितिकी सेवा शुल्क के भुगतान हेतु कई मार्ग एवं साधन सुझाये गये हैं, परंतु जल के मामले में विशेष तौर पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर हम निम्नलिखित सुझाव दे रहे हैं क्योंकि सतत विकास और पर्यावरण सम्पूर्णता तथा एक समान आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच संतुलन कायम रखते हुए स्थानीय और स्वरोगी लोगों, जनजातियों, वनवासियों और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त मुद्दों (क्रम सं. 1 से 9) का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए संसद सदस्य की अध्यक्षता (नेतृत्व) में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें प्रभावित राज्यों के विभिन्न राजनीतिक मतों के समुचित प्रतिनिधित्व सहित सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, भूगर्भशास्त्र के विशेषज्ञों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाया जाए और निर्णय लेने वाली समितियों या निकायों को इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की राय और फीडबैक पर विचार किया जाना चाहिए।

पश्चिम घाट या उसके आस-पास रह रहे लोगों को किसी भी स्थिति में वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए। उनकी सम्पत्तियों जैसे भूमि, मकान आदि की भी रक्षा की जानी चाहिए।

एक समय आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सतत विकास और पर्यावरण सम्पूर्णता के संतुलन के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और स्वदेशी लोगों, जनजातियों, वनवासियों व स्थानीय समुदाय के सर्वाधिक वंचित वर्गों के अधिकारों, आवश्यकताओं और विकास संबंधी आकांक्षाओं की रक्षा की जानी चाहिए।

पूर्व में प्रस्तुत की गई डब्ल्यू जी ईई पी और एच एल डब्ल्यू जी की रिपोर्टों की समीक्षा करना और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना।

माधव गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए संसद सदस्यों, सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग व भूगर्भशास्त्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया

जाना चाहिए जो नई कार्य योजनाओं के बारे में सिफारिश करेगी और सुझाव देगी जिन्हें वास्तविक स्थिति में कार्यान्वित किया जा सकता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के इन दोनों रिपोर्टों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराना चाहिए और इन्हें पश्चिमी घाट की पंचायतों और ग्राम सभाओं को भेजकर उनकी सिफारिश/राय/फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। इससे उन स्थानीय लोगों में प्रभावी जागरूकता उत्पन्न होगी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं है।

सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों की सहायता से पश्चिमी घाट पर सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण करने हेतु तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और उसका पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग सदियों से वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। हमारे पूर्वजों से हम इन क्षेत्रों में जीते-मरते हैं। राष्ट्रीय जल अधिनियम, 2006 के अनुसार इन वन क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास 10 एकड़ भूमि पर खेती करने का अधिकार है। महोदय, 10 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे लोग छोटे किसान और गरीब हैं। वे अपनी आजीविका के लिए इस भूमि पर निर्भर है। इसलिए हमें अन्य समुदायों के लोगों को भी यह अवसर प्रदान करने पर विचार करना होगा। आपसे अनुरोध है कि वन क्षेत्रों में 10 एकड़ भूमि रखने का अधिकार अन्य समुदायों को भी दिया जाए। इसके लिए विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विकास संबंधी अनेक कार्यों, पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। कम-से-कम, अवसंरचना कार्य हेतु अनुरोध कर विचार करना चाहिए। वन विभाग की आपत्ति के कारण हमारी राज्य सरकार की गई विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं। कर्नाटक राज्य गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है। समय की मांग है कि हम बड़ी तापीय परियोजनाओं का निर्माण करें। वन संबंधी मुद्दों के कारण अनेक परियोजनाएं लम्बित हैं। ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह) : वर्ष 2014-15 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगो पर चर्चा में विचार व्यक्त करते हुए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के अपने कुछ सुझावों को रखना चाहता हूं। यद्यपि हमारे मंत्री जी ने अल्प समय में ही इस क्षेत्र के लिए काफी सराहनीय प्रयास किये हैं।

पर्यावरण सुरक्षा: आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट के मुकाबले के लिए तैयार है। देश के एक पवित्र स्थल बद्रीनाथ-केदारनाथ की भीषण विभीषिका में हमारे देश के हजारों तीर्थयात्रियों की शहादत आज भी भारतीय जनमानस के बीच ताजा है। जिस प्रकार विज्ञान अपनी लंबी दूरी तय कर रही, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने प्रकोप को दृष्टिगोचर करती है। अत: मेरा सरकार से आग्रह होगा किसी भी परियोजना के प्रारंभ करने के पूर्व विद्वान पर्यावरण विद् दलों के द्वारा विस्तृत जांच सुनिश्चित कराना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति अपेक्षित है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम : हमारे देश में वृक्ष लगाना एक धार्मिक मान्यता एवं परंपरा रही है, परंतु आज यह कार्यक्रम कागज में अंकित कर जेब गरम करने का साधन बन गया है। आज हमारे देश में वनों की कटाई विशेषकर झारखंड में धड़ल्ले से हो रही है। इसे रोकने के लिए कई विभागों का गठन किया गया है, परंतु सब कुछ मेल जोल के आधार पर माफियाओं के राज चलते हैं। मेरा सुझाव है कि वृक्षारोपण एवं वृक्षों के बचाव के लिए एक तंत्र स्थापित हो, जो क्षेत्र-वार पूर्व से स्थापित वृक्षों की संख्या और वृक्षारोपण की संख्या का पूर्ण ब्यौरा तैयार सूचना पट पर इसका डिस्प्ले करें।

वृक्षारोपण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करने खासकर किसानों को वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी स्कीमों आदि को व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसके अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता निर्धारित हो।

पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड : हमारे क्षेत्र में दामोदर नदी अवस्थित है, जो काफी प्रदूषित नदी बन गयी है क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक लोकउपक्रमों के कचरा और अन्य स्थानों का कचरा इसी नदी में फेंका जाता है, परंतु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां है, समझ नहीं आता है। उद्योग स्थापित करें, पोल्यूशन मानक खिलाफ काम करें, केवल बोर्ड को मैनेज करके एन.ओ.सी. कभी नहीं मिलेगा।

अत: सरकार इस विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

जंगली जानवरों का उत्पात : हमारे क्षेत्र के गिरीडीह जिला में लगभग साढ़े चार वर्ष से जंगली हाथियों और सुअरों के द्वारा जान-माल का नुकसान किया जा रहा है। गांव के लोग रात भर दहशत में जिन्दगी जीते हैं। कई लोगों की जाने चली गई हैं, परंतु इस कार्य हेतु स्थापित तंत्र प्रभावी नहीं है। अत: सरकार से आग्रह है कि हाथियों एवं जंगली जानवरों के उत्पाद रोकने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

अत: मेरा सरकार से आग्रह होगा कि इस विभाग को एक सख्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एवं जिम्मेवार विभाग बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाये और नियमों के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाये।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र** (बांदा) : मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का जो अच्छा बजट आया है उसका स्वागत करता हूं। इस पर लागू की जा रही योजना से वन क्षेत्र बढ़ेगा एवं पर्यावरण को भी काफी फ़ायदा होगा। महोदय, इसके साथ ही मैं इसकी आड़ में जो विकास की परियोजनाएं लम्बित हो जाती हैं, वह भी चिन्ता का विषय है। जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा के चित्रकूट जनपद में रानीपुर वन्य जीव बिहार से प्रसिद्ध पर्यटक एवं धार्मिक स्थल धारकुण्डी को जोड़ने वाली सड़क जो कि लगभग 5 कि.मी. वन क्षेत्र से आती है, उसके कारण सड़क अधूरी पड़ी है। जो न तो वन विभाग ही बना रहा है न ही बनने के लिए अन्य विभाग को अनुमति दे रहा है। ऐसे ही कर्वी देवंगाना मार्ग से मारकुण्डी को जोड़ने वाला मार्ग भी लम्बित पड़ा है। इसी प्रकार से हनुमान गंज से कोटा कंदेला तक बनने वाला सम्पर्क मार्ग अधूरा पड़ा है। उन स्थानों पर कच्ची सड़कें एवं खडन्जे जो वन विभाग बनाता है। अपने से वह चन्द दिनों में खत्म हो जाता है। अस्तु, मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे स्थानों पर वन विभाग को या तो दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर सड़क बनाने की शीघ्र अनुमति देना चाहिए या स्वयं सी.सी. रोड़ नाली सहित उन क्षेत्रों पर बनाना चाहिए, जिससे उक्त अधूरे मार्ग पूरे हो सकें और लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। ऐसे सभी मामलों पर एक समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बैतूल) : पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त अनुदान का महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की देश के विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने में हमारी पर्यावरण नीति को सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ सरल करते हुए क्लीयरेंस की नीति को ऑनलाइन ही करने के साथ उसे प्रभावी रूप देने के लिए पारदर्शिता की घोर कमी थी। यही कारण रहा कि हमारी औद्योगिक इकाइयों की शुरूआत ही नहीं हुई अथवा नई औद्योगिक इकाइयों को क्लीयरेंस की कठोर नीति के कारण पिछले 20 वर्षों से यह लंबित पड़ा रहा। यही कारण रहा कि हमारी मुद्रास्फीति लगातार गिरती रही और मंदी का सामना करना पड़ा। औद्योगिक इकाई कहीं न कहीं हमारी इस देश की मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन बड़ी परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण हमारी हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। लेकिन हमारी सरकार से इस देश को बहुत बड़ी आशाएं हैं। यह जो बड़ी परियोजनाएं हैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी शुरू होगी और 2019 में सरकार के द्वारा इस ओर सकारात्मक कदम उठाकर इस देश को मंदी से उठाने का प्रयास करेगा।

पर्यावरण इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमनें उसे बचाने का मूल संकल्प लिया है। इसे ही नहीं हमने खनिज सम्पदा को भी जो इस देश की अमूल्य संपदा है उसका हम सही सदुपयोग करेंगे जो कहीं न कहीं इस देश के विकास को दूसरे देशों से आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे देश का वन जो लगभग 34 प्रतिशत हमारे देश के पास आज भी संरक्षित है, हमें उसे और बढ़ाना है। उसे बढ़ाने की क्षमता हमारे देश के पास में वन भूमि में रहने वाली जनजाति जो इस देश के मूल निवासी हैं। इनके कारण ही आज हमारे पास इतना बड़ा वन संरक्षित क्षेत्र बचा हुआ है। इसके अंदर अपार खनिज संपदा के भंडार को इन्होंने ही बचा कर रखा हुआ है। इसे बचाते हुए वन, खनिज सम्पदा और जनजातियों को बचाते हुए जो कहीं न कहीं इन चीजों का सामंजस्य इस पर्यावरण की मूल वृद्धि को दर्शाता है।

कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी उस जिले का एक तिहाई हिस्सा वन होता है, लेकिन सरकारी नीतियों में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पिछली चलती हुई आयी नीतियों के कारण वनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वन सम्पदा में भी भारी गिरावट आई है। सरकार के पिछले नुकसानों को दूर करने के लिए इस सरकार से यह आशा है कि सरकारी अमलों को सुधार की प्रक्रिया में लाया जाए, उनके लिए कठोर नियम बनाए जाएं, वनों को बढ़ाने के लिए वन कन्जरवेट के कानून में कठोर नीतियां बनाई जाए, वनों की भूमि पर अनधिकृत अधिग्रहण को रोका जाए और उसके लिए ठोस नियम बनाए जाएं। वनों पर केवल जनजातीय लोगों को ही अधिग्रहण दिया जाए क्योंकि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार इनका है और यही इनको सुरक्षित रख सकते हैं। वन की हजारों एकड़ भूमि खाली पड़ी है। आज भी इस उपजाऊ भूमि पर अधिक उत्सर्जन करने वाले वनों का निर्माण नहीं किया गया है। यदि क्षमतावान उत्सर्जन करने वाले पौधों को संरक्षित करते हुए उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए वन की भूमि को संरक्षित करना अति आवश्यक है।

बैतूल के जंगल में आज भी इसरो के द्वारा डाला हुआ उत्सर्जन क्षमता को दिन प्रतिदिन वैल्यू नापने का कार्य इसरो द्वारा किया जा रहा है। आज भी यहां इस जंगल में यहां के जंगली जानवरों का घनत्व भारी होने के कारण यह जंगल में उत्सर्जन की क्षमता मध्य प्रदेश की सबसे अधिक है। जिले की जनजाति 48 प्रतिशत है और ये पूरा जंगल आज इन्हीं जनजातियों के होने से बचा हुआ है।

मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश जैसा क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नम्बर का राज्य है। इसमें ये जनजाति जिला कहीं न कहीं वनों के रूप में जाना जाने वाला जिला है जो सबसे अधिक उत्सर्जन बढ़ाने वाला जिला है। पूरे देश को कहीं न कहीं उत्सर्जन को भी देने में सबसे आगे है। इसलिए इस जिले को इस पर्यावरण विकास मंत्रालय के द्वारा आपके माध्यम से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरी मांग है इसमें अधिक से अधिक राशि देकर पर्यावरण में सहायक सिद्ध हो। क्लीयरेंस की अनुमति नहीं मिलने के कारण हमारी दो कोयले की खदाने आज भी लंबित पड़ी हैं। वन में रहने वाले जनजातीय किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलता है। हमारी इन सभी कानून व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण की इस नीति को लागू करनी चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब मैं डा. हर्षवर्धन को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मुझे खेद है कि मैं आपका समय ले रहा हूं। मैं आपका और इस सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। उस सम्मेलन के बाद हम आशा कर रहे थे कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री सभा में वक्तव्य देंगे। हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए और पूरा देश यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक है कि ब्रिक्स सम्मेलन का परिणाम क्या रहा। सामान्यत: माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं और पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा सदैव से वक्तव्य दिए जाते रहे हैं। माननीय सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी और श्री जावडेकर जी राज्य सभा में यह मुद्दा उठाया करते थे। तथापि, पिछले 10 दिन से हम इस बारे में वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : वह मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार उसका उत्तर देगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बाद में उत्तर दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को सप्ताह में कम-से-कम एक बार सभा में आना चाहिए। मैं यह आशा नहीं करता हूं कि वह प्रतिदिन आएं। बजट सत्र के बाद वह सभा में नहीं आए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : हमारे पास काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपके पास एक अच्छा चेहरा है, मैं इस बारे में अस्वीकार नहीं करता हूं। आपके पास एक अच्छा चेहरा है और उसी चेहरे के सहारे आपने चुनाव जीता है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री को सभा में आकर इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए ताकि सदस्यों को नीतिगत मामलों की जानकारी मिल सके। मैं यहां उपस्थित माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं। यह सदस्यों की मनोभावना है, जिसे मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आपने जो कहा है वे उसकी सूचना सरकार को दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : ऐसी छवि बन गई है कि प्रधानमंत्री संसद को चला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य .... *जारी*

(दो) डाक्टर रोग विज्ञान प्रयोगशाला/नैदानिक जांच केंद्रों की सांठ-गांठ से उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी जिसका 21 जुलाई, 2014 को न्यूज नेशन टीवी चैनल द्वारा प्रसारित 'ऑपरेशन जोंक' नामक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा हुआ था।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. हर्षवर्धन) : महोदय, मैं डाक्टर रोग विज्ञान प्रयोगशाला/नैदानिक जांच केंद्रों की सांठ-गांठ से उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी जिसका 21 जुलाई, 2014 को न्यूज नेशन टीवी चैनल द्वारा प्रसारित 'ऑपरेशन जोंक' नामक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा हुआ था, के संबंध में इस सभा में वक्तव्य देना चाहता हूं।

महोदय, सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को हिंदी टीवी चैनल, न्यूज नेशन पर 'ऑपरेशन जोंक' नामक कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें कुछ बेईमान चिकित्सकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रोग विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा नैदानिक जांच केंद्रों के प्रबंधकों के बीच गुप्त सौदों को उजागर किया गया।

दो घंटे से अधिक लंबे कार्यक्रम ने पारंपरिक स्टिंग ऑपरेशन तकनीक को अपनाते हुए चिकित्सा अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के कथित रूप से अविनियमित हालात के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाया है। गुप्त रूप से फिल्माई गई बातचीत के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि मैग्नेटिक रेजोनेंश इमेजिंग (एमआरआई), सीटी स्कैन, अल्ट्रा साउण्ड, नियमित रोग विज्ञान परीक्षण आदि पर कैसे कुछ चिकित्सक 30-35 प्रतिशत कमीशन प्राप्त कर रहे हैं।

दिल्ली के कुछ ख्याति प्राप्त नैदानिक जांच केंद्र जिसमें कुछ पुराने प्रतिष्ठित केन्द्र भी शामिल हैं, को इस घृणित रैकेट में शामिल दिखाया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसे अस्पष्ट वर्णन से चिकित्सा समुदाय को ऐसी कुप्रथाओं का दोषी स्वीकार नहीं करता है। तथापि, ऐसा महसूस किया जाता है कि कुछ व्यक्ति हैं जो ऐसे अनैतिक कार्य में लगे हुए हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें चिकित्सक जैसे उत्कृष्ट पेशे का कार्य करने के लिए योग्य करार दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम की तीन सबसे महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है:

1. रैकेट के अनुसार कम से कम राष्ट्रीय राजधानी के संदर्भ में यह अत्यधिक व्यापक है। यद्यपि चिकित्सकों का नाम नहीं लिया गया है लेकिन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कार्यक्रम में यह उजागर किया गया है कि मासिक रूप से अथवा साप्ताहिक रूप से चेक के माध्यम से कमीशन का भुगतान किया जाता है।

2. यह रैकेट अनुचित लाभांश की ओर इशारा करता है। यह भुगतान किए गए कमीशन की दर से स्पष्ट हो जाता है। स्टिंग आपरेशन के कुछ हिस्से में नैदानिक जांच केन्द्र के कर्मचारियों के माध्यम से यह उजागर हुआ कि वे रेफर करने वाले चिकित्सक को एमआरआई जैसे महंगे परीक्षणों पर 50 प्रतिशत तक के कमीशन का भुगतान करते हैं। यह दर्शाता है कि इतनी अधिक कमीशन देने के बावजूद ये क्लिनिक अच्छा मुनाफा कमाते हैं।

3. जहां तक दिल्ली के चिकित्सा अर्थव्यवस्था के इस पहलू का संबंध है, इससे एक प्रकार का व्यवसायी समूहन का विकास हुआ है। सभी निजी प्रयोगशालाएं और नैदानिक केंद्र रोग विज्ञान परीक्षणों और नैदानिक जांचों के लिए लगभग एक ही राशि वसूलते हैं। रोगियों के पास अत्यधिक शुल्क का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें चिकित्सकों द्वारा बताए गए अनावश्यक परीक्षण भी करवाने पड़ते हैं जो दलाली के लोभ से प्रभावित होते हैं। यह उनकी शारीरिक और मानसिक परेशानी बढ़ाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार स्वीकार करता है कि रोगियों/उपभोक्ता की चिकित्सा अर्थव्यवस्था के ऐसे घृणित व्यवहार से सुरक्षा की आवश्यकता है, जो वर्तमान कानून/नियमों/कोड के कार्यान्वयन और अपर्याप्त सरकारी निगरानी की कमी के कारण पनप रहा है।

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को टीवी कार्यक्रम द्वारा दर्शाए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया है। जांच की सुविधा के लिए न्यूज नेशन चैनल को डीवीडी और स्क्रिप्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय, भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को उनकी आचार संहिता समिति की आपातकालीन बैठक का आयोजन करने तथा अपनी वेबसाइट पर उक्त बैठक का कार्यवृत्त दर्शाने का अनुरोध किया गया है।

मैंने, आज एमसीआई के अध्यक्ष को पत्र लिखा है जिसमें यह ध्यान दिलाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा कमीशन स्वीकार करने की प्रथा "पंजीकृत चिकित्सकों के व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता से संबंधित विनियम" के तहत एमसीआई के आचार संहिता, 2002 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

बार-बार दोहराते हुए कि भारत के चिकित्सकों की अधिक संख्या आचार और व्यावसायिकता के उच्चतम मानदंड को बनाए रखते हैं, मंत्रालय महसूस करता है कि यह पतनशील प्रवृत्तियों की जांच करने का समय है जो चिकित्सा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में फैल गई है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्ट समूह पनप रहे हैं और जो समुदाय की छवि को प्रभावित करता है। इसके लिए रोगात्मक प्रयोगशालाएं/नैदानिक केंद्रों द्वारा नियोजित व्यापार पद्धतियों को निरीक्षण के तहत लाना आवश्यक है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने चिकित्सा अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता हित पर उपयुक्त रूप से फोकस करने के प्रमुख प्रश्न पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। अहस्तक्षेप की नीति जो भारत में इस व्यापार को नियंत्रित करता है वह उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है और इसके सुधार की आवश्यकता है।

यह स्वीकार किया गया है कि चिकित्सीय लापरवाही देखने वाले वर्तमान सिविल कानून उपरोक्त प्रथाओं को स्पष्ट रूप से कवर नहीं करता है। न्यायोचित क्लीनिकल/नैदानिक जांच के लिए रेफरल सहित पारदर्शी और तर्कसंगत पर्चे के संबंध में रोगी/उपभोक्ता के अधिकार को नए विधानों में संहिताबद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

तद्नुसार मंत्रालय सभी के लिए स्वास्थ्य के प्राकृतिक परिणाम के रूप में चिकित्सा प्रथाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के उपायों का सुझाव देने हेतु प्रख्यात चिकित्सकों और उपभोक्ता विधि विशेषज्ञों का पैनल बैठा रही है।

अपराह्न 4.14 बजे

(तीन) 21 जुलाई, 2014 को दिल्ली में मणिपुर निवासी श्री अखा सलौनी की मृत्यु की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा को श्री अखा सलौनी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण एवं दिल दहला देने वाली घटना के विषय में अवगत करवाना

चाहता हूं। इस घटना के विषय में की गई छान-बीन के दौरान दिल्ली पुलिस ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री दीहे काझीहरि और श्री नागेन्द्र शर्मा से पूछताछ की और घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिया।

बिट्टू उर्फ राजीव, शक्ति बसोया उर्फ शैंकी और संजय सिंह बसोया नामक तीन हमलावारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष दो हमलावारों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उप पुलिस आयुक्त, दक्षिणी जिला की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित कर दी गई है और मामले की जांच चल रही है।

श्री दीहे काझीहरि द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 20/21.07.2014 की मध्यरात्रि में लगभग अपराह्न 01.00 बजे वह अपने दोस्तों, श्री अखा सलौनी और श्री नागेन्द्र शर्मा के साथ मसूदपुर, वसंतकुंज, दिल्ली से एक ऑटो रिक्शा से अपने घर लौट रहे थे। वे सभी मुख्य सड़क पर ऑटो रिक्शा से उतर कर वहां से पैदल अपने घर की ओर जाने लगे। तभी गुरुद्वारा रोड और नेहरू रोड के जंक्शन के निकट एक कार में बैठे 5-6 लोगों ने उन्हें रोका और रास्ता देने के नाम पर उनसे झगड़ा शुरू करते हुए उन पर हमला कर दिया। श्री दीहे काझीहरि और श्री नागेन्द्र शर्मा उस स्थान से भाग गए, जबकि तथाकथित दोषी व्यक्तियों ने श्री अखा सलौनी पर जानलेवा हमला कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने पुलिस थाना कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दिनांक 21.07.2014 को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 610/14 के माध्यम से मामला दर्ज कर लिया है तथा जांच चल रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

...*(व्यवधान)*

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : आरोप-पत्र का क्या हुआ? दिल्ली के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक अपराध दर्ज हुए हैं ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : वक्तव्य पहले ही दिया जा चुका है। अब श्री जय प्रकाश नारायण यादव बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अब बैठ जाइए। श्री धर्मेन्द्र यादव।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मंत्री महोदय वक्तव्य दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : यदि आप इस पर और चर्चा चाहते हैं तो आप नोटिस दे सकते हैं। नोटिस दिया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण मंत्री महोदय पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। यदि आप नियम 193 अथवा किसी अन्य उपयुक्त विषय के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं तो आप नोटिस दे सकते हैं। 193 जैसे उपयुक्त विषयों के अंतर्गत आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं।

अब श्री धर्मेन्द्र यादव पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.20 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2014-15

पर्यावरण और वन मंत्रालय - *जारी*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) : सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मौके पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको

धन्यवाद देता हूं। पर्यावरण और वन मंत्रालय मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें पर्यावरण के मापदंडों या वन संरक्षण के बिना हमारा जीवन संभव हो सके। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

सभापति महोदय, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिससे इस मंत्रालय का संबंध और सम्पर्क न हो और ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां इस मंत्रालय का हस्तक्षेप न हो। इस मंत्रालय के माध्यम से पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा की जरूरत न हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने एक ओर कई आयोग, कई संस्थाएं गठित करके हर मौके पर एनओसी मांगने का काम किया है। हर मौके पर आपके पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी जाती है। हमारा कहना है कि चाहे आपको बजट बढ़ाना पड़े, चाहे आपको कोई भी उपाय करने पड़े, लेकिन जिन कारणों से पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसे रोकने के लिए आपको सार्थक पहल और प्रयास करने पड़ेंगे। हम औद्योगिक विकास की बात आगे करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि सबसे पहले हमें गांवों में सम्पूर्ण शौचालय का इंतजाम करना चाहिए। उसके बिना आप पर्यावरण को कभी भी शुद्ध नहीं कर पायेंगे। यह हमारी आपसे अपील है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले इस पर काम भी किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं, इस बात को आप समझते हैं। वहीं दूसरी ओर हम नहीं कह रहे, बल्कि आपकी सरकार के एक विभाग के श्वेत पत्र के माध्यम से कहा गया कि पर्यावरण मंत्रालय अवरोधक मंत्रालय बन चुका है। जहां हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, वहीं देश के विकास, तरक्की, खुशहाली, रोजगार के लिए भी हमें विकास के रास्ते पर भी जाना होगा। पर्यावरण का नाम सुनते ही एक ऐसी संस्था का नाम संज्ञान में आता है जहां जाने के बाद कोई काम होना ही नहीं है। वह काम पूरी तरह से रुक जायेगा, ऐसा एक माहौल पर्यावरण के बारे में बना हुआ है।

सभापति महोदय, हम लोग इको फ्रेंडली की बात करते हैं। पर्यावरण के साथ मित्रवत् बात करते हैं, वहीं पर्यावरण मंत्रालय इतनी रोक लगाता है। मान लीजिए कि आपको हर चीज में एनओसी की जरूरत है और वह आपके माध्यम से जारी होनी है, तो आप स्टाफ बढ़ाइये। आप अपनी क्षमता बढ़ाइये, लेकिन कोई भी योजना आपके विभाग की अनापत्ति के कारण रुकनी नहीं चाहिए। यदि मापदंड पूरे नहीं है, तो तत्काल रिजैक्ट होना चाहिए और अगर मापदंड पूरे हैं तो तत्काल पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी जारी होनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं, अनेक योजनाएं लंबित पड़ी हैं।

माननीय मंत्री जी, आप महसूस करते होंगे कि जब आप एनओसी रोक देते हैं, तो छः महीने, आठ महीने या एक साल तक जब किसी परियोजना में विलंब होता है, तो उसकी लागत कितनी बढ़ जाती है, उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। उस परियोजना का अगर आप दो-चार परसेंट भी खर्च कर लेंगे, तो पर्यावरण में आपको एनओसी जारी करने में आसानी होगी, तत्परता होगी। एनएचआई ने साफ-साफ कह दिया कि हजारों किलोमीटर, लाखों करोड़ों रुपये की परियोजनाएं आपके मंत्रालय के माध्यम से रुकी हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको इस मौके पर सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके सामने कई प्रस्ताव भेजे हैं, जिन पर अभी आपके मंत्रालय ने निर्णय नहीं लिया है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान, जिनमें वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का जो मामला है, उस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। वह संशोधन इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के अनुसार मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण में एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आपके वन विभाग की नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि एक हैक्टेयर जमीन रोड़ बनाने के लिए कितनी अपर्याप्त है। इस बात को आप महसूस करते होंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कानून में संशोधन कीजिए, क्योंकि इसके संशोधन के बिना देश का विकास सक्षम, संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वन-भूमि से अलग विशेषकर सड़कों के लिए, जो तमाम योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है, वे स्वयं इंवायरमेंट इंजीनियर हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में यदि किसी ने सबसे ज्यादा वानिकी की तरफ ध्यान दिया है, तो वह आदरणीय अखिलेश जी ने दिया है। सभापति महोदय, आपको जानकर खुशी होगी, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं, जहां टोटल फॉरेस्ट योजना के माध्यम से लाखों पेड़ लगाये जा रहे हैं। अभी परसों शनिवार को मैंने इस योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र बदायूँ में साढ़े सात हजार पेड़ लगाकर आया हूं। यह उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इटावा में हम लोग लॉयन सफारी के नाम से एक पार्क बना रहे हैं, जिसकी एनओसी अभी आपके सेन्ट्रल जू अथॉरिटी में रुकी हुई है। हमारा अनुरोध है कि उसे यथाशीघ्र एनओसी दे दें ताकि जो एक शानदार और ऐतिहासिक स्थान इटावा में बन रहा है, उसमें आपका सहयोग मिल सके। माननीय सभापति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। बिजली के संकट पर आये दिन चर्चा हो रही है, लेकिन बिजली का संकट कैसे दूर हो, यदि थोड़ा भी वानिकी का इलाका आ गया, तो ट्रांसमिशन

लाइन नहीं जा सकती। उसके लिए तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। इसी तरह से इटावा-ग्वालियर-जयपुर को जोड़ने वाली लाइन है, उसके एनओसी का मामला भी आपके यहां है। इसी तरह से, अनपरा और उन्नाव लाइन है, यह भी सात सौ पैंसठ केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। इस पर भी एनओसी लंबित है। हमारे संसदीय क्षेत्र बदायूं में भी, बदायूं-बरेली को फोर-लेन से उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जोड़ा गया। हम एनएचएआई से तो निराश हो ही गये। उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, अलीगढ़ से कानपुर, जिसमें मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा इत्यादि सब आते हैं, पर्यावरण के संबंध में एनओसी न मिलने के कारण तथा परियोजना की लागत बढ़ने के कारण टेंडर कैंसिल हो गया। मैं समझता हूं कि जिस किसी के कारण भी ऐसा हुआ है, उसे सजा देनी चाहिए कि उसने एनओसी क्यों नहीं दी।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

***श्री सुनील कुमार सिंह** (चतरा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर 'ले' करने का अवसर दिया, इस हेतु आपका आभारी हूं।

समग्र और एकात्म विकास के लिए आवश्यक है कि नीतिशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र और पारिस्थितिकी का समन्वय और संतुलन मानवीय जरूरतों के अनुरूप हो। मानव समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति सरकार का और हमारा दृष्टिकोण संतुलित होने के साथ-साथ व्यवहारिक होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही चिरस्थायी विकास की मानववादी संकल्पना साकार हो सकती है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा झारखंड प्रदेश का वन बहुलता वाला क्षेत्र है। मेरे ही क्षेत्र में पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है। कृपया इस क्षेत्र में मानव-वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने के लिए सुविधा और मुआवजा बढ़ाया जाए। रिजर्व वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और आजीविका की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी और वन्य पशु अवलोकन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाएं। इसमें स्थानीय आबादी के भागीदारी से पर्यावरण और वन जीवों के विकास में सुविधा होगी। वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय विकास समर्थित आजीविका को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए। संरक्षित वन क्षेत्र (बेतला) में ही स्थित राजा मेदनीराय का किला और कमलदह झील है और यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। कृपया स्थानीय लोगों की जागरूकता के प्रति बढ़े। इस दृष्टि से पलामू किला, कमलदह झील और मेले को वन पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की योजना बनाई जाए।

लातेहार, चतरा और पलामू में वन उत्पादकता, उत्पादन और जैव विविधता के दीर्घकालिक प्रबंधन में सुधार लाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों का साथ लाभ में समान भागीदारी के आधार पर हो, वह योजना बने। वन क्षेत्र की भूमि एवं चारागाह का पुनरुद्धार हो तथा वन के किनारों पर बसे गांवों के आसपास सामुदायिक चारागाह और खेल के मैदान विकसित किया जाना चाहिए। वन पर्यटन और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समितियों और संयुक्त वन क्षेत्र प्रबंधन समितियों का निर्माण करना चाहिए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की दृष्टि से ग्रीन बोनस की राशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि भविष्य में उस राशि से वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित नेतरहाट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेतरहाट नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य का अन्यतम उदाहरण है, पर आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। नेतरहाट को पर्यावरण और वन पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जाए। इसमें नेतरहाट का प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय सहायक होगा, जिसके छात्र आज समाज-जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं। कृपया नेतरहाट में वन एवं पर्यावरण से संबंधित संस्थान की स्थापना की पहल की जाए।

प्रकृति और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इसलिए मेरे क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल जलाशय योजना जो 1972 से ही प्रस्तावित है और इसका कार्य अधूरा पड़ा है उसे वन विभाग से स्वीकृति देने की कृपा करें। इस योजना से वन का ही संरक्षण होगा। साथ ही चतरा लोक सभा जो अत्यंत पिछड़ा और चरम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसकी बिजली से संबंधित अनेक योजनाएं स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

वन-भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित कर उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। बाघ एवं हाथी द्वारा किए गए नुकसान यथा - जीव, कृषि, भूमि, फसल इत्यादि में मुआवजा बाजार दर पर दें और शीघ्र निपटारा हो, इन मामलों का।

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश** (सूरत) : मैं वन पर्यावरण की अनुपूरक मांगों पर सरकार को समर्थन करती हूं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसका अर्बन और रूरल दोनों जगह असर हुआ है। मैं सूरत जैसे महानगर को रिप्रेजेंट करती हूं। बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के कारण वृक्षों का जनन नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात सरकार के प्रयत्नों के कारण हर साल एक लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम कॉरपोरेशन के सहयोग से करते हैं। ग्रीन सूरत का प्रण हमने लिया है। लेकिन कोल सेइंग डाईंग हाउस का फील्ट्रेशन ठीक से न होने के कारण सामान्य जनता को उनकी वजह से परेशानी होती है। डाईंग हाउस की वाटर ट्रीटमेंट की फीस भी ज्यादा हैं लेकिन कई बार ताप्ती नदी में उनका आउटलेट के लीकेज के कारण ताप्ती नदी में गंदगी होती है। ताप्ती नदी की पवित्रता के कारण सूरत की जनता स्वयंभू ताप्ती नदी में गंदगी नहीं करती। गणेश चतुर्थी के समय भी संकल्प करती है। लेकिन नदी पर शहर के बीच में कोझवे के कारण नदी में लील और जलवनस्याल होती है। उनके कारण भी कॉरपोरेशन काफी जागृत है। वहां की सभी नदियों के शुद्धिकरण और पर्यावरण संवर्द्धन के बजट के लिए गुजरात राज्य की ओर से जो बजट डिमांड है, इसमें हमें भी शामिल किया जाए। पास में सागर तट का गांव है। शुरू में भी जो गुजरात सरकार के तटीय प्रदेशों में मंगहर के वृक्षों का प्लांटेशन हो रहा है जिस से सागर किनारे की जमीन की ढुलाई रोकने का काम होता है। कैमिकल फैक्ट्री का पानी भी उस नदी में जा रहा है। इनके बीच भी जीपीसीपी बोर्ड द्वारा सख्त कदम उठाने चाहिए। प्लास्टिक की थैली पर भी शहरों में उपयोग होने के लिए बैन होना चाहिए। पर्यावरण की शुद्धि के लिए पूरे देश में पेपर बैग्स को बढ़ावा देना चाहिए।

सूरत ट्रीटमंट प्लांट और फिल्ट्रेशन उपयोग बढ़ाकर हम देश के पर्यावरण फ्रेन्डली बनाकर देश की सेवा करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वन और पर्यावरण, दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। प्रकृति ने भारत को अपार संपदा दी है। प्रकृति ने जो संपदा दी है, उसे हमें यूज करना चाहिए, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। लेकिन हम प्रकृति के द्वारा दिये हुए दौलत को यूज नहीं कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। जब हम मिसयूज करेंगे, तो धरती को मां के रूप में कहा गया है, उसकी भी सीमा होती है। रोज-ब-रोज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या नेचर के साथ छेड़छाड़, इंसान के साथ छेड़छाड़ है और इंसानी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ है। इसीलिए आज जब वन और पर्यावरण पर बहस हो रही है, तो जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई पर देहाती कहावत है, जो सभी जगह चरितार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन एक पेड़ को लगाने के विषय में कहा गया है कि एक पेड़ लगाने का मतलब होता है - सौ पुत्रों की सेवा करना या वह सौ पुत्रों के बराबर होता है। यह एक देहाती कहावत है। लेकिन शादी और विवाह में भी पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि जिंदगी हरीभरी रहे। संसार की बगिया, चमन हराभरा रहे। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भारी नुकसान हो रहा है, भारी बर्बादी हो रही है। आज हमें कहना है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ। अगर हम पेड़ की कटाई करेंगे, तो हमारा देश और पर्यावरण नहीं बचेगा। जो सामाजिक वानिकी है, जो किसानों का खेत है, उसमें पेड़ लगाने की अनुमति होनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। बाड़ में, मेड़ में, डांड़ में, नहर में, सड़क के किनारे लगाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि किसानों को उससे लाभ मिल सके। इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए।

आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं, आदिम सभ्यता में जंगल ही उनका निवास है, लेकिन आदिवासी भाई, जंगल के मूलवासी भाईयों की आज स्थिति ऐसी है कि एक सूखा पत्ता भी अगर उठा लें, तो वन विभाग उन्हें कहता है कि जेल जाओ, मुकद्मा दर्ज हो जाता है, उन्हें बांधा जाता है। इसलिए जल, जमीन और जंगल, तीनों पर चर्चा होती रहती है। आदिवासी भाइयों की सुरक्षा होनी चाहिए, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी तबाही नहीं होनी चाहिए, वन विभाग उन पर डंडा न चलाए। हमें इन चीजों को देखना और मजबूत करना चाहिए। पहाड़ों पर खनन, उत्खनन होता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है। बालू माफिया वनों और पर्यावरण को खराब करने में लगे हुए हैं। जिस इलाके से मैं आता हूं, चाहे पश्चिमी चम्पारण हो, चाहे पूर्वी चम्पारण हो, कैमूर का इलाका हो और जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं वह जंगल का इलाका है। बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर का वह इलाका ही जंगल है, पहाड़ का है। उसे प्रकृति ने अपार सम्पदा दी है। आज हमें जहां वन को सुरक्षित रखना है, वहीं जो जनसंख्या का दबाव है, औद्योगीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसका पर्यावरण पर बहुत असर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही हैं, जिसके कारण हिमाचल पिघल रहा है, हमारी प्रकृति खराब हो रही है। आज हमें उत्तराखंड को बचाना है, देश को बचाना है और बिहार को बचाना है।

बिहार में कई ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में बोले के लिए मुझे दो मिनट समय दीजिए। ओजोन परत क्षीण हो रही है, ओजोन खराब हो रही है, ग्लैशियर पिघल रहे हैं, वायुमंडल में बदलाव हो रहे हैं, कहीं सुखाड़ है, तो कहीं बाढ़ है। क्यों ऐसी स्थिति है? मौसम की हालत बिगड़ गयी है क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसलिए हमें इन चीजों का बेहतर प्रबंधन करना है, संचयन ठीक से करना है, संरक्षण ठीक से करना है, हमें पूरी दक्षता के साथ इसका संचालन करना है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कानूनी, संस्थागत, सामाजिक और तकनीकी स्तरों पर हमें इसके बचाव का प्रयास करना चाहिए। जो वैज्ञानिक हमें इसके बारे में समय-समय पर राय देते रहे हैं, उनकी राय भी हमें लेना चाहिए कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकें। आज जल के कारण, नदियां चाहे गंगा हो, यमुना हो, सभी के किनारे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, दोनों किनारों पर फ्लोराइड है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना

होगा। यह सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। बिहार में वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना, संजय गांधी जैविक उद्यान, कैमूर की योजना, भीमबंध वन प्राणी आश्रय हैं और जिस इलाके से मैं आता हूं, बांका है, कटोरिया है, बेल्लारा है, फोलीडुंगर है, चांदन है, बड़े जंगल हैं और वहां पर आदिवासी भाइयों को तरह-तरह से परेशानियां होती हैं। इसे देखने का आप काम करें। हमारे यहां विक्रमशिला में गंगा है, जहां डॉल्फिन पाई जाती हैं, नागी है, नकटी है, कांवड झील है जहां पर कुसेसर स्थान है, जिनकोहम बेहतर बना सकते हैं। सलीम अली जुब्बा सहेनी बरेला का हमारा मजबूत केन्द्र है। इस ढंग से पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ और वृक्षारोपण करके देश को बचाने का काम करना है। पौधशाला को बढ़ाओ, चाहे वह घरेलू पौधशाला हो, हम पेड़ों को आच्छादित करेंगे। जब पर्यावरण ठीक रहेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इंसानी जिन्दगी ठीक रहेगी, नहीं तो आज तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए वन और पर्यावरण का अन्योन्याश्रय संबंध है, जिस पर सरकार ध्यान दे और मजबूती से पहल करे, यह नहीं होना चाहिए बात आई और गई। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से प्रयास किया जाए।

मुझे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रवीन्द्र कुमार जेना** (बालासोर) : अपनी विविध वनस्पति और जीव जन्तुओं के लिए प्रसिद्ध बालासोर जिले का कुलसिया वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों तथा पशु प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। इस अभ्यारण्य में एक सुंदर वन है और कई प्रकार के वन्य जीव हैं जैसेकि बाघ, तेंदुआ, हाथी और सांबर, बड़ी गिलहरी, पहाड़ी मैना, पीफाउल होर्नीबिलस जैसे पक्षियों की प्रजातियां तथा रेंगने वाले विभिन्न जन्तु यह अभ्यारण्य सुखुपाड़ा पर्वत तथा जारो पहाड़ी श्रृंखला के माध्यम से सिमिलीपाल से जुड़ा है। तथापि, हाल के वर्षों में यहां शिकार के मामले बढ़े हैं तथा अभ्यारण्य के निकट अनावश्यक खनन गतिविधियों से कुलसिया में वन्य जीव तथा वनस्पति एवं जीव जंतुओं की शांतचित्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्रशर इकाईयों के शोर तथा आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के कारण तेंदुए, हाथी जैसे विभिन्न वन्य जीव विवश होकर अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं और मानव बस्तियों में घुस जाते हैं, जिससे मानव जीवन, फसलों तथा घरों को नुकसान पहुंचता है।

पिछले तीन वर्षों में हाथियों द्वारा की गई तबाही के कारण 5 मौतें हुई हैं, सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं तथा लगभग 1250 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और 90 घरों को नुकसान पहुंचा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्थानीय लोगों और अन्य घुसपैठियों/तस्करों द्वारा बिना सोचे-समझे पेड़ गिराने से क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन धीरे-धीरे बिगड़ रहा है। कुलबिहा प्रसिद्ध सिमिलिपाल श्रृंखला से जुड़ा है, जो कि ओडिशा की समृद्ध पनधारा है, जिससे बुद्धाबलंग, खड़केरी, खैरी, भंदन, पश्चिमी देओ, सलतान्डी, पूर्वी देओ, सोमत्रा और पलपाला जैसी बहुत सी बाहमासी नदियों का उद्‌गम होता है। ये नदियां मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर और भद्रक जिलों के लोगों की जीवन रेखा है। यह अभ्यारण्य दक्षिणी भारत तथा उप हिमालय की वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं उत्तर पूर्व भारत के बीच एक लिंक है। अभ्यारण में लगभग 7% फूल-पौधे हैं, 8% बागान, 7% रेंगने वाले जन्तु, 20% पक्षी तथा 11% स्तनधारी हैं।

अभ्यारण्य में बागानों की 94 प्रजातियां बागानों की 2 प्रजातियां स्थानीय हैं, 8 प्रजातियां संकटापन्न हैं, 8 प्रजातियां असुरक्षित तथा 34 प्रजातियां दुर्लभ हैं। महत्वपूर्ण पौध प्रजातियां हैं न्टर्मिनालियां अर्जुना (माइरोबालन), दलबेरजी सिस्सो (सिस्सू), मिचोलिया चम्पा (चम्पक), ओरिया रोबस्टा (साल की तथा महुआ एस जी (इंडिया बटर ट्री)।

जीव जनतुओं में उभयचर की 12 प्रजातियां, रेंगने वाले जंतुओं की 29 प्रजातियां, पक्षियों की 260 प्रजातियां तथा स्तनधारियों की 42 प्रजातियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं - हाथी, बाघ तथा तेंदुआ, फिशिंग कैट, चार सींघों वाला हिरन, एडी मोन्गूज़, रेड ब्रेस्टेड फालकोनेट्स तथा ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल।

सिमिलीपाल में 1265 गांव हैं, जिसमें से चार कोर क्षेत्र में हैं, 61 बफर क्षेत्र में हैं तथा 1200 परिवर्ती क्षेत्रों में हैं। इन गांवों में लगभग 4.5 लाख लोग हैं, जिसमें से 73.44 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं।

अपनी आजीविका के लिए जनजातीय लोगों की अभ्यारण्य पर अधिक निर्भरता अभ्यारण्य के सतत प्रबंधन के लिए समस्या है। अन्य खतरे हैं : जंगल की आग, आग जलाने के लिए लकड़ी का संग्रहण, शिकार तथा अखण्ड शिकार (जनजातियों का वार्षिक शिकार महोत्सव)।

अभ्यारण्य और उसके आसपास अंधाधुंध खनन गतिविधियों से क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तथा इस कार्य में लगे मजदूरों और स्थानीय निवासियों - वन्य जीवों तथा लोगों के लिए ब्रोनकाइटिस जैसे स्वास्थ्य संबंधी असंख्य खतरे बढ़ते जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन और पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे पंजाब राज्य में बहुत सघन खेती होती है, बड़ी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। पंजाब में नौ आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जिनमें से छः बड़े

वन क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र पटियाला में आते हैं। यहां के किसानों की एक बड़ी विकट समस्या है। इन वन क्षेत्रों में जंगली जानवर रात को बाहर आकर किसानों की न सिर्फ फसल तबाह करते हैं, बल्कि उनकी जान के लिए भी खतरा बनते हैं। कई बार काफी लोगों की जान भी गई है। मैं मंत्री जी से बजट से पहले मिला था, तो इन्होंने मुझे कहा था कि यह समस्या केवल आपकी ही नहीं, अपितु देश के दूसरे भागों में, खासकर गोवा में भी यह समस्या काफी है। वहां के मुख्य मंत्री पर्रिकर जी ने भी यही समस्या मेरे सामने उठायी थी। मंत्री जी ने तब कहा था कि मैं इस ओर पूरा ध्यान दूंगा।

मेरे क्षेत्र के 200 गांवों के लोग कई सालों से सोए नहीं हैं। वे मचान डालकर जंगल के बाहर सारा दिन और रात को जागकर अपनी फसल और जान की हिफाजत करते हैं। इस कारण उनकी जिंदगी काफी खतरे में पड़ गयी है। इस वजह से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी जिन्दगी को भी लगातार खतरा बना रहता है। बहुत सी जिंदगियां जंगली जानवरों के हमलों की समस्या के कारण खत्म हो चुकी हैं। इसलिए मैं मंत्री जी का फिर इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें। पंजाब एक खेती प्रधान प्रदेश है। यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। इस हालत में उनके लिए अपनी फसलों की देखरेख करना और अपने जान-माल की रक्षा करना बहुत विकट हो गया है।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से पुन: विनती है कि वह इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और इमर्जेंसी बेसिज पर कोई फंड रिलीज करें, ताकि उन आरक्षित वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द तार लगाई जा सके। एक तरीका निकाला गया था कि वहां जंगलों के इर्द-गिर्द खाई खोदी गई थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि कई जंगली जानवर उसमें गिर कर मर चुके हैं। इससे दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तो जानवरों पर अत्याचार की बात बन जाती है और दूसरा खाई में गिर कर मरे जंगली जानवरों के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इसका कोई साइंटिफिक हल निकाला जाए। उन जंगलों में पानी की व्यवस्था की जाए, वहां पर वनस्पति नष्ट हो रही है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। जो नहर से पानी आता था, वह बंद है। इसलिए वनस्पति को दोबारा पैदा किया जाए, और पेड़ लगाए जाएं तथा किसानों की फसलों, जान-माल की रक्षा के लिए वहां पर तार लगाई जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आज वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले एक दशक में काफी हक तक हमारा फारेस्ट एरिया डिप्लीट हुआ है। हरियाणा इस देश के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य है, केवल 3.78 प्रतिशत यानी 1673 किलोमीटर वन वाला राज्य है। हरियाणा प्रदेश के अंदर वन संरक्षण और जंगली जानवर जैसे बाघ, हिरन, मोर, तीतर हमारे और आसपास के राज्यों में पाए जाते हैं, ये लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इस पर गम्भीरता से ध्यान देकर हरियाणा के फारेस्ट एरिया को प्रिजर्व किया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार से गुहार लगाकर फारेस्ट एरिया जो हमारा केवल 3.78 प्रतिशत है, लेकिन केपिटल 1/8 साइज की है जो कि पांच प्रतिशत कुल देश का बैठता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करें।

हरियाणा की उत्तर प्रदेश के साथ काफी सीमा लगती है। वह सीमांत क्षेत्र यमुना के साथ लगता है। पिछले एक दशक से केन्द्र सरकार से एनओसी न देने के कारण यमुना में सिल्ट यानी बालू को निकाल कर वहां के लोगों द्वारा बेचा जाता है, उस पर रोक लग गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो रेत पहले सात रुपए फीट था, अब 34 रुपए फीट तक पहुंच गया है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर जब बाढ़ आती है तो बारिश के मौसम में हमारे यहां के किसानों के खेतों में यमुना का सिल्ट चला जाता है। सरकार एनओसी नहीं देती है, किसान अपने खेत से यमुना के सैंड को अगर साइड में करने की कोशिश करे, तो उस पर मुकद्मा दर्ज करने का काम सरकार द्वारा किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि किसान को अनुमति दी जाए कि अपने खेत में आए रेत को वह साइड लाइन कर दे। इसके अलावा जो एनओसी केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, उसे आसान किया जाए, जिससे हमारे किसानों को रेत बेचकर कुछ पैसा भी मिले और प्रदेश में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, उसे भी हम कम से कम सस्ता कर पाएं।

एक बहुत अहम मुद्दा हरियाणा प्रदेश के ड्राई एरिया यानी दक्षिणी हरियाणा का है, जहां अरावली पहाड़ आते हैं। अरावली पर्वतों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या अन्य एजेंसीज द्वारा रोक लगा दी गयी है कि वहां पर माइनिंग नहीं होगी। लेकिन राजस्थान के कई बड़े बिजनेस घराने हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा एनओसी दे दी गयी है और आज उन्होंने माइनिंग करके हरियाणा के अंदर बजरी बेचना शुरू कर दिया है। हरियाणा में कई ऐसे पहाड़ हैं जो अरावली में नहीं आते हैं जहां निरंतर माइनिंग चलती थी लेकिन उन पहाड़ों पर माइनिंग को रोक दिया गया। मेरे पास में लगती एक कांस्टीट्यूएंशी तोशाम है जहां पर एक खानक नाम का पहाड़ है, उसे पिछले आठ सालों से सरकार ने रोका हुआ है जिससे लगभग 30,000 युवाओं के हाथ से रोजगार छीनने का काम किया गया। साथ ही साथ उस एरिया को बर्बाद करने का काम भी किया गया क्योंकि वहां इर्रिगेशन सिस्टम नहीं है जिससे खेती हो सके। अगर सरकार उन माइनिंग एरियाज

को जो पहले सरकार द्वारा परमिटिड हैं, उनकी एनओसीज फ़ास्ट ट्रैक से जल्दी करने का काम करें तो जो सपना सरकार द्वारा दिखाया गया कि युवाओं के हाथ में रोजगार देंगे, वह पूरा होगा। मेरा यही मानना है कि इससे रोजगार भी मिलेगा तथा बजरी का रेट जो वर्ष 2004 में 10 रुपये फुट था जो आज बढ़कर 36 रुपये फुट हो चुका है, उसके दाम भी कम होंगे। कारण यही हैकि राजस्थान से पत्थर आकर हरियाणा में क्रश होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है उसकी मार अगर किसी को पड़ती है तो ये सदन पिछले दो सालों से सुन रहा है कि आम आदमी को पड़ती है। अगर आम आदमी का घर महंगा पड़ता है तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं और इस देश में महंगाई बढ़ती है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार की माइनिंग के प्रति या सैंड माइनिंग के प्रति जो पॉलिसी है उसे रिफोर्मूलेट करके नयी पॉलिसी बनाने का काम सरकार करे और कहीं न कहीं जो एनवारयनमेंटल क्लीयरेंसेज हैं उन क्लीयरेंसेज को फास्ट-ट्रैक से करने का काम करे, जिससे वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : सभापति जी, आपने मुझे वन एवं पर्यावरण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विश्वभर के लोग इस बात से चिंतित हैं कि मानव जीवन के लिए आज जो खतरा बढ़ता चला जा रहा है उससे कैसे बचा जाए? इस सदन में भी सभी सदस्यों ने चिंता प्रकट की है। परन्तु हम दो धाराओं के बीच में खड़े हैं। एक तरफ हमें विकास करना है तो दूसरी तरफ में जलवायु की शुद्धता का भी ध्यान रखना है। इन दोनों विषयों पर हमें संतुलित रूप से चिंतन करना पड़ेगा।

हमारे वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने पिछले बजट की अपेक्षा 216 करोड़ रुपया अधिक रखा है। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है कि जब तक हम पर्यावरण की दृष्टि से नहीं सोचेंगे, चिंतन और मनन नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास और मानवता का विकास नहीं हो पायेगा।

सभापति जी, मेरा एक विचार है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि संसार में कोई भी पशु-पक्षी पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, इसका दोष मनुष्य पर जाता है। पशु-पक्षी जितने भी हैं वे पर्यावरण को ठीक करने के लिए हैं, इसलिए सब लोग इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि पशु-पक्षियों का संरक्षण किया जाना चाहिए, पेड़ों और वनस्पति का संरक्षण होना चाहिए।

सभापति जी, आप जिस पीठ पर बैठे हुए हैं ऊपर महात्मा बुद्ध का एक वाक्य लिखा हुआ है "धर्मचक्र परिवर्तनाय"। लेकिन धर्म का मतलब वह नहीं है जो हम विचार करते हैं, धर्म का अर्थ "कर्तव्य-बोध" है। आज हम अपने कर्तव्य बोध को भूल गये हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात पर मनन किया है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में वनस्पति का जो रूप था, जिन पंचभूतों से प्रकृति बनती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, उसे हमारी संस्कृति में देवता माना गया है।

युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी कि "वेदों की ओर लौटो।" वेदों में पांचों विषयों के ऊपर अलग-अलग सूत्र हैं। वहां पृथ्वी सूक्त है, हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें। वहां पृथ्वी को देवता कहा गया है। वहां वायु सूक्त है, वायु को शुद्ध कैसे रखें। वहां जल सूक्त है, वहां अग्नि सूक्त है और आकाश तत्व का भी सूक्त है। यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि -

"द्यौ शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः औषधाय शांतिः।"

सृष्टि के आदि में लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष पहले सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, तभी हमें वेदों की शिक्षा मिली। यदि संसार में सुख से रहना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकृति को सुरक्षित रखना पड़ेगा। उस समय चिंता व्यक्त की गई थी कि पृथ्वी को ठीक रखो। पृथ्वी को वेद में माँ कहा गया है - माता भूमिः पुत्रोअहम पृथ्वयाः। हमारी संस्कृति के लोग इस भूमि को माँ मानते थे। जैसे बच्चा माँ की सेवा करता है, माँ को सुरक्षित रखता है, ऐसे ही भारतीय मनीषा के अंदर पृथ्वी को सुरक्षित रखने की बात कही जाती थी। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव के लोग पर्यावरण के संदर्भ में नहीं जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना पर्यावरण का दोष शहरों में हुआ है, उतना गांवों में नहीं हुआ है। गांव का आदमी आज भी तुलसी को पूजता है, जाटी को पूजता है, पीपल को पूजता है, वट वृक्ष को पूजता है और उनको देवता मानकर पूजता है। वृक्ष के पत्ते को, पीपल के एक पत्ते को तोड़ना पाप मानता है, वट वृक्ष के पत्ते को तोड़ना वह पाप मानता है, तुलसी के पौधे की सेवा करता है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में इस प्रकार के पौधे, जो पौधे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जैसे वट और पीपल का पेड़ है। मैं सड़कों पर देखता हूं कि विदेशों से ऐसे-ऐसे पेड़ ला कर लगा दिए हैं, जिनका पर्यावरण की दृष्टि से कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि हम पीपल और वट वृक्ष का पेड़ लगाते हैं तो उनके माध्यम से पक्षियों को फल मिलता है। मैं सीकर जिले में रहता हूं। मैंने एक प्रयोग किया। अभी चिंता व्यक्त की जा रही थी कि हमारे देश में पक्षी समाप्त होते जा रहे हैं। मैंने प्रयोग किया और आश्रम के पास पंचायत की जमीन थी। उसके ऊपर वन विभाग से कह कर तार लगवाये

और मैंने पाया कि पहले वहां 20-25 मोर दिखाई देते थे और तीन सालों में उनकी संख्या 200 हो गई। उसका एक कारण है कि मोर को बैठने के लिए बड़े पेड़ चाहिए। मोर को अंडे देने के लिए झाड़ियां चाहिए। आज झाड़ियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए मोर समाप्त होता जा रहा है।

इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। भाई दुष्यंत चौटाला शायद चले गए हैं। वे हरियाणा की बात कह रहे थे। आज पेस्टीसाइड्स से उपचारित करके बीज डालते हैं। आदमी को तो पता होता है कि इसमें विष मिला दिया गया है लेकिन पशु-पक्षी इस बात को नहीं जानते हैं और इसका परिणाम होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर दवाइयों को उपचारित करके बीज डाला जाता है, वहां सारे पक्षी खत्म हो गए हैं। वहां जंगली जानवरों की समस्या भी खड़ी हो गई है क्योंकि वे प्रतिदिन मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मैंने देखा कि एक किसान ने पेस्टीसाइड छिड़की। सुबह देखा तो वहां 20-25 गाय मृत मिलीं। उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया है। जांच करने पर पता चला कि किसान ने रात्रि को वहां दवाई छिडकी थी और उस फसल को खाने को इन पशुओं ने खाया, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें भारतीय जैविक परम्परा को अपनाना पड़ेगा। जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। हमारे जो वृक्ष हैं जैसे ऑक, नीम हैं तथा गौ मूत्र है, इनके माध्यम से इस प्रकार की दवाओं का निर्माण करना पड़ेगा जिन्हें हम फसल में छिड़क सकें और बीजों का उपचारित कर सकें तथा जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।

मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा। तीन दिन से चर्चा चल रही है। हिमालय से चर्चा शुरू हुई और बाद में जल संसाधन गंगा के ऊपर चर्चा शुरू हुई। हमारे कई भाई कह रहे थे कि अकेले गंगा नदी को क्यों ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले मुंह धोता है। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठते ही पहले पैर धोता है। हिमालय हमारे देश का सिर है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें पहले हिमालय को सुरक्षित करना है और गंगा जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, उनकी तरह से है। यदि गंगा लुप्त हो गई तो जैसे हमारी नाड़ियां ब्लाक हो जाती हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगा, हिमालय और वनस्पति की सुरक्षा की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, मैं केवल दो मिनट का समय और लेना चाहूंगा। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर वन विकास के लिए 181 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है लेकिन राजस्थान प्रदेश जहां अकाल पड़ता है, वहां पर वनों के संरक्षण की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश दिन प्रतिदिन मरुस्थल बनता जा रहा है और मरुस्थल बनने के कारण उसके परिणाम क्या निकलते हैं कि राजस्थान अकेला ऐसा प्रदेश है कि यदि वहां पर पानी और वनों की उचित व्यवस्था हो जाए तो देश के कुल भाग का तीन लाख 46 हजार वर्ग कि.मी. जो क्षेत्रफल है, वह सारे भारत का दसवां हिस्सा अकेला राजस्थान है। आज वह देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में वनरोपण के लिए पैसे की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर काले हिरण ज्यादा हैं। यदि इनका संरक्षण किया जाता है तो चुरु जिले में तालछापर एक स्थान है लेकिन वहां पर स्थिति क्या है कि वह बहुत बड़ा एरिया है और सैंकड़ों बीघे में वह एरिया फैला हुआ है। उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हिरण बाहर निकलते हैं और आसपास के गांवों की फसलों को उजाड़ देते हैं तथा उनका शिकार भी होता है। सारे भारत में काला हिरण केवल तालछापर में पाया जाता है जो राष्ट्रीय प्राणी माना जाता है।

इसी तरह से सरिस्का अभ्यारण्य और रणथम्बौर अभ्यारण्य दो बाघ परियोजनाएं हमारे यहां हैं। उनके लिए भी बजट की आवश्यकता है और केवलादेव देवपक्षी अभ्यारण्य है जहां पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पक्षी सर्दियों में आते हैं। पूरे विश्व के यात्री वहां आकर विजिट करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसके साथ पर्यटन का भी संबंध है। यानी केवलादेव और सरिस्का को देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अरावली की पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से प्रारम्भ होती है और माउंट आबू पर जाकर समाप्त होती है और जो राजस्थान के दो भागों को बांटती है, इसके विकास के लिए भी कोई परियोजना तैयार की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और राजस्थान के विकास के लिए कुछ योजना बनाई जाएगी।

* **श्री कृपाल बालाजी तुमाने** (रामटेक) : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियमाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में अपना भाषण सभा पटल पर रखने के लिए आपने मुझे जो अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आज जलवायु परिवर्तन की स्थिति खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की केवल वर्तमान पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज की दुनिया की उपभोक्तावादी संस्कृति इसके लिए प्रमुखता से जिम्मेदार है। दुनिया पूंजीवाद के पीछे इस समय इस तरह से भाग रही है कि उसे विकास के अलावा कुछ भी दिखायी नहीं दे रहा है। वास्तव

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में जिसे विकास कहा जा रहा है, उसकी जड़ों में से एक जड़ विनाश की भी है।

दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी बातें, सम्मेलन, सेमिनार आदि हो रहे हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन न के बारबर है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारत को इस के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। देश के सभी क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के कहर के शिकार होंगे।

हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम घाट एवं तटीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप केदारनाथ की दुर्घटना और तटीय क्षेत्रों में सागर में आने वाली सुनामी का कहर उसका परिणाम है। देश के चारों क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि के कारण बारिश और गर्मी-ठंड पर प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण सागरों के जलस्तर में वृद्धि एवं आने वाले चक्रवातों पर अनुमान लगाया जा सकता है।

अमेरिका में हुए एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्टिक क्षेत्र में पिछले 2000 सालों में इतना तापमान कभी भी नहीं बढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के लिए बने एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्त की गयी आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। अंटार्टिक क्षेत्र की गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है और सागरों का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर दुनिया भर की सरकारों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये तो आने वाले समय में दुनिया भर की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इंसान द्वारा कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं हो सकता।

पर्यावरण परिवर्तन के कारण जीव-जंतु और पौधों पर भी असर हुआ है। उसके कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। दुनिया भर से विलुप्त जीव-जंतुओं की रेड लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। इंसानों द्वारा कुदरत के अंधाधुंध दोहन के कारण बहुत प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है। वनों और पेड़ पौधों का विनाश बहुत सी आपदाओं का कारण बन रहा है। साथ-साथ वन्य जीवों के विनाश का कारण बन रहा है।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती से 7291 जीव, 70 प्रतिशत वनस्पति और पानी में रहने वाली 37 प्रतिशत प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा पैदा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। भारत में लू लगने से हजारों जानें हर साल जाती हैं। हर साल डेंगू, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से काफी मौतें हो रही हैं।

दुनिया भर में बदलते मौसम के कारण बीमारियों के प्रति मनुष्य का शरीर संतुलन नहीं बना पा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि हर साल मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसी मौतें सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जीव-जंतुओं की भी हो रही हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी हमने पर्यावरण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये तो हम खुद को विनाश की ओर ले जाएंगे। हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करके खुद को नहीं बचा पायेंगे।

मैं वर्ष 2014-15 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियमाधीन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री अरविंद सावंत** (मुम्बई दक्षिण) : हमारी सरकार ने एक नारा दिया था 'सबका विकास सबका साथ'। विकास के लिए हमें बेहतर अवसंरचना चाहिए और अवसंरचना के लिए ऐसे विकास में सहायक नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, वह भी तय समय पर।

वर्ष 2012 में, वृहत्त मुंबई नगर निगम ने परिश्चमी तट के साथ-साथ मलाड से नरीमन प्वाईंट तक एक "समुद्र तटीय सड़क" के निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी। नगर निगम ने यह भी सुस्पष्ट किया है कि इस सड़क के निर्माण पर होने वाला सारा खर्च निगम द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पास अभी भी लंबित पड़ा हुआ है।

सीआरजेड़ विनियमन इस परियोजना की स्वीकृति में एक बड़ी बाधा है। सबसे पुराना शहर मुंबई, जो इस देश की आर्थिक राजधानी है तथा जहां कि जनसंख्या अत्यधिक है और जहां बहुत बड़ी तादाद में वाहन हैं, यातायात जाम की समस्या का सामना कर रहा है। इस सड़क का निर्माण इस शहर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जायेगा। कुछ दूरी तक यह सड़क सुरंग से होकर गुजरती है, फिर समुद्र तट से होकर गुजरती है और जहां कहीं भी मुंबई के मूल निवासी मछुवारा समुदायों की "कोलीवाडा" नामक बस्तियां हैं, विकास में बाधा पहुंचाए या मैंग्रोव को कोई क्षति पहुंचाए बिना पुलों का निर्माण कर दिया जाए तो इस निर्माण कार्य की सीमा में आने से बच जायेंगी।

अत:, मैं पर्यावरण मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि हमारी शिवसेना पार्टी प्रमुख श्री उद्धवजी ठाकरे की इस "महत्वाकांक्षी परियोजना" को मंजूरी दी जाए, जिससे कि उस द्वीपीय शहर की सुंदरता में बढ़ोत्तरी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

होगी और इसके साथ ही एक बार भी छूट देने, या कानून में संशोधन करने से वाहन सवारों/ चालकों को भी काफी राहत मिलेगी, जो रोजाना यातायात जाम में फंसते हैं तथा जिसके चलते 'समय, ऊर्जा तथा पैट्रोल-डीजल के रूप में बर्बादी होती है।' हमें यह बात दिमाग में रखनी होगी कि यह एक सामाजिक परियोजना है, न कि व्यावसायिक परियोजना और यह परियोजना इस शहर और देश की जनता के कल्याण के लिए है।

मेरे संसदी निर्वाचन क्षेत्र में अंबेडकर नगर के नाम से जानी जाने वाली शान्ति नामक एक झुग्गी बस्ती कोलाबा के कफर परेड क्षेत्र में स्थित है। समुद्र तटीय क्षेत्र पर हर दिन हजारों झुग्गी-झोंपड़ियां बस रही हैं। विकासात्मक परियोजनाओं में बाधा डालने वाले अधिकारियों द्वारा यहां मौजूद मैंग्रोव वनों की सुरक्षा को लेकर की जाने वाली शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। "झुग्गी-झौंपड़ी बसाने वाले दादाओं" द्वारा यहां मौजूद मैंग्रोव को बेदर्दी से नष्ट किया जा रहा है और समुद्र तट तथा संबद्ध भूमि पर बस्तियां बसाई जा रही हैं। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कदम उठाकर इन मैंग्रोव्स को बचाया जाए।

जहां दुनिया भर में नए परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण संबंधित ऊर्जा देशों द्वारा या तो बंद कर दिया गया है, या फिर उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के जैतपुर में एक नए परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। अतः, मानवीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्तावित संयंत्र की मंजूरी वापस ली जाए, जिसका कर स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है और जिससे रत्नागिरि और कोंकण के संपूर्ण क्षेत्र की जैव पारिस्थितिकि को क्षति पहुंचने की संभावना है। इससे समुद्री जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि संयंत्र द्वारा छोड़े गए अपशिष्टों के कारण निश्चित ही समुद्र के तापमान में बढ़ोत्तरी होगी।

अतः, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की सुरक्षा तथा इस परियोजना से उत्पन्न हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा साधन अपनाने चाहिएं तथा गरीबों के जीवन और उनकी आजीविका की रक्षा करनी चाहिए।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : माननीय सभापति महोदय, अनुदानों की मांगों पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं।

महोदय, विश्व-भर में पर्यावरणीय मुद्दों पर गंभीर तथा विस्तृत चर्चा हो रही है। भारतीय स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, मेरा पहला मुद्दा जैविक कृषि से संबंधित है। यद्यपि, हम जैविक कृषि के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, फिर भी जैविक कृषि की दिशा में चल रही विविधिकरण संबंधी प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है। हमें किसानों को प्रोत्साहित करना होगा तथा लोगों को जैविक कृषि प्रणाली की ओर मोड़ने के लिए आवश्यक कार्य-योजना भी तैयार करनी होगी।

मेरा दूसरा मुद्दा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। जब हम अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो मेरा यह दृढ़ मत है कि यह काम प्रत्येक घर के स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। प्रत्येक गृह स्वामी का यह वैधानिक दायित्व होना चाहिए कि वह अपने घर में ही कचरे का समुचित प्रबंधन करे। यह जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देने का कोई अर्थ नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंचायतों तथा नगर निगमों के भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन करना होगा।

मेरा अगला मुद्दा पर्यावरणीय मुद्दों पर गैर-सरकारी संगठनों, सीएसओ, उद्योगपतियों, किसानों, स्वैच्छिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने से जुड़ा है। जब तक हम सामान्य रूप से समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब तक हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगला मुद्दा पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों से संबंधित है। हमारे पास पर्याप्त कानून हैं। यदि हम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन हेतु दण्डित उद्योगों की कुल संख्या के आंकड़ों की जांच करें, तो हम इस बात से सहमत हो जायेंगे कि या तो हमारे कानून प्रभावी नहीं हैं अथवा कानून लागू करने को लेकर हम गंभीर नहीं हैं।

महोदय, यह सच है कि उद्योग द्वारा अपने अपशिष्ट अनुपचारित ही छोड़ रहे हैं। यह एक दण्डनीय अपराध है। हमारी अधिकतर उद्योगों द्वारा नदियां प्रदूषित की जाती हैं तथा उद्योगों ने पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण तथा ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने वाले यंत्र नहीं लगाये हैं। चाहे निजी परियोजना हो अथवा सरकारी या पीपीपी परियोजना, सब जगह यही हाल है।

उसके बाद, मैं कहना चाहूंगा कि यह आत्म आलोचना करके कि इस मामले में राजनीतिक दलों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम यह शपथ लें कि हम अपने आपको पर्यावरण की रक्षा में लगा देंगे, तो मैं यह मानता हूं कि हम पारिस्थितिकी के संरक्षण पर अत्याधिक सशक्त प्रभाव डाल सकते हैं। राजनीतिक दल यह निर्णय ले सकते हैं कि फ्लैक्स बोर्ड और प्लास्टिक आधारिक प्रचार सामग्री भविष्य में अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार हेतु प्रयुक्त नहीं की जायेगी। यदि यह निर्णय ले लिया जाता है, तो स्वयं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा।

इसके अलावा, मैं यह पूछता हूं कि हम प्लास्टिक पर पूर्ण

प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अधिनियमित क्यों नहीं कर सकते? हम सब यह जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। हम सब यह भी जानते हैं कि वर्तमान युग "उपयोग करो और फेंको" का युग है। यह इस युग का नारा है। लोग प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करते हैं और उसे खेतों तथा अन्य स्थानों पर फेंक देते हैं। यह हमारे पर्यावरण हेतु घातक सिद्ध हो रहा है। न केवल मनुष्य, अपितु पशु भी इस प्लास्टिक प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। पशु प्लास्टिक कचरा खाते हैं और इस प्लास्टिक प्रदूषण के कारण धीर-धीरे मर जाते हैं। अत:, मेरा यह दृढ़ मत है कि भारत को प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाने हेतु सशक्त अधिनियम बनाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा पर्यटन संबंधी पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में है। हम जिम्मेदार पर्यटन की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम पारिस्थितिकी संतुलन के दृष्टिकोण से पर्यटन विकास की योजना तैयार नहीं कर रहे हैं। अत:, मेरा सुझाव है कि हमें इस मसले के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हमें उत्तरदायी पर्यटन के विषय में अत्यंत सावधान रहना चाहिए।

अंत में, मैं आपका ध्यान हमारी राष्ट्रीय समुद्र तटीय पट्टी से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7051 कि.मी. है। यह तट रेखा पर्यावरणीय क्षति का सामना कर रही है। मैं केरल के बारे में एक खास बात कहना चाहता हूं। केरल की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 600 कि.मी. है। वहां समुद्रीय अपरदन हो रहा है। इसी प्रकार वहां आसमान से बिजली गिरने की भी घटनाएं घट रही हैं। मैं यह बात समझता हूं कि समुद्र तटीय अपरदन और आकाशीय बिजली गिरने से प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता और मुआवजा प्राप्त करने में समर्थ बना सकती हैं। मैं सरकार से यह पुरजोर आग्रह करता हूं कि समुद्र तटीय अपरदन तथा आकाशीय बिजली गिरने को भी राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

* **श्री राहुल कांस्वां** (चुरू) : पिछले वर्षों के दौरान जनसंख्या के दबाव, पहाड़ी जल धाराओं से हुए नुकसान, वनों की अंधाधुध कटाई की वजह से हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पर्यावरण के हुए इस नुकसान के कारण अब जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडराने लगा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण समूचे हिमालय में ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। हिमालय के अलावा भी धरती के दोनों ध्रुवों में भी बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विभिन्न देशों की सरकारें और वहां का समाज इसे नकारने की मुद्रा में है। मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मानवीय गतिविधियों से पैदा हो रही कार्बन डाई आक्साईड इसका मुख्य कारक है। अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया तो दुनिया को सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता। हमारे आस-पास के जीव-जन्तु और पौधे खत्म होते जा रहे हैं, दूसरों के जीवन को समाप्त कर आदमी अपने जीवन चक्र को कब तक सुरक्षित रख पाएगा। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है। सरकार और समाज को पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा, नहीं तो प्रकृति का कहर झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा, पर्यावरण सुरक्षा तो हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए, यह सामुदायिकता के साथ-साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है।

[अनुवाद]

* **श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में काफी परिवर्तन होते हैं जिससे विभिन्न प्रजातियों, पारिस्थितिकीय प्रणालियों और पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को नुकसान होता है। इन पारिस्थितिकीय घटकों की अखंडता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानव जीवन के लिए आवश्यक जैन-भौतिक आधार जैसेकि जल, भूमि, वायु, वन और जैवविविधता आदि उपलब्ध कराते हैं। भारत को अपनी विकास प्रक्रिया की संघारणीयता में सुधार करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करने के उपाय करने होंगे क्योंकि कार्बन का कम उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण सह-लाभ होगा। वैश्विक दृष्टि से सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में भारत की नीति 'साझा परंतु अलग-अलग जिम्मेदारी (सी बी डी आर)' के सिद्धान्त द्वारा निर्देशित है। भारत एक ऐसा देश हे जो अनिवार्य या 'निर्धारक' दृष्टिकोण की बजाय आकांक्षात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि सतत विकास के मुद्दे पर बराबरी की भावना रखनी चाहिए और विकासशील देशों की विकास संबंधी आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।

सतत विकास के लिए हमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर अपनी आयोजना प्रक्रिया में नवाचार, निवेश और सुधार करना होगा। पीटर ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधन का तात्पर्य है कार्य को सही ढंग से करना; नेतृत्व का तात्पर्य है सही कार्य करना; किसी व्यक्ति को पहले एक अच्छा नेता बनना चाहिए और उसके बाद प्रबंधक बनना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए 10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश ने अपनी सभी नीतियों का निर्माण करते समय पर्यावरण संरक्षण को केंद्र बिंदु में रखकर अपने विकास एजेंडा को लागू किया था। बारहवीं योजना के दौरान यह महसूस किया गया कि देश को प्राकृतिक संसाधनों का केवल संरक्षण करने के लिए ही नहीं बल्कि इनसे वंचित लोगों की उन तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यावरण, वानिकी, जैव विविधता, वन्य जीव और पशु कल्याण क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का गहन विश्लेषण करने के पश्चात् बारहवीं योजना के लिए निगरानी योग्य 12 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के लिए तीन लक्ष्य, वानिकी के लिए चार लक्ष्य; वन्य जीव, इकोटूरिज्म एवं पशु कल्याण क्षेत्र के लिए तीन लक्ष्य तथा पारिस्थितिकी और जैव-विविधता क्षेत्र के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, वनों के संरक्षण एवं आकलन, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण; अवक्रमित क्षेत्रों का वनीकरण एवं विकास तथा पशु कल्याण के मुद्दों के संबंध में सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट नीतियां अपनाई गई हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछली शताब्दी अर्थात् 1901 से 2000 के बीच भारत की सतही वायु के औसत तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है। अल्पकाल में यह प्रभाव मामूली हो सकता है परंतु पशुओं के प्रजनन और दुग्ध उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जल-संरक्षण पद्धतियों को अपनाकर, फसल पैटर्न और पद्धतियों में बदलावकर तथा मौसम में होने वाले अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को सह सकने योग्य नई किस्मों का विकास कर कृषि प्रौद्योगिकी की सहायता से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा, ऊर्जा सक्षम आवास, कृषि, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी, वानिकी और विशेष ज्ञान के क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किए गए हैं। मिशन दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यद्यपि इन मिशनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालयों ने अभी तक इसकी संभावित लागत का पूरा आकलन नहीं किया है।

जलवायु परिवर्तन का सामना करने और कमजोर समुदायों की रक्षा करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण में राज्यों की भागीदारी की अहम भूमिका होती है। पहले यह बताया गया था कि राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस बारे में अब तक क्या हुआ है? राज्य स्तरीय कार्य योजना में एक रणनीति को शामिल किया जाएगा। क्या ऐसा किया गया है? कृषि, जल, वन, तटीय क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस करने की आवश्कता है। राज्य सरकारों को अपने कार्यक्रम के लिए निधि उपलब्ध करानी होती है। तथापि, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुछ संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है। इसके आंकड़े कहां हैं? ओडिशा को आपने कितनी धनराशि प्रदान की है? हमें बताया गया है कि सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 2043 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह देखकर बड़ी संतुष्टि हो रही है कि हिमालयी अध्ययनों के बारे में देश की क्षमता में वृद्धि करने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है और इसलिए सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

अब मैं कुछ बुनियादी बातों पर आता हूं। हाल में हुई दो घटनाएं पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षणविदों के लिए एक चिंता की बात है। इनमें से एक परियोजना के शीघ्र पर्यावरण स्वीकृति दिए जाने का वादा है और दूसरी तरफ एक जांच रिपोर्ट है जो कुछ और सरकारी संगठनों के प्रचालनों, नैतिकता और इरादों पर सवाल खड़े करती है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि "हम विकास चाहते हैं परंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं।" मैं उनके इस मत की सराहना करता हूं। परंतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में मत डालिए जैसा कि पिछली सरकार किया करती थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों, पर्यावरण स्वीकृति मिलने में विलम्ब, अवसंरचनागत बाधाएं, कोयला लिंकेज में समस्याएं और कुछ क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध के कारण निवेश में गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया था।

हो सकता है कि कारोबार में मंदी के माहौल और विश्वास की कमी के कारण निवेश में गिरावट आई हो परंतु भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी विनियमों की वजह से निवेश में भारी गिरावट आई है। तथापि, पिछली यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्णय न लिया जाना भी परियोजनाओं में विलम्ब का एक प्रमुख कारण है। मंत्री का कहना है कि अवसंरचनागत परियोजनाओं के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ये दो मुद्दे नदी संरक्षण तथा आद्रभूमि संरक्षण हैं। एनडीए सरकार के पिछले शासनकाल के दौरान कटक में काठाजोड़ी और महानदी तथा तलचर क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी की सफाई के लिए कुछ निधियां प्रदान की गई थी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि कटक के मल जल शोधन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि यह

सीधे नदियों में जाकर न मिलें। ओडिशा के कटक जिले में अंसूपा नामक मीठे पानी की झील है। इस झील के संरक्षण के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुछ निधियां प्रदान की गई थीं परंतु ये पर्याप्त नहीं थी। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम (एन डब्ल्यू सी पी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) और राष्ट्रीय झील संरक्षा योजना को एक साथ मिलाकर जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना (एन पी सी ए) नामक एकीकृत योजना तैयार की गई है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह विशेषकर कटक में जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण पर विशेध ध्यान दें और लक्ष्योन्मुख कार्यान्वयन के लिए मिशन मोड में कदम उठाए जाएं।

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरूवन्नमलाई) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्शीथलैवी अम्मा को धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय अम्मा को अभिनन्दन ज्ञापित करती हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, तिरूवन्नामलाई के मतदाताओं को मुझे इस सभा के लिए निर्वाचित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। यह इस सभा में मेरा पहला भाषण है।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि में संरक्षित पर्यावरण और वातावरण मूलभूत आवश्यकता होते हैं। अगर किसी राष्ट्र के पास बेहतर वातावरण हो तो वहां बारिश अच्छी होती है। स्वच्छ और हरा-भरा पर्यावरण समय की मांग है। इस बजट में पर्यावरण मंत्रालय के गत वर्ष के 2430 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में 2043 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वनाधिकारियों के शिक्षण और प्रशिक्षण हेतु 110 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, और वन संरक्षण विकास और पुन: वनीकरण के लिए चालू बजट में 31 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण के लिए 83 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। मुझे आशा है कि इस धनराशि को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय किया जाएगा।

आज, हम अपनी भूमि, जल और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण विद्यमान है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अप्रदूषित पर्यावरण देना होगा। माननीय अम्मा का वर्षा जल संचयन प्रणाली इस दिशा में एक नई पहल है। तमिलनाडु में जैव-विविधता संरक्षण और हरित परियोजना के भाग के रूप में 1000 गांवों में 1.73 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

हमें हरित भारत के बारे में अपने देश के बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिएं। हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने का नेतृत्व कर सकते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने तिरुची वन प्रभाग के निकट पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने तथा तितली प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए अपर अन्नामलाई रिजर्व फॉरेस्ट में तितली पार्क स्थापित किया है। मैं केंद्र सरकार से विशेष और विटकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए ऐसे ही पार्कों की स्थापना करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं।

प्लास्टिक एक गैर-अवक्रमित पदार्थ है। इसका न्यूनतम उपयोग होना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे। तमिलनाडु में प्लास्टिक बैगों का उपयोग से बचने के लिए पुन प्रयोज्य बैगों का वितरण किया जा रहा है। प्लास्टिक के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए तमिलनाडु में गैर सरकारी अभिकरणों के माध्यम से मैसेज ऑन ह्वील्स स्कीम आरम्भ की गयी है। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार द्वारा प्लास्टिक के उपयोग मे कंमी करने वाले स्व सहायता समूहों, गांवों तथा विद्यालयों को सम्मानित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार को तमिलनाडु से तथा माननीय मुख्यमंत्री अम्मा से ऐसी पहलों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने हरित आवास बढ़ाने और सभी पीढ़ियों के लिए प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किये हैं। 3420 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख अस्सी हजार सौर-ऊर्जित ग्रीन हाउस बनाए गए हैं और उन्हें तमिलनाडु के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान किया गया है। इस योजना की पर्यावरणविदों ने खूब सराहना की है। केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त निधियां आबंटित करनी चाहिए।

तमिलनाडु वन विभाग ने जापान की सरकार की सराहना से वनीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस योजना के तहत और अधिक पौधे लगाये गए हैं और वनावरण को यथावत रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह योजना गत वर्ष पूरी हो गयी। मुझे आशा है कि यह टीएपी योजना जारी रखी जाएगी।

'नाबार्ड' से वित्तीय सहायता से वन में जल निकाय विकसित किए गए और चके बांध भी निर्मित किए गए हैं।

प्रत्येक 250 हेक्टेयर भू भाग में लगभग 5000 वर्ष फुट को वनों से आवरित किया जा रहा है। मैं इस योजना के लिए अतिरिक्त निधियां आबंटित करने का आग्रह करती हूं।

तिरुवन्नामलाई और अन्नामलियार पर्वत के आसपास बड़ी संख्या में दलदलीय पौधे और सरकड़े पाये जाते हैं। इन पौधों में गर्मी के मौसम

में आग लगती है। इन अग्नि की घटनाओं से टीक सहित कई पेड़ जलकर खराब हो जाते हैं। आग की ऐसी अकस्मात घटनाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यहां आने वाले लोग तथा धार्मिक साधना के लिए पर्वत की परिक्रमा करने वाले लोग आग की ऐसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। केन्द्र सरकार को ऐसे पौधों को खत्म करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में नए पौधे लगाने चाहिए जिससे कि इन पर्वतीय क्षेत्र में मृदा अपर्दन रोका जा सके।

तिरुवनामल्लाई में रमन आश्रम को जाने वाला रास्ता साधारण पत्थरों से बना हुआ है। कार्तिधमी दोपम उत्सव के दौरान अन्नामलियार की पूजा करने के लिए भारत भर से तीर्थयात्री यहां आते हैं। यहां तक कि इस स्थान पर विदेशी भी आते हैं। इन मन्दिरों को कंकरीट से बने रास्ते की अनुपलब्धता के कारण इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने में कठिनाई होती है। मैं केंद्र सरकार से इस अनुरोध को पूरा करने के लिए निधियां आबंटित करने का आग्रह करती हूं।

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान की हैं उसी प्रकार से उसे वन विभाग के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक निधियां भी देनी चाहिए।

जवाहू पहाडियों के जनजातीय लोगों द्वारा आरक्षित वनों में चन्दन की लकड़ी काटी जा रही है। ये लोग चार-पांच दभ के पुराने लाल-चन्दन के पेड़ों को काट रहे हैं और उनकी आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को तस्करी कर रहे हैं।

लकड़हारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें उन्हें समझाने के लिए उपाय करने चाहिए क्योंकि पेड़ को शुल्क पर काटते ही और उन्हें अपने अस्तित्व और जीविका के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने चाहिए। लाल चन्दन की तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग के कार्मिकों को आधुनिक उपकरण और तौर तरीकों से सुसज्जित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से मानव-जानवर संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे संसदीय निवार्चन क्षेत्र तिरुवनामलाई में जंगली हाथी बस्तियों में आ जाते हैं। ये जंगली हाथी इस क्षेत्र की फसलों को नष्ट कर देते हैं। वे मानव के लिए भी खतरा हैं। मेरा अनुरोध है कि किसानों को इन जंगली जानवरों का आवश्यक मुआवजा और उनकी फसल की बर्बादी का मुआवजा मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि तमिलनाडु को हरित अपरदन के विस्तार और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

डा. एम. तंबिदुरै (करूर) : महोदय, अधिकतर समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस पहलू की जांच करने का अनुरोध करता हूं। पूर्व में यू पी ए सरकार ने एम जी एम आर ई जी एम का कार्यान्वयन किया था। यह नई सरकार किसी नई योजना की पहल क्यों नहीं करती जिससे कबाड़ी का काम करने वाले गरीब लोगों को नया अवसर मिलेगा? उनसे सरकार ऐसा सामान खरीद सकती है, इससे ऐसे कार्यों में लिप्त मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यही सही अवसर है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह एक ऐसी परियोजना शुरू करे जो कबाड़ तथा प्लास्टिक सामग्री को एकल करने में सहायता करे, सरकार इसे खरीदे और उसका भुगतान करे। इस सामग्री का पुर्नचक्रण किया जाए। मैं समझता हूं कि पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने का यही एक मात्र उपाय है।

* **श्री ए. अरुणमणिदेवन** (कुड्डालोर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर के 'सिपकोट' औद्योगिक परिसर में 90 के दशक के प्रारम्भ से ही अनेक रासायनिक फैक्टरियों ने काम करना प्रारम्भ किया था। तब से इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण है। 1998 में इस औद्योगिक परिसर के आस-पास रह रहे समुदायों द्वारा शिकायत किए जाने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की थी कि कुड्डालोर में आगे और अधिक औद्योगिक विस्तार करने से पहले उससे होने वाले प्रदूषण का आकलन करने संबंधी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि इस औद्योगिक परिसर के चारों ओर वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर है। वर्ष 2007 में नीरी ने भी एक अध्ययन किया था और औद्योगिक परिसर को अत्यधिक प्रदूषित पाया था।

'नीरी' के अध्ययन से यह भी पता चला था कि स्थानीय लोगों में कैंसर का सामान्य से उच्च जोखिम है। स्थानीय लोगों को खतरनाक प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था।

कुड्डालोर-लागापंट्टिनम क्षेत्र को पेट्रो-रसायन और पेट्रोलियम निवेश क्षेत्र सहित एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र के दोनों जिलों के 256 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रफल पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। अनेक नए उद्योगों के लिए भूजल का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है और अन्य उद्योग निर्माण अवधि के दौरान तटीय क्षेत्र में सतह के नीचे उपलब्ध जल का दोहन करेंगे।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कुड्डालोर में औद्योगिक विकास कृषि और मत्स्यपालन की कीमत पर न हो जो लाखों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ऐसे औद्योगिकीकरण द्वारा भूजल को संदूषित कर या तटीय क्षेत्र को और अधिक कमजोर कर भावी पीढ़ियों के हितों के साथ भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

इस संवेनशीलता और माननीय मुख्य मंत्री अम्मा के इरादे को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादकता में साथ-साथ हुई प्रगति का खाका तैयार किया जाना चाहिए।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है और मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाए जाएं:

1. 'सिपकोट' फेज 1, 2 और 3 और जिन क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित किए जाने हैं, उनका व्यापक और संचयी पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करवाया जाए। इस अध्ययन का उद्देश्य तटीय भू-आकृति विज्ञान, क्षेत्रीय जल विज्ञान, कृषि व मात्स्यिकी से जुड़ी आजीविका, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता व सहनशीलता, प्रदूषण के वर्तमान स्तर तथा और अधिक औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप होने वाले प्रदूषण के संभावित स्तर को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की अर्जन क्षमता का आकलन करना होना चाहिए।

2. व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक का मापन पारदर्शी तरीके से किया जाए और प्रदूषण के वर्तमान स्तर को कम करने के उपाय सुझाए जाएं।

3. अति विषम जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशील तटीय हिस्सों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण न किए जाने के बारे में सुझाव देना।

[हिन्दी]

* **श्री अजय मिश्रा टेनी** (खीरी) : मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में 25 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में खैर, सागौन व साखू जैसी कीमती प्रजातियों सहित कई तरह के वृक्षों से आच्छादित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा या तो जंगलों के अंदर बसे गांवों में रहता है या जंगलों के किनारे बसे गांवों में। मेरा अनुरोध है कि उक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास हेतु सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल व परिवहन की व्यवस्था की जाए। उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने सहित खर, फूस व जलौनी लकड़ी लेने का अधिकार दिया जाए। लखीमपुर में जंगली जानवरों हाथी, हिरन, नीलगाय द्वारा वन के आस-पास के क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। उक्त क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल की रक्षा का अधिकार साथ ही जंगल में स्थित हिंसक पशुओं से जो बाहर आकर जानलेवा हमले कर देते हैं, से रक्षा का अधिकार एवं फसल के नुकसान व जनहानि होने पर मुआवजा दिया जाए। जंगल के आस-पास बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो विवादित है कि उक्त क्षेत्र वन विभाग का है या वह भूमिधरी क्षेत्र है, जिसके कारण कृषकों व वन विभाग में अक्सर विवाद होता है तथा किसानों की खड़ी फसल जोतकर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उक्त स्थानों पर जहां वृक्ष नहीं हैं, भूमि खाली है व कृषि हो रही है उक्त कृषि भूमि पर कब्जेदार कृषकों का भूमिधरी का अधिकार देकर विवाद को समाप्त करके उक्त कृषकों को आए दिन के विवादों से बचाया जाए। चूंकि उक्त लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बहुत सी कीमती लकड़ी के पेड़ बह जाते हैं तथा इसकी आड़ में वन विभाग के लोगों तथा वनमाफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जंगल का नुकसान किया जाता है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि जंगलों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रकृति, वन और पर्यावरण जैसे विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे पार्टी की ओर से जो वक्त मिला है, उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को भी साधुवाद देते हैं। बजट के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की डिमांड पर यह बहस चल रही है। निश्चित रूप से पर्यावरण हमारे लिए जीवन में सबसे अमूल्य रत्न है। पर्यावरण का अर्थ ही होता है प्र और आवरण, जो प्रकृति का आवरण है, वही पर्यावरण है।

अपराह्न 5.09 बजे

(डॉ. एम. तंबिदुरै *पीठासीन हुए)*

निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण मंत्रालय के विद्वान मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी बैठे हैं, इन्होंने इस बार बहुत ही सोच-समझ कर प्रावधान किया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण पर बल दिया है। इसीलिए तो पहले ही दिन नमामि गंगे कर के और यहां जो संकेत दिया, पूरी दुनिया में यह संकेत गया है कि यहां पर्यावरण और प्रकृति पर कितना जोर दिया गया है।

महोदय, इस बजट में बहुत ही अच्छे प्रावधान दिए गए हैं। मैं इसके समर्थन में अपनी बात को रख रहा हूं। महोदय, पर्यावरण अपने आप में मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण का जो विषय है, हमारे स्वामी जी ने ठीक ही कहा, माता भूमि की बात उन्होंने कही, पुत्र अहम् पृथिभ्या, सचमुच में हमारे देश में पृथ्वी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है। महोदय, लेकिन हमने इस भूमि को कंकड़ीली और

पथरीली भूमि समझा है। यह भूमि कितनी उर्वर है। इस भूमि पर हर प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सोचते नहीं कि आखिर यह भूमि किस काम के लिए है।

महोदय, हमारे यहां पर्यावरण के जीवन को काफी अनिवार्य बनाया गया है। उस दृष्टिकोण से यहां पर्यावरण को दूषित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। हम जानते हैं कि कई प्रकार के प्रदूषण के खतरे आज हमारे सामने हैं। गंगा के अंदर बात होती है, आज गंगा में गंगोत्री से लेकर अन्तिम गंगा सागर तक हजारों किलोमीटर की जो दूरी है, आप देखेंगे कि गंगा की क्या हालत हो गयी है? इस देश के अंदर पर्यावरण चार चीजों पर निर्भर करता है। गंगा, गौ, गीता और गायत्री अगर इस देश के अंदर नहीं होंगी तो पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी, पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण का संकट बना रहेगा। इसलिए गंगा जो हमारी माता के समान है, चालीस से पचास करोड़ लोग गंगा का लाभ लेते हैं, उस पर निर्भर हैं, लेकिन गंगा के प्रति हमारी उदासीन नीति रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक अच्छी बात कही थी, लेकिन उस गंगा एक्शन प्लान का क्या हुआ? पूरी तरह से उस गंगा एक्शन प्लान की धज्जियां उड़ गयीं और अरबों रुपए बहाये गये, लूटे गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इन सभी चीजों पर काम किया है।

दूसरी बात वायु प्रदूषण की है। आज जो औद्योगिक इकाईयां लग रही हैं, बहुत सारी चीजें लग रही हैं, उनके कारण लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारे यहां वायु प्रदूषण का एक कारण कार्बन डाई ऑक्साइड है, हम लोग कार्बन डाई आक्साईड उत्सर्जित करते हैं, आपको जानकारी होगी कि कार्बन डाई आक्साईड जैसी दूषित गैस को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। वर्ष 1990 से वर्ष 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड 0.8 से बढ़कर 1.7 मीट्रिक टन हो गया है। आप सोच सकते हैं, यह रोज बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। पेट्रोल और डीजल की जगह आर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त ईंधन, सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम जैव ईंधन और सौर ऊर्जा को जितना भी बढ़ावा देंगे, उससे हमें उतना ही लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं जल प्रदूषण के बारे में कहना चाहूंगा कि आज पूरी तरह से जल प्रदूषित हो रहा है। चाहे कहीं का भी जल हो, अगर एक्वागार्ड न लगायें तो लोक सभा के अन्दर का पानी भी प्रदूषित हो जायेगा। मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिए नदी, नालों, झीलें, जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो इस प्रकार की नदियां हैं, हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है-

"गंगा, सिंधुस्य, कावेरी, यमुना च सरस्वती,
रेवा, महानदी, गोदा, ब्रहमपुत्र पुनातुमाम।"

महोदय, ये सभी नदियां आज प्रदूषित हो चुकी हैं। हमें उन्हें बचाना है, ये हमारी संस्कृति है और उसी से हमारा संस्कार निर्माण होगा। इस देश के हजारों, करोड़ों लोगों का संस्कार इसी से निर्माण होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आये दिन जिस प्रकार से उद्योग, बांध, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से शहरों में सड़कों पर या गांवों में भी सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उनसे भी हमें बचना होगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करना पड़ेगा और इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

महोदय, कूड़े, कचरे की प्रमुख बात आती है। आज गंगा में प्रतिदिन 33 लाख लाशें जलायी जाती हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। 60 लाख टन लकड़ी उसके लिए प्रयोग में आती है और 6 लाख टन, उससे जो ऐसेज होता है, वह गंगा में बहता है। उसे हमें रोकना होगा।

महोदय, आपसे मेरा आग्रह होगा कि आज हमारे यहां राष्ट्रीय सकल उत्पाद की बजाय सकल प्राकृतिक उत्पादन पर भी ध्यान देना हम सब लोगों का गुरुतर दायित्व बन जाता है। इसलिए, आज आधुनिक सभ्य समाज और भावी पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अक्सर चुनावों में गरीबी उन्मूलन से लेकर भ्रष्टाचार और महंगाई सब प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर भी हमें जन जागरण करना होगा।

महोदय, मैं कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब केन्द्र में निर्णय लिया था कि गांव के अन्दर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने बिहार के अन्दर अभियान चलाया। आपको आश्चर्य होगा दो साल तक हमने उस अभियान मे यह नारा दिया था - 'घर-घर में होगा शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान।' आज गांव प्रदूषित हैं। आज आप वहां गांवों में जाइए तो जहां गांवों में 'ग' से गणेश की बात होनी चाहिए आज वहां गोबर दिखाई पड़ेगा, मल-मूत्र दिखाई पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से यह हमारे लिए आवश्यक है।

अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं कि "क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत ये धरा सरीरा" - कहते हैं कि यह शरीर पांच तत्वों से निर्मित है। कहते हैं कि पंचतत्व में फलां-फलां

महान व्यक्ति विलीन हो गया। इसलिए पंचतत्व की रक्षा करना प्रकृति रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा। मुख्य रूप से आज हम सब जानते हैं कि हम सबको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 15 किलो ऑक्सीजन लेता है। प्रतिदिन हम कितना भोजन करते हैं? लगभग 1.2 किलोग्राम भोजन होता है, लगभग 2.5 किलोग्राम पानी पीते हैं। इस काम को करने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। बड़े पैमाने पर वटवृक्ष जिसकी पूजा हमारी माता-बहनें करती हैं, हमें वे पेड़ लगाने पड़ेंगे। यदि अपने जीवन में हमने पांच वृक्ष लगा दिये तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही बात कहकर मैं तमाम लोगों से यह आग्रह करूंगा कि प्रकृति की रक्षा ही पर्यावरण की सुरक्षा है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आज पूरी की पूरी धरती के पर्यावरण पर खतरा सामने नजर आ रहा है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है और उससे कैसे निपटा जाए, यह आज पूरे विश्व की चिन्ता का विषय है और यह हम सबके सामने है। हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वृक्ष धरती की अनमोल धरोहर है, उसे काटते चले गए। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति हम सबके सामने है। अब भी अगर हम वृक्ष को संजोएं तो पर्यावरण को बचाने में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महोदय, हम सब यह भी जानते हैं कि वनों की कटाई के कारण वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। इससे सीधा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। आज बाघ, हाथी, चीता आदि जीव-जन्तु, सांप-बिच्छु लुप्त होते जा रहे हैं। अत: सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए निश्चित रूप से इन मदों पर भी खर्च करने की जरूरत है।

महोदय, मैं जलवायु परिवर्तन की बात कहना चाहूंगा। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है, राज्यों की भी समुचित मदद करने की जरूरत है। आज इसके कारण ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। यह चक्र आगे पीछे हो रहा है जिसके कारण बरसात, जाड़ा, गर्मी कभी समय से पहले आ जाता है और कभी समय के बाद आता है। इससे खासकर किसानों की आज बदहाली हो रही है। समय पर बरसात नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं पड़ने से फसल पर भी उसका असर हो रहा है। जैविक विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसमें भागीदारी के प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जीविका में और सुधारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। इसमें भी राशि को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए काफी सुझाव दिए गये हैं। आज जितने भी बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं, वहां ज्यादा प्रदूषण है। उसका कारण है कि जो प्लास्टिक शहर से जा रहा है, जो कचरा जा रहा है, वह सीधे नदी में डाला जा रहा है, चाहे गंगा नदी हो या दिल्ली की यमुना नदी हो। इसके लिए भी और धन की उपलब्धता करनी चाहिए।

सबसे प्रमुख विषय वृक्षारोपण का है। सरकार गांव-गांव जाकर वहां के नवयुवकों को इस परियोजना में जोड़कर कार्यक्रम चलाए तो प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। एनएच के दोनों तरफ पहले वृक्षारोपण हुआ करता था, वह भी अब रुका हुआ है। उसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। कई ऐसी सरकारी जमीनें हैं, रेलवे लाईन के किनारे हो, चाहे नदी नाले के किनारे हो, नहरों के किनारे हो, कई जगहों पर वृक्षारोपण के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने की जरूरत है, जिससे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। बिहार में हमारी पार्टी जनता दल-यू ने छ: साल पहले यह निर्णय लिया था कि हमारी पार्टी का वही व्यक्ति सदस्य हो सकता है, जो एक वृक्ष लगाएगा और उसका फोटो देगा। मैं तमाम माननीय सांसदों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने संसदीय क्षेत्र में जब जाएं तो निश्चित रूप से हर नौजवान साथी से इसी तर्ज पर एक पेड़ जरूर लगाने को कहें। यह बात कह कर उनको प्रोत्साहित करें कि यदि आप एक वृक्ष लगाते हैं तो एक जीवन देते हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : धन्यवाद महोदय। मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैंने कई माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को सुना है। हमें वन क्षेत्र को कम नहीं होने देना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

वन क्षेत्र में लगातार कमी का हमारे वन्यजीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, विशाल बांधों के निर्माण के कारण हाथी भोजन की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार बाघ मारे गए और उनकी जनसंख्या में कमी आई। इस सभा में इन सभी मुद्दों पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्ष 1995 में तत्कालीन पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री कमलनाथ द्वारा 32,000 एकड़ वन भूमि, जिन पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के दलितों और भूमिहीन लोगों के द्वारा कृषि की जा रही थी, के संबंध में अनुमति प्रदान की गई थी - संबंधित आदेशों की प्रति मेरे पास है।

आज हम नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। वर्ष 1980 में वन अधिनियम लागू होने से पहले उक्त भूमि पर पिछले 60-70 वर्षों

से शिमोगा, चिकमंगलूर और कुर्ग के किसान खेती कर रहे थे और उक्त भूमि को राजस्व विभाग, कर्नाटक को हस्तांतरित किये जाने की अनुमति दी गई थी। मुख्य वन संरक्षक, दिल्ली द्वारा अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संयुक्त व निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित नहीं होने चाहिएं। ऐसे क्षेत्रों के लिए, उन्होंने अनुमति दी थी। शर्त यह थी कि 'छ' श्रेणी वालों भूमि, जिसे तत्कालीन कर्नाटक सरकार द्वारा भी सृजित किया गया था, को हमें अंतरित करना था। श्री खड़गे जी यहां उपस्थित हैं। तीन लाख हेक्टेयर के भूमि बैंक में से वनीकरण हेतु एक लाख हेक्टेयर भूमि 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ वन विभाग को दी जानी चाहिए। उस शर्त के साथ हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की गई थी और संघ सरकार ने इस बारे में अनुमति प्रदान की थी। सभा का समय बचाने के लिए, मैं उस सरकारी आदेश को नहीं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने यह निर्णय कैसे लिया था। इन व्यक्तियों की पहली श्रेणी का संबंध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से है। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति मूलतः भूमिहीन, सीमांत और कृषि मजदूर हैं। जब एक व्यक्ति के पास मात्र 10 गुंटा भूमि ही उपलब्ध है, तो वह उस भूमि से अपनी गुजर-बसर किस प्रकार कर सकता है?

महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। ये सभी यह निर्णय लिया था। ये इन सभी व्यक्तियों के पास बहुत कम जमीन है और ये स्वयं भी वनों में रहते हैं। अब, शायद मुश्किल से ही वहां जंगल बचे हुए हैं, और शायद जंगल का एक छोटा सा भाग अथवा छोटे पेड़ पौधे भी नहीं बचे हैं। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। उनके पूर्णतः आश्वस्त हो जाने के बाद, वन अधिनियम के लागू होने से पहले उनके द्वारा यह अनुमति दी गई थी।

महोदय, आज सरकार उन लोगों को जंगलों से हटाना चाहती है। अब आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की एक नई पीढ़ी पैदा हो गई है। ओडिशा में क्या हुआ? यह बात हम सब जानते हैं। यहां तक कि हमारी रेलगाड़ियां भी छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों से होकर नहीं गुजर सकतीं। मेरा स्वयं का ऐसा अनुभव है। खुद मेरे राज्य के 13 जिलों में ऐसे लोग मौजूद हैं और वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सरकारी आदेश माननीय मंत्री को सौंपना चाहूंगा। उन्हें इन आदेशों की जांच करने दी जाए, और न्यायालय, अथवा हरित खंडपीठ द्वारा दिये गये सैंकड़ों निर्णयों के कारण कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उन्हें इस मामले की भी जांच करनी चाहिए। अतीत में, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था और इन सब आयामों की जांच करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अनुमति प्रदान की थी। कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी नक्सलवादियों पर लगाम लगाने के लिए बड़े मुद्दों में से यह भी एक मुद्दा है। चाहे वर्तमान सरकार हो, या विगत सरकार, मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि इन मामलों को देखें। यदि आवश्यकता हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री से भेंट करूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा।

महोदय, आपकी अनुति से, मैं ये सभी दस्तावेज माननीय मंत्री को सौंपना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाए।

***श्री जितेन्द्र चौधरी** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं पर्यावरण और वन संबंधी बजटीय प्रस्तावों का विरोध करता हूं। यह बजट जनजातियों, जो अपनी जीवनशैली के माध्यम से हमारे देश में सदियों से वनों और जैव-चालित क्षेत्रों के संरक्षण का काम करती रही हैं, के भविष्य को लेकर पूर्णतः मौन है। यह बात हमारे देश में, जहां भी जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, उन क्षेत्रों में विद्यमान जैव विविधता की समृद्धि तथा वनों की सघनता से स्पष्ट हो जाती है।

आम बजट में ऐसे कुछ औद्योगिक गलियारों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं में प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जो गलियारे जनजातियों की सघन आबादी वाले तथा खनिज संसाधनों में समृद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए राज सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन एफ आर ए और पी ई एस एस ए अधिनियमों के तहत जनजातियों के पुनर्वास संबंधी प्रावधान के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, जो कि अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन होगा। एम ओ ई एफ (पर्यावरण और वन मंत्रालय) के बजट प्रस्तावों में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में जनजातीय आबादी तथा अन्य आबादी पारंपरिक रूप से एम एफ पी के संग्रहण पर निर्भर है। लेकिन आज तक एम एफ पी (माईक्रो फॉरेस्ट प्रॉडयूस) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा नहीं की गई है, जिसके चलते जनजातीय शोषण हो रहा है। एम ओ ई एफ (पर्यावरण और वन मंत्रालय) द्वारा उपयुक्त विधान तैयार किया जाना चाहिए व एम एफ पी (माईक्रो फॉरेस्ट प्रॉड्यूस) के उपयोग व प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि जनजातियों की सहायता की जा सके और वनों का संरक्षण किया जा सके।

भारत में विश्व के लगभग एक-तिहाई बांस संसाधन विद्यमान हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

औद्योगिक उत्पादन हेतु बांस सबसे उत्तम सतत् तथा महंगा कच्चा माल है, जिसके आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रसंस्करण से चीन तथा अन्य देशों में अरबों डालर का राजस्व प्राप्त होता है तथा बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। भारत में 75 प्रतिशत बांस के पौधे उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जो कि पर्यावरण संतुलन के संबंध में औद्योगिकरण तथा रोजगार सृजन के उत्तम संसाधन सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय पर सरकारी नीति के अभाव तथा पहल न किये जाने के कारण हम इस क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बजट में वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत अन्य सामुदायिक ब्रांडों की भांति एक बैम्बू बोर्ड के गठन का प्रावधान किया जाए। आर्थिक उत्थान के लिए बांस तथा ऐसे अन्य एम एफ पी के दोहन के लिए और संस्थान होने चाहिए जोकि हमारी समृद्ध जैव-विविधता के संरक्षण और उसमें संतुलन बनाये रखने, वन में रहने वाले लोगों की आजीविका बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने में मददगार साबित हों।

[हिन्दी]

***श्री दद्दन मिश्रा** (श्रावस्ती) : मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें कहना चाहता हूं तथा वन एवं पर्यावरण संबंधी कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं लोक सभा श्रावस्ती दो जनपदों में विभक्त है, श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती भगवान गौतम बुद्ध जी की पावन तपोस्थली रही है, जबकि बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी और नानाजी देशमुख की कर्मभूमि रही है। दोनों जनपद वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत धनी रहे हैं, वन एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है।

सबसे पहले मैं अपने नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो उनका दृष्टिकोण है वन एवं पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्रान्तर्गत दोनों जनपदों में दो प्रकार के वन हैं- 1. रिजर्व फारेस्ट, 2. सेंचुरी फारेस्ट जिनमें साल, शाखू, सागौन, शीशम, खैर आदि के बेशकीमती वन सम्पदा विद्यमान है। शायद यही कारण है हमारे ये वन माफियाओं और तस्करों के निशाने पर रहे हैं।

वनों में चोरी से कटान कोई नई बात नहीं है, शुरू से विभागीय मिलीभगत से ऐसी हरकतें होती रही हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है जिस तरह से खुलेआम सत्ता के संरक्षण में धड़ल्ले से वनों का विनाश किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर चिन्ता का विषय है, इस पर प्रभावी रोकथाम एवं अंकुश के लिए केन्द्र सरकार को प्रभावी कदम उठाते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वन क्षेत्र के कम से कम 20 कि.मी. परिधि मे ईंट भट्टों के लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ईंट के भट्ठे एकदम वन सीमा से सटकर संचालित हो रहे हैं जो वनों के विनाश के महत्वपूर्ण कारक हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के तमाम दिशा-निर्देशों के बावजूद हमारे क्षेत्र में पहाड़ी नालों से अवैध खनन का गोरखधन्धा धड़ल्ले से चल रहा है। जनपद बलरामपुर के भाँभर नाले पर मानपुर, लालपुर, भवनडीह, धोवहा, धोवइनिया आदि नालों पर बगैर किसी पर्यावरणीय अनापत्ति, बगैर किसी परमिट, परमीशन के पर्यावरण के लिए निरंतर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। जनपद श्रावस्ती के भैंसहा, डागरा, सचौली, सेमरा, मोतीपुर आदि स्थानों पर अवैध खनन का गोरखधन्धा सत्ता के संरक्षण में चल रहा है जिसका एक उदाहरण 6 जून, 2014 शुक्रवार की रात में खनन माफिया द्वारा घनश्याम पुत्र बजरंग को रात में अवैध खनन हेतु मजदूरी के लिए ले जाया गया, जहां पर मजदूरी को लेकर विवाद में खनन माफिया द्वारा गरीब घनश्याम पुत्र श्री बजरंग, निवासी-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला, किसी तरह धारा 304 में मुकद्मा लिखा, परन्तु मुल्जिम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई।

भिनगा के जंगलों में विजय साल नामक एक औषधीय पेड़ पाया जाता है जिसकी लकड़ी का गिलास बनाकर उसमें पानी भरकर जिसका रंग लाल हो जाता है पीने से पेट संबंधी रोगों के लिए रामबाण है। उक्त भी वन माफियाओं के निशाने पर लुप्तप्राय होने के कगार पर है। जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है।

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं झारखंड स्टेट से हूं। हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है। ये सब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, ये बहुत सारे ट्राइब्स द्वारा ऑक्युपाइड है। जब भी किसी ट्राइब के बारे में सोचा जाता है तो हम जंगल, पहाड़ आदि के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी आप झारखंड को देखेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह से वहां ट्राइबल लोगों को डिसलोकेट किया जा रहा है, उसका असर कहीं-न-कहीं जंगल और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल है, वह इको सिस्टम और नेचर को बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है।

महोदय, हमारे यहां छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। वहां मिनरल्स और रिसोर्स होने की वजह से कई बार इन सब एक्ट्स को नजरअंदाज किया जाता है और हमें देखने को मिला है कि लोगों के डिस्प्लेसमेंट का असर कहीं-न-कहीं जंगल पर भी पड़ रहा है और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने राज्य और अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे लोक सभा क्षेत्र में मंडरो ब्लॉक पड़ता है जहां पन्द्रह करोड़ साल पुराना फॉसिल्स पाया जाता है। इसे 7 जुलाई को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए कहा गया है। अगर हमारे स्टेट के पास उतने फण्ड्स होते तो वे जरूर कर लेते। अगर इसे देखा जाए तो यह एक नेशनल हेरिटेज है। इसे डेवलप करने के लिए कहीं-न-कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए।

हमारे यहां कई जंगल्स हैं, उनमें से गोवा जंगल्स अगर ले लें, वहां हाथियों की काफी तादाद है, जोकि उड़ीसा और झारखंड में आते-जाते रहते हैं। लेकिन ऑयरन और माइन्स की वजह से इन जानवरों को बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। मैं माइनिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जरूरत है कि माइनिंग के साथ-साथ पर्यावरण को भी बचाया जाए और जंगल में रह रहे जानवरों को भी बचाया जाए। एक मेजर प्रोब्लम जो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, वह क्लियरेंस का मसला है। हमारे स्टेट में वाटर रिसोर्स का सिर्फ दस परसेंट कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पैंडिंग पड़े हुए हैं - मानसरोवर मसंजो प्रोजेक्ट, स्वर्ण रेखा पुरांसी आदि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको क्लियरेंस मिल जाने से हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो सकता है, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। फॉरेस्ट एंड एनवारयमेंट में आकर मैं ट्राइबल लाइफ स्टाइल पर बात कर रहा हूं, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहें, पूरे विश्व भर में ट्राइबल लाइफ स्टाइल जो है, कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ एक लाइफ स्टाइल है। उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, ट्राइबल लाइफ स्टाइल, कहीं कहीं इनमें से हम लोगों को अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए कई सारे जवाब मिल सकते हैं।

हमारे एक सहयोगी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हरेक व्यक्ति को एक पेड़ प्लांट करने की जरूरत है। यहां पर मैं चाहूंगा कि दलगत से उठ कर हमें अपनी भावना को रखना चाहिए, यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं उनके हजारों कार्यकर्ता होंगे। एक दिन डिसाइड किया जाए और सारे माननीय सदस्यों द्वारा निगरानी हो। उनके हजारों कार्यकर्ता पेड़ लगाएं तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, यह सोचने की बात है। हर साल इस चीज को बढ़ावा दिया जाए, जो चीज हम आज कर रहे हैं, वह चीज फ्यूचर में हमारे आने वाले जेनरेशंस करेंगे, उसका पोजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।

इतना ही कह कर मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा।

* **श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : मैं वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में सुझाव देने के लिए वर्तमान बिन्दुओं को ले करना चाहता हूं।

इन्दिरा गांधी नहर के विकास के साथ-साथ राजस्थान में कुछ जमीने वन विभाग को इस शर्त के साथ आबंटित कर दी गई थी कि वो वहां पर पेड़ लगाएंगे, लेकिन वन विभाग ने आज तक भी कोई विशेष पौधे लगाने की कोशिश नहीं की और वो जमीन किसानों को आबंटित की गई थी। क्या खाली रहने के कारण वर्षों से किसान इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। वन विभाग इस जमीन को अपने नाम करवाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत करने पर जो देता है, साथ-साथ 30-40 वर्षों से उस जमीन को बो रहा है, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि राजस्थान में बंजर भूमि काफी तादाद में है। वन विभाग को बंजर भूमि उपलब्ध कराई जाए जो खेती की कमी है उसको वन विभाग छोड़ दे और उसके एवज में वन विभाग को उपलब्ध कराएं। भारत सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हजारों किसानो से जुड़े प्रकरण है। यदि कानून में संशोधन करना पड़े तो ऐसा किसानों के हितों के लिए आवश्यक है।

राजस्थान में विशेषकर कुछ वन्य जीवों के अंगों की तस्करी होती रहती है, जिसके लिए पुख्ता कानून होने के बावजूद इसमें कोई विशेष कमी नहीं आई। पर्यावरण मंत्रालय को मेरा यह सुझाव है कि कुछ ऐसे जीव जो लुप्त होने जा रहे हैं, उनकी एक सूची बनाएं और लुप्त होने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए, जिससे लुप्त होते जा रहे वन्य जीवों की सुरक्षा संभव हो सके।

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी** (अहमदाबाद) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

क्लाइमेट चेंज के इस समय में प्राकृतिक संरक्षण होना चाहिए और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भारतीय संस्कृति एवं जीवनधारा में प्रमाणित किया है। जहां तक पर्यावरण को असंतुलित करने का प्रयास इस विश्व के विकसित देशों ने किया है मगर इसका खामियाजा भारत जैसे विकसित एवं गरीब देश को भुगतना पड़ता है। आज की स्थिति यह है कि प्राकृतिक संरक्षण की प्रमुख जवाबदेही भारत जैसे विकासशील देशों पर थोपी जा रही है।

मैं गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुजरात में तेजी से औद्योगिकीकरण होता है और पूरे देश के औद्योगिक विकास में गुजरात का अहम स्थान है। गुजरात का औद्योगिक विकास मॉडल, औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन से जाना जाता है।

गुजरात का औद्योगिक विकास प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वाला है। वहां पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हर कोई उपाय किया जाता है।

देश की उन्नति एवं विकास के लिए औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है, मगर पर्यावरण के नाम पर कुछ ऐसे मानदंड लगाए जाते हैं जो असल में सही नहीं है और पर्यावरणीय संतुलित विकास में बाधा डालता है। मैं बात करता हूं, पर्यावरणीय क्रीटीकल जोन के बारे में, जिसकी वजह से अहमदाबाद की बटवा, वापी, अंकेलेश्वर एवं कई जगह औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ है। अगर सही मानदंड अपनाया जाए तो क्रिटिकल जोन की घोषणा सही साबित होती नहीं है।

मेरी मांग है कि इसमें लचीलापन लाकर इसका मार्ग ढूंढना चाहिए।

जहां तक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है, गुजरात में यह काम बहुत अच्छा और गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है।

मैं एक वकील होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में गुजरात में प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। मेरा यह भी कहना है कि देश के कई प्रदेशों में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कन्सोल ही नहीं है और वहां इस क्षेत्र में संतोषजनक कार्यवाही होती नहीं है।

मगर इतना अच्छा कार्य करते हुए भी, गुजरात की कोमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फेसेलिटीज को परेशान किया जाता है। इन सब गुजरात की सीबीएमडब्ल्यूटीएफ यों को नई गाईडलाइन एवं उन्नयन के नाम पर परेशान किया जाता है जबकि अन्य जगह उन्हें गाईडलाइन न होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता है।

गुजरात में आदर्श गाईडलाइंस, जो किताबों में लिखी गई हैं मगर कई विकसित देशों में भी कार्यान्वित नहीं की जाती, ऐसी गाईडलाइन्स थोपी जा रही है। उन सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को बैंक गारंटी देने के लिए मजबूर किया जाता है और लाखों-करोड़ों का निवेश करने पर मजबूर किया जाता है। इतना सारा खर्च करने के बावजूद भी उनको अलग-अलग तरीके से परेशान किया जाता है। मगर अन्य जगहों पर ये सब नजरअंदाज किया जाता है।

मेरा निवेदन है कि विषैले कचरे के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों कों दंडित करना चाहिए नहीं मगर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राई (सिक्किम) : सभापति महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम मैं कुछ मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आबंटन 149 करोड़ रु. से बढ़कर लगभग 181 करोड़ रु. कर दिया गया है। परन्तु अंतरिम बजट आबंटन की तुलना में इसमें 10 करोड़ रु. की कटौती की गई है। अत: इस दृष्टि से इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना हेतु बजटीय आबंटन 32.35 करोड़ रु. से घटाकर 23 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह सरकार की मंशा दर्शाता है कि वह इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे सामने है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए।

हिमालियाई क्षेत्र संबंधी नई योजना अर्थात् हिमालयाई क्षेत्र के सतत विकास हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय हिमालियाई अध्ययन मिशन, वस्तुत: एक सकारात्मक कदम है और मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि हिमालियाई अध्ययन में जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों तथा विकास संबंधी मुद्दों को उजागर किया जाएगा तथा इन पर ध्यान दिया जाएगा, जिनका सामना हिमालियाई पर्वत क्षेत्र कर रहा है।

परन्तु मैं एक और मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो वानिकी अनुसंधान हेतु वित्तपोषण में ठहराव है। बजट में, राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद हेतु केवल 156.66 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संस्थान के कम अनुसंधान आउटपुट के लिए उसकी आलोचना की। स्पष्ट है कि इसके लिए कारण यह दिया गया कि इस महत्वपूर्ण निकाय के लिए बजटीय आबंटन वस्तुत: कम हो रहा है। अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि अनुसंधान का बहुत महत्व है, विशेषकर यदि यह वनों के क्षेत्र के बारे में है।

इसके साथ ही मैं अब पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के पहलू पर आता हूं और मुझे लगता है कि इसके लिए खेत पर लाए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सबसे गंभीर प्रभाव बंगाल की खाड़ी से पड़ेगा, जहां उफान आएगा और बंग्लादेश से पलायन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई अन्य राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर भी पड़ेगा। वस्तुत: एक अध्ययन में कहा गया है - तथा सरकार के एक दस्तावेज से पता चला है कि - सबसे अधिक प्रभावति होने वाले 43 जिलों में से उत्तरी सिक्किम जिले पर सबसे व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

यह सब कहने के बाद मैं अपने राज्य सिक्किम पर आता हूं।

वस्तुत: कई प्रकार से सिक्किम ने बढ़त बनाई हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा से सदस्य श्री चौटाला ने कहा है कि उनके यहां केवल 3.8 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। परन्तु कल्पना कीजिए कि सिक्किम में 83 प्रतिशत वन क्षेत्र है और वस्तुत: हमारे यहां लगभग 6 प्रतिशत ही रहने योग्य जमीन है, जिसके कारण हम सिक्किम को लेकर कशमकश में हैं क्योंकि यहां विकास की गुंजाइश गंभीर चिंता का विषय है। मैं हमारे पर्यावरण और वन मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि हम विशेष मुद्दे का समाधान नीतिगत स्तर पर करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। कुछ राज्यों में वन क्षेत्र का प्रतिशत बहुत अधिक होता है और इसीलिए इन राज्यों में विकास की गुजाइश नहीं होती। परन्तु हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में यह लगभग चार प्रतिशत है।

अंतत: चूंकि घंटी बज रही है, मैं मंत्री महोदय से वन अधिनियम की ओर ध्यान करने का आग्रह करूंगा। आप वन अधिनियम में बांस को वस्तुत: किस प्रकार परिभाषित करेंगे? मुझे लगता है कि तत्कालीन साम्राज्यवादी शासकों द्वारा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बांस हमारे वृहद्तम प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इसे घास की बजाय वृक्ष के तौर पर रखा गया है। अत: यदि आप इसे घास के तौर पर रखें, तो खेती होगी और फिर हम कहीं बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

और अंतत: मेरे मित्र, पिछले वक्ता ने और अधिक वृक्ष लगाने की बात की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। हमारे मुख्य मंत्री ने सिक्किम में 'टेन मिनिट्स टू अर्थ' को वस्तुत: संस्थागत बनाया, जिसका पूरे देश में विस्तार किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

* **श्री नारणभाई काछड़िया** (अमरेली) : आप भली-भांति जानते हैं कि शेरों की जनसंख्या केवल अफ्रीका और भारत में ही देखने को मिलती है। गीर नेशनल पार्क तथा सैंचुरी का क्षेत्र 1412.13 वर्ग किलोमीटर है। इस सैंचुरी से 6 स्टेट हाईवे तथा कुछ अन्य सड़कें हो कर गुजरती हैं तथा सभी सड़कें स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल भी की जाती है। वर्तमान में सेंचुरी से होकर गुजरने के कारण जंगली जानवरों के आवागमन में बाधा पहुंचती है तथा दुर्घटना की संभावना भी अधिक रहती है।

सैंचुरी से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे तथा अन्य सड़कों पर यातायात के भार को कम करने के लिए "रिंग रोड़" के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस "रिंग रोड़" की अनुमानित लम्बाई 269 किलोमीटर होगी तथा लगभग 600 करोड़ की लागत का अंदाजा है। उपरोक्त प्रोजेक्ट स्टेट बोर्ड आफ वाईल्ड लाईफ के द्वारा संस्तुति प्रदान कर के वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात राज्य को दिनांक 1.7.2011 में भेज दिया गया था। उक्त "रिंग रोड़" के निर्माण में 14 ओवर-पास तथा 16 अंडर-पास शामिल हैं, जिसके कारण जंगली जानवरों के बेरोकटोक घूमने में कोई बाधा नहीं आएगी और यातायात के द्वारा उन्हें दुर्घटनाओं से भी बचाया जा सकता है।

उपरोक्त विषय पर अनेक सांसदों के द्वारा पूर्व सरकार में यह प्रश्न लोक सभा में उठाया गया था, परन्तु पूर्व सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गुजरात सरकार के द्वारा "शेर बचाओ" अभियान के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनेक प्रकार से सफल कदम उठाने की पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयास को भारत सरकार के सहयोग से पूर्ण करने की आवश्यकता है, जिससे दुर्लभ जानवरों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजरात राज्य के कच्छ-रेगिस्तान सैंचुरी में कच्छ-भुज के अधिशासी अभियंता (आर एंड बी) के द्वारा कुनारिया से माउआना मार्ग पर सड़क के निर्माण के लिए जमीन में परिवर्तन की मांग को लेकर आवेदन किया गया था, जिसे वाईल्ड लाईफ के राज्य बोर्ड की दिनांक 4.7.2009 में आयोजित सभा में स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात राज्य के पत्र दिनांक 21.02.2009 के अंतर्गत वाईल्ड लाईफ के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (एन.बी.डब्ल्यू.एल) को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रीय बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (एन.बी.डबल्यू.बी) द्वारा आयोजित सभा में इस मुद्दे पर यह पाया गया कि कच्छ-रेगिस्तान सैंचुरी के एक बड़े भू-भाग को इस प्रस्तावित सड़क के कारण परिवर्तित किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव देने को कहा गया। कच्छ-भुज के अधिशासी अभियन्ता (आर एंड बी) के द्वारा दो भागों में संशोधित प्रस्ताव जमा किया गया, जिसके पहले भाग में 79.474 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है तथा दूसरे भाग पर कोई विचार नहीं किया गया है। वाईल्ड-लाईफ सैंचुरी में 336.10 हैक्टेयर जंगल के भू-भाग के अंतर्गत आता है तथा वाईल्ड लाइफ सैंचुरी में 9.524 हैक्टेयर का भू-भाग आता है, जिसका कुल मिलाकर 79.474 हैक्टेयर वन एवं पर्यावरण के हिस्से में आता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्तावित सड़क हमारे देश की सरहदी इलाकों में हमारी सेना के आवागमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*** साध्वी निरंजन ज्योति** (फतेहपुर) : मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार रख रही हूं। मैं इसका समर्थन करती हूं। देश में पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। गांवों में माफिया द्वारा आज भी प्रतिदिन अवैध तरीके से सैंकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, उनसे कोयला आदि बनाया जा रहा है। जंगल के जंगल धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से खनन माफियाओं द्वारा नदियों में मोरंग/बालू का खनन लगातार किया जा रहा है, जिससे जलीय जन्तुओं का जीना दूभर हो गया है, उसी तरह से पहाड़ों में लगे पेड़ पौधों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाता है, उसके बाद की स्थिति यह हो गई है कि जहां उनकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर तक थी अब उनकी गहराई 40 मीटर जमीन के नीचे हो गई है, जो चिन्ता का विषय है।

फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीट किए नदियों में बहाया जाता है, वही हाल शहरों के सीवर लाइनों का भी है। पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार की आवश्यकता है, अधिक से अधिक शहरों कस्बों यहां तक कि गांवों में खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित कराकर उद्यानों, को बनाने की आवश्यकता है। नए बांध संरक्षण, अभ्यारण्यों को खोलने की आवश्यकता है। नदियों के किनारे भारी मात्रा में वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा, कानपुर देहात, ललितपुर-झांसी में पर्यावरण एवं वनों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उक्त सभी मांगों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल कर पूरे क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से देश में वन कवरेज के संरक्षण तथा विस्तार हेतु भय तथा हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने तथा उसे बढ़ाने के लिए उपायों को अत्यधिक महत्व देता हूं। यह वैश्विक वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के समय काफी महत्वपूर्ण है।

पूंजीवादी विकास की वर्तमान पद्धति से हमारे वन और पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। मेरा विश्वास है कि पश्चिमी घाटों के संबंध में गाडगिल समिति की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। हमें इन प्रस्तावों के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। हमें अवश्य ही पश्चिमी घाटों के किसानों के भय के संबंध में उपयुक्त ढंग से विचार करते हुए इन प्रतिवेदनों तथा इसकी सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहिए। सरकार को वन संरक्षा तथा पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान को सुदृढ़ करने पर अत्यधिक जोर देना चाहिए। इस संबंध में मैं सरकार से केरल के अनुसंधान संस्थानों जैसे कि कालीकट में केरल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट तथा केरल वन अनुसंधान संस्थान (के. एफ.आर.आई.) हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाये जाने का आग्रह करता हूं।

मैं केरल वन अनुसंधान संस्थान को वन अनुसंधान पर अत्यधिक बल देते हुए मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु अधिक ध्यान दिये जाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

कम्युनिस्ट पार्टी भविष्य की पीढ़ी हेतु नदियों तथा जल निकायों को संरक्षित करने की ओर एक बड़े कदम के रूप में गंगा नदी को साफ करने के प्रयास का स्वागत करती है। तथापि, इसे हिन्दुत्व विचारधारा को बढ़ाने के प्रयास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसे केरल सहित हमारे देश की सभी नदियों को साफ करने तथा कायाकल्प करने की ओर वास्तविक तथा व्यवहारिक कार्यक्रम होना चाहिए। पम्बा नदी जिसे दक्षिण की गंगा के रूप में माना जाता है सबरीमाला के लाखों-करोड़ों हिन्दू तीर्थयात्रियों हेतु एक पवित्र नदी है। भारत सरकार को नदियों तथा अन्य जल संसाधनों के संरक्षण के हमारे सामूहिक प्रयास में केरल की अन्य 43 नदियों तथा इस नदी को साफ तथा संरक्षण करने संबंधी कार्यक्रम को तत्काल शुरू करना चाहिये। पूर्व लेफ्ट तथा डेमोक्रेटिक फ्रंट (एल. डी.एफ.) सरकार द्वारा धान के खेतों तथा जल निकायों के संरक्षण संबंधी केरल का विधान देश के खत्म होते जा रहे जल संसाधनों के संरक्षण संबंधी नए विधान हेतु मॉडल बन जाये।

डा. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार) : भारत विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। अत: प्रकृति की संपदा को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। ईको प्रणाली में असंतुलन पूरे विश्व में अत्यधिक चिंता की बात बना हुआ है। हम भारतीय आज अपने देश में विलंब से वर्षा होने की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। आज मेरे राज्य महाराष्ट्र तथा विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। मैं यह महसूस करती हूं कि इस पारिस्थितिकीय असंतुलन के अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

सभी जगह प्रदूषण है चाहे वह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण हो।

हमारे देश में वायु प्रदूषण देखा गया है तथा इसका मुख्य कारण है विभिन्न उद्योगों, चिमनियों से, खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, अनावश्यक लाउडस्पीकरों के कारण ध्वनि प्रदूषण, वाहनों द्वारा जोर से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हॉर्न बजाने तथा सार्वजनिक स्थलों में अनावश्यक लाउडस्पीकर बजाये जाना।

नहरों, नदियों, तालाबों तथा समुद्रों तथा महासागर जैसे जल संसाधनों में प्रदूषित जल को छोड़ने के कारण जल प्रदूषण होता है। हमें आवश्य ही इसका ध्यान रखना चाहिए चूंकि यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, कभी-कभी खेतों में जल-धाराओं के साथ मिल जाता है तथा इससे जल तथा मृदा प्रदूषण होता है।

प्लास्टिक एक गैर-अवक्रमित वस्तु है जिससे मृदा प्रदूषण होता है। अत: हमें अवश्य ही प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना चाहिए तथा जैव-क्षरणीय सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्गेनिक भोज्य-पदार्थों तथा आर्गेनिक उत्पादों को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है तथा इनकी मांग भी है।

मैं माननीय मंत्री को हमारे देश में भी आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने का सुझाव देना चाहती हूं ताकि हम कीटनाशकों के कारण होने वाले प्रदूषण को दूर कर सकें।

मैं महाराष्ट्र से नन्दुरबार निर्वाचन क्षेत्र से हूं जो एक जनजातीय निर्वाचन क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जनजातियां वनों में रहती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तापी तथा नर्मदा नदियां हैं तथा वन क्षेत्रों सहित सतपुड़ा पर्वतमाला है।

दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वन कहीं-कहीं पर हैं। इसका कारण यह है कि लोग घरेलू कार्यों के लिए पेड़ काटते हैं अथवा वे पेड़ों को मिलों को बेच देते हैं। इन वन क्षेत्रों में जनजातीय गांव हैं जिन्हें "वन गांव" कहा जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 75 वन गावं हैं जिन्हें राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया है तथा इसलिए इन गांवों में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को दी गई सुविधाओं का फायदा उठाने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए लोग अपने घरेलू कार्यों के लिए पेड़ काटते हैं। यदि उन्हें उन सुविधाओं जिनके वे पात्र हैं मिल जाती है तो हम पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं तथा पर्यावरण को बचा सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग जो वन में रह रहे हैं पिछले कई दशकों से वन में उपलब्ध भूमि पर खेती कर रहे हैं। भूमि उनके नाम पर नहीं है अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इन जनजातीय लोगों जिनके पास कृषि भूमि है को उनकी भूमि संबंधी राजस्व प्रमाण पत्र दिये जाने चाहिए चूंकि भूमि उनके नाम पर है तथा उन्हें "सतबरा" मिलता है ताकि वे जनजातीय लोगों की सुविधाओं का फायदा उठा सके।

"वन अधिकार अधिनियम" में इन जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है तथा इन क्षेत्रों में बिजली के खंभों को लगाने पर भी प्रतिबंध है। तथा आज भी हमारे जनजातीय लोग अंधेरे में रह रहे हैं तथा वन क्षेत्रों में बिजली उनके घरों तक नहीं पहुंची है।

इन जनजातीय वन क्षेत्रों में सड़कें, बिजली नहीं है। अत: मेरे विचार से "वन अधिकार अधिनियम" में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है चूंकि इससे अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है परन्तु इसकी बजाए इससे जनजातीय लोगों के विषय में बाधा पहुंच रही है।

आज हम ईको-प्रणाली में काफी संतुलन देखते हैं। सरकार के पास पेड़ों को लगाने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। परन्तु हम पेड़ों को लगाने के पश्चात् उनकी देखभाल के लिए कोई नीति/योजना नहीं बना रहे हैं। इस योजना में पौधे लगाने की व्यवस्था है लेकिन उन्हें घास-फूस खाने वाले जीव-जन्तुओं से बचाना होगा। पेड़ों के लिए सुरक्षा चक्रकारिणी भी योजना में उपबंध नहीं है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगी कि पेड़ लगाने चाहिएं और उसे संरक्षित रखने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि वह बड़ा हो सके। ऐसी योजनाएं/नीतियां पर्यावरण के संरक्षण के लिए तथा प्रकृति के सौन्दर्य को निखारने के लिए बनाई जानी चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उनका एजेन्डा प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना विकास का एजेन्डा है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी मंजूरी के अभाव के कारण लम्बे समय से प्रतीक्षित परियोजनाएं माननीय मंत्री जी के सकारात्मक दृष्टिकोण से तेजी से आरम्भ होगी। इस राजग सरकार से हमारे जनजातीय लोगों को काफी आशाएं हैं और मुझे विश्वास है कि मरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार में वन क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के सभी मुद्दों पर सरकार ध्यान देगी।

[हिन्दी]

*** श्री रमेश बिधूड़ी** (दक्षिण दिल्ली) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां मात्र कागजों में वन अधिनियम दिखाया गया है। जबकि हकीकत कुछ और है। 1986 में वन अधिनियम लाया गया शायद संशोधन के रूप में वहां दिल्ली के अधिकारियों ने मौके पर ना जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड से जमीनों के खसरा नं. देखकर वन भूमि बना दी जबकि वहां जंगल तो है परंतु कंकरीट के जंगल मकानों के रूप में है, जिन्हें हटाना असंभव है। लगभग 20 लाख लोग रहते हैं उक्त कालोनियों में जिनको हटाना मानव अधिकार के रूप में असंभव है। इसलिए सरकार उक्त जमीन जो वन के रूप में दिखाई गई है उसे वहां से निकाला जाए व अन्य जमीन जो ग्राम पंचायत की है या डीडीए ने कब्जा किया हुआ, वहां पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए विकसित किया जाए जिससे देश की राजधानी है, उसे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रदूषण मुक्त रखा जाए। यह केन्द्र सरकार के माध्यम से ही कार्य किया जा सकता है तथा दिल्ली का वन क्षेत्र सुरक्षित रखा जा सके व जहां लोग वन अधिनियम के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तथा नारकीय जीवन जीने को मजबूर है तथा उनके द्वारा वहां जल-मल-निकास प्रणाली ना होने के कारण प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। अत: इसकी एक कमेटी बनाकर जांच करवा कर जो सही मायने में वन क्षेत्र है या जहां जमीन खाली है उसे ही वन के रूप में विकसित किया जाए। मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण ना तो वन विकसित हो रहे हैं और ना ही उन गरीब लोगों का विकास। जो 1975 से पूर्व में सरकार द्वारा बसाई कालोनी में रह रहे हैं तथा कुछ भाग जो किसानों ने अपनी जमीनों में कालोनियां विकसित करवा दी गई है वह 30 से 50 वर्षों से वहां रह रहे हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए आदेश के कारण हानि तो हमारे पर्यावरण की ही हो रही है। कृपया आम नागरिक के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल पड़ रहा है तथा विकास के कार्य भी रुके पड़े हैं। जनहित में जो सुचारू किए जा सके।

* **डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक** (हरिद्वार) : पर्यावरण एवं वन मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह निश्चित रूप से देश के पर्यावरण को जहां सुरक्षित और संतुलित करने का प्रयास है, वहां वनों के संरक्षण और संवर्धन की भी अनुपम पहल है। गत वर्ष की तुलना में इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु सैंकड़ों करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री प्रकाश जावडेकर जी जो इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं उन्होंने देश के आमजन के जीवन की रक्षा का, उन्हें स्वस्थ रखने का जो पर्यावरणीय वातावरण बनाने का अभियान है, वह बेजोड़ है।

प्राणी, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के अखिल वातावरण में यदि तनिक भी पर्यावरणीय संकट आता है तो स्वाभाविक है कि यह खतरा जीवन को मिटाने और धरती के स्वरूप को बदलने का संकट है। भारत विश्व के पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने में जो योगदान देता है, वह महत्वपूर्ण है। देश के पर्यावरण को संतुलित रखने में हिमालयी राज्यों का विशेषकर उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

उत्तराखंड में जहां 65 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं, वहां 12,500 से भी अधिक वन पंचायतें हैं। इन साढ़े बारह हजार वन पंचायतों में ढाई लाख से भी अधिक महिला पुरुष नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर रखकर इन अपने निजी वनों की सुरक्षा करता है और यहां के लोग बच्चों की तरह अपने जंगलों को पालते-पोसते हैं। जंगलों में आल लगाने पर लोग जान हथेली पर रखकर गांव के गांव आग बुझाने आगे आते हैं। जंगलों में आग बुझाते हुए सैंकड़ों महिला-पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है। दुनिया का ऐसा उदाहरण शायद बिरला ही होगा कि अपने बच्चों से भी ज्यादा उत्तराखंड के लोग अपने जंगलों की रक्षा करते हैं।

आपको तो ज्ञात ही होगा कि "चिपको आंदोलन" का जन्म यहीं हुआ था। नौरादेवी जो इस आंदोलन की प्रेरणा थीं, सामान्य सीमान्त गांवों में रहकर महिलाओं के साथ पेड़ों पर चिपक गई थी जिसने कहा था कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने से पहले उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ियां चलेंगी। वे अपने प्राणों को त्यागने को तो तैयार रहीं, लेकिन जंगलों पर कुल्हाड़ी न चले, पेड़ न कटने पाएं, इसकी चिंता में "चिपको" आंदोलन विश्व का सबसे प्रेरणाप्रद आंदोलन बन गया। पूरे हिमालयी क्षेत्र में 60 प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत सरकार की वन नीति में इसका उल्लेख है। अत: ये हिमालय का क्षेत्र देश को पानी भी देता है तो देश को जवानी भी देता है, क्योंकि हिमालय से ही सारी नदियां निकलती हैं। देश को पानी उपलब्ध होता है और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है, तो जवानी भी देश को है। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक वन पर्यावरण देश को जलवायु भर देते हैं जिससे लोग जिंदा रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। किन्तु जिस गंभीरता से हिमालय के पर्यावरण वन संरक्षण की दिशा में सोचा जाना चाहिए था पर्यावरण और वन के साथ वहां के जन की सहभागिता को भी जोड़ा जाना था। वह कार्य हुआ नहीं। इसी का परिणाम है कि वनों का कटान हुआ। अव्यवस्थित नियोजन से पर्यावरण को खतरा पैदा हुआ।

आज देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। ग्लेशियर सिकुड रहे हैं। अमेरिका की एक शोध पत्रिका ने स्पष्ट लिखा है कि यदि इसी गति से ग्लेशियर सिकुड़ते रहे तो 40 साल में ये सूख जाएंगे और पूरा भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया को इसका संकट झेलना पड़ेगा।

सारी दुनिया जानती है कि हिमालय के ये ग्लेशियर समाप्त हुए तो पृथ्वी आग का गोला बन जायेगी। एक-एक बूंद पानी के लिए दुनिया तरस जाएगी। पूरा पर्यावरणीय संकट मनुष्य मात्र के लिए जीवन संकट में बदल जाएगा। अत: मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से भारत सरकार हिमालय राज्यों के साथ विचार विमर्श कर समाधान ढूंढे।

मैं जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के दायित्व को संभाल रहा था तब मैंने "स्पर्श गंगा बोर्ड" बनाकर न केवल गंगा और उसमें मिलने वाली जलधाराओं का संरक्षण और संवर्धन की बात नहीं की थी बल्कि उससे भी आगे "हिमनद प्राधिकरण" बनाकर हिमालय की सुरक्षा को भी एक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। वर्तमान कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार उसके महत्व को नहीं समझ सकी। ये दोनों ही अभियान भारत सरकार को देश के हित में अपने हाथों में लेनी चाहिए। तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी और उत्तराखंड का वह वन पंचायतों का अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की तथा नौजवानों की सहभागिता को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। वनों के संरक्षण की दिशा में उसे व्यवसायिक तौर पर बन पंचायतों के साथ समन्वय और कार्य योग्यता भी जरूरी है। उत्तराखंड में दर्जनों वन पार्क हैं, वन्य जन्तु पाए जाते हैं अरबों-खरबों की सम्पत्ति पर राज्य पर्यावरण की रक्षा में वन अधिनियम के तहत हाथ भी नहीं लगता। अत: उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को पर्याप्त ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।

उत्तराखंड में जिस तरह अभी गत वर्ष केदारनाथ में भयंकर त्रासदी हुई थी, देश के 24 राज्यों के 20 हजार से भी अधिक लोगों के गायब होने या हताहत होने की आशंका है और जिस तरह 1998 में मालदा की त्रासदी हो या 1991 में उत्तराकाशी-चमोली भूकम्प, भूस्खलन की घटनाएं हों, दिल दहला देने वाली प्रलयंकारी आपदाएं आती हैं जो खेत-खलिहान को ही मटियामेट नहीं करती अपितु जनहानि और पशु हानि सवहि तमाम हानियों को भी बुरी तरह से बेदर्दी से कर जाती है। उत्तराखंड की हमेशा मांग रही है कि बादलों के फटने से ये त्रासदियां बढ़ जाती हैं अत: डॉप्लर रेडार पूरे उत्तराखंड में लगते हैं तो पांच घंटे पहले किसी भी बादल के उक्त स्थान पर फटने की पूर्व में सूचना से हजारों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। अत: मैं वन पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस व्यवस्था को हर हाल में कर दें। मैं वन और पर्यावरण मंत्री जी को उत्तराखंड की जनता तथा हिमालय की जनता की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट को बढ़ाया है तथा सीमावर्ती क्षेत्र में 100 कि.मी. तक बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति से ही राज्य सरकारों को निर्माण कार्य करने की अनुमति दी है तथा वन प्रभावित इन राज्यों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तान्तरण का अधिकार राज्य स्तर पर ही करने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक कार्य है। इसकी मैं वन पर्यावरण मंत्री को बधाई देता हूं।

मैं यह भी आग्रह करता हूं कि वनों से आच्छादित इस क्षेत्र से अलग से योजना बनायी जाय ताकि वनों से प्रभावित या उन पर आश्रित लोग गांवों से पलायन न करें। वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत भी जो गांव बुरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किया जाए और पहले लोगों को पुनर्वास कर किसी भी योजना को लागू किया जाए। पहाड़ों पर आपदा-भूकम्प, भूस्खलन और हरिद्वार जैसे जिले में जहां गंगा के बढ़ते पानी या टिहरी सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से दर्जनों गांव डूब जाते हैं। खेत-खलिहान ध्वस्त हो जाते हैं, किसान की खेती नष्ट हो जाती है। उसको तत्काल प्रभाव से योजना बनायी जाये और हरिद्वार के इन समस्त गांवों के लोगों को राहत प्रदान की जाए।

वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को एक बार इतने सुधार और प्रभावशाली बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं तथा इस बजट का समर्थन करता हूं।

*** श्री कमल भान सिंह मराबी** (सरगुजा) : सरगुजा संसदीय क्षेत्र का विस्तार सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में आता है। पूरा संसदीय क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र भी हाथियों की समस्या से ग्रसित है। समय-समय पर हाथी और मानव संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती रहती है और जानमाल की क्षति से ग्रामीण परेशान रहते हैं। इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्न विचार हैं जिन पर मंथन करने की आवश्यकता है।

सरगुजा क्षेत्र में सामान्यत: धान व मक्का की खेती होती है। साथ-साथ केला एवं महुआ भी लगाया जाता है। यही हाथियों के प्रिय खाद्य हैं जिसको खाने के लिए हाथी गांव की तरफ आता है तथा भारी माल एवं फसल को हानि पहुंचाता है। फसल के मौसम के बाद जब धान, मक्का घरों में चला जाता है तब हाथी घरों को तोड़ते हैं तथा कभी-कभी इसी क्रम में वह जान हानि कर डालता है। अत: आवश्यकता है कि ग्रामीणों को ऐसी फसल बोने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे हाथी गांवों की तरफ आकर्षित न हों।

पूरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुत क्षेत्र है एवं यहां के गांवों, पारे, टोले में बंटे हुए हैं। गांवों में बिजली तो है पर वह मुख्य पारा में है तथा वन सीमा से लगे पारे टोले में विद्युत या तो है या तार के टूटने से हमेशा बाधित रहती है। यही टोले हाथियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं इसलिए आवश्यकता है कि बड़े पैमान पर सोलर लाइट एवं हाईमास्क लाइट इन टोलों में लगाई जाए। ताकि हाथी गांवों से दूर हों। हाथियों की प्रकृति रोशनी से दूर रहने की होती है। इन उपायों के अलावा यह भी विचार करने योग्य है कि ग्रामीणों को परंपरागत खेती के बजाए नई खेती के लिए प्रेरित किया जाए। अत: इन नवाचार के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन वन विभाग उद्यान विभाग एवं ऊर्जा विभाग की समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। इसी विभाग द्वारा नई फसलों की किट एवं उससे संबंधित सहायक सामग्री की किट का भी वितरण किया जाना होगा।

मेरे इन सुझावों को प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम सरगुजा जिले के कुछ गांवों में मॉडल के रूप में क्रियान्वित कर अध्ययन की आवश्यकता है तथा इसके परिणामों की प्राप्ति के उपरांत ऐसे विचार को पूरे संसदीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना उचित होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*** श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** (महाराजगंज) : माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वन पर्यावरण मंत्री जी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। पर्यावरण एक ऐसा संकट है जिससे पूरा देश ही नहीं सम्पूर्ण दुनिया ग्रसित है। आज पर्यावरण को नियंत्रित रखने के लिए जितने हमें प्रयास करने चाहिए, उतने हम नहीं कर पाते हैं। अंधाधुंध पेड़ कटाई भी पर्यावरण को कंट्रोल करने में बाधा बनती जा रही है। हमें जितने पौधे लगाने चाहिए, हम लगा नहीं पाते। हमें पौधे लगाने हेतु संकल्प लेने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके।

जल प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए घातक बनता जा रहा है। देश की पवित्र नदियां जैसे मां गंगा, यमुना, के साथ-साथ अन्य नदियां भी गंदगी का शिकार बनती जा रही हैं। शहरों के गंदे नाले नदियों में गिरते हैं। इतना ही नहीं, सड़े-गले कचरे, मृत जानवरों एंव मानव अवशेष का प्रवाह भी हम इन नदियों में डालते चले जा रहे हैं।

हमें गंगा, यमुना सरयु जैसे पवित्र नदियों को पवित्र रखने के लिए संकल्प लेना होगा और साथ ही जो कचड़ा नित्य प्रवाहित करते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो कठोर कानून भी बनाने से नहीं हिचकना चाहिए

ध्वनि प्रदूषण भी जन-जीवन के लिए बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजना। हमें इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है।

अपना जीवन बचाने के लिए वन एवं पर्यावरण की रक्षा करनी ही पड़ेगी।

*** श्रीमती संतोष अहलावत** (झुंझुनू) : आज वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सरकार के बजटीय अनुदान से पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर और संवेदनशील है और आज हम सभी को इन मुद्दों को लेकर गंभीर और संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के नियम से हम लोग चलते हैं न कि प्रकृति हमारे नियम से चलती है। अत: पर्यावरण के नियमों के विकास का हर स्तर पर पालन होना चाहिए। हमें भावुक होकर सिर्फ विकास के एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। यानि कि ऐसा न हो कि सिर्फ किसी भी हाल में विकास हो, कमजोर और गरीब तबके ऊपर उठें और पर्यावरण के पक्ष की अनदेखी कर दें। क्योंकि अगर पर्यावरण के पक्ष की अनदेखी कर दी जाएगी तो फिर पर्यावरण समस्या विकराल रूपधारण कर कमजोर और गरीब तबके को ज्यादा समस्याग्रस्त कर देगी। क्योंकि अंधाधुंध कटाई पर्यावरण को सबसे बड़ा आघात पहुंचा रही है। इमारती लकड़ी, ईंधन, कच्चा कोयला, पेड़ों की छाल के लिए पेड़ काटे तो जा रहे हैं मगर नए पेड़ लगाने में इच्छाशक्ति का अभाव दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जानवरों की खाल व अन्य हिस्सों की तस्करी के चलते जीवों को भी मारा जा रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूं। सबसे पहले मेरा सरकार से आग्रह है कि मनरेगा को नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकलचर से जोड़ा जाए। इसके जरिए मनरेगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन आज एक विश्वव्यापी समस्या है और हम सभी लोगों को इस समस्या से जूझने की तैयारी करनी है और दूसरे मनरेगा का इससे बड़ा उत्पादक उपयोग और क्या होगा?

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव मैं पेश करना चाहती हूं कि प्रत्येक गांव की महिलाओं का पंचायत प्रणाली के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह बने और उनको गांव की बंजर जमीन पर सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम पर अधिकार दिया जाए और उससे जो आमदनी हो उसका उपयोग महिलाओं द्वारा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च किया जाए। इससे महिला विकास पर्यावरण से संवेदनशील होगी।

जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पाद पर मिनिमम सपोर्ट प्राईस घोषित हो, जिससे कि उनको उचित मूल्य मिले और उनका शोषण न हो, दूसरे चूंकि उनके उत्पाद को ठेकेदार औने-पौने दामों में खरीदते हैं तो जनजातियों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ज्यादा वनोत्पाद का दोहन करते हैं ताकि उनको जीवनयापन भर की आमदनी प्राप्त हो सके।

मेरा चौथा सुझाव इनलैंड वाटरवे से संबंधित है। इसमें जो स्टीमर चलेंगे, वे ध्वनि प्रदूषण काफी ज्यादा फैलायेंगे। यह जलीय जीवों के पर्यावरण के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक है। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन, जो ध्वनि तरंगों के आधार पर गमन करती हैं एवं उनकी आपस की ध्वनि तरंगों में विघ्न उत्पन्न करने पर उनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

*** श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव) : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि देश में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज दुनिया के अंदर पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है और आज हमारे देश में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है और प्लास्टिक यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है और प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता है।

प्लास्टिक की वजह से हमारे देश में पर्यावरण बढ़ोत्तरी हो रही है। बहुत से जानवर अंजाने में इसी के सेवन से मृत्यु पा रहे हैं और आज वाहन के जरिए बहुत ही बढ़ रहे हैं। हमें ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पा रहा है। आज देश में पेड़ों के कटाव बहुत ही जोर से हो रहे हैं। इसलिए पेड़ ज्यादा-से-ज्यादा लगाए जाने चाहिएं और ईंधन डीजल-पेट्रोल के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अलावा गैस या अन्य ज्वलनशील ईंधन से गाड़ी चलायी गई तो प्रदूषण कम हो सकता है।

आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जंगल बचाना चाहिए। जब तक हम जंगल नहीं बचाएंगे और नए पेड़ नहीं लगाए तो हमारे लिए बहुत ही बड़े खतरे की बात है।

मैं माननीय मंत्री जी को मेरी ओर से सुझाव देना चाहता हूं। आज हमारे देश में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलने से बहुत सारे जीवों को बहुत से रोगों का शिकार बनना पड़ रहा है।

इसलिए सरकार से और हमारे मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी नदियों का प्रदूषण दूर होना चाहिए और प्लास्टिक जो बड़े पैमाने से इसका उपयोग हो रहा है, उस पर बंधन आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हर आदमी को कम से कम 5 पेड़ लगाना जरूरी हो और उसकी देखभाल भी होनी चाहिए।

*** श्री ओम बिरला** (कोटा) : आज वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मांगों के संबंध में सदन में चर्चा के दौरान वन एवं पर्यावरण संबंधी प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूं।

आज सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमारा देश अनेक देशों की तुलना में प्रदूषण का दंश झेल रहा है। जिसका मुख्य कारण हमारी वन नीति में आम जन की भागीदारी नहीं होने के कारण पर्यावरण के प्रति उपेक्षा पूर्ण भाव होना है।

इसके लिए निम्न प्रमुख बिन्दु व सुझाव विचारणीय हैं:

राज्य सरकार की वन भूमियों के प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नेट प्रेजेंट वेल्यू (एन.पी.वी.) और अन्य शर्तों के अनुसार केम्पा फंड में राशि जमा करवाई जाती है, जो कि केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि वन भूमि राज्य सरकार की है और प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन भी राज्य सरकार को ही करना होता है। इस राशि पर ब्याज भी केन्द्र सरकार को प्राप्त होता है। यह राशि प्रत्यावर्तन की शर्तों के पालन के लिए तथा वन एवं वन्यजीवों के विकास के लिए उपयोग में लायी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा केम्पा फंड से राशि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जाता है, जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रत्यावर्तन शर्तों का पालन भी समय पर नहीं होने के कारण विकास परियोजनाओं में विलम्ब होता है।

अत: केम्पा फंड को राज्य सरकारों के अधीन जाना चाहिए ताकि इसका समय पर उपयोग किया जा सके। इस संबंध में नीति निर्धारित कर सेन्ट्रल अम्पावर्ड कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाए। जैसे कि कोटा बाईपास परियोजना के लिए लगभग 38 करोड़ रुपया केम्पा फंड में वर्ष 2007-08 में जमा करा दिए गए थे, जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, इस राशि से सुरक्षा दीवार व अन्य कार्य करवाए जाने थे, सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। यदि समय पर यह काम हो जाता तो यह नौबत नहीं आती।

राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के माध्यम से परियोजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु गत वर्षों में इन विभागों के मॉडल परियोजना टिब्बा स्थिरीकरण कार्यों एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोकने के लिए या मरूस्थलीय क्षेत्र में सड़क एवं रेल आदि संसाधनों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी नहीं पाए जा रहे हैं। अत: वन विभाग के माध्यम से मरूस्थल के विस्तार को रोकने के लिए विशेष योजना (पैकेज) तैयार कर इसका वन विभाग के माध्यम से समग्र रूप से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

शहर एवं गांव से लगे वन क्षेत्रों में त्रुटिवश आबंटन एवं वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को समय पर नहीं रोकने के कारण बस्ती बस गयी है। ऐसी बस्ती के निवासियों को कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए निवास करना पड़ रहा है। वन संरक्षण नियम 1980 के प्रावधानों के कारण उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, गंदे पानी की निकासी हेतु नाले, सड़कें आदि से वंचित रहना पड़ रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से हाड़ौती के वन क्षेत्र में 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी अनेक बस्तियां हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं:

(अ) कोटा जिले की अनन्तपुरा, बरड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती, तालाब गांवा, आंवली, रोझड़ी एवं रामगंजमंडी क्षेत्र इत्यादि की अनेक बस्तियां। अत: इन बस्तियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि वहां पर बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं दी जा सकें।

(ब) वन्य जीव क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सड़क मार्ग एवं बस्तियों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

(1) बूंदी शहर की लगभग 50 हजार की आबादी 1765 बीघा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र में बसी हुई है। इस क्षेत्र को 1982 में अभयारण्य में सम्मिलित किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि ये बस्तियां इससे पूर्ण की बसी हुई हैं। इसको अभयारण्य क्षेत्रों से मुक्त किया जाना अति आवश्यक है।

(2) चित्तौड़ जिले के भैसोड़गढ़ अभयारण्य में रावतभाटा क्षेत्र के सम्मिलित कई गांव जो अभ्यारण्य बनने के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 1975 के पूर्व से ही बसे हुए हैं के अंतर्गत सड़कों की सुविधा, मरम्मत एवं रखरखाव में परेशानी एवं रुकावट के संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर जिलास्तर पर उसके संधारण निर्माण हेतु आवश्यक निर्णय लिए जाने का अधिकार एवं प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(3) मुकंदरा नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजर रहे एन.एच. 12 के संधारण के अभाव में सड़कों पर गहरे गड्ढ़े हो जाने से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उक्त सड़क से गुजरने वाले वाहनों में भारी टूट-फूट होने एवं समय लगने के कारण आम जन में भारी रोष व्याप्त है। अतः ऐसी संधारण हेतु नीतिगत निर्णय लेकर जिलास्तर पर अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है।

इस क्रम में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व से मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के मध्य सुरक्षित कोरीडोर विकसित किए जाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए एन.टी.सी.ए. के पास उपलब्ध विशेषज्ञ सुविधा एवं वार्षिक कार्य योजना रुपए 945 लाख का अनुदान कर बजट उपलब्ध कराना चाहिए। मुकंदरा टाईगर रिजर्व में बस रहे करीब 16 गांवों को विस्थापन कर उपयुक्त स्थान पर बसाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना, उक्त क्षेत्र में कार्मिक प्रबंधन की दृष्टि से रिक्त चल रहे अधीनस्थ स्टॉफ के पदों का नियुक्ति कर भरा जाना अपेक्षित है।

झालावाड़ जिले में स्थित वानिकी शिक्षण संस्थान में स्नातकोत्तर कक्षाएं अनुसंधान एवं व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहित करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार कर लागू किया जाना चाहिए।

वर्तमान में वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है जिससे सरलीकरण किए जाने की नीति निर्धारित करना आवश्यक है। विकास कार्यों के लिए वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु गैर वन भूमि की तलाश कर, वन भूमि की एवज में वन विभाग को उपलब्ध कराने में काफी समय लगता है। इसके लिए प्रत्येक जिले में ऐसी गैर वन भूमि जो वन विभाग को दी जा सकती है को चयनित कर लैंड बैंक स्थापित होकर उसे सेट अपार्ट करना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान के वन भूमि प्रत्यावर्तन के अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। जिनमें प्रमुख वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य रुके हुए हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई भी नहीं हो पा रही है।

अनेक बड़े उद्योग पर्यावरण नियमों की उपेक्षा करते हुए अपशिष्टों का पूर्ण उपचार किए बिना सीधा ही विसर्जन करते हैं जिस कारण इन उद्योगों के आस-पास का ही नहीं अपितु काफी दूर तक के क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी विशेष नीति निर्धारित करना अति आवश्यक है।

जंतुआलय कोटा की मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 31.07.2014 तक प्रदान की गई है। उसकी ओर आगे विस्तारित दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इस ऐतिहासिक चिड़ियाघर को अभेड़ा बॉयलॉजिकल पार्क जो काफी विशाल क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है, के संबंध में मात्र ट्रेंचिंग ग्राउंड के निकट होने के कारण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है जिसकी कार्यवाही जारी है। इस संबंध में जिलास्तर पर गठित कमेटी द्वारा वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किए जाने हेतु भी प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में इस जंतुआलय को यथास्थिति में चालू रखा जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत वनों की आवश्यकता निर्धारित है जबकि राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मात्र 9.57 प्रतिशत भूभाग पर ही वन रखता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वन उगाने हेतु मरूस्थल एवं अरावली पर्वत श्रंखलाओं को देखते हुए विशेष एवं विशिष्ट योजना एवं पैकेज की आवश्यकता है। साथ ही पौधारोपण के लिए जनजागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से पौधारोपण महा-अभियान जन-भागीदारी से एवं सरकार के स्तर पर चलाया जाना चाहिए। लगाए गए पौधों की जीवित प्रतिशतता शत-प्रतिशत हो इसके लिए भी जनसहयोग से विशेष प्रयास किए जाने की नीति निर्धारित करना चाहिए। पौध संरक्षण करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार योजनाएं पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लागू की जानी चाहिए। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में जीवितता प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलती है, कई स्थानों पर तो यह प्रतिशतता 20 प्रतिशत तक भी नहीं होता। इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही एवं जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

बढ़ता प्रदूषण एवं घटते वन, राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, इस गंभीर विषय पर सदन को विशेष ध्यान देकर राष्ट्रीय वन नीति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

इसी के साथ वन और पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*** श्री गजानन कीर्तिकर** (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं अपने विचार पर्यावरण और वन मंत्रालय की बजट 2014-15 की अनुदानों की मांगों तथा उन पर मतदान के बारे में रख रहा हूं।

मैं मुम्बई से लोक सभा का सदस्य हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मुम्बई एक महानगर है जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है। इस शहर में विभिन्न अवसंरचनाओं के विकास तथा उसके स्वसंघकर विकास के लिए मुम्बई नगर निगम द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा त्वरित अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता है।

परियोजनाएं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है:

1. मुम्बई को पेय जल आपूर्ति हेतु दमनगंगा - पिजांल नदी सम्पर्क परियोजना का विकास

2. दिनांक 6 जनवरी, 2011 के तटीय विनियामक क्षेत्र अधिसूचना के आलोक में तटीय विनियामक क्षेत्र, वृहत्त मुम्बई के मुद्दे के संबंध में होटल ताज पैलेस मुम्बई के दिनांक 09.10.2013 को 10.00 बजे हई बैठक - संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

3. ग्राम-आमेड़ा, तालुका - बोड जिला - थाणे महाराष्ट्र में प्रस्तावित गराई परियोजना के ई आई ए अध्ययन हेतु विचारार्थ विषयों संबंधी आवेदन।

4. मुम्बई में (पश्चिमी उपनगरों के यातायात में राहत हेतु) तटीय वत्ती रहित सड़क मार्ग।

5. पांच स्थानों अर्थात् धरावी, वैतरना, पाइपलाइन एनसा पाइपलाइन, माहिम कौजवे तथा सी एस सी सड़क ने मिथी नदी के पुलों के चौड़ीकरण और पुनर्निमाण हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी।

6. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुम्बई में प्रस्तावित आंतरिक प्राणीउद्यान हेतु केन्द्रीय वन्यजीव विभाग से केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की मंजूरी।

7. सी आर जैड संबंधी मुद्दे : मुम्बई में क्षारीय भूमि।

मुम्बई का उत्तरी हिस्सा मलाड, बोरिबिली और दहीसागर तथा कुछ क्षेत्र थाने जिले के क्षेत्रों से मिलकर बना है। यहां मलिन बस्ती निवासी तथा आदिवासी प्राय: 40 वर्षों से रहते आए हैं।

मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मलिन बस्ती में रहने वालों का व्यवस्थापन का प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के स्वकीय विचाराधीन रहा है और इस पर ठोस कदम पहले ही उठा लिए गए हैं।

मैंने माननीय पर्यावरण और वन मंत्री को 9 जून, 2014 को उन लोगों के लिए अस्थायी आवास स्थल तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए लिखा है जिनका कि व्यवस्थापन अभी तक नहीं हो पाया है। यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक उनको पूरी तरह से व्यवस्थापित नहीं किया जाता है।

इस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय का अत्यावश्यक ध्यान और निर्णय की आवश्यकता है।

मुझे अपना भाषण सभा पटल पर रखने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

*** श्री अशोक महादेवराय नेते** (गड़चिरोली-चिमुर) : 2014-15 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए और समर्थन देते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र में, जो देश का सबसे पिछड़ा, घना, आदिवासी बहुल, उद्योग विहीन और नक्सल प्रभावित गड़चिरौली जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

गड़चिरोली जिले में 80 प्रतिशत फॉरेस्ट हैं और 20 प्रतिशत खेती है। 80 प्रतिशत जंगल रहने से और 1980 का वन कानून लगने से जिले के बड़ी-बड़ी मंजूरी सिंचन परियोजनाएं रद्द हो गई। जैसे कि तुलतुली, कारवापा, चेन्ना, डुरकॉन गुड्डा और कुछ उपसा सिंचन परियोजनाएं भी शामिल हैं। कुल 20 से 22 परियोजनाएं हैं जो पहले मंजूर हो चुकी थी। निधि मंजूर होकर कुछ काम भी शुरू हो गया था लेकिन जिले के वन विभाग ने 1980 के वन कानून का आधार लेकर और इन सभी मंजूर सिंचन परियोजनाओं को गलत तरीके से रिर्पोटिंग किया। बड़े पेड़ों की घनता ज्यादा दिखाई देने जिससे राज्य शासन ने भी केन्द्र सरकार को इसी तरीके की रिपोर्ट भेजी, जिससे केन्द्र सरकार ने सारी परियोजनाएं रद्द कर दी। तब से जिले के किसान सिंचन के पानी से वंचित हैं।

यहां का किसान पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर है। जिले में नदियों और नालों की संख्या काफी अधिक है। लेकिन उस पर सिंचनों के साधन बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जो सिंचन परियोजनाएं 1980 के वन कानून के तहत रद्द हो गई थी, उन सभी परियोजनाओं को इस कानून में शिथिलता प्रदान कर शुरू करने का कष्ट करें। इससे जिले के किसानों को लाभ होगा और उनकी क्रयशक्ति भी बढ़ेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरे संसदीय क्षेत्र के गड़चिरोली जिले में मार्कण्डा देव, चपराला नेलगुंडा, टिप्पागड़, वैरागढ़, चंद्रपुर जिले में गोमुख (तलोधी), घोड़ाझरी तहसील नागभीड़, रामदेगी तहसील चिमूर और गोंदिया जिले में कचारगढ़ तहसील सालेकसा, मांडवदेवी तहसील आमगांव आदि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं लेकिन इन सभी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। इन स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सभी ऐतिहासिक तथा धार्मिक और पर्यटन स्थलों को मंजूरी देकर यथाशीघ्र निधि की उपलब्धता कर, विकास करना बहुत जरूरी है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जंगल होने के बावजूद और खनिज जैसे कि डोलोमाइट, ग्रेनाइट, हीरा, पन्ना, सोना, मैगनीज, लौहा प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद वन तथा खनिज पदार्थों पर निर्भर है। उद्योग नहीं हैं। इसलिए शासन ने मेरे संसदीय क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करके वनों पर आधारित उद्योग आदि शुरू किए तो जिले में युवकों को रोजगार मिलेगा। युवा वर्ग को रोजगार मिलने से वे असामाजिक संगठनों में शामिल नहीं होंगे और गलत प्रवृत्ति की ओर ध्यान नहीं जाएगा। इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

अत:, मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर जंगलों में जो बड़ी मात्रा में वन उपज और खनिज है उन पर आधारित उद्योगों को मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें। ऐसी मेरी अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडे़कर) : सभापति जी, मैं बहुत खुश हूं कि 26 लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे बहुत खुशी है कि एक सार्थक चर्चा हुई। एंटोनी, हमारे नये मेंबर, डा. संजय जायसवाल, श्री पी.आर. सेनथिलनाथन, हमारे बहुत मार्गदर्शक प्रो. सौगत राय, पिनाकी मिश्रा, श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री एम. मुरली मोहन, श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री एस.पी. मुद्दहनुमे गौड़ा, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, धर्म वीर गांधी, दुष्यंत चौटाला, सुमेधानन्द, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्रीमती आर. वनरोजा, अश्विनी चौबे, कौशलेन्द्र कुमार, देवगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री, विजय कुमार हांसदाक, पी.डी. राय, जयदेवन जी, सबका मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि हर एक ने कुछ न कुछ अच्छा सुझाव दिया है। मैंने उन सुझावों को नोट किया है। यह नोट मैं यहां रखकर नहीं जाऊंगा, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी बैठे हैं, हर एक पर कार्रवाई होगी और आपको सूचित किया जायेगा। यह दूसरे ही कारण से एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया है। हम ब्लेम गेम में भी कभी नहीं जाते हैं। पिछले 50 दिन में आपने देखा होगा कि हम इसमें नहीं गये, लेकिन किसी को ऐसी विरासत न मिले, ऐसी मुझे मिली है। एक ने गो, नो गो एरिया किया, तो नो गो इतना हो गया कि कहां जायें, यह पता नहीं चल रहा था। इसका यहां कुछ मेंबर्स ने उल्लेख किया। किसी के यहां घर में ही सैंकड़ों फाइलें रहीं, किसी टैक्स की चर्चा हुई, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : बोल रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ बोल रहे हैं, यह अच्छा है। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ...(व्यवधान) आप सेन्ट्रल हॉल में चलिए मैं आपके पास आता हूं। हमारे पास 25-30 मेम्बर्स सब तरफ से दौड़ कर आते हैं कि यह एनवायरमेंट से संबंधित है, हमारे यहां का रास्ता अटक गया है, एक रेल की परियोजना अटक गई है। केवल मेम्बर्स ही नहीं बल्कि देश के सारे उद्योगपति, देश के सो एनजीओज, देश के सारे मुख्य मंत्री और केन्द्र के सभी मंत्री चाहते हैं कि एनवायरमेंट से संबंधित जो बहुत सारे मसले लंबित हैं, उनका कोई रास्ता निकालिए। यह बड़ा सुखद चित्रण नहीं है। मेरी यह कल्पना कभी नहीं थी। हमने लाइसेंस राज, परमिट कोटा खत्म किया है, उस परमिट कोटा को वापस लाने की एक कोशिश हुई, जो ठीक नहीं है। इसे लोग रोड़ ब्लॉक मिनिस्ट्री समझने लगे हैं, इसलिए हमने क्या सोचा है और क्या किया है? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं।

हम जानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। हम विकास का एजेंडा और पर्यावरण रक्षा का झंडा ले कर जाएंगे। विनाश किए बगैर विकास दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि भारतीय जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले से निहित है। बहुत सारे मेम्बर्स ने कहा है कि जिस प्रकार की भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय इथॉस है, वह इंडियन इथॉस, सिविलाइजैशन यह बताती है कि हम प्रकृति के साथ रहते हैं। व्यष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, यह एक चक्र बना। एक व्यक्ति है। उसका परिवार है। वह समाज में रहता है। समाज है, कम्युनिटी है और उसके साथ-साथ निसर्ग है, प्रकृति है, नेचर है, उसको संवारना है।

मैं यह मानता हूं कि पर्यावरण की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक यह जनआंदोलन में तब्दील नहीं होगा। इसलिए जनआंदोलन में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप को याद होगा कि हम 5 तारीख को नए-नए आए थे। वह पर्यावरण का दिन था। मैंने सभी मेम्बर्स को एक-एक पौधा भेंट किया, क्योंकि इसी से हमें जुड़े रहना है। इसको जनआंदोलन में तब्दील करना है। सौगत राय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तुरंत मुझे पत्र लिखा कि हम यह आंदोलन करने के लिए तैयार

हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए कोई योजना भी बना दे, तो यह भी विचार है।

कुछ लोगों ने बजट के बारे में कहा है कि इसके लिए थोड़े पैसे कम हुए हैं। इसके लिए पैसे कम नहीं हुए हैं। इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। हमें इसे समझना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान और गंगा क्लीनिक प्रोजेक्ट के लिए उमा भारती जी के नेतृत्व में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीय को इससे जोड़ दिया गया है। इसलिए हमारे पास जो उसका हिस्सा, लगभग 535 करोड़ रुपए थे, जो पहले के बजट में पर्यावरण मंत्रालय के पास थे, वह वहां दिए गए थे। यह एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, इसे हमें समझना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार के 55 दिन हो गए हैं। तब तक हमने क्या किया है? इन 55 दिनों में हमने पहले तय किया है कि हम दोष नहीं देंगे। पहले हम काम करेंगे। हम क्या काम करेंगे? हम प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे। मैंने यह देखा है कि हर मसला कोर्ट में जाता है। पिनाकी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जब हमारे अधिकारी एन.जी.टी. के सामने जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे घबरा कर जाते हैं, शायद, वे घर पर भी बात कर जाते होंगे कि आज मैं कोर्ट जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि कोर्ट से वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, या मैं वहीं से जेल चला जाऊंगा। इस प्रकार का माहौल बन गया है। कोर्ट का डर क्यों होता है? हम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं, लेकिन कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ता है? जब आपके कानून साफ नहीं होंगे, आपकी नीति साफ नहीं होगी, नीति का पालन करने वाले रूल्स ठीक नहीं होंगे या आपकी प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होंगी तभी कोर्ट दखल देती है। इसके लिए नीति चाहिए और नीयत भी चाहिए। अगर ये पारदर्शी होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट या बाकी लोग भी निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों को सराहेंगे। उसमें दखल नहीं देंगे। इसलिए हमने इसे करने के बारे में सोचा। हमने पहला काम इनवायरमेंट क्लीयरेंस का किया। कितनी बार कोई ऑफिस में चक्कर लगाए।

[अनुवाद]

हमने दिनांक 1 जून से मान्य पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस के आवेदनों को आनलाइन भेजने की व्यवस्था कर दी है।

[हिन्दी]

उसके बाद 1 जुलाई से वह व्यवस्था कायम हो गई।

[अनुवाद]

अब पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस का आवेदन केवल ऑनलाइन ही देना है।

[हिन्दी]

अब आने की जरूरत नहीं है। अब जाएंगे तो स्टेजवाइज कि फाइल कहा है, फाइल की मूवमेंट कैसी है, कहां क्या हुआ, कहीं अटक गई, इसे व्यक्ति देख सकेगा क्योंकि उसकी एक स्पैशल आईडी तैयार हो गई है। हमने इनवायरमेंट क्लीयरेंस के समय निर्णय लिया कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस का भी करेंगे। मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की आन लाइन प्रक्रिया पिछले सप्ताह शुरू हो गई है और 15 अगस्त से केवल आन लाइन ही चलेगी, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यह पारदर्शी प्रक्रिया है। ...*(व्यवधान)*

मैं सौगत जी के साथ डिफैंस कमेटी में था। हमारी मीटिंग में ऐसे मामले लगातार आते थे। डिफैंस के बहुत से मामले पर्यावरण की परमीशन के लिए लंबित पड़े हैं। इसलिए हमने सोचा कि देश की रक्षा होगी तो पर्यावरण बचेगा, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा नहीं तो क्या बचेगा। देश को बचाना जरूर है। हम दोनों चीन की सीमा पर गए थे। उनकी रोड ब्लैकटॉप है और हमारे बार्डर रोड की हालत खस्ता है। जाने तक क्या-क्या हालत होती है। इसलिए उनके पर्यावरण का विनाश नहीं होता तो हमारा क्यों होगा। उसके लिए पर्यावरण की रक्षा करेंगे। कम्पल्सरी एफॉरेस्टेशन करेंगे। लेकिन बार्डर रोड्स क्लीयर होने चाहिए। अगर 5 एकड़ की भी फॉरेस्ट क्लीयरेंस चाहिए तो उस फाइल को दिल्ली के मंत्रालय में आने की क्या जरूरत है। हमारी सेना पर हमें भरोसा नहीं है। वहां के लोकल लोगों के साथ भरोसा नहीं है। क्या वहां कलैक्टर और डीएम व्यवस्था पूरी समाप्त हो गयी है? यह उनका काम है। वहां वे देखेंगे, करेंगे। ...*(व्यवधान)* हमने तय किया और 6 हजार किलोमीटर की बार्डर रोड्स की पूरी क्लीयरेंस दे दी। यह नैशनल इंटरस्ट में किया। ...*(व्यवधान)*

हमारा एक नया कॉर्प तैयार हो रहा है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : आप पर्यावरण मंत्री हैं ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : श्री प्रेमचन्द्रन, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : इस तरह माननीय मंत्री की बात सुनना

दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ...*(व्यवधान)* आप पर्यावरण के बारे में चिंतित नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हम एक लाख सेना का एक नया कॉर्प तैयार कर रहे हैं। सेना आएगी, उनके घर बनेंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, फायरिंग रेंज बनेगी, एमुनिशन डिपो बनेगें। देश की रक्षा करेंगे। बर्फ में जाएंगे। उनके आर्मी स्टेशन की फाइल भी केन्द्रीय मंत्रालय में क्यों आनी चाहिए। वह यहां नहीं आनी चाहिए। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सौ किलोमीटर के बीच ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : मंत्रालय की क्या भूमिका है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : डिफेंस स्ट्रैटीजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अब जनरल एप्रूवल में आ गए हैं और उनकी प्रक्रिया एकदम सरल हो गई है। ...*(व्यवधान)* अब मैं जहां भी जाता हूं, मुझे सेना के लोग मिलते हैं तो गदगद होते हैं।

कारवार कर्नाटक में एक बंदरगाह है। अपने पश्चिम किनारे पर नौ सेना की एक योजना थी कि कारवार में एक हब बने जहां पनडुब्बियां रहेंगी, पचास युद्ध नौकाएं रहेंगी, जहां विक्रमादित्य जो नया कैरियर आया है, वह रहेगा। वहां एक कॉलोनी बनेगी। 10 हजार नौ सैनिक रहेंगे, 20 हजार सिविलियन रहेंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्ट्रैटीजिक इम्पॉर्टेंस कितनी है कि मुम्बई में सारा नौ सेना का था। वे पश्चिम किनारे पर दूसरा क्षेत्र चाहते थे। वह हो गया। इसकी परमीशन में अगर तीन साल लगते, तो बहुत दुख होता। मैंने तीन घंटे चर्चा की और तीन मिनट में दे दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : सभापति महोदय, बहुत सारे मैम्बर्स ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन, रेल रोड जंगल से जाती है, तो क्या स्थिति होती है? एक विन मील बैठानी है, तो विन मील जाने के रास्ते में जंगल का एक छोटा पैच है, उसमें एक पोल लगानी है, लेकिन उस पोल को परमिशन नहीं मिली और 17 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। अब यह कैसे चलेगा? हमने तय किया कि ट्रांसमिशन लाइन्स, पहले नियम था कि 220 केवी तक की लाइनों के लिए जनरल एप्रूवल रहेगा। लेकिन हमने तय किया कि 220 केवी क्या, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गयी, 1200 केवी का है, आगे 2000 केवी के भी आयेगी। जो भी नयी केवी क्षमता वाली लाइनें आयेंगे, वे लाइनें डालने से उलटा एरिया बचेगा। ...*(व्यवधान)* फॉरेस्ट का निवाश नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ट्रांसमिशन टावर्स आयेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : आप पर्यावरण और वन मंत्री हैं परन्तु आप अपने मंत्रालय के विरुद्ध बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : एग्रीड, जनरल एप्रूवल में जायेंगे। ...*(व्यवधान)* हमने यह नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी टिप्पणी नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : सभी राज्यों के साथ हमने मीटिंग की। ...*(व्यवधान)* मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को फोन किया। महाराष्ट्र के सौ अधिकारी, मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के साथ मैंने पहली मीटिंग की। वहां के प्रॉब्लम्स लिये। मैंने हर राज्य के प्रॉब्लम्स लिये। ऐसा नहीं है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है और हमने जंगल, पर्यावरण रक्षण का निर्णय लिया।

जैसे अभी उल्लेख हुआ कि महाराष्ट्र में टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़ी है। वहां प्रोजेक्ट टाइगर सफल रहा। सुप्रिया जी ने कहा कि कुछ अच्छे काम भी हुए। हम कभी यह नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ। जो भी अच्छा है, वह चलायेंगे और जो अच्छा नहीं है, वह समाप्त करेंगे, यही हमारी नीति है। इसलिए वहां टाइगर के लिए नये बोर की नैशनल सेंचुरी भी दी है। इन्वायरमेंट के ये प्रोजैक्ट्स भी चलेंगे। लेकिन कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के बारे में सब मैम्बर्स ने उल्लेख किया। गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट से सात राज्य प्रभावित हैं। इको सेंसटिव जोन उभरा है। अब इको सेंसटिव जोन की प्रॉब्लम यह है कि घर की रिपेयरिंग के लिए छोटा पत्थर निकालना भी अब एलाऊड नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम यह आती है कि जो 7 रुपये की चीज है, वह 34 रुपये क्यूबिक फुट के भाव से मिल रही है। अगर यह हो रहा है और इल्लीगल ट्रेड होता है, जो पत्थर चाहिए,

वह मिलता है, लेकिन सरकार के खजाने में जो आना चाहिए, वह नहीं मिलता है। यह कैसे चलेगा? इसलिए हमने यह किया। यह स्टडी सेटेलाइट इमेज से बनी थी। दोनो विद्वान हैं, अच्छे हैं हमारे वैज्ञानिक हैं। हम उनका आदर करते हैं। लेकिन वहां ग्राउंड ट्रूथिंग करने की जरूरत है। केरल सरकार ने रिक्वैस्ट की। हम यह नहीं देखते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार है। जिन्होंने भी रिक्वैस्ट किया, ग्राउंड ट्रूथिंग के बारे में हमने सात राज्यों को कहा। उसका परिणाम यह हुआ कि अभी ग्राउंड ट्रूथिंग चल रही है कि सचमुच क्या होने वाला है? वह प्रत्यक्ष देखेंगे, उसके बाद जरूरत लगी तो वहां की पंचायत या आप जैसे जन-प्रतिनिधि सबसे विचार किये बिना निर्णय नहीं होगा। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं।

दूसरा, अभी पंजाब के मुख्य मंत्री बादल साहब मेरे पास आये। आप देखें कि क्या इश्यू है और कैसी प्रक्रियाएं बदलनी पड़ती हैं? उनको 26 सेंड माइन को नीलाम करना है। अब माइन्स के लिए नीलामी से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। हम सब चाहेंगे कि नीलामी होनी चाहिए। इससे ज्यादा पारदर्शी कुछ नहीं है, लेकिन कहा गया कि नीलामी के लिए बिडर्स नहीं आ रहे? बिडर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्वायरमेंट क्लीयरेंस जब तक हाथ में नहीं है, तब तक उनको भरोसा नहीं है कि इन्वायरमेंट क्लीयरेंस बाद में मिलेगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय मंत्री एक मिनट रुकिये। माननीय सदस्यों अब छह बजे हैं। यदि सभा समाप्त होती है तो सभा के समय को एक घंटे तक बढ़ाया जायेगा। माननीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् हम 'शून्यकाल' लेंगे। इसलिए, यदि सभा सहमत होती है तो हम एक घंटे तक समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री प्रकाश जावडेकर : महोदय, मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जंगल का कवर बढ़ा है और आने वाले पांच सालों में ज्यादा बढ़ेगा, हम 33 प्रतिशत की दिशा में जायेंगे। हम यह कार्यक्रम करके दिखाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं कठिनाइयों के बारे में कह रहा था। किस प्रकार से उन कठिनाइयों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री नीलामी के इच्छुक थे परन्तु बोली लगाने वाला कोई नहीं था क्योंकि वे पर्यावरणीय संबंधी क्लीयरेंस के बारे में आश्वस्त नहीं थे। हमारी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री तथा उनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। क्या आप जानते हैं कि मुद्दा क्या था? विभाग पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस जारी नहीं कर सकता है जब तक की स्वामित्व का निर्णय नहीं होता है तथा स्वामित्व का तब तक निर्णय नहीं होगा जब तक नीलामी नहीं होती है। काम को करने का सबसे अच्छा तरीका नीलामी है। तब इसका तरीका क्या है? हमने पूछा कि क्या हमने पर्यावरणीय संबंधी क्लीयरेंस दे दी है। पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस हो गई थी। मैंने उनसे इस आशय का पत्र देने के लिए कहा ताकि वे आश्वस्त हो सके तथा तब चीजें सही दिशा में बढ़ें। अब माननीय मुख्यमंत्री ने इन सब बातों को देखते हुए मुझे भी एक पत्र लिखा है। अतः हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाये बिना प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सर, फारेस्ट है, लेकिन डिग्रेडेड है। यह वन-थर्ड है। उस डिग्रेडेड फारेस्ट को हराभरा जंगल बनाने की योजना पर हमने विचार करना शुरू किया है। हम प्लान करेंगे और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को भी अच्छा करेंगे। यह हमारा प्रण है। ...*(व्यवधान)* अब बायोमास पावर प्लांट है। इससे ज्यादा क्लीनर एनर्जी क्या होगी? पहले ऐसा था कि यदि बायोमास प्लांट का 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो यहां परमिशन के लिए आना पड़ता। मैंने कहा - क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

बायोमास प्लांट एक अच्छा प्लांट है जो एक सबसे अच्छी क्लीनिंग एजेंसी है।

[हिन्दी]

जितना भी तय किया जाएगा, जो भी संभव होगा, वह करें। परमिशन के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लोकल लेवल पर ही परमिशन मिलेगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इसे मैं अलग से लिखित रूप में भी बताऊंगा।

सर, जहां माओवाद का खतरा है, आये दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान मरते हैं। सड़क पर बम लगाकर काफिले को उड़ा देते हैं। ऐसे में रोड का चौड़ीकरण संभव नहीं था। हमने कहा - लेफ्ट विंग एक्ट्रिमिज्म के संबंध में, केवल सड़कों के लिए, प्राइवेट कुछ नहीं, सड़कों के लिए यदि वाइडनिंग करना है तो वह वाइडनिंग जनरल अप्रूवल में होगा। इसमें क्या गलत है?

[अनुवाद]

यही प्रगति का तरीका है।

[हिन्दी]

एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने कहा कि फारेस्टेशन होनी चाहिए। लेकिन कैंपा का तैंतीस हजार करोड़ रुपए केन्द्र के पास पड़ा है। क्योंकि मसले कोर्ट में गये । कोर्ट ने कहा - इसे इतना रखो, इतना फिर इंट्रेस्ट देना है, यह सब हुआ। लेकिन हम उनको क्या करने वाले हैं, सुनिए! एक नेशनल अथारिटी अंडर ईपी एक्ट है। प्रत्येक राज्य को हम एक अथारिटी बनाने के लिए कह रहे हैं। 35 हजार करोड़ रुपए का जो कैंपा फंड है, उसमें से 90 प्रतिशत जल्दी से जल्दी राज्यों को मिले, इसके लिए हमारी योजना तैयार हो रही है।

[अनुवाद]

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कैंपा निधि उन्हीं राज्यों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

[हिन्दी]

इसका जो रीयल हकदार है, उनको मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमने कुछ काम किये हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाये हैं, कुछ निर्णय लिये हैं।

जैसा कि अभी मैंने कहा और अंत में यही कहूंगा, आखिर में मैं यही कहूंगा कि वर्ल्ड हैरिटेज साइट की बात आई, ग्रेट हिमालयन इनिशिएटिव है, जिसकी पी.डी. राय जी ने अभी चर्चा की, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय यंग माउंटन है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हरेक सदस्य ने जो सुझाव दिए उनमें एनिमल-मैन कांफ्लिक्ट का मुद्दा बहुत बार आया है। यह सच है और उसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मुझे अधिकारियों ने बताया कि उनको हम कंपेसेशन देते हैं। जान जाने का कोई कंपेनसेशन नहीं होता, प्राणियों का भी रक्षण होना चाहिए, लेकिन मनुष्य भी प्राणी है, उसका भी रक्षण होना चाहिए। इसलिए एनिमल-मैन कांफ्लिक्ट न हो, जंगल न उजड़ें। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री गीते जी ने कहा कि फॉरेस्ट में इल्लीगल ट्री कटिंग होती है, थोड़ा ऑफिशियल होती है, ज्यादा अनऑफिशियल होती है और उसमें एक वेस्टेड इंट्रेस्ट्स का रैकेट बन गया है। हम तोड़ेंगे ऐसे रैकेट्स को और उन पर कार्रवाई करेंगे, जो इल्लीगल ट्री कटिंग होती है, उसे नहीं चलने देंगे। इसलिए बहुत सारे सुझाव आए हैं, मैंने सब नोट किए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : तार लगाने के बारे में बताइए।

श्री प्रकाश जावडेकर : तार लगाने का आपका जो सुझाव है, उसके भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, उसके भले-बुरे परिणाम आए हैं, लेकिन एक सुनिश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की जाए कि प्राणियों की भी रक्षा हो और मनुष्य की फसलों का नुकसान न हो।

ईको सेंसिटिव जोन के प्रोजेक्ट्स कितने दिन पेंडिंग रहें, हमने यह कहा है कि ईको सेंसिटिव जोन कितने हों, यह राज्यों को तय करना है। हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। अगर राज्यों ने कोआर्डिनेट्स वगैरह ठीक करके दिए हैं, अगर वे नियम में ठीक बैठते हैं, तो हम उनको मान्यता देंगे। परसों हमने सिक्किम से काम शुरू किया और उनके ईको सेंसिटिव जोन के जो सात प्रोजेक्ट्स थे, सब को मंजूर कर लिया। परसों चामलिंग साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई। मुझे यह लगता है कि एक नई सोच के आधार पर पर्यावरण की रक्षा और विकास, दोनों का समन्वय साधते हुए हम आगे जाएंगे, प्रक्रिया को सीधा करेंगे, नीतियां बनाएंगे, कानून में अगर जरूरत हो, तो उस पर विचार करेंगे और सबका साथ लेकर, एक जनांदोलन के रूप में पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कर सकेंगे, यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मैं स्पष्टीकरण हेतु प्रत्येक दल से एक सदस्य को मौका दूंगा।

श्री गौरव गोगोई (कालियाबोर) : माननीय सभापति महोदय मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हम माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के उनके विस्तृत तथा व्यापक उत्तर हेतु आभारी हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में निरीक्षण एवं नियंत्रण का होना हमेशा ही अच्छा होता है। पर्यावराण और वन मंत्रालय तथा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के बीच निरीक्षण और नियंत्रण अपेक्षित है। शायद यह संभव है कि पहले के मामलों में बहुत जल्दी जल्दी निरीक्षण हुए थे ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप मुद्दे पर आइये। आप भाषण नहीं दीजिए। आपको स्पष्टीकरण चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गौरव गोगोई : परन्तु इस मंत्रालय में हम यह देख रहे हैं कि उद्योग तथा परियोजना क्लीयरेंस पर ही पूरा जोर दिया जा रहा है। परन्तु वन्य जीवन के संरक्षक का कोई उल्लेख नहीं है। अनधिकार-प्रवेश करने में वृद्धि हुई है। अनधिकार-प्रवेश न करने के संबंध में कोई उपाय नहीं किये गये हैं। मेरे अपने राज्य में गैण्डे का शिकार किया जा रहा है। अनधिकार-प्रवेश करने में कमी लाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे? इस बजट में यह केवल परियोजनाओं के बारे में है।

...(व्यवधान) अन्य जातियों जिन पर खतरा मंडरा रहा है के बारे में क्या जानकारी है? मंत्रालय इस संबंध में क्या करेगा?

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : मैं आपका यह स्पष्टीकरण लेने के लिए मुझे अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। मेरे विचार से मेघालय से कोई सदस्य इस संबंध में मुझसे जुडेंगे। यह मेघालय में हजारों जनजातियों की आजीविका से संबंधित है जो शैट-होल खनन में लगे हुए तथा जो विगत 200 वर्षों से कोयला के लिए उनके पीछे से आंगन में खनन करने में लगे हुए हैं। अब एन जी टी द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। मेघालय में हजारों लोग इसके परिणामस्वरूप कठिनाई का सामना कर रहे हैं। मैं उस मामले में भी हूं। यह मामला 1 अगस्त को सामने आयेगा। एन जी टी पर्यावरण और वन मंत्रालय से बार-बार इस मामले में उनके विचार जानने को कह रहा हूं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कोई सुझाव नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग) : यह व्यवस्था का प्रश्न है। वह इस मामले में पक्षकार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्रा : कृपया इसे बंद कीजिए ...*(व्यवधान)* मैं जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ कि वह अडिशनल सालिसिटर जनरल भेजे ताकि पर्यावरण और वन मंत्रालय की भूमिका स्पष्ट हो सके। दूसरे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ...*(व्यवधान)*

दूसरे नम्बर पर उच्चतम न्यायालय ने लाफाराज फैसले में ... *(व्यवधान)* कृपया महोदय इस तरह सभा में व्यवहार नहीं कीजिए।*

माननीय सभापति : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्रा : ठीक है, मैं इसे वापिस लेता हूं ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैंने उस टिप्पणी को कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्रा : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दीजिए किसी भी तरह ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैंने कहा कि मैंने उस शब्द को निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृंतात में सम्मिलत नहीं किया जाएगा।

श्री पिनाकी मिश्रा : लाफाराज जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि पर्यावरण विनियामक प्राधिकरण को स्थापित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री कृपया हमें यह बतायें कि पर्यावरण विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जायेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मैंने पहले ही यह कह दिया कि उन्होंने जो कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसे निकाल दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : महोदय, यह उचित नहीं है। उन्हें माफी मांगने दीजिए ...*(व्यवधान)* यह एक गलत उदाहरण है जिसे हम सभा में स्थापित कर रहे हैं। वह किस प्रकार से हमारे एक सहयोगी को ऐसा कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)* महोदय, आप किस प्रकार से इसकी अनुमति दे सकते हैं?

श्री पिनाकी मिश्रा : मुझे उत्तर देने दीजिए। सुबह यदि आप वहां पर होते तो ...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं अध्यक्षपीठ से पूछ रहा हूँ तथा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया आप सभी बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्रा : महोदय, मुझे उत्तर देने दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, कृपया आप अपनी सीट पर बैठिये। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैंने पहले ही सभा को सूचित कर दिया है कि आपत्तिजनक टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दी गई है।

अब मैं प्रो. सौगत राय को बुलाता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, मंत्री महोदय ने काफी विस्तृत उत्तर दिया है, परन्तु उन्होंने दो-तीन मुद्दों पर कोई बात नहीं की है। उनमें से एक का उल्लेख मेरा कटौती प्रस्ताव में है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहन सर्वाधिक मात्रा में कार्बन-डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, चाहे दिल्ली में चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें हों, अथवा किसी अन्य शहर में चलने वाली बसें। क्या सरकार सार्वजनिक वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण करने पर विचार करेगी?

दूसरे, अपने भाषण में, मैंने औद्योगिक अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट, दोनों के कारण गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण का उल्लेख किया था। कुछ लोग गंगा जल की पवित्रता की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रूद्रप्रयाग और देवप्रयाग के मध्य गंगा सर्वाधिक प्रदूषित है तथा इसका स्रोत मानव अपशिष्ट से उत्पन्न कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। जब तक हम गंगा के किनारों से सभी अस्थाई शौचालयों, कच्चे शौचालयों को नहीं हटा देते और गंगा में मानव अपशिष्ट के छोड़े जाने पर रोक नहीं लगाते, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्या इस संबंध में मंत्री महोदय की कोई योजना है।

आखिर में, एक छोटा सा मुद्दा, जिसका मैंने उल्लेख किया है, उसे पिनाकी मिश्रा द्वारा अलग ढंग से उठाया गया था, वह यह है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा बहुल खनिज संपन्न तथा माओवाद ग्रसित क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्या है। ये जनजातीय क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आते हैं। वहां ग्राम सभाओं की अनुमति बिना कोई भी भूमि नहीं खरीद/बेच सकता है। वन अधिकार अधिनियम के लागू करने के संबंध में सरकार क्या काम कर रही है, ताकि चाहे बात पोस्को की हो या नियमगिरि की, अथवा कोई और, और अधिक विकास संबंधी हमारे प्रयासों के कारण जनजातियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो।

माननीय सभापति : अब श्री प्रेमचन्द्रन।

मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और लंबे चौड़े भाषण न दें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मेरा सिर्फ एक विशिष्ट प्रश्न है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नामक दो प्रमुख अधिनियम भारतीय संसदीय विधानन में ऐतिहासिक विधान के रूप में जाने जाते हैं। माननीय मंत्री का उत्तर सुनते समय मैं आश्चर्यचकित था। सामान्यत: पर्यावरण मंत्री पर्यावरण संरक्षक, पारिस्थितिकी संरक्षण तथा वन संरक्षण के समर्थन में बोलते हैं। लेकिन मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगभग सभी मुद्दों पर ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैं यहां नियंत्रण करने के लिए बैठा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जंगल से होकर जाने वाली 220 केवी क्षमता की लाइन खड़ी करना तथा इतने सारे मानदंडो में ढील देना। ..*(व्यवधान)*

संप्रग सरकार के विरुद्ध उनका यह आरोप था कि समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। मुख्य प्रश्न, अर्थात् पर्यावरण की सुरक्षा भले ही थोड़ी कठिन है, लेकिन समय की यही मांग है। प्रक्रिया में ढील दिये जाने और इसे सरल बनाये जाने को लेकर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण की मूल भावना ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम में भी ढील देने जा रही है, क्योंकि भाषण को देखकर तो यही लगता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी से हम दो विषय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो पहाड़ और जंगलों में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उनकी जिंदगी जंगल से ही चलती है। वहां वे न तो कुंआ खोद सकते हैं, न पानी निकाल सकते हैं, न नदी के किनारे जा सकते हैं, न जंगल से सूखा पत्ता तोड़ सकते हैं, न सूखी लकड़ी तोड़ सकते हैं। इस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन-सुरक्षाकर्मी उन्हें कहते हैं कि जुर्माना दो या जेल जाओ।

दूसरा, बालू के उत्खनन से परेशानी हो रही है क्योंकि नदियों में मिट्टी भरती जा रही है। बालू माफिया इस देश को और खासकर बिहार में बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी विकास में मुख्य भूमिका को किस तरह बढ़ाना है, उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री जितेन्द्र चौधरी - उपस्थित नहीं। श्री निशिकान्त दुबे।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, मुझे लगता है कि

हमारे मित्र प्रेमचन्द्रन साहब मंत्री जी की बात समझ नहीं पाये। माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि वे प्रोजैक्ट्स को सीधा क्लीयर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति जी, पहले भूमिका बनानी पड़ती है। मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं, केवल 10 परसेंट हमारे यहां इर्रिगेटेड लैंड है। हमारे यहां जो वाटर प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, वे 40-50 साल से लम्बित पड़े हैं ज़ोकि फॉरेस्ट क्लीयरेंस के नाम पर क्लीयर नहीं हो रहे हैं। उसमें यह कहा जाता है कि आप जितनी फॉरेस्ट लैंड लेंगे, उतनी फॉरेस्ट लैंड आपको रिटर्न में देनी पड़ेगी। अभी हमने अल्ट्रा मेगा-वावर प्लांट के लिए इस तरह के कंसेशन दिये हैं कि वह जमीन अगर एक्वायर हो जाएगी या फॉरेस्ट लैंड लेंगे, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या पूरे देश में जो वाटर के प्रोजेक्ट्स जो 40-50 सालों से फॉरेस्ट क्लीयरेंस के नाम पर नहीं बन रहे हैं और ख़ासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां केवल 10 परसेंट इर्रिगेटेड लैंड है, उसके लिए आपके पास कोई योजना है या आप उसे जनरल कंसेशन देने को तैयार हैं?

[अनुवाद]

डॉ. बूटा नरसैरया गौड़ (भोंगीर) : माननीय महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय को बधाई देने दीजिए।

माननीय सभापति : जी नहीं। यदि आप किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप सीधे सवाल पर आ सकते हैं।

डॉ. बूटा नरसैरया गौड़ : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा नियमों को सरल बनाने, जो पर्यावरण रक्षा हेतु जरूरी हैं, के लिए मुझे उनको बधाई देने का शिष्टाचार निभाने दीजिए, कठोर कानूनों से पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती।

मैं उनको बधाई देना चाहता हूं तथा इसके साथ ही मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पोलावरम परियोजना, जिसके चलते सात मंडल जलमग्न हो रहे हैं, की समीक्षा की जाए। इस क्षेत्र में काफी जैव विविधता है। आदिवासी समुदाय, जो वहां पिछले 5000 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें इस परियोजना की डिजाइन में मामूली नया सुधार करके बचाया जा सकता है। मेरा उनसे यह निवेदन है कि वे इस मामले में पहल करें, क्योंकि वे पर्यावरण और वन मंत्री है।

न तो हम विकास के विरुद्ध हैं और न ही हम पोलावरम परियोजना के विरुद्ध हैं। हमारी रुचि सिर्फ पोलावरम परियोजना के डिजाईन में बदलाव करने में है। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग सभी राज्यों के साथ बैठकर समस्या सुलझाने में करें, ताकि यह मुद्दा सुलझाया जा सके। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, हम जनजातियों को बचा सकते हैं। इसके साथ ही, हम जल का भी उपयोग कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नन्दयाल) : मुझे यह मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और मैंने श्री जावड़ेकर के सकारात्मक पहलुओं को देखा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारत एक गरीब देश है। जिनको भोजन चाहिए, उनको भोजन नहीं मिलता और जिन्हें जल चाहिए, उन्हें जल नहीं मिलता। लेकिन नियम कानून अत्यंत कठोर हैं, जिनके कारण हम विकास की प्रक्रिया में पिछड़ रहे हैं, मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है। आज हमें उनके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, वे समय की मांग है। एक बार पुनः, मैं उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मंत्री महोदय ने भविष्य के लिए अत्यंत उत्तम योजनाएं प्रस्तुत की हैं। लेकिन आज मैंने मंत्रालय की वेबसाईट को देखा। यदि आप मंत्रालय की वेबसाईट को देखें, तो आप पायेंगे कि इसमें बताया गया है कि पर्यावरण संबंधी मंजूरी इत्यादि किस प्रकार प्राप्त की जाए। ऐसा लगता है कि - यद्यपि उनके पास योजनाएं हैं - यह पर्यावरण संरक्षक मंत्रालय नहीं, अपितु यह पर्यावरण स्वीकृति देने वाला मंत्रालय है। पहला काम जो उन्हें करना चाहिए, वो है इस बात पर ध्यान देना। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश जावडेकर : आपका धन्यवाद। मैं अपना उत्तर अत्यंत संक्षेप में दूंगा। मेरे युवा मित्र श्री गोगोई ने गैंडे के शिकार आदि के बारे मे बात की। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। संसदीय सत्र के तुरंत बाद मैं दौरे की योजना बना रहा हूं, मैं वहां उन्हें भी लेकर जाऊंगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार वाला गैंडा हमारी धरोहर है, और हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए व उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस संबंध में सुझावों का स्वागत है।

जहां तक सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के संबंध में प्रो. रॉय द्वारा उठाये गये मद्दों का प्रश्न है, दिल्ली में पहले से ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सी एन जी बसें चलाई जा रही हैं, कई अन्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन के वाहन सी एन जी से चलाये जा रहे हैं। सी एन जी का नेटवर्क होना चाहिए, यह सिर्फ हमारा मंत्रालय ही नहीं, अपितु सरकार पहले से ही सभी शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु सी एन जी के अधिकाधिक प्रयोग को लेकर वचनबद्धता व्यक्त कर चुकी है।

जहां तक गंगा नदी का प्रश्न है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि पिछले 50 दिनों में, इलाहाबाद से शुरुआत करते हुए, हमने छह एस टी पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण को मंजूरी पहले से दे दी है। पश्चिम

बंगाल के लिए हमने दो परियोजनाएं, बिहार के लिए तीन परियोजनाएं तथा उत्तर प्रदेश के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की। ये एसटीपी केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, केन्द्र सरकार इनके लिए 70 प्रतिशत धनराशि देती है। ये बड़ी परियोजनाएं हैं।

मेरा अनुरोध यह है कि मैंने एसटीपी की स्थिति के बारे में जानना चाहा था। अनेक एसटीपी बनाये गये हैं, परन्तु यह खेद की बात है कि ये 24 घंटे कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजली नहीं होती है तो ये कार्य नहीं करते हैं और इस प्रकार गाद पानी में चली जाती है। इसके कारण जल संदूषण होता है। एसटीपी को 24 घंटे चलाकर जल संदूषण को रोका जा सकता है।

झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वास्तव में हमारे खजाने हैं। हमें इस क्षेत्र के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए कि जनजातीय लोगों का संरक्षण कैसे करें, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करे और विकास कैसे सुनिश्चित करें। यदि यह सब किये जाने की जरूरत है तो हमें नए सिरे से सोचना होगा।

जहां तक जनजातीय लोगों का संबंध है, उनके अधिकारों का हर कीमत पर संरक्षण किया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। मैंने बैंक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनजातीय लोगों के साथ कार्य किया है। मैंने जनजातीय लोगों के साथ कार्य किया है और मैं उनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानता हूं। अतः वनबंधु योजना यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सुविधाएं मिलें, उनका विकास हो और उन्हें उनके अधिकार मिलें। वन अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बड़े गर्व के साथ यह घोषणा करना चाहता हूं कि नवीनतम वन सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि जहां कहीं भी जनजातीय लोग हैं वहां वन तेजी से बढ़ रहे हैं। अतः जनजातीय लोग वास्तव में वे लोग हैं जो वन क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अतः उनकी भागीदारी और उनके अधिकार बुनियादी हैं।

[हिन्दी]

बालू माफिया की बात जय प्रकाश नारायण यादव जी ने कही है, बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो भी नियम है, लागू करेंगे।

[अनुवाद]

प्रवर्तन नहीं हो रहा था। अब हम विश्वास दिला रहे हैं कि प्रवर्तन होगा क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुपालन है घोषणा नहीं। अतः नियमों का अनुपालन और प्रवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

फॉरेस्ट के बदले फॉरेस्ट यग नियम, कानून के आधार पर है। हमें फॉरेस्ट को समाप्त नहीं करना है बल्कि हमें फॉरेस्ट को 33 फीसदी तक ले जाना है।

[अनुवाद]

अब हमारा वन क्षेत्र 23-24 प्रतिशत है और हमें इसे बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना है।

[हिन्दी]

यह मुझे मालूम है कि दुनिया का जैसे कि हंसराज जी ने कहा, ढाई प्रतिशत एरिया है। 17 प्रतिशत पोपुलेशन है, 17 प्रतिशत कैटल पोपुलेशन है। फिर भी उसको अगर करना है तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। हमारे लिए अच्छा है। एक पोलावरम का आपने पूछा। आपको मालूम है कि हमारे मंत्रालय में इसका नहीं आता। आपको न्यू डिजाइन वगैरह जो देना है और मैं तेलंगाना में रोज आता ही हूं तो आपको भी पता है। ...*(व्यवधान)* एक मेघालय का आपने कहा। कोर्ट के फैसले से हुआ है। एनजीटी के फैसले से हुआ है। उसके बारे में जो परिस्थिति है, उसको हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? वह केवल बताना है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास बहुत सारे प्रस्ताव पेंडिंग थे। उसकी स्थापना होनी थी। कल ही, दो दिन पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई है और कल स्टैंडिंग कमेटी भी तय हुई है,

[अनुवाद]

अतः, यह अब तत्काल कार्य करना शुरू करेगा।

[हिन्दी]

उसके सामने जो मसले आएंगे, एक सरकार का दृष्टिकोण है और वह यह है कि

[अनुवाद]

पहले केवल पर्यावरण और वन मंत्रालय था और अब यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है क्योंकि

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन दुनिया में सच हो रहा है और उससे निपटना है तो हमें हमारे एक्शन करने पड़ेंगे और दुनिया के मंचों पर हमारी भूमिका जो पर-कैपिटा की है, जो कॉमन फंड की है, जो भारत की सदैव भूमिका रही है, उसको और नये तरीके से तथा प्रभावी तरीके से रखना चाहिए। इसलिए क्लाइमेट चेंज को भी उसमें लाए हैं।

[अनुवाद]

मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह निर्वनीकरण नहीं अपितु वनीकरण मंत्रालय है और हमने भारत के लिए हरित रूपरेखा तैयार की है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2, श्री एल.एल. शानवास द्वारा कटौती प्रस्ताव सं. 3 और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कटौती प्रस्ताव सं. 7 और 8 प्रस्तुत किया गया है। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूं अथवा कोई सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना चाहता है?

अनेक माननीय सदस्य : एक साथ रखें।

माननीय सदस्य : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति : अब मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 31 के सामने दिखायी गयी मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदान की मांग पारित हुई।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब हम 'शून्य काल' को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : माननीय सभापति जी, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम समाज में राष्ट्र के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करने और उनके अद्वितीय प्रयासों की सराहना करने की आवश्यकता है। 1874 में देश में विदेशी राज से मुक्ति का शंखनाद करने वाले स्वामी दयानंद पहले महापुरुष थे। 1875 में कांग्रेस से भी दस वर्ष पूर्व उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की जिसका मुख्य अभियान समाज व राष्ट्र को अज्ञान, अंधविश्वास व पाखंड से मुक्त करना, लड़के-लड़कियों के लिए समान संस्कार युक्त अनिवार्य शिक्षा, जन्मगत जाति व्यवस्था को खत्म कर दलितों और शोषितों को गले लगाकर छुआछूत खत्म करना, नारी शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन करना था। महर्षि दयानंद पहले महापुरुष थे जिन्होंने इस बात का भंडाफोड़ किया कि बिना अंग्रेजी जाने कोई व्यक्ति बौद्धिक, तार्किक, वैज्ञानिक सोच रख सकता है तथा समाज, राष्ट्र, उत्थान की बातें कर सकता है। भारत की संस्कृति, इतिहास और वैदिक साहित्य के उलटे अर्थ करने वालों पर उन्होंने कुठाराघात करके, प्रभावी चुनौति देकर एक नई दिशा दी। आज देश के पतन का मुख्य कारण वेदों और वैदिक शिक्षा को भुला देना है। वेद सब विद्याओं की पुस्तक है। मानव जाति की अमूल्य धरोहर है तथा इसे पढ़ने का अधिकार सब जाति, धर्म और देश के लोगों को है। आर्य देश के मूल निवासी हैं। आर्य आक्रमण जैसे मुद्दे कृत्रिम, झूठे व देश को बांटने वाले हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह देश कला, कौशल, विज्ञान में दुनिया का सिरमौर रहा है। स्वामी दयानंद ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी भी कहीं भी असत्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने प्रतिपादन किया कि सब संप्रदायों, मतों और प्रचलित धर्मों के बीच मूलभूत तत्व एक हैं और सभी मतों और संप्रदायों में कॉमन बातें हैं, वही मानव धर्म के मूल तत्व हैं।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह : स्वामी दयानंद ने देश की एकता, समृद्धि व गौरव के लिए एक भाषा हिंदी, एक धार्मिक ग्रन्थ वेद, एक ईश्वर एक मानव जाति और एक उपासना पद्धति का पुरजोर प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी, रविन्द्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, स्वीमा श्रद्धानंद और अरविंद घोष जैसे महापुरुषों ने उन्हें अपना गुरु माना। यह दुर्भाग्य की बात है कि उनके अप्रतिम योगदान को इस देश के इतिहासकारों और भारत सरकार ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आप 'शून्यकाल' के दौरान ऐसे नहीं बोल सकते हैं।

श्री सत्यपाल सिंह : एक मिनट का समय लूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने उनके योगदान को नहीं माना है।

[हिन्दी]

मैं सरकार से मांग करता हूं, युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद जैसे अलौकिक व्यक्ति को सम्मान और मान दिया जाए।

श्रीमती रेखा शर्मा (धौरहरा) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र धौरहरा, उत्तर प्रदेश की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। नेपाल से समय-समय पर अत्यधिक पानी छोड़ने के कारण धौरहरा, सीतापुर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच जैसे कई जनपद प्रभावित होते हैं। बाढ़ नियंत्रण हेतु धौरहरा में एक बांध बनना था लेकिन कुछ काम होने के बाद इस बांध को अधूरा छोड़ दिया गया। अत: आपसे आग्रह है कि इस बांध को बिलवा से खरबइया तक शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करें ताकि बाढ़ से ग्रस्त कई जनपदों को प्रलय से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सभा का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ मेरे राज्य में जंगली सूअर के उत्पात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 51 प्रतिशत भाग पर वन हैं। इसमें दो बाघ परियोजनाएं और चार राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क हैं। वहां पर जंगली सूअर की आबादी बहुत अधिक है। वे फसल के खेत में घुस जाते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। वे व्यक्तियों पर हमला भी करते हैं।

केंद्र सरकार से मेरा सादर अनुरोध है कि जंगली पशुओं की सूची से जंगली सूअर का नाम हटाया जाए ताकि जंगली सूअर को खत्म किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि किसानों को फसल का मुआवजा दिये जाने का आधार वैज्ञानिक नहीं है। अत: केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि फसल का मुआवजा वैज्ञानिक आधार पर किया जाए।

*** श्री पी.आर. सुन्दरम** (नामक्कल) : माननीय सभापति महोदय वणक्कम। देश में अपनी तरह की पहली योजना के तहत तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री माननीय अम्मा तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 70 रु. की वहनीय लागत पर 100 चैनलों के साथ तमिलनाडु में केबल टीवी सेवा कार्यान्वित कर रही है।

केन्द्र सरकार देश में केबल टीवी सेवा को विनियमित करने के लिए टीवी सेवा को विनियमित करने के लिए 1995 में केबल टीवी विनियमन अधिनियम लाई थी।

वर्ष 2008 में, केबल टीवी सेवाओं हेतु सशर्त उपगम प्रणाली लाइसेंस प्रदान किए गए।

पिछली सरकार ने दिसंबर, 2014 से पूर्व केबल टीवी क्रियाकलापों के डिजिटलीकरण हेतु आदेश जारी किया था। उसने आदेश दिया था कि मल्टी सिस्टम आपरेटरों को भी डिजिटल एडरेसेबल सिस्टम (डी ए एच) लाइसेंस मिलने चाहिएं।

माननीय अम्मा के आदेशानुसार तमिलनाडु केबल टीवी कॉर्पोरेशन ने 5.7.2012 को चेन्नई के लिए तथा 23.11.2012 को तमिलनाडु के अन्य भागों के लिए डी ए एस लाइसेंसों हेतु आवेदन किया।

आवेदन सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा गया।

राजनैतिक विद्वेष तथा अम्मा को और लोकप्रिय होने से रोकने के लिए पिछली संप्रग सरकार ने तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन को डिजिटल लाइसेंस प्रदान करने संबंधी आवेदन को लंबित रखा। बाद में आवेदन करने वाले सुयागली केबल विजन तथा 13 अन्य निजी मल्टी सिस्टम आपरेटरों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संप्रग सरकार ने लाइसेंस प्रदान किए।

माननीय अम्मा के निर्देशानुसार 2013 में ए आई ए डी एस के पार्टी के संसद सदस्यों ने तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ भेंट कर तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कार्पोरेशन को डी ए एस लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया। डिजिटल एडरेसेबल सिस्टम लाइसेंस अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

3 जून, 2013 को जब माननीय अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की थी तब यह मुद्दा एक बार फिर उठाया गया था। माननीय अम्मा ने इस संबंध में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को यह विस्तृत पत्र भी लिखा है। ए आई ए डी एम के पार्टी के हम 37 संसद सदस्यों ने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से मिलकर उन्हें माननीय अम्मा का पत्र सौंपा था। परन्तु अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।

मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह तमिल वाहु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन को अविलंब डिजिटल एडरेसेबल सिस्टम लाइसेंस प्रदान करें।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर) : सभापति महोदय, मैं कर्नाटक राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं इस सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहती हूं कि कर्नाटक जैसे

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

चंदन वाले राज्य में बलात्कार, छेड़छाड़ तथा महिलाओं पर यौन शोषण जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं। एक समय सबसे सुरक्षित रूप से जाने वाले कर्नाटक में पिछले पंद्रह दिन में बलात्कार के लगभग 50 मामले सामने आए हैं और अकेले 19 जुलाई को ही ऐसे 10 मामले सामने आए। बेंगलुरू में सबसे घिनौना मामला सामने आया, जिसने सम्पूर्ण राज्य को झकझोर कर रख दिया। जब दो अध्यापकों ने कक्षा में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया। 20 जुलाई को एक खेल अकादमी मे एक स्केटिंग मास्टर ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया। पिछले सप्ताह उदुपी जिले में कॉलेज जा रही एक 17 वर्षीय लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। बेंगलुरू में स्कूल प्राधिकारियों का कहना है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

इन घटनाओं ने पूरे कर्नाटक राज्य में लाखों स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता के विश्वास को हिला कर रख दिया है। मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग महिलाओं, परित्यक्त जैसी बेसहारा महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों पर अत्याचार समाज के लिए असहनीय है तथा पूरे राज्य में इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है।

मुद्दा यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हाल ही में बेंगलुरू में चलती कार में एक 22 वर्षीय लड़की के बलात्कार से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* कर्नाटक में कोई सरकार नहीं है और न ही वहां कोई कानून-व्यवस्था है। ...*(व्यवधान)* जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने धारा 276 के स्थान पर आईपीसी की धारा 166ए के तहत शिकायत दर्ज की ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। आप बलात्कार का विरोध कर रहे हो या उसका समर्थन कर रहे हो? ...*(व्यवधान)* राज्य के गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के इंस्पेक्टर ने न केवल मामले को कमजोर किया बल्कि अपने विरुद्ध मामला दर्ज होने के बाद भाग भी गया। ...*(व्यवधान)* महोदय, पर कर्नाटक में एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले के विरोध में सभी माता-पिता और बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। इसलिए, कृपया मुझे एक और मिनट बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*। दिल्ली में 2012 की निर्भया घटना तथा उस पर देशव्यापी रोष के पश्चात् इस सम्माननीय सभा में और अधिक कड़ा कानून पारित किया गया था। परन्तु कर्नाटक में अपराधियों के मन में इसका कोई खौफ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप पहले ही अपनी बातों का उल्लेख कर कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : श्री ए.टी. नाना पाटील और श्री शिवकुमार उदासी को कुमारी शेभा कारान्दलाने द्वार उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बलिया) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। हिंदुस्तान का कोई स्थान नहीं है, जहां पूर्वांचल के लोग रोजी-रोटी के लिए काम न कर रहे हों। उस पूर्वांचल में यूपीए शासन में पिछले 10-12 सालों के अंदर रसड़ा की शुगर मिल बंद हो गई। रसड़ा की कताई मिल बंद हो गई। गाजीपुर के बहादुरगंज की कताई मिल बंद हो गई। मऊ की कताई मिल बंद हो गई। मऊ में ही सूत मिल बंद है। इन पांचों मिलों के बंद होने से पचासों हजार लोग बेरोजगार हो गये हैं। 50 हजार लोग बेरोजगार हुए तो उन पर आश्रित लाखों लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति है। उनके बच्चों की पढ़ाई बंद है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बेरोजगारी तो यूपीए शासन ने पैदा की है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि इन मिलों को शुरू करने की व्यवस्था होगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक तो इन मिलों को चालू कराया जाए। दूसरी चीज मैं आपसे यह कहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर भी है। गोरखपुर बनारस और बलिया के बीच में कोई मिल नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे शून्य काल के दौरान अपनी बात अत्यंत संक्षिप्त रूप से रखें। यह मौका अत्यावश्यक मुद्दों पर चर्चा करने का है, लंबे भाषण देने का नहीं। शून्य काल में इसकी आज्ञा नहीं है। कृपया अपनी बात एक या दो मिनट में पूरी करें और लंबे भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह : मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन मिलों को तत्काल चालू कराने की व्यवस्था की जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : महोदय, मांस निर्यात हेतु पशुओं

के बढ़ते कटान के कारण आज देश में डेयरी पशुओं की कुल संख्या में भारी गिरावट आ गयी है। पशुओं को काटे जाने की गति उनके प्रजनन की गति से दोगुनी है। अकेले मेरठ जोन में प्रतिदिन लगभग 77 हजार पशुओं का अवैध कटान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 21 हजार टन मांस का प्रसंस्करण हो रहा है। मांस कृषि उत्पाद घोषित है, जैसे कि यह पेड़ पर उगता हो। कृषि उत्पाद घोषित होने के कारण मांस निर्यात तथा बूचड़खाना खोलने पर भारी सब्सिडी है, जिस कारण गोवंश में श्रद्धा रखने वाला यह देश आज गोमांस का दुनिया का नंबर एक निर्यातक बन गया है। पशुओं की घटती संख्या के कारण देश में दूध की भारी कमी है, जिसके कारण से दूध के दामों में गत आठ वर्षों में 275 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है। अधिकांश सहकारी डेयरी प्लांट्स दूध की कमी के चलते बंद हो चुके हैं। भारत पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, परन्तु श्वेत क्रांति के बावजूद प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मात्र 281 ग्राम ही हो पायी है, जबकि विकसित देशों में यह 900 ग्राम से भी अधिक है। दूध की कमी होने तथा महंगा होने के कारण देश में सिंथेटिक दूध का प्रचलन बढ़ रहा है, इसके चलन से आने से बीमारियां बढ़ी हैं तथा लोग मर रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करे। मांस निर्यात पर पूर्णतया पाबन्दी लगायी जाए एवं पशुओं का कटान केवल घरेलू जरूरत के लिए हो। गुजरात के अमूल की भांति उत्तर प्रदेश में सहकारी दुग्ध समितियों को मजबूत किया जाए तथा पशुचारे के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर चरागाहों के लिए सुरक्षित जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री शिवकुमार उदासि तथा श्री देवजी एम. पटेल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाये गए मुद्दों के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर) : मुख्य मुद्दा है विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं, यथा आई सी डी एस, एम डी एम तथा आशा के तहत काम कर रहे योजना कामगारों की सेवाओं का नियमन, न्यूनतम वेतन का भुगतान तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ, यथा पेंशन और आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) दिये जाने इत्यादि की आवश्यकता। ए आई टी यू सी के झंडे तले देशभर में लाखों लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे ऐसे सैंकड़ों कामगार आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन योजना, इत्यादि के तहत कार्यरत कामगारों के नियमक तथा कामगारों की पद स्थिति में वृद्धि, ताकि उसे 15000 रु. प्रतिमाह की दर से न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ, यथा पेंशन, आनुतोषिक, भविष्य निधि, ई एस आई इत्यादि प्राप्त हो सकें, जैसा कि दिनांक 12 और 13 मई की नई दिल्ली की 45वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में सिफारिश की गई थी, इन सभी मुद्दों को लेकर आज संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में आये थे।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मनुष्य कुछ समय तक भोजन के बिना रह सकता है, मगर पेयजल के बिना कुछ ही क्षण बिताना भी उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। कहा भी जाता है:

"अति अगाध अति ऊथरो, नदी कूप सरबाय
जो जाको सागर भयो ताकि प्यास हो जाए।"

महोदय, पेयजल के बहुत सारे स्रोत हैं, कुछ गहरे, कुछ उथले, कुछ मीठे, कुछ खारे होते हैं, मगर प्यास से मर रहा व्यक्ति एक बूंद कंठ में जाए, वही प्यास की कीमत को समझ सकता है। पूर्ववर्ती सरकार ने शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु सशक्त प्रयास नहीं किये। रेगिस्तान के वे इलाके इस समस्या से अधिक जूझ रहे हैं, जहां डार्क जोन है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तो वहां मानसून कम होता है, वर्षा का जल वहां उपलब्ध नहीं है। दूसरा, डार्क जोन होने के कारण किसान कुंए गहरे नहीं करा पाता है, किसान नये कुंए नहीं खोद पाता है और अगर पाइप कुंए में फंस जाए तो वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता है।

महोदय, जो लोग खेत मे घर बनाकर रह रहे हैं, उनके पशुओं की बात छोड़िए, मनुष्यों तक को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मेरे झुंझुनू जिले में न कोई नहर है, न कोई पीने का पानी की वैकल्पिक व्यवस्था है, वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ भूमिगत जल पर आश्रित हैं। आप जानते हैं कि भूमि के जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, सोडियम जैसे पदार्थ पाये जाते हैं। यह सर्वविदित है। ऐसा पानी पीकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे दांतों के रोग, चर्म रोग व अस्थि रोग बढ़ जाते हैं।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने और मेरे पूर्व हमारे यहां के जो सांसद मंत्री भी थे, उन्होंने बार-बार कहा कि हमारे यहां नहर आने वाली है। केन्द्रीय जल संसाधन बोर्ड की रिपोर्ट मेरे पास है। अनेक बार इसमें प्रयास हुए लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां कुम्भा लिफ्ट परियोजना लाने की बात भी कही गई। लेकिन आज पानी की एक

बूंद भी नहीं है। केन्द्र सरकार पूर्व में ए.आई.डी.पी. के तहत ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : महोदया, कृपया आप जो कहना चाहती हैं, कहें।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत : सभापति जी, मेरे जिले में पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है, हम डार्क जोन की मार झेल रहे हैं। मैं वहां वैकल्पिक पानी की व्यवस्था करती हूं जो सिर्फ नहर के अलावा कुछ और हो नहीं सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं कि झुंझुनू जिले के लोग पलायन न करें, वहां के पशु और मनुष्य न मरें, इसके लिए वहां वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैपन (इरोड) : माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इरोड में पेयजल आपूर्ति से संबंधित जब महत्व के अत्यावश्यक मुद्दों पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

सबसे पहले, मैं हमारी क्रांतिकारी नेता व तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा. पुरैटची थलैवी अम्मा का धन्यवाद करता हूं, कि उन्होंने मुझे इस माननीय सभा में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया।

इरोड़ शहर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है तथा तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा शहर है। यह तमिलनाडु के प्रसिद्ध समाज सुधारक पेरियार ई वी रामारस्वामी का जन्म स्थान भी है। इरोड शहर तेजी से बढ़ रहा है व मात्र पांच वर्ष पहले इसे निगम का दर्जा दिया गया था। इरोड तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है तथा भारत भर में हल्दी व्यापार के मामले में प्रथम स्थान रखता है।

महोदय, यद्यपि ईरोड शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसके बावजूद शहर के लोगों को कावेरी नदी का जल बुरी तरह से प्रदूषित होने के कारण इस नदी से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। इससे भी अधिक, लगभग पूरे वर्ष यहां पेयजल की भारी किल्लत बनी रहती है। अतः हमारे ईरोड नगर निगम में जलापूर्ति की मौजूदा प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है, ताकि ईरोड की जनता को अधिक मात्रा में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा सके। इसके लिए उरात्चीको है लगभग 391.81 करोड़ रु. की लागत से एक समर्पित जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके संबंध में एम/एस (मैसर्स) तमिलनाडु वॉटर इन्वेस्टमेंट कंपनी, चेन्नई द्वारा पहले से ही एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। दिनांक 23.01.2014 को चेन्नई में आयोजित बैठक में राज्य-स्तरीय स्वीकारोक्ति समिति द्वारा इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है तथा इस परियोजना का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

जहां तक मैं समझता हूं, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी किये जाने हेतु वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः माननीय शहरी विकास मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री, दोनों से मेरा यह अनुरोध है कि सहानुभूतिपूर्ण ढंग से इस मामले को देखें और वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृत धनराशि जारी करें, ताकि ईरोड नगर निगम की जनता को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति मिलना संभव हो सके।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : डा. वीरेन्द्र कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी का, खेल मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने इस बजट में एक खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाए, वह कम है।

महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सांसद ट्रॉफी का आयोजन पिछली तीन बार से करता आया हूं। उसमें एक-एक गांव से विभिन्न खेलों के खिलाड़ी आते हैं। वहां पर हमने एक स्टेडियम जन-भागीदारी के माध्यम से पूर्व सांसद दादा सुकेन्द्र सिंह जी के नाम से बनाया है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ जो विश्वविद्यालय मणिपुर में खुला है, उसी से कनैक्टेड एक महाविद्यालय हम चाहते हैं कि हमारे यहां खोला जाए और खेल प्राधिकरण बनाया जाए। वहां पर फुटबॉल, वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बेडमिंटन आदि सभी तरह के खेलों का आयोजन हम कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह एक खेल प्राधिकरण खेल महाविद्यालय के रूप में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में खोलें और वहां की जो खेल प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. मोहन (बैंगलोर केन्द्रीय) : वर्तमान में विद्यमान कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

लगभग हर दिन महिलाओं व विशेषकर लड़कियों और बच्चों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तथा देश के कई राज्यों के लोग भयाक्रांत हैं, विशेषकर कर्नाटक और बैंगलोर में, क्योंकि बढ़ते हुए अपराध पर अब तक लगाम नहीं लग पाई है। यद्यपि कर्नाटक एक शांतिप्रिय राज्य है, लेकिन इस राज्य को भी महिलाओं और बच्चों पर इस प्रकार के बर्बर हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अत्यंत खेदजनक तथा दु:खदायी है। यहां तक कि बलात्कारी छह साल के छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ते, जैसा कि बैंगलोर के विबग्योर हाई स्कूल में स्केटिंग प्रशिक्षक के मामले में हुआ, जो कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है।

पुलिस को आरोपी को पकड़ने में लंबा समय लग गया तथा विद्यालय प्रशासन इस मामले में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था व अभिभावकों से सहयोग नहीं कर रहा था। पीड़ित बच्चा, जिसकी उम्र लगभग छह वर्ष है, उसे अपने अभिभावकों के साथ पुलिस को सारी घटना का ब्यौरा देना पड़ा, जो कि उस बच्चे के अभिभावकों तथा हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। इस मामले में प्रबंधन पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये जायें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में देशभर में किसी भी विद्यालय में ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। यदि कोई ऐसी घटना घटती है, तो दोषी विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

विद्यालयों द्वारा स्टाफ की पृष्ठभूमि की सघनता से जांच किये जाने के बाद ही भर्ती को जानी चाहिए। एक अन्य घटना में ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : और कोई विषय नहीं। इसके अतिरिक्त यह राज्य का विषय है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य द्वारा इस विषय पर पहले ही अपना मत रखा जा चुका है। श्री शिवकुमार उदासि, ए टी नाना पाटील तथा देव जी पटेल को श्री पी.सी. मोहन द्वारा उठाये गये मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, मैं जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे परियोजना की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह योजना पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी सदन में पूर्व वित्त मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2006-07 के भाषण में दिल्ली से जयपुर एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गयी थी। वर्तमान में यह प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

महोदय, इस संबंध में दिनांक 11 मई, 2000 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जयपुर एक्सप्रेस पर परिचर्चा हुई और इस मार्ग के निर्धारण को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि यह एक विकासशील परियोजना है और पीपीपी की तर्ज पर इस योजना को पूर्ण किया जाना है। रेवेन्यू अर्जित करने हेतु एक्सप्रेस वे के आसपास कुछ रियल एस्टेट हब बनाने की भी योजना है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से जयपुर से दिल्ली पहुंचने में समय कम लगेगा तथा शहर विकसित होंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और कम कीमत में घर की प्राप्ति होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस परियोजना की डीपीआर बने और दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस वे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर इसके निर्माण का काम शुरू किया जाए। साथ ही किशनगढ़-अहमदाबाद हाईवे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में फोर लेन का बना था। इसको सिक्स लेन का बनाने के लिए दो बार टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। यदि किशनगढ़ से अहमदाबाद यह सिक्स लेन का बन जाएगा तो मेवाड़ के और राजस्थान के जितने भी सांसद हैं और बाकी सभी लोगों को दिल्ली पहुंचने में आधा समय लगेगा। राजस्थान को इससे टूरिज्म में और अन्य क्षेत्रों में भी सुविधा होगी।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए उपरोक्त विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

सायं 07.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान पंजाब के साथ-साथ देश के सरकारी और निजी कॉलेजों में बच्चों की लगी लंबी-लंबी कतारों की तरफ लेकर

जाना चाहता हूं। कॉलेज चाहे एकैडमिक हो या प्रोफेशनल, 80 प्रतिशत नंबर लाने वाले बच्चे भी इसमें एडमिशन लेने के लिए ठोकरें खा रहे हैं। उनके माता-पिता परेशान हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लुधियाना में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन को लेकर दुःखी हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह कॉलेजों में शिफ्ट सिस्टम लागू करने के बारे में फैसला करे। हर कॉलेज में पहली शिफ्ट सुबह आठ बजे से एक बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर दो बजे से सात बजे तक हो। इस से कॉलेजों में लेक्चररों की भर्ती होगी जिससे कई पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। हर विद्यार्थी अपनी मर्जी के कॉलेजों में एडमिशन ले सके और उसे क्लास रूम्स और लेक्चररों की कमी की वजह से मायूस न होना पड़े।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस दिशा में जरूरी कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा) : सभापति महोदय, हमारे देश की क्षेत्रीय सम्प्रभुता व सम्मान से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे इस सभा में उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, यह अत्यंत खेदजनक बात है कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए अपने सैन्य बलों को हजारों विवादास्पद तथा अद्यतन मानचित्र बांट रहा है। इस घटना को एक सामान्य बात नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पीओके से यह विचलित करने वाली खबर आई है कि वहां चीन की मौजूदगी है और चीन उस क्षेत्र में सड़कें बना रहा है तथा अन्य अवसंरचनाएं खड़ी कर रहा है। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस सूचना को इंटरसेप्ट किया है।

मध्य एशिया में चीन की मौजूदगी का सबको अच्छी तरह से पता है। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, बिना किसी उकसाने के, और यही वह समय था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचशील की अपनी नीति तथा चीन के साथ मित्रपूर्ण संबंधों के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे।

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने चीन से भारत आए अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा भी की थी।

आपके माध्यम से, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस मुद्दे से इस सभा को अवगत करवाया जाए कि क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को अपने चीनी समकक्षों के साथ इस मुद्दे पर बात करने का अवसर मिला था? राष्ट्र के मामले में यह अत्यंत गंभीर चिन्ता का विषय है और सरकार को इस मुद्दे पर सभा को विश्वास में लेना चाहिए। अतः सरकार से मेरा यह आग्रह है कि इस मुद्दे पर एक स्पष्ट बयान जारी किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा : माननीय सभापति जी, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल के सबसे पुराने रेलखण्ड जो हमारे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर से बरहजा रेल खण्ड के विस्तारीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दोहरीघाट होते हुए इन्दारा तक जाने के लिए हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, हमने सभा का समय सिर्फ सायं 7.00 बजे तक ही बढ़ाया है। अभी भी पांच या छह ऐसे सदस्य हैं, जो अभी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। सभा की सहमति से, मैं सभा की कार्यवाही का समय बढ़ाता हूं, जब तक कि सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर देते।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा : सभापति जी, हम आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करते हैं कि वाराणसी से भटनी तक के रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए और विद्युतीकरण किया जाए जिस से यहां की आम जनता को लाभ हो और जो उसे मुख्य धारा में लाने का काम करे।

महोदय, हमारा क्षेत्र गरीबी और बदहाली से परेशान है। वहां के नौजवान बाहर जाकर रोजी-रोटी कमाते हैं। इसलिए अगर रेल की यह सुविधा हो जाती है तो हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भाटपार रानी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा देते हुए पश्चिमी ढाले पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने की माग करता हूं। बेलथरा रोड स्टेशन का आधुनिकीकरण करते हुए दक्षिणी एवं उत्तरी ढाले पर ओवरब्रिज निर्माण किया जाये। किडिहरापुर रेलवे स्टेशन पर इन्टरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। यही हमारी मांग है।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, जोकि आज शून्य-काल में मुझे प्रथम बार बोलने

का अवसर मिला है। मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से आता हूं। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ पीडीएस सिस्टम के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। साथ ही साथ पावरहब के नाम से भी वहां पर बहुत संभावना है।

सभापति महोदय, हमारे पूर्व एनडीए के कार्यकाल में सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बिलासपुर के सीपत एनटीपीसी संयंत्र का शिलान्यास और साथ ही उसकी स्थापना की गई थी, परन्तु प्रबंधन के द्वारा कुछ वर्षों से वहां जो स्थापना की गई, उस समय उसका जो नियम और शर्त लागू किया गया, उसकी अनदेखी करते हुए वहां जो भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसको नजरअंदाज करते हुए उचित मुआवजा मिलना चाहिए, वह नहीं दिया गया है। जिस समय स्थापना की गई थी, उस समय यह शर्त रखी गई थी कि जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी में लिया जाना है। उस बात की भी उपेक्षा की गई है।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कल 21 तारीख को इस संबंध में क्षेत्र के जो भूमि विस्थापित और जिनकी जमीन अधिग्रहण की की गई है, उन सब ने पानी गिरती हुई स्थिति में भी अपने बच्चों व महिलाओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया है। वहां पर जो गांव अधिग्रहण किया गया है, जो गांव सम्मिलित हैं, उसमें बिजली, पानी आदि की प्राथमिक सुविधाएं देने की जो बात की गई थी, उसकी भी उपेक्षा की गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि संयंत्र का एक राखड़ बांध है, जिससे आसपास के करीब 25 गांवों की खेती बर्बाद हो रही है। आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करके समुचित व्यवस्था की जाए।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान मोहनलालगंज क्षेत्र में जो संसदीय क्षेत्र है, वहां एक गांव बलसिंहखेड़ा में 16 तारीख की रात को एक महिला की दुर्दांत तरीके से हत्या की गई। इसके पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने उसमें बयान दिया कि उस महिला के साथ कम से कम तीन या पांच लोगों ने ये घटना की है। रेप की भी बात आई, लेकिन बाद में एक आदमी रामसेवक को केवल दिखा कर पुलिस ने उससे नाता झाड़ लेने का काम किया। इसी तरीके से फिर बीती रात में नगराम क्षेत्र में, जो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, एक युवती की लाश हरदोईया गांव के पास नहर पर पड़ी मिली। मुझे लगता है कि उस लड़की के साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, जिससे उसको मार देने का काम किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में थाना माल के गांव सूरतीखेड़ा में बीती रात की घटना है। वहां एक महिला के साथ एक आदमी ने घर में घुस कर रेप किया, जब उसका आदमी रात के समय छत डालने, काम करने के लिए गया था, क्योंकि छत में सिलें पड़ रही थीं। उस औरत ने अपने को बचाने के लिए उसके ऊपर हथियार से वार करने का काम किया, लेकिन थाना माल की पुलिस, जिसके चोट लगी है, जो बलात्कारी है, उसकी रिपोर्ट लिख रही है, लेकिन उस महिला की रिपोर्ट लिखने का काम नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था पूरे तरीके से भंग हो गई है। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा नहीं है। प्रदेश सरकार से जब इस संबंध में किसी आला अधिकारी से बात की जाती है तो उसके कान पर जूं रेंगने का काम नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी मांग है कि जो महिला मारी गई है, उसमें उनको सहायता मिलने का काम हो। उसके साथ में उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है, इसलिए उस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यह मेरी मांग है।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चामपा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चामपा, जो 70 से 80 प्रतिशत कृषि सिंचित क्षेत्र है। कृषि उत्पाद खाद्यान्न सामग्री के परिवहन हेतु क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों कोटबीसुनार, अकलतारा, जांजगीर नहला, चामपा, बाराद्वाज शक्ति में रैक प्वाइंट बनाई गई है। इन रैक प्वाइंटों का उपयोग, रेलवे ने जिन उद्देश्यों से इन्हें बनाया है। रेलवे उनका उपयोग उन कार्यों में न करते हुए कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों के परिवहन में करती है, जिससे आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इनसे प्राप्त आय की गणना भी स्टेशन से प्राप्त आय के साथ नहीं की जाती है, जिससे आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इनसे प्राप्त आय की गणना भी स्टेशन से प्राप्त आय के साथ नहीं की जाती है, जिससे इन स्टेशनों के यात्रियों को उनकी मूलभूत रेल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मैं इन स्टेशनों में बिना श्रेणी बंधन के मूलभूत सुविधाएं जैसे यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, शेड निर्माण, रेल क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करने तथा आय एवं वाणिज्कि कारण का बहाना किए बिना जिला मुख्यालय जांजगीर-नैला में साउथ बिहार, गोंडवाना मेल, चाम्पा में गीतांजलि, ज्ञानेश्वरी, बाराद्वार, शक्ति एवं अकलतरा में गोंडवाना का स्टापेज दिए जाने की मांग करती हूं। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : सभापति महोदय, मैं

आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री, जो सौभाग्य से हमारे प्रदेश से ही आये हैं और आज शून्यकाल में यहां उपस्थित भी हैं, मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार राज्य कम बारिश की वजह से भयानक सूखे के संकट से गुजर रहा है। पूरे बिहार के 38 जिलों में से लगभग 22 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें खास तौर पर जो हमारा संसदीय क्षेत्र पटना है, अरवल, औरंगाबाद, भगुंआ, बक्सर, भोजपुर, अररिया, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहताश, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली सहित कई जिले शामिल हैं। महोदय, 4-5 जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में स्थिति बहुत ही भयानक है। वहां पर 89 परसेंट लोग खेत और खलिहान पर निर्भर करते हैं। वहां लोग कृषि से जीविकोपार्जन करते हैं। आज वहां की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है।

पिछली दफा भी दुर्भाग्य से कम बारिश होने की वजह से 38 में से 33 जिलों में सूखा पड़ गया था। वहां आज की स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि कई ऐसी नहरें हैं, एक बाणसागर नहर है, जिसमें मध्य प्रदेश की सोन नदी से पानी आता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें पानी बन्द रखा, इसकी वजह से भी हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी हो रही है। वहां एक तो सिंचाई की प्रोपर व्यवस्था नहीं है, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा, चूंकि आप खेत-खलिहान से आने वाले लोग हैं कि वहां पर मात्र अभी तक रोपनी जो हुई है, वह मात्र 30 प्रतिशत रोपनी हुई है, जो बहुत भयानक स्थिति है। किसान ने जो बिजाई कर दी थी, वह समूची सूख गई है। हालत बहुत गम्भीर है। वहां अभी तक सामुदायिक नर्सरी नहीं लगाई गई है। ...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। अभी तक सूखे की स्थिति की जानकारी केन्द्र सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी को नहीं दी गई है, जबकि दो दिन पहले केन्द्रीय मंत्री वहां गये थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिहार को राज्य के भरोसे मत छोड़िये, आप अपनी स्पेशल टीम वहां भेजिए और बिहार में टीम भेजकर आकलन करके वहां के किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कीजिए, अन्यथा बिहार इस बार बहुत ही परेशानी से गुजरेगा और वहां भुखमरी की स्थिति हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा का ध्यान पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सभा द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया है तथा इसे लोक सभा द्वारा अभी पारित किया जाना बाकी है। यद्यपि सरकार में समूह ख, ग तथा घ श्रेणियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की पदोन्नति को सुनिश्चित करने के लिए इन-बिल्ट प्रणाली है फिर भी प्रविष्टि संवर्ग के अतिरिक्त समूह क में कोई गारंटी वाली पदोन्नति नहीं है।

राष्ट्रीय फेडरल ऑफ एस बी आई और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1995 एन आई आर 1457) तथा अन्य फैसलों के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति हेतु आरक्षण के मुद्दे के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत संसद की दोनों सभाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 165 संसद सदस्य राजनैतिक दलों के मानदण्डों के प्रतिकूल जाते हुए तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी तथा यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मिले थे। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न संकटमय स्थिति तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जिस दयनीय स्थिति में है, के बारे में अवगत करवाया।

महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद-सदस्य मंच तथा देश में अनेक दलित संगठनों तथा आपके दल सहित अनेक राजनैतिक दलों ने विभिन्न मंचों पर मुद्दों को उठाया है तथा तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार को विधेयक को संसद में लाने के लिए बाध्य किया है।

सभी क्षेत्रों से जबरदस्त दबाव के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है तथा विस्तृत चर्चा के पश्चात् राज्य सभा में एक मत से इसे पारित किया गया है। बाद में इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु कुछ राजनैतिक दलों द्वारा विरोध किए जाने के कारण यहां पर इसे पारित नहीं किया जा सका है।

अब, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की अनुमति दी है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विभागीय परीक्षा में 10 प्रतिशत कृपांक को पुनस्थापित किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। कृपया इसे नोट किया जाये कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति संसद के एक स्पष्ट अधिनियम के अभाव के कारण बार-बार न्यायालय के फैसलों पर निर्भर होकर रह जाती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि

राज्य सभा द्वारा पारित संविधान (संशोधन) विधेयक लोक सभा द्वारा भी पारित हो।

इस स्थिति से निपटने के मद्देनजर संवैधानिक संशोधन एकमात्र विकल्प है। तथापि, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक को लोक सभा के चालू सत्र में विचार-विमर्श तथा पारित करने हेतु किया जाये।

माननीय सभापति : वास्तव में माननीय सदस्यों जिन्होंने 'शून्यकाल' में अपने मामलों को उठाने के लिए नोटिस दिया था की सूची समाप्त हो गई है। पुन: मुझे उन माननीय सदस्यों को अब 'शून्यकाल' में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं की लम्बी सूची मिली है। इस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हमारे यहां बैलेट-प्रणाली है। यदि आप सभी अभी अपने नाम दे रहे हैं तो मैं अनुमति देने लगा तब बैलेट-प्रणाली होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) **:** महोदय, कृपया हमें एक मिनट बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) **:** महोदय, कृपया मुझे अपना मामला उठाने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी सीटों पर बैठिए। मैं इसके बाद यहां पर तवज्जो नहीं दे सकता हूं। मैं आज यह कह रहा हूं। कृपया इसके बाद मुझ पर जोर न डालिये।

यदि माननीय सदस्य केवल एक मिनट लें तो मैं उन्हें आज बोलने की अनुमति दे सकता हूं। कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

अब, श्री अधीर रंजन चौधरी। कृपया संक्षिप्त में एक मिनट बोलिए तथा दूसरों को बोलने दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। मैं अवश्य ही आपके दिशानिर्देशों का अनुपालन करूंगा।

मैं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के सात जिलों में स्थिति बहुत ज्यादा मस्तिष्क शोथ के फैलने के कारण अत्यधिक गंभीर है जिसे पहले से ही पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में चेतावनी पूर्ण मान लिया गया है तथा 60 से ज्यादा लोगों की जान की हानि हुई। उन क्षेत्रों में चिकित्सा अवसंरचना ठीक नहीं है तथा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। वहां पर केवल एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तथापि, दिन-प्रतिदिन रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा विद्यमान चिकित्सा विश्वविद्यालय उन प्रभावित लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान नहीं कर पा रहा है।

अत:, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से स्थिति का आकलन करने के लिए एक चिकित्सा दल भेजने का आग्रह करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा) **:** महोदय, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक इलाहाबाद में हाई कोर्ट बेंच है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई बार और लगातार एक आन्दोलन चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। इसके लिए भारत सरकार ने जसवंत सिंह आयोग का गठन किया, जिसमें लाखों रुपये खर्च किये गये और उसके आधार पर जसवंत सिंह आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें कहा गया कि आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना हो। लेकिन इतने खर्चे के बाद अभी तक हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई, यह हमारी सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्रीमती एम. वसन्ती (तेनकासी) **:** माननीय सभापति महोदय, वाणक्कम। इससे पहले कि मैं अपना पहला भाषण शुरू करूं मैं हमारी तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री तथा बेजोड़ नेता पुराथची थलाइवी अम्मा को इस पावन सभा में तेनकासी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह अद्वितीय अवसर प्रदान करने के लिए तहेदिल से धन्यवाद देती हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा अब यह हमारी अम्मा के भरसक प्रयासों द्वारा विकास की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु सभी क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। यद्यपि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही कम संख्या में सरकारी तथा निजी शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं फिर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा आमजन जो सेन्ट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, को आस-पास के जिलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ता है। उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है।

इसलिए मैं सरकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का आग्रह करती हूं।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) **:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र

अमरेली जिला के तहसील राजुला में 22 जनवरी, 2014 को पुलिस ने दो ट्रक पकड़े, जिनमें डीजल भरे हुए थे। यह पता चला कि राजुला तहसील में जो शिपयार्ड कंपनी है, उन ट्रकों में कंपनी की चोरी का डीजल था। लगभग 10-12 बार यह कंपनी डीजल चोरी में पकड़ी गई है। वहां के पुलिस ने ऐसे काम का पता लगाने का काम किया है। फिर भी, आज तक वहां के जिला अधिकारी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। हम यहां दोपहर से लेकर शाम तक पर्यावरण की बात कर रहे, प्रदूषण की बात करते रहे। यह कंपनी समुद्री मार्गों से कई प्रकार के आयल और डीजल समुद्र में भेजती है। इस कंपनी की जांच होनी चाहिएं स्थानीय अधिकारियों को भी कहना चाहिए कि इस कंपनी के द्वारा अवैध सामान लाए जाते हैं, इसके द्वारा राष्ट्र विरोधी प्रवृति हो रही है। कुछ साल पहले चाइनीज लोग आए थे उनको भी इस कंपनी ने वापस भेज दिया। इस कंपनी की पूरी जांच होनी चाहिए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, देश के कोने-कोने में इन दिनों अधिकतर विज्ञापन अर्द्धनग्न एवं कामोत्तेजक अवस्था में दिखा कर अपने-अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित किया जाता है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। किसी नारी को अर्द्धनग्न अवस्था में दिखाना नारी समाज के लिए अपमानजनक है। साथ ही, 'यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' जैसी वैदिक मान्यताओं को भी कलंकित करता है। पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है।

विज्ञापन ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादों का प्रचार-प्रसार भी हो, साथ ही साथ समाज और परिवार पर इसका अच्छा असर पड़े। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह ऐसे अर्द्धनग्न विज्ञापनों पर रोक लगाए। साथ ही हमारे यहां विश्वव्यापी मेला लगा हुआ है, धार्मिक मेले आदि अन्य आयोजनों पर इस प्रकार के विज्ञापन लगाए हुए हैं, उन पर अविलम्ब रोक लगाई जाए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर बेहद पिछड़ा क्षेत्र है जिसका एकमात्र मुख्य मार्ग बेलगाया-पनवारी राजमार्ग है, जो पचमेड़ी घाट पर पुल न होने के कारण सात माह से ज्यादा बंद रहता है जिसके कारण लोगों को विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए अधिक रास्ता तय करने के साथ-साथ, उनके समय और धन का भी व्यय होता है। गौरतलब है कि निघासन से लखीमपुर के लिए फूलबेहड़ होते हुए जाने वाले सीधे रास्ते पर लंबी-चौड़ी शारदा नदी है, जिस पर पचमेड़ी घाट का पुल बनने से न केवल 20 किलोमीटर की दूरी जिला मुख्यालय से कम होगी बल्कि इससे बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। वन विभाग की बहुत सारी कीमती प्रजातियां - खैर, शीशम आदि के वृक्ष, जो प्रतिवर्ष अरबों रुपए की वनसंपदा बाढ़ के कारण खो देते हैं। पुल बनने से जहां उन जंगलों की रक्षा हो सकेगी, वहीं 30,000 एकड़ कृषि भूमि पर खेती हो सकेगी जिससे लखीमपुर जिले को 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पुल को बनवाने का काम किया जाए।

माननीय सभापति : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, उपस्थित नहीं हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, झारखंड में एम्स की स्थापना के स्थान पर राँची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) का विस्तान करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष राशि का आबंटन किया गया था। परन्तु झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में विशेषज्ञ विभागों की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण झारखंड के मरीजों को ईलाज कराने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज में उसी कैडर के चिकित्सक की व्यवस्था कराई जाए और सरकार से यह भी आग्रह है कि आदिवासी बहुल इस राज्य में मात्र चिकित्सकों के कारण एम्स की स्थापना नहीं हो पा रही है। आप से निवेदन है कि एम्स की स्थापना की जाए।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, मैं कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहां के 95 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। अनुमान से कम वर्षा होने के कारण वहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां सारी नहरें सूखी पड़ी हैं। वहां की तीन नहरें - जोगापुर कैनाल गोरे से भकंदा लगभग 8 किलोमीटर, मेडरहा से कनैली लगभग 7 किलोमीटर, दाई का पुरवा से भकंदा तक बनकर तैयार हैं। लेकिन सपा सरकार उन्हें केवल कनैली इसलिए चालू नहीं कर रही है क्योंकि उन नहरों का निर्माण बसपा सरकार में हुआ था। इस कारण वहां सूखे की स्थिति उत्पन्न है। सपा सरकार केवल राजनीतिक द्वेष के कारण उन नहरों को चालू नहीं कर रही है। माननीय सिंचाई मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करके उन नहरों को चालू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल) : महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहता हूं।

माननीय सभापति : अभी भाषान्तरकार नहीं है। आप इंतजार कीजिए। भाषान्तरकार आने के बाद मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : उन्हें हिन्दी या अंग्रेजी में बोलने दें। भाषान्तरकार नहीं है। भाषान्तरकार आने दीजिए। उन्हें पहले से सूचना देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा : सभापति महोदय, मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास करता हूं।

मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों का भी अभिनन्दन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में तुंगभद्रा जलाशय आ रहा है। उसमें लगभग 30 टीएमसी सिल्ट जमा हो रहा है। इससे वहां खेती करने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें केन्द्र सरकार इंटरवीन करे और वहां एक स्टडी टीम भेजे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : आप पत्र दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी : सभापति जी, महाराष्ट्र के डा. डाबोलकर अंधविश्वास, धर्मांधता और धर्मोन्माद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे। लोगों में जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। एक साल पहले कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक साल पहले से उनके कत्ल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। तीन महीने पहले यह केस सीबीआई को दिया गया परन्तु कातिल अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। मेरी सदन से विनती है कि इस मामले को इम्पार्टेंस बना रहे थे। वे अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़े प्रचारक थे। मेरी गृह मंत्री जी से विनती है कि हमें इस इन्वैस्टिगेशन की स्थिति के बारे में बताया जाए।

[अनुवाद]

***श्री के. परसुरमन** (तंजावुर) **:** माननीय सभापति महोदय, मुझे तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय पुराची थलाइवी अम्मा का धन्यवाद करता हूं। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव के बारे में जानकर प्रसन्न हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने माननीय अम्मा को एक्स जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में तीन स्थानों का चयन करने के लिए पत्र लिखा है। तमिलनाडु सरकार ने वर्तमान वर्ष में ही एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के विचारार्थ पांच स्थानों की पहचान की है। इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए ये पांच स्थान सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़े हैं तथा वहां बिजली और पानी की सुविधा भी है। माननीय अम्मा ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पूरा ब्यौरा केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। माननीय अम्मा ने तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की योजना लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया है। माननीय अम्मा ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए चुने गए स्थानों में से एक स्थान तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र में सेंगीपट्टी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। तंजावुर और तिरुचि के बीच यदि सेंगीपट्टी में यह एम्स स्थापित किया जाता है तो इससे आस-पास के जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। उम्रदराज लोगों को भी इससे फायदा होगा। यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजावुर के सेंगीपट्टी में यह 'एम्स' स्थापित किया जाता है तो उपचार के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ओर से और माननीय पुराचीथलइली अम्मा की ओर से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह वर्तमान वर्ष के दौरान ही, तंजावुर निर्वाचन-क्षेत्र के सेंगीपट्टी में 'एम्स' स्थापित करे।

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) **:** सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्माननीय कृषि मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं। देश में सब जगह सूखा पड़ रहा है। सब जगह सूखे के आंकड़े मशीनों के माध्यम से काउंटिंग होकर हैदराबाद से आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार पूरे राजस्थान, खासकर मेरे क्षेत्र में बारिश बहुत कम हुई है। जहां मशीनें लगी हैं, वहां से आंकड़े किस तरह से पेश किये जाते हैं, यह हमें पता नहीं है। लेकिन कम बारिश की वजह से, सूखे की वजह से हमारे यहां गोधन, जो गाय है, जिसे हम मां कहते हैं, उनके लिए चारे के भी लाले पड़ रहे हैं।

महोदय, आज मेरे क्षेत्र में बहुत सारी गौशालाओं में चारा नहीं है। इस कारण वहां गाय मर रही हैं। हम एक-एक दिन हम लोगों से झोली

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

फैलाकर पैसा इकट्ठा करके उन गौशालाओं को चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन आंकड़ों पर ध्यान न दिया जाये और भौतिक सत्यापन, ग्राउंड लैवल पर सत्यापन करवा कर एक विशेष पैकेज गायों के लिए पेश किया जाये, जिससे हम गोधन को बचा पायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

* **श्री वी. एलुमलाई (अरानी) :** माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की महासचिव और तमिलनाडु की माननीया मुख्यमंत्री डा. पुराचीथलाइवी अम्मा का हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66) को बनाने का कार्य 2009 में प्रारम्भ हुआ था। विदेशी पर्यटक और देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री तिरुवन्नमलई के राष्ट्रीय राजमार्ग 66 से अरुणाचलेश्वर मंदिर और मेलयलयातुर के अंगलम्मन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक जानें चली जाती हैं। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इस राजमार्ग को शीघ्र जनता के उपयोग हेतु खोला जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 जुलाई, 2014/1 श्रावण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	201
2.	श्री तारिक अनवर	202
3.	श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान	203
	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	
4.	श्री भरत राम	204
5.	कर्नल सोनाराम चौधरी	205
6.	श्री शरद त्रिपाठी	206
	श्री एम.के. राघवन	
7.	श्री अजय मिश्रा टोनी	207
	श्री नित्यानन्द राय	
8.	श्री बी. श्रीरामुलु	208
	श्री एन. क्रिष्टप्पा	
9.	श्री हुकुमल सिंह	209
	श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	
10.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	210
11.	श्री जगदम्बिका पाल	211
12.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	212
13.	डॉ. किरीट सोमैया	213
14.	डॉ. अरुण कुमार	214
	श्री लक्ष्मण गिलुवा	
15.	श्री प्रेम दास राई	215
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	
16.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	216
	श्री सुल्तान अहमद	
17.	डॉ. थोकचोम मैन्या	217
	श्री सी.एन. जयदेवन	
18.	श्री राजू शेट्टी	218
19.	श्री के.एन. रामचन्द्रन	219
20.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	220
	श्री सुवेन्दू अधिकारी	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	श्री एम. उदयकुमार	1749, 1844
2	श्री आधालराव पाटील शिवाजीराव	1676, 1702, 1820
3	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	1724
4	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	1678, 1721, 1774, 1850
5	श्री बदरूद्दीन अजमल	1743, 1838
6	श्री सिराजुद्दीन अली	1696 1790
7	श्री इदरिस अली	1750 1810, 1841
8	श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा	1692, 1754
9	श्री एंटो एन्टोनी	1714, 1837, 1878
10	श्री कीर्ति आजाद	1720, 1811, 1817, 18770
11	श्री बी. श्रीरामुलु	1788, 1862
12	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1676, 1702, 1820
13	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	1812
14	श्री पी.के. बिजू	1672, 1713
15	श्री ओम बिरला	1665, 1764, 1812
16	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	1657, 1743
17	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	1799
18	श्री पी.पी. चौधरी	1673, 1769, 1814
19	श्री जितेन्द्र चौधरी	1682, 1830
20	श्री दुष्यंत चौटाला	1722, 1730, 1733, 1827
21	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	1724, 1725

1	2	3
22	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1653, 1724, 1783, 1812, 1854
23	श्री राम टहल चौधरी	1688
24	श्री अधीर रंजन चौधरी	1659
25	श्रीमती रमा देवी	1666, 1827
26	श्री आर. ध्रुवनारायण	1700, 1794, 1858
27	श्री निशिकांत दुबे	1709, 1805, 1865
28	मोहम्मद फैजल	1687
29	श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा	1698, 1791, 1810, 1856
30	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1754, 1798, 1804, 1867
31	श्री जैदेव गल्ला	1679, 1722, 1809, 1870
32	श्री फिरोज वरुण गांधी	1718, 1815
33	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	1687, 1697, 1722, 1800
34	श्री लक्ष्मण गिलुवा	1721, 1826
35	श्री राजेन गोहैन	1745, 1840, 1880
36	डॉ. संजय जायसवाल	1704, 1835, 1876
37	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1706, 1823
38	श्री सी.एन. जयदेवन	1760, 1812
39	श्री नारनभाई भिखाभाई काछड़िया	1713, 17980, 1808, 1865, 18820
40	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	1690, 1785, 1849, 1855
41	श्री पी. करुणाकरन	1714, 1810, 1871

1	2	3
42	श्री रत्न लाल कटारिया	1734, 1755
43	श्री नलीन कुमार कटील	1683, 1778, 1849, 1852
44	डॉ. रामशंकर कठेरिया	1767
45	श्री कौशल किशोर	1835
46	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1689, 1759, 1784, 1877
47	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	1733
48	श्री चन्द्रकांत खैरे	1695, 1827
49	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	1806, 1868
50	श्री जुगल किशोर	1735
51	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1685, 1781, 1860
52	श्रीमती कोथापल्ली गीता	1672, 1729, 1792, 1857
53	श्री एन. क्रिष्टप्पा	1779, 1853
54	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	1717, 1812, 1874
55	डॉ. अरुण कुमार	1801
56	श्री संतोष कुमार	1729
57	श्री शैलेश कुमार	1712
58	श्री पी. कुमार	1694, 1787, 1810, 1877
59	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	1808, 1882
60	श्री रविन्दर कुशवाहा	1759
61	श्रीमती सकुंतला लागुरी	1663
62	श्री सदाशिव लोखंडे	1691, 1755, 1764, 1786, 1861
63	श्रीमती पूनमबेन माडम	1735, 1737, 1823, 1832
64	श्री धनंजय महाडीक	1757, 1758

1	2	3
65	श्रीमती पूनम महाजन	1693, 1724, 1821, 1848
66	डॉ. बंशीलाल महतो	1660, 1798
67	श्री विद्युत वरण महतो	1658, 1798
68	श्री भर्तृहरि महताब	1740
69	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	1703
70	श्री जोस के. मणि	1699, 1793
71	श्री भगवंत मान	1725
72	श्रीमती के. मरगथम	1663
73	श्री अर्जुनलाल मीना	1828
74	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1728, 1735, 1769, 1814, 1825
75	डॉ. थोकचोम मेन्या	1866
76	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	1668, 1822
77	श्री एम. मुरली मोहन	1809
78	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1818
79	श्री बी.वी. नाईक	1674, 1724, 1769, 1770, 1848
80	श्री चाँद नाथ	1669, 1812
81	श्री अशोक महादेवराव नेते	1675, 1755, 1772, 1872
82	साध्वी निरंजन ज्योति	1710
83	श्री असादुद्दीन ओवेसी	1681, 1765 1776
84	श्रीमती कमला देवी पाटले	1654, 17550, 1761, 1827
85	श्री जगदम्बिका पाल	1798, 1864
86	श्री बैजयंत जे. पण्डा	1747, 1798, 1842

1	2	3
87	श्री छेदी पासवान	1708
88	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	1796
89	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1722, 1819
90	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	1731, 1828
91	श्री ए.टी. नाना पाटील	1733, 1755, 1806, 1841
92	श्री भीमराव बी पाटील	1680, 1771, 1775, 1851
93	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	1686, 1737
94	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	1732, 1812, 1822, 1829
95	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	1705, 1812, 1814, 1834
96	श्री प्रेम दास राई	1802, 1865
97	श्री राजन विचारे	1724, 1737
98	श्री एम.बी. राजेश	1705, 1741, 1828, 1832
99	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	1655, 1703, 1706, 1782, 1852
100	श्री राजेश रंजन	1664, 1756, 1875
101	श्रीमती रंजीत रंजन	1664, 1756, 1763, 1875
102	श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)	1809
103	श्री रामसिंह राठवा	1672, 1701, 1795, 1859
104	श्री विष्णु पद राय	1662, 1762, 1846
105	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	1724, 1873
106	प्रो. सौगत राय	1715, 1811, 1866, 1873
107	श्री राजीव प्रताप रूडी	1727, 1824

1	2	3
108	श्री राजीव सातव	1757, 1758
109	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	1739, 1834
110	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	1757, 1758
111	श्री राजू शेट्टी	1777
112	श्री राहुल रमेश शेवाले	1703, 1707
113	श्री प्रताप सिम्हा	1677, 1773, 1849
114	श्री भरत सिंह	1789
115	डॉ. भोला सिंह	1751
116	श्री हुकुम सिंह	1797, 1863
117	श्री रामा किशोर सिंह	1726
118	श्री रवनीत सिंह	1755
119	श्री सुशील कुमार सिंह	1716
120	श्री सुनील कुमार सिंह	1671, 1733, 1806, 1841, 1881
121	डॉ. किरीट सोमैया	1724
122	श्रीमती सुप्रिया सुले	1719, 1757, 1758, 1816
123	श्री डी.के. सुरेश	1684, 1780
124	श्री रामदास सी. तडस	1737, 1752, 1845
125	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	1670, 1766

1	2	3
126	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	1721
127	श्री अजय मिश्रा टोनी	1771
128	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1656, 1768, 1847
129	डॉ. शशी थरूर	1711, 1807, 1869
130	प्रो. के.वी. थामस	1736, 1831
131	श्री थोटा नरसिम्हम	1744, 1839, 1879
132	श्री हेमन्त तुकाराम गोड्से	1724
133	श्री शिवकुमार उदासि	1661, 1813
134	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	1667, 1752, 1765, 1803, 1865
135	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1738, 1755, 1812, 1833
136	श्री के.सी. वेणुगोपाल	1742, 1753, 1828
137	श्री धर्मवीर	1748, 1843
138	डा. वीरेन्द्र कुमार	1742, 1836
139	श्री चिन्तामन नवाशा वांगा	1723
140	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1746
141	श्री बी.एस. येदियुरप्पा	1754
142	योगी आदित्यनाथ	1798

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	207, 211, 212, 213, 214, 218, 220
रसायन और उर्वरक	:	210
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	208, 209, 216
संस्कृति	:	201
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	204
गृह	:	203, 206, 215, 217
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल	:	202
पर्यटन	:	205, 219

अतरांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1653, 1654, 1660, 1665, 1671, 1673, 1675, 1676, 1685, 1688, 1691, 1694, 1695, 1708, 1709, 1714, 1718, 1722, 1724, 1729, 1733, 1736, 1737, 1738, 1746, 1755, 1758, 1781, 1801, 1805, 1808, 1810, 1811, 1815, 1822, 1825, 1827, 1833, 1835, 1837, 1841, 1856, 1865, 1871, 1873, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882
रसायन और उर्वरक	:	1655, 1656, 1702, 1713, 1773, 1785, 1792, 1795, 1823, 1824, 1831, 1839
उपभोक्मा मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1663, 1670, 1680, 1706, 1712, 1723, 1739, 1741, 1753, 1754· 1759, 1793,1797, 1798, 1812, 1845, 1851, 1875, 1876
संस्कृति	:	1658, 1686, 1692, 1693, 1698, 1701, 1717, 1720, 1782, 1800, 1820, 1847, 1857, 1858, 1864, 1874
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1689, 1734, 1789, 1802, 1859
गृह	:	1659, 1662, 1667, 1669, 1682, 1696, 1699, 1703, 1704, 1705, 1711, 1715, 1721, 1725, 1728, 1732, 1735, 1740, 1743, 1745, 1747, 1748, 1752, 1760, 1762, 1763, 1765, 1766, 1768, 1770, 1776, 1780, 1786, 1787, 1790, 1799, 1804, 1806, 1807, 1809,

		1814, 1817, 1818, 1826, 1830, 1834, 1838, 1840, 1844, 1846, 1848, 1854, 1860, 1862, 1866, 1868, 1869, 1870, 1879
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1664, 1677, 1678, 1681, 1690, 1700, 1710, 1716, 1750, 1757, 1761, 1764, 1769, 1771, 1772, 1778, 1788, 1791, 1794, 1803, 1828, 1832, 1842, 1847, 1861, 1872
कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल	:	1661, 1674, 1679, 1683, 1687, 1697, 1730, 1731, 1751, 1756, 1767, 1779, 1796, 1821, 1829, 1836, 1843, 1852, 1855, 1863
पर्यटन	:	1657, 1666, 1668, 1672, 1684, 1707, 1719, 1726, 1727, 1742, 1744, 1749, 1774, 1775, 1777, 1783, 1784, 1813, 1816, 1819, 1849, 1850, 1853, 1867

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और बंगाल ऑफसैट वर्क्स, 335 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।